MAED-14

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्राथमिक शिक्षा

MAED-14

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्राथमिक शिक्षा

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

अध्यक्ष

प्रो. (डॉ.) नरेश दाधीच
कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

संयोजक / समन्वयक

संयोजक

डॉ. दामीना चौधरी
सहआचार्य, शिक्षा
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

सदस्य

1. **प्रो. सोहन वीर सिंह चौधरी**
   इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली
2. **डॉ. अनिल शुक्ला**
   लखनऊ विश्वविद्यालय
   लखनऊ (उ.प्र.)
3. **प्रो. मंजूलिका श्रीवास्तव**
   दूरस्थ शिक्षा परिषद
   इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली
4. **प्रो. डी.आर. गोयल**
   एम.एस. विश्वविद्यालय
   बड़ौदा, गुजरात
5. **प्रो. एस.पी. मल्होत्रा**
   कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

संपादन तथा पाठ लेखन

संपादक

प्रो. सोहन वीर सिंह चौधरी
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

लेखक

1. **डॉ. नीरजा धनकर**
   हिमगिरि विश्वविद्यालय
   सहस्त्रधारा, देहरादून
2. **डॉ. भोपाल सिंह**
   आई.ए.एस.ई. (से.नि.)
   गाँधी विद्या मंदिर, सरदार शहर
3. **डॉ. किरण माथुर**
   एम.सी.ई.आर.टी.
   नई दिल्ली
4. **प्रो. रेनू गुप्ता**
   हिन्दू कॉलेज ऑफ एजुकेशन
   सोनीपत, हरियाणा
5. **डॉ. शिरीष पाल सिंह**
   एस.जी.आर.आर. पी.जी. कॉलेज
   पातेरी बाग, देहरादून
6. **डॉ. कीर्ति सिंह**
   सहायक आचार्य
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा
7. **डॉ. शीशपाल सिंह**
   गाँधी शिक्षक महाविद्यालय
   गुलाबपुरा, भीलवाडा
8. **डॉ. मदन सिंह चौधरी**
   (से.नि.प्राचार्य)गाँधी शिक्षक महाविद्यालय
   गुलाबपुरा, भीलवाडा
9. **ज्योत्सना गौड़**
   अनुसंधान एवं शिक्षण सहायक
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. नरेश दाधीच	**प्रो. अनाम जेटली**	**योगेन्द्र गोयल**
कुलपति	निदेशक	प्रभारी अधिकारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	**संकाय विभाग**	**पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग**

पाठ्यक्रम उत्पादन

योगेन्द्र गोयल
सहायक उत्पादन अधिकारी,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

उत्पादन : अक्टूबर 2009 ISBN-13/978-81-8496-138-6

इस सामग्री के किसी भी अंश को व. म. खु. वि., कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप मे 'मिमियोग्राफी' (चक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

व. म. खु. वि., कोटा के लिये कुलसचिव व. म. खु. वि., कोटा (राज.) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

विषय सूची

प्राथमिक शिक्षा

क्र.सं.	इकाई का नाम	पेज सं.
1	प्राथमिक शिक्षा : इतिहास, वर्तमान और भावी परिदृश्य	6
2	प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास : भारतीय परिदृश्य	23
3	प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	46
4	प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण : सबके लिए शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) 2002 - 2010	70
5	प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम	91
6	प्राथमिक स्तर पर एकीकृत शिक्षण एवं अधिगम	116
7	सूचना एवं प्रौद्योगिकी समर्थित अधिगम एवं प्राथमिक शिक्षा	134
8	पाठ्यक्रम एवं अनुदेशन	151
9	बाल वृद्धि एवं विकास	175
10	बालक का व्यक्तित्व विकास	194
11	विशेष आवश्यकता युक्त बच्चे	210
12	बालिका शिक्षा	233
13	समुदाय संबद्ध : प्रावधान/ नीति स्वरूप	268
14	विद्यालय और अध्यापक	294
15	विद्यालय और समाज	309
16	अनौपचारिक शिक्षा	321

इकाई 1

प्राथमिक शिक्षा : इतिहास. वर्तमान और भावी परिदृश्य

(Historical Education in Emerging Society)

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्राथमिक शिक्षा : परिचय और उद्देश्य

1.2 भारत में प्राथमिक शिक्षा 1947 तक

- 1.2.1 वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा
- 1.2.2 बौद्धकाल में प्राथमिक शिक्षा
- 1.2.3 मध्य काल में प्राथमिक शिक्षा
- 1.2.4 प्राथमिक शिक्षा के पाश्चात्य प्रयास
- 1.2.5 ब्रिटिश सरकार की नीति और उसके प्रभाव

1.3 भारत में प्राथमिक शिक्षा. 1947 से आज तक

- 1.3.1 अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् (1957)
- 1.3.2 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66)
- 1.3.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1966)
- 1.3.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
- 1.3.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्ययोजना (1992)
- 1.3.6 प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

1.4 राष्ट्रीय स्तर के प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

- 1.4.1 सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का सन्दर्भ
- 1.4.2 निरौपचारिक शिक्षा, शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा
- 1.4.3 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड
- 1.4.4 सभी के लिए शिक्षा (एजुकेशन फॉर ऑल)
- 1.4.5 महिला समाख्या और लोकजुम्बिश
- 1.4.6 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
- 1.4.7 मध्यावकाश भोजन योजना
- 1.4.8 जनशाला
- 1.4.9 सर्वशिक्षा अभियान

1.5 सारांश

1.6 संदर्भ ग्रंथ

1.0 उद्देश्य

शिक्षा किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सर्वोन्मुखी विकास का प्रभावी उपकरण है। शिक्षा द्वारा मनुष्य अपने जीवनलक्ष्यों के ज्ञान और अधिगम में समर्थ होता है, परिवार का समुचित परिपालन करता है, समाज का उपयोगी सदस्य और राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक बनता है। भारत वर्ष में प्राथमिक शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। प्रस्तुत इकाई में सुदूर अतीत में भारत की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था से शुरु करके इतिहास के विभिन्न चरणों में प्रचलित प्राथमिक शिक्षा पद्धतियों और आधुनिक समय में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रयासों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराया गया है। इस इकाई के अध्ययन से निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त होंगे -

- वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम शिक्षा की आरम्भ विधि, शिक्षा माध्यम और पाठ्यचर्या का ज्ञान।
- भारत में पश्चिमी देशों के मिशनरियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और स्तरोन्नयन के प्रयासों से परिचय।
- ब्रिटिश सरकार के प्राथमिक शिक्षा प्रयासों और उनके परिणामों से अभिज्ञता।
- विभिन्न शिक्षा आयोगों और शिक्षा नीतियों में प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध संस्तुतियों का शान।
- स्वतन्त्रता के पश्चात भारत की सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वजन सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए संचालित अभियानों और कार्यक्रमों की उपयोगिता का बोध।
- प्राथमिक शिक्षा को अधिकाधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के प्रयासों से परिचय।

1.2 प्राथमिक शिक्षा: परिचय और उद्देश्य

प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है प्रथम या सबसे पहले प्राप्त होने वाली शिक्षा। इसे मुख्य शिक्षा भी कहा जा सकता है क्योंकि यह आगे प्राप्त की जाने वाली शिक्षा की नींव या आधार होती है। इससे विद्यार्थियों की भाषा का विकास होता है, उनका समाजीकरण होता है, जिज्ञासा बढ़ती है और भावी शिक्षा का आधार तैयार होता जनवरी 1960 में यूनेस्को के एशियाई सदस्य देशों के शिक्षा प्रतिनिधियों की कराची बैठक में 1980 तक सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करने के उपायों पर विचार किया गया। सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों ने प्राथमिक शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों के निर्धारण और उनके कार्यान्वयन पर सहमति व्यक्त की। प्रतिनिधियों का मत था कि प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तित्व विकास, वर्तमान तथा भावी चुनौतियों के प्रतिकार और वैश्विक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम बनाया जाना चाहिए। सम्मेलन में प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित उद्देश्यों में से प्रमुख हैं -

1. शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, सौन्दर्यात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के अवसर प्रदान करके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।
2. अच्छी नागरिकता के लिए तैयार करना और देश की परम्पराओं और संस्कृति के लिए आदर व निष्ठा का भाव उत्पन्न करना।
3. विश्वबन्धुत्व एवं अन्तराष्ट्रीय बोध का विकास करना।
4. तार्किक चिन्तन और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना।
5. श्रम के प्रति निष्ठा का भाव उत्पन्न करना।

6. व्यावहारिक और क्रियात्मक अनुभव प्रदान करके भावी जीवन के लिए तैयार करना।

नवम्बर, 2000 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. ई. आर. टी.) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना मे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल शैक्षिक उद्देश्यों की सूची दी गई है। उनमें से निम्नलिखित उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयुक्त हैं -

1. बालकों को उनकी मातृभाषा और उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना।
2. बालकों में समूह-भावना विकसित करना और उन्हें वर्गभेद से ऊपर उठकर समरस जीवन की कला में निपुण करना।
3. बालकों को स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराना और स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं में प्रशिक्षित करना।
4. बालकों को सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे उत्सव, त्यौहार और पारिवारिक तथा सामाजिक समारोहों में बेझिझक भाग लेने के लिए तत्पर करना।
5. बालकों में एक-दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सम्मान के भाव जागृत करना और मिल-जुलकर कार्य करने की ओर उन्मुख करना।
6. बालकों को एक-दूसरे की भाषा, जीवन शैली, धार्मिक विशेषताओं और अन्य भिन्नताओं के प्रति सहिष्णु बनाना।

1.2 भारत में प्राथमिक शिक्षा : 1947 तक

भारत में शिक्षा कभी भी बाहरी या अपरिचित गतिविधि नहीं रही । यहाँ शिक्षा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना समाज के संगठन का । भारतवर्ष में संकलित वैदिक संहिताओं को विश्व के प्रथम काव्य होने का गौरव प्राप्त है । वेद और वैदिक काव्य भाषा, व्याकरणिक संरचना, ज्ञान-विज्ञान और व्यावहारिकता की दृष्टि से आज भी समसामयिक हैं । इससे सिद्ध है कि भारत में ज्ञान की परम्परा अनादिकाल से प्रचलित है । ज्ञान के अधिगम और अभ्यास की गतिविधि परिवार में ही आरम्भ हो जाती थी । इसे प्राथमिक शिक्षा का प्राचीनतम रूप कहा जा सकता है । इतिहास के विभिन्न काल खण्डों में प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप बदलता रहा । इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है -

1.2.1 वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा

वैदिक काल (2500 ई. पू से 500 ई. पू) में माता को पहला और पिता को दूसरा गुरु माना जाता था। माता सामान्य व्यवहार और पिता परिवार की ज्ञान परम्परा में बालक को दीक्षित करते थे। प्राय: पाँच वर्ष की अवस्था में सन्तान का 'विद्यारम्भ संस्कार' होता था जिसके बाद पिता बालक को भाषा, व्याकरण, संहिता, नैतिक मूल्यों और उपयोगी संस्कारों का ज्ञान व अभ्यास कराता था। यह शिक्षा संस्कृत भाषा के माध्यम से प्रदान की जाती थी। प्राथमिक ज्ञान में प्रवीण हो जाने पर लगभग आठ वर्ष की अवस्था में बालकों का उपनयन संस्कार' होता था और उन्हें गुरुकुल में अध्ययन के लिए भेज दिया जाता था। गुरुकुलों में वैदिक संहिताओं, उपनिषदों, स्मृतियों, योग, संगीत और कलाओं का ज्ञान और अभ्यास कराया जाता था।

1.2.2 बौद्धकाल में प्राथमिक शिक्षा

बौद्धकाल (500 ई. पू से 1200 ई.) में उद्देश्य और पाठ्यक्रम की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप ज्यादा स्पष्ट हुआ । इस दौरान प्राथमिक शिक्षा का नियोजन और संचालन पिता या परिवार के स्थान पर बौद्ध संघों के हाथ में आ गया। शिक्षा का आरम्भ 'पब्बजा' नामक संस्कार से होता था। इस काल में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ अर्थात् समाज के सभी वर्गों के लिए प्राप्त बनाया गया। बौद्ध काल की प्राथमिक शिक्षा में अक्षरज्ञान, शब्द विज्ञान, भाषा, शिल्प और कलाओं का सामान्य ज्ञान कराया जाता था। शिक्षा का माध्यम पाली और प्राकृत था।

1.2.3 मध्य काल में प्राथमिक शिक्षा

मध्यकाल या मुस्लिम काल (1200 ई. से 1700 ई.) में प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष संस्थाओं की व्यवस्था हुई जिन्हें मकतब' कहा जाता था। भारत में मुस्लिम शासन के प्रसार के साथ ही जगह-जगह मस्जिदों की स्थापना हुई, जिनमें प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों यानि मकतबों की व्यवस्था की गई। प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ चार वर्ष, चार माह और चार दिन की अवस्था में 'बिस्मिल्लाह खानी नाम की रस्म के साथ होता था। इस अवसर पर उस्ताद (शिक्षक) बालक को कुरान शरीफ की चुनिंदा आयतों या बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण कराते थे। इसके बाद मकतब में लिपिज्ञान लिखना, पढ़ना, अंकगणित और शिष्टाचार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी था। नैतिक विकास के लिए शेरदादी की पुस्तकें - 'गुलिस्तां और बोस्तां पढ़ाई जाती थीं।

1.2.4 प्राथमिक शिक्षा के पाश्चात्य प्रयास

1 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डि गामा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। इसके बाद 1510 में पुर्तगालियों ने गोआ पर अधिकार किया और व्यापारिक तथा शैक्षिक गतिविधियों की शुरुआत की। उन्होंने गोआ, दमन, दीव, हुगली, कोचीन, चटगाँव और मुम्बई में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में स्थानीय भाषा के साथ पुर्तगाली भाषा, गणित और स्थानीय शिल्पों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। पुर्तगालियों को भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का संस्थापक माना जाता है|

2 पुर्तगालियों के बाद सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में डच व्यापारियों ने भारत में प्रवेश किया। उन्होंने बंगाल के चिनसुरा व हुगली और मद्रास के नागपट्टनम् और बिल्लीपट्टनम में अपने व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना की । डच व्यापारिक केन्द्रों और कारखानों में काम करने वाले भारत और हॉलेण्ड के कर्मचारियों के लिए डच मिशनरियों ने प्राथमिक विद्यालय खोले । इन विद्यालयों में यूरोपीय पद्धति से बंगला, तमिल और डच भाषाओं, भूगोल, गणित और सामान्य कलाओं के शिक्षण की व्यवस्था की गई।

3 1667 में फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। उन्होंने मुख्य रूप से चन्द्रनगर और पाण्डिचेरी में अपने व्यापारिक केन्द्र खोले। इन केन्द्रों में फ्रेंच मिशनरियों ने प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में फ्रेंच और भारतीय

भाषाओं के माध्यम से गणित, सामान्य विज्ञान और कला-कौशल की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी।

4 1680 में डेनमार्क के व्यापारी और ईसाई मिशनरी भारत आए। उन्होंने सीरामपुर, त्रावणकोर, तंजोर और त्रिचरापल्ली में अपने कारखाने खोले और प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की। इन विद्यालयों में तमिल भाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। डेन प्राथमिक विद्यालयों में पारम्परिक विषयों के साथ गणित और उपयोगी कलाओं का परिचय कराया जाता था।

5 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बादशाह जहाँगीर से भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई । कम्पनी ने सूरत, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अपने व्यापारिक केन्द्र खोले । कम्पनी के साथ आए मिशनरियों ने इन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व सँभाला। 1668 में ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से कम्पनी को विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की।

1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर युद्धों में विजय पाकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके बाद इन क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था कम्पनी सरकार के अन्तर्गत आ गई। सरकार के सामने समस्या थी कि शिक्षा के परम्परागत रूप को जारी रखा जाए या इसमें पाश्चात्य पाठ्यक्रम के अनुरूप विषयों, शिक्षण शिक्षण पद्धति, अंग्रेजी भाषा और मूल्यांकन पद्धति का समावेश किया जाए। धीरे-धीरे इस उलझन ने बृहत् रूप धारण कर लिया और अधिकारियों और शिक्षाविदों के दो वर्ग बन गए । एक तरफ पाश्चात्यवादियों का विचार था कि भारत में अंग्रेजी भाषा और ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि सरकार को योग्य और कुशल कर्मचारियों के रूप में शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिफल मिल सके। इसके दूसरी ओर प्राच्यवादियों के विचार में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए परम्परागत शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखना अनिवार्य था।

इस विवाद के समाधान का दायित्व 1834 में गवर्नर जनरल की काउन्सिल के कानूनी सलाहकार और जन शिक्षा समिति के अध्यक्ष लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को दिया गया । उसने फरवरी 1935 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे 'मैकॉले मिनट्स' के नाम से जाना जाता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत मैं ब्रिटिश शिक्षा की नीति का निर्धारण हुआ। 1654 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी आज्ञापत्र में कम्पनी को सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश प्राप्त हुआ। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी माध्यम के सभी विद्यालयों को निश्चित शर्तों पर अनुदान दिया जाने लगा जिससे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तेजी आई।

1.2.5 ब्रिटिश सरकार की प्राथमिक शिक्षा नीति और उसके प्रभाव

1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी के स्थान पर सीधे ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन की बागडोर सँभाल ली। 1859 में तत्कालीन गवर्नर जनरल और वॉयसराय लॉर्ड केनिंग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु विशेष कर आरोपित किया लेकिन इससे विशेष लाभ नहीं हुआ। 1882 शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। इसकी सिफारिशों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा गया। इससे भारत में प्राथमिक विद्यालयों

की संख्या 1881 -82 में 82916 से बढ़कर 1901 -02 में 93604 हो गई। इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी इसी अवधि के दौरान 2061, 541 के मुकाबले 3076671 हो गई।

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार अभियान में नया मोड़ तब आया जब 1906 में बड़ौदा के शासक सियाजीराव गायकवाड़ ने अपने पूरे राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर दिया। इससे प्रेरित होकर श्री गोपालकृष्ण गोखले ने 1910 में केन्द्रीय धारा सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव और 1911 में इसी सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक को कानूनी मान्यता न दिए जाने के विरोध में सारे भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अभियान शुरु हुआ जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। इस दौरान राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों और समाज सुधारको ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए सरकार पर अनेक प्रकार से दबाव बढ़ाया। दूसरी ओर सरकार इस पर होने वाले व्यय से चिन्तित थी। इस बीच 20 दिसम्बर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 5० लाख रुपए अतिरिक्त व्यय करने का आदेश दिया।

ब्रिटिश सम्राट के आदेश पर ब्रिटिश सरकार ने 1913 में नया शिक्षा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा व्यय करने, निर्धन और पिछडे वर्गो को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने, देशी प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने, प्राथमिक विद्यालयो में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने, कक्षाओं में छात्र-शिक्षक अनुपात नियत करने और प्राथमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विद्यालयों के नियमित निरीक्षण की व्यवस्था जैसे प्रावधान निहित थे। इन उपायों से 1921 तक प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 105017 और उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 6109, 752 हो गई । इतना होने पर भी 6- 11 वर्ष की आयु के मात्र 25 प्रतिशत बालकों को ही प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध थी।

1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरआत हुई। इस व्यवस्था में गवर्नर जनरल की काउन्सिल और प्रान्तीय सरकारों के बीच प्रशासनिक विषयों का बँटवारा हुआ। शिक्षा प्रान्तीय सरकारों के विषयक्षेत्र में आई। इससे भारतीय नीतिकारो को अपनी शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन का अवसर प्राप्त हुआ और प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में कुछ सुधार आया। 1929 में शिक्षा सम्बन्धी सहायक समिति के अध्यक्ष के रूप में सर फिलिप हर्टाग ने भारतीय शिक्षा परिदृश्य का अध्ययन किया और पाया कि शैक्षिक प्रसार में तेजी और अपव्यय व अवधारण की दर में कमी लाए जाने की जरूरत है। इसके लिए उनका सुझाव था कि प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए, उनमें प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध शिक्षकों की नियुक्ति हो, पाठ्यक्रम मे उपयोगी व रुचिकर विषयों का समावेश किया जाए और विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षण सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ उन्होंने प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार और इन विद्यालयों को ग्राम सुधार और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित करने का भी सुझाव दिया।

ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम (1935) के प्रभाव से 1937 में भारत में द्वैध शासन के स्थान पर स्वशासन पद्धति की स्थापना हुई। इससे प्रान्तीय सरकारों को अधिक स्वायत्तता मिली और शिक्षा में भारतीय विचारधारा को क्रियान्वित करना संभव हुआ। इस सम्बन्ध में नीति तय करने के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा से अक्तूबर 1937 में वर्धा, महाराष्ट्र

में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें प्रान्तीय सरकारों के शिक्षा मन्त्रियों, विख्यात शिक्षाविदों और राष्ट्रीय नेताओं ने विचार व्यक्त किए। इनके आधार पर डी. जाकिर हुसैन ने दिसंबर 1937 और अप्रैल 1938 में दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इनमें प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप में आमूल परिवर्तन के लिए 7- 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने, मातृभाषा को शिक्षण माध्यम बनाने, हस्तकौशल केन्द्रित पाठ्यक्रम, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विषय-चयन और विद्यालयों को स्वावलम्बी बनाने के सुझाव दिए गए। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का नाम दिया गया। लेकिन प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और 1939 में विश्वयुद्ध के कारण इन प्रतिवेदनों का समुचित परिपालन नहीं हो सका।

विश्वयुद्ध के बाद शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक योजना प्रस्तुत की; जिसे इसके अध्यक्ष सर जॉन सार्जेण्ट के नाम पर 'सार्जेण्ट योजना' कहा जाता है। इस योजना में बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत में पहली बार पंचवर्षीय शिक्षा योजना का प्रावधान किया गया।

उपसंहार

भारत में ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीय संसाधनों के दोहन से आर्थिक समृद्धि और औद्योगिक विकास प्राप्त करना था। इसके लिए उन्हें कुशल और सस्ते श्रम की जरूरत थी। वे भारत में एक ऐसा अंगरेजी परस्त वर्ग तैयार करना चाहते थे जो उनकी कम्पनियों और फैक्टरियों में काम आ सके। इसके लिए अधोगामी निस्यन्दन सिद्धान्त के तहत समाज के उच्चवर्ग को मिशनरी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में उत्तम शिक्षा उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त भारत के जनसामान्य के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना अंग्रेजों की प्राथमिकता में नहीं था। इसलिए तमाम समितियों और आयोगों द्वारा प्रस्तुत अनगिनत सिफारिशों और संस्तुतियों के होने पर भी भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कमोबेश एक सी रही। 1947 में भारत भर में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 134866 और उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 1,05,25,493 थी।

1.3 भारत में प्राथमिक शिक्षा : 1947 से आज तक

15 अगस्त 1947 की सुबह संसार के नमो पर भारत के रूप में एक लोकतान्त्रिक गणराज्य का उदय हुआ। 26 जनवरी, 195० को लागू इसके संविधान में की 45वी धारा में आगामी दस वर्षो में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई । इसके उपरान्त भी समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा और सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का नियोजन किया गया । इनका संक्षिप्त 'परिचय यहाँ प्रस्तुत है -

1.3.1 अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् (1957)

शिक्षा के सन्दर्भ में अनेक नीतियों और प्रावधानों के बावजूद देश के अधिसंख्य बच्चे इस सुविधा से वंचित थे । दूसरी ओर इसके स्तर की गिरावट भी सरकार और शिक्षाविदों के लिए चिन्ता का विषय थी । इन समस्याओं के उन्मूलन के लिए 1957 में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया । प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी और सफल बनाने के लिए योजनाओं की कमी नहीं थी । लेकिन प्रशासनिक कारणों से उनका अपेक्षित परिपालन नहीं हो पा रहा था । परिषद् ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और उन्नयन की मौजूदा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्वरित कदम उठाए जिससे विद्यालयों की स्थिति में सकारात्मक सुधार हुए।

1.3 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-68)

भारतीय शिक्षा के सर्वांगीण परिवर्तन के लिए जुलाई 1964 में डी. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। आयोग ने जून 1966 में प्रस्तुत रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए 6- 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षार्जन की सुविधा उपलब्ध कराने, अपव्यय और अवरोधन रोकने और पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय के प्रावधान की सिफारिश की। इन उपायों से प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में काफी मदद मिली।

1.3.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)

कोठारी आयोग की संस्तुतियों पर विचार के लिए अप्रैल 1967 में भारत सरकार ने एक संसदीय समिति गठन किया । समिति ने जुलाई 1968 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) के नाम से जाना जाता है । इस प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ, गुणात्मक और व्यावहारिक बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए । इस नीति में अगले दस वर्षा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की गई।

1.34 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

इस बीच केन्द्रीय सत्ता में जल्दी-जल्दी परिवर्तन हुए जिससे शिक्षा के प्रसार और सुधार का कार्य सुखा हो गया। इसे फिर से पटरी पर लाने और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षाविदों के परामर्श से नई नीति - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) प्रस्तुत की। इस नीति में प्राथमिक विद्यालयों में अपेक्षित सुविधाओं और मानव संसाधन की व्यवस्था के लिए 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' नाम से एक अभियान की सिफारिश की गई। इस अभियान द्वारा हर 300 विद्यार्थियों वाले प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो कमरों, दो शिक्षकों और मूलभूत शिक्षण-अधिगम सामग्री की व्यवस्था की जानी थी । इस दस्तावेज में कहा गया कि फिलहाल देश के 9० प्रतिशत बच्चों को एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। आगामी दस वर्षो में देश के सभी बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

1.35 राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्ययोजना (1992)

शिक्षा नीति (1986) में प्रत्येक पाँच वर्ष बाद इसकी व्यावहारिकता और कार्यान्वयन की समीक्षा का प्रावधान था। इसके लिए 1992 में श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता गे एक समिति का गठन किया गया । समिति ने 1986 की शिक्षा नीति और इसके कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक संशोधन प्रस्तुत किए। जिसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्ययोजना (1992) का नाम दिया गया । इसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का दायरा बढ़ाया गया और हर 200 बच्चों के लिए एक किलोमीटर के दायरे में तीन कमरों, तीन शिक्षकों और मूलभूत शिक्षण-अधिगम सामग्री की व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

1.3.8 प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत में प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार हुआ है। 1951 से 2001 तक किए गए छह सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इस अवधि में कुल साक्षरता दर 18.33 के मुकाबले 6538 प्रतिशत हो गई है । इस दौरान पुरुष साक्षरता दर 27.16 से बढ़कर 7585 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 886 से बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या भी 2,15036 के मुकाबले 638738 तक पहुँच गई। इन आकड़ों से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के बाद भारत में प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है।

1.4 राष्ट्रीय स्तर के प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

भारत में शिक्षा के विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है जिसका तात्पर्य है कि शिक्षा का प्रचार-प्रसार और विकास केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा। प्राथमिक शिक्षा यद्यपि राज्य का विषय है लेकिन केन्द्र सरकार ने भी समय-समय पर इसके विकास के लिए विशेष योजनाओं और अभियानों का संचालन किया है। इनमें से कुछ का परिचय इस प्रकार है -

- निरौपचारिक शिक्षा, शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा
- ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड
- सभी के लिए शिक्षा (एजुकेशन फॉर ऑल)
- महिला समाख्या और लोकजुम्बिश
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
- मध्यावकाश भोजन योजना

  1 जनशाला

  2 सर्वशिक्षा अभियान

1.4.1 सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का सन्दर्भ

शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को बिना भेदभाव और कठिनाई के निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अन्तर्गत मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है -

1 सार्वभौमिक सुलभता - 6- 14 वर्ष के सभी बच्चों को एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा।

2 सार्वभौमिक नामांकन - 6-14 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना।

3 सार्वभौमिक अवधारण - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक सभी विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा जारी रखना।

देश के सर्वांगीण विकास और शिक्षित समाज की स्थापना के लिए प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण अनिवार्य है। प्राथमिक शिक्षा द्वारा उच्चस्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण का आधार तैयार होता है। जिन देशों में प्राथमिक शिक्षा का स्तर उन्नत है वे देश मानव विकास के अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी शिक्षा को जीवन और स्वतन्त्रता के समान ही मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।

1997 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की संस्तुति की । इस सन्दर्भ में संसद द्वारा पारित अनिवार्य शिक्षा (86 वें संविधान संशोधन) विधेयक को दिसम्बर 2002 में राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसके अनुसार भारतीय संविधान के 21 वें अनुच्छेद के दूसरे भाग में कहा गया है कि - ' राज्य 6- 14 वर्ष के सभी बच्चों को राज्य या कानून द्वारा निर्धारित विधि से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। " इसी क्रम में 93वे संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि ' 'राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें एक वर्ष के भीतर 6- 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कानून पारित करेंगी। इससे सरकारों पर पास देश के सभी क्षेत्रों में रहने वाले 6-14 वर्ष के सभी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था का अनिवार्य दायित्व आ गया है। साथ ही अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें।

4.2 निरौपचारिक शिक्षा, - शिक्षा गारण्टी योजना. वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा को व्यापक और सर्वसुलभ बनाने के नीतिगत प्रावधानों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के बावजूद भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस स्थिति के पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और रुढ़िगत कारण उत्तरदायी हैं। इन जैसे अन्यान्य कारणों से विद्यालय न जा सकने वाले बच्चों को लक्ष्य करके अनेक प्राथमिक शिक्षा योजनाएँ बनाई गई हैं। इनमें सर्वप्रथम है - निरौपचारिक शिक्षा योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1977-78 में प्रायोगिक आधार पर की गई। यह योजना उन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी जो किन्हीं सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक कारणों से नियमित

विद्यालयों में नहीं जा रहे थे। प्रारम्भ में यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े दस राज्यों की शहरी मलिन बस्तियों, पहाड़ी, जनजातीय और रेगिस्तानी इलाकों में शुरु की गई । अपेक्षित सामुदायिक सहयोग, शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं, उपयोगी पाठ्यक्रम, प्रभावी प्रबन्धन और शासकीय सहयोग के अभाव के चलते इस योजना के अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ सके।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अभियान में लड़कियों, अनुसूचित जाति 7 जनजाति, पिछड़े क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों, यायावर समुदायों और निर्माण मजदूरों के बच्चों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस श्रेणी के 6- 14 वर्ष के बच्चों की आरंभिक शिक्षा के लिए वर्ष व 979-80 में 'शिक्षा गारण्टी योजना' के अन्तर्गत देशभर में एक लाख से अधिक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की गई। ये केन्द्र मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में स्थापित किए गए जहाँ एक किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं था। इन केन्द्रों में अल्पावधि पाठ्यक्रमों, ग्रीष्मकालीन शिविरों, चिकित्सकीय शिक्षण और सचल शिक्षकों के माध्यम से व्यावहारिक साक्षरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया।

इस योजना के अगले चरण के रूप में वर्ष 2001 में वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा योजना' प्रस्तुत की गई। इसके तहत बिना विद्यालय वाली बस्तियों में प्राथमिक शालाओं की स्थापना, अल्पावधि पाठयक्रम द्वारा बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना और स्कूल न जा सकने वाले बच्चों की सतत शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान किए गए। इस योजना को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किया गया। इस योजना के संचालन का दायित्व राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त या चिहिनत संस्थाओं का सौंपा गया।

1.4.3 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड

इस योजना का समारम्भ 1987-88 में मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम संसाधनों और शिक्षकों की व्यवस्था के लिए किया गया । इस योजना के तीन मुख्य अंग थे -

1 प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो सभी मौसमों के अनुकूल कक्षा-कक्षों और बालकों तथा बालिकाओं के लिए अलग शौचालयों का निर्माण,

2 कम से कम दो शिक्षकों की व्यवस्था, जिनमें से एक महिला हो और

3 न्यूनतम फर्नीचर व शिक्षण-अधिगम संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

शिक्षा नीति (1986) के पुनरीक्षण के दौरान इस योजना का विस्तार किया गया और 200 विद्यार्थियों वाले प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में तीन कमरों, तीन शिक्षकों और मूलभूत शिक्षण-अधिगम सामग्री की व्यवस्था की बात कही गई। इस योजना के संचालन के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की व्यवस्था है। विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण को केन्द्र की अन्य योजनाओं जैसे रोजगार गारण्टी योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना से सम्बद्ध किया गया है।

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तहत वर्ष 2003 तक 18500 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हुआ और 149000 शिक्षकों के पद अनुमोदित किए गए। इसके अतिरिक्त 100 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 83000 अतिरिक्त शिक्षकों के पद्दजित किए गए।

1.4.4 सभी के लिए शिक्षा (एजुकेशन फॉर ऑल)

5-9 मार्च 1990 को थाइलैण्ड में सम्पन्न विश्व सर्वशिक्षा सम्मेलन में सदस्य देशों और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से वर्ष 2000 तक सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई। इस सम्मेलन का लक्ष्य स्कूल जाने के उम्र वाले सभी बच्चों को साक्षरता, भाषा-कौशल, अंकगणित और समस्या समाधान के कौशलों में पारंगत करने के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों और सकारात्मक अभिवृति का विकास करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 1992 में भारत की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रावधान किया गया। इनमें गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा के लिए शैक्षिक सुविधाओं के उन्नयन, शिक्षकों का क्षमता-विस्तार, शैक्षिक प्रबन्धन व नियोजन में सुधार और शिक्षा में सामुदायिक सहयोग जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया।

1.4.5 महिला समाख्या और लोकजुम्बिश

वर्ष 1988 में संचालित महिला समाख्या; लड़कियों की शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। इस परियोजना का संचालन हॉलेण्ड सरकार के सौजन्य से राजस्थान सहित नौ राज्यों में महिलाओं के शैक्षिक स्तर के उन्नयन के लक्ष्य से किया गया। परियोजना का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की स्वयं और समाज के बारे में परम्परागत धारणा में बदलाव लाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं द्वारा स्वयं प्रयास से महिला साक्षरता और सशक्तिकरण का कार्य किया जाता है। वर्ष 2005 तक इस कार्यक्रम के माध्यम से 63 जिलों के 21000 गांवों में लड़कियों को न्यूनतम व्यावहारिक साक्षरता उपलब्ध कराने और प्राथमिक शिक्षा सुनिधाओं के विस्तार का कार्य किया गया।

लोकजुम्बिश परियोजना का संचालन राजस्थान राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए स्वदेशी इंटरनेशनल डेवलपमेण्ट अथॉरिटी - सिडा के माध्यम से और राजस्थान व केन्द्र सरकार के सहयोग रो किया गया। वर्ष 1992 में आरम्भ इस परियोजना के प्रथम चरण (1992-94) में 25 और दूसरे चरण (1994-98) में 75 ब्लॉकों के गांवों में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया गया। इस दौरान 5663 गांवों में 383 नए प्राथमिक विद्यालय खुले और 227 विद्यालयों का स्तरोन्नयन हुआ। इसी अवधि में 3000 से अधिक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों - सहज शिक्षा केन्द्रों और बालिका शिक्षा शिविरों के माध्यम से भी प्राथमिक शिक्षा को सर्वजन सुलभ बनाने का कार्य किया गया।

1.4.8 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

वर्ष 1994 में घोषित 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे विश्व बैंक, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, नीदरलैण्ड और यूनिसेफ से सहयोग प्राप्त है।

इस योजना का संचालन राज्य स्तर की पंजीकृत स्वायत्त संस्था द्वारा होता है। यह संस्था सरकारी मशीनरी, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षक और अभिभावक संघों के बीच समन्वय का काम करती है जिससे कार्यक्रम का संचालन और निर्देशन बेहतर होता है। इस उपाय से कार्यक्रम संचालन में राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रबन्धन विश्वविद्यालय (न्यूपा) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. ई. आर. टी.) जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की सहायता प्राप्त करना सम्भव हो जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रयास किए जाते हैं जिससे प्राथमिक शिक्षा के मौजूदा कार्यक्रम को अधिक सक्षम बनाना और उसकी कमियों को दूर करना सम्भव होता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अट्ठारह राज्यों के चुने हुए जिलों में कक्षाओं और नए विद्यालयों का निर्माण, निरौपचारिक / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, नए शिक्षकों की नियुक्ति, ब्लॉक स्तरीय संसाधन केन्द्रों व समूह संसाधन केन्द्रों की स्थापना, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण अधिगम उपकरणों का विकास, शोध आधारित सहायता और बालिकाओं व अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता जैसे कार्यो का संचालन किया जाता है। इस कार्यक्रम में शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से अशक्त बालकों के लिए समेकित शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के सुधार के लिए दूरशिक्षा को भी शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में 2001 -03 के दौरान 18 राज्यों के 271 जिलों को शामिल किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की उपलब्धियाँ -

1. 160000 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना जिनमें से 64000 वैकल्पिक विद्यालय हैं।
2. 45900 नए विद्यालय 'भवनों का निर्माण।
3. 46800 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण।
4. 15302 संसाधन केन्द्रों की स्थापना।
5. 46500 शौचालयों का निर्माण।
6. 16,700 पेयजल सुविधाओं की स्थापना। और
7. 177000 परा शिक्षकों / शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति।

4.7 मध्यावकाश भोजन योजना

15 अगस्त 1995 को आरम्भ की गई इस योजना का उद्देश्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन, अवधारण, उपस्थिति और पोषण स्तर में सुधार लाना है। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन एक सौ ग्राम गेहूँ या चावल के कैलोरी मूल्य के बराबर पोषण वाला आहार उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम के संचालन का दायित्व स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों या नगर निगमों को सौंपा गया। अनेक राज्यों में स्वयंसेवी संस्थाएँ, धार्मिक-सामाजिक संगठन, औद्योगिक घराने भी इस योजना में सहयोग दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालयों में रसोईघर और पोषाहार तैयार करने के काम को ग्रामीण विकास मंत्रालय की निर्धनता उन्मूलन योजना से सम्बद्ध किया गया है।

1.4.8 जनशाला

जनशाला योजना का संचालन भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के पाँच अभिकरणों के सहयोग से 1998 में किया गया । इसका लक्ष्य लड़कियों, वंचित समुदायों, अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक वर्गो के बच्चों, बाल मजदूरों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को व्यावहारिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटी और दूरदराज की बस्तियों में सामुदायिक सहयोग से वैकल्पिक विद्यालयों की स्थापना की गई। योजना के प्रभावी संचालन के लिए ब्लॉक और समूह स्तर पर संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई।

1.4.9 सर्व शिक्षा अभियान

वर्ष 2000 में आरम्भ किए गए सर्वशिक्षा अभियान का लक्ष्य राज्यों के सक्रिय सहयोग से समयबद्ध और समेकित उपायों द्वारा वर्ष 2010 तक 6- 14 वर्ष की अवस्था के सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में सामुदायिक और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक स्तर पर लैंगिक और सामाजिक भेद मिटाना, लडकियों, अनुसूचित जाति / जनजाति, और कठिन व अनिश्चित परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के शैक्षिक विभेद को दूर करना इस कार्यक्रम के मुख्य बिन्दुओं में शामिल है। साथ ही शिक्षा गारण्टी, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचारी शिक्षा और वापस स्कूल (बैक टू स्कूल) योजनाओं के अन्तर्गत इन श्रेणियों के बच्चों को नियमित विद्यालयों का विद्यार्थी बनाना भी सर्वशिक्षा अभियान का लक्ष्य है। योजना में 2007 तक सभी को पाँचवीं और 2010 तक आठवीं तक की शिक्षा सन्तोषप्रद रूप से पूरी करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

1.5 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है । यह मनुष्य को जागृत. सभ्य और संवेदनशील बनाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से आज तक सभी समाज और राष्ट्र व्यवस्थाओं ने इस पर पर्याप्त विचार, संसाधनों, श्रम और पूंजी का निवेश किया है। यहाँ तक कि अस्थायी रूप से इस देश में आई व्यापारिक कम्पनियों ने भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए हैं। भारतीय संसाधनों और बाजार के दोहन के लिए यहाँ आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भी भारत में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। बाद में ब्रिटेन की सरकार ने अनेक आयोगों की संस्तुतियों और सरकारी नीतियों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए कदम उठाए। स्वतन्त्रता के बाद भारत की सरकार भी अन्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के परामर्श और सहयोग से 6- 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए प्रयासरत है।

प्रगति जांच के उत्तर

1.2 (1) इससे विद्यार्थियों की भाषा का विकास होता है और उनका समाजीकरण होता है ।

(2) इस सम्मेलन में 1980 तक सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करने के उपायों पर विचार किया गया ।

(3) नवम्बर, 2000 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. ई. आर. टी.) ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल शैक्षिक उद्देश्यों की सूची जारी की ।

1.3 (1) घ. उपरोक्त सभी

(2) स्तम्भ अ (शिक्षा परम्परा) स्तम्भ च' (संस्कार का नाम)

क. वैदिक पारिवारिक शिक्षा विद्यालय

ख. वैदिक शिक्षा उपनयन

ग. बौद्ध शिक्षा पब्बजा

घ. मुस्लिम शिक्षा बिस्मिल्लाह

(3) ख पुर्तगाली

(4) वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी और गुरुकुलों में वैदिक संहिताओं, उपनिषदों, स्मृतियों, योग, संगीत और कलाओं का ज्ञान और अभ्यास कराया जाता था ।

(5) वैदिक शिक्षा में प्रारम्भिक शिक्षा परिवार में होती थी और इसका माध्यम संस्कृत था, जबकि बौद्ध शिक्षा में यह विहारों में होती थी और शिक्षा माध्यम पाली और प्राकृत भाषाएँ थीं।

(6) मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का नाम मकतब' था और इनमें सामान्यत: लिपिज्ञान लिखना, पढ़ना, अंकगणित और शिष्टाचार की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

(7) प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का मौलिक प्रश्न था कि भारत में शिक्षा का परम्परागत तरीका जारी रखा जाए या पश्चिमी भाषा, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति का समावेश किया जाए। इसका समाधान 'मैकॉले मिनट्स' नामक दस्तावेज के आधार पर हुआ।

(8) प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने सम्बन्धी श्री गोपालकृष्ण गोखले के प्रस्ताव को केन्द्रीय धारा सभा का अनुमोदन न मिलने के विरोध में सारे भारत एक अभियान शुरु हुआ जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। इस दौरान राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों और समाज सुधारको ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए सरकार पर अनेक प्रकार से दबाव बढ़ाया।

(9) बुनियादी शिक्षा के अन्तर्गत बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने, मातृभाषा को शिक्षण माध्यम बनाने, हस्तकौशल केन्द्रित पाठ्यक्रम, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विषय-चयन और विद्यालयों को स्वावलम्बी बनाने की व्यवस्था की गई।

(10) अपने विचार लिखिए।

1.4 (1) अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् का गठन 1957 में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और स्तरोन्नयन की योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए किया गया।

(2) राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने, अपव्यय और अवरोधन रोकने और पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय के प्रावधान की सिफारिशें कीं ।

(3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1966) में अगले दस वर्षों में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की गई।

(4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्ययोजना (1992) में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत हर 200 बच्चों के लिए एक किलोमीटर के दायरे में तीन कमरों, तीन शिक्षकों और मूलभूत शिक्षण-अधिगम सामग्री की व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

(5) ग. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड

1.5 (1) शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है 6- 14 वर्ष के सभी बच्चों को बिना भेदभाव और कठिनाई के निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना।

(2) ग 86वां संविधान संशोधन

(3) निरौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत वर्ष 1977-78 में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक कारणों से नियमित विद्यालयों में न जा सकने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई।

(4) शिक्षा गारण्टी योजना में बच्चों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करने के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रमों, ग्रीष्मकालीन शिविरों और चिकित्सकीय शिक्षण का प्रावधान किया गया।

(5) ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का आरम्भ वर्ष 1987-88 में प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम दो कक्षा-कक्षों, दो शिक्षकों और न्यूनतम शिक्षण-अधिगम संसाधनों की व्यवस्था के लिए किया गया।

(6) सभी के लिए शिक्षा का संकल्प मार्च 1990 में थाइलैण्ड में सम्पन्न विश्व सर्वशिक्षा सम्मेलन में व्यक्त किया गया। इस सम्मेलन में वर्ष 2000 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

(7) महिला समाख्या लड़कियों की शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, जबकि लोकजुम्बिश परियोजना के माध्यम से राजस्थान राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए प्रयास किए गए।

(8) केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजीत - न- प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, यूनिसेफ और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नियोजन और प्रबन्धन विश्वविद्यालय (न्यूपा) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. ई. आर. टी) का सहयोग प्राप्त है।

(9) मध्यावकाश भोजन योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन एक सौ ग्राम गेहूँ या चावल के' कैलोरी मूल्य के बराबर पोषण वाला आहार उपलब्ध कराया जाता है।

(10) जनशाला योजना का लक्ष्य लड़कियों, वंचित समुदायों, अनुसूचित जाति,/ अनुसूचित जन जाति अल्पसंख्यक वर्गो के बच्चों, बाल मजदूरों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को व्यावहारिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना

(11) सर्व शिक्षा अभियान का आरम्भ वर्ष 2000 में हुआ। सामुदायिक और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से प्राथमिक स्तर पर लैंगिक और सामाजिक भेद मिटाना, लड़कियों, अनुसूचित जाति'-जनजाति, और कठिन व अनिश्चित परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के शैक्षिक विभेद को दूर करना और उन्हें शिक्षा गारण्टी, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचारी शिक्षा और वापस स्कूल (बैंक टू स्कूल) योजनाओं के अन्तर्गत नियमित विद्यालयों में भेजना सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्यों में अनन्य हैं।

1.6 संदर्भ ग्रंथ

1 ग्रंथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2002-03 पृष्ठ 62.

2 Biswas A. and Agrawal Suren, Indian Educational Documents Since Independence-Committees, Commissions Conferences. Arya Book Depot, Karol Bath New Delhi - 05, 2002.

3 Agarawal S.P. and Usmani Meena, Children's Education in India, Shipra Publications, Shakarpur, Delhi-92,2003.

4 Distance Education Initiatives in DPEP, India, Report of NCERT, ICNOU Collaborative project, IGNOU, New Delhi, 2003.

5 Effective Classroom processes -A Resource Book, IGNOU, New Delhi, 2007.

6 www.educationforallinindia.com

7 www.education.nic.in

8 www.ssa.nic.in

इकाई 2

प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास ' भारतीय परिदृश्य
(Historical Development of Elemenatary Education)

इकाई की संरचना

2.0 उद्देश्य
2.1 प्रस्तावना भारतीय शिक्षा व्यवस्था:
2.2 प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास
2.3 ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा
2.4 स्वतंत्रता पश्चात् प्राथमिक शिक्षा
2.5 प्राथमिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना
2.6 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006
2.7 बिहार शिक्षा परियोजना
2.8 राजस्थान राज्य में प्राथमिक शिक्षा
2.9 सारांश
2.10 संदर्भ ग्रंथ

2.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप :-

- प्राथमिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कर सकेंगे।
- प्राचीन भारत, ब्रिटिश काल तथा स्वतंत्रता पश्चात प्राथमिक शिक्षा की संरचना, नियोजन तथा व्यवस्था की व्याख्या कर सकेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु विभिन्न आयोगों तथा समितियों द्वारा दिये गए सुझावों का अध्ययन कर
- प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु विभिन्न सरकारी प्रयासों यथा बिहार शिक्षा योजना, लोक जुम्बिश तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की चर्चा कर सकेंगे।
- राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति, संगठन एवं प्रशासन की चर्चा कर सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

इकाई 1.0 में आप प्रारंभिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कर चुके हैं। आपने प्राथमिक शिक्षा की पृष्ठ भूमि, नौ विभिन्न अधिक जनसंख्या वाले देशों में प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप, इन देशों की सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता सुधार के उपायों, दक्षिणी एशियाई देशों में प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप का भी अध्ययन कर लिया है। साथ ही आपने विकसित एवं विकासशील देशों की प्राथमिक शिक्षा के संबंध में भी अध्ययन कर लिया है। प्रस्तुत इकाई में आप प्राथमिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास

का भारतीय संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इस इकाई में आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विभिन्न कालों यथा प्राचीन-काल, ब्रिटिशकाल तथा स्वतंत्रता पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप, स्थिति एवं व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता पश्चात् शिक्षा में सुधार हेतु गठित विभिन्न आयोगों एवं समितियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में दिये गये सुझावों का अध्ययन करेंगे। प्राथमिक शिक्षा के विकास, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं शिक्षक प्रशिक्षण के कार्य में लगी संस्थाएं यथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्यों / स्वरूप एवं कार्यो को प्रस्तुत किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है। भारत को सर्वागीण विकास की ओर ले जाने वाली पहली सीढ़ी है। आवश्यकता इसे सर्वसुलभ बनाने की है। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु किए गये विभिन्न प्रयासों यथा बिहार शिक्षा योजना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, लोक जुम्बिश आदि को इस इकाई में संक्षेप रूप में प्रस्तुत करेंगे। इकाई के अन्त में आपको राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के संगठन, प्रशासन एवं व्यवस्था का अध्ययन करने को मिलेगा।

2.2 भारतीय शिक्षा व्यवस्था : प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास

भारतीय शिक्षा प्रणाली का आरम्भ प्रकृति की गोद में मानव की मूलभूत जिज्ञासाओं की शांति, चिंतन एवं मनन की शक्तियों के विकास के विशेष संदर्भ में आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ। आप जानते हैं कि भारतीय शिक्षा के आदि स्रोत वेद हैं। इन्हीं के फलस्वरूप भारतीयों का जीवन दर्शन निर्धारित हुआ। प्राचीनकाल में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची माना गया और न केवल जीविकोपार्जन का साधन। वस्तुत: शिक्षा को प्रकाश का एक स्रोत माना जाता था जो व्यक्ति के जीवन पथ को आलोकित करने का एक साधन था। शिक्षा का प्रकाश व्यक्ति के जीवन के सभी कष्टों एवं बाधाओं का उन्मूलन कर सर्वागीण विकास के आदर्श की प्राप्ति में सहायता करता है। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली की मुआ कंठ से प्रसन्नता करते हुए एफ. डब्लू थामस ने कहा है - ' 'भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है, संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम का इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ है, या जिसने इसका चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला है। ' भारतीय शिक्षा व्यवस्था को संगठनात्मक ढाँचे के सापेक्ष तीन भागों में यथा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में विभक्त किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार है। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में प्राथमिक शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण हम सभी को प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन करना आवश्यक है। इस खण्ड (Section) में हम 'भारत में विभिन्न कालों में प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे।

2.2.1 प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा

प्राचीन काल को शिक्षा व्यवस्था एवं प्रणाली के विशेष संदर्भ में मुख्यत: तीन भागों - वैदिक काल, बौद्ध काल तथा मुस्लिम काल में विभक्त किया जा सकता है। उपर्युक्त तीनों कालों

में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रणाली में काफी अन्तर दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन भारत में ईसा से 400 वर्ष पूर्व तक प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। बालक का परिवार ही उसकी शिक्षा का केन्द्र था। परिवार बालक की प्राथमिक पाठशाला थी। बालक आपने विकास के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक व्यवहारों को घर पर ही सीख लेता था। इसके पश्चात् कुछ ब्राह्मणों ने शिक्षा प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर एक विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया था।

गुरूकुल प्रणाली -

गुरूकुल का शाब्दिक अर्थ है - गुरू का घर। प्राचीन भारत में बालक को शिक्षा गांव व शहरों के कोलाहल से दूर ऋषि-मुनियों के आश्रमों में प्रदान की जाती थी। जहां बालक ब्रह्मचर्य का पालन एवं गुरू सेवा कर शिक्षा ग्रहण करते थे। बालक की प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ प्राय: 5 वर्ष की आयु में विभिन्न संस्कारों जैसे - विद्यारम्भ संस्कार, उपनयन संस्कार आदि द्वारा किया जाता था। जो सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य थे इससे स्पष्ट होता है कि सभी जातियों के बालक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। श्रवण-मनन एवं निधिध्यासन शिक्षण विधियों द्वारा बालकों को वैदिक मंत्रों को कंठस्थ करने, लिखने-पढने, भाषा, साहित्य एवं व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुरूकुल में बालक गुरू के उच्च विचारों और आदर्शो का अनुकरण करके, अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते थ

बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा -

बौद्धकाल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी जातियों के बालकों के लिए उपलब्ध थी। प्राथमिक शिक्षा छः वर्ष की आयु में पब्बज्जा संस्कार द्वारा प्रारंभ होती थी तथा 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। पब्बज्जा संस्कार का अर्थ है शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। इसमें बालक अपने सिर के बाल मुण्डाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, मठ में शिक्षुओं के चरणों पर अपने मस्तक टेक कर शरणत्रयी लेता था अर्थात बालक ' 'बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का उच्चारण करता था। इसके बाद शिष्य' ' श्रमण' ' या सामनेर ' कहलाता था। बौद्ध मठ शिक्षा के केन्द्र थे। शिक्षा का माध्यम जनसाधारण की भाषा पालि थी। शिक्षण विधि पूर्णतया मौखिक थी। पाठ्यक्रम में धार्मिक तथा लौकिक दोनों तरह के विषयों का समावेश था। इसमें लिखना, पढ़ना, गणित, चिकित्सा, अध्यात्म, शिल्प की शिक्षा सम्मिलित थी।

मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा -

मुस्लिम काल में प्राथमिक शिखा के केन्द्र मकतब थे। इसके अतिरिक्त दरगाहों तथा खानकाहों में भी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ बालक की 4 वर्ष, 4 माह व 4 दिन की आयु का हो जाने पर बिस्मिल्लाह खानी की रस्म द्वारा किया जाता था, जिसमें बालक नए वस्त्र धारण करके मौलवी साहब के समक्ष उपस्थित होता था। मौलवी साहब बालक के सामने कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे और बालक से उनको दोहराते थे। यदि बालक आयते दोहराने में असमर्थ रहता था तो उसके द्वारा बिस्मिल्लाह कहा जाना पर्याप्त समझा जाता था। मकतबों में शिक्षण विधि मुख्यतया मौखिक थी। लिखने, पढने तथा कंठस्थ करने पर जोर दिया जाता था। पाठ्यक्रम में बालकों को सर्वप्रथम वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और उसके बाद कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थीं। इसके बाद उन्हें व्याकरण और फारसी

भाषा की शिक्षा दी जाती थी। बालकों के नैतिक व चारित्रिक विकास के लिए उन्हें शेख सादी की पुस्तकें ' 'गुलिस्ताँ' ' एवं वोस्तां ' पढ़ाई जाती थी और पैगम्बरों की कथायें, फकीरों की कहानियाँ एवं फारसी कवियों की कविताओं का ज्ञान कराया जाता था। व्यावहारिक ज्ञान में बालकों को पत्र लेखन, सुन्दर लेख एवं बातचीत करने का ज्ञान करने का ढ़ग सिखाया जाता था।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।
2. गुरूकुल प्रणाली की विशेषताएँ बताइये ।
3. बौद्ध कालीन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ बताइये ।

2.3 ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा

ब्रिटिश काल की शुरूआत यूरोपीय व्यापारियों के भारत में आगमन से हुई। इसके कुछ समय बाद वहाँ कि मिशनरियों ने देश में प्रवेश किया। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को अपने धर्म का अनुयायी बनाना था, इसके लिए मिशनरियों ने भारत में विभिन्न स्थानों पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और पश्चिमी तरीके से शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया। फ्रांसीसी मिशनरियों ने पांडिचेरी, चन्द्रनगर, यनाम, माही तथा कारीकल में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की सुविधा थी। डच मिशनरियों ने नागापट्टम व विमलीपट्टम में कुछ प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया। डेन मिशनरियों की भारतीय प्राथमिक शिक्षा को प्रमुख देन प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कई प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना रही। डेन मिशनरियों ने तंजौर, सीरामपुर तथा त्रिपनापल्ली में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कर प्राथमिक शिक्षा को नई दिशा प्रदान की। भारत में शिक्षा के विकास में अन्य मिशनरियों की अपेक्षा अंग्रेज मिशनरियों का कार्य अधिक व्यापक था। इन्होंने मद्रास, कलकत्ता और मुम्बई सहित देश के कई भागों में विद्यालयों की स्थापना की। इसके पश्चात् रानी ऐलिजाबेथ (प्रथम) से सन् 1600 ई. में पूर्वी देशों में व्यापार करने का आज्ञापत्र लेकर भारत आई ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 1750 के आस पास तक देश के बडे भू-भाग पर कब्जा कर लिया। अपने शासन को स्थाई बनाने के लिए कम्पनी ने भारतवासियों की शिक्षा के प्रति ध्यान देना शुरू किया। सर्वप्रथम कम्पनी ने कई प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें बच्चों को पढने, लिखने और साधारण गणित की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूख उत्साहवर्धक नही रहा। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने 1813 में एक ' 'आज्ञापत्र' ' जारी कर भारत में शिक्षा प्रसार का उत्तरदायित्व कंपनी के ऊपर डालते हुए कहा - ' 'साहित्य के पुनरूद्धार और समुन्नति के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भारत में ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों में विज्ञानों का प्रसार और विकास करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रूपये की धनराशि पृथक रखी जायेगी और व्यय की जायेगी । इस ' 'आज्ञापत्र' ' ने भारतीयों को एक नई दिशा प्रदान की। इसके पश्चात् 1835 में विलियम एडम्स ने भारत में शिक्षा की स्थिति पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि उस समय भारत में एक लाख विद्यालय दो। बंगाल तथा बिहार में हर चार सौ व्यक्तियों पर एक विद्यालय था। 400 व्यक्तियों में से 64 व्यक्ति विद्यालय जाते थे।

वुड आदेश पत्र 1854 -

ईस्ट इंडिया कंपनी के ' 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' ' के सभापति सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 19 जुलाई 1854 में एक आदेश पत्र में कंपनी ने भारतीय शिक्षा के संबंध में अपनी नीति का प्रकाशन किया। इस आदेश पत्र के सुझाव में भारत में जन शिक्षा के कार्य को सफल बनाने के लिए ' 'सहायता अनुदान प्रणाली' ' अपनाने का सुझाव दिया। इसमें सुझाव दिया गया कि पुस्तकालयों, भवनों, प्रयोगशालाओं एवं अध्यापकों के वेतन के लिए अलग-अलग अनुदान दिये जाएँ। आदेश पत्र का एक महत्वपूर्ण सुझाव ' 'लोक शिक्षा विभागों' ' की स्थापना तथा विद्यालय निरीक्षकों सहायक विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्त करने का था।

ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा -

1857 की क्रांति के पश्चात् भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गई। परन्तु कई वर्षो तक जनसाधारण में शिक्षा के प्रसार के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए गये। परन्तु इस वजह से फैल रहे व्यापक जन असंतोष की वजह से तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड रिपन ने 1882 मे सर विलियम हन्टर की अध्यक्षता में "भारतीय शिक्षा आयोग" की स्थापना की। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं उन्नयन के संबंध में निम्न सारगर्भित सुझाव प्रस्तुत किए।

- प्राथमिक शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हो।
- प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन सरकार को स्थानीय निकायों जैसे जिला परिषदों नगर पालिकाओं को हस्तान्तरित कर देना चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा का माध्यम ' 'भारतीय भाषायें' ' होना चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगी विषयों यथा आरोग्य विज्ञान, गणित, बहीखाता व कृषि का समावेश होना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए।
- प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक ' 'नार्मल स्कूल स्थापित किया जाए।

इसके पश्चात् लार्ड कर्जन ने 20 वीं शताब्दी की शुरूआत में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को सरकार का स्पष्ट उत्तरदायित्व बताकर, उसकी गुणात्मक और संख्यात्मक उन्नति के लिए भागीरथी प्रयास किए। इसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने पर सरकार द्वारा अधिक धन व्यय करना प्रारंभ कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 1905 के बाद प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तीव्रता दृष्टिगोचर हुई है। सम्राट जार्ज पंचम ने 1911 व में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए 50 लाख रूपए की अतिरिक्त धनराशि व्यय करने का आदेश देकर महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913-

21 जनवरी 1913 को भारत सरकार ने ' 'शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव' ' प्रकाशित करके प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए :-

- पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए।

- उत्तर प्राथमिक विद्यालयों को उपयुक्त स्थानों पर निर्मित किया जाए।
- मिडिल स्कूलों में संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार किये जाएँ।
- मकतबों एवं पाठशालाओं को उदार आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ।

हर्टाग समिति (Hartog Committee) 1929 -

हर्टाग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की धीमी प्रगति के दो प्रमुख कारण बताए - अपव्यय (Wastage) तथा अवरोधन (Stagnation)। इसके अनुसार ' 'अपव्यय से हमारा अभिप्राय है - प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालकों को विद्यालय की किसी भी कक्षा से हटा लेना' तथा अवरोधन से हमारा अभिप्राय - किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाना। " समिति ने प्राथमिक शिक्षा में "अपव्यय' ' व "अवरोधन' ' के निम्न मुख्य कारण बताए - प्राथमिक विद्यालयों का वितरण अनियमित है, प्रत्येक ग्राम में विद्यालय नहीं है. विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है, बालक अपने माता - पिता के कार्यो में सहायता देते हैं. प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है तथा शिक्षणविधि अमनोवैज्ञानिक है। समिति ने ' 'अपव्यय' ' व ' 'अवरोधन' ' को प्राथमिक शिक्षा से दूर करने के लिए निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए -

- प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि की अपेक्षा ' 'गुणात्मक' ' उन्नति की जानी चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम व्यावहारिक बनाया जाए एवं विषय स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो।
- शिक्षकों की वेतन वृद्धि, कार्य दशाओं में सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण समय, छुट्टियों एवं अन्य कार्यक्रमों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए ।

एबॉट वुड प्रतिवेदन 1937 -

भारत सरकार ने 1936 में भारतीय शिक्षा का अध्ययन करने तथा सुधार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु वुड तथा एबॉट को भारत आमंत्रित किया। इन्होंने जून 1937 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो कि एबॉट वुड प्रतिवेदन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रतिवेदन मे प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव लिपिबद्ध किए गए - प्राथमिक शिक्षा की अवधि 4 वर्ष हो। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए, शिक्षा पुस्तकों पर आधारित न होकर क्रियाओं, रूचियों एवं प्रवृत्तियों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाए, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए।

वर्धा शिक्षा योजना 1937 -

वर्धा में 2223 अक्तूबर 1937 को महात्मा गाँधी की अध्यक्षता में ' 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन' ' का आयोजन किया गया। इस सम्मेजन में महात्मा गाँधी ने ' 'बेसिक

शिक्षा' ' की नवीन योजना प्रस्तुत की, जिस पर शिक्षाविदों के विचार विमर्श के बाद निम्न प्रस्ताव पारित किए गए :-

- राष्ट्र के सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए।
- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए।
- शिक्षा का केन्द्र कोई हस्त शिल्प होना चाहिए।
- विद्यालय द्वारा किए गए उत्पादन से अध्यापकों के वेतन का खर्चा निकल जाये।

उपयुक्त प्रस्तावों को पारित करने के पश्चात्, बेसिक शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए डी. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। समिति ने शिक्षा योजना की रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की -

- 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा।
- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
- पाठ्यक्रम में अंग्रजी का कोई स्थान न हो।
- शिक्षा का बालक के जीवन, वातावरण से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए।
- शिक्षा को किसी आधारभूत शिल्प से संबंधित करके प्रदान किया जाये।
- बालकों द्वारा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जिनको बेचकर विद्यालय का व्यय व अध्यापकों के वेतन का खर्च निकाला जा सके।

सार्जेण्ट-रिपोर्ट 1944 -

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा सलाहकार, सर जॉन सार्जेण्ट को दायित्व सौंपा। सार्जेण्ट ने अपनी योजना को एक स्मृति पत्र में लेखबद्ध करके व 944 में बोर्ड को प्रस्तुत किया। सार्जेण्ट ने
प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव प्रस्तुत किए।

- 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए।
- प्राथमिक शिक्षा को दो भागों में विभक्त किया जाना चाहिए - (1) जूनियर बेसिक शिक्षा 8 से 1 व वर्ष के बच्चों के लिए (1।) सीनियर बेसिक शिक्षा 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए।
- दोनों स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।
- जूनियर बेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।
- जूनियर बेसिक स्कूलों में केवल अध्यापिकाओं को ही नियुक्त किया जाए और उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाए।
- बालाको को सामान्य एवं नियमानुकूल शिक्षा न प्रदान कर, सामाजिक अनुभवों एवं शिष्टाचार की शिक्षा प्रदान की जाए ।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कुछ प्रारंभिक प्रयास -

प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने के लिए 20वी शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रयास किए गए -

- **बडौदा नरेश का प्रथम प्रयास** -

भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में बडौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ ने सर्वप्रथम योगदान दिया। उन्होंने 19०8 में एक अधिनियम द्‌वारा अपने राज्य के समस्त 7 से 12 वर्ष के बालकों तथा 7 से 1० वर्ष की बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बना दिया ।

- **गोखले का प्रस्ताव, 1910 -**

बडौदा नरेश के उदाहरण का भारत के महान् राष्ट्रीय नेता "गोपाल कृष्ण गोखले" पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय गोखले केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य थे। गोखले ने 19 मार्च 1910 को केन्द्रीय धारा सभा के समक्ष, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा सरकार को इस पर निर्णय लेने का आग्रह किया।

- **गोखले का विधेयक. 1911 -**

सरकार द्‌वारा प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने के गोखले के प्रस्ताव पर कोई ध्यान नही देने से क्षुब्ध होकर गोखले ने 1911 में केन्द्रीय धारा सभा के समक्ष "प्राथमिक शिक्षा संबंधी" अपना विधेयक प्रस्तुत किया। परन्तु विधेयक पर हुए मतदान ने विधेयक को 13 वोटों के मुकाबले 38 वोटों से गिरा दिया।

- **अनिवार्य शिक्षा अधिनियम** -

गोखले के प्रयासों से प्रेरित होकर 1918 से 1920 तक की 2 वर्ष की अवधि में भारत के ने निम्न 7 प्रांतों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किये गये-बम्बई 1919, संयुक्ता प्रांत, 1919, बंगाल, 1919, पंजाब, 1919, बिहार, 1919, मध्यप्रांत 1920 एवं मद्रास 1920। उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने तथा प्रचार-प्रसार करने में सहायता प्राप्त हुई।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. “अपव्यय” तथा “अवरोधन” से आप क्या समझते हैं?
2. वुड आदेश पत्र के प्राथमिक शिक्षा के संबंध में दिये गये दो प्रमुख सुझाव बताइये।
3. एबॉट - वुड प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं '

2.4 स्वतंत्रता पश्चात् प्राथमिक शिक्षा का विकास

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने ऊपर लेते हुए, भारतीय संविधान की धारा 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत घोषित किया। धारा 45 के अनुसार - ' राज्य इस संविधान के लागू किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नही कर लेंगे, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। '

भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। 1 जुलाई 1957 को भारत सरकार द्‌वारा स्थापित की गई ' 'अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् ', केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को प्राथमिक शिक्षा के

विकास एवं अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में परामर्श देकर प्रशंसनीय कार्य कर रही है। 1961 में स्थापित की गई ' 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' ' की स्थायी प्राथमिक शिक्षा-समिति' ' ने प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का निर्धारण तथा प्रसार के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर किए गए कुल व्यय का सर्वाधिक हिस्सा प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं गुणात्मक उन्नयन पर किया गया है। सरकार द्वारा शिक्षा की व्यवस्था, संगठन एवं विकास के संबंध में सुझाव देने के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोगों की नियुक्ति की गई है तथा शिक्षा नीतियों का निर्धारण किया गया है।

शिक्षा आयोग 1964-66 -

भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को प्रो. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में ' 'शिक्षा आयोग' ' की नियुक्ति की। ' 'शिक्षा आयोग' ' ने भारतीय शिक्षा के फलस्वरूप, सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में परामर्श दिया। ' 'शिक्षा आयोग" ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव प्रस्तुत किये -

- प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष की होनी चाहिए इसे अग्रलिखित दो भागों में विभक्त किया जाना चाहिए - (1) 4 से 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा (2) 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा।
- कक्षा 1 में 6 वर्ष की आयु से पूर्व प्रवेश नहीं देना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- व्यक्तिगत प्रबंधनों को उदार आर्थिक सहायता प्रदान कर, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना व संचालन करने की प्रेरणा दी जाए।
- प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था की जाना चाहिए।
- अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में निर्देशन की मूलभूत बातों से परिचित कराया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1969 ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये -

- संविधान की धारा 45 के अनुकूल 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना।
- शिक्षकों के वेतन भत्तों तथा अन्य सेवाशर्तो को उनकी योग्यता और उत्तरदायित्वों के अनुकूल बनाना।
- सम्पूर्ण देश में 10+2+3 की शैक्षिक संरचना को लागू किया जाए।

इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए ' 'कॉमन स्कूल पद्धति' ' की स्थापना पर बल दिया गया। प्राथमिक कक्षाओं में बालकों की रूचि के अनुकूल आनन्ददायक क्रियाओं को स्थान प्रदान किया जाएं। निर्धन छात्रों को मध्यान्ह भोजन, पाठ्य सामग्री प्रदान की जाए। क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर सम्पूर्ण देश में एक व्यवस्था लागू किये जाने संबधी सुझाव दिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 -

1985 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गाँधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा की। शिक्षा नीति के निर्माण से पूर्व भारत सरकार ने "शिक्षा की चुनौती. नीति संबंधित परिप्रेक्ष्य" (Challenge of Education: A Policy Perspective) नामक दस्तावेज तैयार किया। इस दस्तावेज पर सम्पूर्ण देश में व्यापक बहस हुई। इस बहस के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप की रूपरेखा तैयार की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा में 12 भागों का समावेश है -

- प्रस्तावना
- शिक्षा की प्रकृति व भूमिका
- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली
- समानता के लिए शिक्षा
- विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन
- तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा
- शिक्षा प्रणाली को क्रियाशील बनाना
- शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया को नया मोड़ देना
- शिक्षक तथा उनका प्रशिक्षण
- शिक्षा का प्रबंधन
- संसाधन तथा समीक्षा
- भविष्य

यहाँ पर हमारा संबंध मुख्यतया प्राथमिक शिक्षा से है। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 के प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं व्यवस्था के संबंध में दिये गये सुझावों को प्रस्तुत किया गया है-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा (Early Childhood care and education) नाम दिया गया। शिक्षा नीति में बालकों के स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक तथा सांवेगिक विकास के सही दिशा देने तथा समेकित बाल विकास कार्यक्रम (1030) से जोड़ने पर बल दिया।
- शिशुओं की देखभाल तथा शिक्षा पूर्णतया बाल केन्द्रीत हो।
- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की सहायता के लिए दिवस रक्षा केन्द्रों (Day care Centre) की स्थापना की जाये।
- बाल्यावस्था देखभाल के कार्यक्रम को बालक की व्यक्तिगत तथा खेलों पर केन्द्रित किया जाना चाहिए।
- इस कार्यक्रम के सफल संयोजन के लिए स्थानीय समुदाय का सहयोग लिया जाए।
- शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में दो बातों पर महत्त्वपूर्ण बल दिया

  (अ) पहला, 14 वर्ष तक की आयु तक के समस्त बालकों का प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश व रूके रहना।

  (आ) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार -

1. शिक्षण बालकेन्द्रित व क्रिया आधारित पद्धति पर आधारित हो।

2. प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को फेल न किए जाने की नीति लागू की जाए।
3. शारीरिक दण्ड का शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
4. मूल्यांकन वर्ष भर फैला दिया जाए।
5. विद्यालय का समय एवं अवकाश विद्यार्थियों की सुविधा के अनुरूप होना चाहिए।

- प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाये । इसके लिए ' 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' ' की शुरूआत की गई, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो कमरे, दो शिक्षक, आवश्यक खिलौने, श्यामपट्ट, नमो चार्ट आदि की व्यवस्था की गई।
- शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा को महत्त्वपूर्ण देन ग्रामीण प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष रूप से बनाए गए गति निर्धारक अथवा नवोदय विद्यालय रहे जिनमें आवासीय व्यवस्था द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति व 988 का संशोधित प्रारूप 1992 -

सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए 7 मई 1990 को श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर शिक्षा नीति में कतिपय संशोधन 1992 में किए गए।

- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अधिक व्यापक बनाया जायेगा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक विद्यालयों के लिए कहे गये 2 कमरे 2 अध्यापकों के न्यूनतम स्तर को 3 कमरे व 3 अध्यापक किए जाने की बात कही।
- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत किया जायेगा ।
- नियुक्त होने वाले अध्यापकों में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 के सुझावों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्नलिखित विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया गया -

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) -

केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन् 1994 में किया गया। (DPEP) का लक्ष्य सभी को शिक्षा दिलाना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, शिक्षा के स्तर में सुधार करने तथा समाज के विभिन्न वर्गो में असमानता कम करना है। इस समय (DPEP) नौ राज्यों के 129 जिलों में चल रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan) -

यह योजना 2000 में शुरू की गई । इसका उद्देश्य देश के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने, वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को उपयोगी व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है।

मिड डे मिल योजना (Mid Day Meal) -

इस योजना की शुरूआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूलों में दाखिले और उपस्थिति बढ़ाने के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. “अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद” की स्थापना कब हुई ?
2. “कामन स्कूल पद्धति का सुझाव किस शिक्षा नीति की देन है।
3. प्राथमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय नीति 1986 के प्रमुख सुझाव बताइये।
4. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किन योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है नाम लिखिए।

2.5 भारत में प्राथमिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना एवं नियोजन

प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था का आधार है शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सर्वप्रथम इस शिक्षा में सुधार अपेक्षित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शासन द्वारा विभिन्न प्रयास यथा नये विद्यालय खोलना, अध्यापकों की नियुक्ति करना, नवीन योजनाओं का संचालन करना आदि किए गए हैं। कोई भी सुधार तभी कारगार होता है जब वह व्यवस्था के आधार से किया जाये अर्थात् किसी भी व्यवस्था में सुधार हेतु उसकी संगठनात्मक व्यवस्था में सुधार किया जाना आवश्यक है। सन् 1947 ई. को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित किया गया। शिक्षा मंत्रालय का 26 जनवरी 1985 को पुनर्गठन किया गया तथा एक नए मंत्रालय का सृजन किया गया जिसे मानव संसाधन मंत्रालय" (Ministry of Human Resource Development MHRD) नाम दिया गया। इस मंत्रालय में पांच विभाग है -

(अ) शिक्षा विभाग
(ब) संस्कृति विभाग
(स) कला विभाग
(द) डिपार्टमेन्ट ऑफ यूथ अफेयर्स एण्ड स्पोर्टस
(य) डिपार्टमेन्ट ऑफ वोमेन एण्ड चाइल्ड्स केयर

इस प्रकार शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अंग है। जिसे राज्य मंत्री की अध्यक्षता में रखा गया है जो कि मंत्रालय के मंत्री के अधीन कार्य करता है। इस विभाग में एक सचिव होता है जिसकी सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी कार्य करते हैं। शिक्षा विभाग को विभिन्न डिविजनों में विभक्त किया गया है। जिसमें प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो भी सम्मिलित है। इस प्रकार भारत में प्राथमिक शिक्षा का संगठनात्मक ढाँचा कुछ इस प्रकार से है-

प्राथमिक शिक्षा के संगठनात्मक स्वरूप को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओ का संगठन किया गया है। जो विभिन्न स्तरो पर प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु प्रयासरत हैं, ये संस्थाऐं निम्न प्रकार से हैं -

राष्ट्रीय स्तर पर :

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.)
- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा)
- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.)

राज्य स्तर पर -

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.)
- राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं संस्थान (सीमेन्ट)

जिला स्तर पर :-

- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट)
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIEL)

डाइट का पूरा नाम 'जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान' है। डाइट की योजना 'नई शिक्षा नीति 1966 के क्रियान्वयन की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अन्तर्गत सातवीं योजना (1 990-95) के अन्त तक प्रत्येक जिले में अनिवार्य रूप से डाइट खोले जाने की योजना बनाई गई थी। वर्तमान में राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक डाइट संचालित है।

डाइट के आठ प्रभाग है, जो इस प्रकार है -

1. सेवापूर्ण प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग।
2. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अन्तर्क्रिया, नवाचार समन्वय।
3. अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं जिला संदर्भ इकाई प्रभाग।
4. योजना एवं प्रबंध विभाग।
5. शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग।
6. कार्यानुभव प्रभाग।
7. पाठ्यक्रम, शिक्षण-सामग्री विकास एवं मूल्यांकन
8. प्रशासनिक शाखा प्रभाग ।

डाइट के मुख्य उद्देश्य -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में डाइट के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए

1 प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण के कार्यक्रम एवं व्यूह रचना के लिए प्राथमिक स्तर पर अकादमिक तथा ससंदर्भ व्यक्तियों को तैयार करना।

2 आदर्श शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक सुधार करना।

3 शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक सुधारों का विकेन्द्रीकरण करना।

4 जिला स्तर की शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना।

5 विद्यालय संकुल एवं जिला शिक्षा बोर्ड को शैक्षिक सहयोग देना।

6 शिक्षा संस्थानों, जिला शिक्षा, बोर्ड, विद्यालय संकुल आदि को शैक्षिक सलाह एवं मार्ग-निर्देशन देना।

7 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों हेतु मूल्यांकन केन्द्र स्थापित करना | ' '

8 अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशको व पर्यवेक्षकों की कार्यारम्भ प्रशिक्षण एवं पुनवर्तन का आयोजन करना।

9 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों का प्रशिक्षण एवं अभिनवन तथा सूक्ष्म स्तर योजना की क्रियान्वति करना।

10 संदर्भ एवं अधिगम केन्द्र के रूप में प्रसार सेवा कार्यक्रम आयोजन करना।

11 क्रियानुसंधान एवं प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था करना।

12 सामुदायिक कार्यकर्त्ता, स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकर्त्ता एवं अन्य विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को अभिनव देना।

13 औपचारिक विद्यालय निकाय के अध्यापकों की सेवापूर्ण एवं सेवारत शिक्षा तथा प्रशिक्षण व्यवस्था करना।

14 प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी रूप से संचालन में जिला शिक्षा प्रशासन का सहयोग करना, आदि।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों में योजना एवं मूल्यांकन, विस्तार सेवा कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यकर्त्ता एवं नवयुवक प्रशिक्षण, विद्यालय संकुल प्रशिक्षण आदि अन्य प्रशिक्षण दिये जाते है।

ब्लॉक स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर -

- ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर (बी.आर.सी.)
- न्याय पंचायत रिर्सोस सेन्टर (एन.पी.आर.सी.)

ग्राम स्तर पर -

- ग्राम शिक्षा समिति
- विद्यालय

उपर्युक्त वर्णित समस्त संस्थाएँ अपने लिए निर्धारित कार्यो द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं और दिशा निर्देशन प्रदान कर रही हैं । आगे प्राथमिक शिक्षा के प्रयास से संबंधित दो प्रमुख संस्थानों यथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का विस्तार से वर्णन किया गया है -

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी) -

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु सन् 1961 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्ता प्राप्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय शिक्षा से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना, पाठ्यक्रम सुधार एवं निर्माण तथा शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। एन.सी.ई.आर.टी. की प्रत्येक राज्य में एक शाखा स्थापित की गई जिसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) के नाम से जाना जाता है। इन दोनों संस्थाओं के मध्य अपनी-अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रम संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान होता रहता है। एस.सी.ई.आर.टी. के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है -

- विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना।
- विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों तथा भावी अध्यापकों के लिए उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- विद्यालयी कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना तथा क्रियान्वयन की योजना बनाना।
- शोध प्रशिक्षण, कार्यशालाएं एवं विचार गोष्ठियाँ आयोजित करना।
- प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा प्रशिक्षण माड्यूल का विकास करना।

प्राथमिक शिक्षा में संस्थागत नियोजन -

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विशिष्ट नियोजन की आवश्यकता होती है। ताकि उपयुक्त क्रियाओं का संचालन किया जा सके। शासन द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सूक्ष्म एवं व्यापक स्थर पर नियोजन किया जा रहा है। सूक्ष्म नियोजन शासन द्वारा एक इकाई (गांव या विद्यालय) के स्तर पर किया जाने वाला नियोजन सूक्ष्म नियोजन कहलाता है। सूक्ष्म नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

- 6 से व 4 वर्ष तक के समस्त बालाकों का नामांकन।
- सभी नामांकित बालक व बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक ठहराव।
- प्रत्येक बालक-बालिका को गुणवक्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना।
- समुदाय में बालक व बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना।
- सभी बच्चों को निरंतर शैक्षिक व्यवस्था से जोड़ने की योजना का निर्माण करना।
- यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय प्रभावकारी रूप से काम कर सकें।
- सूक्ष्म नियोजन में गांव को इकाई माना जाता है।

व्यापक नियोजन -

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए व्यापक अथवा बड़े स्तर पर शासन द्वारा किए गए प्रयास अथवा नियोजन व्यापक नियोजन कहलाता है। शासन द्वारा समय-समय पर प्राथमिक स्तर प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे - सर्वशिक्षा, मिड डे मील, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय तथा पंचवार्षिय योजनाओं में विशेष धन की व्यवस्था करना व्यापक नियोजन का एक पक्ष है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. भारत में प्राथमिक शिक्षा के संगठनात्मक स्वरूप की व्याख्या कीजिए।
2. राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी दो संस्थानों के नाम लिखिए।
3. सूक्ष्म नियोजन के दो उद्देश्य लिखिए।
4. राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न कार्यो का वर्णन कीजिए।

2.6 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005

भारतीय संविधान के अनुछेद 45 में 6 रो 14 वर्ष तक के समस्त बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत घोषित किया गया। इसी आधार पर सरकार द्वारा संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 में 6 से 14 वर्ष के समस्त बालकों को अनिवार्य एव निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इसके पश्चात् सरकार द्वारा सन् 2005 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 (Right

to Education Bill 2005) पारित किया गया। इस अधिनियम में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश किया गया है।

- प्रत्येक बालक जो कि 6 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, आवश्यक रूप में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है । इसके लिए बालक को अपने समीप के विद्यालय में प्रवेश लेने तथा निःशुल्क. शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाता है।
- यदि बालक, स्वयं कि किन्हीं अयोग्यताओं अथवा अपने माता - पिता के व्यवसाय की प्रकृति के करण, समीप के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है तो किसी अन्य उपयुक्तता के स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है।
- 7-9 वर्ष तक की अवस्था के समस्त बालक जिन्होंने किसी विद्यालय में अब तक दाखिला नहीं लिया है, अधिनियम के लागू होने पर आपने लिए उपयुक्त वर्ग में दाखिला लेने का अधिकारी होगा।
- किसी भी बालक को प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय आने से रोका नहीं जायेगा जब तक कि विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा उसे अपचारी घोषित न कर दिया जाएं।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम बालक को प्राथमिक शिक्षा जो कि कक्षा आठ तक निर्धारित है प्राप्त करते समय अवस्थान अथवा स्कूल परिवर्तन कर सकने का अधिकार प्रदान करता है। एक बालक जे एक विद्यालय छोडकर दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हैं उसके लिए हेडमास्टर द्वारा दिए गए परिवर्तन प्रमाण पत्र या ट्रांसफर सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है।

उपर्युक्त अधिकारों के समुचित क्रियान्वयन के लिए अधिनियम कुछ उत्तरदायित्वों का निर्धारण भी करता है|

राज्य का सामान्य उत्तरदायित्व -

(अ) राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि अधिनियम के लागू होने के तीन साल के अन्दर प्रत्येक बालक के समीप विद्यालय की व्यवस्था हो।

(आ) राज्य सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बालक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है । इसके लिए आवश्यक है कि राज्य सरकारी व सहकारी सहायता प्राप्त विद्यालय की समुचित व्यवस्था करे।

(इ) राज्य सुनिश्चित करे कि बालक के प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने में कोई भी कारक यथा, - आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, प्रशासनिक एवं स्थानीय परिस्थितियाँ बाधा उत्पन्न न कर पायें।

(ई) राज्य का उत्तरदायित्व है कि अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के अन्दर ऐसे सभी बालक जो 7 से 9 वर्ष तक के हैं तथा किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है उन्हें प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करें।

(उ) यदि कोई युवक जो 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तथा किन्हीं कारणवश प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने व पूरी करने में असमर्थ रहा है ऐसे युवकों के लिए राज्य सरकार का

दायित्व है कि उन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था करे।

(ऊ) केन्द्र सरकार का दायित्व है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करे।

विद्यालय तथा शिक्षकों का उत्तरदायित्व :-

(अ) ऐसे सभी विद्यालय जो कि राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त हैं, 6- 14 वर्ष के समस्त बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

(आ) विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय की कार्य प्रणाली तथा विकास के लिए योजना बनाने, सरकार द्वारा मिले अनुदान का समुचित प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(इ) शिक्षकों का कर्त्तव्य है कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं तथा निर्धारित समय विद्यालय में रहें, नियमित रूप से बालकों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन करें तथा सरकार द्वारा दिए समस्त कर्त्तव्यों का पालन करें।

(ई) विद्यालयों में बालकों को प्रवेश देते समय उनका या उनके अभिभावकों के किसी भी रूप मे साक्षात्कार या परीक्षण को प्रतिबंधित करता है।

शिक्षा का पाठ्यक्रम या प्रक्रिया -

(अ) प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को मूल्य अभिमुख बनाया जाए तथा भारतीय संविधान में कहे गए मूल्यों का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाए।

(आ) बालकों का ज्ञानात्मक विकास, विभिन्न क्रियाओं, खोजों, समस्या निवारण प्रविधियों द्वारा बालकेन्द्रित वातावरण में सम्पन्न कराया जाए।

(इ) बालकों को विद्यालय में भय एवं चिंता से मुक्त वातावरण मिले।

(ई) बालकों का सतत् मूल्याँकन किया जाए तथा मूल्याँकन को वर्ष भर फैला दिया जाना चाहिए।

(उ) प्रत्येक बालक जो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुका है उसे प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।

(ऊ) अधिनियम बालक को किसी भी रूप में शारीरिक दण्ड दिए जाने को प्रतिबंधित करता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएँ बताइये ।
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम मै राज्य, विद्यालय तथा शिक्षको का किन उतरदायित्व की अपेक्षा की गई है ।
4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम मै प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबन्ध मै क्या सुझाव दिए गए है?

2.7 बिहार शिक्षा परियोजना

बिहार प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण शिक्षा व्यवस्था में मात्रात्मक एवं गुणात्मक उन्नयन के लिए बिहार शिक्षा परियोजना की शुरूआत 1991 में की गई । बिहार शिक्षा

परियोजना को 'बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्' के नाम से भी जाना जाता है । परियोजना की शुरूआत में प्राथमिक शिक्षा को ही मुख्य केन्द्र मानकर कार्य प्रारंभ किया गया था परन्तु बाद में इसे माध्यमिक स्तर तक बढ़ा दिया गया । बिहार शिक्षा परियोजना की शुरूआत में निम्न उद्देश्यों को लेकर चला गया :-

- सार्वभौमिक पहुँच, सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक धारणा तथा सार्वभौमिक उपलब्धिओ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति करना।
- निरक्षरता के स्तर में तीव्रता से कमी लाना।
- महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं को पुरूषों के समान अवसर प्रदान करने हेतु शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाना।
- समानता तथा सामाजिक न्याय (समता) के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शैक्षिक प्रयास करना।
- व्यक्तियों के जीवन तथा कार्य की पारिस्थितियों से शिक्षा का समन्वय स्थापित करना।
- विज्ञान तथा पर्यावरण से संबंधित समस्त शैक्षिक क्रियाओं पर बल देना।

बिहार शिक्षा परियोजना के प्रमुख अंग-

परियोजना में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न क्रियाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य प्रारंभ किया -

- गुणात्मक सुधार
- सार्वभौमिकरण नामाकंन, धारण उपलब्धि तथा पहुंच।
- बालिका शिक्षा
- विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा ।
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा।
- शहरी वंचित वर्ग के बालकों की शिक्षा ।
- शोध, मूल्याँकन तथा निर्देशन।
- सामुदायिक कार्य।
- प्रबंधन सूचना व्यवस्था।
- कम्प्यूटर शिक्षा।
- शिशु देखभाल व शिक्षा।

राज्य में बिहार शिक्षा परियोजना के तहत 2001 -02 में सर्वशिक्षा अभियान तथा प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की गई।

बिहार शिक्षा परियोजना के तहत संचालित विभिन्न समितियाँ -

बिहार शिक्षा परियोजना के तहत तीन समितियां कार्य कर रही हैं -

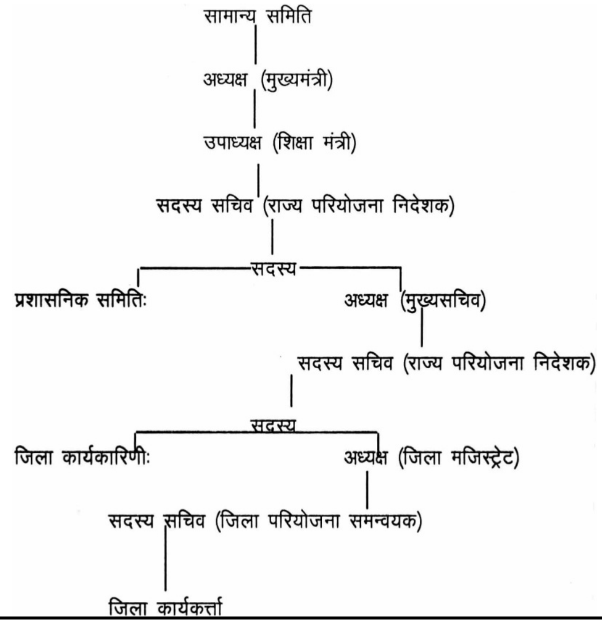

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. बिहार शिक्षा परियोजना की शुरुआत कब की गई ?
2. बिहार शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य बताइये ।
3. बिहार शिक्षा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी विभिन्न समितियों के नाम बताईये

2.8 राजस्थान राज्य में प्राथमिक शिक्षा

राजस्थान राज्य में शिक्षा व्यवस्था के सुसंचालन के लिए सन् 1950 में बीकानेर में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गयी। राज्य में पंचायत राज्य व्यवस्था लागू होने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय की प्रबंधन व्यवस्था का उत्तरदायित्व ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज्य विभाग के अधीन जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को सौंपा गया। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सन् 1997 में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर का विभाजन कर पृथक्-पृथक् प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। दिनांक 01 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से निम्नलिखित कार्य कर रहा है -

- प्रारंभिक शिक्षा नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन
- प्रारंभिक शिक्षा प्रबंधन एवं प्रशासन
- प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार
- अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता को बढ़ावा
- प्रारंभिक शिक्षा पर धनराशि का नियोजन
- प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधियों का विकास।

राजस्थान में वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित राजकीय तथा स्वायत्तशासी संस्थाएँ कार्यरत हैं -

प्रारंभिक शिक्षा विभाग	
राजकीय संस्थाएँ	स्वायतशासी संस्थाएँ
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा	राजकीय प्राथमिक शिक्षा
बीकानेर, राजस्थान	परिषद्, जयपुर
निदेशालय साक्षरता एवं सतत् शिक्षा,	राजस्थान शिक्षा कर्मी
जयपुर, राजस्थान ।	बोर्ड, जयपुर
	राजस्थान राज्य
	पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर
	राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

प्रारंभिक शिक्षा विभाग, के अंर्तगत संचालित विद्यालयों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है-

क्र.स.	**विद्यालय का प्रकार**	**विद्यालयों की संख्या**
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	30405
2.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	49080
3.	राजकीय पूर्व प्राथमिक विद्यालय	07
	कुल योग	79492

भारत के सभी राज्यों में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जनतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी निर्वाचित राजनीतिज्ञ होता है, जो केबिनेट स्तर का मंत्री होता है। प्रत्येक राज्य में शिक्षा मंत्री के सहयोग के लिए राज्यमंत्री तथा उपमंत्री बनाए जाते है। मंत्रियों की सहायता के लिए विभिन्न प्रशासनीक अधिकारियों की व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था के इस प्रशासनीक ढांचे को निम्नांकित चार्ट से समझा जा सकता है:-

शिक्षा मंत्री

शिक्षा सचिव

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा)

संयुक्त निदेशक

उपनिदेशक

जिला शिक्षा अधिकारी

उप जिला शिक्षा अधिकारी

विद्यालय प्रधान

अध्यापक

राजस्थान में भी प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम यथा - शिक्षाकर्मी परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, लोक जुम्बिश परियोजना तथा मध्यान्ह भोजन को संचालन किया गया । इसमें से लोक जुम्बिश परियोजना का वर्णन आगे किया जा रहा है-

लोक जुम्बिश परियोजना -

स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (8104) के सहयोग से राजस्थान में प्रयोगात्मक परियोजना, 'लोक जुम्बिश' ' शुरू की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जन सक्रियता तथा जन सहभागिता के माध्यम से सबको शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस परियोजना में विकेन्द्रीकरण के सिद्धांतों और प्राधिकार हस्तान्तरण को समाहित करने के प्रबंधन का प्रयोगात्मक ढाँचा तैयार किया गया है। स्थानीय समुदाय और स्वैच्छिक संगठनों के साथ साझेदारी बनाना, स्कूलों को चिन्हित करना, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल भवन कार्यक्रम हेतु नये डिजाइनों का विकास तथा जन सक्रियता बढ़ाना इस परियोजना के अंग हैं। इस परियोजना के प्रमुख निर्देशात्मक सिद्धांत निम्नलिखित हैं :

- लोक जुम्बिश परियोजना एक प्रक्रिया उपागम है न कि उत्पाद उपागम ।
- सामुदायिक सहभागिता
- विकेन्द्रीयकृत क्रियान्वयन
- प्रबंधन का लचीलापन

इस योजना का पहला चरण जून 1992 से जून 1994 के दौरान कार्यान्वित किया गया। इस पर 143 करोड़ रूपये का खर्च आया, जिसे स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी, केन्द्रसरकार तथा राजस्थान सरकार ने 3:2:1 के अनुपात में वहन किया। लोक जुम्बिश परियोजना का द्वितीय चरण जुलाई 1994 से जून 1998 तक चला, जिसे 31 दिसम्बर 1999 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस पर 96 .92 करोड़ रूपये का खर्चा आया। परियोजना का तीसरा चरण 1 जुलाई 1999 से 30 जून 2004 तक चलाया गया। इस चरण के लिए आर्थिक सहायता ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (DFID) से प्राप्त हुई। परियोजना की कुल लागत 400 करोड़ रूपये थी।

दूसरे चरण की समाप्ति तक 75 विकास खण्डों में कार्य हुआ। इसे 305 इलाकों में लागू किया गया और इसके लिए 8675 गांवों में वातावरण तैयार किया गया। तीसरे चरण में 102 विकास खण्डों तथा 561 इलाकों में कार्य प्रारंभ किया गया तथा 14, 559 गांवों में वातावरण तैयार किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत अजमेर, बाँसवाड़ा, बीकानेर. चितौडगढ़ डूँगरपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, उदयपुर और राजसमंद जिलों में कार्य किया गया।

मूल्यांकन प्रश्न

1. राजस्थान राज्य में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था व प्रबंधन का दायित्व कौन वहन करता है
2. राजस्थान प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कही पर स्थित है?
3. राजस्थान प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के प्रमुख कार्य बताइये ।
4. लोक जुम्बिश परियोजना के प्रमुख उद्देश्य कौन - कौन से हैं?

2.9 सारांश

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मक तथा मात्रात्मक उन्नति के लिए सुदूर अतीत से वर्तमान तक विभिन्न सरकारी तथा व्यक्तिगत प्रयास किए गए हैं। परन्तु सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति अभी तक काफी दूर है। हमें अभी भी बहुत सी: योजनाओं तथा प्रयासों की आवश्यकता है। ताकि लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र की जा सके।

प्राचीन काल से ही प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग रही है तथा इसकी शुरूआत विभिन्न संस्कारों यथा उपनयन, पव्बज्जा तथा बिस्मिल्लाह खानी द्वारा की जाती थी। परन्तु वर्तमान में इन संस्कारों का स्थान नामांकन प्रक्रिया ने ले लिया है। वर्तमान में इसी प्रक्रिया को सार्वभौमिक बनाने, बालक को अपनी प्राथमिक शिक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कराने हेतु विभिन्न प्रयास, सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य है। भारत में शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है, तथा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अर्थात् शिक्षा संबंधी प्रावधान राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों बना सकते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षा संबंधित शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान में लगे संस्थान हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मिड डे मिल योजना, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा कर्मी योजना, लोक जजुम्बिश तथा बिहार शिक्षा परियोजना, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, प्राथमिक शिक्षा की मात्रात्मक तथा गुणात्मक उन्नति हेतु शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम है।

2.10 संदर्भ ग्रन्थ

1. Agarwal J.C. (2005)- Recent Developments and trends in Education (with special Reference to India) Shipra Publication, New Delhi.
2. भटनागर, सुरेश (2005) - भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं समस्याएँ, लाल बुक डिपो,मेरठ।
3. गुप्ता, एस.पी. (2005) - भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन,इलाहाबाद।
4. प्रकाश, वेद (2008) - विद्यालय प्रबंधक एवं शैक्षिक नवाचार, रीयल पब्लिकेशन, जयपुर।
5. शुक्ला, सी. एस. (2006) - भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस,मेरठ।
6. त्यागी, गुरसरन दास (2002) - भारत में शिक्षा का विकास, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
7. शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालय संगठन, डी. नरेन्द्र सिंह बैस, संजय दत्ता, जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर
8. Right to Education Bill 2005, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, New Delhi.
9. Bihar Education Project Council, Bihar India

10. WWW. Educationfarllini India.com

इकाई 3

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण: जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

(Universalization of Elementary Education:District Primary Education Programme)

इकाई की संरचना

3.0 उद्देश्य
3.1 जिला प्राथमिक शिक्षा का दर्शन व कारण
3.2 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम: स्वरुपः उद्देश्य
3.3 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम: नियोजन कुशलता
3.4 विश्व सम्मेलन, 199०
3.5 दिल्ली उद्‌घोषणा, 1993
3.6 जिला प्राथमिक शिक्षा का प्रभाव
3.7 लोक जुम्बिश परियोजना
3.8 शिक्षा कर्मी परियोजना
3.9 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार
3.10 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की उपलब्धियां
3.11 व्यक्तिगत अध्ययन
3.12 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका
3.13 राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा का विद्‌यमान स्तर एव चुनौतियां
3.14 सारांश
3.15 संदर्भ ग्रंथ

3.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रारंभ करने के कारणों को जान सकेंगे।
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों को समझ सकेंगे।
- विश्व सम्मेलन की नीतियों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- दिल्ली उद्‌घोषणा के महत्व को समझ सकेंगे।
- जिला प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धियों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका की समीक्षा कर सकेंगे।

- भारत में प्रारंभिक शिक्षा की परिस्थिति का विश्लेषण कर सकेंगे।
- राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान स्तर एवं चुनौतियों को जान जाएंगे।
- अपने जिलों में प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार के लिए सुझाव देने में समर्थ हो सकेंगें ।

स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात से केन्द्रीय व राज्य सरकारें प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे है। अब इन सरकारों के समक्ष चुनौती है कि शिक्षा में विद्‌यमान सुधारों को बनाए रखा जाए तथा इन्हें और विस्तृत किया जाए एवं प्राथमिक शिक्षा सुधारों व विस्तार के लिए स्थानीय नियोजन एवं प्रबंधन की व्यूह रचनाओं को प्रोत्साहित किया जाए। भारत के संविधान में धारा 45 के अंतर्गत कहा गया था कि दस वर्ष (1960 तक) के अंदर भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाएगा। परन्तु भरपूर प्रयासों के होते हुए भी यह लक्ष्य पूरा न हो सका। लक्ष्यों की विधियां समय-समय पर पर बदलती रही।

भारत मैं सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा को निरंतर संवैधानिक प्रावधान बनाया गया है तथा इसे पूरा करने के लिए राष्ट्र सदा से ही करबद्ध रहा है। प्रारंभिक स्तर पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यूह रचना केवल औपचारिक शिक्षा पर निर्भर थी। इसलिए औपचारिक स्कूली शिक्षा सुविधाओं तथा स्कूल के अंदर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को विस्तृत करने पर भी बल दिया गया। 1970 के दशक के अंत में सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का प्रारंभ हुआ। 1970 के दशक के अंत में सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। 1980 तक आते-आते शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक स्वीकृत उपागम का प्रारंभ किया गया जिसे बाद में सबके लिए शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों में सम्मिलित कर लिया गया।

3.1 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन व कारण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 5 'एक संकल्प' के अंतर्गत कहा गया है ' 'यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 1990 तक लगभग 11 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चें स्कूल की पांच वर्ष की शिक्षा औपचारिक अथवा गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्राप्त कर ले। इसी प्रकार से वर्ष 1995 तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। यह उद्देश्य पूरा न हो सका। 1992 की संशोधित नीति में यह लक्ष्य बदल दिया गया और कहा गया कि, “यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने से पूर्व 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को संतोषप्रद गुणवत्ता वाली निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए।“

प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती रही है । 1996-97 में प्राथमिक स्तर पर 160 मिलियन बच्चों का नामांकन था। परन्तु यदि हम नामांकन के दर की ओर ध्यान दे तो यह गिर रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर 70 के दशक में प्राथमिक शिक्षा के नामांकन की वृद्धि 5 प्रतिशत थी और 80 के दशक में यह 265 प्रतिशत थी। निम्न सारणी के अनुसार 1993-94 एवं 1996-97 में यह दर कम होकर 0.67 प्रतिशत रह गई। यह गिरावट केवल लड़कों के नामांकन में नहीं थी अपितु लड़कियों में भी थी।

सारणी 3.1 प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वार्षिक वृद्धि दर

काल		लड़के	लड़कियां	कुल
1950-51-से 1960-		615.5	17.7	66.19
1960-61से 1970-		71	6.53	9.33 7.46
1980-81-से 1990-		91	4.23	6.45 5.00
1990-91-से 1996-97	2.35	3.17	2.65	
1990-91-से 1993-94	1.51	2.81	2.06	
1993-94 से 1996-97	0.38	1.07	0.67	

स्त्रोत : चयनित शैक्षिक सांख्यकी एम०एच०आर0डी0 1996-97

नामांकन में निरन्तर लिखी हुई वृद्धि दर की ओर अत्याधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। यह विशेष रुप से उस समय घटित हो रहा था जब पहली कक्षा में नामांकित बच्चों में से एक तिहाई से भी अधिक बच्चे पांचवी कक्षा तक पहुंचने में असफल थे।

भारत ने प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के विस्तार से ही प्रमुख लक्ष्य माना। विकास प्रक्रिया में विभिन्नताएं होने के फलस्वरुप प्रयत्नों को लक्ष्य बनाने का प्रयास किया गया। इसके साथ-साथ प्रयास, क्षेत्रीय, सामान्य वर्ग में लड़कियों तथा वे समूह जिनको लाभ नहीं पहुंच रहा है पर केन्द्रित किया गया। विकास के वर्तमान स्तर पर यह अनुभव किया गया कि जो कुछ भी पहले प्राप्त किया जा चुका था उससे कही कठिन था जिसे प्राप्त किया जाना था। वर्तमान समय में बहुत से ऐसे क्षेत्र व समूह थे जिन तक प्रौढ शिक्षा का पहुंचना अनिवार्य था, जो शिक्षा से वंचित थे। ऐसे समय में जिला स्तर पर तथा जिले के अंदर विभिन्नताओं को समझना अत्यन्त आवश्यक था। 80 के दशक के अंत तथा 90 के दशक के प्रारंभ में सकल साक्षरता अभियान लाया गया जिसके अंतर्गत शैक्षिक कार्यक्रम के नियोजन एवं प्रबंधन में समुदाय पूर्ण रुप से संलग्न था। इस अभियान की सफलता से आशा की किरण दिखाई दी तथा एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि भविष्य में ऐसे जन-केन्द्रित कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान में सहायक हो सकते है। इन अभियानों के नियोजन एवं प्रबंधनों के अनुभव जिला स्तर पर योजनाएं तैयार करने में मूल्यवान बन गए।

3.2 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम: स्वरुप : उद्देश्य

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसे विकासशील देशों में कार्यरत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों, जो प्रत्यक्ष रुप से प्राथमिक शिक्षा परियोजना की वित्तपूर्ति से सम्बन्धित अनुभवों के आधार पर भारत देश में प्रारंभ किया गया। कुछ समय के अंतराल में ऋण के स्त्रोत वित्रित हो गए तथा प्राथमिक शिक्षा उपागम एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अधिक विशिष्ट, साकार एवं एकरुप बन गया। यद्यपि, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एकीकृत अभिन्न योजनाओं के विकास का एक प्रयास नहीं है। वास्तव में यह इस कार्यक्रम के विरुद्ध जाता है। यह कार्यक्रम इस तथ्य को मानता है कि जो कुछ भी शिक्षा स्तर पर किया जाना है उन्हें जिला स्तर पर ही कार्यरत कर्मियों के द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए। यह लचीले आयामों के

आधार पर केन्द्रीय प्रस्तावित योजना थी। यह आयाम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित होने चाहिए।

यह कार्यक्रम 1994 में 7 राज्यों के 42 जिलों में प्रारंभ किया गया तथा धीरे-धीरे 27 राज्यों के लगभग सभी जिलों में आरंभ किया गया। यह कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति पर बल देने वाली एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके घटक इस प्रकार है:-

- शिक्षण कक्षाओं एवं स्कूलों का निर्माण ।
- अनौपचारिक वैकल्पिक स्कूली केन्द्रों की स्थापना करना ।
- अध्यापन-अधिगम सामग्री का निर्माण ।
- अनुसंधान आधारित उपाय करना ।
- लड़कियों, अनुसूचित जातियों 7 जनजातियों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना।

यह कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रावधानों के साथ - साथ अतिरिक्त निवेश प्रदान किए जाएं। यह प्राथमिक शिक्षा की उन्नति में विद्यमान प्रणाली में नवीन प्राण फूंकने का भी प्रयास करता है। यह एक परिस्थिति विशिष्ट कार्यक्रम है तथा इसमें लड़कियों पर स्पष्ट रुप से ध्यान दिया गया है। विकलांग बच्चों की समाकलित शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के लिए दूरस्थ शिक्षा घटकों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

डी.पी.ई.पी. का लक्ष्य सभी को शिक्षा दिलाने, बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने शिक्षा के स्तर में सुधार करने तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करके साथ-साथ काम करना है। इससे जिले को योजना की इकाई मानते हुए क्षेत्र विशेष दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य समुदाय की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता और प्रासंगिकता बनाए रखना है। यह प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में योजना, प्रबंधन एवं व्यावसायिक सहायता हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला संस्थानों एवं संगठनों की क्षमता में वृद्धि हेतु भी काम करता है।

डी.पी.ई.पी 'अतिरिक्त व्यवस्था' के सिद्धांत पर आधारित है और इसका कार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाओं कें अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों को और सहायता देकर मौजूदा कमी को दूर करना है। राज्य सरकारों को कम से कम वास्तविक अर्थ में उतना व्यय तो करना ही पड़ता है, जो आधार-वर्ष में हुआ हो।

कार्यक्रम के घटकों में नए स्कूल और कक्षाओं का निर्माण, अनौपचारिक 7 वैकल्पिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना नए अध्यापकों की नियुक्ति, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, राज्यस्तरीय शैक्षिक अनुसंधान केन्द्रों और प्रशिक्षण परिषदों (एस.सी.ई.आर.टी.) 7 जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) का सशक्तिकरण, प्रखंड (ब्लॉक) संसाधन केन्द्र समूह संसाधन केन्द्र, अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण 7 अध्यापन सामग्री का विकास, अनुसंधान आधारित पहल, वंचित समूहों, बालिकाओं, अनुसूचित जाति 7 जनजातियों आदि हेतु शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल, विकलांग बच्चों को समन्वित शिक्षा देने हेतु पहल एवं अध्यापक प्रशिक्षण के लिए सुदूर (डिस्टेंस) शिक्षा को भी डी.पी.ई.पी. योजना में शामिल किया गया है।

इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य है:-

1 औपचारिक प्राथमिक स्कूलों या इसके समान अन्य विकल्पों के द्वारा सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश प्रदान करना।

2 प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को घटाकर 1० प्रतिशत से भी कम करना।

3 उपलब्धि स्तर में मापन आधारित रेखीय स्तर से कम से कम 25 प्रतिशत संवर्धन किया जाए।

4 सभी प्रकार की असमानताओं के अंतर को घटाकर 5 प्रतिशत से भी कम करना।

प्रत्येक योजना का कार्यक्रम चयनित जिले में प्राथमिकता शिक्षा के विकास के स्तर के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। कुछ जिलों में प्राथमिक प्रवेश को दी जा सकती है। कुछ में यह स्थिरता हो सकती है और कुछ में यह उपलब्धि भी हो सकती है। जिला स्तर पर सूक्ष्म रुप से किया गया सर्वेक्षण ही हमें प्रमुख क्षेत्रों के बारे में संकेत देने में सहायक हो सकता था।

कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों की पहचान करने के दो आधार थे:-

- ऐसे जिले जिनमें स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय औसत से कम थी।
- ऐसे जिले जहां कुछ साक्षरता अभियान सफल हुए और उनमें प्राथमिक शिक्षा की मांग बढ़ी।

इन दोनों प्रकार के जिलों में प्राथमिकताएं एवं योजनाएं भिन्न हो सकती है। प्रक्रिया को प्रारंभ करने का एक प्रयास था। कार्यक्रम की रुपरेखा का प्रारंभ सबसे पहले जिला स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया से किया गया। राज्य स्तर पर जो व्यूह रचनाएं एवं योजनाएं बनाई जाती है, उनका कार्य जिला स्तर पर नियोजन के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाना था इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला एवं राज्य स्तर पर आपसी सम्बन्धों ने विभिन्न स्तरों पर एजेन्सियों की भूमिका को ही परिवर्तित कर दिया। नियोजन की इस प्रक्रिया से यह निश्चित होता है कि राज्य स्तर की योजनाओं को तब तक नहीं बनाया जा सकता, जब तक जिला योजनाएं पूर्ण न हो और राज्य स्तर की योजनाएं जिला स्तर के लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रयास मात्र होगी अन्य कुछ नहीं।

3.3 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं नियोजन कुशलता

भारत में क्रियात्मक योजनाओं के विकास के इस विकेन्द्रीयकृत प्रयास के असफल होने का एक कारण था कि जिला स्तर पर नियोजन कुशलता की कमी का होना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नियोजन का सम्पूर्ण उतरदायित्व जिला स्तर पर लोगों को सौंप दिया गया। इससे जिला स्तर पर नियोजन कुशलता का विकास होना आवश्यक था। कुशलता के विकास का उतम ढंग था नियोजन क्रियाओं को वास्तविक रुप से प्रारंभ किया जाए। नियोजन विधियों को सरल बनाया गया जिससे जिला स्तर पर लोग उसे सरलता से समझ सके। राष्ट्रीय एवं जिला संगठनों ने नियोजन कुशलता के विकास में सहयोग दिया। यह सहायता दो प्रकार से दी गई:-

– जिला स्तर पर शिक्षा नियोजन के लिए आधारभूत रुपरेखा तैयार करना ।

– स्थानीय स्तर के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम का संगठन ।

यद्यपि विस्तृत रुप से विभिन्न आयामों को परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार किया गया, परंतु जिलों को अपने लक्ष्य बनाने, व्यूह रचनाओं का निर्माण करने तथा क्रियाओं की सूची बनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की गई। संक्षिप्त रुप से नियोजन में स्थानीय आवश्यकताओं को

देखा गया तथा उन्हें प्राथमिकता दी गई और इस प्रकार नियोजन में यह स्थानीय स्वतन्त्रता, कुशलता एवं प्रशासकीय योग्यता के विकास में सहायक होगी। क्षमता निर्माण का कार्य नियोजन प्रक्रिया का एक भाग माना गया है।

अत: जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को 1994 में प्रारंभ किया गया जिसका प्रमुख लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना था तथा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रारंभ करने के प्रमुख कारण क्या थे?
   What were the main causes to start District Primary Education Education Programme?
2. डीपीईपी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया'
   When was DPEP Programme Started?
3. डीपी.ईपी कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य क्या थे?
   What were the main goals of DPEP programme?
4. पहले स्तर पर डीपी.ईपी कार्यक्रम कितने जिलों में प्रारंभ किया गया?
   In how many districts DPEP programme was started in phase I?

3.4 विश्व सम्मेलन

4 दशकों से भी पहले, विश्व के राष्ट्रों ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करते हुए कहा था कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। विभिन्न देशों के द्वारा समय-समय पर सभी के लिए शिक्षा के अधिकार को दिलाने के लिए भरसक प्रयास किए गए, परन्तु फिर भी वास्तविकताएं निम्नलिखित थी:-

– 100 मिलियन से भी अधिक बच्चे, जिनमे लगभग 60 मिलियन लड़कियां है, प्राथमिक स्कूल तक नहीं पहुचे।
– 960 मिलियन से भी अधिक प्रौढ, जिनमें लगभग 273 भाग स्त्रियां है, निरक्षर है । सभी औद्योगिक व विकासशील देशो में क्रियात्मक साक्षरता एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है।
– विश्व के प्रौढों का 13 भाग से भी अधिक मुद्रित ज्ञान, नवीन कौशलों तथा तकनीक के ज्ञान से वंचित है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकता है तथा उन्हें सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनुरुप स्वयं को ढालने के योग्य बनाने में सहायक हो सकता है।
– 100 मिलियन से अधिक बच्चे तथा अनगिनत प्रौढ़ बेसिक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने में असफल रहे है । कई मिलियन बच्चे एवं प्रौढों की स्कूलों में उपस्थिति तो आवश्यकता से अनुरुप है, परन्तु उन्हें आवश्यक ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति नहीं हुई है।

इसी समय विश्व के सामने विभिन्न समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी जैसे:-

- बढ़ता हुआ कर्ज का भार
- आर्थिक अवरोधन व कमी
- तीव्र जनसंख्या वृद्धि
- विभिन्न देशों के बीच तथा देशों के अन्दर विस्तृत आर्थिक विभिन्नता,
- करोड़ों बच्चों की इलाज की कमी के कारण मृत्यु, और
- विस्तृत रुप से वातावरण निम्नीकरण आदि ।

इन समस्याओं के कारण आधारभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहे थे। 1960 में कम विकसित देशों में बेसिक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का लगा, जिसका कारण उपरलिखित समस्याएं थी। अन्य कुछ देशों में आर्थिक वृद्धि के फलस्वरुप शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना असंभव सा लग रहा था। इसी कारण 1990 में विश्व सम्मलेन का आयोजन किया गया।

1990 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए तथा उस दशक में अन्त तक अनपढ़ता को बड़े स्तर तक कम करने के लिए 155 देशों के प्रतिनिधियों तथा 150 संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा जोमटियन थाइलैंड में सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन में सहमति प्रकट की गई, जो 5 से 9 मार्च तक चली। 1990 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था, इसी कारण सभी बच्चों, नवयुवकों एवं प्रौढ़ों की आधारभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विश्व स्तर पर प्रयत्न किए गए, जिससे बहुत से देशों में आधारभूत शिक्षा सेवाओं की कमी को रोका जा सके। सम्मेलन के तीन मुख्य उद्देश्यनिम्नलिखित थे:-

1. आधारभूत शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालना एवं इसे सार्वभौमिक रुप से उपलब्ध कराने के लिए किए गए वायदे का नवीनीकरण करना
2. आधारभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना पर वैश्विक अनुकूलता अर्थात् एकमतता लाना, और अनुसंधानों के परिणामों तथा अनुभवों को बाटने के लिए एक विवाद मंच प्रदान करना।
3. यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अभिकरणों ने किया। मुख्य तौर पर ये संगठन थे:-
    1 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme UNDP)
    2 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization: UNESCO)
    3 विश्व बैंक (World Bank)

भारत के प्रतिनिधियों ने भी विश्व सम्मेलन में भाग लिया ।

सम्मेलन के समय विश्व में इसकी प्रौढ़ शिक्षा का पांचवा भाग निरक्षर था अर्थात् पढ़ लिख नहीं सका था। लगभग 100 मिलियन बच्चे (जिसमें 60 मिलियन लड़कियां थी) स्कूल से बाहर थे। सम्मेलन में इस प्रकार की स्थिति पर घोर चिंता प्रकट की गई। यह स्वीकार किया गया कि यूरोप, उतरी अमेरिका, जापान, कोरिया तथा सिंगापुर देशों की प्रगति का मुख्य कारण वहां

शिक्षा का व्यापक प्रसार था। इस बात पर भी बल दिया गया कि शिक्षा को दृढ़ निश्चय से एक नयी दिशा दी जाने की आवश्यकता है।

सम्मेलन में रमी के लिए शिक्षा का घोषणा पत्र जारी किया गया । इसमें निम्नलिखित घटकों पर बल दिया गया:-

1. शिक्षा का सार्वभौमिकरण
2. शिक्षा में समानता के अवसरों पर प्रावधान करना ।
3. सीखने पर बल देना ।
4. आधारभूत शिक्षा में विस्तृत विषय सामग्री का होना ।
5. सीखने के लिए वांछित वातावरण का निर्माण ।
6. अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को बढ़ावा देना ।
7. शिशु देखभाल तथा शिक्षा की उचित व्यवस्था करना ।

राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण -कार्य

सभी के लिए आधारभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रगति प्रत्येक देश में किए जाने वाले कार्यो पर निर्भर करती है । क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व वितीय सहायता यद्यपि इन क्रियाओं में सहायक हो सकती है, परन्तु राष्ट्रीय अधिकारी, समुदाय तथा देश में अन्य सहयोगी व्यक्ति ही इसके सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है तथा राष्ट्रीय सरकारें ही आन्तरिक व बाह्य संसाधनों के प्रभावी प्रयोग के लिए उत्तरदायी हो सकती है । विभिन्न देशों की परिस्थितियां भिन्न होने के फलस्वरुप इस सम्मेलन के द्वारा दी गई रुपरेखा केवल उन क्षेत्रों के बारे में सुझाव दे सकती है जिन्हें प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है । प्रत्येक देश अपनी क्षमता व योग्यता के आधार पर ही निश्चित करेगा कि किन देशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जैसे

1. आवश्यकताओं की पहचान तथा क्रियाओं का नियोजन
   - प्रत्येक देश अपने द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियात्मक रुप दे सकता है जैसे:-
   - वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन
   - आधारभूत अधिगम आवश्यकताएं, जिन्हें पूरा किया जाना है तथा जिनमें ज्ञानात्मक कौशल,मूल्य, अभिवृत्तियों तथा विषय वस्तु का चयन शामिल है ।
   - शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली भाषा
   - लक्ष्य एवं विशिष्ट उद्देश्य
   - आवश्यक पूंजी
   - संसाधनों के प्रयोग की प्राथमिकता।
   - महत्वपूर्ण समूह जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है।
2. नीति के लिए उचित वातावरण का विकास

   इसमें चार मुख्य पद है जिन पर ध्यान देना आवश्यक है:-
   - राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर की क्रियाओं का प्रारंभ, जिससे सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता का समर्थन लिया जा सके।

– सार्वजनिक क्षेत्र में अकुशलता को कम करना एवं निजी क्षेत्र में अधिक विस्तार करना।
– सरकारी प्रशासकों के लिए उचित प्रशिक्षण का प्रबंध करना तथा सरकारी क्षेत्र में शिक्षित महिलाओं व पुरुषों को स्थिर करने के लिए प्रेरणा प्रदान करना।
– आधारभूत शिक्षा कार्यक्रम के निर्माण व लागू करने में विस्तृत योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए उपायो का प्रावधान करना।

3. बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों का निर्माण
4. प्रावधान विश्लेषण एवं तकनीकी क्षमताओं में सुधार।
5. सूचना एवं संचरण चैनलों को गतिशील बनाना ।
6. भागीदारी का निर्माण एवं संसाधनों की गतिशीलता।

क्षेत्रीय स्तर पर प्राथमिक कार्य

1. सूचनाओं, अनुभवों एवं विशिष्टताओं का विनिमय
2. संयुक्त रुप से क्रियाए करना।

मुख्य रुप से 6 क्षेत्र ऐसे है जहां क्षेत्रीय समन्वय उचित रुप से संभव हो।

– मुख्य व्यक्तियों का प्रशिक्षण जैसे योजनानिर्माता प्रबंधक, शिक्षक प्रशिक्षक, अनुसंधानकर्ता आदि।
– सूचनाओं के संग्रह एवं विश्लेषण के सुधार का प्रयास।
– अनुसंधान,
– शैक्षिक सामग्री का उत्पादन:
– आधारभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग, और
– प्रबंधन एवं दूरवर्ती शिक्षा सेवाओं का प्रयोग

विश्व स्तर पर प्राथमिक कार्य

1. अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में सहयोग।
2. राष्ट्रीय क्षमता को बढावा।
3. राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यो के लिए दीर्घावधि समर्थन प्रदान करना।
4. नीति के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा।

इस प्रकार विश्व स्तर पर प्रांरभिक शिक्षा के विकास के लिए इस सम्मेलन में अत्याधिक विचार विमर्श किया गया तथा प्रत्येक स्तर पर सबके लिए शिक्षा की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं व क्रियाओं का प्रावधान रखा गया।

3.5 दिल्ली घोषणा पत्र

विश्व सम्मेलन 1990 के पश्चात् सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिल्ली में 16 दिसम्बर 1993 को 9 देशों- बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिश्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एवं पाकिस्तान ने यह घोषणा की कि हम विश्व के अधिक जनसंख्या वाले विकासशील नौ देश पूरे निश्चय एवं उत्साह के साथ, 1990 में 'सबके लिए शिक्षा' पर विश्व सम्मेलन में तथा सभी लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चों पर विश्व अप्रभाग (World Summit) में स्थापित किए गए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बच्चों, नवयुवकों एवं प्रौढ़ों के द्वारा स्वयं को समर्पित करते है। हम पूरी जागरुकता के साथ इस कार्य को करेंगे

क्योंकि हमारे देशों में विश्व की जनसंख्या का लगभग आधा भाग निवास करता है और सबके लिए शिक्षा के वैश्विक लक्ष्य की उपलब्धि के लिए हमारे प्रयत्नों की सफलता अत्यन्त आवश्यक है।

इन देशों ने माना कि इनके देशों में शिक्षा के स्तर में जो सुधार आना चाहिए था, वह नहीं आया तथा निम्नलिखित तथ्यों को उजागर किया गया।

- हमारे देशों में नियम के अनुसार, संविधान में एवं मानवीय अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि सभी लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए।
- सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों, मानव संसाधनों की गुणवत्ता एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं के प्रति आदर की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा परमवाश्यक है।
- हमारे देशों की शिक्षा प्रणाली ने अधिक से अधिक लोगो को शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया है परन्तु पूर्ण रुप से गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में सफल नहीं हो पाए। इसके लिए औपचारिक शिक्षा में तथा इससे बाहर सृजनात्मक उपागम के विकास -की' आवश्यकता है।
- विषय वस्तु एवं शिक्षण विधि में इस प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यकता है जिससे वे व्यक्ति एवं समाज की आधारभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उनकी बलित समस्याओं - गरीबी उन्मूलन, उत्पादकता में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार एवं वातावरण संरक्षण का समाधान करने में सशक्त बना सके, और उन्हें लोकतात्रिंक समाज के निर्माण तथा सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ बनाने में अपनी उचित भूमिका निभाने के योग्य बना सके।
- लड़कियों एवं स्त्रियों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण स्वयं में महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सामाजिक विकास एवं वर्तमान व भविष्य के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रमुख रुप से महत्वपूर्ण तत्व है।
- जनसंख्या वृद्धि का दबाव शिक्षा प्रणाली तथा आवश्यक परिवर्तन एवं सुधारों की क्षमता को प्रभावित करता है और इसके अतिरिक्त हमारे देशों में जनसंख्या की आयु संरचना भी प्रभावित कर रही है। यह आने वाले दशक में भी निरंतर बनी रहेगी।
- शिक्षा सामाजिक उतरदायित्व है और होना चाहिए। इसमें सरकारों, परिवारों, समुदायों तथा गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

हमारे समाज के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसलिए हम यह शपथ लेते है कि वर्ष 2000 तक या यदि संभव हो तो इससे पहले भी निम्नलिखित कार्यो की पूर्ति हो जाएगी:-

1. प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता के अनुसार किसी स्कूल या उचित शैक्षिक कार्यक्रम में स्थान दिया जाएगा, जिससे कोई भी बालक अध्यापक की कमी, अधिगम सामग्री की कमी या पर्याप्त स्थान की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए।
2. लिंग. आयु, आय, परिसर, संस्कृति, भाषा विभिन्नता एवं भौगोलिक रुप से पिछडे इलाके होने के कारण बेसिक शिक्षा की पहुंच की भिन्नता को समाप्त किया जाए।
3. बेसिक शिक्षा कार्यक्रमों की उपयुक्तता व गुणवता को सुधारा जाएगा।

इस प्रकार इन नौ देशों के द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र को लागू करने के लिए एक रुपरेखा तैयार की गई जिसमें प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार थे।

1. प्रमुख सबके लिए शिक्षा मुद्दे

- प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच में भिन्नता
- शिक्षा की गुणवत्ता एवं अधिगम उपलब्धि
- संसाधन
- संगठन एवं प्रबंधन में समाज का योगदान

2. बेसिक शिक्षा में कार्य के लिए दिशानिर्देश

सबके लिए शिक्षा पर दिल्ली घोषणापत्र के आधार पर निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए गए जिससे इन नौ देशों को अपनी व्यूह रचनाएं बनाने में सहायता मिले:-

(i) प्रत्येक बालक के लिए बेसिक शिक्षा आवश्यक करना-

यदि प्रत्येक बालक को गुणात्मक सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करना है तो इसके लिए दो कार्य आवश्यक है:-

क) पहला, हर संभव प्रयत्न के द्वारा यह निश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यमान स्कूलों तथा सामग्री को प्रभावी व कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है।

ख) दूसरा, यह भी जानना चाहिए कि बहुत सी परिस्थितियों में, यह आवश्यक नहीं कि बालकों के लिए विद्यमान सामग्री व स्कूलों को कुशलतापूर्वक प्रयोग करने से प्राथमिक शिक्षा की पहुंच का लक्ष्य पूरा हो सके। कुछ स्थानों पर परम्परागत स्कूलों का विस्तार संभव नहीं जिससे सभी बच्चों की शिक्षा संभव हो।

अन्य कारण, उदाहरण के लिए काम करने वाले तथा गली के बच्चे, जिनके लिए परम्परागत स्कूलों की शिक्षण विधियां, उपागम व समय सारणी का उचित न होना है। अन्य परिस्थितियां भी है जहां अध्यापकों को स्कूलों में योजना व परम्परागत स्कूल चलाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में लचीली निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है। सफल निरौपचारिक कार्यक्रम में निम्नलिखित आवश्यक विशेषताएं शामिल है:-

- समुदाय में पैरा-अध्यापकों का प्रयोग
- लचीला वार्षिक कैलेण्डर एवं दैनिक समय
- समुदाय व अभिभावक का क्रियात्मक योगदान
- सरल पाठ्यक्रम जिसे समुदाय के द्वारा आवश्यक अधिगम व जीवन, कौशलों से परिपूर्ण माना जाए
- प्रारंभिक निर्देशन में स्थानीय भाषा का प्रयोग,
- गैर-सरकारी संगठनों व समुदाय की भागीदारी
- आवश्यक अधिगम सामग्री का प्रावधान, और
- विद्यमान सुविधाओं का प्रयोग जिसमें पूंजी खर्च को कम से कम किया जा सके।

(ii) नवयुवकों एवं प्रौढ़ों के लिए सहायक शिक्षा कार्यक्रम (Supporting Education Programme for Youth and Adults)

ऐसे देश, जिन्होंने प्रौढ़ शिक्षा व साक्षरता कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त की है, उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर कुछ सुझाव दिए जैसे इसकी विषय सामग्री में ऐसे ज्ञान एवं कौशलों को शामिल किया जाना चाहिए जो उनके दैनिक जीवन से सम्बन्धित हो, जिसमें तर्क भी शमिल हो और जो अधिगमकर्ता के स्वास्थ्य व जीवन शैली को प्रभावित करे।

3. पहुंच एवं समता की भिन्नता को दूर करना

लिंग असमानता की दूरी को कम किया जाए अर्थात एक विशिष्ट प्रयत्न किया जाए जिससे अधिक से अधिक लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा व कार्यक्रमों में दाखिल किया जाए। जो बच्चे स्कूल से बाहर रह जाते है उन तक पहुंचा जाए तथा उन्हें स्कूल में आने के लिए प्रेरित किया जाए।

4. शिक्षा की उपयुक्तता एवं गुणवत्ता में सुधार

प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम व विषय सामग्री का पुनरावलोकन किया जाए, जिससे अधिगमकर्ताओ की आवश्यकताओं के अनुरुप दैनिक जीवन से सम्बन्धित विषय सामग्री को शामिल किया जा सके। आवश्यक कौशल एवं विषय सामग्री में-

- तर्क
- समस्या समाधान,
- नैतिक प्रश्नों पर बल आदि को शामिल किया जाना चाहिए।

बेसिक शिक्षा के अंतर्गत केवल अधिगम सामग्री ही प्रदान नहीं की जानी चाहिए अपितु प्रत्येक व्यक्ति की विशेष संस्कृति व सामाजिक संदर्भ में आलोचनात्मक जागरुकता का विकास भी आवश्यक है, परंतु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा कार्य अधिगमकर्ता को अपनी जड़ों अर्थात् वातावरण, समुदाय एवं वातावरण से अलग न कर दे। जहां निर्देशन की भाषा अधिगमकर्ता की मातृभाषा से पृथक है तो आवश्यक है कि प्रारंभिक उपलब्धि धीमी व कम होगी। इसी कारण शिक्षाविदों का यह मानना है कि जहां तक संभव हो प्रारंभिक अनुदेशन मातृ भाषा में ही दिया जाना चाहिए। अध्यापक की भूमिका भी बेसिक शिक्षा का प्रमुख केन्द्र मानी जाती है। लगभग सभी मुद्दे, चाहे वे लक्ष्यों, अधिगम उपलब्धि से संबंधित हो, या शिक्षा प्रणाली की उपलब्धि से सम्बन्धित हो, अध्यापक की भूमिका के विश्लेषण को शामिल करते है। इसमें उनका व्यवहार, उपलब्धि कौशल और उन्हें किस प्रकार प्रणाली के द्वारा प्रयोग किया जाता है, शामिल होता है। इस प्रकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है।

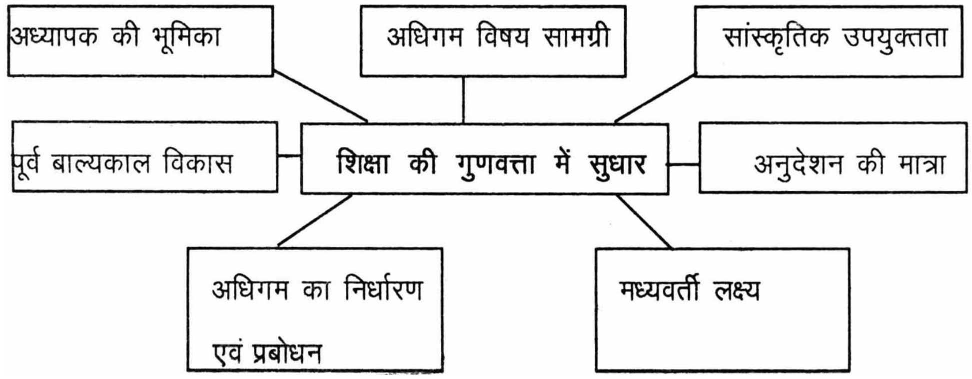

मध्यवर्ती लक्ष्य सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन' के उद्देश्यों पर आधारित है जैसे:-

- प्राथमिक शिक्षा में नामांकन तथा पूरा करने की दर में सुधार लाना जिससे हम सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा में नामांकन व सम्पूर्णता के लक्ष्य के निकट पहुंच सके।
- प्राथमिक नामांकन व सम्पूर्णता दर में लिंग असमानता को कम करना।
- निरौपचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ।
- प्राथमिक शिक्षा में स्कूल छोड़ने वालों की दर को कम करना।
- प्राथमिक शिक्षा में उपलब्धि स्तर को बढ़ावा देना।

अत: शिक्षा कीउपयुक्तता एवं गुणवत्ता में सुधार करके सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति संभव हो सकती है।

5. बेसिक शिक्षा को प्रमुख प्राथमिकता

नौ देशों के अनुभव देश के मानव विकास प्राथमिकता के संदर्भ में बेसिक शिक्षा के लिए संसाधनों के प्रभावी उपयोग एवं गतिशीलता के लिए विभिन्न सुझाव प्रदान करते है:-

- सार्वजनिक एवं निजी स्त्रोत से अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए व्यूह रचनाएं बनाने की आवश्यकता है जिससे प्रत्येक देश को बेसिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति की और बढाया जा सके।
- इसके साथ-साथ आवश्यकता है कि विद्यमान संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाए।
- प्रत्येक देश के लिए वित्त की व्यवस्था करना भी आवश्यक है।

प्राचीन समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता बहुत कम थी, परंतु धीरे-धीरे बेसिक शिक्षा को प्राथमिकता देने के फलस्वरुप सहायता की दर बढ़ती जा रही है।

विस्तृत एवं अधिक जनसंख्या वाले देशों में बेसिक शिक्षा की प्रणाली के प्रबंधन व नियोजन की समस्याएं लगभग एक जैसी होती है इसलिए यदि ये देश आपस में अपने अनुभवों को बांटे तो यह उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सभी देशों के द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर बल दिया जाना चाहिए:-

- सरकार के विभिन्न स्तरों में अधिकारों एवं उतरदायित्वों का विभाजन
- संसाधनों की गतिशीलता
- जिन लोगों तक प्राथमिक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, उन तक पहुंचने के लिए ढंगों को पहचाने, और
- प्रभावी प्रबंधन प्रणाली की स्थापना।

इस प्रकार दिल्ली घोषणा पत्र में उपरवर्णित कार्यक्रम के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया। 1997 में भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया। 6- 10 वर्ष की आयु के लगभग 67 मिलियन बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे थे, परन्तु 28 से 32 मिलियन बच्चे जो इस आयु वर्ग के थे, वे स्कूल नहीं जा रहे थे। पुस्तक में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं के बारे में भी बताया गया है। जैसे नामांकन एवं स्थिरता में अंतर सामाजिक - आर्थिक स्तर में भिन्नता एवं धार्मिक समूहों में विभिन्नता। शुक्ला के द्वारा किए गए अध्ययन ने और चुनौतियों को जोड़ा जैसे - 40 प्रतिशत विद्यार्थी जिन्होंने स्कूल छोड़

दिया, अधिक मात्रा में अध्यापकों की बहुत से गैरहाजिरी, अध्यापकों के लिए निम्न व्यवसायिक समर्थन, अध्यापक केन्द्रित पाठ्यक्रम और निष्पति एवं कुशलता के मूल्यांकन में कमी।

3.8 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रभाव

1. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावों ने सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया।
2. कुछ राज्यों ने यह निश्चय किया कि नवीन पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों को जिन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया गया था, को उन जिलों में भी लागू किया जाए जहां इस कार्यक्रम को आरंभ नहीं किया गया था।
3. इस कार्यक्रम के प्रयोगों एवं अनुभवों के आधार पर, उन जिलों में जहां इस कार्यक्रम को प्रारंभ नहीं किया गया, कुछ में वैकल्पिक स्कूल स्थापित किए गए है।
4. इस कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक के रिक्त स्थानों को भरा गया है।
5. इस कार्यक्रम के प्रभाव से बच्चे निजी व गैर सहायता प्राप्त स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आ रहे है।
6. समुदायों के योगदान व जागरुकता के प्रभाव से स्कूलों में नामांकन में विशेष रुप से लड़कियों में अत्याधिक वृद्धि हुई है।
7. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जिलों में उन जिलों की अपेक्षा, जहां इस कार्यक्रम को प्रारंभ नहीं किय गया, लड़कियों का नामांकन अधिक है।
8. सामाजिक व लिंग असमानता को कम किया गया है।
9. अधिगम उपलब्धि में वृद्धि हुई है।
10. प्राथमिक शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा मिला है।
11. 1995 और 1996 के बीच एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ने की दर में कमी आई है।
12. 1994 से 1999 के बीच इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4736 स्कूल भवन, 6303 कक्षा-कक्ष, 8128 शौचालय तथा 2659 पीने के पानी के स्त्रोतों की सुविधाएं प्रदान की गई। 3145 भवनों में टूट-फूट का कार्य चल रहा था।
13. स्कूलों एवं समुदायों के बीच अच्छे संबंध विकसित हो रहे है ।
14. अध्यापकों को दिया जाने वाला अनुदान उनके सशक्तिकरण में सहायक हो रहा था, जिससे स्कूलों के विद्यमान स्तरों में सुधार हो रहा है।.

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की आलोचना

यद्यपि इस कार्यक्रम ने प्रारंभिक शिक्षा के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परन्तु यह आलोचनाओं से पीछे नहीं है जैसे

- समानांतर संरचना
- विदेशी सहायता पर निर्भरता
- स्कूलों पर अधिक निर्भरता
- सिर्फ योजना-कार्यक्रम
- परियोजनाएं शिक्षा क्षेत्र के अनुपयुक्त अपूर्ण केन्द्रित और
- विकेन्द्रीकृत उपागम के प्रति अध्यापकों का विरोध।

भविष्य में जो देश अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना चाहते हैं, वे भारत में इस कार्यक्रम के प्रभावों से सीख ले सकते है तथा अपनी नीतियों में परिवर्तन कर सकते है- जैसे:-

- विद्यार्थी अधिगम पर अधिक बल।
- विकेन्द्रीयकरण एवं स्थानीय सशक्तिकरण।
- सतत अधिगम एवं अनुसंधान पर बल।
- बाह्य एजेण्टों एवं परामर्शदाताओं का प्रयोग ।
- विभिन्न राज्यों एवं जिलों के लिए लचीली योजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन ।
- कार्यक्रम को लागू करने से पहले पर्याप्त तैयारी ।
- क्षमता निर्माण में सतत प्रयास ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. विश्व सम्मेलन 1990 के प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
   What were the main objectives of world conference 1990?
2. विश्व सम्मेलन में किन घटकों पर बल दिया गया?
   In world conference the stress was given on whch aspects?
3. विश्व सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य कौन-कौन से थे?
   What were the priority actions at national level according to world conference?
4. दिल्ली घोषणा पत्र का उल्लेख कीजिए ।
   Explain Delhi Declaration.
5. दिल्ली घोषणा पत्र के अनुसार बेसिक शिक्षा में कार्य के लिए क्या दिशानिर्देश दिए गए थे?
   What were the basic guidelines for action in Basic education according to Delhi declaration?

3.7 लोक जुम्बिश परियोजना

लोक जुम्बिश परियोजना (सभी के लिए शिक्षा) योजना है, जिसे राजस्थान में चलाया गया है और इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के स्तरों में अत्यन्त तीव्र गति से सुधार आया है। इस परियोजना के अंतर्गत 75 खंडों को शामिल किया जा चुका है, जिससे लगभग 12 एजेन्सियों, अध्यापकों, गैर सरकारी संगठनों, चयनित प्रतिनिधियों तथा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विस्तार के लिए कार्यकारी समूहों के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। लोक जुम्बिश के सात प्रमुख निर्देशन सिद्धांत निम्नलिखित है।

1. एक उत्पाद उपागम के स्थान पर प्रक्रिया उपागम
2. साझेदारी
3. विकेन्द्रीकृत कार्यप्रणाली

4. सहयोगी अधिगम
5. प्रमुख शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकरण
6. प्रबंधन में लोचलापन और
7. गुणवत्ता एवं मिशन को समर्पित नेतृत्व का बहुमुखी स्तर।

उद्देश्य

इसके निम्नलिखित उद्देश्य है:

1 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जहां तक संभव हो, स्कूल प्रणाली के माध्यम से तथा जहां आवश्यक हो, अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

2 यह सुनिश्चित करना कि सभी नामाकिंत बच्चे स्कूल / औपचारिक शिक्षा केन्द्र में नियमित रुप से उपस्थित हो तथा प्राथमिक शिक्षा पूरी करे।

3 यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा की गुणवता में सुधार हो तथा सभी बच्चे लगभग न्यूनतम स्तर को प्राप्त करे।

4 उन प्रक्रियाओं को स्थापित करना जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो।

5 सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि रो पिछड़े वर्गो तथा उनके बच्चों की शिक्षा में रुचि का विकास करना।

6 पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना तथा इसे रथानीय पर्यावरण, लोक-संस्कृति, रहन-सहन तथा कार्य अवस्थाओं से संबंध करना ।

यह परियोजना, सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत समिति 'लोक जुंबिश परिषद', द्वारा चलायी जा रही है। विकेन्द्रीकरण प्रंबध संरचना इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण अंग है।

3.8 शिक्षा कर्मी परियोजना

शिक्षा कर्मी परियोजना 1987 से 1998 तक स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सहायता से राजस्थान में चलाई गई।

योजना के उद्देश्य

1. राजस्थान के कुछ जिलों में शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना।
2. बीच में स्कूल छोडने वाले बच्चों की संख्या कम करना।
3. प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना।

इस परियोजना के अंतर्गत बुनियादी स्तर पर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंचायत समिति, शिक्षाकर्मी सहयोगी, गैर सरकारी संगठनों के विशेषत, शिक्षाकर्मी तथा ग्राम समुदाय लगातार एक दूसरे से सम्पर्क करते है।

परियोजना के लाभ

1 शिक्षकों की अनुपस्थिति से जो क्षति हुई थी, वह शून्य के बराबर हो गई।

2 सामाजिक विषमता में कमी आई।

3 पिछड़े वर्गो के बच्चे अधिक संख्या में स्कूल जाने लगे।

4 लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला।

5 इस परियोजना द्वारा शामिल किए गए स्कूलों के दाखिले में लगभग तीन गुणा वृद्धि हुई।

6 शिक्षा के प्रति जागरुकता तथा उत्पाद में बढ़ोतरी हुई।

3.9 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार

यह कार्यक्रम 1994 में 7 राज्यों के 42 जिलों में प्रारंभ किया गया था, अब इसका विस्तार 16 राज्यों के 273 जिलों तक कर दिया गया है । ये 16 राज्य इस प्रकार है ।

1 असम

2 हरियाणा

3 केरल

4 महाराष्ट्र

5 तमिलनाडु

6 मध्य प्रदेश

7 छतीसगढ़

8 गुजरात

9 हिमाचल प्रदेश

10 उडीसा

11 आक प्रदेश

12 पश्चिम बंगाल

13 उतर प्रदेश

14 उतरांचल

15 बिहार

16 झारखंड एवं

17 राजस्थान ।

मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ के 26 जिलों में यह परियोजना 31 दिसम्बर 2002 को पूरी हो गई जबकि डी.पी.ई.पी. चरण-1 और 2 के 178 जिलों में परियोजना 30 जून 2003 को समाप्त हुई। इसके बाद यह परियोजना 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश बिहार, गुजरात, उडीसा, उतर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड तथा उतरांचल के 129 जिलों में जारी है।

3.10 उपलब्धियां

1. डी.पी.ई.पी0 चरण-। जिलों में दाखिला, जो 1997-98 में 7933 लाख था, 2001-02 में बढ़कर 9026 लाख हो गया । चरण-2 में इस कार्यक्रम परिणामस्वरुप विभिन्न जिलों में समग्र दाखिला जो 1997-98 में 18531 लाख था बढ़कर 2002-03 में 600 लाख हो गया।
2. पिछले वर्षो के बीच दाखिले में वृद्धि के बावजूद, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर स्कूलों के संबंध में औसत छात्र-कक्षा अनुपात 2002-03 में 42 था जबकि 1996-97 में यह लगभग 50 था।

3. इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 160000 से अधिक नए स्कूल खोले जा चुके है जिनमें लगभग 64000 वैकल्पिक स्कूल केन्द्र शामिल है।
4. इसके अंतर्गत 10000 से अधिक ई.सी.ई. केन्द्र स्थापित किए जा चुके है और 50000 आंगनबाडी के पूर्व प्राथमिक केन्द्रों को सशक्त बनाया जा चुका है।
5. इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 मिलियन रमे भी अधिक सामुदायिक सदस्यों और लगभग 1 मिलियन अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
6. इस कार्यक्रम के अंतर्गत 52758 स्कूली इमारतें, 58604 अतिरिक्त कक्षाकक्ष, 16619 संसाधन केन्द 29307 मुरम्मत कार्य, 64952 शौचालय और 249०9 पेयजल सुविधाएं प्रदान की जा चुकी है। 3285 अतिरिक्त स्कूली इमारतें 5248 अतिरिक्त कक्षाकक्ष, 1027 संसाधन केन्द्रों, 2599 शौचालयों, 2119 पेयजल सुविधाओं का निर्माण कार्य व 766 मुरम्मत कार्य 9 राज्यों के 123 जिलों में प्रगति पर है।
7. पुनर्गठित तालमेलपूर्ण पद्धति का प्रयोग करते हुए दाखिले और एक ही कक्षा में पुन: पढ़ने वाले के संबंध में 2000-01 और 2001-02 ई०एम0आई०एस0 आकड़ों से बीच में पढ़ाई छोडने वालों की दर का अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन किया गया। ग्रेड-1 और प्राथमिक स्कूल के अंतिम ग्रेड के बीच पढ़ाई छोडने वालों का प्रतिशत 102 जिलों में से 20 जिलों में 10 प्रतिशत से कम पाया गया और एक तिहाई जिलों में 20 प्रतिशत से कम पाया गया। 62 प्रतिशत जिलों में लिंग अंतर 5 प्रतिशत से कम था।
8. लड़कियों के नामांकन में पर्याप्त सुधार हुआ है। डी.पी.ई.पी.-1 जिलों में कुल नामांकन दृष्टि से लड़कियों का दाखिला 48 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गया तथा डी.पी.ई.पी.-2 के चरण वाले जिलों में यह 46 प्रतिशत से या प्रतिशत हो गया।
9. लगभग 177000 नए अध्यापक नियुक्त किए गए है, जिनमें पराअध्यापक / शिक्षाकर्मी सम्मिलित है।
10. शिक्षा संबंधी सहायता और शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खंड स्तर पर 3380 संसाधन केन्द्र और समूह स्तर पर 29727 केन्द्रों की स्थापना की 'गई है।
11. सभी परियोजनाओं के लिए गांवों /रिहायशी इलाकों स्कूलों में ग्राम शिक्षा समितियों स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।

3.11 केस अध्ययन

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सहायक सचिव, सुमित बोस के द्वारा अप्रैल-जुलाई 2000 में यह अध्ययन किया गया जिसकी उपलब्धियां इस प्रकार थी:-
   - 41000 वैकल्पिक स्कूल खोले जा चुके है जिनमें 16 मिलियन बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।
   - अधिकतर जिलों में कबीलों के बच्चों के नामांकन में अत्याधिक वृद्धि हुई। यद्यपि कुछ जिलों में इन बच्चों की स्कूल छोडने की दर बहुत उंची थी।

- लड़कियों के नामांकन में अत्याधिक वृद्धि हुई है।
- एक ऐसा क्षेत्र जिसकी और अत्याधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी वह थी लड़कियों की स्थिरता को बनाए रखना । इसके लिए महिला अध्यापकों की नियुक्ति आवश्यक है।
- प्रबंधन सूचना प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में व्यय की गति को तीव्र करने की आवश्यकता होगी।

2. जयपुर आधारित गैर सरकारी संस्थान एवं राजस्थान की शिक्षा प्रणाली की क्षमता एवं कुशलता पर यू०एन० मिलेनियम अभियान के अंतर्गत एक अध्ययन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य लड़कियों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं पर केन्द्रित एक समावेशित माडल की मांग थी। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियों व प्रभावी उपायों का अध्ययन किया गया।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अध्ययन किए गए जैसे-

– प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बच्चों का नामांकन
– स्थिरता तथा उपलब्धि का अध्ययन।
– डी.पी.ई.पी. फेज- 1 के संदर्भ में उपलब्ध का सर्वेक्षण।
– लड़कियों के नामांकन, स्थिरता एवं उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन।
– डी.पी.ई.पी. फेज- 1 के अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का अध्ययन।

सितंबर 2000 और मार्च 2008 के बीच राजस्थान के नौ जिलों में डी.पी.ई.पी. के द्वितीय चरण के अंतर्गत प्राप्त की गई सफलता का मूल्यांकन विश्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार के द्वारा मिश्रित रुप से किया गया तथा विश्व बैंक ने आठ बिन्दुओं की मापनी पर राजस्थान को डी.पी.ई.पी. के क्रियान्यवन की सफलता पर दूसरा रैंक प्रदान किया। राज्य के द्वारा 40031 करोड़ रु इस योजना पर खर्च किए गए जो अनुमोदित राशि का 9734 प्रतिशत है। डी.पी.ई.पी. के उद्देश्य थे- स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा, बीच में स्कूल छोड़ने वालों की दर में कमी. तथा अधिगम स्तर को बढ़ावा और इसी के परिणामस्वरुप राजस्थान में अब तक 248 लाख बच्चों का नामांकन किया जा चुका है, पिछले 7172 वर्षो में स्कूल छोड़ने वालों की दर को 60 प्रतिशत से 27.4 प्रतिशत कर दिया गया है। इस परियोजना को बूंदी, चुर।, अलवार, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर व हनुमानगढ़ जिलों में चलाया गया। लिंग असमानता को 12.45 प्रतिशत से 542 प्रतिशत कर दिया गया और इसके साथ-साथ 174 लाख विशिष्ट बच्चों का नामांकन किया गया। 2005-06 में 38000 तथा 2007-08 में 19000 नए अध्यापकों की नियुक्ति

3.12 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में योगदान

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में विश्व का प्रत्येक देश कार्यरत है। भारत में इसके लिए प्रयास आजादी के बाद से प्रारंभ हो चुके है, परंतु अभी तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए है। विश्व की विभिन्न एजेन्सियां जैसे- विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक,

वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग आदि विभिन्न देशों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। DFIDका लक्ष्य है कि सबके लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाए तथा गरीब लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंधन किया जाए। आर्थिक सहायता एवं विकास के लिए संगठन की विकास सहायक समिति के द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों तथा सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बल देगी। इसका प्रमुख लक्ष्य 2015 तक सभी देशो में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति है। यह स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए प्रौढ़ साक्षरता, जीवन पर्यन्त शिक्षा एवं विकास के लिए क्रियात्मक कौशलों की 1990 में हुई सम्मेलन सभी के उद्देश्यों के अनुरुप है। इसके अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी शिक्षा पर भी बल दिया जा रहा है। यह भारत को समय-समय पर वितीय सहायता प्रदान कर रही है।

भारत में आजादी के पश्चात् से लगभग 60 वर्षो से भी अधिक पूजीपतियों का राज चल रहा है, परंतु प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त हीन है। आज भी यद्यपि भारत प्रगतिशील अर्थव्यवस्था तथा आणविक शक्ति का देश बन गया है। परंतु यह विश्व के आधे से अधिक अनपढों वाला देश है। इतने वर्षो में भी इसकी तस्वीर में कोई सुधार नहीं आया। सभी बच्चों के लिए निशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। भारत को विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए विभाग, यूरोपियन आयोग तथा अन्य विलियन डीलर वित्त सहायता दे चुके है। भारत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच एक सहयोग था, जिसमें भारत सरकार ने यह सहमति दी थी कि वह इन कार्यक्रमों व इसके निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इस प्रकार भारत को इन एजेन्सियों से न केवल वित्तीय सहायता ही प्राप्त हो रही है। अपितु इसे उनके साथ किए गए वायदों के अनुसार भी चलना है।

जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता

राज्यों की संख्या	जिलों की संख्या	अंतिम तिथि	डॉलर मिलियन
DFEP I 7	42	जून 30,2003	260.3
DFEP II 7+5	92	जून 30,2003	425.2
DFEP III			
(बिहार ओर झारखंड)2	17	सितंबर 30.2004	152.0
आंध्र प्रदेश 1	14	मार्च 31.2004	137.4
राजस्थान डी.पी.ई.पी -1	1	10	सितंबर 31.2004 85.7
यू.पी. डी.पी.ई.पी -111	1	42	सितंबर 30.2005 182.4
राजस्थान डी.पी.ई.पी -11	1	9	सितंबर 31.2006 74.4
कुल 18	225		1317.4

इन 18 राज्यों के अतिरिक्त DFID के द्वारा पश्चिम बंगाल के जिलों को भी वितीय सहायता प्रदान की गई है। DFID I और 2 के पश्चात् इसमें बिहार, झारखंड, आंध्रप्रदेश,राजस्थान, उतरप्रदेश, उतरांचल, राज्यों व इनके जिलों को भी शामिल किया गया है जिन्हें विश्व बैंक से

वितीय सहायता प्रदान की गई है। गुजरात के नीदरलैंड तथा पश्चिम बंगाल और उडीसा को DIFD से वितीय सहायता प्राप्त है ।

1990 में विश्व सम्मेलन के आयोजन व प्रतिभूत करने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की चार एजेन्सियों - यूनेस्को, यूनिसेफ, यू.ए.न.डी.पी. तथा विश्व बैंक ने अपना योगदान दिया था। इनके सभागारों ने सबके लिए शिक्षा के प्राथमिक क्षेत्रों को समर्थन देने में अपनी सहमति प्रकट की थी कि सभी एजेन्सियों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु फिर भी संयुक्त रुप से एक बड़े स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। पिछले एक दशक से इन लक्ष्यों पर कार्य करने के पश्चात् भी वास्तविकता यह है कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है तथा देश, क्षेत्रीय एवं वैष्विक स्तर पर अधिक समन्यव एवं सहयोग की आवश्यकता है।

भारत में प्रारंभिक शिक्षा में विश्व बैंक को योगदान 1993 में उतर प्रदेश में 17 जिलों से प्रारंभ हुआ था। तब से लेकर यह 15 राज्यों में 216 जिलों में चल रही परियोजनाओं के लिए 1 .4 विलियन डीलर प्रदान कर चुका है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को यूनीसेफ (10 मिलियन डॉलर) यूरोपियन संगठन (लगभग 175 मिलियन डीलर) डी.एफ.आई.डी. (लगभग 194 मिलियन डालर) तथा नीदरलैंड सरकार (258 मिलियन डीलर) का योगदान दे चुकी है। इसके फलस्वरुप इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 मिलियन बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा स्कूल पहुंच चुके है, प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर में कमी तथा अधिगम उपलब्धि में लिंग असमानता को कम किया जा चुका है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों वाले जिलों को निम्नलिखित व्यूह रचनाओं के लिए वितीय समन्वय प्रदान की जाती है।

– लड़कियों की शिक्षा में सुधार
– पूर्व बाल्यकाल शिक्षा केन्द्रो की स्थापना
– महिला अध्यापकों के अनुपात को बढ़ावा
– महिला सशक्तिकरण समूहों के लिए समर्थन
– स्कूलों की संरचना में सुधार
– स्कूलों में जल प्रबंध तथा शौचालयों की सुविधा
– ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना
– पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम का पुर्नावलोकन
– अध्यापकों के लिए सतत्, सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

1997 के प्रारंभ में विश्व बैंक ने ऐसे 31 'शो की पहचान की, जिनमें शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा था और मुख्यतया इन सभी देशों में सार्वभौमिक बेसिक शिक्षा के सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। भारत भी इन देशों में से एक है। विश्व बैंक ने अब इन देशों में लड़कियों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों एवं विशिष्ट तकनीकी सहायता देने का लक्ष्य रखा है। यह इन देशों में सभी शिक्षा परियोजनाओं में लड़कियों की शिक्षा से सम्बन्धित कार्यो में क्रियात्मक रुप से कार्य कर रही है। साथ-साथ यह इन देशों में लड़कियों की शिक्षा की प्रगति का निर्देशन भी करता है।

इस प्रकार विश्व की विभिन्न एजेन्सियाँ निरंतर प्रयास कर रही है, कि विश्व सम्मेलन में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को 2015 तक प्राप्त किया जा सके । अगले दशक में विश्व

बैंक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के शिक्षा तथा गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करेगा।

3.13 राजस्थान में वर्तमान स्थिति एव चुनौतियां

शिक्षा के द्वारा ही स्त्रियों व पुरुषों का सशक्तिकरण किया जा सकता है एवं इसी की सहायता से लिंग असमानता व गरीबी को दूर किया जा सकता है । शिक्षा चयनित नहीं हो सकती और न ही यह कुछ सामाजिक रुप से उच्च वर्गो तथा अमीरों की हो सकती है । राजस्थान में सामुदायिक - आधिपत्य के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रयास किए जा रहे है । 199० में कुछ सरकारी कार्यक्रम चलाए गए जैसे- लोक जुबिष, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और सर्वशिक्षा अभियान आदि । इन कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य है कि स्कूलिंग को लागत प्रभावी एवं समय-बद्ध बनाया जाए । स्कूलों तक बच्चों को पहुंचाने तथा स्कूलों की गुणवता में सुधार के लिए स्थानी स्त्रोतों तथा नियोजन एवं प्रबंधन में समुदाय के योगदान पर बल दिया गया ।

परंतु यह भी याद रखना चाहिए कि आज भी राजस्थान में साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत से कम है। इसके अतिरिक्त स्त्री साक्षरता दर 44 .34 प्रतिशत है। राजस्थान में मिड-डे-भोजन से स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बेटियों तथा लड़कियों जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो, के लिए आप की बेटी योजना आरंभ की गई हे। शारीरिक रुप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष सत्र पाठ्यक्रम चलाए गए है तथा उनके लिए शिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की गई है।

यद्यपि स्कूलों तक बच्चों की पहुंच में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है, परंतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन से यह बात उजागर होती है कि अभी हम लक्ष्य की प्राप्ति से काफी पीछे है। एक राज्य की विकासात्मक उपलब्धि की प्रमुख पहचान शिक्षा एवं साक्षरता दर होती है। 62 वर्षो की आजादी के पश्चात् भी राजस्थान अब तक समाज के सभी वर्गो को शिक्षा प्रदान करने में अन्य राज्यों से पिछडा हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के लिए खुशी की बातें तब हुई जब यह पाया गया कि 1991 -2001 के दशक में भारत में राजस्थान में ही सबसे उच्च साक्षरता दर है। समग्र रुप से राज्य में साक्षरता दर में 23 प्रतिशत की बढोतरी हुई अर्थात् यह 38.6 प्रतिशत से बढ़कर 61.03 प्रतिशत हो गई। पुरुषों की साक्षरता दर 5499 प्रतिशत से बढकर 7646 प्रतिशत हो गई और स्त्रियों की साक्षरता दर 2044 से बढ़कर 44.34 प्रतिशत हो गई।

राजस्थान सरकार ने यह स्वीकार किया है कि वास्तव में अभी भी राज्य में साक्षरता की स्थिति अधिक अच्छी नही है क्योंकि अभी भी बहुत से जिले ऐसे है जो साक्षर दर में अत्यन्त पिछड़े हुए है विशेष रूप से स्त्रियों की व्यवस्था में यदि राजस्थान में नामांकन की स्थिति में देखा जाए तो अब जिलों जैसे - अजमेर, बंसवारा भीलवाड़ा, बीकानेर, चितौड़गढ़, धौलपुर, जैसलमेर और जोधपुर में 15 प्रतिशत से भी अधिक बच्चें स्कूल से बाहर है। बीकानेर में सबसे अधिक 18 प्रतिशत तथा झुनझुनु में सबसे कम 1.6 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर है। अब यह प्रश्न उठता है कि कुछ जिलों में अन्य की अपेक्षा स्थिति बेहतर क्यों है।

राजस्थान में नामांकन में वृद्धि की चुनौती के साथ-साथ शिक्षा में गुणवता की चुनौती भी सामने खड़ी है। प्रांरभिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए चुनौती में शामिल है :-

- तैयारी में सुधार।
- अभिप्रेरणा।
- अध्यापकों की नियुक्ति
- पाठ्य-पुस्तकों की गुणवता और
- संरचनात्मक सुविधाए।

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि शिक्षा को समाज की आवश्यकता के अनुरूप बनाना चाहिए। राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर शिक्षा संस्थानों की संस्थागत क्षमता एवं प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाए। अभिभावक शिक्षा तथा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अतिरिक्त बच्चों को नामांकन एवं शिक्षा के गुणवता कुछ अन्य तत्वों संबंधित है जैसे- स्त्री शिक्षकों की उपस्थिति, पीने के पानी की सुविधा तथा लड़के व लड़कियों के लिए अलग शोध सुविधाओ का होना शिक्षा की वार्षिक स्तर रिपोर्ट 2006 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति की असंतोषजनक स्थिति को दर्शाया गया है। प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति 775 प्रतिशत थी और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 762 प्रतिशत पाई गई।

राजस्थान में यद्यपि नियमित स्कूली व्यवस्था सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सफल नही है। विशेष रूप से अनुसूचित कबीलो, अनूसूचित जातियो, तथा पिछड़े हुए इलाकों में स्त्रियों व समुदायों के लिए। इसलिए इस अन्तर को दूर करने के लिए आवश्यक है वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली का प्रबन्ध किया जाए।

3.14 सारांश

शिक्षा का जीवन में अन्तत महत्व है। इससे सुखद तथा सन्तुलित जीवन व्यतीत करने की दिशा मिलती है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। जीने की कला का प्रशिक्षण मिलता है। निरक्षरता किसी भी देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। इस कारण सभी देश प्रयत्नशील है कि उनके देश में साक्षरता का अधिक से अधिक विकास हो। भारत में 1951 में कुल जनसंख्या का मात्र 833 प्रतिशत भाग भी साक्षर था जो क्रमश: बढ़कर 2001 में 6538 प्रतिशत तक पहुंच गया। परन्तु जैसा कि पहले कहा गया है अभी भारत संसार के क्षेत्र में बहुत पीछे है ओर इसको बढ़ाने के लिए यह हर संभव प्रयास कर रहा है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा पत्र में सभी के लिए शिक्षा का आधार की अवधारण पर बल दिया गया। वर्ष 1990 को 'सबके लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। क्योंकि इसी विषय पर जोमटियन-थाइलैड में शिक्षा पर विश्व सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा को दृढ़ निश्चय से एक नई दिशा दी जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए समय-समय पर विभिन्न परियोजनाएं प्रारंभ की गई जैसे आपरेशन ब्लेककोर्ड, शिक्षाकर्मी, परियोजना, लोक जुंबिश परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आदि। इन परियोजनाओं के फल स्वरूप नये स्कूल खोले गए, वैकल्पिक स्कूल केन्द्रों की स्थापना की गई, आंतिरक स्कूल भवनो, कक्षा कमरों, शौचालयों का निर्माण किया गया।

21 वी शताब्दी में विकास हेतु तथा बेहतर विश्व की कल्पना को साकार रूप देने के लिए विश्व के सभी देशो ने एक घोषणा पत्र जारी किए जिसमें शिक्षा तथा अन्य विषयों संबंधी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। शिक्षा के लक्ष्य के बारे में कहा गया है कि सभी के लिए शिक्षा 2015 तक उपलब्ध कराई जाएगी । समय-समय पर होने वाले विश्व सम्मेलनों में इस घोषणा का अनुमोदन किया गया।

3.15 संदर्भ सूची

1 World Bank Group (1997) Primary Education in India Washington, D.C. World Bank.

2 Shukla, S.(1999) Systems in transition: A case study of DPEP in India Part of the Striving for Effective Teaching and Learning Series. Washington, D.C. World Bank.

3 World Bank (1997) Primary Education in India Allied Publishers New Delhi.

4 Department of Women and Child Department, Ministry of HRD

5 Govt. of India (1997): Selected Education Statistics, Deptt, Of Education, MHRD, Govt. of India.

इकाई 4

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण : सबके लिए शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) 2002-2010

(Universalization of Elementary Education: Education for All (Sarva Shiksha Abhiyan)2002-2010)

इकाई की संरचना (Structure of Unit)

4.0 उद्देश्य
4.1 प्राथमिक शिक्षा की स्थिति
4.2 सर्व शिक्षा अभियान
4.3 सर्व शिक्षा अभियान का दर्शन व कारण
4.4 सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य
4.5 सर्व शिक्षा अभियान: एक रुपरेखा एंव एक कार्यक्रम के रुप में
4.6 सर्व शिक्षा अभियान का क्षेत्र
4.7 सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव
4.8 सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा
4.9 मध्याहन भोजन योजना- प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम
4.10 राजस्थान में वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियाँ
4.11 सारांश
4.12 संदर्भ ग्रंथ

4.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- सर्व शिक्षा अभियान के कारणों का समीक्षा कर सकेंगे।
- सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय लक्ष्यों को जान जाएंगे।
- सर्व शिक्षा अभियान के अर्थ को समझ सकेंगे।
- सर्व शिक्षा अभियान के विस्तृत क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- विभिन्न राज्यों में इसके प्रभाव को समझ सकेंगे।
- सर्व शिक्षा अभियान की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में योगदान का विश्लेषण कर सकेंगे।
- मध्याहन भोजन कार्यक्रम की आवश्यकता को समझ सकेंगे।

- प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों की भूमिका को समझ सकेंगे।
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सरकारों के कार्यो की समीक्षा कर सकेंगे।
- राजस्थान में सर्वशिक्षा अभियान के पश्चात् प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति की आलोचनात्मक व्याख्या कर सकेंगे।
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अपनी भूमिका का अनुभव कर सकेंगे।
- सरकारों को इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु उपयोगी सुझाव देने में सक्षम हो सकेंगे।

यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षा मानव जीवन का सबसे आवश्यक संस्कार, सामाजिक परिवर्तन का आधार और आर्थिक उन्नति का सशक्त साधन है। शिक्षा ही वह संस्कार है जो व्यक्तियों को भिन्नता के आधार पर योग्य बनाता है। महात्मा गांधी के अनुसार, ' 'शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों या प्रौढ़ के शरीर, मन और आत्मा में विद्‌यमान सर्वोतम गुणों का सर्वागीण विकास करना है। ' इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से अंग्रकित शब्दों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति-निर्देशक सिद्घांत घोषित किया गया। राज्य इस संविधान को कार्यान्वित किए जाने के समय से दस वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

4.1 प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

अब तक पिछले 6 दशकों में सरकार द्‌वारा प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में जो भी नीतियाँ अपनाई गई उनके क्रियान्वयन में अरबों, खरबों रुपए खर्च भी किए, कुछ नवीन प्रयोग जैसे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा आश्वासन योजना और वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा आदि और नए-नए कार्यक्रम चलाकर लक्ष्य पूर्ति किए गए। जिन गांवों में एक विद्‌यालय नहीं था और गिने चुने व्यक्ति ही शिक्षित थे, वहां पर विद्‌यालय खोले गए और लोगों में शिक्षा के प्रति जागृति आई। लेकिन जितनी तेजी से विकास होना चाहिए था या जितनी गति से साक्षरता दर बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ी। इसके कई कारण थे, जिनमें बेरोजगारी और निर्धनता प्रमुख थे। राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार के द्‌वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरुप लोगों की समझ में यह आने लगा कि बिना पढ़े-पढ़ाए न उनका कल्याण संभव है और न ही परिवार तथा समाज की उन्नति संभव है।

शिक्षा के संदर्भ में 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इससे देश के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मूलभूत अधिकार प्राप्त हो गया। इससे शिक्षा के प्रति जहां लोगों में नई चेतना जगी, वहीं पर राज्यों के लिए हर बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य हो गया। इस दिशा में केरल, तमिलनाडू और दिल्ली ने काफी प्रगति की है। आज प्राथमिक शिक्षा के लिए देश में नई जागृति दिखाई दे रही है। इसी के तहत 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। इस मिशन में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। असमानताएँ कई स्तरों पर दूर हुई। शिक्षा का हर स्तर पर विस्तार हुआ।

1990 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। इसका परिणाम था कि 1999 में जो साक्षरता दर 5229 प्रतिशत थी वह बढ़कर 2001 में पहली बार 64.84 प्रतिशत तक पहुंच गई।

भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ किया। इस नीति को लागू करने के छः वर्ष बाद 1992 में इसकी समीक्षा की गई। इसमें यह सुझाव आया कि जब तक बुनियादी क्षेत्र में ठोस कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी तब तक देश के प्रत्येक बच्चे को साक्षर या अक्षर ज्ञान नहीं कराया जा सकता। 1990 में विश्व घोषणा लागू की गई। इसमें लैंगिक असमानता, प्रौढ़ शिक्षा के साथ-साथ बालकों की देख-रेख पर विशेष ध्यान दिया गया। यह उन अपेक्षित बच्चों के लिए वरदान सिद्ध हुआ जो धनाभाव, उपेक्षा और अन्य कारणों से हर स्तर पर पिछड जाते थे| गांव के बच्चों के लिए यह आनंदोत्सव मनाने जैसा था। यह विशेष रुप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित बच्चों के लिए अत्यन्त कारगर सिद्ध हुआ।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित पत्र एजूकेशन फार आल-द इण्डियन सीन' (दिसम्बर 1991) के अनुसार जहां भारत वर्ष की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली ने विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है, वहां विद्यालय से बाहर पाए जाने वाले बच्चों (पूरे विश्व का 22 प्रतिशत) तथा प्रौढ़ निरक्षरों (पूरे विश्व का 30 प्रतिशत) की एक बड़ी संख्या है। इसे मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो योजनाए चलाई उसमें बच्चों और प्रौढ़ निरक्षरों की बढ़ती संख्या में निष्चित रुप से लगाम लगी है। इसके बावजूद इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद वर्ष 2000 में लगभग 24 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। लगभग 50 प्रतिशत बच्चे आठवीं कक्षा तक स्कूल छोड़ जाते थे।

4.2 सर्व शिक्षा अभियान

देश में 6 से 14 वर्ष की आयु में बालक को हर दशा में कक्षा 1 से 8 तक की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 के बजट में सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की घोषणा की गई। माह नवम्बर 2000 से इसे लागू भी कर दिया गया। इस अभियान को बल प्रदान करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को बच्चों के मौलिक अधिकार में सम्मिलित किए जाने हेतु बहुप्रतीक्षित 93वें संविधान संशोधन को भी वर्ष 2002-03 में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गयी थी।

इस दस वर्षीय महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 89000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि की व्यवस्था की गई है और यथा आवश्यक राज्य सरकारों को समुचित धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है। केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर बड़े जोर -शोर से इस अभियान को लागू भी किया गया। इस महत्वपूर्ण अभियान के अंतर्गत सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के साथ-2 उसके उपयोगी, उपयुक्त और गुणवत्तायुक्त होने पर भी जोर दिए जाने का लक्ष्य है। इस प्रकार अगले दस वर्षो के अंदर निर्धारित आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की

समुचित व्यवस्था किए जाने हेतु इस अभियान के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों की समुचित भागीदारी से देश के 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क, संतोषजनक, गुणवत्तापरक, समयबद्ध तथा संबंधित प्रयास करने पर विशेष बल देने हेतु देश भर में सर्वशिक्षा अभियान को संचालित किया गया है।

4.3 सर्व शिक्षा अभियान के दर्शन व कारण

इस महत्वाकांक्षी अभियान को प्रारंभ करने के पीछे जो दर्शन रहा है, उसका हम सरलता से अनुमान लगा सकते है। इसे हमारा दुर्भाग्य ही माना जाना चाहिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त होते हुए भी हमारे देश में अशिक्षा निरक्षरता की विभीष का हमारे माथे पर एक कलंक की भांति अंकित है। यद्यपि पिछले 61 वर्षो में इसे मिटाने के लिए अनेक प्रयास गए, अनेक शिक्षा आयामों और समितियों का गठन किया गया अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए गए, नए-नए प्रयोग किए गए, लेकिन स्थिति में आशातीत परिवर्ततन नहीं हो सका। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2002 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार छ से 14 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने योग्य 19 करोड़ बच्चों में से हमारे 35 करोड़ बच्चे स्कूली से बाहर है। 8 जुलाई 2003 को जारी यू.एन.डी.पी. की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहां ऐसे बच्चों की संख्या 4 करोड़ है। इस संबंध में हमारी एक अजीब विडंबना रही है कि देश में साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि होने के बावजूद वर्ष 1991 तक निरक्षरों की संख्या में निरंतर वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पहली बार निरक्षरों की संख्या में कमी आई है।

भारत में प्रारंभिक शिक्षा (लाख में)

वर्ष	कक्षा 1 से V (6-16 वर्ष)	कक्षा VI से viii (11-14 वर्ष)
1950-51	192	31
1960-61	350	67
1968-69	544	125
1979-80	716	193
1989-90	973	322
1999-2000	1136	421
2000-01	926	342
2001-02	1098	426

आकड़ों के अनुसार अभी भी देश में निरक्षरों की संख्या 34 करोड है। साक्षरता में धीमी प्रगति और निरक्षरों की संख्या में कमी न आने के पीछे जो प्रमुख कारण रहा, वह स्पष्ट तो यह है कि जिस गति से ओर जिस प्रतिबद्धता से हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए था, वह नहीं किया जा सका और हमारी साक्षरता योजनाओं की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता उपयुक्त स्तर की नहीं बन पाई। वर्ष 1994 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला शिक्षा कार्यक्रम बहुत किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में फिर से जान फूंकना और प्राथमिक शिक्षा के सर्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूरा करना था। अपने सर्वोच्च स्तर पर यह कार्यक्रम किसी समय 18

राज्यों के 273 जिलों में चल रहा था। धीरे-धीरे इसमें कमी आने के साथ ही अब यह मात्र 123 जिलों में लाग है। इससे यही प्रदर्शित होता है कि प्रारंभ से ही प्रारंभिक शिक्षा को जितनी प्राथमिकता दी जानी अपेक्षित थी, वह संभव नहीं हो पाई अथवा उसके प्रति प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव रहा और इसी प्रकार की संभावनाएं अब सर्वशिक्षा अभियान के संबंध में देश के विभिन्न राज्यों में और विशेष रुप से उत्तरी भारत के राज्यों में दिखाई देने लगी है।

संविधान में 86वां संशोधन पारित होने से पूर्व सरकार ने उसकी तैयारी के रुप में 2001 -02 में शिक्षा का एक विशाल कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान शुरु किया। इस अभियान को शुरु करते समय प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षा कर्मी और लोकजुम्बिश के अनुभवों को ध्यान में रखा गया।

सर्वशिक्षा अभियान क्या है?

- सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम।
- सम्पूर्ण देश में गुणात्मक बेसिक शिक्षा के लिए मांग का प्रत्युतर।
- बेसिक शिक्षा के द्‌वारा सामाजिक न्याय की बढ़ोतरी के लिए एक अवसर।
- एक प्रयास जिसके अंतर्गत प्रांरभिक स्कूलों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल प्रबंधन समितियों, ग्रामीण तथा शहरी पिछडे स्तरों की शिक्षा समितियों, अभिभावक अध्यापक संगठनों, माता अध्यापक संगठनों तथा अन्य निचले स्तरों की संरचनाओं को ' शामिल किया गया।
- सम्पूर्ण देश में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनैतिक इच्छा की अभिव्यक्ति।
- केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के बीच एक सहभागिता।
- प्रारंभिक शिक्षा के प्रति प्रत्येक राज्य के लिए अपना दृष्टिकोण विकसित करने का एक अवसर।

4.4 सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य

देश के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था किए जाने हेतु सरकार द्‌वारा पूर्व में अनौपचारिक शिक्षा योजना (1979) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (1987) बेसिक शिक्षा परियोजना (1993) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994) मध्यान्ह भोजन योजना (1999) जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए गए है और इनका कई क्षेत्रों में कुछ अनुकूल प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुआ है, किंतु सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए है।

1 देश के 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वर्ष 2010 तक समुचित व्यवस्था करना।

2 वर्ष 2010 तक इन सभी बच्चों को उपयोगी एवं समुचित गुणवत्ता और संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करना।

3 सभी 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रत्येक दशा में कक्षा 1 से 5 तक की पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा वर्ष 2007 तक प्रदान करना । (जो पूरा नहीं हुआ)

4 वर्ष 2010 तक प्रत्येक दशा में बालक और बालिकाओं में शैक्षिक असमानता और सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।

5 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की 8 वर्ष तक की उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करना।

6 प्रारंभिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने तक प्रत्येक दशा में ऐसे सभी बच्चों को विद्यालय में अध्ययनरत रखना।

7 शेष रहे सभी बच्चों को वर्ष 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना। (जो पूरा नहीं हुआ)

8 वर्ष 2003 तक ऐसे सभी बच्चों को जो स्कूल बीच में ही छोड़ चुके है, को वैकल्पिक स्कूल बैंक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

9 प्राथमिक शिक्षा के वर्तमान ढांचे का समुचित प्रकार से उपयोग करते हुए सभी अभियान के माध्यम से शिक्षा संबंधी सभी प्रयासों की एक सूत्र से बांधते हुए इसे अधिक क्रियाशील बनाना।

10 स्कूलों के प्रबंधन में समुदायों के क्रियात्मक योगदान से सामाजिक, क्षेत्रीय व लिंग असमानताओं को कम करना।

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों को यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित किया गया है। पंरतु यह आशा की जाती है कि विभिन्न राज्य व विभिन्न जिले अपने-अपने संदर्भ में तथा अपनी समयबद्धता में सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, परंतु इन उपलब्धियो के लिए अंतिम समय सीमा 2010 निर्धारित की गई है। सबसे प्रमुख बल इस बात पर दिया गया है कि 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को, मुख्यतया जो स्कूल से बाहर है, जहां तक संभव हो, 8 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा प्रदान की जाए। प्रमुख लक्ष्य है लिंग व सामाजिक असमानता को कम करना और सभी बच्चों की स्कूल में स्थिरता बनाए रखना। इस रुपरेखा के अंतर्गत यह आशा की जाती है कि शिक्षा प्रणाली को इतना उपयुक्त बनाया जाएगा कि बच्चे तथा अभिभावक स्कूली प्रणाली को उपयुक्त व उपयोगी माने।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 सर्वशिक्षा अभियान क्या है?
What is Sarva Shiksha Abhiyan?

2 सर्वशिक्षा चलाने के लिए प्रमुख कारक कौन-कौन से थे 7
What are the different factors which are respondible for the implementation of Sarva Shiksha Abhiyan?

3 सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य क्या है?
What are the important goals of Sarva Shiksha Abhiyan?

सर्वशिक्षा अभियान एक रूपरेखा एवं एक कार्यक्रम के रूप में

सर्वशिक्षा अभियान के दो पक्ष है:-

1 यह प्रारंभिक शिक्षा योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है।

2 यह प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुदृढ़ता के साथ बजट प्रावधान के रूप में एक कार्यक्रम भी है।

यद्यपि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र मे राज्य व केन्द्र योजनाओं के अन्तर्गत किया जाने वाला निवेश सर्वशिक्षा अभियान की रूपरेखा के भाग के रूप में प्रतिबिम्बित होगा, परन्तु वह आने वाले कुछ वर्षो में, सर्वशिक्षा अभियान में ही शामिल हो जाएगा । कार्यक्रम के रुप में, यह प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त संसाधन / स्त्रोत प्रावधान को प्रतिबिम्बित करता है।

सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम की प्रमुख व्यूह रचनाएं

सर्वशिक्षा अभियान के भाग के रूप में, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने इसके क्रियान्वयन में सुधारात्मक कुशलता लाने के लिए विभिन्न कार्य किए हैं। सभी राज्यों को निष्पक्ष होकर अपनी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करना होगा जिसमें शिक्षा प्रशासन स्कूलों में उपलब्धि स्तर, वित्तीय सुविधाए, विकेन्द्रीयकरण एवं सामुदायिक सत्ता, राज्य शिक्षा एक्ट का पुर्नवोलोकन, अध्यापकों की नियुक्ति, मूल्यांकन व्यवस्था, लड़कियों की शिक्षा का स्तर, अनुसूचित जाति व जनजाति की शिक्षा का स्तर, निजी स्कूलों से सम्बन्धित नीतियाँ भी शामिल है। अधिकतर राज्यों ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न परिवर्तन किए है जैसे:-

1 वित्त की स्थिरता:- सर्वशिक्षा अभियान इस बात पर निर्भर करता है कि प्रांरभिक शिक्षा के लिए वित्त व्यवस्था में रूकावट न आए, यह निरंतर बनी रहे। ऐसा तभी संभव है जब केन्द्र तथा राज्य सरकारें के बीच वित्त सहभागिता लम्बे समय तक चलती रहे।

2 सामुदायिक स्वामित्व:- यह कार्यक्रम प्रभावी विकेन्द्रीयकरण के द्वारा सामुदायिक स्वामित्व की मांग करता है। ऐसा स्त्री समूहों, ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के सम्मिलित होने से ही संभव हो सकता हैं।

3 संस्थागत क्षमता निर्माण :- सर्वशिक्षा अभियान के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय संस्थाओं जैसे NIEPA/NCERT/NCTE/SCERT/DIET के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता हैं। गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्थागत व्यक्तियों तथा संस्थानों के समर्थन प्रणाली की आवश्यकता है।

4 शैक्षिक प्रशासन में सुधार:- इसके अंतर्गत संस्थागत विकास, नए उपागमों का विकास तथा लागत प्रभावी एवं कुशल विधियों के द्वारा शैक्षिक प्रशासन में सुधार की आवश्कता है।

5 सम्पूर्ण पारदर्शिता सहित समुदाय आधारित प्रबोधन- कार्यक्रम में समुदाय आधारित प्रबोधन प्रणाली है। शैक्षिक प्रबंधक सूचना प्रणाली सूक्ष्म योजना एवं सर्वेक्षणों के द्वारा समुदाय आधारित सूचनाओं को स्कूल स्तरीय आकड़ों से सहसम्बन्धि करेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्कूल को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपनी सभी सूचनाएं समुदाय के साथ बांटे। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक स्कूल में एक नोटिस बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

6 लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता:- सर्वशिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य है कि लड़कियों की शिक्षा विशेष रुप से जो अनुसूचित जातियों व जनजातियों से सम्बन्धित है, पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7 विशिष्ट समूहों पर बल- इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया में अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों, अल्पसंख्यक समूहों, शहरों से वंचित बच्चों, तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने पर बल दिया गया है।

8 गुणवत्ता पर बल- सर्वशिक्षा अभियान इस बात पर भी बल देता है कि प्रारंभिक स्तर की शिक्षा को पाठ्यक्रम सुधार के द्वारा, बाल-केन्द्रित क्रियाओं व प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यूह-रचनाओं के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को उपयोगी व उपयुक्त बनाया जाए।

9 अध्यापकों की भूमिका- सर्वशिक्षा अभियान में अध्यापकों की महत्वपूर्ण व आलोचनात्मक भूमिका को अनुभव किया गया है और इसी कारण उनकी विकासात्मक आवश्यकता पर बल दिया गया है । इसी कारण अध्यापक रुपी मानव संसाधन के विकास के लिए वी.आरसी / सी.आर.सी. प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम संबंधी विषय सामग्री के विकास में योगदान के द्वारा अध्यापकों के विकास के अवसर प्रदान करके, कक्षा प्रक्रिया में सुधार तथा अध्यापकों के लिए भ्रमण के आयोजन आदि क्रियाओं का निर्माण किया गया है।

4.6 सर्वशिक्षा अभियान का क्षेत्र

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए नौंवी पंचवर्षिय योजना (1997-2002) में सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। इसका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है क्योंकि इसके अंतर्गत लगभग हर क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया गया है जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में उतरदायी हो सकता है जैसे:-

1 नए प्राइमरी स्कूल खोलना । ब्रांच प्राइमरी स्कूलों को पूर्ण प्राइमरी स्कूल बनाना।

2 प्राइमरी स्कूल का दर्जा बढ़ाकर मिडिल करना।

3 आवश्यकतानुसार प्राइमरी स्कूल / मिडिल स्कूल के लिए भवन निर्माण।

4 आवश्यकतानुसार स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाकक्ष, शौचालयों तथा पीने के पानी की व्यवस्था करना।

5 जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल नहीं आ पा रहे है उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना जिससे वे अपनी सुविधानुसार शिक्षा प्राप्त कर सके।

6 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त व्यवसायिक शिक्षा का प्रबंध करना।

7 कक्षा एक से आठ में पढ़ने वाली सभी लड़कियों तथा अनुसूचित जाति के लड़कों को पाठ्य पुस्तकें मुफ्त प्रदान करना।

8 सभी राजकीय स्कूलों को प्रति वर्ष मरम्मत व रख रखाव के लिए 5000 रुपए की ग्रांट व स्कूल सुधार के लिए 2000 रु की ग्रांट प्रदान करना।

9 कक्षा एक से आठ में पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों को प्रति वर्ष 500 रुपए की ग्रांट जिससे वे शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री जुटा सके।

10 कक्षा एक से आठ में पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों को प्रति वर्ष 20 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण जिससे वे नवीन अवधारणाओं से अवगत हो सके।

11 विकलांग बच्चों का मैडिकल असैसमेंट और इसके आधार पर उपकरण दिया जाना जिससे वे अपनी शिक्षा जारी रख सके।

12 समेकित शिक्षा के अंतर्गत मॉडल आई.ई.डी. स्कूलों की स्थापना करना जिससे विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करे।

13 नवाचार गतिविधियों के अंतर्गत लड़कियों / अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत उन लड़कियों को साईकिल दी जा रही है, जो अपने गांव में मिडिल स्तर की सरकारी सुविधा न होने के कारण दूसरे गांव में जाकर कक्षा 6 में सरकारी स्कूल में दाखिला लेती हैं । इसके अतिरिक्त कक्षा एक से आठ की लड़कियों व अनुसूचित जाति के बच्चों को गरम जरसियां भी दी जाती है और शिक्षा में कमजोर बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाती है विशेषतया लड़कियों व अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए।

14 कम्पयूटर से शिक्षा देने के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक जिले के 9 स्कूल कम्पयूटर इक्विप किए जाते है।

15 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में बचपन शालाओं की स्थापना की गई है जिससे उनके बडे भाई बहनो को अपनी शिक्षा जारी रखने में कोई रुकावट न आए।

16 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण जिससे वे अपने दायित्वों से परिचित हो सके और शिक्षा के विकास के लिए कार्य कर सके।

17 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं स्थिरता के क्षेत्र में प्रत्येक जिले में अच्छे प्रदर्शन के लिए एक पंचायत को प्रोत्साहन के रुप में 50000 रुपयें का पुरस्कार देने का प्रावधान है।

4.7 सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों को दी जाने वाली सुविधाएँ

1 स्कूल सुधार के लिए प्रत्येक स्कूल को 2000/ - का अनुदान प्रतिवर्ष।

2 प्रत्येक स्कूल को भवन की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए 5000 - का अनुदान प्रतिवर्ष।

3 नए खोले जाने वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण अधिगम उपकरणों के लिए 5000 रुपए का अनुदान (केवल एक बार)

4 नए खोले जाने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण अधिगम उपकरणों के लिए 10000 का अनुदान (केवल एक बार)

5 सभी लड़कियों को और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 150 रुपए तक की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें , दी जाती है।

6 प्रत्येक अध्यापक को सीखने सीखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करने हेतु 500 रुपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है।

7 जिले के कुल बजट का 33 प्रतिशत भाग स्कूलों के निर्माण कार्यो जैसे कमरों का निर्माण, चार दिवारी, पीने के पानी की सुविधा शौचालय आदि पर खर्च किया जाता है।

8 सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष 20 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में सीखने की प्रक्रिया को आसान तथा रोचक कैसे बनाया जाए तथा समुदाय की सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाए आदि विषय होते है।

9 ग्राम शिक्षा समिति के 8 सदस्यों को (प्रति गांव प्रति वर्ष) 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

10 विकलांग बच्चों में प्रतिवर्ष प्रत्येक बच्चे पर 1200 रु तक खर्च किया जा सकते है

11 जिले के प्रत्येक खंड के चयनित उच्च प्राथमिक स्कूलों में कम्पयूटर शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

12 पढ़ाई में कमजोर बालिकाओं को स्कूल के अतिरिक्त अलग से पढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

13 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड गए है या स्कूल में प्रवेश ही नहीं लिया उनके लिए वैकल्पिक स्कूल का प्रावधान किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने में समुदाय के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें शिक्षकों, अभिभावकों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच सहयोग जवाबदेही एवं पारदर्शिता की कल्पना की गई है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 सर्व शिक्षा अभियान के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए ।

Discuss the scope of Sarva Shiksha abhiyan.

2 इस अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों को किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है?

What are the facilities provided to school under SSA?s

3 सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए।

Explain different strategies of SSA?

4 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों के प्रति क्या विशेष प्रावधान रखे गए है?

What are the special provision provided to girls under SSA?

4.8 सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव

सर्वशिक्षा अभियान जैसी 98000 करोड़ रुपए की 10 वर्षीय महत्वाकांक्षी इस योजना को 2001 में लागू किया गया था। यदि इस अभियान के प्रभाव पर दृष्टिपात किया जाए तो स्थिति निराशाजनक प्रतीत होती है। इस अभियान के विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में स्वंय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समय-समय पर जारी समीक्षा रिपोर्टो और उच्च स्तरों से जारी वक्ताओं के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा इस अभियान के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित पहल नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सर्वशिक्षा अभियान के समुचित क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों के सुपुर्द की गई है, लेकिन मुख्य रुप से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उडीसा, पंजाब,

गोवा और झारखंड जैसे राज्यों में राज्य सरकारों का इस अभियान के क्रियान्वयन के प्रति रवैया संतोषजनक नहीं रहा है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट (2004) के अनुसार देशभर के स्कूल न जाने वाले बच्चों में से बिहार में 46 लाख, उतर प्रदेश में 40 लाख, मध्यप्रदेश में 7 लाख और राजस्थान में 8 लाख बच्चे अभी भी स्कूल से दूर है। इसी प्रकार देश भर में स्कूल जाने से वंचित बच्चों में आधे तो उतर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों में है। बिहार के संदर्भ में मानव विकास मंत्रालय की इस रिपोर्ट में यह मन्तव्य रहा है कि इस अभियान के क्रियान्वयन के प्रति राज्य सरकार का रुख अधिक गंभीर नहीं रहा है, बल्कि इससे अधिक वहा की स्थानीय संस्थाएं अधिक गंभीर प्रतीत होती है। मंत्रालय की नजर में शिक्षकों के अनेक पद खाली होने के कारण भी बिहार में इस योजना का भलीभांति क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया है।

उत्तर प्रदेश के संबंध में केन्द्रीय मानव कल्याण मंत्रालय का स्पष्ट मत रहा है कि वहां अधिकारियों की जल्दी-जल्दी तबादला नीति, हजारों रिक्त पड़े शिक्षकों के पद और बढ़ते शिक्षक-छात्र अनुपात ने इस अभियान के क्रियान्वयन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसके चलते राज्य में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:80 तक पहुंच गया है, जबकि आदर्श स्थिति 140 की है।

4.8 सर्वशिक्षा अभियान की समीक्षा

सर्वशिक्षा अभियान जैसी 98000 करोड़ रुपए की दस वर्षीय महत्वाकांक्षी इस योजना को काफी समय व्यतीत हो गया है । शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में इस अभियान का विशेष महत्व है।

दसवीं योजना में प्रगति

दसवीं योजना में अनुपात	पूर्ण तथा प्रगति पर (%)	11वी योजना में अनुमानित
अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1117143	1021716(91) 900000
अध्यापक	1012000	738000(72.98) 486000
नवीन स्कूलों की स्थापना	234716	186985 90000

सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए धन आबंटन के क्षेत्र में नौंवी योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 65:15 की सहभागिता प्रबंधन की व्यवस्था थी, 10 वीं योजना में सहभागिता 7525 की जबकि वर्तमान में चल रही ग्यारहवीं योजना में सहभागिता प्रबंधन केन्द्र एवं राज्य के बीच 50 :50 कर दी गई है।

ज्ञातव्य हो कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सफल अनुभव से प्रभावित होकर यूरोपीय संघ ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम' के लिए नवम्बर 2001 में भारत सरकार के साथ सहयोग करने का एक समझौता किया है। यूरोपीय संघ ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 20 करोड़ यूरो (100 करोड़ रुपए), इसे सात वर्ष में क्रियान्वित करने के लिए देने का वचन दिया है। यूरोपीय संघ के अनुदान देने का मुख्य उद्देश्य सभी को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को मजबूत करना है।

उपलब्धियां :-

1. स्कूल नामांकन अनुपात जो 1950-51 में 311 था, 2004-05 में वह बढ़कर 935 प्रतिशत हो गया है।
2. प्रारंभिक स्तर पर लिंग असमानता जो 2001 -02 में 17.1 प्रतिशत थी, वह कम होकर 2004-05 में 65 प्रतिशत हो गई ।
3. स्कूल में न जाने वाले बच्चों की संख्या जो 2002 में 320 लाख थी, वह 2007 में घट कर 70 लाख रह गई ।
4. प्राथमिक स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर 77 प्रतिशत तक कम हो गई, 2001 -02 में यह 3903 प्रतिशत थी जो 2004-05 में 31.36 प्रतिशत रह गई । के क्षेत्र में यह 11 प्रतिशत तक कम हो गई ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत हमने न केवल प्राथमिक स्तर पर नामांकन में 98 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की है बल्कि 6 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों में 4 प्रतिशत की कमी भी की है। इस योजना के दौरान 1.87 लाख नए स्कूल खोले गए, 8.12 लाख अध्यापकों की नियुक्ति की गई, 170 लाख नए भवनों का निर्माण किया गया एवं 7.13 लाख अतिरिक्त कक्षाकक्ष बनाए गए। 1.72 लाख पीने के पानी की सुविधाएं तथा 2.18 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयासों के परिणामस्वरुप प्राथमिक स्तर पर 98 प्रतिशत घरों को तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 66 प्रतिशत घरों को स्कूल तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की जा चुकी है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालो की दर में कमी आई है और विशेष रुप से लड़कियों में ज्यादा कमी आई है। प्राथमिक स्तर में उच्च प्राथमिक स्तर पर जाने वालों की दर 83.72 प्रतिशत हो गई है।

इस अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता सुधार पर अधिक ध्यान दिया गया है। जैसे - अधिगम वृद्धि कार्यक्रमों के लिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है तथा अध्यापक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया गया है। वास्तव में अब सर्व शिक्षा अभियान के खर्च का 50 प्रतिशत केवल गुणवत्ता सुधार के लिए लगाया जाता है। शैक्षिक रुप से पिछड़े हुए खण्डों में अब तक 2180 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्‌यालयों को अनुमति मिल चुकी है। इस योजना के सफलतम क्रियान्वयन के आधार पर 410 नए के.जी.बी.वी. उन खण्डों व शहरी क्षेत्रों में खोले जाएंगे जिन्हें अभी तक इनमें शामिल नहीं किया गया था।

इस प्रकार सरकार के द्‌वारा चलाए गए अभियानों के परिणामस्वरुप प्रारंभिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के अथक प्रयास किए जा रहे है। लड़कियों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है। गुणवत्ता में सुधार के लिए प्राथमिक स्तर पर गणित तथा भाषा में आधारभूत कुशलता पर तथा उसके पश्चात् विज्ञान एवं गणित में सुधारात्मक अधिगम स्तर पर बल दिया जा रहा है। प्रारंभिक स्तर पर कम्पयूटर शिक्षा पर बल दिया जा रहा है।

यदि इस अभियान की उपलब्धियों पर दृष्टिपात किया जाए तो स्थिति निराशाजनक प्रतीत होती है। इस अभियान के विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में स्वयं

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समय - समय पर जारी समीक्षा रिपोर्टो और उच्च स्तरों से जारी वक्ताओं के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा इस अभियान के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित पहल नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के समुचित क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों के सुपुर्द की गई है., लेकिन विभिन्न राज्यों विशेष रुप से उतर भारत के राज्यों द्वारा अपरिहार्य और जनापयोगी महत्वपूर्ण योजना के समुचित और प्रभावी रुप से क्रियान्वयन में अधिक रुचि नहीं दिखाई गई और इसलिए वहां इस योजन का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

सुझाव

सर्वशिक्षा अभियान की प्रगति पर यदि नजर डाली जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का चिर प्रतीक्षित लक्ष्य 2010 तक पूरा किया जाना संभव नहीं है। इससे पहले के भी सभी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम अथवा अन्य विकास की योजनाएं और कार्यक्रम जो क्रियान्वित हुए है या हो रहे है, के अनुभव हमें इस महत्वपूर्ण अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु कुछ अतिरिक्त प्रयास करने और कुछ विशेष व्यवस्थाएं निर्धारित करने के लिए प्रयत्नशील होने के संकेत देते है। इसके लिए निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए:-

1 इसकी सफलता हेतु आवश्यक है कि जिस उत्साह से इसके प्रारंभ की सरकार द्वारा घोषणाएं की जाती है, इसे पूरा होने तक उसे उसी रुप में रखा जाए। इसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता बनाए रखना आवश्यक है।

2 प्रशासनिक प्रतिबद्धता का होना आवश्यक है।

3 देश के प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता और उसमें पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए । यद्यपि इसके लिए 1999 से केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा गांरटी योजना संचालित की गई है, लेकिन इन कार्यक्रमों में तेजी लाना आवश्यक है।

4 आकड़ों का उचित संग्रह, उनका विश्लेषण तथा उनका प्रयोग प्रगति को मापने के लिए महत्वपूर्ण है, अत: इस प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिए।

5 सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को कानूनी रुप से अनिवार्य घोषित करने हेतु 93वां संविधान संशोधन पास अवश्य हो गया है, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था भी निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें निर्धारित आयु वर्ग के बच्चें को स्कूल भेजने का उतरदायित्व अभिभावकों का रहे तथा अनुपालन न करने पर कठोर कार्यवाही किए जाने का प्रावधान किया जाए।

6 एकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचाने के लिए शिक्षा बीच में छोड़ने वालों पर रोक लगाने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

7 हमेशा से यह तथ्य सामने आता रहा है कि शिक्षकों की अत्यन्त कमी है, उसे शीघ्र दूर करने की घोषणाएं भी की जाती रही है, लेकिन यथार्थ यह है कि यह कमी पूरी करना भी संभव नहीं हो पाया है। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों से इस अभियान में भरपूर सहयोग लेने के लिए पर्याप्त अभिप्रेरणा के साथ-साथ कठोरता पूर्वक दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी निर्धारित की जानी चाहिए।

8 बच्चों की शिक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए प्राथमिक शिक्षा को व्यावहारिक व उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्धारण, रुचिपूर्ण पुस्तकें और पाठ्यविधियों का प्रयोग करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

9 ऐसे लोग जो इसका खर्च वहन कर सकते है, उनके लिए सशुल्क लेकिन समुचित गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए । गरीब और साधनविहीन लोगों के लिए इसे निःशुल्क रखने के साथ-साथ उन्हें स्टेशनरी, यूनीफार्म तथा छात्रवृत्ति आदि भी प्रदान किए जाने चाहिए। जिससे बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों का भी शिक्षा के प्रति पर्याप्त लगाव विकसित हो सके।

10 इस प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण की दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है, जिसके परिणामस्वरुप सभी की अधिगम उपलब्धियों में सुधार लाया जा सके।

11 सिविल कार्य जिस पर सर्व शिक्षा अभियान के वित्त का लगभग एक तिहाई भाग व्यय किया जाता है, को अध्ययन परिवेश के अभिन्न अंग पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है।

12 इस अभियान के नियोजन एवं क्रियान्वयन के प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक चरण में चुनी गई त्रिस्तरीय पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, नागरिक संगठनों आदि की सहभागिता को प्राप्त करने समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

अतः उपर्युक्त सुझावों पर अमल किए जाने से निश्चित रुप से सर्वशिक्षा अभियान की सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

4.9 मध्याह्न भोजन योजना - प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम

यू.एन.डी.पी. की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 3 करोड 5० लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर है जिनमें दो तिहाई लड़कियां है। विश्व में जितने निरक्षर है, उनके आधे भारत में है। भारत ने पूर्ण साक्षरता प्रयास में एक और महत्वाकांक्षी एवं प्रभावशाली प्रयास किया- मिड-डे मील कार्यक्रम। यही नहीं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पौशाणिक समर्थन के कार्यक्रम को आमतौर पर दोपहर भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिला बढ़ाने और उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनके पोषाहार के स्तर में सुधार करना भी है। इस समय 12 करोड़ बच्चों को इस योजना से लाभ पहुंच रहा है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ। लेकिन वर्ष 2001 तक कुछ राज्यों को छोड़ सिर्फ 100 ग्राम अनाज प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से दिया जाता था। लेकिन 28 नवम्बर, 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें सभी राज्यों को पका पकाया मध्याह्न भोजन देने की बात कही गयी। आज लगभग सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में पका पकाया मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए अनाज की व्यवस्था राज्य सरकार को एफ.सी.आई. मुफ्त करता है एवं भोजन को पकाने तथा गुणवत्ता निर्धारण के लिए 2 रु प्रति छात्र कन्वर्जन मूल्य का मानक रखा गया है, जिसमें से एक रुपए की सहायता

मानव संसाधन मंत्रालय करता है। गुणवत्ता के निर्धारण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम पर एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। विशेषज्ञ दल न्यूनतम गुणवत्ता के मानक को परिभाषित करता है, गुणवत्ता का नवीनीकरण करता है, कार्यक्रम संचालन एवं प्रबंधन तथा कार्यक्रम की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। मध्याह्न भोजन की आवश्यक गुणवत्ता के लिए निम्न मानक की सिफारिश की गई है:-

– वर्ष भर बच्चों की रुचि के अनुसार पका-पकाया पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था।
– भोजन में माइक्रोन्यूट्रियेन्ट सप्लीमेन्ट का होना आवश्यक है।
– प्रत्येक स्कूल में कम से कम भोजन पकाने के लिए प्रशिक्षित एक महिला स्टाफ एवं एक सहायिका की नियुक्ति करना।
– भोजन पकाने के लिए पानी तथा बच्चों के खाने के लिए बर्तन की व्यवस्था करना ।
– समय से अनाज एवं अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
– प्रभावशाली संचालन एवं प्रबंधन तथा गुणवत्ता जांच की व्यवस्था करना।
– सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना।
– स्कूल स्वारम्प कार्यक्रम का आयोजन करना।

सितम्बर 2004 में निम्नलिखित उद्देश्यों के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया-

– विशेष रुप से सुविधाविहीन वर्गो से सम्बन्धित बच्चों के नामांकन उपस्थिति एवं स्कूल न छोड़ना और अधिगम स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5) के व्यापीकरण को बढ़ावा देना।
– प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की पोषाहार स्थिति को सुधारना।
– सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, ग्रीष्मावकाश के दौरान भी प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पोषाहार प्रदान करना।

कार्यक्रम तथा विस्तार (Programme and Coverage)

इस योजना के अंतर्गत पहली से पांचवी तक के सभी बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिसकी पौष्टिकता 300 कैलोरी और प्रोटीन की क्षमता 8 से 12 ग्राम हो। यह व्यवस्था निम्नलिखित संस्थाओं में लागू की गई है :

1 सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल, और

2 शिक्षा गांरटी योजना तथा वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केन्द्र।

केन्द्रीय सहायता के संघटक और मापदण्ड (Criteria and Components of central Aid)

केन्द्र के द्वारा राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों को निम्नलिखित कार्यो के लिए सहायता मिलती है|

– खाद्यानों की मुफ्त आपूर्ति निकटवर्ती एफ.सी.आई. गोदाम से प्रति बच्चा प्रति स्कूल प्रति दिन 100 ग्राम के हिसाब से की जाती है।

– एफ.सी.आई. गोदाम से स्कूल तक खाद्यान्न ले जाने के लिए परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है, जो 11 विशेष श्रेणी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जग और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल) के लिए व 100 रु प्रति क्विंटल और अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।
– 1 सितम्बर 2004 से प्रति विद्यार्थी 1 रुपया की दर से प्रबंध सहायता के लिए प्रदान किया जाता है।
– प्रबंध, निगरानी और मूल्यांकन के लिए 1 -8 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान की जाती है।
– सरकार द्वारा सूखा प्रभावित राज्यों में गर्मी की छुट्टियों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

यह कार्यक्रम विकेन्द्रीकृत ढंग से, ग्राम पंचायतों, ग्रामीण शिक्षा समितियों, स्कूल प्रबंधन समितियों तथा अभिभावक संघ आदि स्थानीय संस्थाओं की सहभागिता से लागू किया जा रहा है।

वर्ष 2006 से संशोधित मापदण्ड (Criteria Modified from 2006)

1 कैलोरी की मात्रा 300 से बढ़ाकर 450 कर दी गई (कक्षा 1 से 5)

2 कक्षा 1 से 5 में प्रोटीन की मात्रा 8-12 ग्राम से बढ़ाकर 12 ग्राम की गई ।

3 कक्षा 8 से 8 तक कैलोरी की मात्रा 700 कर दी गई

4 कक्षा 6 से 8 तक प्रोटीन की मात्रा 20 ग्राम की गई ।

उपलब्धियाँ (Achievement)

इस योजना के शानदार परिणाम आ रहे है। न केवल दाखिला लेने वाले राज्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है अपितु बीच में पढ़ाई छोडने वाले बच्चों की संख्या भी कम हुई है। वर्ष 2001 में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 3 करोड़ 6 लाख थी। वित्तमंत्री के बजट भाषण के अनुसार वर्ष 2005 में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या कम होकर 1 करोड़ रह गई है। लड़कियों के नामांकन में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी हुई है। कार्यक्रम की कारगर निगरानी के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर स्थाई निगरानी समितियों का गठन किया गया हैं। सभी राज्यों ने विभिन्न स्तरों पर एस.एम.सी. का गठन किया है। वर्ष 2005-6 के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 9 लाख 53 हजार प्राथमिक विद्यालयों केन्द्रो, शिक्षा गांरटी योजना/वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा केन्द्रों के लगभग 1194 करोड़ बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया और 225 लाख मीट्रिक टन अनाज आबंटित किया गया। प्राथमिक स्तर पर अब तक मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 9.7 करोड़ बच्चों को शामिल किया जा चुका है। 1 अक्टूबर 2007 से योजना के क्षेत्र में उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी शामिल कर लिया गया है। जिसके अंतर्गत 17 करोड़ अतिरिक्त बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। 2008-09 से इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्रति स्कूलों तथा रोजगार गांरटी योजना वैकल्पिक व अनुसंधान योजना को भी शामिल किया गया।

इन उपलब्धियों के बावजूद इस योजना में कुछ व्यावहारिक विसंगतियां है, जिन्हें दूर किए बिना हम उस सपने को साकार नहीं कर सकते जिसे सोच कर हम अरबों रुपए खर्च कर रहे है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित कठिनाईयां है, जिन्हें दूर करना अत्यन्त आवश्यक है।

1 भोजन की गुणवत्ता का निर्धारण एवं जांच के लिए एन.पी.एन.एस.पी. का गठन किया गया है, फिर भी खुले आम स्कूलों में केवल खिचड़ी ही पक रही है और उसमें भी 12 किलोग्राम चावल में 1 किलोग्राम दाल और हल्दी व नमक ही होता है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है।

2 कन्वर्जन चार्ज कभी भी ग्राम प्रधान के खाते में समय से नहीं आता है। इस स्थिति में ग्राम प्रधान को एक बहाना मिल जाता है और वह जितना कम से कम खर्च हो सके, करता है। इस स्थिति में गुणवत्ता की बात करना एक कोरी कल्पना ही होगी।

3 इस कार्यक्रम के संचालन का पूरा दायित्व ग्राम प्रधान को दिया गया है। उसे ही सरकारी राशन की दुकान से अनाज लेना होता है। वह जन - प्रतिनिधि होता है न कि सरकारी नौकर। परन्तु कभी-कभी भोजन सामग्री समय से स्कूल तक नहीं पहुंचती और कार्यक्रम बाधित हो जाता है।

4 भोजन पकाने के लिए कम से कम एक प्रशिक्षित महिला एवं एक सहायिका की सिफारिश की गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर स्कूलों में मात्र एक खाना बनाने वाली महिला के सहारे ही यह कार्यक्रम चल रहा है। वह सहयोग बच्चों से लेती है।

5 सरकारी राशन की दुकानों पर मिड-डे मील के लिए जो अनाज आता है उस बोरी पर एम.डी. एम. का निशान लगा होता है जिसे कोटेदार एवं ग्राम प्रधान मिलकर बेच देते है और अन्त्योदय वाले अनाज को स्कूल में पहुंचाते हैं। अभिभावकों को यह बात पता न होने के कारण वे इसका विरोध नहीं कर पाते।

6 शायद ही किसी स्कूल में बच्चों के खाने के लिए बर्तनों की व्यवस्था हो।

इन विसंगतियों के बावजूद इस कार्यक्रम के इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं जैसे वर्ष 2001 में जहां 3 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से दूर थे, वर्ष 2005 में मात्र एक करोड़ रह गए है। परंतु इन विसंगतियो को दूर किए बिना हम उस सपने को साकार नहीं कर पाएंगे जिसे सोचकर हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

राजस्थान में मध्याहन भोजन योजना (Mid Day Meal Scheme in Rajasthan)

राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को सम्बल प्रदान करने हेतु एक जुलाई 2002 से राज्य के सभी 32 जिलों में कक्षा 1 -5 तक अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को पोषाहार वितरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 300 कैलोरी एवं 8- 12 ग्राम प्रोटीन युक्त 100 ग्राम खाद्यान्न से पका हुआ भोजन प्रत्येक बालक एवं बालिका को प्रति शैक्षणिक दिवस पर उपस्थित होने पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह योजना समस्त राजकीय प्राथमिक ' उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय, अनुदानित विद्यालय, डी.पी.ई.जी द्वारा संचालित वैकल्पिक विद्यालय शिक्षा गांरटी योजना के अंतर्गत संचालित केन्द्र, संस्कृत पाठशाला, मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित रजिस्टर्ड मदरसों जिनमें राजीव गांधी पाठशाला की तर्ज पर पैरा-टीचर लगे हुए है एवं राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक वितीय सहयोग प्रदत है, में

अध्ययनरत 1-5 तक के विद्यार्थियों को मीड-डे-मील दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 5856 लाख विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई है। भोजन पकाने के काम से शिक्षकों को अलग रखा गया है। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के आयुक्त पंचायती राज एवं निदेशक प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के आदेश अनुसार 4.10.07 से कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी सत्र 2007-08 से (राजकीय / अनुदानित विद्यालय) मध्याह्न भोजन देना प्रारंभ किया जा चुका है। इस योजना से अनुमानित 22.16 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। दिए जाने वाले भोजन के अंतर्गत 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक किया गया है। भारत सरकार के अनुसार यह योजना 1 अक्टूबर 2007 से प्रभावी मानी गई है।

मध्याह्न भोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था आयुक्त / निदेशक मध्याह्न भोजन पंचायती राज विभाग द्वारा ही की जाती है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा केवल मात्र नामांकन ही उपलब्ध कराया जाता है। जन प्रतिनिधियों द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा राजकीय यात्रा के दौरान भी निरीक्षण किया जाताहै।

4.10 राजस्थान में वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियां

यह एक सर्वविदित सत्य है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास की धुरी होती है। शिक्षा का संबंध सिर्फ साक्षरता से नहीं होता अपितु शिक्षा चेतना और उतर दायित्व की भावना को जाग्रत करने वाला औजार भी है। शिक्षा को एक मापक या पैमाना के तौर पर भी देखा जाता है। जिसके आधार पर व्यक्ति, राज्य या देश का मूल्यांकन किया जाता है। यदि इस मूल्यांकन के दृष्टिकोण से हम राजस्थान में शिक्षा की वर्तमान स्थिति को देखे तो पाएंगे कि धीरे-धीरे ही साक्षरता की दिशा में राज्य ने प्रगति की है।

राजस्थान राज्य के निर्माण के समय साक्षरता का औसत लगभग 9 प्रतिशत था, जो वर्ष 1981 में बढ़कर 2438 प्रतिशत तथा 1991 में 38 .55 प्रतिशत हो गया। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वर्तमान साक्षरता की दर 61.03 प्रतिशत है। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े माने जाने वाले राजस्थान के लिए यह एक सुखद बात है कि कुछ वर्षा से यहां की स्त्रियों में साक्षर होने के प्रति लगाव पुरुषों के मुकाबले बढ़ा है। राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों में साक्षरता का अनुपात काफी कम पाया जाता है।

राज्य में पिछले कुछ वर्षो में स्कूलों में भर्ती होने वालों का अनुपात बढ़ा है लेकिन इस दिशा में अभी भी विशेष प्रगति की आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या भी काफी अधिक पाई जाती है, विशेषकर 6- 11 वर्ष के आयु समूह में।

स्कूल छोड़ने वाले छात्र-छात्राओं का अनुपात (प्रतिशत मे) 2002

	छात्र	छात्राएं	कुल
राजस्थान	62.24	71.04	65.78
भारत	39.70	42.09	40.77

कुल राजस्थान 6578 भारत 4०77 राजस्थान में 2००2-०3 में कक्षा 1 से 5 तक तथा 6 से 8 के समूहों में कुल नामांकन अनुपात में लड़कियों का अनुपात क्रमश: 924 प्रतिशत व 4०. 18 प्रतिशत रहा जोकि राष्ट्रीय औसत क्रमश: 93.1 प्रतिशत व 562 प्रतिशत से नीचे था।

नामांकन व स्कूल छोड़ने की क्रियाओं पर कई सामाजिक, आर्थिक कारणों का प्रभाव पड़ता है । बच्चे परिवार की कम आमदनी में कुछ सहायता पहुंचाने का प्रयास करते है। काफी बच्चे अपने से छोटे बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रोक लिए जाते है । प्राथमिक शिक्षा के दौरान बच्चों का स्कूल छोड़ देना एक चिंताजनक विषय है । इस दिशा से निपटने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है।

सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धि-8 मिलेनियम विकासात्मक लक्ष्यों में से प्रमुख है । इस लक्ष्य के अनुसार 2015 तक सभी जगह सभी लड़के तथा लड़कियों को प्राथमिक स्कूल की शिक्षा को पूरा करना है । राजस्थान राज्य में अधिगम उपलब्धि के क्षेत्र में उन बच्चों का प्रतिशत बहुत अधिक है जो पढ़ नहीं सकते । प्रथम (Pratham) की एक रिपोर्ट के अनुसार 7- व 4 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में से 365 प्रतिशत बच्चे ऐसे है जो ग्रेड 1 की पुस्तक को भी नही पढ़ सकते । रिपोर्ट यह भी बताती है कि इसी आयु वर्ग में 51 .4 प्रतिशत बच्चे ऐसे है जो ग्रेड 2 स्तर की पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ सकते। 7वें भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में 1० से 15 प्रतिशत बच्चे ऐसे है जो स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं तथा 1० से 15 प्रतिशत (औसत 1०86 प्रतिशत) बच्चे ऐसे है जो उसी कक्षा में दोबारा पढ़ते है।

राजस्थान में दोहराई दर (2003-04)

कक्षा	दोहराई की दर प्रतिशत में
I	20.25
II	14.14
III	7.94
IV	4.21
V	3.08
VI	9.28

उपरवर्णित सारणी दर्शाती है कि राजस्थान में सबसे अधिक दोहराई कक्षा 1 में होती है । इन सभी कक्षाओं में औसत दर 11.93 प्रतिशत है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कक्षा में पदोन्नति दर में सुधार लाए बिना सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लाभ के लिए किए गए प्रयासों को सफल नहीं बनाया जा सकता। इतने प्रयासों के बावजूद भी अब तक बहुत से बच्चे ऐसे है जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं क्योंकि उनके अभिभावक शिक्षा में छिपी लागत को पूरा नहीं कर पाते या उनके समुदाय बहुत गरीब है या इतने पिछडे हुए है कि वहां स्कूल की सुविधाएं नहीं है या उन्हें भोजन के लिए काम करना पड़ता है।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक भवन, पुस्तकें, एवं अध्यापक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि सभी बच्चे स्कूल में दाखिला ले तथा उन्हें गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें समाज में लिंग समानता, अच्छा भोजन एवं स्वास्थ्य तथा सरकार व समुदायों का

महत्वपूर्ण योगदान भी शामिल होना चाहिए। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

- स्कूल में नामांकन में वृद्धि ।
- पूर्व बाल्य में देखभाल व विकास को बढ़ावा जिससे शिक्षा का अच्छा प्रारंभ किया जा सके ।
- लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा ।
- साफ पीने के पानी ' तथा शौचालयों की सुविधा देने में स्कूलों को सहयोग ।
- विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान

अत: राजस्थान में यद्यपि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोक जुम्बिश योजना, शिक्षा कर्मी योजना, गुरु मित्र योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान आदि चलाए जा रहे है परन्तु अभी भी यह राज्य इस क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। ये योजनाएं दूर राज्य के गांवों और झोपडियों में पढ़ने-लिखने का व्यापक माहौल बनाने के लिए लोक सहभागिता को बढ़ा रही है। राज्य सरकार अपने स्तर पर साक्षरता के स्तर को बढाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है, परन्तु साथ ही साथ इस दिशा में विभिन्न स्वैच्छिक संस्थानों का पूरी इमानदारी के साथ जुड़ना आवश्यक है। राज्य को अगर 100 प्रतिशत साक्षर बनना है तो इसके लिए अथक प्रयास की आवश्यकता है।

मूल्यांकन प्रश्न

1 मध्याहन भोजन कार्यक्रम क्या है कृतघ्न। What is mid-day meal programme?

2 सर्वशिक्षा अभियान की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। Explain the achievements of SSA.

3 राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए ।

4 4 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुछ सुझाव दीजिए । Give suggestions to achieve the goal of UEE.

4.11 सारांश

भारत में शिक्षा का महत्व हमेशा से रहा है। प्राथमिक शिक्षा देश की समस्त शैक्षिक संरचना की नींव है और यदि नीवं ही कमजोर होगी तो उस पर खड़ा शिक्षा रुपी भवन दीर्घायु प्राप्त नहीं कर सकता। इसी के परिणामस्वरुप प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाएं व कार्यक्रम चलाए गए। प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए संविधान अधिनियम 2002 पारित किया गया। अक्टूबर 1996 में सम्पन्न हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें के आधार पर 2001-02 में सर्वशिक्षा अभियान योजना विकसित की गई जिसमें सभी को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 11 लाख बसावटों के 192 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे है।

इस अभियान में कमजोर वर्गो की बालिकाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम्पयूटर शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरुप डिजिटल डिवाइड को कम करने में सहायता मिलेगी। प्राथमिक शिक्षा

को बढ़ावा देने के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों का दाखिला एवं उनकी उपस्थिति को सुधार और उन्हें प्रतिदिन रकूल आने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2007-08 में इस योजना पर लगभग 7300 करोड़ रु खर्च किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उन सभी राज्यों केन्द्र /केन्द्र शासित प्रदेशों को बच्चों को पके - पकाए भोजन का वितरण समयबद्ध तरीके से आरंभ करने के निर्देश दिए है। क्योंकि स्कूलों में भोजन बनाने की व्यवस्था उचित ढंग से नहीं हो पा रही थी।

अब तक पिछले 6 दशकों में सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो भी नीतियां अपनाई गई उनके क्रियान्वयन में अरबो- खरबों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन कोई खास अच्छे परिणाम नजर नहीं आए। नई शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि अब पुराने प्रयोगों, अनुभवों और कमियों को दोहराया न जाए और कुछ ऐसे विशेष और ठोस प्रयास किए जाए जिनमें असफलता की कोई गुजांइश न हो। इस दिशा में पहले कदम के रुप में सरकार को प्रत्येक दशा में देश के छोटे से छोटे गांव, माजरे अथवा बस्ती में चाहे वह दूर-दराज के क्षेत्र हो, जन-जातीय क्षेत्र हो, के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय की सुलभता उनके पास ही की जानी चाहिए। इसी प्रयास से हम राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति को सुधार सकते है। अत: ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों तथा सरकार के सहयोग से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकती है।

4.12 संदर्भ ग्रंथ

1 Raj Haseen: Current Challenges in Education, Neelkamal Publications, Hyderabad 2005.

2 Sankhdher, B.M National Agenda for Education in India: Some

3 Priorities, Encylopaedia of Education System in India, Deep & Deep Publications, New Delhi, 2005.

4 गुप्ता एस., अग्रवाल, जे.सी. भारत में प्रारंभिक शिक्षा - स्वतन्त्रता से पूर्व तथा पश्चात्,, शिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2009

5 नाटाणी नारायण प्रकाश सर्वशिक्षा अभियान, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, सितम्बर 2004

6 पाण्डेय वैजनाथ पूर्ण साक्षरता के लिए वरदान- मिड डे मील कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली. सितम्बर 2007

7 वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ (2007)सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, गवेशणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

इकाई 5

प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम

(Teaching, Learning at Elementary School Level)

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 शिक्षण एवं अधिगम

5.2.1 शिक्षण. प्रत्यय एवं प्रक्रिया

5.2.2 अधिगम प्रत्यय एवं प्रक्रिया

5.2.3 प्रौढ़ शिक्षण एवं अधिगम

5.3 शिक्षण एवं अधिगम में नवाचार

5.3.1 नवाचार अर्थ एवं प्रत्यय

5.3.2 नवाचार के मार्ग की बाधाएँ

5.3.3 नवाचार प्रविधियाँ

5.4 शिक्षा में नवाचार के कुछ प्रयोग

5.4.1 नली कली

5.4.2 खुशी की जगह

5.4.3 गिजु भाई बधेका के शैक्षिक प्रयोग

5.4.4 शिक्षण के कुछ और नवाचार तरीके

5.4.5.1 कार्यशाला विधि

5.4.5.2 क्षेत्र पर्यटन

5.5 न्यूनतम अधिगम स्तर

5.5.1 भाषा शिक्षण में अधिगम के न्यूनतम स्तर

5.5.2 गणित शिक्षण में अधिगम के न्यूनतम स्तर

5.5.3 पर्यावरणीय अध्ययन में अधिगम के न्यूनतम स्तर

5.5.4 न्यूनतम अधिगम स्तर पर विज्ञानात्मक शिक्षा

5.5.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

5.5.6 M.L.L. की आवश्यकता

5.6 संदर्भ ग्रंथ

5.0 उद्देश्य

इस इकाई में की गई चर्चा अध्यापक के रूप में आपके शिक्षण एवं अधिगम की दक्षता एवं कौशलों का विकास करने की उद्देश्य से की गई है ताकि आप इन प्रक्रियाओं को भली भाँति समझ सकें एवं अपने शिक्षण संबंधित विचारपूर्ण निर्णय ले सकें।

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त आप इस योग्य हो जाएंगे कि :

- शिक्षण के प्रत्यय को समझ पाएंगे।
- अधिगमण के प्रत्यय को समझ पाएंगे।
- प्रौढ़ अधिगमन की अवधारणा को समझ पाएंगे।
- शिक्षण अधिगमन में नवीन प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे।
- खुशी-खुशी सीखने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे।
- व्यक्तिगत अधिगम को कैसे प्रणाली बनाया जा सकता है जान पाएंगे।
- अनुभव / क्रिया आधारित अधिगम क्या होता है, यह जान पाएंगे।
- कौशल आधारित अधिगम की अवधारणा समझ पाएंगे।
- MLL की अवधारणा
- MLL Scope तथा प्रक्रिया के बारे में जान पाएंगे।
- गुण परक शिक्षण अधिगम क्या है ' जान पाएंगे।
- शिक्षण में बाल केन्द्रित एवं शिक्षक केन्द्रित तरीके क्या है? जान पाएंगे।
- भाँति-भाँति के संदर्भो में शिक्षण /अध्यापन कैसे करना है? जान पाएंगे।
- Multi-Gradeएवं बहु स्तरीय शिक्षण क्या है? जान पाएंगे।

5.1 प्रस्तावना

इस कार्यक्रम के पहले खण्ड में आप उद्दीयमान भारतीय समाज में प्राथमिक शिक्षा के विषय में कुछ अध्ययन कर चुके हैं। इसके अन्तर्गत आप प्राथमिक शिक्षा के विकास, पृष्ठभूमि इतिहास का अध्ययन आप कर चुके हैं। इसके सार्वभौमिकरण हेतु प्रयास, सब के लिए शिक्षा का दर्शन, विकास. प्रयास, मजबूतियों एवं कमियों के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। राजस्थान राज्य द्वारा इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों की चर्चा भी पहले की जा चुकी है।

इस खण्ड में हम शिक्षण अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, साथ ही हम शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में कुछ नवाचार प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को रूचिपूर्ण बनाया जा सके। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण, बहु स्तरीय शिक्षण, बाल केन्द्रित एवं शिक्षक केन्द्रित शिक्षण क्या है, हम यह भी पढ़ेंगे कि भाँति-भाँति के संदर्भो में कैसे पढ़ाया जा सकता है, हम इसका अध्ययन करेंगे। एकीकृत शिक्षण अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया से हम परिचित होंगे। किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी एक क्रांति लेकर आई है तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहायता कर सकती है, इसकी चर्चा करेंगे तथा पाठ्यक्रम एवं अनुदेशन की अवधारणा प्राप्त करेंगे।

5.2 शिक्षण एवं अधिगम

एक अच्छे शिक्षण एवं शिक्षण प्रबंधक बनने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण एवं अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रियाओं की आपको पूर्ण समझ हो ताकि उस ज्ञान को आप प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग में ला सकें। प्रस्तुत इकाई के इस भाग में सबसे पहले यही प्रयास किया गया है, यहाँ हम जानेंगे कि शिक्षण क्या है और कैसे किया जाता है? ताकि विद्यार्थियों

का अधिगम स्तर सुधारा जा सके। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों एवं प्रौढ़ों के सीखने में क्या अन्तर होता है, ताकि हम अपने शिक्षण को उसी प्रकार ढाल सकें, जैसे कि अधिगम कर्त्ता की आवश्यकता हो।

5.2.1 शिक्षण : प्रत्यय एवं प्रक्रिया

शिक्षण प्रत्यय का कोई सर्वमान्य अर्थ नही हैं, शिक्षण के सर्वमान्य सिद्धान्त तथा प्रतिमान भी नहीं है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक तथ्य शिक्षण को प्रभावित करते हैं। सामाजिक तथ्य एवं मानवीय घटक परिवर्तनशील होते हैं और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण के लिए कारक मानी जाती है, इसलिए शिक्षण की सार्वभौमिक परिभाषा देना कठिन है, फिर भी थी.ओ स्मिथ महोदय की शिक्षण की परिभाषा अधिक व्यापक जानी जाती है।

उनके अनुसार, "शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है" '। कलार्क (1970) ने शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी है - ' 'शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है, जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके।

इस प्रकार शिक्षण वह प्रक्रिया है, जो सीखने को प्रभावित करती है । शिक्षण की क्रियाओं का मुख्य लक्ष्य छात्रों को सीखना होता है। उसका स्वरूप विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग हो सकता है, परन्तु उन सभी का उद्देश्य छात्रों को सीखना ही होता है।

एकतंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ -

एकतंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत शिक्षक का स्थान प्रधान माना जाता है और छात्र का स्थान गौण माना जात है। शिक्षक को एक आदर्श मानते है, जो छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है। छात्रों की सभी क्रियाओं को शिक्षक दिशा प्रदान करता है। शिक्षण के समय छात्र केवल श्रोता का कार्य करता है और शिक्षक अधिक कार्यशील रहता है। शिक्षण व्यवस्था केवल स्मृति स्तर तक सीमित रहती है। छात्रों की अन्य क्षमताओं के विकास के लिए अवसर नहीं होता है। शिक्षण में आलोचना के लिए कोई स्थान तथा अवसर नहीं होता है। एच.सी. मौरीसन (1934) ने एकतंत्र शासन में शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी है :- ' 'शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के सम्पर्क में आता हैं। और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है"। लेकिन हम देखते हैं कि यह शिक्षण की संकीर्ण परिभाषा एवं प्रक्रिया है।

शिक्षण एक विज्ञान -

अब तक शिक्षण को एक कला की संज्ञा दी जाती रही है, परन्तु अब शिक्षण की क्रियाएं सामाजिक संदर्भ में सम्पादित की जाती हैं, जिनका निरीक्षण तथा विश्लेषण किया जा सकता है। शिक्षण की क्रियाओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जा सकता है, उन्हें प्रयुक्त भी किया जा सकता है। पृष्ठपोषण की प्रविधियों से छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है।

शिक्षण की प्रक्रिया -

शिक्षण के उद्देश्यों की दृष्टि से शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक होता है। शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से शिक्षण एक सतत् प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें विचारहीन से अधिक विचारपूर्ण तक की क्रियाऐं की जाती हैं, इस क्रम को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है- स्मृति स्तर, बोध स्तर एवं चितंन स्तर शिक्षण। शिक्षण की क्रियाओं की दृष्टि से शिक्षण में अनेक प्रकार की क्रियाएँ की जाती हैं, उन सभी क्रियाओं को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं:-

(i) प्रस्तुतीकरण

(ii) प्रदर्शन

(iii) कार्य करना

शिक्षण की व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण की व्यवस्था निश्चित तथा अनिश्चित कार्यक्रमों के अनुसार की जा सकती है, अत: व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण तीन प्रकार के होते हैं :-

(i) औपचारिक शिक्षण

(ii) अनौपचारिक शिक्षण

(iii) गैर औपचारिक शिक्षण

शिक्षण के स्वरूप की दृष्टि से शिक्षण छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करने के लिए किया जाता है, इसके अतिरिक्त छात्रों के निदान के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भी किया जाता है, इस दृष्टि से शिक्षण वर्णनात्मक एवं उपचारात्मक होता है।

प्रजातंत्र में शिक्षण का अर्थ -

इसमें शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें दूसरों की व्यावहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है।

(एम.एल. गेज) 1962)

Teaching is a form of inter-personal influence aimed at
Changing the behavior potential of another person.

N.L.Gage(1962)

प्रजातंत्र में शिक्षक का स्थान एक निर्देशक अथवा पद-प्रदर्शक के रूप में माना जाता है, शिक्षण में छात्रों को अधिक क्रियाशील रहना होता है। छात्र शिक्षक से निर्भयपूर्वक प्रश्न पूछ सकते हैं। शिक्षक की आलोचना भी कर सकते हैं। शिक्षण में स्वतंत्र अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है, छात्र एवं शिक्षक दोनों को ही एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करना होता है। इस प्रकार प्रजातंत्र के मौलिक सिद्घांत स्वतंत्रता एवं समानता प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण को प्रभावित करते हैं। हस्तक्षेप रहित शिक्षण का अर्थ - (Meaning of Laisses-faire Teaching) "शिक्षण में ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था की जाती है, जिसमें-कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते है। छात्र उन कठिनाईयों पर विजय पाने का प्रयास करता है तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास करता है। छात्र की इस प्रकार की क्रियाएँ सीखने में सहायक होती हैं।

"Teaching is an arrangement and Manipulation of a situationin which there are gape and abstructions which an individual will seek to over come and from which the will learn in the course of doing So"

-John Brubacher

शिक्षक के तीन पक्ष होते हैं :- पूर्व प्रक्रिया, अन्त: प्रक्रिया तथा अन्तिम प्रक्रिया।

पूर्व प्रक्रिया का संबंध शिक्षक के नियोजन से होता है, जिसमें शिक्षक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण तथा संश्लेषण करता है और उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखता है। पूर्व तथा अन्त: प्रक्रिया पक्षों की वैज्ञानिक प्रकृति होती है, जबकि प्रक्रिया पक्ष की कलात्मक प्रकृति है। अन्त: शिक्षण कला के साथ एक विज्ञान भी है।

5.2.2 अधिगम : प्रत्यय एवं प्रक्रिया -

गने (शिक्षा मनोवैज्ञानिक) के अनुसार अधिगम मानव प्रवृतियों, योग्यताओं और क्षमताओं में लाया गया वह परिवर्तन है जो बना रहता है तथा जिसका श्रेय केवल विकास प्रक्रिया को नहीं जाता है। अधिगम इन्द्रिय गोचर व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होता है तथा वे परिस्थितियाँ जिनकी वजह से ये घटित होता है, भी दृश्य होती रहती है। यह अनुमान कि अधिगम हुआ है या नहीं इस बात से लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहार किसी अधिगम अवस्थिति में जाने से पूर्व कैसा था और अधिगम संबंधी उपचार के बाद वह कैसा बर्ताव करता है। परन्तु अधिगम का अनुमान व्यक्ति में हुए व्यवहार परिवर्तन मात्र से नहीं लगाया जा सकता अपितु उसकी परिवर्तित प्रवृत्ति, जिसे सामान्यत: अभिवृति, रूचि या मूल्य कहते हैं, भी अधिगम का ही परिणाम होता है। इसका निष्कर्ष यह है कि अधिगम व्यक्ति के निष्पादन में बदलाव संबंधी 'क्षमता' अथवा कार्यकुशलता का विकास है।

निष्पादन में हुआ परिवर्तन भी अधिगम है। व्यक्ति किन परिस्थितियों में क्या सीखता है यह इसकी महत्त्वपूर्ण अवस्था है। किसी नई योग्यता को प्राप्त करने के लिए उन सभी अधीनस्थ या आश्रित योग्यताओं को पहले से ग्रहण करने की आवश्यकता भी होती है, जो इस योग्यता से संबंधित है, जैसे कि उच्चतर श्रेणी के नियमों को सीखने के लिए, उनसे सम्बद्ध सरल नियमों का संग्रहण आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि अधिगम में एक श्रेणीबद्धता निहित है जिसे गने अधिगम अनुक्रम (Learning Hierarchy की संज्ञा देते हैं। उन्होंने अधिगम के संदर्भ में मानव योग्यताओं को पाँच मुख्य वर्गो में विभाजित किया है, जो अधिगम के उत्पादन हैं, ये योग्यताएँ इस प्रकार से हैं :

शाब्दिक ज्ञान, बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक योजना, अभिवृत्ति तथा मन: चालित कौशल।

अधिगम की अवस्थाएँ अथवा प्रारूप -

किसी भी शिक्षण कार्य को शुरू करने से पहले अध्यापक को इस बात के लिए आश्वस्त हो जाना चाहिए कि विद्‍यार्थियों के पास किसी अधिगम कार्यकलाप को सीखने के लिए पूर्वापेक्षित योग्यताएँ हैं। उसके बाद अध्यापक को चाहिए कि वह प्रभावी अधिगम के लिए इन योग्यताओं के उपयोग को प्रोत्साहित (Motivate) करे। इस कार्य के लिए तीसरी आवश्यकता है कि वातावरणीय

उपयुक्त अधिगम अवस्थाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। इन अधिगम अवस्थाओं को गने "अधिगम के प्रारूप" की संज्ञा देते हैं।

ये प्रारूप निम्नलिखित हैं :-

(1) सांकेतिक अधिगम(Signal Learning)

(2) उद्दीपन-अनुक्रिया अधिगम(Stimulus-Response Learning)

(3) शाब्दिक संयोजन (Verbal-Association)

(4) श्रृंखला अधिगम (Chain Learning)

(5) विभेदन या विवेकी अधिगम (Discrimination Learning)

(6) सम्प्रत्यय-अधिगम (Concept Learning)

(7) विधान (नियम) अधिगम (Rule Learning)

(8) समस्या समाधान (problem Solving)

उपर्युक्त में से प्रत्येक प्रकार का अधिगम व्यक्ति की एक अलग अवस्था से शुरू होता है तथा निष्पादन की एक अन्य योग्यता को प्राप्त करने पर समाप्त होता है।

अधिगम क्रिया के पक्ष -

किसी अधिगम क्रिया के पक्ष अन्दरूनी और बाहरी घटनाओं की वह विशिष्ट श्रृंखलाएँ हैं, जो किसी एक अधिगम क्रिया को बनाती है। इसके घटित होने के क्रम की दृष्टि से निम्न पक्ष है :-

(1) अभिप्रेरणा (Motivation)

(2) बोध होना(Apprehending)

(3) संग्रहण (Acquisition)

(4) अवधारणा (Retention)

(5) अनुस्मरण (Recall)

(6) सामान्यीकरण (Generalization)

(7) निष्पादन (Performance)

(8) पुनर्निवेशन (Feed back)

प्रत्येक पक्ष के अनुकूल एक आन्तरिक प्रक्रिया होती है और एक बाहरी घटना जो इसे प्रभावित करती है।

जैसे कि अधिगम के प्रति अभिप्रेरणा मुख्यतः उद्दीपक अभिप्रेरणा (Incentive-Motivation) होती है। मनुष्य किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है तथा लक्ष्य प्राप्त होने के बाद उसे उसका प्रतिफल मिल जाता है। इस तरह की अभिप्रेरणा मानव मात्र की नैसर्गिक प्रवृति को दर्शाती है, जिसके अन्तर्गत मनुष्य अपने वातावरण को काम में लाता है और उस पर हावी रहता है। अध्यापक द्वारा उद्दीपक अभिप्रेरणा बच्चों में प्रत्याशाएँ पैदा करके स्थापित की जा सकती है।

बोध पक्ष

अधिगम का बोधपक्ष विद्यार्थी द्वारा किसी उद्दीपक वस्तु पर ध्यान देने तथा अनुभव करने में होता है। अनुभूति करने का मतलब होता है कि व्यक्ति उद्धीपक को अन्य उद्दीपकों से अलग समझ रहा है, संग्रहण का अभिप्राय है ज्ञान को कूटबद्ध (Coding) करना, ताकि इसे केन्द्रीय तान्त्रिकीय संस्थान में संचयित किया जा सके। कूटबद्ध करने का कार्य अल्पकालीन या दीर्घकालीन स्मृति द्वारा किया जाता है। कूटबद्ध करने का कार्य करने से इसे उपयोग करना और भी सरल हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को किसी सीखी हु ई सामग्री का प्रदर्शन करने अथवा उपयोग की आवश्यकता पड़ती है तो वह उसे पुन: प्राप्त करता है, जो पहले संग्रहित की गई थी। इस प्रक्रिया को ' 'अनुस्मरण' ' कहा जाता है। सामान्यीकरण को अधिगम का अन्तरण कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी विचार को जिसे सीख कर उसका संग्रहण किया गया हो, का अनुस्मरण (Recall किया जाए और फिर उसे नई स्थिति में उपयोग में लाया जाए। पुनर्निवेशन, प्रतिबंधित कहा जाएगा। यदि वह स्वयं निष्पादन से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अध्यापक को ठीक उत्तर मिलने पर विद्यार्थी को कहे 'बिलकुल ठीक', 'ठीक', 'बहु त अच्छे', 'शाबाश' इत्यादि।

अध्यापक एवं अधिगम में संबंध -

अध्यापक को सामान्यत: संस्कृति का संरक्षक, प्रेषक व दाता कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचलित संस्कृति में संशोधन करें और उसका पोषण भी करे। क्योंकि हमें मालुम है कि संस्कृति किसी समाज का एक संस्थापित व प्रतिष्ठित जीवन मार्ग है। संस्कृति राष्ट्र की वह धरोहर हे जो कि हमारे पूर्वजों के निरन्तर प्रयास, निष्कर्ष एवं परिणामों द्वारा निर्मित होती हे और जिसके अन्तर्गत कोई समाज अपने जीवन मार्ग पर चलता रहता है। इसमें भाषा परम्पराएँ, विचार, लोकाचार, नीतिवचन, संस्थाएँ ज्ञान तथा मानदण्ड सम्मिलित होते हैं।

अधिकांश व्यक्ति इस बात से सहमत होंगे कि अध्यापक का मुख्य कार्य विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार, संस्कृति का वह अंश प्रेषित करना है, जिसे हर कोई अच्छा समझाता है। यदि इसी आशय की दृष्टि से सोचें तो शिक्षा एक अत्याघिक रूढ़िवादी शक्ति बनकर रह जाती है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षक द्वारा किसी संस्कृति को मात्र सुरक्षित रखा जाता है। ऐसा सोचना तो केवल स्थिर या गतिहीन समाज के लिए ही ठीक होगा, किसी गतिशील समाज के लिए कदापि नहीं।

आज के इस तीव्र ग्लोबल प्रगति के युग में कोई भी समझदार व्यक्ति एक गतिहीन समाज के विचार का समर्थन नहीं करेगा। अत: आज के युग में शिक्षण का परिचालन उन लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए जो नए युग व संस्कृति को स्थान दें और सामाजिक रूप में लाभप्रद भी हो। अत: भिन्न-भिन्न विचारधारा वाले व्यक्ति की अपनी भिन्न-भिन्न धारणाएँ होती हैं। इन विचारधाराओं और शिक्षक की कार्यप्रणाली को बिग्गे महोदय (1982) ने कुछ इस तरह से शिक्षार्थी-शिक्षक संबंध का विवेचन किया है।

5.2.3 प्रौढ़ शिक्षण एवं अधिगम

एक प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह समझाना अत्यावश्यक है कि प्रौढ़ कैसे सीखते है? बच्चों और किशोरों की अपेक्षा प्रौढ़ों की अधिगम से संबंधित खास आवश्यकताएँ होती हैं। इस

प्रत्यक्ष सच्चाई के बावजूद इस दिशा में प्रयास लगभग नगण्य है तथा एक नया प्रयोग है। मालकॉम नोलेस (Malcom Knowles) महोदय ने इस दिशा में प्रयास की शुरूआत की। उन्होंने प्रौढ़ अधिगमकर्त्ताओं के निम्नलिखित लक्षण बताए।

1) प्रौढ़ स्वतंत्र होते हैं तथा अपनी दिशा स्वयं तलाशते हैं। (adultsare autonomous and self directed) होते हैं। उन्हें अपनी दिशा ढूढ़ने के लिए आजादी मिलनी आवश्यक है। इसलिए शिक्षक को उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने देना चाहिए। किसी भी प्रकरण को उन्हें अपने नजरिये से देखने देना चाहिए तथा उन (Projects) योजनाओं पर उन्हें काम करने देना चाहिए जिनमें उनकी रूचि झलकती हो। उन्हें खुद की उपस्थिति (Presentation) तथा समूह के नेतृत्व की भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। उन्हें केवल तथ्यों (Facts) की जानकारी देने का काम शिक्षक का नहीं है। उन्हें ज्ञान स्वयं अर्जित करने देना चाहिए। केवल उन्हें अधिगम के उद्देश्य बताने आवश्यक हैं।
2) प्रौढ़ों के पास अनुभवों का भण्डार होता है जो कि उन्होंने कार्य-क्षेत्र, परिवार के भरण-पोषण तथा पूर्व शिक्षा इत्यादि से अर्जित किया होता है।
   केवल अपने अधिगम के साथ इन अनुभवों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। शिक्षक का कार्य उनके अनुभवों को जानकर उनका प्रयोग नए प्रकरण सीखने के लिए करना है । इससे अधिगम आसान हो जाता है । क्योंकि जो जीवन से जुड़ा है उसे समझना आसान है। उसकी अपेक्षा जो कभी अनुभव ही नही किया।
3) प्रौढ़ों ने अपना लक्ष्य चुन रख हाता है। अक्सर किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले उन्हें यह साफ पता होता है कि वह क्या और क्यों करना चाहते हैं। शिक्षक का कार्य केवल यह होता है कि वह उन्हें स्पष्ट रूप से समझा सके कि यह कार्यक्रम किस प्रकार से उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। यही शिक्षक एक सलाहकार (Career Counseller) का कार्य करता है, इसलिए पाठ्यक्रम के उद्देश्य शुरू में ही निर्धारित होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर वह सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा लेना चाहते है, क्योंकि वे पैसा खर्च कर सकते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा तक पहुंच है। थ्योरी पढ़ना चाहते है ताकि अभ्यास (Practice) कर सकें।
4) (Adults are relevancy-oriented) हर क्रिया में संदर्भता (Relevence)तलाशते है। अधिगमन उनके वर्तमान या भविष्य के कार्यो के लिए सहसंदर्भित (Relevant) तथा लाभप्रद होना चाहिए। उन्हें अपना कार्य अच्छी तरह समझने एवं करने की क्षमता की वृद्धि में सहायक हो तभी वह उनमें रूचि दिखाएंगे।
5) (Adults are Practical) प्रौढ़ व्यावहारिक होते है। वह अपने ज्ञान को ज्ञान की खातिर अर्जित नहीं करना चाहते, इसलिए हर प्रकरण, कार्यक्रम की उपयोगिता बतानी आवश्यक हो जाती है। उनकी ज्ञानात्मक स्तर की रूचि जागृत करना आवश्यक है ताकि शिक्षा को उपयोग या उपभोग की वस्तु न समझें।
6) प्रौढ़ को आदर सम्मान देने की आवश्यकता होती है । वैसे तो हर विद्यार्थी को आदर-सम्मान देने की आवश्यकता है। प्रौढ़ (Adults) कक्षा में अपने उपयोगी अनुभव लेकर आता

है। बहुत बार शिक्षक भी उनसे सीखता है, इसलिए उन्हें सम्मान के भाव से देखना, अपना मत, विचार सामने रखने के अवसर देना अच्छा रहता है।

7) प्रौढ़ों के अधिगम के रास्ते की कई कठिनाईयाँ हैं, जैसे कि पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, कार्य संबंधित दबाव, समय का अभाव, आत्म विश्वास की कमी इत्यादि।

प्रौढ़ों अधिगम के चार महत्त्वपूर्ण नियम हैं -

अभिप्रेरणा(Motivation),पुनर्बलन(Reinforcement),अवधारणा(Retention), Transference.

अभिप्रेरणा, (Motivation) के लिए अच्छे संबंध स्थापित करें। अधिगमन के लिए वातावरण बनाएं। तनावपूर्ण वातावरण नही रखें। पहले न डराए कि क्या परीक्षा Exam के लिए महत्वपूर्ण Important है। पहले प्रत्यय तथा अवधारणाएं स्पष्ट करें। सभी परीक्षा को मद्देनजर रखकर बाद में अलग-अलग आयामों को स्पष्ट करें। जब आधारभूत प्रत्यय एवं अवधारणाएं स्पष्ट हो जाएँ। कठिनाई का स्तर सामान्य रखें ताकि भागीदरी कर सकें। धीरे-धीरे बढ़ाते रहें ताकि चुनौति भी दी जा सके। Feed back और Reinforcement का प्रयोग करें। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचाने व समझें, क्योंकि सबके अनुमान अलग-अलग होते हैं।

प्रौढ़ अधिगम (Adult Learning) में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अधिगमकर्त्ता (Learner) आशाओं (expectations) के साथ आते हैं। वह शिक्षक को खुले तौर पर स्वीकार और अस्वीकार कर सकते हैं।

स्टीफन लीब (Lieb) -

Senior Technical Writer Planner Arizana Department of Health Services and Part time Instructer, South Mountain Community Collage From VISION Fall 1991.

आइए शिक्षण एवं अधिगम के पढ़ने के पश्चात, हम अपनी प्रगति की जाँच कर लें।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 शिक्षण क्या है ? अपने शब्दों मै लिखिए।

2 अधिगम से आप क्या समझते है?

3 प्रोढ़ अधिगम किस प्रकार से बाल-अधिगम से अलग है?

5.3 शिक्षण एवं अधिगम में नवाचार

5.3.1 नवाचार - अर्थ, प्रत्यय एवं बाधाएँ

समय-समय पर शिक्षा में जन आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों के अनुसार परिवर्तन किए जाने आवयश्क है। इसके साथ ही शिक्षा को रूचिपूर्ण (Interesting) बनाना भी वांछनीय है। तभी अधिगम सरल हो पाएगा अन्यथा शिक्षा बोझ बनकर रह जाएगी। शिक्षा प्रणाली में नूतन विचार, नवीन पाठ्यक्रम, नई विधाओं और तकनीकों द्वारा सुधार लाने की आवयश्कता है।

नवाचार (Innovation) का अर्थ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार किसी नवीनता को लागू करना, किसी स्थापित वस्तु में परिवर्तन लाना, नवीन प्रचलन स्थापित करना, स्थापित विधि

में परिवर्तन आदि से है। हिन्दी भाषा में 'नद एवं 'आचार' से मिलकर यह शब्द बना है। 'नवाचार' नव शब्द नवीनता का घोतक है तथा आचार परिवर्तन का। अत: ऐसा परिवर्तन जो स्थापित विधि, परंपरागत वस्तु आदि में नवीनता का समावेश कर सके, वही नवाचार कहलाता है।

नवाचार में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं :-

1) नवाचार एक नवीन विचार के रूप में माना जाता है।
2) गुणात्मकता की दृष्टि से वर्तमान स्थिति की तुलना में नवाचार समुन्नत या श्रेष्ठ होता है।
3) नवाचार जानबूझ कर नियोजित रूप में किया जाने वाला एक प्रयास होता है।
4) नवाचार में विशिष्ट तत्त्वों का समावेश देखने को मिलता है।
5) नवाचार वर्तमान परिस्थितियों में सुधार का नूतन प्रयास होता है।

यह विचारों का समुच्चय है, कोई एक विचार नहीं। नवाचार में ऐसे गुण लक्षित होने चाहिए जिससे पहले से बेहतर परिणाम निश्चित हों। शैक्षिक नवाचारों का प्रयोग शिक्षा में अत्यावश्यक है। कई शैक्षिक संस्थाओं ने यह प्रयोग किए भी हैं। तथा अच्छे परिणाम होने पर अपनाए भी हैं। अब हम ऐसे ही कुछ नवाचारों की चर्चा करेंगे।

शिक्षण-पद्धति की नवीनीकरण प्रक्रिया-

शिक्षा में क्या और क्यों पढ़ाया जाए, साथ-साथ यह और भी महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है कि कैसे पढ़ाया जाए। क्योंकि अगर पढ़ने का ढ़ग ठीक नही हुआ तो यह आशा नहीं की जा सकती कि अधिगम प्रभावशाली होगा और शिक्षण सफल होगा। शिक्षण और अधिगम को रूचिपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि इस दिशा में नए-नए प्रयोग किए जाएँ तथा सफल प्रयोगों को दूसरों के सामने लाया जाए। कई शिक्षक पढ़ाने का मजा लेते हैं तथा उनके विद्यार्थी भी खेल-खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। बच्चें शिक्षा में रूचि लें यह अधिगम का सबसे पहला नियम है, लेकिन कैसे? आने वाले कुछ पृष्ठों में यही प्रयास किया गया है। आशा है आप भी इन्हें इस्तेमाल करेंगे।

5.3.2 नवाचार के मार्ग की बाधाएँ

1) व्यक्ति की आदतें परिवर्तन के मार्ग में बाधा बन सकती हैं।
2) हर व्यक्ति में जन्मजात संतुलित रहने की प्रवृति होती है । नवाचार कुछ समय के लिए संतुलन बिगाड़ सकते हैं, इसलिए कई शिक्षक इन्हें अपनाने में हिचकिचाते हैं।
3) प्राथमिक प्रभावों का दूरगामी एवं गहरा प्रभाव व्यक्ति पर होता है । शिक्षक जैसे पढ़े है वैसे ही पढ़ाना चाहते हैं । नूतन अनुभवों को स्वीकार करने से डरते हैं, कहीं असफल न हों जाएँ।
4) व्यक्ति परंपरागत समूहों के मानदण्डों को तोड़ने से डरता है, कही समूह उसे अलग न कर दे। हिम्मत की कमी होती है। बहुत कम व्यक्ति यह जुटा पाते हैं।
5) व्यक्ति का नैतिक मन (Super ego) पुरानी मान्यताओं के कारण किसी नवाचार को अपनाने में हिचकता हैं।
6) व्यक्ति को अपनी ही क्षमताओं पर विश्वास नही होता है।

7) व्यक्ति स्वयं असुरक्षित महसूस करता है और पुरानी चालढ़ाल पर लौटना चाहता है, इसलिए सफलता नहीं मिलती।

8) कई बार अज्ञानतावश नवाचार अपनाने से इंकार करता है। उसे इसके लाभ का ज्ञान नहीं होता है।

5.3.3 नवाचार प्रविधियाँ

निम्नलिखित कुछ ऐसी प्रविधियाँ हैं, जिनके बारे में हमने सुना अवश्य होगा तथा हममें से कईयों ने इनका कक्षा शिक्षण में प्रयोग भी किया होगा या अन्य शिक्षकों को करते हुए देखा होगा, लेकिन नियमित रूप से प्रयोग नही किया और न ही इनके प्रभाव देखे।

आइए देखें ये प्रविधियाँ है -

नवाचार प्रविधियाँ

Brain Storming	-	किसी एक विचार पर खुले मत देना।
Cartoons	-	पढ़ाने का एक दिलचस्प तरीका।
Bulletin board	-	विद्यार्थियों को उनकी कृतियाँ लगाने का अवसर दें ताकि वो उत्साहित हों और बाकी भी सीखें।
Chalk Board	-	चॉक बोर्ड बच्चों को भी प्रयोग करने दें। वार्तालाप, सिक्के एकत्रित करना,

समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, बेकार वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएँ बनाना। जैसे पत्ते, टहनियाँ, रेत, शंख, सीपियों इत्यादि से या जो भी वस्तुएँ आस-पास उपलब्ध हों, समुदाय के स्रोतों का उपयोग करना एवं संसाधनों आग बुझाने वालों का, माली का, जैसे अभिभावकों का, स्वतंत्रता सैनानियों का समुदाय का भ्रमण करवाना जैसे डाकखाने ले जाना, बैंक या बाजार ले जाना। खरीददारी करना, सीखाना इत्यादि। विभिन्न खेल खिलाना, पत्र लिखवाना, पहेलियाँ, नृत्य-गीत इत्यादि।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

9 कार्यशाला विधि की क्या सीमाएँ है?

10 क्षेत्र पर्यटक के कितने प्रकार है? अपने क्षेत्र मै आप बच्चो को कहाँ- कहाँ ले जा सकते है?

5.4 शिक्षा में नवाचार के कुछ प्रयोग

शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थाएं एवं व्यक्ति समय-समय पर नवाचार प्रयोग करते रहें है। आइए उनमें से कुछ प्रयोगों के बारे में जाने एवं सीखें।

5.4.1 नली-कली -

खुशी-खुशी सीखने का मूल मंत्र कर्नाटक सरकार तथा UNICEF ने मिलकर मैसूर जिले की शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। कक्षाओं की दीवारों पर रंग-बिरंगे चार्ट तथा (Craftwork) कलात्मक वस्तुएँ लगाई गई। अलग-अलग आयु के बच्चें समूहों में बैठने लगे। कोई बच्चा पक्षी

की आवाज निकाल रहा है। यह कक्षा एक सरकारी विद्यालय की है और आज का पाठ पर्यावरण का है, लेकिन यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, केवल Facilitater (सहयोगकर्त्ता) है। शिक्षक के नाम में ही नही कार्य में भी अन्तर आया है। यह नाम का बदलाव अर्थ हीन नहीं है। सरकारी विद्यालयों में अक्सर बदलाव के प्रति विरोध होता है तथा कोई उत्साह देखने को नही मिलता। नली-कली एक अपवाद (Exception है, जिसने कक्षा के पठन-पाठन में काफी क्रांति ला दी है। यह एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ है, जिसकी शुरूवात स्वयं शिक्षकों ने की। यह मैसूर जिले के हेगरा कोट तालुक में शुरू हुआ जिसकी छोटी सी योजना यूनीसेफ ने SC/ST बच्चों का सर्वेक्षण करने के लिए बनाई। शिक्षकों ने क्रिया आधारित अधिगम को अपनाना चाहा तथा कुछ कठिनाईयों को स्वयं सुधारने का फैसला किया। बच्चों की अनुपस्थिति का मुख्य कारण कृषि-मजदूरी अनाकर्षक पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियाँ थीं। घर पर कोई पढ़ाई में सहायता करने वाला न था तथा पाठ्यपुस्तकों में शहरीकरण की तरफ झुकाव था जिसे सीधे-साधेगाँव के बच्चे अच्छी तरह से न समझ पाने के कारण पढ़ना छोड़ देते थे। 35 शिक्षकों को कक्षा संचालन के नियम, बच्चों की अधिगमन से संबंधित समस्याओं खास तौर पर प्रथम पीढ़ी अध्येता प्राप्त (First Generation Learners) की पर चर्चा हुआ पर्यावरण शिक्षा, भाषा तथा गणित में डर बनाए गए तथा अधिगमन का बोझ कम कर दिया गया। उसे वास्तविक (Realistic) तथा (Acheivable) बनाया गया। अब पढ़ाना होगा कला, गीत, नृत्य तथा अन्य रूचिपूर्ण तरीकों से। अन्य बच्चों को शिक्षकों से डर नही लगता। कोई बच्चा अनुत्तीर्ण नही होता। शिक्षक स्वयं शिक्षण अधिगम सामग्री Teaching/Learning Material। तैयार करते हैं। सभी गाँवो में नली-कली का प्रयोग हो रहा है। यही तक कि एक निजी (प्राइवेट) विद्यालय को बन्द होना पड़ा, क्योंकि वहाँ के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने चले गए और खेतों में किसान अपने बच्चों के विद्यालय में सिखाये गए गीत गुनगुनाते पाए गए। कैसा सुखद अहसास है पठन-पाठन की इस विधि से पढ़ाने में अध्यापक को ही पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती बल्कि बच्चों के लिए भी पूर्ण रूप से सीखने का वातावरण तैयार हो जाता है। बच्चे खुशी-खुशी सीखते हैं। शिक्षा बोझ नहीं लगती, बचपन फलता-फूलता है। अधिगम अन्तःप्रक्रिया Intercation से व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। जब एक समूह का (Comdeteng) कौशल बच्चा अच्छी तरह सीख जाता है, तो अगला समूह कर लेता है। खिलौनों से, कहानियो से, सर्वेक्षण से तथा गीतों से शिक्षा दी जाती है।

(कक्षा 1,2,3,)

5.4.2 खुशी की जगह

Isai Ambalay School यह विद्यालय अरावली के उत्तरी घेर पर है। इसके नाम का अर्थ है खुशी की जगह (Place of Harmony) और अरावली के आस-पास के गाँव से पढ़ने आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह विद्यालय 1982 में शुरू हुआ। इसे मादूराय के रहने वाले सुभाष चलाते है, वह 1993 में इसके साथ जुड़ा पिछले कुछ वर्षो से वह इस विद्यालय में शिक्षा के नवाचार प्रयोग कर रहे है, ताकि अधिगम रूचिपूर्ण, आसान एवं जल्दी हो सके। ये नवाचार प्रयोग भारत में एवं बाहर सफलता पूर्वक प्रयोग किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ हैं :-

गलैन दोमन विधि -

जो कि बच्चों को भाषा खुशी - खुशी सीखने के लिए प्रयोग किया गया बच्चों के पाठ्य कौशल बढ़ाने के लिए इस विधि में अभिभावकों ने भी सहायता की।

ऋषि वैली विधि

बच्चों में स्वयं सीखने की आदत डालने के लिए यह विधि अत्यन्त उपयोगी है। आन्धप्रदेश के ऋषि वैली विद्यालय में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। इसमें स्टेडी कार्डस का प्रयोग किया जाता है, जो कि भाषा, गणित तथा पर्यावरण शिक्षा के अलग - अलग अवतरणों में तैयार किए गए हैं तथा सरल से कठिन स्तर में रखे जाते है। इनमें बच्चा स्वयं सीखता रहता है। क्रियाएँ तथा खेल-खेल में सीखना इनमें निहित है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए यह कार्ड्स बहु त उपयोगी है।

डिजाइन विधि द्वारा शिक्षा (Education by Design Method) कुछ बडे बच्चे जो कि अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए यह विधि सफलता पूर्वक लाई जा सकती है। उनके लिए एक खास वातावरण कक्षा में बनाया जाता है। उनके अधिगमन के लिए उनके सामने कुछ चुनौतियाँ तथा समस्याएँ रखी जाती हैं, जो कि उनके अधिगमन पाठ्यक्रम से जुड़ी हु ई होती है तथा शिक्षक उनके लिए तैयार करते हैं। बच्चों को सुझाव दिए जाते हैं कि नाटक, चार्ट, चित्र इत्यादि के माध्यम से उन चुनौतियों तथा समस्याओं के विभिन्न आयाम सामने लाएं। शिक्षक इस कार्य में केवल उनकी सहायता करते है, महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर इस तरह से बच्चे खेल-खेल में जीवनोपयोगी बातें सीख जाते हैं। यह प्रयोग स्वतंत्र प्रगति विद्य (Free Progress System) जो कि श्री अरविन्दों आश्रम में शुरू एवं प्रयोग किया गया से मिलता - जुलता हैं । स्वयं करके सीखना तथा आवश्यक आधारित अधिगम का प्रयोग भी कॉफी सफलतापूर्वक ध्यानकेन्द्रित किए जा सकने वाले प्रयोग है । बच्चों को एकाग्रता (p०0००0१ाप्ताद) करना, शान्त करना, प्रार्थना करना, सिखया जाना चाहिए तथा इन परिक्रियाओं की महत्त्वता बनानी अतिआवश्यक है ।

भाषा खेल

आडियो टेप

फोनिक साउंड्स

Spiritual Methods :- ईश्वर की प्रार्थना ताकि शिक्षा में सहायता करे, मन शान्त रखे। Dedicate work to almighty अपना काम ईश्वर को समर्पित करना। हरेक प्रयास विद्यार्थियों तथा शिक्षकों द्वारा महसूस की गई आवश्यकता पर आधारित है तथा उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नवाचार प्रयोग किया गया तथा सफल रहा।

5.4.3 गिजु भाई बधेका के शैक्षिक प्रयोग

गुजरात में जन्मे (1666) गिजुभाई बधेका तत्कालीन शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे, अत: देश-विदेश के अनेक बाल-शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को उन्होने गंभीरता से अध्ययन किया तथा भावनगर के दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर को उन्होंने अपने शैक्षिक प्रयोगों के लिए चुना। बाल केन्द्रित शिक्षा की पद्धति खोजने के लिए कई शैक्षिक प्रयोग किए तथा अपने शैक्षिक विचारों को लगभग 200 पुस्तकों में लिपिबद्ध किया “दिवास्वप्न” एक एसी ही पुस्तक है। प्रस्तुत हैं इसमें से कुछ अंश इस बात में कोई शक नहीं कि कहानी अद्भुत जादू का काम करती है।"

"छात्रों और अध्यापकों को नजदीक लाने में कहानियाँ कितनी अद्भुत और जादूभरी चीज है । इसे मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहा हूँ। अजी साहब सीखाने - पढ़ाने का यही तो नया तरीका है। कहानियों के जरिये आजकल व्यवस्था का पाठ पढ़ाया जा रहा है। रूचि जागृत की जा रही है। कहानियों के जरिये भाषा, शुद्धि तथा साहित्य का परिचय कराया जा रहा हैं"।

कक्षा का छोटा सा पुस्तकालय -

हर बच्चे को किताबें खरीदनी ही पड़ती हैं। छात्रों से हम ये किताबें मंगवाएँगे ही नहीं बल्कि इन किताबों पर कुल जितनी रकम खर्च होगी, उतनी रकम इकट्ठी करके पढ़ने योग्य अच्छी किताबें खरीद लेंगे। इन पुस्तकों से एक अच्छा पुस्तकालय बन जाएगा।

खेलना -

मैं तुम लोगों के साथ खेलूँगा। चलो खेलें एक बच्चा बोला खो - खो खेलते हैं, दूसरे ने टोका नहीं कबड्डी, तीसरे ने कहा नही हम तो सात ताली वाला खेल खेलेगे। साहब खेल ही तो सच्ची पढ़ाई है। दुनिया की सभी महान शक्तियों का विकास खेल के मैदान पर ही हुआ है। लेटे - लेटे मैं सोचता रहा अगर मैं माता -पिता की एक आध बैठक बुलवाऊँ और खेल कूद के फायदे समझाऊँ तो कैसा रहे ? मैं स्वच्छता और अनुशासन के लिए भी सहयोग मानूंगा। अब तक तो स्कूल में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। कहानी पठन, वाचनालय, आदर्श पठन, खेल कूद, डिक्टेशन, कविता सुनना, स्वच्छता और प्रार्थना आदि। मैंने कहा - जहाँ तक मेरा मानना है। मुझे लगता है कि धर्मोपदेश का कार्य छोटे - छोटे बच्चों के बीच तो नहीं ही किया जाना चाहिए। उन्हें तो आज स्वस्थ शरीर, तंदुरूस्त मन, निर्मल बुद्धि, काम करने की असीम ताकत वगैरह, ये चीजें मिलनी चाहिएँ, उन्हें इसी तरीके से ही बलवान बनाया जा सकता है। समय से पहले धर्म की जानकारी देना उचित नहीं है।

"ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन पूर्ण सत्य हैं, यह जरूरी तो नही' ' देखा जाए तो सारे के सारे इतिहास को किसने देख कर ज्यों का त्यों लिखा है? कहानियों द्वारा इसे कुछ रौचक बनाने की कोशिश की जा सकती है।

कक्षा में रंगमंच -

छोटे -छोटे बच्चों को स्वयं, प्रेरणा से चूहा, दर्जी, राजा और इस तरह दूसरे पात्रों का अभिनय करते देख सचमुच बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये अद्भुत अनुभव था, सारी चीजें स्वयं स्फूर्त होती चली आ रही थी। मैंने बताया - मैं तो तुम सब के पैसे जमा करके कहानियों की ये नई किताब ले आया हूँ। बच्चे बहुत खुश हो गए। वह अच्छी -अच्छी रंगीन कवर वाली और तस्वीरों वाली किताबें देखकर छीना - झपटी करने लगे। समस्त में यदि कोई नई आदत डालनी होती है तो धीरज तो धरना ही पड़ेगा। वही काम बार - बार करके दिखाना पडेगा। मूल्यांकन Cooperative Learning - तो फिर हमारी अपनी कक्षा में किसी भी बात के लिए नम्बर क्यों होने चाहिए ' - कविता आती है तो कविता गाएँगे। नही आती है तो याद करेंगे। खेलना नहीं आता होगा तो देख - देख कर सीखेगे। आता होगा तो खेल -खेल कर खूब मजा करेंगे। डिक्टेशन में अच्छे और साफ अक्षर लिखेंगे तो उसे देखकर दूसरे भी साफ - साफ लिखेंगे। किसी को पूछो और उसे न आता हो तो जिसे आता हो तो वह उसे सिखा दे, नही तो मैं सिखाऊगा। यह बात समझ में आई। आखिर में मैंने कहा - हमारी कक्षा की यही तो अलग तरह की बात है। एकदम नई बात, इसमें नए तरीके से ही काम करना होगा। यही तो हमारी कक्षा की खासियत है। यही

वास्तविक शिक्षा है, बाकी तो सब रटके कविता या दूसरी चीजें मंच पर आकर बोल देना अब बीते जमाने की चीजें हैं। ओह! उनसे तो अब चिढ़ होने लगती है। वे बेहूदगी भरी बातें लगती है। उनसे आत्मा का नाश होता है।

5.4.4 शिक्षण के कुछ और नवाचार तरीके

कार्यशाला प्रविधि -

परम्परागत शिक्षण में ज्ञान और स्मृति शिक्षण पर ही विशेष जोर दिया गया है तथा ज्ञानोप्रयोग, कौशल व अभिरूचि पर कम ध्यान दिया गया है। ज्ञान को प्रधानता देकर कर्म की इस व्यवस्था में उपेक्षा की गई है, जिसके कारण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो पाता है। यहाँ कार्यशाला शब्द के बारे में यह भ्राँति नही होनी चाहिए कि केवल विज्ञान या उद्योग में भी कार्यशाला होती है। कार्यशाला की निम्नलिखित परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाएगा-

कार्यशाला की परीभाषाएँ -

(1) डी. पी. सिंह के अनुसार ' 'कार्यशाला एक ऐसा व्यक्तिशः सम्पर्क का आधारभूत समूह या वर्ग है, जिसमें व्यक्तियों को सामाजिक नियंत्रण द्वारा प्रभावित करने हेतु अधिकाधिक घनिष्ठ एवं प्रत्यक्ष सामाजिक अन्त: क्रिया सम्पन्न होती है। " कार्यशाला समूहगत विचार-विमर्श की प्रविधि है, किन्तु इसमें प्रायोगिक कार्य को प्रधानता दी जाती है।

कार्यशाला के अन्तर्निहित सिद्धांत -

प्रमुखत: निम्न सिद्धांत इस प्रविधि में अन्तर्निहित है ।

1) प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का सिद्धांत
2) समूह प्रगतिशीलता का सिद्धांत
3) स्वयं करके सीखने का सिद्धांत
4) कार्य विश्लेषण के आधार पर प्रशिक्षण का सिद्धांत
5) अधिगम के अन्तरण का सिद्धांत

कार्यशाला की भूमिकाएँ -

कार्यशाला के आयोजन एवं व्यवस्था के लिए चार प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती हैं।

1) अनुदेशक या व्यवस्थापक :

कार्यशाला की पूरी योजना तैयार करके उसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व व्यवस्थापक का होता है।

2) अध्यक्ष या संचालन :

अध्यक्ष के चयन की जिम्मेदारी व्यवस्थापक पर होती है । अध्यक्ष प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए तथा उसे कार्यशाला के प्रकरण एवं उसकी व्यावहारिक उपयोगिता की पूरी जानकारी होनी चाहिए ।

3) विशेषज्ञ :

विशेषज्ञ छात्रों को नवीन आयाम के संबंध में पूर्ण जानकारी देने योग्य होना चाहिए । ताकि संभागियो के ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास कर सके ।

4) प्रशिक्षणार्थी :

इनमें नवीन उपागमों में रूचि होना आवश्यक है ।

कार्यशाला विधि के तीन सोपान हैं -

1) नियोजन
2) क्रियान्वयन
3) मूल्यांकन

तीनों अति महत्त्वपूर्ण है।

कार्यशाला विधि की विशेषताएँ -

1) इस प्रविधि से ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
2) प्रायोगिक कार्य प्रशिक्षण की वैज्ञानिक और प्रभावी विधि है।
3) इस प्रविधि में शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है।
4) इस प्रविधि से सक्रिय सहभागत्व का सिद्धांतअपनाया जाता है।
5) समूह में कार्य करने तथा सहयोग की भावना का विकास होता है।
6) इसमें विभिन्न प्रत्ययों और आगामों के मूल्याँकन का भी अवसर मिलता है।

कार्यशाला की सीमाएँ

1) यह समय एवं श्रम साध्य प्रविधि है ।
2) स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञों की कमी रहती है।
3) साध्य सामग्रियों की अनुपलब्धता रहती है।
4) इसमें समूह के कुछ लोग केवल अनुकरण कार्य पूरा करते हैं या दूसरे की सहायता से अपना कार्य पूरा करते हैं।
5) कुछ शिक्षक तथा छात्र नवीन आगामी में कम रूचि लेते हैं।

कार्यशाला का प्रभावी प्रयोग शिक्षक कैसे कर सकते हैं -

क्षेत्र पर्यटन (Field Trip) -

क्षेत्र पर्यटन का शाब्दिक अर्थ है, कि विद्यालय से बाहर किसी शैक्षिक उद्देश्य से भ्रमण करना, प्रोहित के अनुसार "भ्रमण से तात्पर्य उस शैक्षणिक प्रवृति के आयोजन से है, जिसमें शिक्षार्थी अपने विद्यालय कक्ष से बाहर जाकर सांस्कृतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं निरीक्षण करके पाठ्यक्रम के किसी महत्त्वपूर्ण अंश का अध्ययन करते हैं।"

के. एस. याजनिक के अनुसार "कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री परिदर्शनों तथा क्षेत्र पर्यटनों द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव का स्थान नहीं ले सकती।" इसमें अधिगम प्रत्यक्ष जीवन अनुभवों से होता है तथा सजीव रोचक एवं स्थाई होता है।

क्षेत्र पर्यटन में अन्तर्निहित सिद्धांत -

यह प्रविधि मुख्यत: निम्न सिद्धान्तों पर आधारित है -

(1) प्रत्यक्ष अनुभव का सिद्धांत
(2) क्रियाशीलता का सिद्धांत
(3) शैक्षिक प्रयोजनशीलता
(4) निरीक्षण एवं अवलोकन के कौशलों का विकास

(5) समूह गतिशीलता के कारण स्वत: अभिप्रेरणा

क्षेत्र पर्यटन के प्रकार -

(1) स्थानीय शैक्षिक पर्यटन

(2) शैक्षिक यात्रा

(3) भ्रमण

(4) स्थानीय सर्वेक्षण

(5) परिदर्शन (Uisits)

क्षेत्र पर्यटन के सोपान -

(1) नियोजन :

क्षेत्र पर्यटन के लिए की गई सभी पूर्व तैयारियाँ जैसे - स्थान का चुनाव, परिवहन साधन, कार्यक्रम, धन की व्यवस्था।

(2) कार्यान्वयन :

इस अवस्था में विद्यार्थी गन्तव्य स्थल पर पहुँचकर प्रक्रियाओं का पूर्व आवन्तित विधि के अनुसार सूक्ष्मता से निरीक्षण तथा अवलोकन करते है। शिक्षक पृष्ठभूमि में रहकर छात्रों का मार्गदर्शन करता है, छात्र निरीक्षण के समय नोट किए गए प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर व्यक्तिगत या वर्गगत प्रतिवेदन तैयार करते हैं। भ्रमण के समय छात्रों की शंकाओं का निवारण भी अध्यापक के द्वारा किया जाता है।

(3) मूल्याँकन :

पर्यटन से वापस आने के बाद छात्र अपनी रिपोर्ट पूरी कक्षा के समक्ष रखते है,जिनमें छात्रों तथा शिक्षकों के विचार - विमर्श के आधार पर उनमें आवश्यक परिवर्तन, संशोधन एवं परिवर्द्धन किया जाता है। सफलताओं एवं पर्यटन संबंधी असफलताओं के कारणों की विवेचना भी की जाती है। अन्त में शिक्षक इस पर्यटन से अर्जित ज्ञान को पाठ्य प्रकरण से जोड़कर उसका महत्त्व स्पष्ट करता है।

क्षेत्र पर्यटन की विशेषताएँ -

(1) यह औपचारिक पर्यटन से थोड़ा हटकर है, अत: विद्यार्थी अधिक रूचि लेते हैं।

(2) इस प्रविधि द्वारा सभी विद्यार्थियों को क्रियाशील रखा जा सकता है।

(3) क्योंकि इससे प्रत्यक्ष जीवन अधिगम होता है, अत: यह अधिगम अधिक स्थाई होता है।

(4) छात्रों में किसी वस्तु का सूक्ष्म अवलोकन करने की क्षमता का विकास होता है।

(5) सामाजिकता, सहयोग, सहनशीलता, नेतृत्व तथा अन्य प्रजातांत्रिक गुणों का इस प्रविधि में प्रभावी विकास होता है।

(6) छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में अभिरूचि बढ़ती है।

(7) इसके द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, वाणिज्य तथा भाषा पढ़ाए जा सकते हैं ।

क्षेत्र पर्यटन की सीमाएँ -

(1) अधिकांश पर्यटनों का उद्देश्य शैक्षिक कम तथा मनोरंजनात्मक अधिक होकर रह जाता है।

(2) खर्चीली प्रविधि है।

(3) समय काफी बर्बाद होता है।

(4) सभी प्रकरण क्षेत्रीय पर्यटन द्वारा नहीं पढ़ाए जा सकते।

(5) निकटस्थ समुदाय में सभी वान्छित पर्यटन स्थल नहीं पाए जा सकते है।

(6) अनुशासन बनाए रखना कठिन हो जाता है।

(7) दुर्घटनाओं का डर रहता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

6 शिक्षा में नवाचार से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएँ क्या - क्या हैं?

7 शिक्षा में नवाचार लाने के मार्ग में क्या - क्या कठिनाईयाँ आ सकती हैं?

8 शिक्षा में कुछ नवाचार विधियों के बारे में संक्षेप में लिखिए।

5.5 अधिगम के न्यूनतम स्तर (M.L.L.: Minimun Levels of Learning)

इनको निर्धारित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि जाति-पाँति, जन्म, स्थान, लिंग आदि के अन्तर को दृष्टिगत न रखते हुए बच्चों को तुलनात्मक स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जा सके। अधिगम के न्यूनतम स्तर को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के गुणवत्ता के साथ-साथ समानता स्थापित करना भी है। इसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए अधिगम के Outcomes निर्धारित किए गए है, जो कि Expected Competenencies के रूप में है।

इसमें उन शिक्षण के तरीकों का उल्लेख भी किया गया है जिनको अपनाकर विद्यार्थियों में उन योग्यताओं या कौशलों का विकास किया जा सकता है, ये विधियाँ औपचारिक विद्यालयों एवं गैर औपचारिक शिक्षण-केन्द्रों दोनों जगह प्रयोग में लाई जा सकती है। डण्स्पs की प्रविधि का केन्द्र बिन्दु शिक्षण एवं अधिगम में कौशलों का विकास करना है। M.L.L की शुरूआत में किए गए अध्ययनों से यह सामने आया है कि कई जिलों में यह कौशल अत्यन्त निम्न स्तर तक विकसित है। यानी कि बच्चों ने विद्यालय में जाकर भी कुछ नही सीखा। न पाठन, न लेखन, न ही न्यूनतम गणित, (3Rs., Reading, Writing and Airthmatic) यानी शिक्षा की गुणवत्ता निम्न स्तर की थी। प्राथमिक स्तर पर तीन विषयों में अधिगम के न्यूनतम स्तर भाषा में, गणित में, तथा पर्यावरण अध्ययन में तैयार कर लिए गए हैं। इनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों की अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए न कि विषय वस्तु को अधिक से अधिक रटाया जाए। बच्चों को पढ़ाई समझ नही आती। इस बोझ को सहते हुए वह तोते की तरह सब कुछ रट लेते है, जो कि वास्तविक अधिगम नही है। यह बोझ बच्चों के नाजुक दिमाग से हटाया जाए। उन्हें हर बात समझायी जाये जिससे कि दिये गये ज्ञान को व्यावहारिक जीवन से जोड़ सके तथा उसका प्रयोग कर सकें अन्यथा शिक्षा बोझ के अलावा कुछ भी नहीं है, हर कक्षा के अन्त में बालकों द्वारा ग्रहण किए गए कौशलों का मूल्याँकन हो। जिससे वे अगली कक्षा में जाने के लिए योग्य निर्धारित किए जाएँ, प्राथमिक स्तर पर कोई भी बच्चा अनुर्तीण

नही घोषित किया जाएगा। जिस कौशल में वह पिछड़ा रह जाए अध्यापक प्रयास करके तथा बच्चों को अभ्यास करवाकर उसमें उन्हें योग्य करें, ताकि बच्चे को उच्च स्तर की अवधारणाएँ समझने से पहले निम्न स्तर की बातें स्पष्ट हों तथा बच्चा स्व अध्ययन के लिए तैयार हो पाए, इसलिए (M.L.L) के माध्यम से बच्चों के अधिगम का आधार मजबूत बनाने का इरादा है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिल रही है। इसमें सरकार गैर सरकारी संस्थाओं, शोध संस्थाओं इत्यादि की सहायता भी ले रही है।

5.5.1 भाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर स्थापित करने के उद्देश्य हैं -

नौ आधारभूत कौशलों में दक्षता हासिल करना, इनमें से प्रमुख है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, विचारों को समझना, कार्यात्मक व्याकरण, स्व-अध्ययन भाषा का प्रयोग एवं शब्दावली। इन सब के लिए आवश्यक है कि कक्षा में अनौपचारिक वातावरण बनाया जाए।

5.5.2 गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर स्थापित करने के उद्देश्य हैं

दैनिक जीवन से जुड़ी सामान्य समस्याओं को सुलझाने की योग्यता का विकास करना जैसे कि प्रतिवेदन की आवश्यकताओं के लिए पैसे का प्रयोग, लम्बाई, चौड़ाई, भार, आयतन, क्षेत्रफल तथा समय से संबंधित सामान्य समस्याओं को सुलझाना, ज्यामिति के आकारों को समझाना इत्यादि।

पढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग पर बल देना चाहिए। भिन्नों का प्रयोग, दशमलव का प्रयोग प्रतिशत का प्रयोग, ज्यामिति के आकारों को समझना इत्यादि।

5.5.3 पर्यावरणीय अध्ययन में न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित करने के उद्देश्य

पर्यावरणीय अध्ययन करने के बाद

- विद्यार्थी समाज एवं प्रकृति में अपना स्थान समझ पाएँ।
- अपना तथा प्रकृति का संबंध समझ पाएँ।
- भूतकाल तथा वर्तमान का संबंध समझ सकें तथा भूतकाल को सही दृष्टिकोण से देख सकें।
- अच्छे स्वास्थ्य के नियम समझ पाएँ।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो ताकि अपने जीवन से सामाजिक रूढ़ियों को दूर कर सकें।
- शिक्षण क्रिया आधारित हो ताकि बच्चे आसपास के समाज और प्रकृति का सही अर्थापान खोजें, विश्लेषण करें, व्याख्या करें।
- ज्ञान को समझने की तथा प्रयोग करने की योग्यता का विकास हो ताकि रट्टा मारकर पास होने की प्रवृत्ति को हटाया जा सके।

5.5.4 न्यूनतम अधिगम स्तर एवं निज्ञानात्मक शिक्षा

- इसका अन्तिम लक्ष्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है।

– निज्ञानात्मक क्षेत्र में रूचियाँ, अभिवृत्तियाँ. व्यवहार व मूल्य प्रणाली सम्मिलित होते है। इनका न्यूनतम अधिगम स्तर द्वारा मूल्यांकन नही हो सकता, लेकिन इनका महत्व कम नहीं है।

5.5.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988

– विशेष रूप से निम्नलिखित मूल्यों के विकास पर जोर देती है, जैसे कि भारत का साँझी साँस्कृतिक विरासत, समानता प्रजातंत्र, धर्म-निरपेक्षता, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बाधाओं का निराकरण, सामाजिक मानकों का पालन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।

5.5.6 M.L.L. की आवश्यकता

शिक्षा के क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी यह है कि शिक्षक, अभिभावक, योजनाकर्त्ता Planners, छात्र कोई नहीं जनता की हमारी उपलब्धि अधिगम में क्या है, क्योंकि वास्तविक उपलब्धि जानने के उपकरण नहीं हैं। उपस्थित अभिलेख या पाठ्यक्रम का पढ़ा देना वास्तविक अधिगम नहीं दर्शाता।

– M.L.L. ने शिक्षा प्रणाली को उपलब्धिके सूचक देकर दिशा प्रदान की।

– M.L.L. अलग - अलग विषयों में स्कूल के कार्यकलाप बनाने में सहायता करता है।

– शिक्षा की गुणवत्ता अब विद्यार्थियों की उपलब्धि है न कि विद्यालय की इमारत या शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता।

– शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दुर्भाग्यवश प्राथमिक शिक्षा से बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते।

– बच्चें किसी भी विद्यालय में जाएँ, किसी भी क्षेत्र में आएँ, प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्हें M.L.L. कुशलताएँ प्राप्त हों, ताकि शिक्षा का प्रभाव दूरगामी हो, सामाजिक रूप से उपयोगी हो।

M.L.L. तथा पाठ्यक्रम -

वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष अतिसूचनाओ से भरपूर, पाठ्यचर्चा निश्चित समय में पूर्ण करने की आवश्यकता है, जिससे कि कमजोर बच्चे पढ़ाई में रह जाते हैं। ऐसी शिक्षा में नवाचार प्रयोग, क्रियाकलाप, पर्यवेक्षण इत्यादि का कोई स्थान नहीं है। इससे कई बुराईयों का जन्म होता है तथा बच्चों के भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास पर बुरा असर पढ़ता है।

उपचार -

(1) पाठ्यक्रम हल्का करें।

(2) शिक्षकों को नवाचार प्रयोग करने दें।

(3) आधारभूत कौशलों का विकास बच्चों में अच्छी तरह होने दें।

(4) हर बच्चा अधिगम के न्यूनतम स्तर को हासिल कर सके।

M.L.L. की विशेषताएँ

(1) उपलब्धि -

सभी समान की शिक्षा प्राप्त करें।

(2) सम्प्रेषण योग्यता

सभी M.L.L. समझे शिक्षक, अभिभावक, गैर औपचारिक अनुदेशक समुदाय इत्यादि।

(3) कोई फेल नहीं -

प्राथमिक स्तर पर स्वयं प्रौन्नत अधिगमन के कौशल को प्राप्त करना ही वास्तविक उपलब्धि है।

(4) शिक्षा सतत् है -

औपचारिक तथा गैर औपचारिक प्रणाली के लिए एक जैसा ही है।

(5) निज्ञानात्मक क्षेत्रों जैसे -

शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव कला तथा हस्तशिल्प, संगीत को आधारभूत पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।

स्वरूप -

व्याख्यान की अपेक्षा यह कम प्रभुत्ववादी है । इसमें तीन सोपानों का अनुसरण किया जाता है-

अ) प्रस्तावना (Introduction)

ब) विकास (Development)

स) एकीकरण (Integration)

प्रथम सोपान में उद्देश्यों की व्याख्या की जाती है। द्वितीय सोपान में पाठ को विकसित किया जाता है। जिसमें शिक्षक प्रश्नों तथा सहायक सामग्री को प्रयुक्त करता है। तृतीय सोपान के अन्तर्गत पाठ्य-वस्तु के एकीकरण के लिए अभ्यास कराया जाता है तथा मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं।

सिद्धान्त -

इसके मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है -

1) इस आव्यूह की यह धारणा है कि कौशल का विकास अनुकरण से भली प्रकार किया जा सकता है।
2) अनुकरण के प्रत्यक्षीकरण का अवसर दिया जाता है।
3) अनुवर्ग शिक्षक

इसको प्रभुत्ववादी तथा प्रजातन्त्रवादी दोनों प्रकार का उपागम मानते है। व्याख्यान में छात्रों को व्यक्तिगत कठिनाईयों को शिक्षक से पूछने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए कक्षा को छोटे-छोटे वर्गो में बांट दिया जाता है। एक अनुवर्ग को एक शिक्षक को सौंप दिया जाता है। वह शिक्षक अपने अनुवर्ग के सभी अध्ययन सम्बन्धी कठिनाइयों के समाधान में यहायता करता है। इस प्रकार के शिक्षक को अनुवर्ग शिक्षक कहा जाता है। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया जाता है। इसमें उपचारात्मक विधियों का प्रयोग होता है।

सिद्धान्त

1) इसका प्रमुख सिद्धान्त व्यक्तिगत भिन्नता है।

2) छात्र-शिक्षक का सम्पर्क निकट का होता है।

3) छात्रों को शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है।

4) व्यक्तिगत कठिनाइयों के समाधान का शिक्षण में अवसर मिलता है।

5) उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

बाल केन्द्रित शिक्षण -

शिक्षण में बजाए शिक्षक के केन्द्र बालक होता है। इसमें बच्चा ज्ञान बनाता है, अर्जित करता या आत्मसात् करने की बजाए, बच्चा अपनी अक्ल का प्रयोग करता है, जिससे शान लम्बे समय तक टिका रहता है। इसमें शिक्षक का कार्य विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना तथा उसके लिए क्रियाओं को आयोजित करना होता है। उदाहरण के लिए अध्यापक कोई सवाल करेगा और विद्यार्थी उसका उत्तर स्वयं ढूँढेगा। इस परियोजना में विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहकर अपना ज्ञान स्वयं अर्जित करता है। इसमें उच्च स्तर का ज्ञान होने की अपेक्षा की जाती है। आधार सशक्त बनता है। बहु आयामी अधिगमन होता है फिर शिक्षक के लेक्चर द्वारा दिया गया ज्ञान भी समझ आने लगता है, क्योंकि बच्चे उसको अपने द्वारा अर्जित ज्ञान से जोड़ कर समझ पाते हैं।

विधि -

एक अवतरण से संबंधित पूर्व ज्ञान जाँचने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। फिर विद्यार्थियों को किसी क्रिया में लगा दिया जात है, जो कि उन्हें पूर्व ज्ञान के साथ-साथ नए ज्ञान का भी अनुभव देता है। इसमें बहुत सारे प्रयोग, क्रियाएँ, खेल, अभ्यास, खोज, अन्वेषण तथा खोजबीन हैं। बच्चों को तैयारी एवं मार्ग दर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन Hint दें, सब कुछ न बताएँ, सभी संभव अधिगमन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे Classmates (सहपाठी), Book (पुस्तक), Media,Friends, Parents,Nature आदि। अध्यापक का काम हल्का नहीं होता, अपितु सही मार्गदर्शन की जिम्मेदारी होती है।

शिक्षक केन्द्रित उपागम -

शिक्षक केन्द्रित उपागम के अन्तर्गत शिक्षक केन्द्र में होता है। पाठ्यवस्तु का निर्धारण शिक्षक द्वारा किया जाता है। छात्रों के मानसिक विकास अधिक बल दिया जाता है। शिक्षक व्यवस्था स्मृति पर आधारित होती है। इनसे ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षक केन्द्रित उपागम का उल्लेख इस प्रकार है :-

1 व्याख्यान -

यह शिक्षा की सबसे प्राचीन विधि है। यह आदर्शवादी विचारधारा की देन है। विद्यालयों में आज भी इस विधि का शिक्षण की दृष्टि से कम महत्व नहीं है। इसे शिक्षण की प्रभुत्ववादी शिक्षण उपागम भी मानते है, क्योकि इसके द्वारा अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। सामाजिक विषयों के शिक्षण में इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है।

स्वरूप -

इसमें पाठ्य-वस्तु के प्रस्तुतीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षक को अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है। छात्रों के ध्यान को केन्द्रित करने के लिए शिक्षक कभी-कभी प्रश्न-

प्रविधि को भी सहायता लेता है। शिक्षक को अधिक तैयारी करनी पड़ती है। छात्र केवल श्रोता का कार्य करते हैं।

शिक्षक सिद्धान्त -

व्याख्यान आव्यूह के अधोलिखित सिद्धान्त हैं -

1 पाठ्यवस्तु को पूर्णरूप से प्रस्तुत किया जाता है।

2 पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतीकरण पर अधिक बल दिया जाता है।'

3 छात्र सुनकर अधिक सुगमता से सीखते है।

4 अन्य विषयों के साथ सहसम्बन्ध स्थापित किया जाता है।

2 पाठ प्रदर्शन

यह शिक्षण की परम्परागत विधि है। इसका प्रयोग तकनीकी संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। इसका अनुदेशात्मक पाठ्यक्रम में अधिक प्रयोग करते हैं। http://www,udel.edu/fth/pbs/web.model/htm

मूल्यांकन प्रश्न

1. कुछ उन नवाचार शिक्षण विधियों के बारे में बताईये जिन्हें आप ने कभी शिक्षण में प्रयोग किया है या आपके शिक्षकों ने उनके माध्यम से पढ़ाया और आपको अच्छा लगा या आपके पास कुछ नवीन विचार है, जो आपको लगता है, कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रूचिपूर्ण बना सकता है?
2. क्या आप के विचार से अधिगम के न्यूनतम स्तर एक सफल प्रयोग रहा। इसे और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? प्राथमिक स्तर के सभी विषय लेकर उदाहरण दें।
3. प्रौढ़ों एवं बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में क्या-क्या समानताएँ एवं विभिन्नताएँ हैं?

बोध प्रश्नों के उत्तर

1. शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह क्रियाओं की एक विधि है, जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है तथा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है।
2. अधिगम मानव प्रवृत्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं में लाया गया वह परिवर्तन है, जो बना रहता है तथा जिसका श्रेय केवल विकास प्रक्रिया को नहीं जाता । अधिगम दृष्टिगोचर व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होता है। अधिगम व्यक्ति के निष्पादन में बदलाव संबंधी 'क्षमता' अथवा 'कार्यकुशलता' का विकास है।
3. प्रौढ़ स्वतंत्र होते हैं एवं अपनी दिशा स्वयं तलाशते एवं निर्धारित करते हैं। जबकि बालकों के लिए यह कार्य शिक्षकों एवं अभिभावकों को करना पड़ता है।

प्रौढ़ अपने जीवन के अनुभव को वर्तमान अधिगम के साथ जोड़कर बेहतर सीख सकते है। बालकों के पास अनुभवों की कमी होती है। प्रौढ़ व्यावहारिक होते हैं, उनके ऊपर कई जिम्मेदारियों का दबाव होता है, जिसका ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए एवं मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए।

4. शिक्षा में नवाचार शिक्षा प्रणाली में नूतन विचार, नवीन पाठ्यक्रम, नई विधाओं तथा तकनीकों द्वारा सुधार लाने से संबंधित है। इससे वर्तमान परिस्थितियों में सुधार का प्रयास होता है। शिक्षा के बेहतर परिणाम निश्चित होते हैं।

5. नवाचार के मार्ग की बाधाएँ निम्नलिखित होती हैं :-

(1) व्यक्तियों की आदतें

(2) हिचकिचाहट

(3) नवाचार प्रयोगों से असफलता का डर

(4) परम्परागत समूहों से हटकर चलने से डर

6. शिक्षा में नवाचार प्रयोग करने हेतु कुछ विधियाँ -

(1) ब्रेनस्टोरमिंग

(2) कार्टूनों द्वारा पढ़ाना

(3) बूलेटिन बोर्ड का प्रयोग

(4) समुदाय का एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना

(5) खेलों द्वारा पढ़ाना

(6) कहानी के माध्यम से पढ़ाना

(7) पत्र लिखवाना

(8) पहेलियाँ

(9) क्षेत्र भ्रमण

(10) डायरी लिखना इत्यादि।

7. गिजु भाई बधेका ने बाल-केन्द्रित शिक्षा पद्धति का पालन किया। शिक्षण के लिए कहानी एवं पत्र लेखन को माध्यम बनाया। कक्षा में छोटा सा पुस्तकालय बनाया ताकि बच्चें पढ़ने में रूचि लें। खेलों के माध्यम यम से बच्चों को कई विषयों का ज्ञान दिया एवं अनुशासन तथा स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया। प्रार्थना का महत्त्व सिखाया। कहानियों द्वारा इतिहास को रोचक बनाया। कक्षा में रंगमंच करवाया।

8. अधिगम के न्यूनतम स्तर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए परिणाम निर्धारित किए गए हैं, जो कि वान्छित कौशलों के विकास के रूप में हैं। यह बच्चों में हर प्रकार के अन्तरों को नकारते हुए तुलनात्मक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से निर्धारित किए गए हैं। इनमें उन शिक्षण विधियों का भी वर्णन किया गया है, जिनके द्वारा बच्चों में इन योग्यताओ का विकास किया जा सकता है एवं उनका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा यह भी निर्धारित है। अधिगम के न्यूनतम स्तर गणित, भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन में निर्धारित किए गए हैं।

9. कार्यशाला विधि की निम्नलिखित सीमाएँ हैं -

– यह समय एवं श्रम साध्य प्रविधि है।
– स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञों की कमी रहती है ।
– साध्य सामग्रियों की अनुपलब्धता रहती है ।
– कुछ शिक्षक एवं छात्र कम रूचि लेते हैं ।

10. क्षेत्र पर्यटन के कई प्रकार है, जैसे -

– स्थानीय शैक्षिक पर्यटन
– शैक्षिक यात्रा

– भ्रमण
– स्थानीय सर्वेक्षण
– परिदर्शन इत्यादि।

5.6 संदर्भ ग्रंथ

1 शिक्षा तकनीकी के मूल तत्त्व, निदेशक एवं प्रबंधक- (आर. एन. शर्मा) आर. लाल बुक डिपो, मेरठ (2006)
2 शिक्षण एवं अधिगम के आधारभूत तत्त्व (डी. रमा शंकर शुक्ल, डी. बी. एस. डागर, डी. अनिल शुक्ल) शिक्षक प्रकाशन, कोटा (1992)
3 "दिवास्वपन", गिजु भाई बधेका, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली
4 वेबसाईड सभी प्रकरणों से संबंधि
5 Stephen Lieb: Senior Technical Writer and Planner : A rizane Department of health service and Part time Instructore South Mountain Community Colla from vision fall 1991.

इकाई 8

प्राथमिक स्तर पर एकीकृत शिक्षण एवं अधिगम

(Integrated Teaching & Learning at EE Level)

इकाई की संरचना

6.0 उद्देश्य
6.1 प्रस्तावना
6.2 एकीकृत शिक्षण अधिगम
    6.2.1 प्रत्यय
    6.2.2 एकीकृत अधिगम की परिभाषाएं
    6.2.3 एकीकृत अधिगम के तत्व
6.3 बच्चे कैसे सीखते हैं?
    6.4.1 बच्चे करके सीखते है।
    6.3.2 अधिगम का भावनात्मक पक्ष
    6.3.3 शिक्षण अधिगम में बदलाव आवश्यक है।
6.4 एकीकरण केन्द्रिय अधिगम प्रक्रिया
    6.4.1 शिक्षा के उद्देश्य एवं एकीकृत अधिगम
    6.4.2 शिक्षा की विषयवस्तु एवं एकीकृत अधिगम
    6.4.3 एकीकृत अधिगम हेतु शिक्षण पद्धतियां
    6.4.4 एकीकृत शिक्षण आधारित एक पाठ योजना
6.5 एकीकृत शिक्षण अधिगम की आवश्यकता एवं महत्वता, एवं उपयोगिता
6.6 सारांश
6.7 संदर्भ ग्रंथ

6.0 उद्देश्य

इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- एकीकृत अधिगम शिक्षण को परिभाषित कर पाएंगे
- एकीकृत अधिगम शिक्षण की पद्धति की व्याख्य कर पाएंगे
- एकीकृत अधिगम की आवश्यकता, महत्वता एवं उपयोगिता वर्णित कर पाएंगे।
- एकीकृत शिक्षण पद्धति को प्राथमिक स्तर पर क्रियान्वित करने की चर्चा कर पाएंगे
- एकीकृत शिक्षण के लिए पाठ-योजना तैयार कर पाएंगे।
- एकीकृत शिक्षण अधिगम के तत्व क्या हैं जान पाएंगे।

6.1 प्रस्तावना

इस इकाई में हम एकीकृत शिक्षण अधिगम की पद्धति के विषय में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि यह किस प्रकार पाठ्यवस्तु शिक्षण विधियों, मूल्यांकन इत्यादि क्रियाओं को प्रभावित करती है। आधुनिक कक्षाओं में इस पद्धति की उपयोगिता पर भी हम विचार करेंगे तथा यह समझेगे कि किस प्रकार एकीकृत शिक्षण, अधिगम की प्रक्रिया को सुगम एवं रौचक बनाता है।

6.2 एकीकृत शिक्षण एवं अधिगम

ज्ञान का अर्जन भौतिक एवं सामाजिक परिपेक्ष से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्ति कहां से और कैसे ज्ञान प्राप्त करना है यह जानना बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में हम एकीकृत शिक्षण अधिगम प्रत्यय की व्याख्या करेंगे ताकि आप इसे समझकर अपने विद्यालय में कार्यान्वित कर सकें। भारत में जहां विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और दूसरी और सबके लिए शिक्षा का उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा शिक्षण प्रभावी बनाने हेतु एकीकृत शिक्षण महत्वपूर्ण है। आइए जाने एकीकृत अधिगम के विषय में -

6.2.1 प्रत्यय

आप एक शिक्षक हैं तथा प्राथमिक स्तर के बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराने ले जाते है। इन बच्चों के मध्य हो रही बात-चीत को सुनिए तथा बच्चों की प्रतिक्रियाओं को भी ध्यान से सुनिए वे बन्दरों को देखकर क्या कहते हैं तथा क्या उन्हें कुछ खिलाने का प्रयास करते हैं? यह जानने के लिए कि वे क्या खाते हैं क्या नहीं, कुछ बच्चे अकेले बैठे बन्दर की और देखते हैं बच्चे अलग हरकत कर रहे बन्दरों की और आकर्षित हो जाते हैं। कई बच्चे बंदरों की हरकतों की नकल भी उतारते हैं। वे आपसे तथा चिड़ियाघर के कर्मचारियों से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं जैसे कि ये बंदर कहां से आए? ये कितने बड़े हैं या छोटे हैं, ये नर हैं या मादा। ये क्या खाते हैं? इनके बच्चों के नाम क्या है, इत्यादि अगर उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्ररित / प्रोत्साहित किया जाए तो वे ये सब प्राणियों के विषय में अनेक तथा प्रश्नोत्तर का क्रम चलता रहेगा। जैसे-जैसे वे और जानवर पक्षी या अन्य चीजें देखेंगे तो उनकी जिज्ञासा बढती जायेगी।

क्या आप जानते हैं कि इस चिडियाघर भ्रमण के दौरान क्या हो रहा है। बच्चे चिड़ियाघर एवं इसमें रहने वाले जानवरों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे है। इस स्थिति में बच्चों का एकीकृत अधिगम सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रबन्धन किया जाना आवश्यक है। हमे यह समझ लेना चाहिए कि आवश्यक नहीं है कि एकीकृत अधिगम कक्षा में ही हो। अधिगम केवल हम ' 'अधिगम की स्थिति का प्रयोग करेंगे न कि कक्षा का क्योंकि अधिगम की स्थिति कक्षा, खेल का मैदान, क्षेत्र भ्रमण, घर, इत्यादि जगह हो सकता है। यही तो वास्तविक अधिगम है। अगर बच्चों को चिड़ियाघर न लेजाकर कक्षा में पुस्तक से 'चिड़ियाघर' का पाठ पढ़ाया होता तो क्या बच्चे इतना कुछ सीख पाते वो भी खेलते-कूदते तथा मजे - मजे में आइए देखें कि इस छोटे से भ्रमण के दौरान बच्चों ने किस-किस विषय के बारे में सीखा। उन्होंने भाषा का पाठ पढ़ा साथ ही विज्ञान तथा समाजशास्त्र भी सीखा और यह सब कुछ एक ही समय पर।

आइए देखें कैसे भाषा पढ़ाने के उद्देश्य होते हैं कि बच्चे भाषा का सही प्रयोग संप्रेषण के लिए पाएं। नए शब्द सीखे। उनका अर्थ समझे और इस चिड़ियाघर के भ्रमण के दौरान उन्होंने

नए-नए जानवरों, पक्षियों, रंगों, उनके खाने की वस्तुओं इत्यादि संबंधी कई शब्द सीखे जैसे सफेद-काली धारियों वाले जैवरे, हरे पीले पंखों वाले तोते, सफेद हंस, तितकबरे हिरण इत्यादि। अगर विज्ञान की बात करें, तो जानवरों, पक्षियों, जीव जन्तु कीटों इत्यादि का ज्ञान, उनके खान-पान एवं रहने की जगह की जगह इत्यादि विज्ञान का ही क्षेत्र है जो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पर्याप्त है। अगर विचार किया जाए तो इस भ्रमण के दौरान बालकों न सामुदायिक जीवन जीना सीखा। समूह में हंसना, पढना,बांटकर खाना, अनुशासन में रहना इत्यादि। यह समाजशास्त्र का ज्ञान ही तो है।

एक जागरूक शिक्षक यह भी महसूस करेगा कि बच्चों का सामाजिक, भावात्मक तथा व्यक्तिगत विकास भी हुआ। बच्चे खेलेकूदे, खुश हुए हैरान हुए। इस प्रकार उन्होंने जानवरों की भावनाओं को अनुभव किया। बन्दरों में मनुष्य की भांति परिवार का प्रत्यय देखा। बच्चों के मन में प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ी। उन्हें पशु पक्षियों की जीवन पद्धति का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत कुछ नया सोचा, समझा, बोला तथा अनुभव किया।

हम शिक्षकों को यह याद रखना है कि यह इसी प्रकार जीवन प्रयत्न शिक्षा चलती है यहां सीखने की कोई कृत्रिम सीमाएं नहीं होती न ही कोई समय का बंधन होता है इसी प्रक्रिया से हम सभी सीखते हैं। याद करिये, हमने साइकिल चलाना कैसे सीखा, खाना बनाना कैसे सीखा। आप सहमत होंगे कि इस सब के लिए हम किसी औपचारिक कक्षा या कठोर अनुशासित वातावरण में नहीं बैठे। अपने पसंदीदा गीत को गाने के लिए हमने उसके शब्द भाषा सीखे। हमने धुन तथा सुर ताल सीखा संगीत एवं भावनाएं। अपनी आवाज में गीत गाया। यही तो एकीकृत अधिगम है जो अपने अपने संपूर्ण हैं।

आइए, हम एकीकृत शिक्षा की कुछ परिभाषाओं को देखें और इस प्रत्यय को समझने का प्रयास करें। इस पद्धति को बच्चों के साथ कब और कही प्रयोग कर सकते हैं यह समझने के लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि एकीकृत अधिगम क्या है।

6.2.2 एकीकृत अधिगम की परिभाषाएं

विशेषज्ञों ने एकीकृत शिक्षण अधिगम की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की कुछ प्रमुख परिभाषाओं का विश्लेषण हम इस खण्ड में करेंगे।

हम्फीराज - एकीकृत अध्ययन वह होता है जिसमें बच्चे कई विषयों में ज्ञान की खोज करते हैं। वे अपने पर्यावरण से संबंधित कई बातें सीखते हैं।

सूमेकर - एकीकृत शिक्षण में शिक्षा के विभिन्न प्रश्नों को इस प्रकार से सुसंगठित किया जाता है जिसमें विषय वस्तु को, शिक्षा के सभी पक्षों के सही अर्थो के साथ सम्बन्धित कर, अधिगम व शिक्षण के समग्र विचारों को सम्मिलित करके सम्पूर्ण वास्तविक विश्व के साथ अन्तक्रिया करा सकें।

शिक्षा विश्वकोश के अनुसार एकीकृत- पाठ्यक्रम उन सभी विभिन्न भागों का सुसंगठित रूप है, जो कि वास्तव में जीवन की व्यापक समस्याओं से संबंधित है तथा उनमें संबंधित विषय वस्तु निदेशित करता है।

अधिगम की समग्रता - यह अधिगम की सम्पूर्णता से संबंधित है जो कि विकास के सभी क्षेत्रों के प्रति प्ररित करती है,यह बहु आयामी इन्द्रियों को विभिन्न विधियों द्वारा क्रमबद्धता प्रदान

कर विचारों, भावनाओं की खोज करने हेतु प्रेरित करती है, जिससे अधिगमकर्ता सम्बन्धित विचारों का अर्थपूर्ण प्रयोग कर सके।

जैबक - अधिगम के एकीकृत उपागम के अर्थ संचालात्मक विचार और पाठ्यक्रम उपागम के एक से अधिक श्रोतों में विधियों और संचार का उपयोग करने से है जो कि केन्द्रिय समस्याओं, विचारों, प्रकरण व अनुभवों का परीक्षण करा सकें।

ब्रौकैम्प - एकीकृत पाठ्यक्रम का संबंध उन सभी परम्परागत विषयों स्त्रोतों से है जिनसे छात्र योजनाबद्ध और अधिगम केन्द्रों विद्यालयों में शिक्षण की योजना के अनुरूप सीखता है तथा जिससे छात्रों की रूचियों व सुझावों में बदलाव आता है। इसमें शिक्षक, प्रोजेक्ट योजना के अनुरूप छात्रों को सम्मिलित कर उनके छात्रों के अनुभवों में बढ़ोतरी करता है जिससे छात्रों के विचारों में गहनता, समस्या के प्रति अनुक्रिया, समय का सही सदुपयोग संरक्षण और सोचने की शक्ति का विकास होता है।

परिभाषाओं में भिन्नताएं - शायद आपने एक बात देखी होगी कि जो भी परिभाषाएँ यहां दी गई है वो एक दूसरे से कुछ-कुछ भिन्न हैं, वास्तव में यदि आप एकीकृत अधिगम पर पढने के लिए कुछ ढूँढगेंको तो कई प्रकार के शब्द समूहों से आपका सामना होगा जैसे अन्त: अनुशासित पाठ्यक्रम, मूल पाठ्यक्रम तथा एकीकृत पाठ्यक्रम इत्यादि। जबकि अर्थ थोड़ा-थोड़ा भिन्न हो सकता है मूल रूप से सब एक ही हैं।

एकीकृत अधिगम एवं एकीकृत शिक्षा में अन्तर: एकीकृत शिक्षा का अर्थ है, अलग-अलग क्षमताओं एवं अक्षमताओं वाले बच्चों को इकट्ठे पढ़ाना। इस प्रकार से जो बच्चे दृष्टि से बाधित है उन बच्चों के साथ ही पढगे जो कि शरीर का कोई हिस्सा खो चुके हैं।

जैसे हाथ-पैर इत्यादि। या जो विचारों को शीघ्रता से ग्रहण नहीं कर पाते तथा उनका बौद्धिक स्तर निम्न है या अधिगम से कठनाई होती है या जिन्हें कोई भावात्मक या सामाजिक समस्या है। ये सभी भिन्नताएँ होते हुए भी बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं।

6.2.3 एकीकृत अधिगम के तत्व

1 1 विषयों का समूह

2 योजना पर जोर देना

3 पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त स्त्रोत

4 प्रत्ययों से सम्बन्धता व दिशा

5 इकाईयों पर आधारित संसुगठित अधिगम

6 सामग्री, समय-सारणी में लचीलपन व क्रमबद्धता

7 शिक्षार्थियों के समूह में लचीलापन

एकीकृत अधिगम का अर्थ उस अधिगम से है, जिसका कभी अन्त नहीं होता है यानि सीखने की अन्तहीन प्रक्रिया है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. एकीकृत अधिगम एवं शिक्षण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए।
2. एकीकृत अधिगम के तत्व क्या-क्या है?

6.3 बच्चे कैसे सीखते हैं'

यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि बच्चे करके सीखते हैं। इस पर आप प्रयोग करके देख सकते हैं। बच्चों को इतिहास एक कठिन एवं नीरस विषय लगता है। यदि कुछ ऐतिहासिक प्रकरण जैसे अशोक महान पर पाठ तथा स्वतंत्रता संग्राम इत्यादि नाटक के माध्यम से करवाए जाएं तो बच्चे कई ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन की घटनाओं को आत्मसात एवं महसूस कर पाएंगे।

गणित में रुपये पैसे का लेन देन, लाभ-हानि इत्यादि का ज्ञान बेशक कागज के गत्ते के नोट व सिक्के बनाकर खेल-खेल द्वारा दिया जाए तो रुचिपूर्ण एवं लाभदायक होगा। इसमें अभिभावकों की सहायता भी ली सकती है। यह कहकर कि खरीदारी करते वक्त बच्चों को साथ ले जाएं तथा पैसे का लेनदेन उनमें करवाएं या घर की छोटी-मोटी वस्तुएं खरीद कर लाने की जिम्मेवारी बच्चों पर डालें। सभी अपने विचार एकत्र करें और बच्चा खुशी-खुशी सिखाने का प्रयास करें, जिसके पास उनके जिस प्रश्न का उत्तर हो वह देकर बच्चों की जिज्ञासा शांत करें क्योंकि बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं तो यही कारण है कि हमें एकीकृत अधिगम पद्धति अपनाने से फायदा है। बच्चों को सभी शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त होगा तथा सभी शिक्षक अपने-अपने अनुभव भी आपस में बांटेगे। इस प्रकार मानव संसाधन का सदुपयोग होगा तथा राष्ट्र का विकास एक आसान प्रक्रिया हो जाएगी।

एकीकृत अधिगम की परिभाषाओं पर विचार करने के बाद हम इस बात पर ध्यान केन्द्रित करेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं तथा ज्ञान के पक्ष एवं भावात्मक पक्ष में क्या संबंध है। एकीकृत अधिगम की सफल प्रक्रिया के लिए यह समझना अति आवश्यक है। हम अपने ईद-गिर्द नजर डालें तो यह पाएंगे कि अधिकतर अधिगम कक्षा की दीवारों के बाहर होता है जैसे कि अगर किसी का हाथ जलने पर उसकी पीड़ा देखकर भी बच्चे यह सीख जाते है। अधिगम में शिक्षक की भूमिका यह है कि वह बच्चों को अनुभव दें, बच्चे जो देखें. महसूस करें, सुने, सूंघे, स्वाद चखें या छुएं उसका अर्थ समझाने में सहायता करें। यह अनुभव सुखद एवं सहनीय तथा सुरक्षित हो। आजकल हम देखते हैं कि अधिगम के नाम पर बच्चों को कक्षाओं में अंक तथा स्वरों व्यजंनों का पाठ पढ़ाया जाता है। कक्षा के बाहर का अनुभव बच्चों को कतई नहीं दिया जाता है। पढ़ने, लिखने तथा गणित सिखाने पर आवश्यक बल दिया जाता है तथा बच्चे के अधिगम का मूल्यांकन रट्टा मारकर याद कर पाने तथा परीक्षा में उगल देने पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए अगर कक्षा प्रथम के पाठ्यक्रम में बोलने का कौशल विकसित करने का उद्देश्य सम्मिलित है तो इसे ऐसे विकसित किया जाता है कि जो भी शिक्षक बोले उसे दोहराएँ। ऐसा देखा गया है कि शिक्षक बोलता जा रहा है तथा बच्चे से कोई वाक्य पूछा जाएं तो उसी गति लय में दोहरा देता है। इसी प्रकार बच्चे पहाड़े याद करते हैं बिना सोचे समझे कि 2 को 2 से गुणा करने का अर्थ क्या होता है। पहाड़े हमने भी रट्टे मारकर ही याद किए हैं। समझ बड़े होने पर ही आई। बच्चे शिक्षक के डर से रट्टा मारते हैं। ना समझ आने का बोझ बच्चों पर इतना अधिक हो जाता है कि

कोई बच्चे इस दबाव को सहन नहीं कर पाते तथा विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1992 शिक्षा बिना बोझ के में शिक्षाविदों ने यहीं विचार किया कि बच्चों के ऊपर शिक्षा प्रणाली ने किस किस प्रकार बोझ डाल रखे हैं। बस्ते का बोझ तो दिखाई देता है लेकिन मानसिक बोझ दिखाई नहीं देता जो कि बच्चों को मानसिक रूप से विचलित, बैचेन, बीमार, चिड़चिड़े यहाँ तक कि आत्महत्या तक की बात सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अगर हमने अपने बच्चों को इन सब बीमारियों से बचाना है तो अधिगम की प्रक्रिया को सरल एवं रौचक बनाना होगा, उसे बच्चों के अनुभवों तथा पर्यावरण के साथ जोड़ना होगा क्योंकि बच्चे (Isolation) कुछ नहीं समझते। सभी कुछ संदर्भ में ही सीखते हैं।

6.3.1 बच्चे करके सीखते है

बच्चे स्वयं क्रियाएं करके सीखते है। अनुभवों से सीखते हैं। अपनी ज्ञानेन्द्रियों जैसे सूँघने, छूने, सुनने, देखने तथा स्वाद चखने इत्यादि का प्रयोग करके। वो देखते हैं, नकल करते हैं प्रयोग करते हैं अपनी समझ के अनुसार सूचना से संबंधित बातें एकत्र करने का प्रयास करते हैं जो जैसा समझ पाते हैं ठीक है बाकि कुछ समय पश्चात् भूल जाते हैं, बच्चों का कुछ प्रकार के कौशल सीखने के लिए शारीरिक रूप से कुछ हद तक विकसित होना आवश्यक है जैसे कि 5-6 साल से छोटा बच्चा भली भांति कलम पकड़कर लिखने का कौशल हासिल नहीं कर सकता क्योंकि इससे पहले उसकी उंगलियाँ बहुत कोमल होती है ज्यादा दबाव डालने से टेढ़ी-मेढ़ी भी हो सकती हैं। यह बात केवल शिक्षकों को ही नहीं, अभिभावकों को भी समझनी चाहिए ताकि वह 3-4 वर्ष के बच्चों को लिखने सीखने पर जोर न डालें। बच्चे हर समय कुछ न कुछ सीखते रहते हैं वे घर में ही हो या बहार। टीवी. के सामने हो या खेल के मैदान में। वह अपनी समझ के अनुसार चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर उन्हें अपने अनुभव बताने के लिए सही शब्द नहीं मिलते, न ही सही अवसर। एक शिक्षक को यह चाहिए कि उन्हें यह अवसर दे तथा उनके अधिगम के लिए परिस्थितियाँ जुटाए ताकि उसकी अपने अनुभव बाँटने के कौशल विकसित हो सके। यह भाषा शिक्षण का अभिन्न अंग है। भाषा केवल लिखनी-पढ़नी ही नहीं विभिन्न परिस्थितियों में कुशलता से प्रयोग करनी भी आनी आवश्यक है।

6.3.2 अधिगम का भावनात्मक पक्ष

अक्सर शिक्षक सीखने के भावात्मक पक्ष को आर्त: नजर अंदाज कर देते हैं। बच्चे शिक्षक. विद्यालय, पुस्तकों, अभिभावकों के बारे में क्या महसूस करते हैं यह नजर अंदाज कर दिया जाता है। बच्चों की भी काफी तेज भावनाएं होती हैं। उनकी भी हर वस्तु व्यक्ति, विषय इत्यादि के बारे में पसन्द नापसन्द हेती है।

क्या बच्चों से कभी पूछा जाता है कि क्या पढ़ना चाहेंगे? जो भी पाठ्यपुस्तक में दे रखा होता है शिक्षा क्रम से वही एक ढर्रे से पढ़ाते जाते हैं। कुछ नवीन नहीं किया जाता। जब कोई कहानी की बारी आती है बच्चे खुश होकर पढ़ते हैं। कोई कविता आती है तो भी खुश हो जाते हैं। कई बार कविता पढ़ाने का ढंग इतना गलत होता है कि कविता पढ़ने का मजा मारा जाता है। जैसे कि हाव-भाव से कविता न पढ़ा कर पहले शब्द, अर्थ, व्याख्या इत्यादि करवाने लग जाना तथा रट्टा मरवाना एवं परीक्षा के लिए प्रश्नों के उत्तर तैयार करवाना। शिक्षक में बच्चों की

भावनाओं का ध्यान रखना अति आवश्यक है। बच्चे लाड़-प्यार करने वाले शिक्षकों से खुश होकर पढ़ते हैं। अक्सर वही विषयों में उनकी रूचि बनती है जिनकों पढ़ाने वाले शिक्षक व्यवहार में अच्छे होते हैं। लेकिन बहुत से शिक्षकों की यह अवधारणा है कि लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं अगर बच्चों को अधिक प्यार तथा आजादी दे दी तो कक्षा प्रबन्धन तथा अनुशासन की समस्या हो जाएगी। लेकिन शिक्षण अधिगम में भावात्मक पक्ष को कतई नकारना नहीं चाहिए क्योंकि यह अधिगम को काफी प्रभावित करता है आप बच्चों की भावनाओं को समझकर उन्हें अधिगम के लिए तैयार एवं उत्साहित कर सकते हैं।

6.3.3 शिक्षण अधिगम में बदलाव आवश्यक है।

हमें अच्छा लगे या न लगे लेकिन हमारे इर्द-गिर्द का संसार बहुत तेजी से बदल रहा है। इसलिए बच्चों को केवल कुछ तथ्यों का ज्ञान (जो कि पाठ्य पुस्तक में सीमित है) देना पर्याप्त नहीं है। यह ज्ञान कुछ समय पुरान अनौपयागी (outdated) हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी ने एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक आसानी से पहुँचकर सूचना एवं प्रसारण में क्रांति ला दी है। अगर हमने बच्चों को सफल बनाना है या नए बदलते हुए समाज में रह पाने योग्य बनाना है तो उन्हें सिखाना होगा कि कैसे हर चीज का एक-दूसरे से संबंध है। हर प्रकरण को अलग-अलग पक्षों से कैसे देखना और समझना है तथा भांति-भांति के स्त्रोतों से सूचनाएँ इकट्टी करके कैसे प्रयोग में लानी है। उन्हें यह सीखना होगा कि सीखा कैसे जाता है तथा जो सीखा है वह जीवन में कैसे उपयागगी हो सकता है, उसके लिए उन्हें समझना है कि अधिगम जीवन से जुड़ी हुई प्रक्रिया है उससे अलग नहीं। जो पड़ाने की पद्धति बरसों से चल रही है वो यही नहीं कर पाई। अधिगमकर्त्ता अधिगम को दैनिक जीवन से जोड़ नही पाते इसलिए उसे अनुपयोगी समझ कर उसे अरूचिपूर्वक लेते हैं तथा स्वयं पर एक बोझ समझते हैं।

एकीकृत शिक्षण अधिगम पद्धति बच्चों को यह बढावा देती है कि वे सूचनाएं स्वयं एकत्रित करें। भांति-भांति के स्त्रोतो से न कि केवल पाठ्य पुस्तक से तथा उन सूचनाओं का जीवन के साथ संबंध तलाशें। शिक्षक इस प्रयास में उनका भरपूर साथ दे बजाए इसके कि केवल वही तथ्य देकर शिक्षण समाप्त करें जिनका आज कोई औचित्य नहीं है। शिक्षा को उपयोगी एवं रुचिकर वस्तु बनाकर पेश करें। शुरु के बाद ही कुछ वर्षो में कई बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। क्या कभी इस समस्या का एक मुख्य कारण यह है कि बच्चे शिक्षा की उनके जीवन के साथ उपयोगिता नहीं समझ पाए, न ही जीवन के साथ उनका कोई संबंध सोच पाए। बच्चे तो क्या उनके अभिभावक भी यह नहीं समझ पाएं। आपने यह बात कभी-न-कभी अवश्य सुनी होगी कि क्या याद करेगा पढ़ लिखकर दुकान ही तो संभालनी है या हम मजदूर है इसने भी मजदूरी ही करनी है। पढ़ेगा तो यह काम भी नहीं कर पाएगा। यानि की वे यह समझते हैं कि पढ़ाई बच्चों को निकम्मा बना देगी। दुर्भाग्यवश इस प्रकार की बातें आर्थिक तौर से निम्न परिवारों में ही नहीं बल्कि उच्च वर्ग में भी सुनने को मिल जाती है। यहाँ ये माना जाता है कि विश्वविद्यालय की डिग्री तो मात्र नाम के लिए ले रहे हैं जबकि पिताजी का व्यापार ही संभालना है, पढ़ाई किस काम की।

साथियों, शिक्षा कतई अनौपयोगी वस्तु प्रक्रिया नहीं है लेकिन यह बात बच्चों को एवं अभिभावकों को समझानी भी आवश्यक है आप पूछेगें कैसे ये सब इतना आसान नहीं है लेकिन कतई असंभव नहीं। बच्चे के पूरे माहौल को समझना होगा।

उन्हें क्या-क्या करना पड़ता है, उनके ऊपर क्या-क्या दबाव हैं, उनकी रूचियां क्या हैं, आवश्यकताएं क्या है क्षमताएं क्या है, सीखने के स्त्रोत क्या-क्या हैं इत्यादि। जो सूचनाएं बच्चे के निकटतम भविष्य के लिए अनुपयोगी हैं, रट्टा मारकर उन्हें याद करने का बोझ बच्चे पर न लादे। उदाहरण के लिए 7-8 साल के बच्चे को यह याद करना आवश्यक नहीं कि भारत के 28 राज्य कौन-कौन से हैं तथा उनकी राजधानियाँ क्या-क्या है? यह सूचना उनके अनुपयोगी ही नहीं बोझ भी है।

जलवायु पढ़ाने के लिए स्थानीय मौसम से या दैनिक मौसम से बातचीत शुरु करें ताकि बच्चों से उत्तर अधिकतम आए, बच्चों से उत्तर आने का अर्थ है कि बच्चे इस प्रकरण को अपने दैनिक जीवन तथा अनुभवों से जोड़ पा रहे हैं, धीरे-धीरे बातचीत जटिल बनाएं हर बच्चे के अनुभव कक्षा के साथ बांटे। कक्षा में भी काफी भिन्नताएं होती हैं। कोई बच्चा पहाड़ से है तो कोई मैदानी इलाके से। हो सकता है किसी ने समुद्र के किनारे किसी ने गाँव में बाढ़ रखी हो किसी ने सूखा। किसी ने इस संबंध में किस्सा कहानी सुन रखा हो या पढ़ रखा हो या इस प्रकार की फिल्म देखी हो। जलवायु से जुड़े हुए, हर प्रकार के अनुभव हर बच्चे को सुनने को मिलेंगे। इसके साथ ही कैसे मौसम में कैसे वस्त्र पहनते है, किस प्रकार का भोजन करते हैं, क्या-क्या तैयारियाँ करते हैं, क्या-क्या सावधानियाँ बरतते हैं इत्यादि पर भी बातचीत होनी चाहिए। शिक्षक की और से अन्य सूचनाएं भी बीच-बीच में जुड़नी चाहिए। पाठ्य पुस्तक पठन सबसे बाद में आना चाहिए। फिर देखना पठन एवं अधिगम कितना आसान रूचिपूर्ण एवं उपयोगी लगेगा। यही तो है एकीकृत शिक्षा। हर बच्चा अपने आप में एक खास व्यक्तित्व है। लेकिन एकीकृत अधिगम पद्धति हर प्रकार के अधिकगमकर्त्ताओ की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है।

6.4 एकीकरण केन्द्रिय अधिगम प्रक्रिया

अब जबकि हमने यह समझ लिया है कि एकीकृत अधिगम पद्धति क्या है तथा इसकी आवश्यकता एवं महत्वता क्या है, हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी वास्तविक योजना कैसे बनाई जाए तथा इसका कैसे अभ्यास किया जाए। इससे प्रभावित होने वाले शिक्षा के मुख्य आयाम हैं।

शिक्षा के उद्देश्य

शिक्षा की विषयवस्तु

शिक्षण पद्धतियां

6.4.1 शिक्षा के उद्देश्य एवं एकीकृत अधिगम

शिक्षा का उद्देश्य वास्तव में क्या है? एवं एकीकृत अधिगम यह है कि बच्चे का सर्वागीण विकास, (भौतिक, मानसिक, भाषायी, सामाजिक, भावात्मक एवं आत्मिक) लेकिन वास्तव में विद्यालयों में क्या होता है। पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करवाना ताकि परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। जिस विद्यार्थी के जितने अधिक अंक, उतना ही वह सफल माना जाता है उतने ही उसके शिक्षक एवं उसका विद्यालय अच्छा माना जाता है। परन्तु केवल परीक्षा में अंक

क्या विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन है। क्या उनका सर्वागीण विकास हुआ। कम अंक आने पर या मात्र अनुतीर्ण हो जाने के डर से कई बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं, यह दर्शाता है कि उनका भावात्मक एवं आत्मिक विकास के लिए शिक्षा नहीं दी गई। शिक्षा प्रक्रिया में भारी कमी रह गई जो बच्चों में यह कूट-कूट कर भर दिया कि अधिकतम अंक प्राप्ति ही सफलता का द्योतक है। शिक्षा का उद्देश्य है हमें सोचने, समझने, अभ्यास करने, संगठित करने, व्याख्या करने एवं अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग करना सिखाए। शिक्षा क्या यह उद्देश्य पूर्ण कर पा रही है, वास्तव में नहीं। शिक्षा हमें जीवन जीने के कौशल नहीं सिखा रही। अपने वास्तविक उद्देश्यों को पूर्ण कर पाए। एक सीधा-साधा उदाहरण देखिए - सभी बच्चे यह कविता सीखते हैं - ट्विंकल -ट्विंकल लिट्ल स्टार' ' हर बच्चे को रटी हुई होती है। तोते की तरह, क्या हममें से किसी ने इस कविता को या किसी भी कविता को महसूस करना सीखा। क्या तारों का टिमटिमाना बच्चों ने मजा लेकर देखा। क्या उन्हें देखकर बच्चों ने हैरान होकर पूछा ये क्या है कहाँ से आए हैं? क्यों चमकते हैं कैसे आकाश पर टिके रहते हैं? हीरा क्या होता है? तारे और हीरे एक जैसे कैसे है इत्यादि। अगर यह सब सीखा तो यह एकीकृत अधिगम हुआ जिसके माध्यम से कविता सिखाने से बच्चे का भावात्मक, मानसिक, भाषायी इत्यादि क्षेत्रों में विकास हुआ उसे प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेम का आभास हुआ। यदि नहीं हुआ तो कविता सिखाना केवल रट्टा मारने के सिवा कुछ नहीं हुआ। एकीकृत शिक्षण बच्चा को खोज करने, प्रश्न पूछने, तथ्यों का आपसी संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है यानि वे सीखना सीखते हैं। उनकी ज्ञानेन्द्रियां विकसित होती हैं। वे अच्छी तरह देखने, सुनने, समझने महसूस करने लगते हैं। जब हम शिक्षक एकीकृत शिक्षण ये गुण स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा केन्द्र बिन्दु भी बच्चों का सर्वागीण विकास करना हो जाता है न कि केवल परीक्षा के लिए तैयारी करवाना। इस प्रकार शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति होने लगती है।

6.4.2 शिक्षा की विषयवस्तु एवं एकीकृत अधिगम

क्या पढ़या जाता है? यही पढ़ी गई एकीकृत शिक्षण की परिभाषाओं के बारे में दुबारा विचार करें तो हमें याद आएगा कि अर्थपूर्ण संबंध संयोजन तारतम्य तथा अधिगमकर्त्ता के जीवन से जुड़े अधिगम की बात बारबार की गई है, तो ऐसी विषय वस्तु का चुनाव कैसे किया जाए। कैसे इसे अर्थपूर्ण और बच्चों की जीवन के दैनिक आवश्यकताओं एवं अनुभवों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी तो काफी छोटे होते हैं खास तौर पर उनकी दिनचर्या अनुभव इत्यादि ध्यान में रखने होंगें। शिक्षा की विषयवस्तु बच्चों एवं बड़ों की जीवन से संबंधित सब कुछ है और जो जीवन से संबंधित होता है सीखना आसान होता है इसलिए पाठ्यपुस्तक का जीवन से संबंध खोजे।

6.4.3 एकीकृत अधिगम हेतु शिक्षण पद्धतियां

उसी पल जबकि आप अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। शिक्षण के तरीके बदल जाते हैं। अब ध्यान बंट जाता है खोज करने पर, सूचनाएँ एकत्र कर संयोजने पर एवं व्यवस्थित करने पर। अलग-अलग प्रकरणों पर परियोजनाएं शुरु हो जाती हैं। अगर एक शिक्षक का उद्देश्य बच्चों में निर्धारित कौशलों का विकास करना है तो उसे एक विषय में बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है। यह कौशल हो सकते हैं अवलोकन करना (Observation) सूचनाएं एकत्र

करना (Compilation) कथन लिखना (Statement) वर्गीकरण(Classification) तुलना (Comparision) तथा प्रभाव का संबंध समझना (Understanding cause and effect relationship) निष्कर्ष निकालना (Making generalisation) सामान्यीकरण करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना (developing scientific temper) इत्यादि। ये किसी भी क्रिया का केन्द्र - बिन्दु हो सकता है।

उदाहरण के लिए - प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए जल का शुद्धिकरण(Purification of water) एक (relevant) प्रकरण है इसे निम्न कक्षाओं में वितरण (filteration) तथा उबालकर साफ करना बताया जाता है तथा पांचवी छठी कक्षा से क्लोरीन, पौटेशियम परमेगनेट या लाल दवाई मिलाकर शुद्ध करना सिखाया जाता है। बच्चों को यह सब करने के अवसर देना महत्वपूर्ण है जैसे कि छानकर देखे कि पानी में क्या-क्या अशुद्धियाँ है यह बारीक साफ कपड़े की सहायता से या फिर फिल्टर पेपर से किया जा सकता है।

- यह समझाना कि उबालने से क्या होता है।
- अभिभावकों की सहायता ली जा सकती है बच्चों को पानी शुद्ध करने के ढंग दिखाकर एवं उनकी इस कार्य में सहायता लेकर।

अगर प्राथमिक विद्यालय के सभी कक्षाओं के शिक्षक इकट्टे बैठे और अपनी-अपनी कक्षा में बच्चों में वांछित कौशलों की गम्भीरता से, अच्छी प्रकार विचार कर ऐसे कई उद्देश्य उनके सामने उभर कर आ जाएंगे जो वह प्राप्त कर सकते हैं स्वयं तथा अन्य शिक्षक शिक्षक साथियों एवं अभिभावकों तथा स्वयं विद्यार्थियों की सहायता से। उनको प्राप्त करने के लिए क्या-क्या क्रियाएं करवाई जाएंगी तथा कौन-से विषय किस कौशल के विकास के लिए अधिक उपयुक्त रहेंगे यह कार्य भी मिल बैठ कर निर्धारित कर लिया जाए यह बहुत रूचिपूर्ण एवं महत्वपूर्ण कार्य होगा। शिक्षक देखेंगे कि जो कौशल उनका एक साथी बच्चों में विकसित कर रहा है वह उनका विषय सिखाने में भी काम आ रहा है बच्चे आनन्दपूर्वक तथा आसानी से सीख रहे हैं। एकीकृत अधिगम में सहयोग अति आवश्यक एवं सभी के लिए फलपूर्ण एवं लाभदायक मूल्य है। एक कौशल भली-प्रकार सीख जाने पर बच्चा दूसरे कार्य भी भली प्रकार कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर सही पठन कौशल विकसित हो गया तो सभी विषयों की विषय वस्तु भली-भांति पढ़ पाएगा। अगर लेखन का कौशल विकसित हो गया तो अपने विचार कागज पर उकेर पाएगा।

कुछ बदलाव आवश्यक हैं इसलिए कुछ तैयारी और कार्य करने होंगे निश्चित ही इस का फायदा नजर आएगा क्योंकि इस पद्धति के बहुत लाभ हैं जो लोग इसका प्रयोग कर चुके हैं उनका यह मानना हैं।

इससे बच्चों में अधिगम के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होती है। वह पढ़ाई से भागते नहीं, उससे नफरत नहीं करते क्योंकि वह रूचिपूर्ण लगने लगता है। बच्चे अपने अधिगम की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीख जाते हैं । कई कार्यों में पहल दिखाने लगते हैं । कक्षा एवं विद्यालयों का वातावरण आनन्दमयी रहे इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। बच्चों को प्रत्यय समझ आने लगते हैं। इससे सूचनाएं जल्दी याद हो जाती हैं एवं भूलती भी नहीं। कई आयामों से बच्चे वस्तुओं को समझने लगते हैं। उनका नजरिया गहन एवं व्यापक होने लगता हैं। एकीकृत शिक्षण पद्धति से बच्चे अपने विकसित हुए अधिगम कौशलो का व्यावहारिक रूप ये प्रयोग करने

के योग्य हो जाते हैं। उसे अपने जीवन के साथ जोड़ पाते हैं जैसे कि पैसे का लेन-देन, चीजों का खरीद फरोक्त सही ढंग से कर पाते हैं, यानि कि गणित का ज्ञान दैनिक जीवन में सफलता से प्रयोग कर पाते हैं। पर्यावरण ज्ञान का प्रयोग अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने में, पौधारोपण एवं पौधों की देखभाल करने में, एकीकृत शिक्षण अधिगम के लिए एक पाठ का उदाहरण

नागरिक शास्त्र इकाई 1

पाठ 1 कक्षा 7-8

भारत - अनेकता में एकता दर्शाता एक राष्ट्र अधिगम के उद्देश्य विद्यार्थी यह शान प्राप्त करेंगे कि भारत वर्ष में विभिन्नताओं के मध्य भी एकता है।

- विद्यार्थी भारत की संस्कृति, भाषाओं, साहित्य, धर्मो, रीति-रिवाजों, त्योहारों, कलाओं एवं वस्तुकला इत्यादि के बारे में जान पाएंगे।
- विद्यार्थी विभिन्नताओं को जोड़कर एकता स्थापित करने वाले कारकों को पहचान पाएंगे।
- इस इकाई को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों के मन में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने वाले कारकों को पहचान पाएंगे।
- इस इकाई को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों के मन में राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना के लिए रूचि उत्पन्न होगी।

भारत एक विशाल देश है। इसकी सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। भारत में विश्व के कई महत्वपूर्ण धर्मो का जन्म हु आ है। इसमें कई बड़े धर्मो ने शरण भी ली है। कई प्रजातियों के लोग भारत में आए और बस गए। भारत ने उन सबको अपना लिया। भौतिकता अनेकता विभिन्नताएं एवं एकता-भारत एक विशाल देश हैं जो कि उत्तर में हिमाचल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हु आ है। हिमालय उसे एशिया के बाकी भाग से अलग करते हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिन्द महासागर इसे एक प्रायदीप बनाते हैं। भारत में जगह-जगह पर जलवायु, तापमान, वर्षा. मिट्टी, कृषि फल-फूल जन्तुओं इत्यादि में काफी विभिन्नता पाई जाती है। इसके बावजूद एक सांझा कारक यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इससे भारतीयों में काफी समानताएं है। आज 28 राज्यों तथा 8 केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटा हु आ है। यह बंटवारा लोगों द्वारा बोली गई भाषाओं के आधार पर किया गया है।

भारत में भाषायें -

भारत में लोग विभिन्न भाषायें बोलते हैं। यहाँ पर 1652 से भी ज्यादा मातृ भाषायें हैं। 33 भाषायें एक लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। पुराने समय में प्राकृत व संस्कृत भारत के अनेक राज्यों में प्रयोग की जाती थी। उत्तर भारत में संस्कृत को ही सब भाषाओं की जननी माना गया है। देवनागरी एक ऐसी लिपि है जो कि संस्कृत व अनेक उत्तर भारतीय भाषाओं को लिखने के उपयोग में लाई जाती है। हिन्दी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, उर्दु, बंगाली उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषायें हैं। उत्तर-पूर्वी दिशा में असमिया भाषा बोली जाती है। दक्षिण भारत में तमिल, तेलगू उडिया, कन्नड और मलयालम बोली जाती है। कुछ जातिय भाषाओं की लिपि नहीं होती। अंग्रेजों के दो सौ साल राज्य करने के बाद अंग्रेजी एक आम और लोगों को जोड़ने का माध्यम बन गई है। अनेक भारतीय भाषाओं में से अठारह को पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

भाषा कभी भी भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के लिये रूकावट नहीं बनी। सड़क, यातायात, संचार व छपाई में सुधार से पहले महाभारत व रामायण पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुके थे। अंग्रेजी भाषा ने पहले से ही स्थापित भोगोलिक, धार्मिक व सांस्कृतिक एकता को बनाये रखा। उसने राजनैतिक एकता को भी सम्भव बनाया।

साहित्य -

भारत बेहद साहित्य का कोष है। सभी भारतीय वेद, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, बाइबिल, कुरान और तिरुकुरल को अच्छी तरह जानते है। ये सब सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कालिदास का साहित्य जैसे मेघदूत शाकुन्तला भारत के अनेक राज्यों में पढ़ा जाता है। हिन्दु बोद्ध जैन, साई, वैष्णव द्वारा भारत के प्रत्येक कौने में अनेक विचार पढ़े जाते है - दार्शनिक परिवर्तन अनेक संत जैसे शंकरा रामानुज, कबीर, नानक, चैतन्य द्वारा किये गये है, जो कि विस्तृत रूप में पढ़े जाते हैं। जाति और स्थिति का विचार न करते हुए जो नयनमार और अलवर द्वारा रचित है, को थीवाराम और नालायरा ने गाया है। ये साहित्य भारतीयों में एकता लाती है और उनको जोड़ने की महत्वपूर्ण ताकत है।

धर्म व धार्मिक त्यौहार -

भारत में अनेक धर्म है। भारतीय समाज विभिन्न धर्मो का समाज है।

मानव प्रजातियों का तुलनात्मक अध्ययन -

भारत -

संग्रहालय: मनुष्य को सोच विचार से भारत को संग्रहालय माना गया है। हमारी पुराने इतिहास हमें उन हरपा के लोगों के बारे में बताती है जो कि इन्दस नदी के पास आर्यन के आने से पहले रहते ये वेद आर्यो के विषय में ही बताते है जिन्होंने अपना बसेरा गंगा नदी के किनारे पर ही कर लिया था। संगम क्लासिक अपनी सभ्यता की पहचाल तमिल को ही कहते है जो कि दक्षिण के छोर पर ईसाई धर्म से ही पहले मानी जाती है। इन सबके अलावा, परशियन ने उत्तर पश्चिम दिशा से ही भारत में प्रवेश किया था। उनके बाद ग्रीक साका, हुन और खुशान आए। अरब व तुर्क, मंगोल और मुगल भारत में पुराने समय से ही आए। ये लोग अलग-अलग सभ्यताओं से अपना संबंध रखते थे। यूरोपियन जैसे कि पुर्तगाली, डच, फ्रेन्च व अंग्रेज मार्डन जमाने में ही आए। यूरोपियन के अलावा बाकि सब भारतीय सभ्यता व जिन्दगी मं ही रच बस गए। ऐसा इसलिए सम्भव हो सका क्योंकि भारत को सारी सभ्यताओं को संग्रहालय माना गया है। भारतीय समाज एक अनेक सभ्यताओं वाला समाज है।

सांस्कृतिक एकता -

भारत की एकता उसकी अलग तरह के संस्कृति पर निर्भर करती है। कोई ऐसा अकेला चरित्र या माध्यम नहीं है जो कि हमारी संस्कृति परिभाषित करता है। संस्कृति हमारी सामाजिक समूह का उत्पादन करती है। ये भाषा, साहित्य, धर्म, पिलौसफि रस्म, परंपरा, विचार, कला और कलाकृतियों के माध्यम द्वारा बताई जाती हैं। संस्कृति एक अलग-अलग धागों का एक जटिल बनावट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने यह सांस्कृतिक एकता बहुत से संस्कृति का समावेश है। अपने सारे सांस्कृतियो से अच्छे गुण उठा लिए हैं।

उसने उसे एक ऐसा समाज बना दिया है जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां निवास करती हैं। 8270 से ज्यादा लोग हिन्दु धर्म को मानते हैं। 1991 के हिसाब से भारत में 11770 लोग मुस्लिम 2.3 प्रतिशत ईसाई हैं। केवल 2 प्रतिशत लोग ही सिख धर्म का पालन करते हैं। बाकि लोग बौद्ध, जैन व दूसरे धर्मो को मानते हैं। हिन्दू धर्म एक महत्वपूर्ण ताकत है जो लोगों में एकता बनाए रखती है। लोग उत्तर से दक्षिण तक यात्राओं पर जाते हैं और उन जगहों पर जाते हैं जो कि उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी भारतीय सभ्यता है। हिन्दू धर्म ने भावनाओं को विस्तृत किया है ओर सहनशक्ति की क्षमता उत्पन्न की है। इसने कभी भी खूनी धार्मिक युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया है।

भारत अनेक धार्मिक त्यौहारों के लिए प्रसिद्ध है। हिन्दू त्यौहार जैसे कि दीपावली, राम नवमी, कृष्ण जंयती, दुर्गा या अयूथा पूजा, विनायक चतुर्थी, होली और मकर संक्रांति या पोंगल पूरे भारत में मनाए जाते हैं। मुस्लिम मीलाधुन नाबी, बकईद ओर रमजान मनाते है। ईसाई गुड फ्राइडे और क्रिसमस मनाते है। सिख गुरू नानक जयंती मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बोद्ध तथा महावीर जंयती मनाई जाती है। नया साल तो पूरे भारत में भारतीयों द्वारा मनाया जाता है। त्यौहारों के दौरान लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते है और अपने धार्मिक भेदभाव भूल जाते हैं। बहुत से लोग बिना किसी असहनीय घटनाओं के कुंभ मेला और अयप्पन पूजाओं में भाग लेते है। यह उस एकता के विषय में बताती है जिसमें भारतीय आनन्द लेते हैं। भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है कि यहां पर सारे धर्मो को एक सा ही सम्मान दिया है और इसी कारण हमारी सरकार सारे त्यौहारों के लिए अवकाश देती है। ताकि लोग उसे शांतिपूर्वक मना सकें। सभी धर्मो के रस्म, रिवाज और विचार, सहनशक्ति, दान-पुण्य. सेवा, अच्छे, पड़ोसी और भाई चारे को बढ़ावा देते है। धर्म और धार्मिक त्यौहारों लोगों के मस्तिष्क में सिद्धान्तों को जन्म देते हैं। यही कारण है कि भारत में इन सब चीजों ने शांतिपूर्ण वातावरण बना रखा है। कला और कलाकृति - भारत कला व कलाकृति उसकी भव्यता को दर्शाती है। भारत अपने मधुर और हिन्दुस्तानी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपने ही तरह के संगीत के लिए जाना है। बुजुर्ग और पारंपरिक लोग अपने ही परम्परागत संगीत को पसन्द करते हैं। युवा पीढ़ी आधुनिक संगीत को पसन्द करती हैं। जो लोग हिन्दी नहीं बोलते वे हिन्दी गानों के विषय में जानकारी रखते हैं।

उसी. तरह हिन्दी बोलने वाले व्यक्ति क्षेत्रीय भाषाओं के गानों को पसंद करते हैं। भारतीय संगीत का एक अपना स्थान है। यह भारतीयों में एकता को बढ़ावा देता है।

भारत में बहुत से प्रकार के नृत्य है। उनमें से भरत नाट्यम, कुचीपुड़ी कथककली, मणिपुरी, ओडिसी प्रसिद्ध हैं। नृत्य करने के समय ये सब हमारी भारतीय धारणाओं को ही अपनाते हैं। सामूहिक नृत्यों में हमारी भारतीय संस्कृति की ही झलक दिखाई देती है। यह भारतीयों में एकता को बढ़ावा देती है।

अजन्ता और एलोरा की कलाकृतियाँ संसार में प्रसिद्ध हैं। जहांगीर के समय की मुगल कलाकृतियां आज भी प्रशसनीय के हैं। ये कलाकृतियाँ उनमें भारतीयता को बताती है।

भारत आश्चर्यजनक कलाकृतियों से सजा हुआ हैं। भारत के कलाकृतिक खंडहरों में हम गांधार कला से इंडो-सारासैनिक कलाऐं देख सकते हैं। भारत की कलाकृति मंदिरों के साथ ही विकसित हुई है। जैसे कि मलापुरम की पल्लव इमारतें कांजीपुरम का कैलाससनाथर मंदिर और वैकण्ठ पैरूमल मंदिर दक्षिण भारत के पुराने कलाकृतिक खंडहरों में से एक हैं। थन्जावुर का बृहादिसवर

मन्दिर, मदुराए का मीनाक्षी मन्दिर. ओर तिरूबानामलाई के अनेक मन्दिर उत्तर भारत के लोगों को अपनी आकर्षित करते हैं। उत्तर-भारत के अनेक मन्दिर जो कि काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अमरनाथ, पुरी और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दक्षिण भारत के लोगों को अपनी और आकर्षित करते हैं। आगरा का ताजमहल विश्वप्रसिद्ध है। प्रत्येक भारतीय को उस पर गर्व है। इस प्रकार कलाकृतियों ने एकता को जन्म दिया है।

राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाले तथ्य -

बहुत सारी विभिन्नताओं के पश्चात् भी भारतीयों में एकता है। सभी कोई यह सोचता है कि सर्वप्रथम वह भारतीय है और उसमें फिर वह एकता की भावना जागृत होती है। ये हमारी राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करता है। ऐसे बहुत सारे तथ्य है जो हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ाते है। वे है -

1. भारतीय भौगोलिक संलग्नता और उनका सरंक्षण।
2. सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक एकता।
3. भारतीय सहिष्णुता और कैथोलिक वाद
4. भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता
5. हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, ध्वज और राष्ट्र-गान।
6. भारतीय के परोपकार कल्याण के लिए सामान्य आर्थिक नीति।
7. नवम्बर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय क्रीड़ाएं।

राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता के लिए छात्रों से पूछो -

अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन

1. छात्र अब भौतिक विभिन्नता और भारत की एकता को व्यक्त कर सकेंगे।
2. छात्र अब लोगों की विभिन्न जातियों की भी सूची बना सकेंगे।
3. छात्र साहित्य की ताकत को भी याद कर सकेंगे।
4. छात्र अब धार्मिक सहनशीलता और हिन्दुओं की विस्तृत मानसिकता के विषय में लिख पायेगे।
5. छात्र अब उन तथ्यों के विषय में बता पायेगे जो कि हमारी राष्ट्रीय एकता को उजागर करते हैं।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

सही उतर चुनो

1 भारत में अधिकृत भाषाओं की संख्या हैं -

(अ) 14 (ब) 15

(स) 18 (द) 20

2. भारत में जोड़ने वाली भाषा -

(अ) फ्रांस (ब) जपानी

(स) ग्रीक (द) अंग्रेजी

3. बौद्ध द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार

(अ) महावीर जयन्ती (ब) गुरु नानक जयन्ती

(स) राम नवमी (द) बुद्ध पूर्णिमा

4. भारत में राज्य किस आधार विभाजित किये जाते हैं

(अ) साहित्य (ब) शिल्प कलायें

(स) भाषा (द) धरोहर

रिक्त स्थान भरों -

1. भारत एक..................जातीय समाज हैं।

2. भारतीय समाज एक......................सांस्कृतिक समाज है।

3. भारत में हिन्दुत्व.........................प्रतिशत लोगों द्वारा माना जाता है।

4. जैन का मुख्य त्यौहार है।................................

5. ....सिक्खों द्वारा मनाया जाता हैं।

स्तम्भ मिलान करो-

1. मदुराई - कैलाशनाथर मन्दिर

2. थन्ताबुर - नृत्य

3. काजीपुरम - संगीत

4. मणीपुरी - मीनाक्षी मन्दिर

5. हिन्दुस्तानी - वृहादिशवरा मन्दिर

संक्षेप में उत्तर दो -

1. संस्कृति क्या है?

2. भारत में बोले जानी वाली कुछ भाषाओं के विषय में लिखिए?

3. थिवाराम और Nalayira Divya Prabhandam का लखन किसने किया।

4. ईसाईयों के त्यौहारों के विषय में लिखिए।

5. मुसलमानों के त्यौहारों के विषय में लिखिए।

6. उतरी भारत के मंदिरो के विषय मै लिखिए।

विस्तार से लिखो -

1 भारत विभिन्न जातियों के लोगों का अजायब घर हैं। व्याख्या कीजिए।

2 भारत विभिन्नता में एकता की फूइम हैं व्याख्या कीजिए।

3 उन तथ्यों को बताइये जो राष्ट्रीय एकता को व्यक्त करते है।

शिक्षण और अधिगम गतिविधियाँ -

1 राष्ट्रीय प्रतीकों की एक्? एलबम तैयार कीजिए ।

2 उत्तर और दक्षिण भारत के पवित्र स्थलों की सूची बनाइये।

3 राष्ट्रीय विभिन्नता में एकता की कार्यशाला का निर्माण कीजिए।

6.5 एकीकृत शिक्षण की आवश्यकता, महत्त्वता एवं उपयोगिता '

'लेकिन क्यों' '? आप पूछ सकते हैं। मैं जो कुछ अपने विद्यालय में कर रहा हुँ। वो क्यों बदलू मैं जो कर रहा हूँ सही तो चल रहा है, पुराना ढंग हुआ तो क्या हुआ, आसानी से और अच्छी प्रकार- चल रहा है, मैं पाठ्यपुस्तक से ही क्यों न पढाऊँ। इस तरह से पढ़ाना बहुत सुविधाजनक है, सभी ऐसा ही करते है, मैं किसी की शिक्षण-पद्धति में खलल नहीं डालता अन्य मुझे भी न टोके इत्यादि।

चलिए एक मिनट के लिए यह सोच लेते हैं कि आपको कैसा लगेगा, अगर यह पता हो कि पिछले कालांश में बच्चों ने क्या सीखा। आप बच्चों को क्या और कैसे सिखा रहे है ना नया क्या सिखाने जा रहे हैं या यह अन्य शिक्षकों को भी मालूम हो, यह अन्य शिक्षकों को भी मालूम हो, यदि सभी शिक्षक मिलकर बच्चों के पूर्ण अधिगम पर ध्यान दें तो बार बार एक ही प्रकरण पढ़ाने, सिखाने से बचा जा सकता है। समय, ऊर्जा एवं संसाधनों की बचत की जा सकती है तथा बच्चों के अधिगम के माध्यम से समग्र विकास किया जा सकता है। यदि तो एकीकृत शिक्षण अधिगम की उपयोगिता है जो कि शिक्षण एवं अधिगमकर्त्ताओं के लिए अधिगम सुगम एवं रौचक बनाता है।

आइए - एकीकृत शिक्षण एवं अधिगम की उपयोगिता पर दुबारा विचार करें

- इस पद्धति से सीखने में गहराई आती है।
- तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है।
- बच्चे अधिगम के कौशल सीख जाते हैं।
- आपसी मेल जोल एवं एकता बढ़ती है। इसलिए सक्रिय भागीदारी की संभावना अधिक रहती है।
- एकीकृत अधिगम व्यक्तिगत आवश्यकताओं को संबोधित करता है।
- आसानी से विषय-वस्तु समझ में आ जाती है।
- सार्थक अनुभव प्राप्त होते हैं। असली दुनिया दर्शाता है। अर्थपूर्ण संदर्भो में कौशल शिक्षण होता है।
- साक्षरता के साथ-साथ कला, संगीत, नाटक इत्यादि भी सीख जाते है।

इसलिए अधिगम रौचक हो जाता है ।

- विद्यार्थियों का पूर्ण ज्ञान एवं अनुभव प्रयोग में लाए जा सकते है।
- इससे विद्यार्थी समग्र तरीके से सीखते है
- अनेक अवधारणाएं एवं कौशल सीखने के लिए लाभदायक हैं।
- पर्याप्त कवरेज थोड़े समय में हो जाता है।

विषय वस्तु का

- प्राकृतिक रूप से अधिगम होता है।
- बच्चों के हितों का निर्माण होता है।
- अधिक लचीली पद्धति है।

यह व्यवहारिक ज्ञान है। शिक्षक भी नए-नए तरीकों से पढ़ाने, प्रयोग करने, एक दूसरे को शिक्षण में सहयोग देने के लिए उत्साहित रहते हैं। अत: लाभ सभी को है। बच्चों को, शिक्षकों को,

अभिभावकों को, एवं समाज को क्योंकि खुशहाल बचपन ही राष्ट्र का सुदृढ़ आधार बनेगा। रट्टा मारकर सीखने की प्रवृत्ति कम होती है। समझने तथा खोजबीन कर पाठ्यक्रम में नए-नए सुधार करने पर ध्यान अधिक केन्द्रित रहता है। अत: पाठ्यक्रम लगातार अच्छा तथा सम्बन्धित होता रहता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 एकीकृत शिक्षण की आवश्यकता क्या है? संक्षेप में लिखो।

2 एकीकृत शिक्षण की प्रक्रिया समइग़ए।

6.6 सारांश

इस इकाई में हमने एकीकृत अधिगम के प्रत्यय को समझने का प्रयास किया एवं यह भी जाना कि आज के संदर्भ में इसकी आवश्यकता एवं महत्वता क्या है अगर हमें इस पद्धति को अपनाना है तो किस प्रकार तैयारी करनी होगी यह भी जानने का प्रयत्न किया।

मूल्यांकन प्रश्न

1. एकीकृत अधिगम की सभी परिभाषाएं पढ़िए, समझिए एवं अपने शब्दों में एक परिभाषा बनाए जिसमें एकीकृत अधिगम का अर्थ स्पष्ट हो सके।
2. अगर आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप एकीकृत अधिगम पद्धति लागू करने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे, इसके क्या-क्या लाभ बताएंगे।
3. अपने साथी शिक्षकों के सहयोग से अपने विद्यालय में एकीकृत अधिगम पद्धति लागू करने की एक कार्यशाला की योजना तैयार करें।

स्वमूल्यांकन प्रश्नों के उतर

1. एकीकृत अधिगम वह होता है जिसमें बच्चे कई विषयों में ज्ञान की स्वेछा एवं प्राकृतिक तौर से खोज करते हैं तथा अपने पर्यावरण से कुछ न कुछ सीखते हैं। एकीकृत शिक्षा सभी बच्चों को एकत्रित रूप से पढ़ाना है चाहे उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नताएं हो जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भावात्मक अगर बच्चा पढ़ने के काबिल है तो शिक्षक उसे सामान्य बच्चों में सम्मिलित करके पढ़ाए एकीकृत शिक्षण है। यह सीखने की अंतहीन प्रक्रिया है।
2. एकीकृत अधिगम के तत्व निम्नलिखित है?
    1. विषयों का समूह
    2. योजना पर जोर
    3. पाठ्यपुस्तक से अतिरिक्त स्त्रोत
    4. प्रत्ययों में संबंधता व दिशा
    5. इकाईयों में सुसंगठित अधिगम सामग्री आधारित
    6. समयसारणी में लचीलापन व क्रमबद्धता
    7. शिक्षार्थियों के समूह में लचीलापन

3. एकीकृत शिक्षण की आवश्यकता एवं लाभ क्या है? संक्षेप में लिखें।

एकीकृत शिक्षण बच्चों के समग्र अधिगम के लिए लाभप्रद है। इससे समय, ऊर्जा एवं संसाधनों की बचत की जा सकती है। शिक्षा के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें मुख्य है बच्चों का सम्पूर्ण विकास। इससे बच्चे शिक्षा को रूचिपूर्ण ग्रहण करते हैं।

4. एकीकृत शिक्षण की प्रक्रिया समझाएं।

एकीकृत शिक्षण की प्रक्रिया के लिए सुनिश्चित योजना सभी शिक्षक एकत्र होकर बनाते हैं। एकीकृत शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के किसी भी पक्ष चाहे वह ज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो. भावात्मक हो या प्रयोगात्मक हो, को नकारती नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, खोजते हैं, प्रयोग करते हैं तथा सीखने की प्रक्रिया का आनन्द लेते हैं। वह अधिगम को अपने पर्यावरण तथा दैनिक जीवन से जोड़कर समझ सकते हैं एवं जो सीखा है उसे प्रयोग कर सकते हैं।

6.7 संदर्भ ग्रंथ

www.pbs.org/teacher.early childhood.ortiles.interted.html-18k-s

इकाई 7

सूचना एवं प्रौद्योगिकी समर्थित अधिगम एवं प्राथमिक शिक्षा

(ICTs- Enabled Learning & Elemenatry Education)

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 उदीपन समाज शिक्षा

- 7.2.1 शिक्षा में कम्प्यूटर के प्रयोग की उपयोगिता
- 7.2.2 कम्प्यूटर की सीमाएं
- 7.2.3 क्या कम्प्यूटर शिक्षक का स्थान ले सकते है?
- 7.2.4 टैलीकान्फ्रेसिंग एवं विडियों कान्फ्रेंसिंग
- 7.2.5 शिक्षा में इंटरनेट का योगदान
- 7.2.6 चुनौतियाँ

7.3 डिजिटल अधिगम कुछ प्रश्न

- 7.3.1 शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग संबंधी नीतियाँ
- 7.3.2 त्रुटिपूर्ण उपागम

7.4 शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ प्रयोग एवं शोध कार्य

- 7.4.1 कविता से मिलेगा कम्प्यूटर का ज्ञान
- 7.4.2 Project Grace
- 7.4.3 Headstrt computer Assisted Education
- 7.4.4 Rural Relations
- 7.4.5 Goa: Computer in School project
- 7.4.6 Project Shiksha
- 7.4.7 Hole in the wall Training System
- 7.4.8 India I.T freedom project
- 7.4.9 ITE विद्यालय परियोजना
- 7.4.10 The Intel computer Club House Project

7.5 डिजिटल डिवाइड

7.6 सुझाव

7.7 सारांश

7.8 संदर्भ ग्रंथ

7.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप जानेगें कि -

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परिचालित अधिगम के बारे में जान पाएंगे
- शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं गुणवत्ता पर विचार कर पाएंगे।
- शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों के विषय में जान पाएंगे।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी से शिक्षा के विभिन्न आयामों में बदलावों के विषय में अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे.।
- भारत में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी अनुभव एवं शोध कार्यो पर चर्चा कर पाएंगे।
- डिजिटल डिवाइड क्या है तथा किस प्रकार इस समस्या का समाधान सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाकर किया जाए समझ पाएंगे।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न यंत्रों की क्षमताओं एवं सीमाओं का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे।
- शिक्षा के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी के यंत्रों का चयन एवं एकीकरण कैसे किया जाए, यह विचार कर पाएंगे।

7.1 प्रस्तावना

इस खण्ड की पहली दो इकाईयों में आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शिक्षा में नवाचार प्रयोग तथा एकीकृत शिक्षण अधिगम के बारे में पढ़ चुके हैं। शिक्षा में नवाचार प्रयोगों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण प्रयोग है जो एक क्रांति लेकर आया है। इस इकाई में हम शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोगों के बारे में पढ़ेगे कि कैसे इसका उपयोग शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता बढाने के लिए किया जा रहा है तथा भारत के इस दिशा में क्या अनुभव हैं। आज हर व्यक्ति कम्प्यूटर के नाम से परिचित है तथा किसी न किसी कार्य के लिए उसका उपयोग कर रहा हैं। शिक्षा में, कार्य क्षेत्र में, शोध में, हाँबी एवं रचनात्मक कार्यो के लिए या केवल मन बहलाने के लिए शहरों में तो घर-घर में इसकी उपलब्धता है। बच्चे इस पर खेल खेलते है तथा पढाई के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं।

इस इकाई में हम शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग की पहुंच संबंधित नीतियों, संभावनाओं, नए-नए उपयोगो कुछ शोध कार्यो डिजिटल डिवाइड तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी इत्यादि की चर्चा करेंगे।

7.3 उद्दीमान समाज में शिक्षा कौशलों, अभिवृत्तियां

पहले शिक्षा को मूल्यों का मिश्रण माना जाता था जिससे नागरिक गुणों का विकास किया जाता था ताकि वे आधुनिक समाज में सक्रिय भागीदारी दे सके। आज शिक्षा को एक उपभोग की वस्तु माना जाता है जिसकी बहुराष्ट्रीय कम्पनीयाँ खरीद फिरोक्त कर सकती है। शिक्षा तकनीकी का प्रयोग ज्ञान के स्त्रोतों को जानने के लिए किया जाता है। उभरती हुई शिक्षा व्यवस्था का कार्य होगा - अध्यापन से शिक्षण की और, मूलभूत ज्ञान की तरफ झुकाव एवं व्यक्ति की रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमताओं का विकास। नई सूचना का प्रभावशाली उपयोग ज्ञान को अर्जित,

योजनाबद्ध एवं स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। इससे ज्ञान अर्जित करने के लिए विद्यार्थी की अधिक इंद्रियां सक्रिय होती है। भागीदारी बढ़ती है एक दूसरे से सीखते है।

शिक्षा के द्वारा जनतांत्रिक समाज बनाने का प्रयास सूचना एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संभव है इससे अधिक मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज की रचना होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गैर सरकारी संस्थानों की भागीदारी होगी। (Interaetive Learning) अंत: क्रिया अधिगम होगा। दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले भी शिक्षा के लाभ उठा पाएंगे तथा शिक्षा ही विकासशील राष्ट्रो के उत्थान का एक मात्र साधन है जिससे मानव संसाधन का विकास होता है जो कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी। की और भी सशक्त एवं पर्यावरण-हितैषी-बनाएगे। इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी जो कि सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

ज्ञान का प्रबन्धन - लेक्चर द्वारा दिया गया ज्ञान आज पर्याप्त नहीं है न ही व कुछ समय के पश्चात् याद रहता है न ही (relevaut) सह-संबंधित क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र हर पल विस्तार कर रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा से ज्ञान का प्रबन्धन उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है। ज्ञान की उत्पत्ति से लेकर उसमें नए-नए विकास परिवर्तन, प्रयोग इत्यादि (Virtial or e- libraries) अप्रत्यक्ष और ई-पुस्तकालयों से संम्भव हो पाता है। (rare books) के ज्ञान को दुलर्भ एवं बहुमूल्य पुस्तकों के द्वारा ही संभव है। संचित और संग्रहीत संरक्षण कर पाना वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए 1015 शिक्षा की आधार भूत प्रकृति बदलने का वादा करता है जैसे कि दृश्य-श्रवण सामग्री को लिखित विषय वस्तु के साथ जोड़कर पढ़ाना। नई सदी भूमण्डलीय संचार तथा भूमण्डलीय अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाई है। इसका सीधा प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र पर भी पड़ा है जिससे शिक्षा की व्यवस्था, बनावट तथा आदान-प्रदान में काफी परिवर्तन आए है। केवल एक ही कमी है कि इसका अति उपयोग मूल्यों पर भारी पड़ता जा रहा है। इसका आकर्षण युवाओं को जहाँ ज्ञान की ऊचाइयाँ उपलब्ध करवा रहा है। वही cyber spaceसंतांत्रिक द्विक का commercial spaceबन जाना। उन्हें पथ के भष्ट भी कर रहा है। शिक्षा बाजार बनती जा रहा है। इसलिए 1018 के प्रयोग के लिए असरदार नीतियां बनाने की आवश्यकता है जैसे कि गरीब वर्गो के लिए मुक्त कम्प्यूटर तथा इंटरनेट कनैक्शन दिए जाऐ।

7.3.1 शिक्षण में कम्प्यूटरर्ज के प्रयोग की उपयोगिता

बच्चे में अधिक सीखने की भावना जागृत की जा सकती है। सीखने वाला बच्चा एक Just, equitable and humaue समाज की नीव रखेगा।

हममें से कौन उस शिक्षक को भुला पाता है जो पढ़ाने में चुटकले, नाटक, कहानियों या और दिलचस्प ढंग इस्तेमाल करते हैं। जिनके कारण हम कोई विषय अच्छी तरह पढ़ पाए या जिनके कारण हमें कोई विषय अच्छा लगने लगा। बच्चों को ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करने वाले शिक्षक बहुत कम मिलते है।

कम्प्यूटर का प्रयोग कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। कम्प्यूटर का ज्ञान देने की बजाय कम्प्यूटर के द्वारा या इसकी सहायता से पढ़ाया जाए कम्प्यूटर चलाना तो अपने आप आ जाएगा जब बच्चा खुद करेगा। शिक्षक-आधारित कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। बच्चा

पूरी तरह सम्मिलित हो जाए। कार्टून तथा कहानियों के साथ गांव के Scence में Set किए जाएं 6- 14 वर्ष के बच्चों के लिए Azim Psemji foundationने हिसाब, भाषा तथा पर्यावरण शिक्षा के प्रकरण तैयार किये है जिससे यह सामने आया कि भाषा की सीमाओं को लांघा जा सकता है।

- गांव में तकनीकी ले जाना जरूरी है।
- इससे अधिगम खेल-खेल में हो जाता है।
- मूल्यांकन अच्छा लगता है।
- सबके लिए एक समान ज्ञान होता है।
- कम्प्यूटर के साथ काम करने से प्रेरणा प्रदान होती है।
- सजीव रंगीन चित्र छात्रों को अभ्यास करने के लिए रूचि उजागर करते हैं।
- छात्रों की प्रतिक्रियाओं को उच्च कोटि का पुनर्बलन मिलता है।
- छात्रों की स्मरण शक्ति उनके अतीत के ज्ञान को अभिलेखित करने के लिए परवर्ती पदों को प्रदान करती है
- निम्न कोटी के शिक्षार्थी के लिए व्यक्तिगत प्रकार के अनुदेशात्मक कार्यक्रम द्वारा धनात्मक एवं प्रभावी वातावरण तैयार किया जाता है । उसके लिए इसको विभिन्न पदों में व्यक्त किया जा सकता है।
- अभिलेखों को लम्बे समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
- छात्रों को दिशा निदेशित किया जा सकता है।
- स्व:अधिगम का विकास होता है।
- शिक्षक का नियंत्रण क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। वह एक ही समय में अधिकतम छात्रों से सीधा सम्पर्क कर सकता है । अत: शिक्षकों की कमी की समस्या कम की जा सकती है।
- शिक्षक सरल, सुगम, आकर्षण एवं रूचिकर बनाया जा सकता है।
- शिक्षा का हर क्षेत्र शिक्षण, आकर्षण एवं रूचिकर बनाया जा सकता है।
- शिक्षा का हर क्षेत्र शिक्षण, अनुदेशन, शोध, निर्देशन, परामर्श, मूल्यांकन में प्रयोग किया जा सकता है।

3.3.2 टैलीकॉन्फ्रेसिंग एवं विडियों कान्फ्रेसिंग

शिक्षा के क्षेत्र में आजकल इसका एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसके तीन मुख्य रूप है।

(i) श्रव्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग

(ii) दृश्य एवं श्रव्य विडियों कान्फ्रेसिंग

(iii) कम्प्यूटर टैली कान्फ्रेसिंग

इसके उपयोग द्वारा शिक्षा की लागत में कमी आई हैं। तथा शिक्षार्थी की सेवा में गुणात्मक सुधार हुआ है।

टैलीकॉन्फ्रेसिंग एवं विडियों कान्फ्रेसिंग के उपयोग

यह चारों तरफ फैले हुए विभिन्न समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, सुगम व प्रभावशाली है। वह एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते है तथा ध्वनि एवं दृश्य के माध्यम से अपने शिक्षकों से बातचित कर अपनी अधिगम से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते है। इसके निम्नलिखित लाभ है।

1. दूरवर्ती छात्रों के लिए प्रभावी सहायता - विभिन्न समुदायों के विद्यार्थी, विभिन्न स्थानों पर रहते हुए किसी नजदीकी केन्द्र पर इसका लाभ उठा सकते है।
2. मूल्य की प्रभावशीलता - यह विधि कम खर्च में अधिक विद्यार्थियों तक शिक्षा के लाभ पहुंचा सकती है।
3. लचीली प्रणाली - समूह कितना भी छोटा या बड़ा है सबकी आवश्यकता पूर्ण करने में सक्षम है।
4. सुपरिचित यंत्रों का उपयोग - मुख्यत: टीवी., रेडियो, टेलीफोन इत्यादि का प्रयोग इसमें किया जाता है जिनसे सभी परिचित है।
5. उच्च कोटी का अनुदेशन - शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने तथा बढ़ाने में उपयोगी हैं। उच्च स्तर के शिक्षक सम्मिलित है।
6. तत्कालिन पृष्ठ पोषण - छात्रों को तुरन्त पृष्ठ-पोषण प्रदान किया जा सकता है।

   समय का सदुपयोग - एक ही समय में सैकड़ों शिक्षार्थी पढ़ पाते है। इसलिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण में सहायक है।

7.3.3 शिक्षा में इन्टरनेट का योगदान

इंटरनेट विभिन्न तकनीकी के संयुक्त रूप के कार्य का उदाहरण है। इंटरनेट का आधार, राष्ट्रीय स्वरूप (National information infrastructure) होता है, यहाँ विभिन्न सम्पर्क लाइने, कम्प्यूटरों को जोड़ती है जिन्हें गृह कम्प्यूटर कहते हैं। ये (Host Computer) विश्व विद्यालयों या अन्य संस्थाओं से जुड़े रहते हैं और उन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (Internet service provider)(I.S.P) कहा जाता है। कम्प्यूटर विशेष लाइनों या इंटरनेट कनेक्शन (Internet Connection) द्वारा साधारण टेलीफोन या मोडेम के जरिए उपभोक्ता व्यक्ति के गृह कम्प्यूटर से जुड़े रहते है। यह सम्पर्क डायलडप कनेक्शन कहलाता है।

इंटरनेट द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ तथा आधुनिक शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित ही रही है। यदि कोई छात्र शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ लाभ उठाना चाहता है तो घर, विद्यालय या साइबर कैफे में जाकर नवीनतम ज्ञान इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है वौद्विक गत्यात्मक युगान्तकार, परिवर्तनों की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है।

(1) ई-मेल (Electronic Mail) - ई-मेल सूचना सम्प्रेषण का एक रूप है। इस प्रणाली में नेटवर्क के द्वारा एक कम्प्यूटर को दूसरे कम्प्यूटर से जोड़कर तत्काल सूचना को सम्प्रेषित करने की सुविधा प्राप्त की जाती है।

7.3.4 कम्प्यूटर की सीमाएँ

कम्प्यूटर प्रणाली की कुछ सीमाएँ भी हैं जो निम्नलिखित है -

1. हांलाकि कम्प्यूटर काफी सस्ते हो गए है लेकिन भारत की आर्थिक दशा एवं अमीरी- गरीबी की असमानता देखते हुए कुछ समुदाय के लोगों के लिए अभी भी कम्प्यूटर से पढ़ना एक स्वप्न के समान है।
2. शिक्षक का स्थान कम्प्यूटर नहीं ले सकता मूल्यों, संस्कृति अच्छी आदतों का विद्यार्थियों में निर्माण केवल एक अच्छा शिक्षक ही कर सकता है।
3. हर कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसी खास कार्यक्रम के लिए ही हो सकता है।
4. ग्रामीण तथा दूरगामी क्षेत्रों में यह अभी उपलब्ध नहीं है भौगोलिक अवस्थाएँ / परिस्थितियाँ आड़े आ जाती
5. कम्प्यूटर की उपलब्धता एवं साक्षरता आवश्यक है । कम्प्यूटर साक्षरता के अभाव में उपलब्धता का उपयोग भी नहीं हो पाता।

7.3.6 क्या कम्प्यूटर कक्षा में शिक्षक का स्थान ले सकता है?

कम्प्यूटर का शिक्षा में आगमन काफी सफल सिद्ध हो रहा है। कम्प्यूटर के माध्यम से हमें शिक्षण कार्य करने में आसानी होती है। तथा साथ ही कम्प्यूटर आधारित शिक्षण कार्य रूचिकर व प्रभावी लेता है। जिससे बच्चे विषयवस्तु को सरलता से समझते हैं। कम्प्यूटरों को शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

कम्प्यूटर शिक्षका का स्थान नहीं ले सकता है क्योंकि -

1. कम्प्यूटर एक मशीन है जिसे किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा नियन्त्रित और संचालित किया जाता है।
2. कम्प्यूटर छात्रों की रूचि, समस्याओं, आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण नहीं कर सकता है। जबकि अध्यापक छात्रों के स्तर को ध्यान में रखते हुए उनकी रूचि, आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य करता है।
3. कम्प्यूटर एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री है जिसे शिक्षक अपने विषय में विषयवस्तु के अनुरूप, छात्रों के स्तरानुसार प्रयोग करता है।
4. शिक्षक छात्रों के मनोभावों को समझते हुए उनकी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं को शान्त कर सकता है जबकि कम्प्यूटर ऐसा नहीं कर सकता है।

अत: कम्प्यूटर शिक्षण का एक अच्छा माध्यम हो सकता हैं लेकिन वह शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता है । इससे बच्चे का सर्वाग्रीण विकास सम्भव नहीं हो सकता हैं कम्प्यूटर के द्वारा किया गया शिक्षण अनुभव किया जा सकता है।

चुनौतियां -

श्री राजन वरादा जो कि टेक्मोलोजी फॉर पीपल (Technology for Peple) संस्था जो कि बंगलोर में है से संबंधित है लिखते है कि विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोग करने के रास्ते में निम्नलिखित कठिनाइयाँ एवं रूकावटें चुनौतिपूर्ण है जैसा कि

- बिजली की कमी

- रखरखाव की आवश्यकता तथा
- आपरेटिग सिस्टम सॉफ्टवेयर

बिजली घंटों गुल रहती है तथा कई ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती है। बिजली प आने की वजह से कम्प्यूटर सिखाने के लिए समय सारणी गड़बडाती रहती है। ऊर्जा की उपलब्धि कम होने पर या गड़बड़ाने पर कम्प्यूटर के रखखाव पर बहुत अधिक खर्च आता है कई बार तो कम्प्यूटर खराब होने पर फिर ठीक करवाया ही नहीं जाता। कुछ रखरखाव तो कम्प्यूटर नियमित रूप से मांगते हैं और कुछ खराब होने पर। उसके लिए विद्यालयों के पास पैसा नही हो तो फिर सॉफ्टवेयर भी बहुत महंगा होता है तथा नियमतता से (upgrade) करवाना पडता है। इसके लिए भी धन चाहिए।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग के क्या लाभ हैं संक्षेप में लिखिए ।

2 टेलीकॉन्केसिंग एवं विडियो काक्तेसिंग का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में क्या है?

हमारे विद्यालय कितनी अच्छी प्रकार से ICTs का प्रयोग बच्चों को पाठ्यक्रम सीखने के लिए कर रहे है? क्या हमारे शिक्षक ICTs के प्रयोग के लिए कुशल है? ICTs कहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच में है? क्या हमारे विद्यालयों में ICTs से संबंधित संसाधनों को Suppart करने के लिए कुछ योजनाएं है?

ICTs करके शिक्षा मे प्रयोग के लिए कौन-कौन सी नीतियां मार्गदर्शन देती है?

समय की मांग के अनुसार नीति-निर्धारकों तथा शिक्षाविदों ने 1013 की शिक्षा में आवश्यकता एवं उपयोग को पहचाना है एवं इसके लिए नीति-निर्धारक मार्गदर्शन भी तैयार किए है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (http:/www.education.nic.in) भारत सरकार ने स्कूली शिक्षा में ICTs करने का काम शुरू कर दिया है इस में The Global Schools and communication Imitiatives. (http:/www.gesci.orgs) तथा U.N.TCT Task force funded organization Science, Development and media studies (http://www.(sdms.in/) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को तकनीकी सहायता देगें।

7.4.1 सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा से संबंधित भारत की नीतियां

मानव संसाधन विकास मंत्रालय' भारत सरकार के काफी समय पहले सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा संबंधित एवं नीतियां बनानी प्रारम्भ कर दी थी। इस नीति को विद्यालय शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय नीति (National Policy on ICT is School education) कहीं गया है। इस नीति को तैयार करने में भारत सरकार की सहायता ग्लोबल इ-स्कूल एड कम्प्यूनिटीज इनिशिएटिव (The Globale school and communication Initiative) जो कि एक UNKT Task force पोषित संस्था हे, साइंस डिवेलपमैंट एंड मिडिया स्टडीज केन्द्र (Centre for science, Development and media studies) इत्यादि संस्थाओं ने की।

इस नीति को तैयार करने में उन सब की सलाह ली गई जो कि इससे प्रभावित हो सकते थे जैसे शिक्षक, विद्यार्थी, उद्योग पति, शिक्षा विद, समाज सुधारक, कानून के ज्ञाता इत्यादि ताकि एक अच्छी तथा प्रभावी नीति तैयार हो सकें।

यह प्रक्रिया लगातार चल रही है ताकि ICT संबंधी नीतियों को प्रभावी बनाया जा सकें। इसके लिए वार्तालाप UN solution Ex-ctange (www.solution exchange un-nett in/en/)पर चलता रहता है। यह प्रयास संयुक्त राष्ट्र की भारत में एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। हर भारतीय नागरिक इसमें सुझाव ई-मेल के जरिए भेज सकता है।

ICT नीति के किसी भी पक्ष जो कि शिक्षा के किसी भी आयाम से संबंधित हो तथा अच्छी शिक्षा प्रक्रिया बनाने में सहायक हो पर सुझाव आमंत्रित हैं। Digital Learning- learning throught TCTS ICTs के माध्यम से अधिगम की कुंजी Human ware यह कथन है सेम कल्सिन का Sam carlson एक शिक्षा specilist है। भारत में विश्व बैंक के लिए।

विश्व बैंक का भारत में शिक्षा का उद्देश्य बहु-स्तरीय है उच्चतर प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार को सहायता करना ताकि सभी के लिए शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो सके । इसके लिए विश्व बैंक सर्व शिक्षा अभियान को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता दे रहा है माध्यमिक स्तर पर राज्यों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नए नियोजन कार्यक्रम बनाने के लिए प्रयासरत है ताकि नई तकनीकों के माध्यम से मात्रा, पहुँच (quantity, access) तथा गुणवत्ता बढ़ाए जा सकें।

विश्व बैंक का यह प्रयास है कि ICT का प्रयोग शिक्षा की योजना बनाने तथा लागू करने के लिए किया जाए, अन्य देशों के अनुभवों को प्रयोग में लाया जाए जिससे विद्यार्थियों के कौशलों का विकास हो। केवल विद्यालयों में कम्प्यूटर लगा देना नहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा से उच्च स्तर की सूचना, तार्किक कौशल, समस्या समाधान कौशल, अन्तसांस्कृतिक सहयोग तथा तकनीकी कौशल का विकास होता है जोकि सार्वभौमिक ज्ञान आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी के लिए वांछित है। लेकिन यह कौशल केवल एक परीक्षा को ही एक मापदण्ड माना जाता है। शिक्षक अभिभावक तथा विद्यार्थी इसके द्वारा पूर्णतयः दबे होते है इसके मूल्यांकन भी तकनीकी (based) के आधार पर होना आवश्यक है।

शिक्षा में सफल ICT नीति क्या है?

शिक्षा में सफल ICT नीति वह होगी जिसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों में 1013 परिचालित शिक्षा दी जा सके जिससे सभी विषयों में प्रभावशाली शिक्षा दी जा सके तथा उन सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधित कौशलों का विकास विद्यार्थियों में हो सके जोकि उन्हें जीवन-प्रयन्त सीखने के लिए तथा भविष्य में जीवन यापन में भी सहायता कर सके। इस नीति में सभी आवश्यक 101 घटक; हार्डवेयर, सोफ्टवेयर इलेक्ट्रोनिक अंश, शिक्षक का व्यावसायिक विकास, बाल-केन्द्रित अनुदेश को बढावा, मूल्यांकन, मापन तकनीकी सहायता इत्यादि होना चाहिए।

शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी -

सरकार की त्रुटिपूर्ण उपागम (flawed approach) गुरूमूर्ति काशीनाथन जोकि IT for education के संस्थापक है ने लिखा है कि वह मानते है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग

शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता है लेकिन इससे संबंधित नीति तैयार करने वाले समूह में सभी सदस्य आईटी. क्षेत्र से है न कि कोई शिक्षाविद्। उन शिक्षाविदों में से भी कोई इस कमेटी में नहीं है जोकि शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (National curriculum framework) 2005 (NFC) का ढांचा जोकि एक सीमाचिन्ह माना जाता है को तैयार करने में सम्मिलित थे। यह नीति पत्र NCERT प्रशिक्षण परिषद के नेतृत्व में तैयार किया गया था।

विद्यालयों में कम्प्यूटर तो आ गए लेकिन शिक्षा व्यवस्था एवं प्रक्रिया में इनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।

यहां दसवी पांच वर्षीय 'योजना में 1000 से कुछ कम राशि शिक्षा में आईटी. के लिए रखी गई थी। वहीं 11 वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 6000 करोड़ देने का प्रस्ताव है।

यह राशि शिक्षा में आईटी. से बदलाव लाने के बुलन्द इरादे से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दी जाएगी। इस इरादे से शिक्षा में आई.टी.की राष्ट्रीय नीति भी बननी शुरू हो गई है। अभी इसका प्रारूप प्रकाशित नहीं हुआ। इस संदर्भ में गैर सरकारी संसाधनों एवं व्यवसायिक प्रतिनिधियों से वार्तालाप किए जा रहे है। इस संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से भी वार्तालाप किया जाए क्योंकि उन्हें ही इसका प्रयोग करना है तथा इससे लाभान्वित होना है। शिक्षा के क्षेत्र में आईटी. उपकरणों का प्रयोग करने के लिए आधारभूत संरचना (Infrastuctures) में भी वांछित बदलाव लाने होंगे ताकि आईटी. उपकरणों का प्रभावी रूप से शिक्षा में उपयोग किया जा सके जिससे गुणवत्ता मे विकास हो। कहीं ऐसा न हो कि यह उपकरण विद्यालयों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए एक बोझ बनकर रह जाए। इससे कुछ लाभ या सुधार न हो। पांच नीजि कंपनियां इसमें सम्मिलित की गई है।

- Intel Microsoft education तथा 24*7 Guru.com जो कि शैक्षिक विषयवस्तु तैयार करने वाली बड़ी कंपनियां हैं, तथा NIIT जो कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है।

देश के शैक्षिक संस्थान अपनी शैक्षिक विषयवस्तु तैयार कर सकते है बजाय इसके कि निजि व्यवसायी कंपनियां से इसे खरीदें। इसके अलावा सांझा Support system काफी मित्तव्ययी सिद्ध होगी। (policy) सरकार ने 6000 करोड़ की नीति के लिए केवल उन्हें सम्मिलित किया है जिन्हें सीधा लाभ होगा। The NFC-2005 Position Paper शिक्षा तकनीकी क्षेत्र में एक अत्यन्त बढ़िया दस्तावेज है जिसमें भारतीय शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग की उपयोगिता एवं सीमाओं पर काफी प्रकाश डाला है। परन्तु दुर्भाग्यवश इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु से जुड़ा मुद्दा है न कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति से जुड़ा। यह समझना अत्यन्त आवश्यक है।

शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग संबंधी भारत सरकार के प्रयासों एवं नीतियों के बारे में पढ़ने के बाद आइए निम्नलिखित प्रश्नों पर अपने विचार दे

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत सरकार के प्रयासों का संक्षेप में व्यान करें।

2 भारत सरकार के इस दिशा में प्रयासों में क्या त्रुटियां है लिखें तथा अपने सुझाव भी दे जिनसे इस दिशा में प्रयास सफल हो पाएं।

7.5 शिक्षा के सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं शोध कार्य

7.5.1 REI ICT Information

Projest Grace (Girls of Rajsthan and computer Education) Dislrict Computer Training हर जिला मुख्यालय 32 जिलों के लैब में 30-40 कम्प्यूटर हैं, आवश्यकता है तो इन्हें Public Private भागीदारी से प्रयोग करके कुछ धन अर्जित करने की ताकि वे उत्पादन का साधन बन सके।

Computer Aied learning programme (CALP) इस कार्यक्रम की शुरूआत 2004-2005 में की गई तथा अब तक 1134 उच्चतर-प्राथमिक (Upper Primary) विद्यालय इसके अंतर्गत आए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में तीन कम्प्यूटर एक प्रिटंर एक UPS तथा आवश्यक फर्नीचर दिया जाता है। Solar valtanic systems भी प्रदान किया जाता है जिससे कि बिजली की समस्या का समाधान किया जा सके। उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को शिक्षा के वे Intervactive, self paced Joypil अवसर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने इस उद्देश्य के लिए तैयार करवाए है। हांलाकि बहुत से विद्यालयों में यह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। ISRo के सहयोग से EUSAT भी Implement किया गया है।

7.5.2 हैडस्टार्ट कम्प्यूटर एसिसटिड एजूकेशन (Headsturt computer, Assisted Education)

मध्यप्रदेश मे हेडस्टार्ट, एक सबसे बड़े कम्प्यूटर परिचालित शिक्षा कार्यक्रमो में से एक है। अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए भारत में कम्प्यूटरो के माध्यम से काफी प्रयास हो रहे हँ, राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओ में कम्प्यूटरों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता को सुधारना है, वर्ष 2000 में लगभग 648 विद्यालयों में यह शुरू किया गया तथा बाद में 2748 ग्रामीण विद्यालयों तक फैल गया भविष्य में हेडस्टार्ट अपने पाठ दूसरे राज्यों तथा निजि विद्यालयों में भेजने की आशा भी कर रहा है। इसका विस्तार हम सब के लिए एक उदाहरण सामने रखता है।

7.5.3 रूरल रिलेशज (Rural Relatiais)

ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक परिवेश में कार्य करने योग्य बनाने के लिए श्री प्रदीप लोखंडे ने 'रूरल रिलेक्शन" के संरक्षण में यह बीड़ा उठाया, "रूरल रिलेक्शंज पुराने कम्प्यूटर खरीद कर या दान में लेकर गांवों में 28000 विद्यालयों को दे चुकी है । श्री प्रदीप लोखंडे 2000 से भारत के लगभग 4000 गांवों में घूम चुके है। उन्होंने स्वयं 102 पुराने कम्प्यूटर विद्यालयों में लगाए है। यह कम्प्यूटर दान में या मुक्त में मिले तथा विद्यालयों को भी मुक्त में दिए जाते हैं। उससे पहले सूचना तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए वह उपयोगी है या नहीं इसका परीक्षण किया जाता है। जब विद्यालय एक बार उनको प्रयोग करके देख लेते हैं एवं उनका

महत्व समक्ष जाते है, तो यह आशा की जाती है कि वह पुराने कम्प्यूटर को update करवाने के लिए पैसा जुटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनका महत्व एवं उपयोगिता समझ जाते हैं यह बहुत अच्छी व्यावहारिक प्रयास हैं यह ज्ञात हुआ है कि 102 विद्यालय जिनमें कम्प्यूटर लगाए गए हैं, ऐसा विद्यार्थियों के सहयोग एवं मांग के कारण हुआ है।

7.5.4 गोआ कम्प्यूटर्स इन स्कूल प्रोजेक्ट

यह एक कम्प्यूटर आधारित परियोजना है जिनके माध्यम से गोआ के विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता का गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ-साथ शिक्षकों को भी इनके माध्यम से प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, यही नहीं बल्कि इन कम्प्यूटरों का प्रयोग विद्यालय में छुट्टी होने के बाद समुदाय प्रौढ़ व्यक्ति भी ई-मेल करने ज्ञान वृद्धि करने या पैसा कमाने के लिए कर सकते हैं। गोआ में प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की दर बहुत अधिक है इस संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास एवं इससे संबंधित प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। इस परियोजना का उद्देश्य हर प्राथमिक विद्यालय को अपनी कम्प्यूटर लैब तथा न्यूनतम आठ इंटरनेट सहित कम्प्यूटर उपलब्ध करवाना है। यह कार्य सरकार, उद्योगपति समुदाय, समूहों एवं ऐच्छिक कार्य कर्त्ताओं की सहायता से किया जाएगा। लिनक्स पर आधारित इसका सॉफ्टवेयर आसानी से वितरित किया जा सकता है। इसका दाम भी अधिक नहीं है तथा कानूनी रूप से इसे नकल भी किया जा सकता है।

सन् 2002 में गोआ सरकार 350 प्राथमिक विद्यालयों को नए कम्प्यूटर दे रही है ताकि गोआ में हर विद्यालय के पास कम से कम निजि कम्प्यूटर हो।

गोआ भारत का पहला राज्य है जो इस प्रयास में सफल रहा है, धीरे-धीरे 88pt परियोजना के माध्यम से लगभग 450 Reculed कम्प्यूटर 100 विद्यालयों में लग चुके हैं।

7.5.5 Project shiksha computer literay

परियोजना शिक्षा कम्प्यूटर साक्षरता शिक्षा का उद्देश्य कम्प्यूटरता को बढ़ावा देना। सॉफ्टवेयर से समस्याएं तुरन्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना सूचना प्रोद्योगिकी पर आधारित पाठ्यक्रम का विकास करना तथा पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों एवं छात्रों को छात्रवृतियां प्रदान करना है। इसके माध्यम से अगले पांच वर्षो में पूरे भारतवर्ष के सरकारी विद्यालयों 80000 से अधिक शिक्षक एवं 35 करोड़ विद्यार्थियों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। इसकी शुरूआत नवम्बर 2002 से हुई। माइक्रोसोफ्ट इस परियोजना के अंतर्गत इस माइक्रोसोफ्ट आईटी. एकेडमी करेगा। साथ ही 2000 विद्यालयों में भागीदारी आधारित प्रयोगशालाएं भी स्थापित होगी। यह सोफ्टवेयर जैट उन शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों को छात्रवृतियां भी प्रदान करेगा जो की प्रभावी सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा में कुछ नवाचार प्रयोग करने में सक्षम है।

7.5.6 होल इन बाल टेरनिंग सिस्टम

अंतराष्ट्रीय वित्त कॉरेपोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है। ने 1 -6 मिलियन इस परियोजना में लगाए हैं इसमें कम्प्यूटरों की छोटी-छोटी दुकानें शहर के झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में रखे गए हैं। वहां रहने वाले बच्चे जिनका शिक्षा का स्तर बेशक नगन्य है। एक दूसरे को कम्प्यूटर का प्रयोग करना सिखाते हैं। भारत में इस परियोजना से गरीब बच्चों में कम्प्यूटरों के माध्यम से पढ़ने के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर सुधारना है तथा लड़के एवं लड़कियों के लिए समान शिक्षा के अवसर जुटाना है। यह परियोजना 1999 में डा. मित्तरा जो कि नाटिका इस्टीटयूट ऑफ इनॅफोरमेशन एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अध्यक्ष है, के प्रयासों से प्रारंभ हुआ NIIT एक काफी प्रसिद्ध कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं प्रशिक्षण कंपनी है। दिल्ली में डा. मितरा के एयर कंडीशन वाले 21 वीं शताब्दी के आधुनिक दफ्तर की दीवार से लगी हुई एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती है। डा. मित्तरा ने फेसला किया कि वह उस दीवार में एक बढ़िया कम्प्यूटर इंटरनेट के साथ उस दीवार में लगाएंगे और देखगे कि क्या उसे कोई प्रयोग करता है। उन्हें देखकर हर्ष मिश्रित हैरानी हुई कि मिनटों में कई बच्चे उस उदभुत नई मशीन की तरफ आकर्षित हो गए तथा उसे सीखने के लिए छेड़ने लगे। एक ही दिन के अंत तक वह कम्प्यूटर चलाना अपने आप सीख गए तथा इंटरनेट प्रयोग करने लगे।

इसके बाद NIIT ने और क्षेत्रों में अध्ययन करवाया देखने के लिए कि क्या अनपढ़ गरीब बच्चे बिना सिखाएं इंटरनेट का प्रयोग कर सकते है। वीडियो टेप के माध्यम से लगातार इन बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दिया गया। वीडियो में देखा गया कि बच्चे अंग्रेजी भाषा का नाम मात्र भी ज्ञान भी न होने पर कम्प्यूटर भली प्रकार प्रयोग करना सीख गए वह भी स्वयं। नई दिल्ली एवं मैसूर के बाद भारत में अब कई राज्यों में होल इन दवाल परियोजना के अंतर्गत गरीब बच्चों के लिए कम्प्यूटर लगाए जा रहे हैं।

इंडिया आईटी. फरीडम परियोजना (नेत्रहीन बच्चों के लिए) (India IT freedom project for visualty challenged students) मुम्बई में राज्य सरकार एवं Freedom scientitic Inc USA की सहभागिता से देवनार फाउंडेशन फार बलाइड एवं कृष्णा इंटर प्राइज मुम्बई ने शुरू की। देश में पहली बार इस प्रकार की परियोजना की शुरूआत हुई जिसका freedom scientific ने छः महीने में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया जिससे ऑठवी नवीं व दसवी कक्षा में नेत्रहीन छात्रों को कम्प्यूटर ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही मैजिक मेग्नीफीकेशन सॉफ्टवेयर मंद दृष्टि के बच्चों के लिए बनाया गया तथा साथ ही निकाले गए Open Book OCR Reading software तथा ब्रेल प्रिंटर। यह परियोजना नेत्रहीन विद्यार्थियों को सक्राइबर का प्रयोग किए बगैर परीक्षा लिखने में सहायता करेगी। क्योंकि वह ब्रेल लिपि से पाठ्य वस्तु सामान्य लिपि में बदल सकते है तथा सामान्य से ब्रेल में। ऐसी ही परियोजना विश्वविद्यालय के तथा माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी तैयार की जा रही है |

7.5.8 The Intel Computer Clubhouse Project with Kotha के इंटेल की कम्प्यूटर कबलहाउस परियोजना

नई दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी के बच्चे एवं महिलाएं कम्प्यूटर चलाना सीख रहे हैं एक दूसरे से सीखने के लिए अपने आर्थिक एवं सामाजिक कौशल बढ़ाने के लिए। काथा में 1200 बच्चों का एक विद्यालय जिसमें दो कम्प्यूटर लैब है वहां अशिक्षित महिलाएं सूचना एवं प्रौद्योगिकी यंत्रों का प्रयोग करना सीखती हैं। यह अपने आप में नवाचार प्रयोग है। नई दिल्ली के भूमिहीन, नवजीवन जवाहर कैंप तथा गोविन्दपुरी इलाकों में यह परियोजना काथा के साथ मिलकर चलाई जा रही है। काथा चुनौति 2010 (Katha's challange 2010) परियोजना सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों एवं महिलाओं को सशक्त करने की और अग्रसर हैं। काथा एक लाभ-निरपेक्ष संस्था है। (Non-Profit organisation)जिसका उद्देश्य है साक्षरता को बढ़ावा देना, लिंग सांस्कृतिक एवं सामाजिक भेदों को दूर दराज तथा जीवन पर्यन्त अधिगम को उत्साहित करना।

7.5.9 BM Provide free ICT Training for Disadvantaged students

आई.वी.एम भारती विषय विद्या भवन के साथ गांधी इंस्टटीटयूट ऑफ कम्प्यूटर एडूकेशन के माध्यम से वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी का निशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण भारतीयों के लिए कम्प्यूटर साक्षरता उपलब्ध करवा रहा है। विद्यार्थियों को ई-मेल करना, वर्ड परोसैसिंग स्परैडशीट डिजाइन करना, बिजनस ग्राफिक्स इत्यादि सिखाया जाता है। 15 विद्यालयों के 3000 से अधिक बच्चे इस कार्यक्रम में लाभान्वित हो चुके है।

सीलमपुर परियोजना झुग्गी - झोपड़ी में रहने वाली (The seelampur Project) महिलाओं को सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त करना - इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वी दिल्ली की निर्धन एवं बिल्कुल कम पढ़ी हुई महिलाओं को सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कुछ जीवन कौशलों को सिखाना है जैसे सिलाई कढ़ाई, बुनाई भोजन का संरक्षण इत्यादि। युनेस्को की सहायता से डाटामेशन फाउंडेशन ने एक ICT Centre की स्थापना की है । इसमें एक Server है, चार कम्प्यूटर, एक सकैनर कम प्रिटंर तथा इंटरनेट। इसमें स्थानीय समुदाय के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित बराउजर (Browser) एनरिच (Ecrich) भी लगाया गया है जो कि समुदाय को सूचनाएं उपलब्ध करवाता है जिससे उनको आय उत्पादन की सूचना तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं मिलती है ताकि युवा एवं महिलाएं स्वस्थ जीवन जी सकते है तथा जीवनोपार्जन के साधन जुटा सकते है।

डाटामेशन 50 मल्टीमिडिया सी.डी. तैयार करवा रहा है जिससे कौशलों के विकास पर केन्द्रित किया जाऐगा, महिलाओं के सशक्तिकरण की और ध्यान दिया जाएँगा और जो महिलाएं समुदाय स्थित आई.सी.टी. सैन्टर नहीं आ सकती उन तक पहुंचने के साधन जुटाने पर कार्य करेगा। यह सी.डी. मौजूद केबल नैटवर्क द्वारा दिखाई जाएंगी जिनके लिए स्थानीय केबल वाले निशुल्क प्रसारण समय देगी ।

दैनिक नवजागरण एक रिपोर्ट

कविता से मिलेगा कम्प्यूटर का ज्ञान

अब कक्षा एक से लेकर आठवीं तक बच्चों को कविता के जरिए कम्प्यूटर ज्ञान दिया जाएगा, इसे कम्प्यूटर शिक्षा रूचिकर, सरल एवं सहज बनाने का प्रयास बताया जा रहा है, इसके लिए जिला, परियोजना एवं सर्व शिक्षा अभियान देहरादून ने एक पुस्तक में कम्प्यूटर का प्रकाशन करवाया है, पुस्तक में कविता के माध्यम से कम्प्यूटर के बारे मे जानकारियाँ प्रदान की गई है, जनपद के प्रत्येक स्कूल में पुस्तक उपलब्ध करा दी गई है।

बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए एमएसए के तहत अभिनय प्रयोग किया गया है, कम्प्यूटर शिक्षा को सरल एवं सहज बनाने के लिए कक्षा एक से लेकर आठ तक के बच्चों को कविता के माध्यम से कम्प्यूटर संबंधी जानकारियां दी जाएगी, ' 'में कम्प्यूटर पुस्तक मे हार्डवेयर, सोफ्टवेयर मे अंतर को बड़ी सरल भाषा में समझाया गया है पुस्तक के लेखक एव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झीवरहेंडी के प्रधानाचार्य गणनाथ मलोड़ी कहते है, कि बच्चों को गीत अच्छे लगते है इसलिए में कम्प्यूटर में कहीं बातों को कविता का रूप दिया है? उनका कहना है कि कम्प्यूटर का क्षेत्र विशाल है कि कुछ पद्यों में उनका वर्णन संभव हो ही नहीं सकता, इस पुस्तक में कम्प्यूटर के मुख्य अंगों का परिचय तथा उससे दोस्ती कराते हुए कम्प्यूटर शिक्षा के प्रति प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है, यह पुस्तक प्रारंभिक स्तर पर कम्प्यूटर सीखने वाले बच्चों के लिए लिखि गई है, और यह उनके लिए भी उपयोगी होगी जो कम्प्यूटर सीखना चाहते है, सर्व शिक्षा अभियान की जिला परियोजना अधिकारी गीता नौटियाल ने बताया कि बच्चों के लिए कविता के रूप में लिखी । मैं कम्प्यूटर बहुत उपयोगी. एवं रूचिकर पुस्तक है।

उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर शिक्षा का अपरिहार्य साधन बन चुका है, और बच्चों को इसके प्रति प्रेरित करने की आवश्यकता है, इसलिए एसएमएस के तहत कम्प्यूटर सहायतित अधिगम योजना प्रारंभ की गई है, तथा विभिन्न विषयों की सीडी बनाकर श्रव्य दृश्य माध्यमों से अधिगम को अधिक रूचिकर, सरल एवं सहज बनाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे।

केरल सरकार का जनरल शिक्षा के विभाग का - www.education. kerala.gov.in)ITe scholl project

राज्य में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या सरकारी 99

सहायता प्राप्त 1407

बिना सहायता प्राप्त निजि विद्यालय 374

पंचायत विद्यालय 21

कुल 2798

ITe विद्यालय परियोजना की खास बातें यह हैं कि राष्ट्रीय e-govermance award 2006 उत्तम नेतृत्व तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी में उपलब्धियों के लिए सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय पाठ्यक्रम में आवश्यक विषय बना दिया । लगभग 40000 कम्प्यूटर सरकार द्वारा विद्यालयों को दिए गए है।

यह पहला राज्य है जिसमं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी में लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा करवाई जिसमें लगभग 4.72 लाख बच्चों ने भाग लिया।

लगभग 16 लाख विद्यार्थी हर वर्ष सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कौशल प्राप्त करते हैं। इस कार्य में 161 प्रशिक्षक एवं 5600 सूचना एवं प्रौद्योगिकी संयोजक लगे हुए हैं जो कि विद्यालयों की सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।

माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया । लगभग 60000 शिक्षकों ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

राज्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मेले की शुरूआत की गई ताकि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई शुरूआतों के लिऐ पहल की जाऐ।

यंत्र उपकरण एवं सामग्री विकेन्द्रित तरीकों से उपलब्ध करवाई गई जैसे कि LAD के अंतर्गत Digital Divide डिजिटल डिवाइड The term “digital divide” refers to the gap between individuals, householders busness and geographic areas at both theirs opportunities to access information and communication technology (ICT)and to their use of the internet for wide variety of activities. डिजिटल डिवाइड एक ऐसा शब्द हैं जिसको अक्सर प्रयोग किया जाता है परन्तु समझा बहुत कम गया है यह उस अन्तर को दर्शाता है जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी को प्रयोग कर पाने वाले तथा न कर पाने वाले समुदायों के बीच में हैं। यह अन्तर उन अन्तरों को और अधिक गहन करता है जो कि जातियों, प्रजातियों नसलों, आर्थिक वर्गो एवं लिंग भेद इत्यादि के कारण है । इन अन्तरों की जड़े कई राष्ट्रों में काफी समय से मजबूत हैं । यह भेद कोई नया भेद नहीं है बल्कि उपनिवेषवाद (Colonization) गुलामी एवं हिंसावाद इत्यादि के इतिहास से ही उत्पन्न हुआ है। मीडिया जैसे कि सिनेमा एवं इंटरनेट इस भेद को और गहरा किए जा रहे हैं। इस सूचना एवं प्रौद्योगिकी के दौर में सभी के लिए संचार के साधन जैसे कम्प्यूटर उपलब्ध न होना सामाजिक एवं वैयक्तिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कई शोध कार्यो से भी सामने आया है कि 1994 से प्रजातियों में डिजिटल डिवाइड बढ़ा है।

यह आकड़े काफी दुर्भाग्यपूर्ण हैं क्योंकि जिन घरों में टेलीफोन या कम्प्यूटर नहीं है वह सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था में भागीदारी नहीं कर सकते, न ही वह राजनैतिक बहसों में हिस्सा ले सकते हैं, न ही विश्वस्तरीय क्रियाओं के सदस्य बन सकते हैं। वे कुएं के मेढक बन कर रह गए हैं। अगर जनसाधारण नहीं बन सकता तो इन क्षेत्रों के सुधार के लिए सांझा प्रयास नहीं हो सकता। ऐसे में स्वार्थी तत्व अपना नकरात्मक प्रभाव दिखा जाते हैं तथा स्थिति स्वाघ्र तत्व बद से बदत्तर होती जाती है।

इसलिए डिजिटल डिवाइड को कम करना निर्धन व्यक्तियों के उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है । सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग उनके उत्थान के लिए किया जाए ताकि वे स्वयं बाद में अपने उत्थान के लिए प्रयोग करें तथा अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं को निखारें ताकि हरेक व्यक्ति एक स्वस्थ एवं सुन्दर ग्लोबल विलेज के निर्माण में सहायक हो तथा कोई भी क्षमता बेकार न जाए क्योंकि शिक्षा तथा आए का स्तर आधुनिक समाज में सीधे सूचना एवं प्रौद्योगिकी के यंत्रों तक पहुँच तथा उनके प्रयोग से जुड़ा है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी के शिक्षा में प्रयोग एवं शोध संबंधी जानकारी प्राप्त करने के बाद आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर अपना मूल्यांकन करने का प्रयास करें।

स्वमूल्याकन प्रश्न

5 शिक्षा में ICT प्रयोग के कुछ रूचिपूर्ण प्रयासों का जिक्र संक्षेप में कीजिए ।

6 डिजिटल डिवाइड क्या है इस समस्या का समाधान कैसे हो?

7.7 सारांश

अभी तक आपने इस इकाई में जो कुछ पढ़ा, अब हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इस इकाई का आरंभ हमने शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोगों के बारे में पढ़ा। फिर हमने इस दिशा में क्या प्रयास एवं अनुभव है यह जाना।

भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियों का ज्ञान प्राप्त किया सूचना एवं प्रौद्योगिकी के यंत्रों की क्षमताओं एवं सीमाओं इत्यादि के विषय में भी जाना।

विभिन्न राज्यों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए प्रयोगों की सफलताओं एवं प्रयासों के बारे में जाना। डिजिटल डिवाइड की समस्या को समझने का प्रयास किया।

मूल्यांकन प्रश्न

1. सूचना एवं प्रौद्योगिकी के कुछ उन वर्तमान उभरते हुए यंत्रों के बारे में लिखिए जिन्हें एक प्राथमिक विद्यालय में प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
2. मान लिजिए आप एक दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है जहां बच्चों ने कभी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के यंत्र सुने और देखे तक नहीं। ऐसे में आप बच्चों को इनकी जानकारी कैसे देंगे तथा अपने शिक्षण में इनका उपयोग कैसे करेंगे।

स्वमूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर

1 शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। विद्यार्थियों की इंद्रियां सक्रिय होती है । अधिगम में भागीदारी बढ़ती है। शिक्षा एक जनतांत्रिक रूप लेता है क्योंकि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी समान रूप से कर सकते हैं। अंतःक्रियाएं बढ़ती है। दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शिक्षा का लाभ उठा पाएंगे तथा विकासशील देशों के उत्थान का साधन है।

2 मुख्यतः रेडियो, टीवी. टेलीफोन आदि का प्रयोग होता है। जिनसे सभी परिचित है, ध्वनि एवं दृश्य के माध्यम से शिक्षकों से बातचीत कर अपनी अधिगम से जुड़ी समस्याओं का समाधान विद्यार्थी कर सकते है, दरवर्ती स्थानों में रहने वाले विद्यार्थी किसी नजदीक केन्द्र पर जाकर इसका लाभ उठा सकते है, एक ही समय में सैकडों विद्यार्थी पढ़ जाते है, इसलिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहायक है।

3 शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियां तैयार की है। विश्व बैंक तथा स्थानीय कंपनियों की सहायता सें इस दिशा में नए-नए प्रयोग एवं प्रयास किए जा रहें हैं।

4 इसमें त्रुटि यह है कि जो शिक्षाविद् शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाने में थे वे इन नीतियों को बनाने में सम्मिलित नहीं किए गए या आगे नहीं आए। शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी केवल कम्प्यूटरों के बारे में जानकारी बन कर रह गई है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है।

5 होल इन द बाल टरेनिंग सिस्टम - झुग्गी झोपडी में रहने वाले बच्चों को कम्प्यूटर का ज्ञान देने के लिए एक दिलचस्प योजना है। इंडिया आईटी. फरीडम परियोजना नेत्रहीन बच्चों के लिए शुरू की गई एक परियोजना है तथा उत्तराखण्ड में कविता से मिलेगा कम्प्यूटर का ज्ञान के लिए ' 'में कम्प्यूटर ' नामक पुस्तक का प्रकाशन एवं वितरण मुझे सबसे सचक प्रयोग लगे।

6 डिजिटल डिवाइड वह अन्तर है जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रयोग करने वाले तथा न करने वाले लोगों के बीच में हो गया है। आधुनिक युग में इन यंत्रों का प्रयोग व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अन्तर की वजह से कई लोग क्षेत्रों में पिछड़े जा रहे है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले एवं गरीब लोगों तक इनकी पहुंच आवश्यक है ताकि उन्हें भी ऊपर उठने के अवसर उपलब्ध हो सकें।

7.8 संदर्भ ग्रंथ

1 शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी बेवसाइटस भारत एवं अन्तर्देशीय दोनों

2 Digital learning-learning through ICTs Article; policy malter India formulating a national policy on ICT in school Education; Expandip line multistakesholder Perspeeture may 2008

3 www.education kerala.gov.in.

4 School pihlication vndestanding the Digital Dirde OESD,2000 page

5 Hyperlinth:http;//www.oesd.date oesd.38/57/1888451

इकाई 8

पाठ्यक्रम एवं अनुदेशन

(Curriculum & Instruction)

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 पाठयक्रम -परिचय

- 8.2.1 अर्थ
- 8.2.2 परिभाषाएं
- 8.2.3 पाठ्यक्रम की विशेषताएं
- 8.2.4 पाठ्यक्रम व पाठ्य विवरण में अन्तर

8.3 पाठ्यक्रम निर्माण के आधार संक्षेप में

- 8.3.1 पाठ्यक्रम निर्माण के सैद्धान्ति पक्ष
- 8.3.1.1 दार्शनिक पक्ष
- 8.3.1.2 मनौवैज्ञानिक पक्ष
- 8.3.1.3 सामाजिक पक्ष
- 8.3.1.4 वैज्ञानिक पक्ष
- 8.3.1.5 अन्य पक्ष

8.4 पाठ्यक्रम के चयन के महत्वपूर्ण सिद्धान्त

8.5 पाठ्यक्रम संगठन के सिद्धान्त

8.6 पाठ्यक्रम योजना के तत्व

8.7 पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक

8.8 पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ

- 8.8.1 पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रकार
- 8.8.2 पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रतिरूप

8.9 पाठ्यवस्तु एवं अधिगमानुभवों के चयन का स्तर

8.10 पाठ्यक्रम के नवाचार

8.11 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन (पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में)

8.12 अनुदेशात्मक प्रक्रिया का अर्थ एंव परिभाषा

- 8.12.1 शिक्षण उद्देश्य
- 8.12.2 अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के प्रभावशाली तत्व
- 8.12.3 अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य

8.12.4 अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का महत्व

8.13 सारांश
8.14 संदर्भ ग्रंथ

8.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात हम निम्नलिखित कर पाएंगे। .

- पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा लिख पाएंगे।
- पाठ्यक्रम की विशेषताएं जान पाएंगे।
- पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण में अन्तर स्पष्ट कर पाएंगे।
- पाठ्यक्रम निर्माण के आधार समझ पाएंगे।
- पाठ्यक्रम निर्माण के सैद्धान्तिक पक्ष जान पाएंगे।
- पाठ्यक्रम के चयन के महत्वपूर्ण सिद्धान्त जान पाएंगे।
- पाठ्यक्रम संगठन के सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगें
- पाठ्यक्रम योजना के तत्व जान पाएंगे।
- पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारको के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
- पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ, प्रकार एवं प्रतिरूप जान पाएंगे।
- पाठ्यक्रम एवं अधिगमानुभवो के चयन के स्तर के विषय में जान पाएंगे।
- पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल्यांकन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
- अनुदेशात्मक प्रक्रिया को अर्थ एवं परिभाषा दे पाएंगे।
- शिक्षण उद्देश्य क्या होते है यह जान पाएंगे।
- अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के प्रभावशाली तत्व क्या है यह जान पाएंगे।
- अनुदेशात्मक प्रक्रिया के उद्देश्य एवं महत्व के बारें में जान पाएंगे।

8.1 प्रस्तावना

इस खण्ड की पिछली इकाई में हमने पढ़ा कि सूचना एवं प्रौद्यागिकी चालित अधिगम के क्या उपयोग है। प्राथमिक शिक्षा में इसका क्या योगदान है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न यंत्रो के उपयोग एवं सीमाएं क्या -क्या है। डिजिटल डिवाइड क्या है। तथा इसे दूर करने के क्या उपाय है। इस दिशा में भारत के शोध कार्य तथा प्रयास क्या - क्या है।

इस इकाई में हम पाठ्यक्रम एवं अनुदेशन के बारे में पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम का अर्थ, विशेषताएं, आधार, सिद्धान्त, तत्व, मूल्यांकन इत्यादि का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही अनुदेशन प्रक्रिया का अर्थ, उद्देश्य इत्यादि के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेगें।

8.2 पाठ्यक्रम : परिचय

“The Curniculum Should be Vonouo from of activities that are grand expression of human spirit and that are of the greatest and most permanent Significance to wide world."

आधुनिक वर्षो में ज्ञान के विकास तथा भौतिक जैविक एवं सामाजिक विज्ञानों की मूलभूत धारणाओं के पुन: निर्माण के फलस्वरूप प्रचलित पाठ्यक्रम में बहुत से दोष आ गये है तथा पाठ्यक्रम शब्द जो अर्थ अपने में संजोए है उसकी कमी अधिकांश प्रचलित पाठ्यक्रमों में परिलक्षित होती है ब्रिग्स महोदय का कथन है कि - ' 'शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है' ' क्योकि पाठ्यक्रम बालक के शारीरिक मानसिक भावात्मक सामाजिक आध्यात्मिक नैतिक आदि पक्षों के विकास से सीधे सम्बन्धित है, परन्तु शिक्षक को पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन आदि से सम्बन्धित पहलुओं को समझना काफी उपयोगी रहेगा।

8.2.1 पाठ्यक्रम का अर्थ

पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरेरी (Currere) से हुई है जिसका अर्थ है "लक्ष्य" तक पहुंचने के लिए दोडने का मार्ग अत: व्युत्पत्ति के हिसाब से तो पाठ्यक्रम वह रास्ता है जिस पर शिक्षा के उद्दश्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चा दौड़ता है हार्न महोदय के अनुसार ' 'पाठ्यक्रम विद्यार्थी के स्नायु मंडल के संगठन में होने वाले गतिवादी तथा संवेगात्मक तत्वों को व्यक्त करता है पाठ्यक्रम समाज के क्षेत्र में वह सब अभिव्यक्त करता है। जो जाति में संसार के सम्पर्क में कार्य किए है' ' इस में तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम केवल प्रकरणों की सूची नही है अपितु मानव तथा प्रकृति के सम्बन्ध में मानव - जाति के ज्ञान के अर्जन की अभिव्यक्ति है।

टैनर एवं टैनर के अनुसार पाठ्यक्रम को संगठित ज्ञान की संचित परम्परा, विचारो का ढंग जाति अनुभव निर्देशित अनुभव सीखने का निश्चित पर्यावरण ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों अनुदेशन की योजना मूल्यांकन आदि के आधार पर अलग-अलग परिभाषित किया जा सकता है परन्तु सम्मिलत रूप से पाठ्यक्रम एक योजनाबद्ध, निर्देर्शित अधिगम अनुभव है यह वाछित अधिगम उद्देश्यों पर आधारित ज्ञान एवं अनुभवों की पुन: संरचना है-जिसकों छात्रों के स्वयं एवं सामाजिक कुशलता के लिए बनाया गया है' '

वास्तव में पाठ्यक्रम द्वारा सामाजिक व्यवस्था जीवन -दर्शन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन द्वारा बालक के सर्वागीण विकास की संकल्पना की गई है अत: पाठ्यक्रम के जैविक स्वरूप को स्पष्ट करने हेतु कुछ परिभाषाएं वहां दी जा रही है।

8.2.2 कनिघम के अनुसार -

यह (पाठ्यक्रम) कलाकार (शिक्षक) के हाथ में एक यन्त्र की तरह से है जिससे वह अपनी सामग्री (छात्रों) को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टुडियो (विद्यालय) में ढाल सके।

किलपैट्रिक के अनुसार - यह (पाठ्यक्रम) छात्रों का उस सीमा तक सम्पूर्ण जीवन है - जिस तक विद्यालय इसे अच्छा या बुरा बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

जॉन डिवी के अनुसार - ' 'पाठ्यक्रम की योजना में वर्तमान सामुदायिक जीवन की आवश्यकर्ताओं की अनुकूलता का ध्यान रखना चाहिए। इसका चयन इस प्रकार हो कि हमारे सामान्य सामूहिक जीवन में सुधार हो ताकि हमारा भविष्य हमारे अतीत से अच्छा हो

रडयार्ड के अनुसार - ' 'विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समस्त विद्यालयी वातावरण आता है जिससे विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के सम्पर्क पठन, क्रियाएं एवं विषय सम्मिलित है' '

माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार - पाठ्यक्रम उन समस्त अनुभवों का समूह है जिन्हे छात्र अनेक प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त करते है, ये प्रक्रियाएं विद्यालय में कक्षा में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, कार्यशाला में, खेल के मैदान पर तथा शिक्षक एंव छात्र के अव्वैक्तिक सम्पर्क द्वारा होती है।

ट्रम्प एंव मिलर के अनुसार - पाठ्यक्रम एव जीवन्त गतिमान जटिल अन्त : प्रक्रिया है जो एक स्वतंत्र वातावरण में मानव एवं वस्तुओं में होती है, इसमें वे प्रश्न सम्मिलित है, जिन पर विवाद करना है, वे शक्ति या जिन्हे तर्कसंगत बनाना है, वे उद्देश्य जिन्हे प्रकाशित करना है तथा समस्त कार्य क्रम जिन्हे सक्रिय बनाना है इसमें उद्देश्यों एंव कार्यक्रम का मूल्यांकन करना सम्मिलित है।

8.2.3 पाठ्यक्रम की विशेषताएं-

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम केवल शेक्षिक क्रिया में निहित कोई निर्जीव पदार्थो अनुभवों एवं क्रियाओं का संगठन नही है, केवल कुछ विशिष्ट विषयों के अध्ययन को भी पाठ्यक्रम कहना वास्तविकता से दूर रहना ही होगा, पाठ्यक्रम तो जीवित होता है, सक्रिय होता है जिसमें पाठ्य वस्तु के कुछ विषय न होकर विद्यार्थियों के वास्तविक अनुभव होते है, जो छात्रों के वैद्यक्तिक एवं सामाजिक विकास के लिए जिम्मेदार होते है, संक्षेप में पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं निम्नवत् है।

1. पाठ्यक्रम सदैव गतिशील एवं विकासशील रहता है।
2. पाठ्यक्रम में अपेक्षित अधिगम उद्देश्य तथा उनको प्राप्त करने की प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती है।
3. पाठ्यक्रम शैक्षिक विषयों तथा वास्तविक जीवन की क्रियाओं के बीच की दूरी को समाप्त करता है।
4. पाठ्यक्रम जीवन के वास्तविक अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित करता है।
5. पाठ्यक्रम देश की सामान्य प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है।
6. बालक के पूर्ण विकास के लिए पाठ्यक्रम एक आवश्यक तत्व है।

8.2.4 पाठ्यक्रम व पाठ्य विवरण में अन्तर (Difference between curriculam and ayllabus) -

प्राचीन मान्यता के अनुसार पाठ्य क्रम में तथ्यों के ज्ञान की सीमा निश्चत थी, बोद्धिक विषयों के अर्थ में पाठ्यक्रम शब्द बहु त समय तक प्रचलित था परन्तु ये विषय पाठ्यक्रम के मात्र अंग है सम्पूर्ण पाठ्यक्रम नही। कक्षा में शिक्षक की सुविधानुसार जब इस विषय वस्तु को व्यवस्थित कर लिया जाता है अत: वह पाठ्य विवरण पाठ्य विवरण, है|

पाठ्यक्रम का अंश है न कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा विस्तृत एवं व्यापक है। इसके अन्तर्गत कक्षा के आन्तरिक अनुभव छात्र प्राप्त करता है। सभी बोद्धिक विषय विविध कौशल अनेकानेक कार्य पढ़ना लिखना, शिल्प, खेलकूद आदि क्रियाकलाप पाठ्यक्रम के क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। इस क्रिया एंव अनुभव के रूप में समझा जाता है। अर्जित ज्ञान पर निर्भर नही है। कक्षा पुस्तकालय प्रयोगशाला, क्रीडा क्षेत्र और विद्‌यालयी वातावरण के द्‌वारा ज्ञान होता है।

राबर्ट डोर्टन के अनुसार - " पाठ्य विवरण शिक्षालय वर्ष के दोरान विभिन्न विषयों में शिक्षक द्‌वारा छात्रों को दिये जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है। जबकि पाठ्यक्रम में यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक क्रियाओं द्‌वारा पाठ्य विवरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।" अत: पाठ्यक्रम पाठ्य-वस्तु का निर्धारण करता है।

हेनरी हैरप - " पाठ्य-विवरण मात्र वह मुद्रित सन्दर्भिका है जो यह बताती है कि छात्र क्या सीखता है? पाठ्य विवरण निर्माण पाठ्य क्रम विकास का कार्य के तर्क सम्मत सौपान हैं।"

पाठ्यक्रम के आधार (Bases of curriculum)

पाठ्यक्रम आयोजक का समाज की प्रकृति इसके मूल्यों सामाजिक परिवर्तनों के क्षेत्रों आदि का सर्वेक्षण करने एवं उसका अर्थ समझने हेतु बाध्य होना पड़ता है। अत: उन दार्शनिक आधारों तथा ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है जिनमें वर्ममान पाठ्यक्रम तथा उसकी विशेषताएं का मूल निहित है तो इस प्रकार है :-

1. सामाजिक आधार (Sociological Basis)
2. ऐतिहासिक आधार (Historical Basis)
3. मनोवैज्ञानिक आधार (Psyckological Basis)
4. दार्शनिक आधार (Philosophical Basis)
5. सास्कृतिक आधार (Cultural Basis)
6. वैज्ञानिक आधार (Scientific Basis)

1. सामाजिक आधार -

मानव एक समाजिक प्राणी है वह सामाज में जन्मता है तथा उसी में वह उन्नति करता है, उसकी मृत्यु भी समाज में होती है। अत: उसका सम्पूर्ण जीवन समाज से प्रभावित रहता है। फ्रैंक मुसग्रेव (Frank Musgrave) के अनुसार "अभी तक प्राय: वह माना जाता रहा है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में समाजशास्त्र का योगदान शैक्षिक उद्देश्यों के निर्माण में ही है और अधिगम अनुभवों तथा पाठ्य वस्तु (Content) के चयन एवं मुल्यांकन से इसका कोई सम्बन्ध नही है यह दृष्टिकोण उपयुक्त नही है क्योकि पाठ्यक्रम जिस सामाजिक स्थिति में संचालित होता है। वह उद्देश्यों के अतिरिक्त पाठ्य वस्तु तथा वस्तु तथा अधिगम अनुभवों के चयन तथा शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। "पाठ्यक्रम बनाने वालों न सामाजिक सम्बन्ध हेतु निम्न बातों पर ध्यान देने हेतु बल दिया है -

1. सामाजिक आर्थिकए धार्मिक तथा राजनैतिक समस्याएं

2. परम्पराएं रीति-रिवाज महत्वाकाक्षाएं व मूल्य प्रतिमान
3. मूलभूत विश्वास आस्थाएं मूल्य व नैतिक सिद्धान्त
4. सास्कृतिक परिवर्तन का मनौविज्ञान व समाजशास्त्र
5. छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि

2. ऐतिहासिक आधार -

इतिहास अतीत की घटनाका दर्पण है जोन्स के अनुसार - ' 'इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है और आज का युवक उसका अध्ययन इसलिए करता है जिससे की वह जाति के अनुभवों से लाभ उठा सके। इतिहास विषय में हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन कर के वर्तमान घटनाओं से सम्बन्ध करते है। उसके साथ -साथ इतिहास यह दोहराता है कि हमने अतीत में क्या भूले की जिससे की उनका दोहराव न हो। इस विषय से समय साधन व शक्ति के अपव्यय की बचत होती है।

3. मनोवैज्ञानिक आधार -

हैरोल्ड टी जॉनसन के मतानुसार पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार मनोविज्ञान के वे पक्ष है जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते है। वे पाठ्यक्रम निर्माता को शिक्षार्थी के व्यवहार के सम्बन्ध में बुद्धिमता पूर्ण निर्णय लेने में सहायक होते है। पाठ्यक्रम को छात्रों की जरूरतों अभिरूचियों क्षमताओं अनुभवों अभियोग्यताओ आदि पर आधारित करने का जो प्रयास किया गया है वह मनोवैज्ञानिक आधार का ही परिणाम है। क्रिया प्रधान अनुभव आधारित आदि पाठ्यक्रम की मनोविज्ञान पर आधारित है।

4. दार्शनिक आधार

हैरोल्ड टी जॉनसन ने अपनी पुस्तक Foundation of Curoiculurm- में दर्शनशास्त्र की जीवन की आधारित समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने और मानव जीवन को सार्थक बनाने हेतु इस रूपम परिभाषित किया है कि जीवन के प्रत्येक सामान्य तथा विषिष्ट क्षेत्र में दार्शनिक दृष्टिकोण को महत्व है। इसे स्पष्ट करते हुए जी. के.चेस्टरटन ने लिखा है -

"हम सोचते है कि किसी मकान को किराये पर उठाने का निर्णय लेते समय मकान मालिक के लिए सम्भावित किरायेदार की आमदनी के-विषय में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। हम सोचते है कि किसी सेनापति को शत्रु सेना से युद्ध करने के लिए उसकी संख्या ज्ञात करना महत्वपूर्ण परन्तु उसके दार्शनिक दृष्टिकोण को जानना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति जीवन दर्शन के बारे में इतना जानना चाहता है तो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय हेतु उसकी जानकारी अति आवश्यक हैं। दर्शन पाठ्यक्रम का भेरूदण्ड है। दर्शन के अभाव में बिना प्राण के जीवन के समान है। रस्क (Rusk) लिखते है - दर्शन पर पाठ्यक्रम का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नही।"

अत: दार्शनिक विचारधारा का पाठ्यक्रम पर प्रभाव अवश्य पड़ता है जो आज तक दार्शनिक विचार धाराएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुई वो इस प्रकार है -

(क) आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम -

आदर्शवादी विचार धारा हमेशा शावत मूल्यों में विश्वास करती है तथा मनुष्य को अपने जीवन को उन्हे प्राप्त करने हेतु समर्पित करना पड़ता है। इस पाठ्यक्रम में इतिहास और साहित्य

को विशेष स्थान दिया जाता है इसके साथ साथ नीतिशास्त्र धर्मशास्त्र को भी इसमें महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में उच्च जीवन मूल्यों एव जीवनयापन की जरूरतों के मय उचित तालमेल बनाना जरूरी है।

(ख) प्रकृतिवाद व पाठ्यक्रम -

यह विचार धारा बालक की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देती है। इसका मानना है कि बालक का स्वाभाविक विकास प्रमुख है। वह उद्देश्य की पूर्ति हेतु वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते रहे जैसे खेलकूद व्यायाम, पर्यटन प्रकृति, निरीक्षण, भूगोल विज्ञान आदि विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाता है।

(ग) प्रयोजन याद और पाठ्यक्रम -

इसका जन्म अमेरिका में हुआ यह विचार धारा शाश्वत सत्य विश्वास नही रखती हैं इस विचारधारा के अनुसार सत्य परिवर्तन शील है। सत्य का निर्माण मनुष्य और उसकी विचारधारा है। यह विचारधारा पाठ्यक्रम में बालकों की रूचियों पर निर्भर करती है। इसे पाठ्य सामग्री का प्रयोग बालको की आवश्यकताओं एवं अभिरूचियों से सम्बन्धित है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में हस्तकला एवं उद्योग धन्धो पर विशेष जोर दिया जाता

(घ) यथार्थवाद और पाठ्यक्रम -

यह विचार धारा शाश्वत सत्य में विश्वास करती है। इसमें शिक्षा का लक्ष्य बालक उस भौतिक व्यवस्था को समझने एवं उसके साथ समायोजन में सहायता दी जाती है। यर्थावादी विचारधारा में भौतिक जगत को सत्य मानने वाले पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है। उसके अन्तगर्त भौतिक विज्ञानों गणित व सामाजिक विज्ञानों पर विशेष जोर दिया जाता है।

5. सास्कृतिक आधार

शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। संस्कृति से ही पाठ्यक्रम अनेको बातें ग्रहण करता है। सम्पूर्ण सामाजिक संस्कृति जीवन से सम्बन्धित होता है। अतः पाठ्य वस्तु में उन कौशलों विचारो तथा मूल्यों का समावेश होता है जिसे समाज महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य मानता है। सास्कृति शिक्षा देकर ही व्यक्तियों को सुसंस्कृत बनाया जा सकता है।

6. वैज्ञानिक आधार

शैक्षिक उद्देश्यों को उपयोगी एवं प्राप्य बनाना ही शिक्षा का वैज्ञानिक आधार है, इसमें शिक्षण विधियों में नवीनता लाई जाती है। यह विधि तथ्यों पर बल देती है। पाठ्यक्रम ऐसा शामिल किया जावे जिसे छात्र में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित हो ताकि वो जान सके कि प्रत्यक्ष क्या है।

आइए इसी अवतरण को और समझे -

8.4.1 पाठ्यक्रम निर्माण के सैद्धान्तिक पक्ष

सामान्यत: शिक्षा के चार महत्वपूर्ण आधार होते है।

(1) दार्शनिक (2) मनोवैज्ञानिक (3) सामाजिक एवं वैज्ञानिक क्योकि पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है इसलिए उसका संगठन निर्माण एवं विकास सभी उपर्युक्त

शिक्षा के चार महत्वपूर्ण आधारों पर ही निर्भर करता है। निम्न पक्तियों में पाठ्यक्रम निर्माण पर इन आधारों के प्रभाव पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

8.4.2 पाठ्यक्रम निर्माण के दार्शनिक पक्ष -

दर्शन जीवन के उद्देश्यों को तय करता है तथा शिक्षा पाठ्यक्रम एवं अपने लक्ष्यों के जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है इसलिए विभिन्न देशो तथा समाजों के पाठ्यक्रम तत्कालीन जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाए जातें थे उदाहरणार्थ प्राचीन समय में स्पार्टा या वैदिक काल में अपने देश का पाठ्यक्रम क्योकि भिन्न-2 दार्शनिक एवं सामाजिक विचारधाराएं पाठ्यक्रम के नियोजन में विभिन्नता ला देती है। अत: आदर्शवाद, प्रकृतिवाद ययार्थवाद प्रयोग वाद आदि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण को देखने का प्रयास यहा पर किया जा रहा है।

आदर्शवाद और पाठ्यक्रम -

बालक में एक आदर्श चरित्र का निर्माण करना ही आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। इस चरित्र के निर्माण के लिए केवल बालक के निजी अनुभव ही पर्याप्त नही होते है। इसलिए आदर्शवाद समस्त मानव जाति के अनुभवों व क्रियाओं का विश्लेषण करने के उपरान्त जीवन में मूल्यों सत्यों एवं आदर्शो को बढ़ावा देने वाली क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर जोर देता है।

इसी विचारधारा के समर्थक प्लेटों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण मानव के विचारों, भावनाओं आदर्शो एवं मूल्यों के अनुसार होना चाहिए, अत: पाठ्यक्रम में भाषा साहित्य गणित, विज्ञान, भूगोल एवं इतिहास आदि विषय शामिल किया जाने चाहिए।

जब कि राम महोदय पाठ्यक्रम का आधार ज्ञानात्मक भावात्मक तथा क्रियात्मक क्रियाओं को मानते है। ज्ञानात्मक पहलू के विकास के लिए इन्होने पाठ्यक्रम में भाषा गणित विज्ञान भावात्मक पहलू के विकास के लिए कविता, कला संगीत तथा क्रियात्मक पहलू के विकास के लिए बुनाई लकड़ी के काम तथा शिल्पकला आदि पर जोर दिया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आदर्शवाद के पाठ्यक्रम में जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विज्ञान तथा मानविकी के विषयों को बराबर महत्व दिया गया है।

प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम -

प्रकृतिवादी “शिक्षा केवल ज्ञान के लिए” सिद्धान्त के विरोधी है वे कहते है कि हमारा पाठ्यक्रम धर्म एवं आदर्श से जकडा हुआ नही होना चाहिए। बल्कि वह बालकों की व्यक्ति गत भिन्नता के आधार पर होना चाहिए, वह बालक के स्वाभाविक विकास पर जोर देते है रूसों के अनुसार पाठ्यक्रम बालक की विभिन्न अवस्थाओं में बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, अत: पाठ्यक्रम में व्यायाम, खेलकूद भूगोल. प्रकृति वर्णन इतिहास आदि विषयों पर विशेष जोर देते है कि भाषा एवं साहित्य का गौण, स्पेन्सर महोदय कहते है कि शिक्षा का उद्देश्य है ' 'स्वयं का संरक्षण' ' अत: पाठ्यक्रम में ऐसे प्राकृतिक तत्वों, विषयों की बहुलता होनी चाहिए जिससे छात्र व्यक्तिगत रूप में अपनी उन्नति कर सके।

यथार्थवाद और पाठ्यक्रम -

यथार्थवादियों के अनुसार 'पदार्थ' ही सर्वोपरि है तथा इस संसार को सुखपूर्ण बनाता है। वे बालक को व्यावहारिक ज्ञान देना उचित समझते है जो कि उनके वास्तविक जीवन से सम्बन्धित हो और उनके आगे वाले दिनों की समस्याएं हल कर सके इसके लिए भौतिक विज्ञानों पर अन्य विषयों की तुलना में अधिक जोर देते है।

प्रयोगवाद और पाठ्यक्रम -

इस विचारधारा में ' 'बालक को ही शिक्षा का केन्द्र' ' माना जाता है, वास्तव मे यथार्थवाद पाठ्यक्रम में प्रकृतिवाद के दोषो को दूर करता है। इस वाद के अनुसार पाठ्यक्रम बालको की सर्जनात्मक शक्ति को बढ़ाने वाला तथा उनकी रूचि के अनुसार का होना चाहिए, प्रयोगवादी अनुभवों को विषयों की अपेक्षा अधिक महत्व देते है, क्योकि अनुभवों ही बालक का सम्यक विकास करके उसे उपयुक्त सामाजिक जीवन के लिए तैयार करते है।

पाठ्यक्रम में प्रयोगवादी 'औपचारिकता' को बुरा तथा उपयोगिता को अच्छा समझते है। वे शिक्षा को एक सक्रिय क्रिया मानते है, डीवी का मजत है कि शिक्षा तथ्यों की स्वीकृति मात्र नही है अत: बालक को ऐसे अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए जिसमें उसकी रूचि हो तथा जो उसे क्रियाशील बना सके डीवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक अभिरूचियां चार प्रकार की होती है। (1) बातचीत (2) जिज्ञासा में रूचि (3) रचनात्मक कार्य में रूचि (4) कलात्मक अभिव्यक्ति की रूचि अत: आराम्भिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम इन्ही रूचियों पर आधारित होना चाहिए।

पाठ्यक्रम निर्माण के मनोवैज्ञानिक पक्ष -

इस विचार धारा के अनुसार बालक के लिए है न कि बालक शिक्षा के लिए मनोविज्ञान के अनुसार बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है तथा इन विभिन्न अवस्थाओं में बालक की योग्यताएं क्षमताएं आवश्यकताएं एवं रूचियां भिन्न -भिन्न होती है, अत: पाठ्यक्रम इतना नमनीय होना चाहिए कि वह व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा बालक की बदलती हुई अवस्था के अनुरूप हो इसके लिए पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के खेलकूद, सर्जनात्मक क्रियाओं आदि को विशेष महत्व दिया गया है।

पाठ्यक्रम निर्माण के सामाजिक पक्ष -

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के उत्थान -पतन से व्यक्ति विशेष का उत्थान -पतन सीधे सम्बन्धित है इस विचार धारा के अनुसार व्यक्तिगत उत्थान के उद्देश्य को प्राप्त करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे सामाजिक कल्याण एवं विकास भी साथ -साथ हो सके, इसीलिए डीवी ने कहा है कि "विद्यालय का सारा वातावरण वृहत समाज के लघु रूप में होना चाहिए। अत: पाठ्यक्रम में संयोजन में उन विषयों को अधिक महत्व मिलना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो।

शिक्षाद्वारा समाज के लिए दो कार्य करने की विशेष आशा - हो जाती है।

1. परम्पराओं, संस्कृतियों आदि का एक पीढी से दूसरी पीढी में हस्तान्तरण एवं सक्रमण (भाषा, इतिहास, विज्ञान, आदिविषयों द्वारा)
2. समाज की उन्नति (समाज शास्त्र, नीति शास्त्र) आदि विषयों द्वारा

पाठ्यक्रम के सामाजिक पक्ष के सन्दर्भ में पाल मुनरों का कथन उल्लेखनीय है" पाठ्यक्रम को बालक के सम्मुख आदर्श रूप में वर्तमान जीवन वर्तमान सामाजिक क्रियाओं

वर्तमान नैतिक आकांक्षाओं एवं पूर्वकाल की संस्कृति के मूल्यों को वर्तमानकाल की रसानुभूति के रूप में रखना चाहिए।

पाठ्यक्रम निर्माण के वैज्ञानिक पक्ष -

वर्तमान युग विज्ञान के आविष्कारों से चकाचौध हे सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेन्सर द्वारा कलात्मक विषयों की अपेक्षा वैज्ञानिक विषयों को पाठ्यक्रम में अधिक महत्व देने की जोरदार वकालत की गई। वह कहते है व्यक्ति का विकास एक पक्षीय न होकर सर्वागीण होना चाहिए इसके लिए वह व्यक्ति की समस्त क्रियाओं को पांच भागों में बांटते है।

- आत्म रक्षा के कार्य
- वे कार्य जो परोक्ष रूप से आत्म रक्षा करते है।
- वंशवृद्धि एव शिशुपालन
- सामाजिक व राजनीति कार्य
- अवकाश के समय के कार्य

इन क्रियाओं व उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न विषयों के पांच विभाग बनाए है।

1. स्वास्थ्य विज्ञान बनाए है -
2. भाषा. गणित भूगोल एवं पदार्थ विज्ञान
3. गृह शास्त्र, शरीर विज्ञान एवं बाल मनोवैज्ञानिक
4. समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास
5. साहित्य, संगीत, कविता

उपयुक्त सूची से स्पष्ट है कि इसमें साहित्य की अपेक्षा विज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है।

पाठ्यक्रम को प्रभावित करने के अन्य पक्ष

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1985 में वर्तमान समय में पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारको की और से इंगित किया गया है जैसे -

- ज्ञान विस्फोट
- अधिगम शिक्षण विधियां
- नवीन शिक्षण विधियां
- शैक्षिक तकनीकी का विकास और प्रभाव
- जनसंख्या प्रस्फोटन आदि

एक विद्वान के अनुसार उपर्युक्त कारको के अलावा निम्न चित्र में दिखाए गये कारक भी पाठ्यक्रम के संगठन को काफी प्रभावित करते हैं।

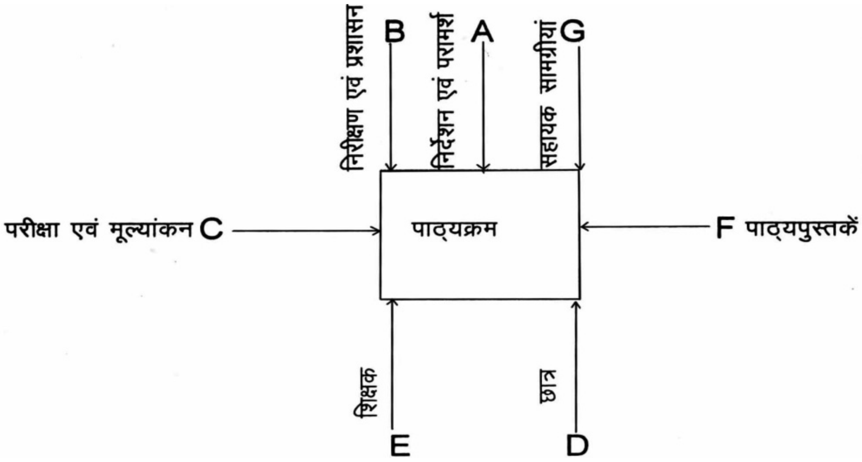

पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले अन्य कारक

पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं एवं सिद्धान्तों' इत्यादि के बारे में अध्ययन करने के बाद आइए हम अपनी प्रगति की जांच कर ले

स्वमूल्याकन प्रश्न -

1. पाठ्यक्रम को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए -
2. पाठ्यक्रम की विशेषताएं पर प्रकाश डालिये।
3. पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण मे । क्या अन्तर है।
4. पाठ्यक्रम निर्माण के क्या आधार है।

पाठ्यक्रम के चयन के महत्वपूर्ण सिद्धान्त (Impotant principles of curriculum selection)

विषय वस्तु के चयन के निम्नलिखित सिद्धान्त है :-

1. उपयोगिता का सिद्धान्त (Principle of Utility)

पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बालकों का सर्वागीण विकास करे एंव उनके भाषी जीवन में काम आऐ।

इस हेतु नन (Nunn) महोदय लिखते है - " साधारण मनुष्य सामान्यत: यह चाहता है कि उसके बच्चे केवल ज्ञानक प्रदर्शनक कुछ व्यर्थ की बाते सीखे परन्तु समग्र रूप में वह यह चाहता है कि उनको वे बाते ही सिखाई पाये जो शाषी जीवन में उनके लिए उपयोगी हो।

2. जीवन सम्बंधी सिद्धान्त (Principle of Activities)

पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय प्रयास किया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम में बालक का स्वास्थ्य बोध, दक्षता, मूल्यांकन, चरित्र व सामाजिक सम्बन्ध समृद्धिशाली बन सके। बालक में प्रारम्भ से ही प्रजातात्रिक भावना विकसित की जाये। अत: हम यह कह सकते है कि पाठ्यक्रम लोकतांत्रित भावना से ओत प्रोत हो।

3. अनुभवों का सिद्धान्त (Principle of Experienees)

पाठ्यक्रम रूढ़िवादिता अन्ध विश्वास युक्त न हो,पाठ्यक्रम में नवाचार अवश्य शामिल किया जाय। पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिकता की व जाय अनुभवों को स्थान दिया जाना चाहिए। अनुभव

आधारित पाठ्यक्रम का अध्ययन कक्षा विद्यालय पुस्तकालय, वर्कशाप वे खेल के माध्यम से कर सकेगे। अत: विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम है क्योकि बालक विद्यालय की प्रत्येक गति विधियों के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता रहता है।

4. पाठ्यक्रम में लचीलेपन का सिद्धान्त (Principle of Flasticity in Curriculum)

पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालको की आकांशाओं रूचियों भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाय अत: पाठ्यक्रम में कठोरता की बजाय लचीलापन हो। छात्रों पर अरूचिकर या अनुपयुक्त विषयों को अध्ययन हेतु न थोपा जाए। बालक की निराशा की उसके विकास में बाधक है। पाठ्यक्रम कस स्तर बालक की क्षमतानुसार हो तथा बालको की भिन्नता पर आधारित हो।

5. अवकाश हेतु प्रशिक्षण का सिद्धान्त (Principle of Training for leisure)

पाठ्यक्रम बालकों के लिए व्यस्तता लिए न हो उसमें सरलता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में खेलकूद व सामाजिक क्रियाओं को स्थान दिया जायें पाठ्यक्रम में इस प्रकार की क्रियात्मक विषय वस्तु जिसे बालक अवकाश के समय स्वयं कर सके। अत: बालको के खाली समय सदुउपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जाए। '

6. **सामुदायिक जीवन से सम्बन्धित सिद्धान्त (Principle of Relationship with community life)**

पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्यो को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, क्यो कि हमें कार्यो को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, क्यो कि हम कार्यो के कारण जीवन से संचालित है इनके साथ -साथ स्थानीय आवश्यकताओं तथा समस्याओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए सामाजिक अध्ययन की पहली आवश्यकता स्थानीय वातावरण है। अत: सामुदायिक वातावरण ही पाठ्यक्रम निर्माण के द्वारा सामाजिक पराम्पराओं विशेषताओं तथा अनुभवों को ध्यान में रखना जरूरी है। बालक शिक्षा के माध्यम से ही सुसंस्कृत बनता है। अत: सामाजिक गतिविधियों के समावेश के बिना बालक का सर्वागीण विकास सम्भव नही है । इस स्थानीय वातावरण का समुदाय राज्य और राष्ट्र से जोडते है।

7. परिपक्वता का सिद्धान्त (Principle ofMaturity)

पाठ्यवस्तु बालको की उम्र व स्तर के अनुसार हो तथा बालकों को सर्वागीण विकास में सहायक हो। छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में सहगामी गतिविधियां अधिक हो जिसें बालक जिज्ञासु बने रहे।

8. क्रिया का सिद्धान्त (Principle of Activity)

पाठ्यक्रम में शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार चार एच (Fourh) को स्थान दिया जाना चाहिए अर्थात स्वास्थ्य (Health) मस्तिष्क (Head), एवं हृदय की शिक्षा छात्रों को दी जानी चाहिए। बालक प्रकृति में सक्रिय रहता है अत: हाथ एवं मस्तिष्क का समन्वय रहेगा ताकि वह सोचता है तथा करता है। बालक को क्रियाशील रखने हेतु पाठ्यक्रम को स्थान दे।

9. व्यक्तिगत आवश्यकता का सिद्धान्त -

इसके अन्तर्गत 'स्व' प्रेरित आवश्यकताएं अर्थात व्यक्ति को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इसके अतिरिक्त वे आवश्यकताएं जो व्यस्को की दृष्टि में बालकों हेतु जरूरी है।

10. महत्व का सिद्धान्त -

सामाजिक अध्ययन की पाठ्यवस्तु में समायोजन अधिक हो, ताकि समुदाय एवं बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । पाठ्यक्रम विभिन्न गतिविधियों से परिपूर्ण होना चाहिए ।

11. सामाजिक अध्ययन -

कोर विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में सामाजिक संस्कृति व सामुदायिक विकास कार्यक्रम को स्थान देकर इस एक कौर विषय का दर्ज दिया जावे।

8.6 पाठ्यक्रम संगठन के सिद्धान्त

अभी तक पाठ्यक्रम संगठन के संदर्भ में उपर्युक्त पंक्तियों में काफी कुछ कहा गया है, जिसके आधार पर निम्न पाठ्यक्रम संगठन के सिद्धान्तों की और पाठकों को ध्यान खीचना उपयोगी होगा।

1. बालकोन्मुखी शिक्षा का सिद्यात -

पहले विद्वान लोग पाठ्यक्रम के निर्माण में विषय के तार्किक क्रम को अधिक महत्व देते थे, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्र की क्षमता का ध्यान नही रखा जाता था, परन्तु अब पाठ्यक्रम में छात्र की क्षमता का ध्यान नही रखा जाता था, परन्तु अब पाठ्यक्रम के निर्माण में बालक की रूचियों, आवश्यकताओं. क्षमताओं योग्यताओं तथा आयु की और ध्यान देना बहु त आवश्यक हो गया है।

2. सामाजिक आवश्यकता का सिद्धान्त -

बालक का विकास शून्य में नही होता है बालक की क्षमताओं के विकास के लिए एवं उसकी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए भी समाज का ध्यान रखना आवश्यक होगा, सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान रखे बिना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति बालक को मनुष्यता के बजाय पाशविकता की और घसीटेगी।

3. उपयोगिता का सिद्धान्त -

उपर्युक्त दोनो सिद्धान्तों के विरोधामास को दूर करने के हल के रूप में यह तीसरा सिद्धान्त है, इस सिद्धान्त में बालक तथा समाज दोनो की दृष्टि में उपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में अधिक महत्व दिया गया है, नन महोदय इस सिद्धान्त को सबसे अच्छा मानते है।

4. सर्जनात्मक का सिद्धान्त -

इस सिद्धान्त के प्रबल समर्थक रेमाण्ट महोदय का कथन है कि प्रत्येक बालक में सर्जनात्मक शक्ति होती है, इस गुप्त शक्ति का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है अत: पाठ्यक्रम इस प्रकार बनना चाहिए कि वह छात्रों हो रचनात्म्क कार्यो का अवसर प्रदान कर सके।

5. खेल तथा कार्य में समन्वय -

खेल में तात्कालिक आनन्द का उद्देश्य होता है जबकि कार्य में सुदुर प्रयोजन निहित है खेल और कार्य एक नही हो सकते किन्तु खेल और कार्य सम्बन्धी क्रियाओं में यदि कुछ सम्बन्ध स्थापित करने हो सके तो इससे खेल की क्रियाओं से सहायता मिल सकती है।

माण्टेसरी और किण्डर गार्टन स्कूल में खेल तथा कार्य के अवसर प्रदान किए जाए और सम्भव हो तो दोनो में समन्वय की दिशा भी इंगित की जाए।

6. व्यवहार के आदर्शो की प्राप्ति का सिद्धान्त -

स्वस्थ्य जीवन में स्वस्थ व्यवहार आवश्यक है। स्वस्थ्य व्यवहार के लिए तय प्रतिमानों तक छात्रों को पहुचना होता है अत: पाठ्यक्रम में जीवन सम्बन्धी समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे बालक के स्वास्थ्य मनन, बौद्धिक विकास, कौशल आदि की उन्नति हो सके।

7. विकास का सिद्धान्त -

विद्यालय समाज का लघु रूप है तथा पाठ्यक्रम में विद्यालय तथा समाज के समस्त अनुभव सम्मिलित रहते है, समाज स्थिर नही होता है अत: पाठ्यक्रम भी स्थिर नही होना चाहिए विकास एक आवश्यक सिद्धान्त है, क्रो एण्ड क्रो ने इस सिद्धान्त का पर्याप्त समर्थन किया है।

सामान्यत: पाठ्यक्रम दो प्रश्नों के उत्तर से सम्बन्धित रहता है ।

1. हम क्या पढ़ाए (2) हम कैसे पढाए ?

जब इन प्रश्नों का उत्तर देना हो तो पाठ्यक्रम संगठन के कुछ अन्य सिद्धान्त भी सामने आते है जिनमें प्रमुख निम्न है -

1. जीवन के साथ सम्बन्ध
2. अनुभवों की पूर्णता
3. विभिन्नता एवं नमनीयता
4. अवकाश के लिए शिक्षा
5. जनतांत्रिक भावना का विकास तथा
6. सहसम्बन्ध का सिद्धान्त आदि

पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन -

पाठ्यक्रम विद्यार्थी तथा उसके आसपास के समस्त अधिगम अनुभवों का समूह है इसकी समस्त संरचना पूर्ण निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों पर निर्धारित होती है, जिसका सम्बन्ध बदलती हुई सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था से होता है, पाठ्यक्रम प्रक्रिया स्वयं में गतिशील, परिवर्तनशील एवं व्यापक होती है। इसको अनेक तत्व प्रभावित करते है इसलिए इसका सम्बन्ध शिक्षक अनुदेशन शिक्षण सामग्री विद्यालयी वातावरण एवं मूल्यांकन से होता है।

पिछलें कुछ वर्षो से पाठ्यक्रम मूल्यांकन के नाम से एक नया शब्द शिक्षा जगत में आया है। आगे की पंक्तियों में इसी शब्द को विवेचित करने का प्रयास किया गया है।

8.7 पाठ्यक्रम योजना के तत्व

लेविस एवं मील के अनुसार पाठ्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए अधिगम के अवसरों की योजना देता है जो कि शिक्षित होना चाहते है इस प्रकार के पाठ्यक्रम के विकास में बहुत से कारक जिम्मेदार होते है जो कि पृष्ठ 263 पर दिखाए गये है, यह पाठ्यक्रम की प्रक्रिया इस प्रश्न के साथ शुरू होती है कि समाज के किन व्यक्तियों को शिक्षित करना है, लेकिन पाठ्यक्रम

निर्माताओं के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि सीखने वाले व्यक्ति सीखने के लिए किस तरह की सुविधाएं चाहते है।

इस प्रश्न का उत्तर ही पाठ्यक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की और इंगित करता है जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के निर्धारण में और बहुत से तत्व अपना प्रभाव डालते है, आदर्श अ ग म वह होता है जब सीखने वाले उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में सर्वाग समता होती है, यदि इन दोनो के उद्देश्य अलग -2 होते है तो सीखना कठिन हो जाता है।

पाठ्यक्रम प्रक्रिया तथा उसके तत्वों का एक मांडल वीलर ने भी प्रस्तुत किया जो सामान्य होने के साथ -साथ व्यावहारिक भी है. इसके प्रारूप में प्रथम स्थान पहले में तय किए लक्ष्यों एव उद्देश्यों को दिया गया है दूसरा स्थान अधिगम अनुभवों को तीसरा विषयवस्तु के चयन को चौथा स्थान अधिगम अनुभवों एवं विषय वस्तु के संगठन एवं एकीकरण तथा पांचवा स्थान मूल्यांकन को दिया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है

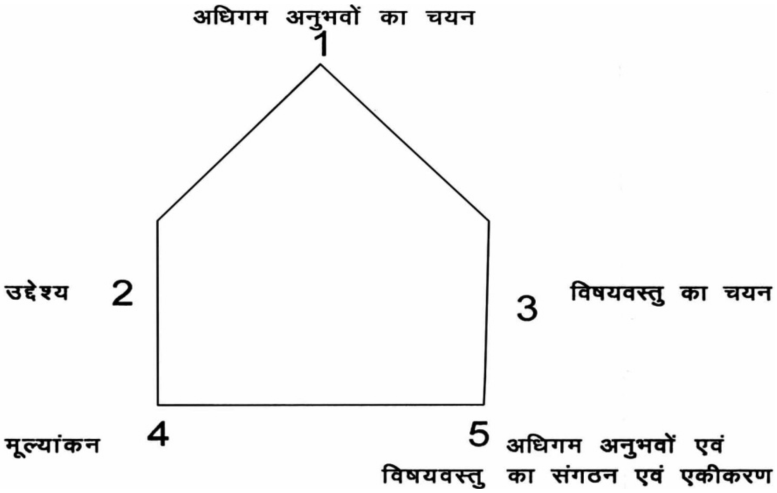

इसी प्रकार का प्रारूप प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1985 में प्रस्तुत किए गये मुख्य निम्न आधारों के अध्ययन पर भी बनाया जा सकता है जिसका सम्बन्ध राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है।

1. आधारभूत पाठ्यक्रम की संकल्पना जिसमें प्रान्तीय एवं स्थानीय लचीलेपन पर भी ध्यान दिखा गया है।

   संविधान प्रदत्त वैयाक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों, मूल्यों की प्राप्ति करना।

- बाल केन्द्रित प्रविधि पर बल देना।
- राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय संसाधनों का विकास करना।
- विषयवस्तु के चयन में लचीलेपन की आवश्यकता
- समस्त छात्रों के लिए फायदेमंद पाठ्यक्रम

सीखने एवं शिक्षण के लिए आवश्यक भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना।

पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Curriclum)

पाठ्य क्रम को प्रभावित करे वाले निम्नलिखित प्रमुख कारक है -

(क) समाज इसके अन्तर्गत सामाजिक ढांचा समाज के लक्ष्य एवं समाज के उद्देश्य आते है।

(ख) छात्र निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है।

(1) छात्र या सीखने वाले की प्रकृति

(2) सीखेन वाले व्यक्ति की परिपक्वता का स्तर

(3) सीखने वाले की आवश्यकताएं

(ग) विषय - इसमें सम्पर्क क्षेत्र एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उचित अधिगम क्रियाओं पर बल दिया जाता है।

(घ) अधिगम सगठन इसके अन्तर्गत शिक्षण एवं अधिगम के सिद्धान्तों तथा क्रिया आधारित अधिगम पर बल दिया जाता है।

(ङ) स्कूल-उसके अन्तर्गत विद्यालय के प्रकार विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं शिक्षण क्षमता आदि पर ध्यान दिया जाता है।

8.8 पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ

पाठ्यक्रम मूल्यांकन शब्द 1960 के बाद प्रयोग में आने लगा तथा 1969 में इसकी विवेचना "एजूकेशनल एनसाइक्लोपीडिया में की गई सामान्य रूप में पाठ्यक्रम मूल्यांकन से तात्पर्य है कि 'पाठ्यक्रम की तत्कालीन परिस्थितियों में प्रासंगिकता तथा व्यक्ति एवं समाज पर उसके प्रभाव का पता लगाना।"

पाल हर्ड ने 1969 मे इस शब्द को विवेचित करते हुए लिखा कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों विषयवस्तु अनुदेशन सामग्री का अधिगम एवं शिक्षण के लिए उपयोग तथा समय एवं व्यय के उपयोग का आभास मिलता है"

स्क्रीवेन ने 1967 में स्पष्ट किया कि "पाठ्यक्रम मूल्यांकन एक विधिवत की जाने वाली प्रक्रिया है जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की उपलब्धि की प्रमाण पत्र दिए जाते है।"

उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम के अपेक्षित प्रभाव, छात्रों की अपेक्षित उपलब्धि तथा संसाधनों के सही उपयोग का आभास होता है। यह देखना अधिक उपयुक्त होगा कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन कितने प्रकार से हो सकता है।

8.8.1 पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रकार -

पूरे पाठ्यक्रम संरचना के स्क्रीवेन के अनुसार मुख्यतः दो प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है।

(1) निर्माणात्मक मूल्यांकन

(2) संयुक्ता मूल्यांकन

निर्माणात्मक मूल्यांकन -

एण्डरसन के अनुसार निर्णाणात्मक मूल्यांकन किसी नई योजना या उत्पादन (पाठ्यक्रम किताब या टैलीविजन शो) के विकास करने वाले के लिए उपयोगी है, इसका अर्थ यह है कि वह मूल्यांकन उस समय किया जाता है जब पाठ्यक्रम निर्माणाधीन होता है, इस मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम रचना करने वालो को आवश्यक प्रतिपुष्टि मिलती है अपनी त्रुटियों का उन्हे आभास होता है तथा वे व्यावहारिक पाठ्यक्रम बनाने में सफल होते है।

संयुक्त मूल्यांकन

इस मूल्यांकन द्वारा सम्पूर्ण बने हुए पाठ्यक्रम का दुबारा मूल्यांकन किया जाता है। जिससे पाठ्यक्रम बनाने वाले किसी तर्क पूर्ण एवं सही निर्णय पर चालू पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में पहुंच सके मोरक्को महोदय ने इस मूल्यांकन की 3 अवस्थाए बताई

1 रूपरेखा या योजना बनाना

2 योजना का क्रियान्वयन

3 दूसरों के लिए (प्रयोग करने वालो के लिए) बिखेरना

सयुक्त मूल्यांकन का लेखा -जोखा रखता है कि किस सीमा तक निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, पर खेद का विषय यह कि भारतीय संदर्भ में पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रयास अभी तक ठीक से नही हुए है।

पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रतिरूप -

पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रतिरूपों की वजह से पाठ्यक्रम मूल्यांकन को अधिक अच्छे ढंग से करने की सम्भावनाएं काफी बढ़ गई है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए अभी तक जो माडल उभरे है वह सामान्यत: निम्न प्रश्नों का उत्तर देते है।

मूल्यांकन कौन करता है।

परिणाम किसके लिए है।

क्या पूर्वानुमान लगाए गये है?

कौन सी विधियां प्रयोग में लाई गई है?

किस तरह की सूचनाएं प्रयोग में लाई गई है।

किस तरह के परिणाम की सम्भावनाएं है।

पाठ्यक्रम मूल्यांकन के सम्बन्ध में सामान्यत निम्न माडल प्रयोग में लाए जाते है।

1. Bahavioural objectives model

2 Decision making model

3. Goal free evaluation model

4. Accreditation model

5. Responsive model

पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रतिरूपों पर एक अलग से अध्याय लिखा जाना चाहिए अत: इन प्रतिरूपों का विस्तृत विवरण यहा संम्भव नही है, पर इतना लिखा जाना उपयोगी होगा कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करते समय किसी एक विशेष माडल के बजाय एक से अधिक माडलों का उपयोग करना ज्यादा अच्छा रहेगा।

8.9 पाठ्यवस्तु एवं अधिगमानुभवों के चयन का स्तर

पाठ्यचर्चा के निर्माण कर्ता निर्धारित उद्देश्यों के प्राप्त करने हेतु सार्थ सतत व संगठित अधिगम अनुभवों का चयन करते है अत: वे चयन कर्ता अधो लिखित बातों पर ध्यान देते है।

1. प्रत्यक्ष एवं अन्यो द्वारा प्रदत्त अनुभवों के अवसरों में तालमेल या सन्तुलन बनाना।

2. अधिगम अनुभव ऐसे शामिल किया जावे जो एक से अधिक क्षेत्रों हेतु लाभदायी हो।

3. अधिगमानुभव उपयुक्त भावनाओं के विकास में सहायक होने चाहिए।
4. दोनो तरह के अनुभवों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए अवसर दिये जाये।
5. भिन्न-भिन्न क्षेत्रो हेतु विभिन्न प्रकार के अधिगमानुभवों का चयन किया जाये।

अधिगमानुभवों के चयन हेतु बर्टन के मानदण्डानुसार अधोलिखित शर्तो को पूरा किया जाना चाहिए ।

1. शिक्षको की दृष्टि से अधिगमानुभव अपेक्षित सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो।
2. अधिगमानुभवो में बालक का संतुलित एवं सर्वागिण विकास सम्भव होना चाहिए।
3. ये वैयक्तिक भेदों की दृष्टि से विविधता लिए हो एंव सभी उपयुक्ता क्रियाएं इनमें शामिल हो।
4. अधिगमानुभव बालको की दृष्टि से उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रयुक्त किये जाने के योग्य हो।
5. अधिगमानुभव हो जिसमें बालको की चुनौती मिले जो उन्हे नवीन अधिगम की और ले जाये।
6. उनका आयोजन विद्यालय एवं समाज को उपलब्ध साधन सुविधाओं द्वारा सम्भव हो सके।

पाठ्यक्रम के विषय में व्हीलर ने मानदण्डानुसार निम्नांकित बिन्दुओं पर जोर दिया है जो निम्नानुसार वर्णित है।

1. वैघता इसमें उन्ही अधिगमानुभवों को स्थान दिया जाता है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। अधिगमानुभव वैघ होने चाहिए।
2. व्यापकता -अधिगमानुभव व्यापकता के लिए है इनका चयन पाठ्यचर्चा में घोषित प्रत्येक उद्देश्य के लिए, अधिगमानुभवों की व्यवस्था हो जाये।
3. उपयुक्तता - अधिगमानुभव इस प्रकार इस तरह के चयनित हो जो वैयक्तिक स्तरानुसार हो।
4. विविधता - अधिगमानुभवो का चयन बालको की योग्यताओं स्तर एंव अभिरूचियों के अनुसार हो ताकि उनके वैयक्तिक भेदों को सन्तुष्ट किया जा सके।
5. जीवन से तालमेल - पाठ्यक्रम में इस प्रकार के अधिगतानुभव शामिल किये जाये जो वास्तविक जीवन से सम्बन्धित हो इसके साथ-साथ अधिगमानुभव जीवनोपयोगी हो।
6. सहभागिता - अधिगमानुभवों के आयोजन के समय बालको को सहभागी बनना चाहिए। अत: उन्हे अपने आप इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए ।

पाठ्यक्रम में नवाचार

सन् 1960 के पश्चात् विकाश पर पुन: विचार किया गया। इस क्षेत्र में ब्रूनर वर्ड आदि विचारको ने सराहनीय कार्य किये। हउ (1969) ने पाठ्यचर्या में नवाचारों को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है -

1. विषय वस्तु के चयन हेतु अवधारणा योजना को आधार बनाया जाये।
2. शिक्षण बालक केन्द्रित हो एवं सीखने के लिए प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाये।
3. पाठ्यक्रम में विषय - वस्तु का चयन विषय विशेषज्ञों अथवा अन्वेषको द्वारा किया जाये।
4. विषय वस्तु के चयन में स्थान विशेष को स्थान न देकर राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए।

लर्निंग टू बी (Learning to be) के प्रकाशन द्वारा पाठ्यक्रम में निम्नाकित तत्वों पर बल दिया गया।

1. विभिन्न विषयों का सह-सम्बन्ध किया जाये।
2. विषय वस्तु के चयनो पूर्ण यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो।
3. पाठ्यचर्चा के माध्यम से बालको के सामाजिक भवात्मक एवं अध्यात्मिक पक्षों के विकाश पर बल दिया जाये।
4. पाठ्य चर्या में वास्तिवकता समायी हो।

उपरोक्त नवाचारों के द्वारा पाठ्यक्रम में बहु त से परिवर्तन सम्भव हो गये है एवं सीखने तथा शिक्षण विधियों में नवीन परिवर्तनों को स्थान मिल रहा है। पाठ्यचर्या में माडल्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे कि शिक्षण प्रभावशाली बने।

8.10 पाठ्यक्रम के नवाचार

समय की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम में अनेक शैक्षिक प्रभावों को दूर करने का प्रयास यथा समय किया जाता रहा है। इसी क्रम में जब शिक्षा विदों ने चलताऊ पाठ्यक्रम के रूप में जाना गया।

नवाचार का सम्बन्ध उन प्रविधियों तथा क्रियाओं से है जो परम्परागत प्रणालियो से हटाकर नवीन कार्यक्रम प्रस्तुत करते है। विस्तृत अर्थ इन शैक्षिक नवाचारों के कारण पाठ्यक्रम में संगठनात्मक परिवर्तन आता है। नये पाठ्यक्रम की सम्भावना बनती है तथा शिक्षण ऐ सीखने की विधियां में बदलाव आता है इन सभी परिवर्तनों का उद्देश्य होता है। "शिक्षक एवं शिक्षण को प्रभावी बनाकर अधिगम में उत्तमता लाना" उदाहरणार्थ - आज समूचे राष्ट्र का उद्देश्य है ' 'सबको शिक्षा" परम्परागत विद्यालयों के द्वारा यह उद्देश्य प्राप्त करना काफी कठिन है अस्तु खुले विद्यालय, निर्विद्यालयीकरण आदि नये शैक्षिक सम्प्रत्यय सामने आये, इन नवाचार के रूप में आए शिक्षण समस्याओं के पाठ्यक्रम शिक्षण विधि तथा संगठनात्मक ढाचा आदि पक्ष परम्परागत प्रणाली में मूल परिवर्तन की और इशारा करते, है।

इसमें दो राय नही कि नवाचार बिना परिवर्तन के नही आ सकता किन्तु हर परिवर्तन नवाचार हो यह भी सत्य नही है शैक्षिक नवाचार मानव संस्था द्वारा लाए जाते है जिसका उद्देश्य किसी एक विशेष पक्ष में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है, यह पक्ष सामान्यत निम्न होते है।

(1) औचित्य

(2) संगठनात्मक ढ़ाचा

(3) पाठ्यक्रम

(4) अनुदेशन प्रविधियां

पाठ्यक्रम नवाचार से केवल पाठ्यक्रम ही नही प्रभावित होता है बल्कि इससे शिक्षा के उपयुक्त वर्णित चारों पक्ष प्रभावित होते है जेसे खुले विश्वविद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थियों में उतना सीधा सम्बन्ध नही होता है दूसरी और खुले विश्वविद्यालयों या दूरस्थ शिक्षा में प्रभावी श्रव्य-दृश्य सामग्री का प्रयोग कर संबंधित विषयों के पारंगत लोगो के व्याख्यान या तो दिखाए

जाते है या उनके द्वारा विशेष रूप में लिखी सामग्री छात्रों को दी जाती है। जबकि परम्परा गत शिक्षण समस्याओं में सामान्यत वही के शिक्षक पाठ पढ़ाते है।

राष्ट्रीय शिक्षानीति (1986) के संन्दर्भ में जिन पाठ्यक्रम सम्बन्धी परिवर्तनों का प्रयास किया है उनमें महत्वपूर्ण बिन्दु है सेवारत शिक्षको का प्रशिक्षण विश्वविद्यालीय व शिक्षको के लिए अभिनव और ओरिएन्टैशन कोर्स नवीन पाठ्यपुस्तके 10+2 शिक्षा प्रणाली नवीन शिक्षण प्रणाली का प्रयोग आदि, यद्यपि सरकार द्वारा 1966 में उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है परन्तु नवाचार वही सफल होते है जहा पर सम्बन्धित व्यक्ति सकारात्मक क्रियाशीलता की और अग्रसर होते है, तथा सही मायने में उन नवाचार का क्रियान्वयन करते है।

विशिष्ट पाठ्यक्रम नवाचार -

वैसे तो हर देश में पाठ्यक्रम समय की मांग के अनुसार बदलते रहे है, भारत में कोठारी कमीशन व नई शिक्षानीति 1986 द्वारा पाठ्यक्रम को उचित ढ़ग से संयोजित करने के अच्छे प्रयास किए गये है, परन्तु पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रो. जे. एस स्तर ने अपनी पुस्तक ' 'दि प्रोसेस ऑफ एजूकेशन' ' में कुछ निम्न नवाचारो का वर्णन किया है। जिसका प्रभाव हर देश की शिक्षा पर हुआ है।

1. विद्यालयीय पाठ्यक्रम सम्बन्धित वियषवस्तु की प्रकृति तथा संरचना का प्रतिनिधित्व करे।
2. पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों की इकाइयों में तार्किक अनुक्रम हो।
3. विषयवस्तु के अनुसार नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग हो
4. "स्वयं सीखने के' ' छात्रों को अधिक से अधिक अवसर दिए जाए"।
5. पाठ्यक्रम की हर सामग्री उपयोगी है।
6. व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम हो पाठ्यक्रम संरचना का मूल्यांकन अभिन्न अंग है।

पाल हर्ड (1989) ने भी कुछ पाठ्यक्रम नवाचारों का उल्लेख किया है।

(1) पाठ्यक्रम निर्माण राष्ट्रीय दायित्व हो।

(2) इससे विशेषज्ञों के साथ - साथ विद्यालयीय शिक्षकों तथा बड़ी कक्षाओं में छात्रों से भी सहयोग लिया जाए।

(3) उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता जो नवीन ज्ञान के खोज में अधिक सहायक हो।

(4) पाठ्यक्रम भविष्योन्मुख होना चाहिए।

(5) पाठ्यक्रम की विषयवस्तु की संरचना इस प्रकार की हो कि नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से जुड़ा है।

8.11 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन (पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में)

अपने देश में पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सबसे बडी विडम्बना यह थी कि प्रदेश स्तर पर एक दूसरे से पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में कोई समन्वय नही था कही पर 10+2+2 तो कही 10+1+3 तथा केन्द्रीय एवं प्रान्तीय पाठ्यक्रम में काफी अन्तर था परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए एक केन्द्रीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था करके

इस विसंगति को दूर करने का एक साहसिक कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस कदम के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की वकालत भी की गई। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा (1988)ए द्वारा पाठ्यक्रम संरचना में निम्न नवाचारों पर विशेष आग्रह किया गया है

1. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर एक समान शिक्षा प्रणाली विकास के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों के अन्दर मानवीय संसाधन विकास पर बल।
2. विकास के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों के अन्दर मानवीय संसाधन विकास पर बल।
3. माध्यमिक स्तर तक समस्त छात्रों को व्यापक सामान्य शिक्षा
4. पाठ्यक्रम में सामान्य घटक की व्यवस्था।

8.12 अनुदेनात्मक -प्रक्रिया का अर्थ एंव परिभाषा

अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण तत्वों का विश्लेषण तथा व्यवस्था की जाती है। प्रत्यय सिद्धान्तों कौशल तथा समस्या समाधान के शिक्षण के लिए शिक्षक अनेको निर्णय लेता है और उनका अभ्यास करता है उद्देश्यों की प्राप्ति न होने पर उनमें सुधार तथा परिवर्तन लाता है।

अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का अर्थ कौशल तथा ज्ञान के तत्वों के शिक्षण की व्यवस्था करना है। अनुदेशन की परिभाषा भाषा विश्लेषण स्पष्ट रूप में करते है तथा उन तत्वों के शिक्षण की व्यवस्था करते है जिनका बोध छात्रों को पहले से नही है। अनुदेशनों में सुधार तथा परिवर्तन किया जाता है तब तक उद्देश्यों की प्राप्ति नही हो जाती है।

ग्लेसर (1964) टीटमेन (1966) तथा एण्डर्सन (1969)ऐ ने अनुदेश नात्मक प्रक्रिया की परिभाषा की है। वह प्रक्रिया जिसमें उद्देश्यों का विशिष्टीकरण किया जाता है और उनसे सम्बन्धित प्रत्ययों सिद्धान्तों कौशल, भाषा तथा समस्या समाधान के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। विधियों तथा प्रविधियों में सुधार तथा परिवर्तन किया जाता है जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके और अनुदेशन प्रभावशाली हो सके।

Glerer (1964) Tiedman 1966 and Anderson(1969)have defined the instructionl procedure. A Process that includes rpecifying objectives mannging of teaching of skills language concept principles and problem solving than tring and revisingmateral and techniques usually in effective instruction.

INSTRUCTIONAL OBJECTIVES

8.12.1 शिक्षण उद्देश्य

1. ये उद्देश्य विशिष्ट होते है।
2. इनका आधार मनोविज्ञान है।
3. प्रत्येक विषय के अपने विषिष्ट शिक्षण उद्देश्य होते है।
4. शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों के किसी भाग का निर्माण करते है।

5. शिक्षण उद्देश्यों का क्षेत्र सीमित होता है।
6. इनकी प्राप्ती का दायित्व शिक्षक व पाठ विशेष की विषय वस्तु पर होता है।
7. शिक्षण उद्देश्य एक निश्चित कथन है।
8. इसमें व्याव्हारिकता होती है ये प्राप्य उद्देश्य हैं।
9. ये विशिष्ट रणनीति बनाने हेतु उपयोगी है।
10. ये शिक्षण रणनीति बनाने हेतु उपयोगी है।
11. सीखते वालों को निश्चित व स्पष्ट निर्देश प्रदान करते है।

8.12.2 अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के प्रभावशाली तत्व

एक प्रभावशाली अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में अधोलिखित तत्वों का समावेश होता है -

1. उद्देश्यों की रचना प्रथम तत्व -

उद्देश्यों की पहचान करके व्यवहारिक रूप में लिखना । शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीन प्रकार के होते है।

2. कार्य विश्लेषण -द्वितीय तत्व -

कौशल तथा ज्ञान के पक्षों का विश्लेषणों करके एक क्रम में व्यवस्थिति किया जाता है।

3. पूर्व 'व्यवहार -

नवीन कौशल तथा ज्ञान के शिक्षण के लिए आवश्यक पूर्वज व्यवहारों की पहचान की जाती है।

4. शिक्षण की सामग्री -

यह अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व है इसमे शिक्षण सामग्री प्रत्यय सिद्धान्त तथा कौशल के शिक्षण की प्रविधियों का निर्धारण किया जाता है।

5. शिक्षण प्रक्रिया -

शिक्षण प्रक्रिया में प्रत्यय, सिद्धान्त, कौशल, तथा समस्या समाधान के अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक के शिक्षण के लिये अलग-अलग सोपानों का अनुशरण किया जाता है ।

6. छात्रों की निष्पत्तियों का मूल्यांकन -

अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अनुसरण से कहां तक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी है उसके लिये छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है ।

7. निदान तथा उपचारात्मक शिक्षण -

मूल्यांकन से छात्रों की कमजोरियों का भी पता लगाया जाता है और उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है । शिक्षक पुन: शिक्षण करता है औरउद्देश्यो की प्राप्ति का प्रयास करता है।

8.12.3 अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य (The objectives of Instruction Procedures)

शिक्षक तथा छात्र के मध्य कहीं अनुदेशनात्मक प्रक्रिया कार्य करती है, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना है छात्रों के व्यवहार परिवर्तन तीन प्रकार के होते है - ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।

1. **ज्ञानात्मक उद्देश्य -** ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति अधोलिखित तत्वों के शिक्षण से की जाती है।
   (अ) प्रत्ययों का शिक्षण
   (ब) सिद्धान्तों का शिक्षण
   (स) समस्या समाधान का शिक्षण तथा
   (द) सर्जनात्मक क्षमताओं के विकस के लिए अनुदेशन।
2. **क्रियात्मक उद्देश्य -** क्रियात्मक उद्देश्य के लिये कौशल का विकास किया जाता है जिससे दो प्रकार की क्षमताओं का विकास किया जाता है।
   (अ) शारीरिक क्षमताओं का विकास
   (ब) रचनात्मक क्षमताओं का विकास
3. **शाब्दिक अधिगम का विकास -** शाब्दिक अधिगम के विकास से भाषा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसके लिये निम्नाकित तथ्यों का शिक्षण किया जाता है।
   (अ) भाषा का विकास
   (ब) व्याकरण का शिक्षण
   (स) अनुवाद का शिक्षण तथा
   (द) पढ़ने का शिक्षण

प्रभावशाली अनुदेशनात्मक -

प्रक्रिया के अन्तर्गत शिक्षक तथा अधिगम दोनो की क्रियाओं को महत्व दिया जाता हैं उपरोक्त दोनो प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है क्योकि प्रत्यय अधिगम को प्रत्यय का शिक्षण प्रभावित करता है । समस्या समाधान अधिगम तथा शिक्षण दोनो ही है इस प्रकार अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य तथा अधिगम में समन्वय स्थापित करना है जिससे उददेश्यों की प्राप्ति की जाती है।

8.12.4 अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का महत्व (Importance of Instructional procedure)

शिक्षण - अधिगम प्रक्रिया में अनुदेशात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित उपयोग इस प्रकार है -

1. अनुदेशनात्मक - प्रक्रिया शिक्षण को यह बतलाती है कि अपने शिक्षण विषय के प्रत्ययों, सिद्धान्तों अधिनियमों तथा समस्या समाधान का कैस शिक्षण करे।
2. कौशल के शिक्षण की जानकारी शिक्षक को दी जाती है।

3. अनुदेशनात्मक प्रक्रिया शाब्दिक अधिगम, भाषा, अधिगम के शिक्षण के लिये निर्देशन प्रदान करती हैं।
4. अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का समुचित रूप में अनुसरण करने से अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है।
5. अनुदेशनात्मक प्रक्रिया की जानकारी तथा व्यवहारिक रूप में प्रशिक्षण से प्रभावशाली शिक्षक तैयार किये जा सकते है।
6. पूर्व-सेवा तथा सेवारत अध्यापको में अनुदेशनात्मक प्रक्रिया से शिक्षण कोशल का विकास किया जा सकता है।
7. पुनर्बलन की प्रविधियों के प्रयोग से शिक्षकों के सामाजिक तथा भावात्मक व्यवहारों में सुधार तथा परिवर्तन किया जा सकता है परन्तु अनुदेशनात्मक व्यवहार का विकास नही किया जा सकता है इसके लियें अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का प्रशिक्षण की उपयोगी होता है।
8. अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का प्रशिक्षण नियोजन तथा व्यवस्था के लिये वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।

अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में मनोविज्ञान के सिद्धान्तों तथा अधिगम के सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है यह शिक्षण के अनुदेशन की रूप रेखा तथा अभ्यास के लिए अधिक उपयोगी है।

अनुदेशन प्रक्रिया के विषय में अध्ययन के बाद आइए हम अपनी प्रगति जांच ले

मूल्यांकन प्रश्न-

1. अनुदेशन का अर्थ क्या है? इसके उद्देश्य क्या - क्या होते है?
2. अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के प्रभावशाली तत्व क्या - क्या है?

8.13 सारांश

इस इकाई में हमने पढ़ा कि पाठ्यक्रम का अर्थ परिभाषा विशेषताएं क्या है तथा इसे निर्मित करने के आधार एवं सैद्धान्तिक पक्ष क्या है? इसके चयन के महत्वपूर्ण सिद्धान्त क्या है? इसके साथ ही हमने जाना कि पाठ्यक्रम योजना के तत्व इसको प्रभावित करने वाले कारक इत्यादि क्या - क्या है? पाठ्यक्रम में नवाचार प्रयोग एवं इसके मूल्यांकन का अध्ययन भी किया।

पाठ्यक्रम के अलावा इस ईकाई में हमने अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अर्थ परिभाषा उद्देश्य एवं इसके प्रभावशाली तत्वो का ज्ञान भी हासिल किया। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के उद्देश्य एवं महत्व भी. हमने पढ़े।

8.14 संदर्भ ग्रंथ

1. सामाजिक अध्ययन शिक्षण डा० महेन्द्र कुमार मिश्रा
2. युनिवर्सिटी बुक हाउस जयपुर
3. अध्यापक प्रशिक्षण तकनीकी आर. ए. शर्मा शिक्षा चतुर्वेदी आर. लाल बुक डिपो मेरठ।

इकाई 9

बाल वृद्धि एवं विकास

(Child Growth & Development Basic)

इकाई की संरचना

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 वृद्धि एवं विकास का तात्पर्य

9.3 विकास के नियम

- 9.3.1 विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है
- 9.3.2 विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है
- 9.3.3 विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है
- 9.3.4 प्रत्येक विकासात्मक अवस्था की अपनी अवस्था होती है
- 9.3.5 विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है

9.4 विकास को प्रभावित करने वाले कारक

9.5 विकासात्मक अवस्थाएँ

9.6 ज्ञानात्मक विकास

9.7 क्रियात्मक विकास

9.8 भाषा विकास

9.9 बच्चों में भाषा संबंधी दोष

9.10 भाषा संबंधी दोषों के कारण

9.11 संवेगात्मक विकास

9.12 ज्ञानात्मक विकास

9.13 सामाजिक विकास

9.14 सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक

9.15 सन्दर्भ ग्रंथ

9.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- वृद्धि एवं विकास को समझने में सक्षम होंगे।
- विकास के सिद्धांत को समझ सकेंगे।
- विकास पर वातावरण एवं वंश के प्रभाव को समझ सकेंगे।
- विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझ सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना

एक वयस्क व्यक्ति के शरीर का पूर्ण गठन और उसके विभिन्न अंग प्रत्यंगों की कार्य क्षमता अथवा उसका मानसिक रूप से पूर्ण विकास कुछ दिनों में नहीं हो जाता, बल्कि वृद्धि एवं विकास की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया के कारण होता है। वृद्धि एवं विकास की यह प्रक्रिया कई सिद्धांतों पर आधारित है अथवा इन्हें विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इस इकाई में हम वृद्धि एवं विकास से संबंधित विभिन्न आयामों की चर्चा करेंगे।

9.2 वृद्धि एवं विकास का तात्पर्य

सामान्य वृद्धि एवं विकास को हम एक ही अर्थ में लेते हैं या दोनों को एक दूसरे का अनुपूरक समझते हैं। परन्तु वास्तविक रूप से वृद्धि एवं विकास दो विभिन्न प्रत्यय हैं और एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं । जैसे वृद्धि को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि ' 'एक व्यक्ति के शरीर और विभिन्न अंगों के ठीक ढ़ंग से बढ़ने या गठन करने की प्रक्रिया को वृद्धि कहते हैं। इसी प्रकार विकास को परिभाषित करते हुए कह सकते है कि ' 'विभिन्न प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक कार्य करने की क्षमता को विकास कहा जाता है।

बच्चे की वृद्धि और विकास गर्भकाल के दौरान ही शुरू हो जाता है। गर्भ के आरंभिक तीन महिनों में भ्रूण की तेजी के साथ वृद्धि होती है, परन्तु आकार छोटा होने के कारण वृद्धि बाहर से मालूम नहीं पड़ती। तीन महिने के बाद भ्रूण का शारीरिक ढ़ाचा तैयार होता है और विभिन्न अंगों का निर्माण शुरू होता है। गर्भावस्था के शेष छः महिनों में आ की वृद्धि त्रीव गति से होती है।

जन्म से लेकर तीन वर्ष तक की अवस्था में शिशु की वृद्धि एवं विकास त्रीव गति से होता है । तीन वर्षा के वृद्धि एवं विकास को हम निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं :-

औसत उम्र	शारीरिक विकास	सामाजिक विकास	भाषा का विकास
1 माह	थोड़े समय के लिए पेट के बल लेटे हुए सिर को ताकते रहना|	किसी भी दिशा में उपर उठाना। थोड़ा-थोड़ा मुस्कुराना	
2 माह	हाथ पैर थोड़ा थोड़ा हिलाना	मुस्कुराना, माँ को पहचानना	
3-4 माह	अपना सिर उठा पाना	थकसी खास वस्तुओं की ओर देखते रहना, हिलजुल कर खेल पाना	
5-6 माह	करवट लेना, इच्छानुसार सिर को घुमाना, सहारा	परिवार के सदस्यों को पहचानना अपरिचित व्यक्ति को देखकर रोना।	मुँह से जोर-जोर की आवाज निकालना

	पाकर बैठ जाना पेट के बल खिसकना		
6-9 माह	बिना सहारे बैठ पाना घुटनों के बल चल पाना दो तीन दाँत निकालना	परिचित और अपरिचित व्यक्तियों में फर्क कर पाना ।	बिना समझे कुछ कुछ शब्दों की बार बार नकल करना, भाषा के अनुकरण में पुनरावृत्ति
9- 12 माह	बिना सहारे चल लेना 12- 14 दांत निकलना	प्रत्येक वस्तु को हाथ में पकड़ना आत्मकेन्द्रित होना और किसी के साथ हिस्सा नहीं बँटाना ।	भाषा के पुनरावृत्ति , स्तर में और भी विकास
12-18 माह	भाग दौड़ कर पाना, 1 5- 18 दांत निकलना।	शिशु अभी भी आत्मकेन्द्रित रहता है।	विभिन्न वस्तुओं को उनके नाम से समझना, शब्दों के अर्थ समझना, भाषा का अर्थबोध स्तर
18-24 माह	भाग दौड़ कर पाना 16- 18 दांत निकलना।	शिशु अभी भी आत्मकेन्द्रीत रहता है।	अनेक शब्द बोल पाना,कभी-कभी छोटे-छोटे वाक्य बोलना, भाषा संचेतना का स्तर
02-03 साल	खेलना, कूदना	सीढ़ियाँदूसरों के साथ खेलना और हिस्सा लेना, बंटाना । हर वस्तु को जानने की उत्सुकता तथा सीखने की प्रवृति बढ़ती है।	बातचीत कर पूरा वाक्य बोलना ।

बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को ठीक ढ़ग से समझने के लिए विकास के विभिन सिद्वातों को समझना जरूरी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।

9.3 विकास के नियम (Principal of Development)

मानव विकास को बहुत सारी बातें प्रभावित करती है, जिन्हें हम महत्व के अनुसार क्रमबद्व नहीं कर सकते है, परन्तु हम इनकी मूलभूत सिद्वांत के रूप में व्याख्या कर सकते हैं। जैसे -

साधारण से विशिष्ट रूप -

विकास पूरी तरह से संगठित रूप में होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था पिछली अवस्था का परिणाम होता है। प्रत्येक अवस्था आगे वाली अवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे बच्चे के चलने के लिए खड़ा होना जरूरी है। इस सिद्वांत को साधारण से विशिष्ट इसलिए कहते हैं, कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो वह पूरे शरीर को गति कर सकता है, परन्तु किसी एक

विशिष्ट अंग को गति प्रदान नहों कर सकता है, परन्तु जन्म के उपरान्त बच्चा किसी अंग विशेष को गति प्रदान करने में सक्षम होता है।

9.3.1 विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है -

विकास एक सहज एवं निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी शारीरिक एवं 'मानसिक विशेषता एकाएक नहीं आती है। विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ माँ के गर्भ में होता है और निरन्तर चलता रहता है। इसलिए एक अवस्था में होने वाला विकास दूसरी अवस्था को सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है।

9.3.2 विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है

परिपक्वता वंशानुगत आधार पर व्यक्ति में निहित रहती है, जबकि अधिगम विभिन्न प्रयासों का परिणाम है। अधिगम के द्वारा बच्चा विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक गुणों को आत्मसात करता है। विकास उन्हीं परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम है। परिपक्वता अधिगम के लिए खाली मैदान प्रदान करता है, तथा अधिगम उसमें एक संरचना प्रदान करता है।

9.3.3 विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है

मानव विकास विभिन्न अवस्थाओं में अलग -अलग विशेषताओं के रूप में होता है। इसके द्वारा उस अवस्था को उस विकास के लिए अनूठा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक अवस्था को हम निश्चित व्यवहार एवं विशेषताओं के विकास के लिए चिन्हित कर सकते हैं। मुख्य तौर पर विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पाँच भागों में विभक्त कर सकते हैं। ये हैं- जन्म पूर्व अवस्था (गर्भ धारण से जन्म तक), शैशवावस्था (जन्म से 10-14 साल तक), बाल्यावस्था (2 सप्ताह से 2 साल तक), बचपन की अवस्था (2 साल से 11 साल तक) तथा व्यःसन्धि असन्न अवस्था (11 साल से 14 साल तक)

9.3.4 प्रत्येक विकासात्मक अवस्था की अपनी अवस्था होती है

बच्चे का व्यवहार आशिक रूप से उसके व्यक्तिगत स्वरूपों से और आशिक रूप से उसके उक्त के स्तर के अनुसार होता है। बचपन में ही बच्चे के किसी समस्या से जूझने की कला को देखकर हम कह सकते हैं कि आगे वह बच्चा कैसा होगा ' प्रत्येक अवस्था में बच्चे में एक संगति आती है, जो एक-एक अवस्था से दूसरे अवस्था में स्थानान्तरित होती है और आगे चलकर व्यक्ति के व्यवहार का महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। इसी संगति के कारण व्यक्तिगत भिन्नता का अभिनीव होता है। सभी अवस्थाओं में बच्चे की विशेषता दूसरे बच्चे की विशेषता से भिन्न होती है। प्रत्येक अवस्था में बच्चे की विशेषता में एक बदलाव आता है, मुख्य तौर पर डर, निर्भरता, उत्सुकता, आत्मियता एवं स्वतंत्रता जैसी विशेषताएँ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर उनके स्वरूप में बदलाव आ जाता है।

9.3.5 विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है

वैसे तो सभी बच्चों का विकास एक ही स्वरूप का होता है, परन्तु बच्चे अपने वातावरण एवं वंशानुगत विशेषता के आधार पर उस स्वरूप को अपनाते हैं, इसलिए विकास के संसाधन एक

होते हुए भी बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। सभी बच्चे विकास की निश्चित समयबद्ध प्रक्रिया से गुजरते हैं, परन्तु वातावरण के कारक के कारण उनके विकास में व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है। जैसे- बच्चे का शारीरिक विकास आशिक रूप से वंशानुगत विशेषताओं पर और आशिक रूप से परिवेशीय कारक जैसे खान-पान, पोषण, जलवायु इत्यादि पर निर्भर करता है। इसी प्रकार बौद्धिक विकास भी इन्हीं दोनों कारकों के कारण प्रत्येक बच्चे का एक दूसरे से भिन्न होता है।

व्यक्तित्व के प्रत्यय के अनुसार प्रत्येक बच्चा अपने आप में अनूठा व्यक्तित्व है। कोई भी दो बच्चे एक तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, न ही एक तरह का विकास होता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. विधि एवं विकास किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, किन्ही चार बातों का उल्लेख करे|
2. विकास को विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दे|

9.4 विकास को प्रभावित करने वाले कारक

यहीं पर हमें यह जानना जरूरी है कि बच्चों के विकास में कौन -कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मोटे तौर पर कुछ कारक ऐसे होते हैं, जो वंश के द्वारा निर्धारित होते हैं, और बच्चा अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त करता है, तथा कुछ कारक ऐसे होते हैं, जो परिवेश, सामाजिक एवं साँस्कृतिक स्थिति के कारण निर्धारित होते है। वैसे तो बच्चे के विकास में दोनों ही कारकों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इन कारकों की विस्तृत चर्चा नीचे की जा रही है।

9.4.1 वंशानुगत कारक

मुख्यतौर पर बच्चे अपने माता-पिता की तरह ही दिखाई देते हैं। जैसे - लम्बे माता-पिता के बच्चों की लम्बाई भी अच्छी होती है, इसके अलावा आँख एवं त्वचा के रंग भी बच्चे अपने वंश यानि माता-पिता से प्राप्त करते हैं। माता-पिता से प्राप्त ऐसी विशेषतायें पीढ़ी दर पीढ़ी जीन के रूप में चलती रहती हैं। इसी प्रकार से बच्चे अपने माता-पिता की विभिन्न विशेषताओं जैसे - नेतृत्व के गुण, सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने के गुण इत्यादि भी प्राप्त करते हैं, यदि इन गुणों की विकासात्मक अवस्था में पहचान नही की गई और उसे समुचित दिशा प्रदान नहीं की गई, तो इनका विकृत स्वरूप भी समाज को देखने को मिल सकता है, यानि बच्चा इन गुणों का नकारात्मक उपयोग भी कर सकता है, अत: ऐसे गुणों को विकासात्मक अवस्था में पहचानना जरूरी होता है।

9.4.2 परिवेशीय कारक

(क) जन्मपूर्व परिवेश -

बच्चे के विकास के लिए जन्म पूर्व परिवेश काफी महत्त्वपूर्ण है, गर्भ के समय माता के शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण एवं गर्भ काल के दौरान समुचित चिकित्सीय देखभाल इत्यादि मुख्य हैं। इस अवस्था के दौरान जो मुख्य कारक हैं, उनमें माता के लिए पोषण आहार एवं माता का स्वास्थ्य मुख्य है।

(ख) ख. पोषण :-

पोषण बच्चे की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक है। खाने -पीने के द्वारा जो हम रासायनिक तत्व ग्रहण करते हैं, वें शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए काफी महत्त्वपूर्ण हैं। शरीर इन तत्वों को कई प्रकार से उपयोग करता है, जो शरीर की ऊर्जा की आपूर्ति एवं शरीर के कोषों को बनाये रखने में मदद करता है। करीब -करीब 50 ऐसे पोषक तत्त्व हैं, जो शरीर को संतुलित रखने के लिए जरूरी होते हैं, इनमें हैं - प्रोटिन, कार्बोहाईड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज एवं जल। हमारे शरीर को इन सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, परन्तु यहाँ यह बात और करने वाली है कि उनकी जरूरत शरीर को व्यक्ति के उक्त क्रियाकलाप एवं लम्बाई के अनुसार होती है।

बच्चों को खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इन पोषक तत्वों से भरपूर खाना दिन में तीन बार मिलना चाहिए। इसलिए यह माता -पिता और शिक्षक को जानना जरूरी है कि बच्चे के विकास में संतुलित भोजन से परिवेश दिया जाये।

(ग) विकलांगता एवं बीमारी

विकलांगता एवं बीमारी बच्चों के वृद्धि एवं विकास को काफी हद तक प्रभावित करती है। यह जन्म के समय से भी हो सकती है, और जन्म के बाद विकासात्मक अवस्था में भी हो सकती है। साधारणतया, शारीरिक, मानसिक श्रवण, दृष्टि विकलांगता बच्चे के विकास को अवरूद्ध कर देती है। यह बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने से रोक देती है। विकलांग बच्चे स्कूल के वातावरण में पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें विभिन्न विशेष सुविधाओं का सहारा लेना पड़ता है। श्रवण: विकलांगता भाषा के विकास को अवरूद्ध कर देती है।

इसी तरह से दृष्टि विकलांगता के कारण बच्चे में कई की प्रकार ग्रन्थियों का विकास हो जाता है, जो सामान्य विकास के लिए अवरोधक का कार्य करती हैं। अत: माता - पिता और शिक्षक को यह जानना ज्यादा जरूरी है कि विकलांग बच्चों के लिए किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था करनी है, जिससे उनका समुचित विकास हो सके।

(घ) पारिवारिक वातावरण -

परिवार बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला होती है, परिवार बच्चे के लिए प्रथम सामाजिक संस्था होती है, जहाँ बच्चा बहुतामग्न रूप में सामाजिक एवं संवेगात्मक मदद प्राप्त करता है। बच्चे के समस्त सामाजिक व्यवहार जैसे - बातचीत करने का ढंग, शब्दों का चयन, मनोवृत्ति, शिष्टाचार इत्यादि परिवार से ही प्राप्त होते हैं।

बच्चे के संतुलित व्यक्तित्व विकास के लिए पारिवारिक वातावरण का बहुत महत्त्व होता है। यदि परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण है, तो बच्चों का सामाजिक विकास अच्छा होता है, इसके विपरीत परिवार में कलेशपूर्ण वातावरण रहने से बच्चे का व्यक्तित्व विकास भी कुंठित हो जाता है।

9.5 विकासात्मक अवस्थाएँ (Development Period)

बच्चों के वैज्ञानिक अध्ययन से स्पष्ट है कि भिन्न -भिन्न उम्र में बच्चों में विशिष्ट प्रकार के विकास होते हैं। यही कारण है कि एक विशेष उस में होने वाले विकास को हम इस

अवस्था से पहले और बाद की अवस्थाओं में होने वाले विकास से अलग कर सकते हैं। हालाँकि यह सत्य है कि विकास की भिन्न - भिन्न अवस्थाओं के बीच कोई ऐसी निश्चित रेखा नहीं है जो इनको एक - दूसरे से बिलकुल अलग कर सकती है। फिर भी बच्चों के संबंध में किए गए अध्ययनों के आधार पर इस बात का पता चलता है कि बच्चों की विकास-प्रणाली को कई मुख्य विकासात्मक अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है। कारण यह है कि एक अवस्था-विशेष में एक विशिष्ट प्रकार का विकास होता पाया गया है। विकासात्मक प्रणाली की निम्नांकित पाँच मुख्य अवस्थाएँ पाई गई हैं, जिनमें एक विशिष्ट प्रकार का विकास एक उम्र-विशेष में होता है -

(क) जन्म के पूर्व की अवस्था (Prenatal Period)

यह गर्भाधान से लेकर जन्म होने तक की अवस्था है। यह अवस्था करीब-करीब 9 महिने या 280 दिन की होती है। इतनी छोटी अवधि होने पर भी इस अवस्था में विकास किसी भी अन्य अवस्था की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। इस अवस्था में बच्चे का विकास एक सूक्ष्म जीवकोष से होता है। 9 महिने में ही बच्चा 6 से 8 पौंड के वजन तथा करीब-करीब 20 इंच की लम्बाई का हो जाता है। निःसंदेह, इस विकास को हम एक त्रीव विकास कहेंगे। इस समय होने वाले विकास अधिकतर शारीरिक ही होते हैं।

(ख) शैशवावस्था (Infancy)

जन्म से लेकर 10-14 दिनों की अवस्था को ही शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था के बच्चों को नेयोनेट या नवजात कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे में कोई विकास नहीं होता, क्योंकि इसी समय वह अपने नए वातावरण से अपने को अभियोजित करने में व्यस्त रहता है।

(ग) बचपनावस्था (Babyhood)

दो सप्ताह से लेकर करीब 2 वर्ष तक की अवस्था को ही बचपनावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा बिलकुल निःसहाय रहता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहता है। धीरे- धीरे बच्चा अपनी माँसपेशियों को नियंत्रित करना सीख लेता है। फलतः वह अधिक आत्मनिर्भर हो जाता है तथा स्वयं खाने, चलने, पोशाक पहनने और खेलने लगता है।

(घ) बाल्यवस्था (Childhood)

साधारणतः जन्म से लेकर अपरिपक्वता तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है, परंतु वस्तुतः 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था, जिसे तरूणावस्था भी कहते हैं, को ही बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था का सबसे प्रथम विकास होता है - वातावरण पर नियंत्रण। इस अवस्था में बच्चा सामाजिक अभियोजन करना भी सीख लेता है। 6 वर्ष तक की उस के करीब में सामाजीकरण का स्थान महत्त्वपूर्ण रहता है। 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था को गैंग एज अवस्था कहते हैं। इस अवस्था का बच्चे के जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है।

(ङ) किशोरावस्था (Adolescence)

सामान्य बच्चों में तरूणावस्था की शुरूआत से परिपक्वतावस्था को ही किशोरावस्था कहते हैं, अर्थात् 11 से 13 वर्ष के बीच की उस से शुरू होकर 21 वर्ष तक की अवस्था के विभिन्न उम्रों में विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं, इसलिए इस अवस्था को निम्नलिखित भागों में बाँटा जाता है।

1. पूर्व किशोरावस्था (Pre- adolescence)
2. प्रारंभिक किशोरावस्था (Early- adolescence)
3. अंतिम किशोरावस्था (Late- adolescence)

स्वमूल्यांकन प्रश्न 3

1. विकास से आप क्या समझते हैं? विकास के नियमों रही जानकारी के क्या लाभ हैं?
2. बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा पोषाहार बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका उल्लेख कीजिए।
3. निम्नलिखित में अन्तर बताइये।
   क बचपनावस्था और बाल्यावस्था
   ख. प्रारंभिक किशोरावस्था और अंतिम किशोरावस्था
4. टिप्पणी लिखिए -
   क जन्म से पूर्व की अवस्था
   ख. शैशवास्था
   ग. बाल्यावस्था
   घ. किशोरावस्था

9.8 ज्ञानात्मक विकास

यदि शिशु वातावरण से सूचनाएँ प्राप्त नहीं करे तो वह सीख नहीं सकता है। यदि वह अपने ज्ञानेन्द्रियों, जैसे दृष्टि, श्रवण, घाण, स्वाद और बक के द्वारा करता है। जन्म के समय पाई जाने वाली ज्ञानात्मक क्षमताओं में धीरे - धीरे विकास तो होता ही है, साथ - साथ कुछ क्षमताएँ भी विकसित होती हैं।

1. दृष्टि -

जन्म के बाद आँख की संरचना एवं कार्यवाही में सुधार होता है तेजी से ये सम्पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। एक महिने की उम्र तक में शिशु जटिल आकृतियों को देखने में समर्थ हो जाता है। वह एक भूरे रंग के धब्बे और एक वर्ग जिसमें 1/8 इंच की श्री कर धारियाँ हों, दोनों के बीच अंतर प्रत्यक्षिकरण कर सकता है। 1 से 15 सप्ताह की उम्र में अधिकांश शिशु जटिल आकृति को साधारण उत्तेजनाओं जैसे - वृत्त, एक वर्ग और त्रिभुज, की अपेक्षा ज्यादा देर तक टकटकी लगाकर देखना पसंद करते है। जन्म के बाद प्रथम 8 सप्ताह तक 'निशाना लगाने के लिए गोल बिन्दु की अपेक्षा धारीदार आकृति को देखने की प्रवृति शिशु में ज्यादा रहती है। जन्म के बाद प्रथम 4 महिने की उम्र में दृष्टि-प्रत्यक्षीकरण और अनुक्रिया अत्यधिक तीक्ष्ण हो जाती है और इस संबंध में बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। 6 महिने का बच्चा अपने माता और पिता में अंतर समझता है। वह एक जाने-अनजाने या परिचित और एक अजनबी या अपरिचित व्यक्ति में भी अंतर कर पाता है। स्पष्ट प्रतिमाओं का निर्माण वह कर लेता है और वस्तुओं की जानकारी उसे सही ढंग से हो पाती है। रंगों के बीच अंतर भी वह कर लेता है।

2. **श्रवण या सुनना** -

जन्म के समय श्रवण यंत्र काफी अच्छी तरह विकसित रहता है और ठीक से कार्य भी करता है। परंतु नवजात शिशु को जन्म के बाद कुछ दिनों तक सुनने में कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि उसके मध्यकर्ण में बाधा होती है। सामान्यत: वह तीवता में परिवर्तन तथा ध्वनियों की अवधि के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, परंतु तारत्व या पिच में अंतर नही कर पाते। परंतु ब्रिजर के प्रति वे विभिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। 6 महिने में बच्चा माता पिता की बोली के प्रति आनन्ददायक ढंग से प्रतिक्रिया करता है और डाँटने और धमकियाँ देने वाली ध्वनियों और आरामदायक और सुखदायी और सुरक्षात्मक ध्वनियों के बीच अंतर या विभेद कर सकता है। वह संगीत में आनन्द व्यक्त करता है और अपने सिर को घुमाकर ध्वनि-उत्तेजना का अनुसरण करता है।

3. घ्राण या सूँघना -

बच्चों में घ्राण-विकास के संबंध में उनकी दृष्टि और श्रवण विकास की अपेक्षा बहुत कम अध्ययन किए गए हैं। घ्राण ज्ञानेन्द्रिय के विकास और कार्य के संबंध में हालांकि वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है, परंतु साधारण निरीक्षण से यह पता चलता है कि सुगंधों का गहन, सांस्कृतिक और संवेगात्मक महत्त्व है और यह सीखने के कारण ही होता है।

4. स्वाद -

तृप्त या भरपेट खाए हुए बच्चे में एक बहुत ही भूखे बच्चे की अपेक्षा स्वाद-विभिन्नता करने की क्षमता अधिक रहती है। बहुत से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको पहली बार खाने को देने पर ही बच्चे इनका परित्याग कर देते हैं। यह भोजन की गंध और इसके बाह्य रंग-रूप या बनावट पर निर्भर करता है। बच्चों को खास तरह के भोजन के साथ कुछ विशेष लगाव हो जाता है।

5. वाक्-संवेदनशीलता -

(क) दबाव या स्पर्श -

जिस प्रकार किसी दूसरी ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित उत्तेजनाओं के प्रति उचित ढंग से प्रतिक्रिया करना बच्चा सीखता है, उसी तरह वह दबाव और स्पर्श संवेदना के अर्थ को भी सीख लेता है। 6 वर्ष की उम्र में बच्चे को उसे कपड़ा पहनाने के समय यदि थोड़ा पीछे ठेल दिया जाए या आगे खींच लिया जाए तो उसमें सहयोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बड़ों के द्वारा सहलाना, हथेली से थपथपाना और दुलार दिखलाने वाली दूसरी उत्तेजनाओं - जिनके प्रति प्रारंभिक शैशवावस्था में वह कुछ भी ध्यान नही देता था - को अब वह पसंद करता है ।

(ख) गति या स्नायविक

7 या 8 महिने की उस के बहुत से बच्चे अकेले बिना किसी सहारे के बैठते हैं और कुछ तो बैठने की मुद्रा स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर लेते हैं। थोड़े से बच्चे घिसटते हैं और कुछ अकेले खड़े हो जाते है। उछलना उन्हें आ जाता है। वे स्वयं भी खा लेते हैं और प्याली को भी पकड़ लेते हैं। उनकी शारीरिक आत्मनिर्भरता में भी प्रगति होती है।

(ग) **पीड़ा संवेदनशीलता** -

इसमें वैयक्तिक विभिन्नता जीवन के प्रारंभ में ही पाई जाती है। थोड़े बड़े बच्चों में पीड़ा देने वाली उत्तेजनाओं के प्रति भय की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। जब बच्चा 6 महिने का हो

जाता है तो पीड़ा के प्रति वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता उसका पालन-पोषण किस प्रकार से करते हैं। पीड़ा के प्रति प्रतिक्रिया करने में जो मुख्य अंतर पाया जाता है वह सीखने के परिणाम स्वरूप ही होता है।

(घ) ताप या उष्णता संबंधी संवेदनशीलता -

जब वातावरण और बच्चे के शरीर के तापमान में काफी अंतर होता है तो इसके प्रति त्रीव रूप से प्रतिक्रिया करता है। ताप की संवेदना को स्पर्श, दबाव और पीड़ा की संवेदनाओं से अलग करना मुश्किल है।

9.7 क्रियात्मक विकास

शिशुओं की क्रियात्मक विकास की प्रणाली का पता लगाने हेतु कई बाल-मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। सबसे पहले बच्चों में नेत्र संतुलन पाया जाता है। तत्पश्चात् शारीरिक स्थिति का नियंत्रण होता है। सबसे पहले सिर के हिस्से में, तब धड़ में और अंत में पैरों की क्रियाओं में संतुलन हो पाता है। इसके फलस्वरूप उसमें रेंगने, खिसकने, सीधा बैठने, खड़ा होने तथा चलने की क्रियाऐं होती हैं।

हालांकि शिशु का क्रियात्मक विकास एक विशिष्ट प्रणाली का अनुसरण करता है, फिर भी इसमें थोड़ी बहुत वैयक्तिक विभिन्नता भी पाई जाती है। यह विभिन्नता सिर्फ इस बात में हो सकती हैं कि एक विशेष प्रकार का क्रियात्मक विकास एक बच्चे में दूसरे से पहले या बाद में हो। परंतु उनके विकासक्रम में कदापि परिवर्तन नहीं हो सकता है।

शिशुओं के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यत: हम दो वर्गों में रख सकते हैं-

क. परिपक्वता

ख. सीखना

परंतु परिपक्वता के अभाव में सीखने अथवा प्रशिक्षण का कोई लाभ नहीं होता। परिपक्वता प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण देने का क्रियात्मक विकास शीघ्रता से एवं पूर्ण रूप से हो पाता है।

9.8 भाषा विकास

भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को समझ पाते हैं। अत: भाषा का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्त्व है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार से हो सकती है। जैसे बोलकर, लिखकर तथा चिन्हों, मुखाकृति अभिव्यंजन एवं हावभाव इत्यादि के द्वारा। परंतु शब्दोच्चारण कई प्रकार की भाषा में से एक है, जिससे शब्दों को बोलकर अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। परंतु सभी प्रकार की ध्वनियों को हम शब्दोचारण नहीं कह सकते, सिर्फ उन्हीं ध्वनियों को हम शब्दोच्चारण की संज्ञा दे सकते हैं जिनका सही अर्थ होता है। बच्चे जब अपनी ध्वनियों का अर्थ समझने लगते हैं, और जब दूसरों के लिए भी वह अर्थ पूर्ण हो जाती हैं, तभी यह शब्दोच्चारण का रूप धारण कर लेती है। प्रारंभ में बच्चों में शब्दोच्चारण की क्षमता नहीं होती, उनकी ध्वनियाँ ही आगे चलकर शब्दोच्चारण का रूप ग्रहण कर लेती हैं और उनमें भाषा का विकास हो जाता है।

भाषा विकास की मुख्य अवस्थाएँ -

भाषा सीखने में बच्चे को क्रमश: निम्नलिखित चार स्तरों से गुजरना पड़ता है। ये सभी आपस में संबंधित हैं और एक की निपुणता दूसरे की निपुणता-प्राप्ति में विशेष रूप से सहायक होती है -

क. दूसरे की भाषा समझना

ख. शब्दभंडार का निर्माण

ग. वाक्य निर्माण

घ. शब्दोच्चारण

क. दूसरे की भाषा समझना -

बच्चा शब्दों के इस्तमाल के पूर्व दूसरे की वाणी का अर्थ समझने लगता है तथा प्रत्येक अवस्था में स्वयं जितने शब्दों का उच्चारण करता है, उससे कई अधिक संख्या में दूसरे के शब्दों के उच्चारण को समझ जाता है। दूसरे की भाषा को समझाना स्वयं बोलने से आसान है। 3 महिने की अवस्था में बच्चा दूसरे के मुस्कुराने पर मुस्कुरा देता है। तत्पश्चात् भय तथा क्रोध के संवेगों से संबंद्ध मुखाकृतिक अभिव्यजन तथा ध्वनियाँ वह पहचानने लगता है।

ख. शब्दभंडार का निर्माण

शब्द दो प्रकार के होते हैं - सामान्य भंडार - इसके अंतर्गत ऐसे अर्थ पूर्ण शब्दसमूह आते हैं, जिनका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में बच्चे करते है। जैसे - औरत, कुरूप, सुंदर, आना, जाना इत्यादि। विशिष्ट शब्दभंडार - इसके अंर्तगत विशेषकर वे शब्द आते हैं जिनका विशेष अर्थ होता है और जिन्हें बच्चें खास-खास परिस्थितियों में प्रयुक्त करते हैं। विशिष्ट अर्थपूर्ण शब्दों की अपेक्षा वे सामान्य शब्दभंडार को पहले सीखते हैं और प्रत्येक अवस्था में इसकी संख्या विशिष्ट शब्दभंडार से अधिक होती है।

ग. **वाक्य निर्माण** -

बच्चे में शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाने की क्रिया का आरंभ 2 वर्ष के बाद होता है। 6 वर्ष की उम्र तक बच्चों में हर प्रकार के वाक्यों का उपयोग करने की क्षमता होती है।

घ. शब्दोच्चारण -

छोटा बच्चा शब्दों का उच्चारण करना अनुकरण द्वारा सीखता है, अर्थात् जिन ध्वनियों को वह सुनता है उन्हीं की हू-बहू नकल करने का प्रयास करता है। अत: वह जब कभी किसी दूसरे को किसी रूप में उच्चारण करते हुए सुनता है, ठीक उसी के अनुरूप उच्चारण करता है।

9.9 बच्चों में भाषा संबंधी दोष

भाषा संबंधी दोष का अर्थ है - अशुद्ध भाषा का व्यवहार। इसके अंर्तगत गलत उच्चारण, हकलाना आदि भी आते हैं। बच्चों में भाषा-संबंधित दोष कई प्रकार के होते है। कुछ दोष तो भाषा-संबंधी अशुद्धियों के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें भाषा अशुद्धि कहा जाता हैं। कुछ दोष उच्चारण संबंधी भी होते हैं, जिन्हें उच्चारण दोष कहा जाता है। बच्चों में भाषा-संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण दैनिक जीवन में दिखाई पड़ते हैं, जैसे - किसी बच्चे के द्वारा बिसकुट को बिकसुट तथा अमरूद को अरमूद कहना। कभी - कभी तो बच्चे अपने सुविधानुसार संपूर्ण शब्द को ही बदल

डालते हैं। उच्चारणसंबंधी दोष भी बच्चों में पाए जाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें लिस्पिंग स्लरिंग, स्टैमरिंग कहा जात है।

9.10 भाषा संबंधी दोषों के कारण

बच्चों में भाषा संबंधी दोषों के कई कारण होते हैं। मौटे तौर पर इन्हें दो वर्गो में रखा जा सकता है।

स वंशानुक्रम संबंधी कारण

स वातावरण-संबंधी कारण

वंशानुक्रम का प्रभाव तो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, पर वातावरण का प्रभाव बच्चों के भाषा-संबंधी दोषों पर विशेष रूप से पड़ता है।

बच्चों में भाषा-संबंधी दोषों के कारण निम्नलिखित प्रकार के हैं।

1. बुद्धि में कमी
2. सामाजिक बातों का अल्प ज्ञान
3. किसी प्रकार की बीमारी
4. माता-पिता तथा अभिभावकों द्वारा भाषा का प्रयोग
5. बच्चों में जिद्द
6. बहरापन
7. बच्चों का दो-भाषी होना

9.11 संवेगात्मक विकास

बालक में संवेगात्मक विकास उसके जन्म के कुछ काल बाद से ही प्रारम्भ हो जाता है। संवेगात्मक विकास को जानने से पहले हमें संवेग के बारे में जान लेना चाहिए।

संवेग

आर्थर टी. जर्सील्ड के अनुसार, ' 'संवेग' शब्द किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता हैं। "

The Term ‘emotion’ deutioes a state of being movied, stried up or arosused in some way.

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संवेग के अन्तर्गत भाव, आवेग तथा शरीरिक एवं दैहिक प्रतिक्रियाएं सभी आती है । ये भाग, आवेग तथा दैहिक प्रतिक्रियाएं विभिन्न रूप से मिश्रित होकर तथा विभिन्न श्रेणियों में प्रकट होती है। संवेगों के विकास का अध्ययन व्यक्ति की सामान्य स्थितियों - शैशवस्था, बाल्यावस्था, किशोरवस्था और प्रौढ़ावस्था के अनुसार किया जाता है।

1. **शैशवस्था में संवेगात्मक विकास -**

जन्म के समय बच्चे संवेग नहीं होता। वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। ब्रिजेज ने 1932 ई. में बालकों के संवेगों का अध्ययन करके उनका क्रम इस प्रकार निर्धारित किया है -

संवेगात्मक विकास

क्रम सं.	आयु	संवेग
1	जन्म	उत्तेजना
2	1 मास	पीडा, आनन्द
3	3 मास	क्रोध
4	4 मास	परेशानी
5	5 मास	डर
6	10 मास	प्रेम
7	15 मास	ईष्या
8	2 मास	खुशी

मनोवैज्ञानिक प्रमुख रूप से तीन संवेग मानते है -

(i) प्रेम. भय, क्रोध -

ये तीनों संवेग दो वर्ष तक विकसित हो जाते है। 5 वर्ष की आयु में शिशु के संवेगों पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ना आरम्भ हो जाता है।

(ii) बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास -

शैशवास्था में विकसित संवेगों की अभिव्यक्ति ही बाल्यावस्था में होती है। दमन की प्रवृत्ति भी बालक में आ जाती है। बाल्यावस्था में संवेगों में स्थायित्व आ जाता है। बालक भय और क्रोध पर नियंत्रण करने लगता है। वह अपने संवेगों को माता-पिता और शिक्षकों के समक्ष प्रकट करते सकुचाता भी है और प्रकट करके लाभ भी उठाता है।

बालकों के संवेगों ने उग्रता होती है, उनका रूप परिवर्तित होता रहता हैं । एवं उनमें वैयक्तित्व भिन्नता पाई जाती है।

(iii) किशोरवस्था में संवेगात्मक विकास

किशोरवस्था में संवेगों पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। शरीर के विकास से संवेगों का विकास प्रभावित होता है। स्वस्थ शरीर के किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक नहीं होती है। किशोरवस्था मे बालक न तो बालक होता है और न ही प्रौढ़; प्रौढ़ उसे प्रौढ़ नहीं मानते, बालक उसे बालक नहीं मानते, इस कारण समायोजन की समस्या बनी रहती है।

किशोरवस्था में क्रोध भी शीघ्र आता है । प्राय: देखा जाता है कि किशोर, माता-पिता तथा साथियों से लडाई कर बैठता है। देश-भक्ति भी इस अवस्था में चरम सीमा पर होती है। सहानुभूति, दया, प्रेम आदि गुणों के पूर्णत: विकसित होने के कारण यह दूसरों के दुःख से दुखी हो जाता है और दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है।

(iv) प्रौढ़ावस्था में संवेगात्मक विकास -

प्रौढ़ावस्था में संवेगों का विकास परिवावस्था पर पहुंचता है। इस अवस्था में व्यक्ति में भय, क्रोध, घृणा, उपेक्षा, स्नेह, हर्ष इत्यादि विभिन्न संवेग एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग देखे जा सकते है। इस आयु में संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं पर मूल्यों, इच्छाओं, आदर्शो तथा व्यक्तियों के प्रति रूचि और प्रतिक्रियाओं, जिम्मेदारियों, दृष्टिकोणों और समाज की सामान्य नैतिकता का प्रभाव पड़ता है। संवेगों की अभिव्यक्ति में काफी परिष्कार आ जाता है।

9.12 ज्ञानात्मक विकास

बालक जैसे ही इस संसार में प्रवेश करता है वैसे ही क्रमानुसार ज्ञानात्मक विकास होना प्रारम्भ हो जाता है। बालकों को सुचारू रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक ज्ञानात्मक विकास के क्रम को समझना अत्यन्त आवश्यक होता है। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हम शैशवस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरवस्था में बालक के ज्ञानात्मक किवास का अध्ययन करेंगे।

1. शैशवस्था में ज्ञानात्मक विकास -

अ जन्म के समय में प्रथम वर्ष तक

(i) जन्म के समय अर्थात् प्रथम सप्ताह -

शिशु जब संसार में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ भौतिक बातें सन्निकृत रहती है। उसको भूख लगती है अधिक गर्मी ममें वह व्याकुल हो जाता है, अधिक सर्दी में वह कांपना शुरू कर देता है, दर्द का अनुभव करने लगता है।

(ii) द्वितीय सप्ताह -

जब बालक 8-9 दिन का होता है तो वह रोशनी की और अपनी आखें करता है। यदि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो वह आंखों द्वारा रोशनी का अनुमान करने लगता है।

(iii) द्वितीय महीना

जब बालक दो महीने का हो जाता है तो वस्तुओं को उसके सामने यहां-वहां ले जाने पर वह उसको ध्यान से देखने लगता है। गाना-गाने पर ध्यान से सुनने लगता है, माँ को देखकर प्रसन्न होने लगता है।

(iv) चतुर्थ महिना

बालक जब चार महीने का हो जाता है ताक वस्तुओं को पकड़ने लगता है, क्रोध करने और मुस्कराने लगता है।

(v) पांचवा महिना -

बालक अपनी माँ को अच्छी तरह पहचानने लगता है।

(vi) **सातवां महिना -**

बच्चा भिन्न-भिन्न आवाजें निकालते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है, इशारों को समझने लगता है विभिन्न खिलोने को पहचानने लगता है।

(vii) **नवां महिना** -

बालक बिना सहायता के बैठने लगता है।

(viii) प्रथम वर्ष -

एक वर्ष का होने पर बालक धीरे-धीरे चलने लगता है, छोटे-छोटे शब्दों का उच्चारण करने लगता है । माता-पिता की विभिन्न क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है।

(ix) द्वितीय वर्ष -

दो वर्ष का होने पर बालक को तस्वीर में यदि कोई चीज पूछी जाए तो हाथ रखकर बताने लगता है।

(x) **तृतीय वर्ष -**

तीन वर्ष का होने पर यदि बालक से अपना नाम पूछा जाय तो वह बता देता है, अंकों की संख्या को दोहराने लगता है। कान, नाक, मुंह, आंख आदि को हाथ लगाकर बता देते है।

(xi) चतुर्थ वर्ष -

जब बालक चार वर्ष का हो जाता है तो दो छोटी-बड़ी लकीरों के अन्तर को पहचानने लगता है।

(xii) पांचवां वर्ष -

इस उम्र में बालक नीले, पीले, हरे, लाल आदि रंगों के अन्तर को बता देता है । 1०-11 शब्दों के वाक्यों को दोहरा सकता है ।

2. बाल्यावस्था में ज्ञानात्मक विकास -

(i) छठवां वर्ष -

जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो वह 13-14 विभिन्न वस्तुओं को गिनने में समर्थ हो जाता है।

(ii) सातवां वर्ष -

यदि बालक से पूछा जाए कि पत्थर, लकडी, शीशे में क्या अन्तर है तो उसे देखकर स्वयं बता सकता है। 7 व 8 अंकों को क्रम से दोहरा सकता है।

(iii) आठवां वर्ष -

इस अवस्था में बालक 16 व 17 शब्दों के वाक्यों को दोहराने में सफल हो जाता है, वह कार व रेल में अन्तर समझने लगता है।

(iv) नौवां वर्ष -

बालक दिन, तारीख, समय, वर्ष आदि बताने लगता है। 6 व 7 अंकों को उल्टे क्रम में दोहराने लगता है।

(v) दसवां वर्ष -

छोटी-छोटी कहानियों को स्मरण कर सुना सकता है, वह 30 मिनट के अन्दर 60 व 70 शब्दों को लगातार कह सकता है।

(vi) ग्यारहवां वर्ष

इस अवस्था में बालक समानता, तुलना, सम्बन्ध आदि शब्दों का अर्थ बता सकता है।

(vii) बारहवां वर्ष -

इस अवस्था में बालक छोटी-छोटी बातों का कारण बताने में समर्थ हो जाता है। यदि कोई अवसर आ जाए तो वह दूसरे बालकों को उचित सलाह दे सकता है किसी चित्र को देखकर उनकी अच्छी तरह व्याख्या कर सकता है।

3. किशोरावस्था में मानसिक विकास -

इस अवस्था में बालक विचार, निर्णय, विश्वास आदि करने लगता है। इस अवस्था में बालक की वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। किशोर नाना प्रकार से सामाजिक कार्यो में हाथ बांटने में समर्थ हो जाता है। कार्य कारण सम्बन्ध २नमझाने लगता है। अनुचित एवं उचित बातों को समझने लगता है। वह पूर्व अनुभवों को अच्छी तरह पुन: स्मरण करने लगता है। उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार हो जाता है।

9.13 सामाजिक विकास

सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। सामाजिक विकास से बच्चों के व्यवहारों एवं उनकी इच्छाओं में परिवर्तन होता है। वे नए-नए व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, जिनके प्रति उनका व्यवहार नए ढंग का होता है। सामाजिक व्यक्ति केवल वह नहीं है, जो सिर्फ दूसरों के साथ रहना चाहता हो वरन् जो दूसरों के साथ मिलकर काम भी करना चाहता हो। सामाजिक जीवों की प्रवृत्ति उन जीवों की प्रवृत्ति से भिन्न होती है, जो सिर्फ अपने समुदाय में रहना पसंद करते हैं और उससे संतुष्टि प्राप्त करते हैं। समुदाय में रहने की प्रवृत्ति जानवरों में भी पाई जाती है। इसके विपरीत, मानव सिर्फ अपने समुदाय में रहना नहीं चाहता बल्कि वह अपने मनपसंद लोगों के साथ रहना और उनके साथ मिल-जुलकर काम करना चाहता हैं। बच्चों के व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि जन्म के समय वह बिल्कुल ही सामाजिक नहीं रहते, परंतु धीरे-धीरे उनमें सामाजिक प्रतिक्रियाओं का आविर्भाव होता है और वे सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करते हैं।

9.14 सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक

बच्चा जन्म के समय न सामाजिक रहता न सामाजिक। सामाजिकता का विकास जन्म के बाद से शुरू होता है। वातावरण में बहुत -सारे ऐसे कारक हैं जो बच्चों की सामाजिकता को प्रभावित करते हैं। जैसे

1. स्वास्थ्य -

बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट का प्रभाव उनके मानसिक विकास पर अधिक पड़ता है। अस्वस्थ बच्चों की अपेक्षा स्वस्थ बच्चों का सामाजिक विकास सुचारू रूप में होता है। इसका कारण है कि अस्वस्थ बच्चे को दूसरे बच्चों से मिलने-जुलने का मौका नहीं मिलता है, जिससे वह सामाजिक नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त, अस्वस्थ बच्चे की ओर माता-पिता का ध्यान अधिक रहता है, जिससे बच्चे स्वार्थी हो जाते हैं और उनके सामाजिक अभियोजन में काफी दिक्कत होने लगती है।

2. शारीरिक बनावट -

केवल स्वास्थ्य ही बच्चों के सामाजिक जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि शारीरिक बनावट का हाथ भी इसमें अत्यधिक है। यह पाया गया है कि कुरूप, काने, लँगडे आदि बच्चे हीनता की भावना से पीड़ित रहते हैं, जिससे वे दूसरे बच्चों से मिलते-जुलते नहीं। दूसरे बच्चे भी शारीरिक दोष वाले बच्चों को अपने साथ खेलने नही देते तथा तरह-तरह के उपनाम देकर

उन्हें चिढाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें ईर्ष्या की भावना का विकास होता है। अन्य बच्चों के चिढ़ाने से शारीरिक दोष वाले बच्चे चिडचिडे स्वभाव के हो जाते हैं, जिससे उनका अभियोजन कठिन हो जाता है, इस तरह जब समाज के अन्य लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं तब वह समाज के नियमों का उल्लंघन कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। शारीरिक दोष से पीड़ित बच्चे अपराधी हो जाते है और समाज के नियम तोडने लगते हैं। इससे बच्चे डरपोक, अंतर्मुखी, स्वार्थी इत्यादि हो जाते हैं, जिनका उनके सामाजिक जीवन में काफी प्रभाव पड़ता है।

3. खेल तथा अन्य मनोरंजक क्रियाएँ -

खेल तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं का प्रभाव भी सामाजिक विकास पर काफी पड़ता है। देखा गया है कि जो बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं उनका मानसिक विकास नहीं खेलने वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है। एक साथ खेलने वाले बच्चों के अंदर सहकारिता, प्रतियोगिता, सहानुभुति इत्यादि का विकास होता है। किन्तु जो बच्चे अकेले रहते हैं, उनमें इन गुणों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, बच्चों के एक साथ खेलने से उनमें नेतृत्व की भावना का भी विकास होता है। खेल में बच्चे अपने भावों का आदान-प्रदान करते हैं तथा खेल के नियम मानकर अनुशासन का पाठ पढ़ते हैं, किन्तु घर पर अकेले बैठने वाले बच्चों में इन चीजों की कमी रहती है, जिससे उनके सामाजिक अभियोजन में काफी दिक्कत होती है। अत: माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों के खेलने व मनोरंजन के साधनों को उनके समक्ष प्रस्तुत करें। जिससे उन्हें अन्य बच्चों के साथ खेलने का अवसर प्राप्त हो। सिनेमा, थियेटर, नाटक इत्यादि में भी बच्चे अन्य बच्चों के साथ मिलकर अपने भावों का आदान-प्रदान कर सामाजिक अभियोजन में सहायता प्राप्त करते हैं।

4. बुद्धि -

बुद्धि का भी प्रभाव सामाजिक विकास पर कम नहीं पड़ता। कम बुद्धि वाले बच्चों में सामान्य बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा सामाजिक विकास कम पाया जाता है। इसका कारण यह है कि वे सामान्य बच्चों की तरह अन्य बच्चों के साथ मिलते-जुलते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, वे सदा अपने परिवार के लोगों के ऊपर ही आश्रित रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके उन सभी सामाजिक अभियोजन के साथ घनिष्ठसंबंध हैं। बुद्धि के अभाव में बच्चे दूसरों के कहने पर असामाजिक कार्य जैसे चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि से नहीं हिचकते।

5. पारिवारिक वातावरण -

पारिवारिक वातावरण का सामाजिक विकास के साथ गहरा संबंध है। कहा गया है कि परिवार जीवन का प्रथम स्कूल है, जहाँ बच्चे सामाजिकता के बारे में सब-कुछ सीखते हैं। बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होगा, यह अधिकतर परिवार पर ही निर्भर करता है। उचित पारिवारिक वातावरण में पले बच्चों का सामाजिक विकास अनुचित वातावरण में पले बच्चों के सामाजिक विकास की अपेक्षा सुंदर तथा सुचारू ढंग से होता है। पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

क. माता-पिता एवं बच्चों का संबंध -

अध्ययनो के आधार पर देखा गया है कि माता-पिता द्वारा दिए गए अधिक लाड़-पार या जरूरत से कम लाड़-प्यार - ये दोनों बच्चों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अधिक

प्यार से बच्चा स्वार्थी एवं अंतर्मुखी स्वभाव का हो जाता है। आगे चलकर ऐसे बच्चे का जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। वह हमेशा दूसरे पर निर्भर करने लगता है। अधिक प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। कहा गया है, माता-पिता का अधिक प्यार बच्चों को बरबाद कर देता है।

ख. माता-पिता का परस्पर संबंध -

माता-पिता के आपसी संबंध का भी बच्चों के. सामाजिक विकास में काफी महत्त्वपूर्ण स्थान है। अगर माता-पिता का संबंध अच्छा है तो बच्चे का सामाजिक विकास भी सुचारू ढंग का होगा, अन्यथा नहीं। देखा गया है कि झगड़ालू माता-पिता के बच्चें भी झगड़ालू ही होते हैं। अत: सामाजिक विकास सुचारू का से हो, इसके लिए आवश्यक है कि माता-पिता का संबंध भी सुख-शांति से परिपूर्ण हो ।

ग. जन्मक्रम तथा भाई-बहन का आपस में संबंध -

इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों का जन्मक्रम तथा भाई-बहन का आपसी बंध निश्चित रूप से सामाजिक विकास पर असर पड़ता है। माता-पिता के लिए आवश्यक है कि अपने सभी बच्चों के समक्ष एक उचित वातावरण उपस्थिति करें, जिससे उनके बच्चों में उपेक्षित होने की भावना का विकास न हो। यह ध्यान में रहे कि उनके बच्चे न आपस में झगड़े, न एक दूसरे से डाह करें। इस तरह के उचित पारिवारिक वातावरण के अभाव में बच्चे का सामाजिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता। बच्चे इसके अभाव में बाल अपराधी हो जाते हैं, अतएव पारिवारिक वातावरण पर ध्यान देना अति आवश्यक है।

6. स्कूल -

देखा गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों का सामाजिक विकास केवल घर तक बैठने वाले बच्चों से अधिक होता है। स्कूल में जाने वाले बच्चे को अन्य बच्चों से मिलने-जुलने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चे अपने भावों का आदान-प्रदान करते हैं। अन्य बच्चों के साथ मिलने से उनमें कई तरह के सामाजिक गुण जैसे - सहकारिता की भावना, प्रतियोगिता की भावना आदि का विकास हो जाता है। स्कूल के बच्चे अनुशासन सीखते हैं। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि सिर्फ स्कूल जाने से बच्चों में सामाजिक विकास नहीं होता, बल्कि स्कूल के वातावरण एवं प्रशिक्षण से ही उनमें सामाजिकता आ जाती है। देखा गया है कि स्कूल जाने पर भी अच्छी संगति, अच्छे शिक्षण, अच्छी पढ़ाई, अच्छे अनुशासन इत्यादि- के अभाव में बच्चे असामाजिक हो जाते हैं। जो हो, इतना सच है कि स्कूल का प्रभाव बच्चे के सामाजिक जीवन पर अत्यधिक पड़ता है।

मूल्यांकन प्रश्न

1. निम्नलिखित का संक्षिप्त विवरण दें।
   - क. विकास सामान्य से विशिष्ट-प्रतिक्रियाओं की ओर होता है।
   - ख. विकास अविराम गति से होता है।
2 विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार कारकों का संक्षिप्त दें।
3 भाषा संबंधी दोषों पर टिप्पणी लिखें।
4 संक्षिप्त वर्णन करें
   - क. सामाजिक विकास का अर्थ

ख. प्रारंभिक बाल्यावस्था के सामाजिक व्यवहार

5. बच्चों के ज्ञानात्मक-विकास पर टिप्पणी लिखें।

9.15 सन्दर्भ ग्रंथ

1 Erickson. M.T (1992).Behaviour disorders of children and adolescents Assessment etiology and intervention. Englewood Cliffs. NJ: Presentice Hall.

2 Hetherington, E.M.& Parke, R.D (1999) Child Psychology : A contemporary view point Bostom: McGraw Hill (International Edition)

3 Hurlock, E.B. (194. Child development. New Yourk : McGraw Hill)

4 Leifert, K.L.& Hoffnung, R.J.(1991) Child and adolescent development. Boston : Houghton Miffin Co.

5 Turner,J.S., & Helms, D.B (1990) Lifespan development Fort Wort : Harcourt Brace Jovanovich college Publishers.

6 एस.एस. माथुर, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1966

7 सुरेश भटनागर, शिक्षा मनोविज्ञान, लायल बुक डिपो, मेरठ, 1977

8 रामनाथ शर्मा, सोतो एस. चन्द्रा, शिक्षा मनोविज्ञान, जैनसन्स प्रिन्टर्स, आगरा, 1966

9 राम बाबू गुप्त, शिक्षा मनोविज्ञान, न्यू पब्लिशिंग हाउस, कानपुर।

इकाई 10

बालक का व्यक्तित्व विकास
(Personality Development of Child)

इकाई की रूपरेखा (Structure of Unit)

10.0 उद्देश्य
10.2 व्यक्तित्व का विकास
10.1 व्यक्तित्व क्या है?
10.3 व्यक्तित्व निर्माण के कारक/घटक
10.4 व्यक्तित्व और शिक्षा
10.5 चिन्तन
10.6 चिन्तन के उपकरण
10.7 चिन्तन के प्रकार
10.8 शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में चिन्तन का विकास
10.9 शैक्षिक महत्व (विद्यालय तथा आत्म-प्रत्यय)
10.10 आत्म-प्रत्यय का विद्यार्थियों के लिए योगदान

10.0 उद्देश्य

व्यक्तित्व मानव जीवन की सम्पूर्णता है। जो कि उसकी स्वाभाविक अभिरूचि एवं क्षमतायें उसके भूतकाल में अर्जित किये गये अनुभव कारकों का संबंध तथा संगठन, व्यवहार प्रतिमानों, आदर्श, मूल्यों तथा अपेक्षाओ की विषमताओं से पूर्ण होता है।

सभी प्रकार के व्यवहार व्यक्तित्व अभिव्यक्ति है जो जैसा व्यवहार करता है वह उसके व्यवहार की अभिव्यक्ति है। विद्यालय तथा समाज बालकों के व्यक्तित्व के विकास को ही प्राथमिकता देता है। अत: विद्यालय का दायितव व्यक्तित्व का चहुंमुखी विकास करना ही है।

व्यक्तित्व का विकास ही मनुष्य की क्षमताओं, योग्यताओं तथा समायोजन को पुष्ट करता है।

10.1 व्यक्तित्व क्या है?

परसनेलिटी शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के परसोना (Person) शब्द से हुई है जिसका अर्थ वेशभूषा, व नकाब से है। किसी नाटक का पात्र वेशभूषा बदल कर किसी दूसरे पात्र का व्यक्तित्व धारण करके उसी व्यक्तित्व की तरह व्यवहार करे तो वह उसी व्यक्तित्व का बन जाता है । इसी प्रकार परसोना शब्द से पर्सनेल्टी शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिसका अभिप्राय शरीर रचना,रंगरूप,वेशभूषा इत्यादि से लगाया जाता था। किन्तु वास्तव में व्यक्तित्व का निर्धारक एक ही प्रतीकात्मक न हो कर अनेक प्रतिकात्मक मिल कर व्यक्तित्व का निर्माण करते है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व निर्माण में चार प्रतिकात्मक प्रभाव डालते है।

1. सामाजिक अनुक्रिया

एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का प्रभाव पडता है, वह ही व्यक्तित्व है। समाज में जिसका अधिक प्रभाव होता है वह उतना ही प्रभावशाली व्यक्तित्व माना जाता है।

2. सर्वव्यापी प्रभाव

यह सहचर्यवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार माना जाता है कि व्यक्तित्व विभिन्न शारीरिक, मानसिक संवेगात्मक, व सामाजिक क्रियाओं का योग माना जाता है।

3. संगठन पर बल -

व्यक्तित्व किसी एक तत्व के नहीं बल्कि अनेक तत्वों के संगठन पर बल देता है।

4. सम्पूर्ण मत -

इस मतानुसार व्यक्तित्व सम्पूर्ण व्यक्तित्व है।

इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व को अनेक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। जैसे-

1. सामान्य दृष्टिकोण :- व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास का स्वरूप है।
2. दार्शनिक दृष्टिकोण - व्यक्तित्व एक आदर्श स्वरूप है।
3. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण - व्यक्तित्व सामाजिक गुणों का संगठन है।
4. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण :- व्यक्तित्व परम्परा तथा वातावरण की देन है।
5. मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक :- व्यक्तित्व-इदम् अहम् तथा नैतिक स्वरूप है।
6. जीव-भौतिकी दृष्टिकोण - मनुष्य जो भीतर से है उसका पता बाहरी व्यवहार से लगता है।

परिभाषायें -

व्यक्तित्व की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निम्न प्रकार परिभाषायें दी है -

1. **आलपोट के अनुसार** "व्यक्तित्व व्यक्ति में मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है, जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करती है।"
2. **बी.आर केटल ने परिभाषा देते हुए कहा"** व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते है कि कोई व्यक्ति कोई विशेष परिस्थिति में क्या करेगा।"
3. **मॉटन प्रिंस ने व्यक्तित्व के विभिन्न सरोकारों का उल्लेख करते हुए कहा** "व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जन्मजात संस्थानो,आवेगो,प्रवृतियाँ झुकावों एवं मूल प्रवृतियाँ और अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कारो एवं प्रवृतियों का योग है।"
4. **बोरिंग के अनुसार '** व्यक्तित्व,व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थाई समायोजन है।"
5. **मन ने परिभाषित करते हुए कहा** ' व्यक्तित्व एक व्यक्ति के पठन व्यवहार के तरीकों, रूचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है।"
6. **आइसेनेट ने व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की चर्चा करते हुए कहा** "व्यक्तित्व, व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक आकर का ऐसा स्थाई और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके समायोजन का निर्धारण करता है।"

व्यक्ति में आत्म चेतना तथा वस्तुपरक दृष्टिकोण का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में समायोजना की योग्यता का विकास होता है। इस प्रकार व्यक्तित्व में गतिशीलता आती है। व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्धारित होता है। व्यक्तित्व के समूचे पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि एकता और समन्वयता का प्रदर्शन करते है।

10.2 व्यक्तित्व का विकास

व्यक्तित्व अनेक प्रभावों तथा कारकों का परिणाम है। ये कारक व्यक्ति को प्रकृति के विषय में बताते है। अधिगम, अन्त: किया तथा व्यवहार मिल कर व्यक्तित्व को एक स्वरूप प्रदान करते है।

व्यक्तित्व के तीन पक्ष है :-

1. क्रिया पक्ष -

व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है, यह उस व्यक्तित्व का किया पक्ष है कुछ व्यक्तित्व संवेगात्मक होते है, वे भावुकता में उद्वेगात्मक कार्य करते है। इस पक्ष में व्यक्ति के कार्य करने की शैली का कुल प्रभाव ही उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है।

2. सामाजिक पक्ष -

व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पडता है अथवा कोई व्यक्ति दूसरे से प्रभावित होता है वह व्यक्तित्व का समाजिक पक्ष है।

3. **कारक पक्ष** -

व्यक्ति किन कारणों से सामाजिक या असामाजिक व्यवहार करता है। व्यक्ति किसी व्यक्ति को पसंद करता है, यह उसका सामाजिक पक्ष है। किन्तु वह उससे घृणा करता है तो यह उसका कारण पक्ष होगा।

10.3 व्यक्तित्व निर्माण के कारक / घटक

व्यक्तित्व के उपरोक्त तीनों गुण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीनों का संबंध पारस्परिक है। वे तत्व जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते है, व्यक्तित्व के निर्धारक कहलाते है। ये निर्धारक कारक निम्न लिखित है

1. **वंशानुक्रम -** व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम से प्राप्त निम्न लिखित कारकों का प्रभाव पडता है-

1. शारीरिक बनावट -

व्यक्तित्व पर शरीर रचना का महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है। सुन्दर व आकर्षक शरीर रचना व्यक्ति में आत्मविश्वास तथा श्रेष्ठता की भावना का विकास करती है। इसके विपरीत कुरुपता, असन्तुलित, आकारहीनता का विकास तथा विकलांगता व्यक्तित्व को कुंठित कर देती है। इसके अतिरिक्त शरीर का रंग, भार, लम्बाई, आदि सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है।

2. शारीरिक स्वास्थ्य

यह देखा गया है कि दुर्बल तथा कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्ति अधिक क्रोधी चिड़चिड़े तथा शंकालु होते है। उनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति अपेक्षाकृत आत्मविश्वासी, अच्छे चरित्र तथा धैर्यशील होते है।

3. स्नायु मण्डल -

प्रत्येक व्यक्ति को स्नायु मण्डल जन्म से प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति का स्नायु मण्डल सुव्यवस्थित रुप से विकसित होगा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि स्नायु मण्डल के विकसित होने से समस्त मानसिक क्रियायें सुचारू रुप से चलती हैं इसके विपरीत जिन लोगों का स्नायु मण्डल ठीक से विकसित नहीं होता, वे न तो ज्ञानार्जन तथा न ही वातावरण के साथ समायोजन कर पाते है।

4. प्रणाली विहीन ग्रन्थियाँ -

प्रणाली विहीन ग्रन्थियों का व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है जो निम्नलिखित है:

अ पीयूष ग्रन्थि -

यह ग्रन्थि मस्तिष्क में स्थित होती है तथा यह अन्य प्रणाली विहीन ग्रन्थियों पर नियंत्रण रखती है। इस ग्रन्थि के अधिक सक्रिय होने पर व्यक्ति लम्बा हो जाता है। उसका २चमाव अधिक उग्र एवं झगड़ालू हो जाता है तथा उसके यौन अंग आयु से पहले विकसित हो जाते है। यदि यह ग्रन्थि कम विकसित होती है तो उसका शारीरिक व यौन विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है तथा वह डरपोक एवं कायर हो जाता है।

ब. गल ग्रन्थि -

गल ग्रन्थि गले के मूल में श्वास प्रणाली के सामने होती है। इस ग्रन्थि के अधिक क्रियाशील होने पर व्यक्ति बैचेन, चिन्तित एवं उत्तेजित रहता है। तथा कम क्रियाशील होने पर व्यक्ति में खिन्नता, रूकावट, मानसिक दुर्बलता आदि गुण उत्पन्न हो जाते है।

गल ग्रन्थि के पास उप गल ग्रन्थि होती है इन ग्रन्थियों का स्त्राव शरीर को शक्तिवान बनाता है। यदि इस ग्रन्थि को अलग कर दिया जाय तो इस ग्रन्थि के स्त्राव के अभाव में सम्पूर्ण शरीर का अनुपात नष्ट हो जाता है और मृत्यु तक हो सकती है।

स उपवृक्क ग्रन्थि -

इस ग्रन्थि के दो भाग होते है। आन्तरिक एवं बाहयी भाग। यदि इसका आन्तरिक भाग कम सक्रिय होता है तो यह संवेगात्मक परिस्थिति सामंजस्य नहीं रख सकता तथा अधिक सक्रिय होने पर संवेगात्मक रुप से अधिक उत्तेजित हो जाता है। यदि बाहयी भाग अधिक सक्रिय होने पर भी व्यक्ति अधिक उत्साही रहता है तथा स्त्रावित होने पर तो व्यक्ति अधिक चिडचिडा, उदास, व कमजोर हो जाता है।

द. यौन ग्रन्थियाँ -

यौन ग्रन्थियाँ यौन संबंधी व्यवहारों का नियंत्रण करती है। वुडवर्थ का कहना है कि पुरुष स्त्राव पुराषात्मकता का विकास करती है। स्त्री-स्त्राव स्त्रीयोचित्त स्वभाव का निर्माण करती है। इन स्त्रावों के अभाव में स्त्री पुरुष दोनों की लैगिंक विशेषतायें विकसित नहीं हो पाती।

5. मूल-प्रवृतियाँ तथा प्रेरक :-

बालक के जन्म के साथ ही मूल-प्रवृतियाँ तथा प्रेरक क्रियाशील रहते है जो उसके व्यवहार को परिभाषित करते है जैसे हँसना, रोना, क्रोधित होना, भयभीत होना इत्यादि।

6. कुछ अन्य शक्तियां

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य शक्तियां भी वंशानुगत प्राप्त होती है-

क बुद्धि ख. प्रतिक्षेप(प्रत्यावर्तित) क्रियायें

ग. संवेग घ. क्षमता

ड. आन्तरिक भाव च. स्वाभाविक परिस्थितियाँ

2 पर्यावरणीय कारण

1. भौतिक पर्यावरणीय कारण -

जिस जगह की प्रकृति सम्पन्न एवं जलवायु ठंडा होता है वहां के लोग सुन्दर, स्वस्थ, परिश्रमी और विद्वान होते है। जहां आवश्यकता से अधिक गर्मी पडती है वहां के लोग अस्वस्थ, आलसी, काले एवं कम बुद्धि के होते है। अत: व्यक्तित्व के विकास में भौतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण को नहीं छोड़ा जा सकता।

2. सामाजिक पर्यावरण

व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक निम्नलिखित है-

क. **माता-पिता का प्रभाव -**

कुटुम्ब में सामाजिक सम्पर्क महत्वपूर्ण होते है। माता-पिता का बालक के प्रति व्यवहार, माँ बाप का आपसी संबंध, दूसरों के प्रति व्यवहार, घटनायें एवं उद्देश्य सभी बालक के विकास पर प्रभाव डालते है। स्काट के अनुसार अच्छे सामाजिक सरोकार किशोरों के सामाजिक अनुकूलन पर अच्छा प्रभाव उत्पन्न करते है।

ख. पाठशाला का वातावरण -

पाठशाला का वातावरण भी बालक के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालता है। पाठशाला के योग्य शिक्षक, शिक्षण सुविधायें, अच्छी कक्षा व्यवस्था, कीड़ा स्थल आदि के व्यक्तित्व के विकास में योग देते है। सुरूचिपूर्ण विषयों का प्रबन्ध बालक के विचारों को बढ़ावा देते है। विद्यालय का वातावरण प्रबन्धन अच्छा होना चाहिए।

ग. मित्र समुदाय -

बालक के मित्र यदि स्वस्थ एवं साहसी प्रकृति का है तो वह अपने मित्रों में नेतृत्व करता है। बालकों में आत्मविश्वास साहस, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता आदि सामाजिक गुणों का विकास समूह में होता है।

घ. पुस्तकें -

यदि बालकों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिलती है तो अनमें अच्छे गुणों तथा व्यवहारों का होना पाया जाता है

ङ. पड़ोस -

अच्छा पड़ोस अच्छे व्यवहार को प्रेरित करता है।

च. क्लब एवं चलचित्र

क्लबों तथा चलचित्रों के माध्यम से बालक केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि अपना शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास भी करता है।

छ. **आर्थिक स्थिति** -

गरीब बालकों में हीनता एवं असुरक्षा का भाव विकसित हो जाता है। तथा धनी परिवार के बालकों को पौष्टिक भोजन, पढ़ने के अच्छे अवसर के द्वारा अच्छे व्यक्तित्व का विकास होता है।

3. **सांस्कृतिक पर्यावरण** -

बालक जिस संस्कृति में पला होता है, उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का होता है। संस्कृति के अन्तर्गत उन रीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं, संस्थाओं को सम्मिलित करते है जिसका व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आगबर्न एवं निमकॉफ के शब्दों में 'सामुहिक जीवन सामान्य संबंधों को निश्चित करता है, दूसरी तरफ संस्कृति मूर्त गुणों को निश्चित करती है। '

4. मनोवैज्ञानिक कारण -

बुद्वि, प्रेरक, तर्क, कल्पना, रूचियाँ. इच्छायें, स्वभाव, ज्ञान आदि मनोवैज्ञानिक कारक भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते है।

म्यूरहैड ने व्यक्तित्व की परिभाषा में कहा है ' व्यक्ति में सम्पूर्ण व्यक्तित्व का समावेश होता है। व्यक्तित्व के गठन, रूचि, अभिवृतियाँ, व्यवहार, क्षमताओं, योग्यताओं और प्रवीणताओ का सबसे निराला संगठन है।

शिक्षक छात्र का मित्र तथा पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वागीण विकास करना है। यह दायित्व शिक्षक तभी निभा सकता है जब उसे व्यक्तित्व विकास के कारकों का अच्छा ज्ञान हो।

(1) व्यक्तित्व के सिद्वान्त

व्यक्तित्व का अध्ययन मनोवैज्ञानिकों के लिए अपरिहार्य अंग हो गया है। सच तो यह है कि मानव का व्यक्तित्व एक नहीं, अनेक कारकों से निर्मित होता है। वैयक्तिक धारणाओं के आधार पर ही व्यक्तित्व संबंधी सिद्वान्तों का निरूपण हुआ है, जो निम्न प्रकार से है:

1. मनोविश्लेषणात्मक सिद्वान्त -

इस मत के प्रतिपादक सिंगमंड फ्रायड है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण इड, इगो, तथा सुपर इगो के द्वारा होता है। इड अचेतन मन है जिसमें आदिम तथा मूलप्रवृतियाँ होती है। ये शीघ्र संतुष्ट होना चाहती है। इगो मन का चेतन स्तर है। यह विचार, निर्णय तथा संकल्प करता है। सुपर इगो आदर्शो से निर्मित होता है। सुपर इगो के संबंध में स्वयं फायड ने कहा है- सुपर इगो इगो का वह पक्ष है जो आत्म निरीक्षक की प्रकिया को संभव बनाता है। इसे सामान्य रूप से चेतना कह कर पुकारा जाता है। मानव व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं तत्वों से होता है।'

ये तत्व व्यक्तित्व के अनेक रूप प्रस्तुत करते हैं।

(2) रचना सिद्वान्त -

इस सिद्वान्त के प्रणेता शैलडॉन है। शैलडॉन ने व्यक्तित्व के तीन प्राथमिक आधार बताये है।

1. गोलाकृति - इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले पुरूष गोल गर्दन तथा इनकी मांसपेशियाँ पूर्ण विकसित होती है। चर्बी का बढ़ना आदि गुणों से युक्त ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग ही प्रकट होता है।

2. आयताकृति - इस प्रकार के व्यक्तित्व में हड्डियाँ तथा माँस-पेशियों का विकास परिलक्षित होता है।
3. लम्बाकृति - इस प्रकार के व्यक्तित्व में केन्द्रीय स्नायु संस्थान के माँस-पेशी तन्तु विकसित होते है।

   इस मत के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगो को व्यक्तित्व के निर्माण का आधार माना जाता है।

3. प्रतिकारक प्रणाली सिद्वान्त -

इस मत के प्रतिपादक आर.बी. केटेल है। व्यक्तित्व के विषय में इनका कथन है -व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में जो भी कार्य करता है, उसका प्रतिरूप ही व्यक्तित्व हे। '

कैटल ने चरित्र को अनेक कारकों से युक्त कहा है। उसके अनुसार चरित्र की सुन्दरता अर्थात भावात्मक एकता, सामाजिकता, कल्पना-शीलता, अभिप्रेरक, उत्सुकता, लापरवाही आदि प्रतिकारक चरित्र का निर्माण करते है। कैटल ने कहा- 'एक आन्तरिक मनोदैहिक स्थिति जो व्यक्ति को प्रतिक्रिया(अवधान,अभिज्ञान) करने की अनुज्ञा देती है, वह भी उद्देश्यों के वर्गो से, विशेष संवेगों के अनुभव प्राप्त करती है एवं कार्यो को पूर्णरूप से करने के लिये अभिप्रेरित करते है। इसके अतिरिक्त इन प्रतिमानों में ऐसे व्यवहार को प्राथमिकता दी जाती है जो कि उद्देश्य की प्राप्ति करते है। "

4. ऑलपोर्ट का सिद्वान्त -

जी.डब्ल्यू ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में जो सिद्वान्त प्रतिपादित किया वह वंशक्रम तथा वातावरण वैयक्तिक भेद आदि पर आधारित है। ऑलपोर्ट ने वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्तित्व के जटिल मिश्रण के प्रति न्याय करने, स्वभाव, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों के प्रति न्याय करने पर बल दिया है। साथ ही व्यक्तित्व की नवीनता को मान्यता देने पर भी बल दिया है। जो अनेक सम्प्रदायों तथा व्यक्तित्वों में विद्यमान होती है। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाली प्रवृतियों, विशेषताओं तथा वातावरण के प्रति समायोजन से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है।

5. मुर्रे का सिद्वान्त

एच.ए. मुर्रे ने व्यक्तित्व के संदर्भ में कहा है, व्यक्तित्व कार्यात्मक रूप एवं शक्तियों की निरन्तरता है जो संगठित प्रक्रिया के रूप में जन्म से मृत्यु तक बहिर्मुखी हो कर प्रकट होती है। इस मत के अनुसार कार्यात्मक रूपों का निरन्तरता, मृणात्मक तथा धनात्मक अभिनिवेश, संबंध, मतभेद, सक्रियता निष्क्रियता आदि का योग व्यक्तित्व का निर्माण करती है।

इस मत पर कतिपय आरोप है कि यह अचेतन निर्धारकों का व्यवहार पर प्रभाव, अधिगम की भूमिका, अभिप्रेरणा की स्थिति व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है और उसकी अभिव्यक्ति का कारण बनती है।

10.4 व्यक्तित्व और शिक्षा

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास करना है। अत: व्यक्तित्व के अध्ययन का शिक्षण शास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है।

अपने व्यक्तित्व को स्वयं जानने पर छात्र तथा अध्यापक दोनों के आत्म विश्वास का विकास होता है। अध्यापक अपनी कक्षा में प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग कर असामान्य छात्रों तथा समस्यात्मक छात्रों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा उनकों दूर करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकता अनेक निक्षेपी विधियाँ तथा परीक्षणों द्वारा बालकों की दमित इच्छाओं को जाना जा सकता है। अध्यापक को छात्रों के सर्वागीण विकास का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इन विधियों का उपयोग करने का ज्ञान होना आवश्यक है

10.5 चिन्तन

चिन्तन एक मानसिक प्रकिया है। विश्व के समस्त प्राणियों में मनुष्य ही चिन्तनशील है। चिन्तन के द्वारा ही मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं को सुलझाता है। इसके अभाव में जीवन सुचारू रुप से नहीं चल पाता चिन्तन एक मानसिक प्रकिया है। मनुष्य के सामने जब कोई समस्या आ जाती है तो चिन्तन प्रारंभ होता है और समस्या का हल निकाला जाता है। चिन्तन में कोई एक बात से दूसरी बात निकलती चली जाती है और उस समय तक विचारों का कम चलता रहता है जब तक कि समस्याओं का कोई सन्तोषजनक हल नहीं निकल जाता। समस्या का हल पर उस विषय का चिन्तन रूक जाता है। चिन्तन एक आन्तरिक प्रकिया है जो वस्तुओं के प्रतीकों के माध्यम से चलती है।

10.6 चिन्तन के उपकरण

1. पदार्थ -

मुख्य रुप से वस्तुगत, विशेष, सामान्य तथा गत्यात्मक रुप वाले होते है जिन पर चिन्तन आधारित होता है। कुछ पदार्थ व्यक्ति में विशेष विचार उत्पन्न करते है जैसे गाय, माँ, जासूस इत्यादि। इनकी कल्पना से चिन्तन प्रारंभ होता है।

कुछ सामान्य पदार्थ जैसे रेखागणित की कुछ आकृतियाँ इसमें किसी विशेष आकार को लेकर सामान्य आकार के विषय में वर्णन किया जाता है। पदार्थो के गुणों के आधार पर भी चिन्तन किया जाता है जैसे पानी को एक तरल पदार्थ के रूप में चिन्तन किया जाता है।

2. प्रत्यय -

चिन्तन का साधन शब्द का सार्थक रुप प्रत्यय कहा जाता है। किसी शब्द की परिभाषा प्रत्यय या अवधारणा की अभिव्यक्ति है। शब्दों की व्याख्या प्रत्यय ज्ञान के आधार पर की जाती है। वस्तु के संबंध में प्रत्यय एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। जिसका कारण व्यक्तिगत भेद है।

गुण तथा क्रियाओं के भी प्रत्यय होते है जैसे स्थान, समय, दूरी, भार, ताजमहल आदि। एक दूसरे का वार्तालाप प्रत्यय के आधार पर होता है। विशिष्ट जान की सामान्यीकरण प्रक्रिया भी प्रत्यय निर्माण पर आधारित होती है। विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण करना भी प्रत्यय पर निर्भर करता है। सामान्यीकरण के अतिरिक्त प्रत्यय निर्माण में सूक्ष्मीकरण की किया भी पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के कीड़ो के समान गुणों को चुन कर श्रेणीकरण भी किया जाता है।

3. प्रतीक -

प्रतीक भी चिन्तन की प्रमुख सामाग्री है। प्रतीक चिन्तन की वास्तविक एवं सामान्य वस्तुओं की और संकेत करती है। प्रत्येक प्रतीक का प्रतीक चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए सड़क पर बने यातायात संबंधी चिन्ह!

भाषा भी एक प्रकार से प्रतीक है। भाषा एक प्रकार के गुप्त प्रतीक की अभिव्यक्ति है। पावलोव के अनुबन्ध में भोजन के स्थान पर घण्टी एक प्रतीक के रूप में लार उत्पन्न करती है।

10.7 चिन्तन के प्रकार

जटिलता के आधार पर हम चिन्तन को तीन श्रेणियों में रख सकते है। (1) क्रिटीकल चिन्तन (2) अभिसारी चिन्तन। जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है।

1. क्रिटीकल चिन्तन

यह चिन्तन तुलनात्मक दृष्टि- से सरल प्रकृति का है। इसमें किसी संदर्भ अथवा समस्या को उसके गुण दोष के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है। यह तार्किक चिन्तन के ही समकक्ष है। जिसमें अगमनात्मक तथा निर्गमात्मक प्रकिया के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते है। इस प्रकिया में वस्तु के गुण धर्म देखे जाते है। प्रत्येक वस्तु के अपने गुण दोष होते है। उन गुण दोषों का वस्तु तथा किया का विशिष्ट संबंध होता है। उदाहरण के लिए सांप एक जीव है तथा जहरीलापन उसका दोष है अत: सांप तथा उसका जहरीला होना एक विशिष्ट संबंध है। यह सह संबंध सनातन है।

व्यक्ति के सम्मुख जब कोई समस्या आती है तो वह उस समस्या के पक्ष तथा विपक्ष में चिन्तन करता है तथा कई समाधानों पर पक्ष-विपक्ष, गुण-दोष, पर चिन्तन काता है तथा किसी एक समाधान पर अपनी प्रतिक्रिया करता है, जो सर्वोतम होती है। हम कह सकते है कि किसी समस्या पर क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं वैज्ञीनिक अध्ययन ही क्रिटीकल चिन्तन है।

क्रिटीकल चिन्तन के लिए मस्तिष्क का सुसंगठित होना आवश्यक है। इसमें दो दशाओं का होना पाया जाता है। (1) व्यक्ति के मन में पूर्व में प्रत्यय बने होने चाहिए (2) व्यक्ति में निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए। इन परिस्थितियों के अभाव में क्रिटीकल चिन्तन नही हो सकता। इसमें व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ज्ञात परिस्थितियों से अज्ञात परिस्थितियों पर चिन्तन करता है। इस प्रकार इस चिन्तन में भविष्य के परिणामों का अनुमान लगा लिया जाता है। एक गुलदस्ते अलमारी में रखना प्रत्यक्ष है। उसके बारे में सोचते है तो वह चिन्तन है। जब हम यह अहसास करते है कि यह गुलदस्ता जोड़े के रूप में होना चाहिए, यह क्रिटीकल चिन्तन है।

क्रिटीकल चिन्तन के महत्वपूर्ण कदम -

क्रिटीकल चिन्तन में कम बद्धता होती है। इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण सोपान है:-

1. समस्या की पहचान :- क्रिटीकल चिन्तन में व्यक्ति अपने काम लायक समस्या की पहचान कर लेता है।
2. आँकडों का संग्रह :- व्यक्ति समस्या के समाधान से संबंधित तथ्यों को इकत्रित काता है।
3. निर्णय करना :- इस सोपान पर व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है।
4. अनुमान लगाना :- अनुमान के आधार पर भविष्यवाणी करता है।

5. सत्यापन :- भविष्यवाणी या तो पूर्व निर्धारित सिद्वान्त का सत्यापन करता है या अपनी परिकल्पना की जाँच करता है।

2. अभिसारी चिन्तन (Convergent Thinking) -

चिन्तन सरल तथा यांत्रिक दोनों होता है। इसमें सोचने का पर्याप्त अवसर रहता है। जिस चिन्तन में प्रत्यक्षतः यांत्रिकता -रहती है उसे अभिसारी चिन्तन कहते है।

चिन्तन तथा सृजन के संदर्भ में पहली बार गिलफोर्ड ने विचार किया कि व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है और उसकी सन्तुष्टि होने पर वह भविष्य में भी प्रयत्न करता है। सन्तुष्टि की जाँच मूल्यांकन द्वारा होती है। अपसारी चिन्तन एवं मूल्यांकन के साथ साथ अभिसारी चिन्तन सृजनात्मक शक्ति का तीसरा पक्ष है। देखा जाता है कि व्यक्ति धन के अभाव में क्रिकेट कामेन्ट्री रेडियो पर सुन कर सन्तुष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति में परिस्थिति की पुर्नव्याख्या की शक्ति होनी चाहिए। इसे कार्यात्मक स्थिरता कहते है। अभिसारी चिन्तन सृजनात्मक के लिए किया जाता है।

अभिसारी चिन्तन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संयोगशील होते है। किसी कार्य में दो या अधिक वस्तुओं के संयोग से नवीनता उत्पन्न होती है। मेडेनिक ने कहा 'अभिसारी चिन्तन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है, जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संयोगशील होते है या किसी अन्य रूप में लाभकारी होते है। नवीन संयोग के विचार जितने कम होगें, चिन्तन उतनी ही कम होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक के विचार आपको प्रेरित करते है, आपको साधारणीकरण के लिए बाधा करते है। यह दो वस्तुओं का संबंध होता है। आप साहचर्य को नहीं देखते किन्तु उसका आनन्द उठाते है।

3. अपसारी चिन्तन (Devergent Thinking) -

अपसारी चिन्तन में जटिलता बढ़ जाती है। यह चिन्तन दूसरों से भिन्न होता है। इसमें सोचने के पर्याप्त अवसर होते है तथा यह सृजनात्मकता का तीसरा पक्ष है। इस चिन्तन का विशेष लक्ष्य होता है। यह चिन्तन सामान्य व्यवहारगत चिन्तन से परे होता है। यह प्रत्येक बालक में भिन्न- भिन्न होता है। अभिसारी चिन्तन में व्यक्ति किसी समस्या को नवीन दृष्टिकोण से समझ कर उसकी मौलिक विवेचन करता है। अपसारी चिन्तन में व्यक्ति मौलिकता तथा नये ढंग से कार्य करने की योग्यता दर्शाता है, जब अधिकांश व्यक्ति परम्परा से हट कर नवीनता लिये होता है। मौलिकता भी एक प्रकार से मुक्त साहचर्य है।

अपसारी चिन्तन व्यक्ति के लिए उपयोगी होते हे। इस कार्य को समाज से मान्यता भी प्राप्त होती है। इसके द्वारा नवीन कार्यो का सृजन होता है और प्रतिभा का विकास होता है। आधुनिक विकास के साथ-साथ मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे है। तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों से नवीन समायोजनात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है तथा नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । इसमें अपसारी चिन्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अपसारी चिन्तन सृजनात्मकता के समानान्तर है। इसमें उत्पादकता का बोध होता है तथा आविष्कार एवं खोज की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रकृति में से नवीनता की खोज करता है।

गिलफोर्ड ने अपसारी चिन्तन के लिए अनेक परीक्षणों का निर्माण किया है। इन परीक्षणों का प्रयोग सृजनात्मकता को जानने के लिए किया जाता है।

अपसारी चिन्तन हेतु गिलफोर्ड ने निम्न तत्व बताये:-

1. असामान्य तथा प्रासंगिक विचारों का सामन्जस्य -

इसमें बालक चिन्तन, तर्क, कल्पना द्वारा प्रासंगिक तथा असामान्य विचारों के साथ सामन्जस्य स्थापित कर लेते है। ऐसे व्यक्ति आत्मनिष्ट हो क्रियाशील हो जाते है।

2. अन्य व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन करना -

तर्क, चिन्तन तथा प्रमाणों के माध्यम से मौलिक एवं तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के विचार विश्वास तथा धारणा में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते है।

3. **तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता** -

ये व्यक्ति तात्कालिक संदर्भ एवं परिस्थितियों के आधार पर उससे आगे जा कर चिन्तन मनन एवं अभिव्यक्ति कर सकते है।

4. समस्या एवं उसके अंश की पुर्नव्याख्या -

गिलफोर्ड ने अपसारी चिन्तन के लिए अनेक परीक्षणों का निर्माण किया जो सृजनात्मकता के परीक्षण में अति उपयोगी पाये गये।

(2) उच्च मूल्यों का निर्माण

उच्च नैतिक मूल्यों की दृष्टि से कुछ प्रतिमानों, अभिवृतियो, आदतों व वस्तुनिष्ठ आचरण के स्तर से कुल गुणों का योग मूल्य है। यह व्यक्तित्व का एक रूप है जो मूल्यों के संदर्भ में किसी परिस्थिति में कार्य व्यवहार से निश्चित होता है।"

न्यूमेयर, एम.एच.

धीरे-धीरे यह आचरण स्थाई भावों का संगठन बन जाता है। स्थाई भाव जनित गुण वातावरण में अभिव्यक्त होते है। विकास काल में व्यक्ति अपनी जन्मजात विलक्षणताओं के आधार पर वातावरण में प्रतिक्रिया करता है तथा अनेक कौशलों, योग्यताओं, क्षमताओं, रूचि, चरित्र एवं आदतों को अर्जित करता है। वातावरण के साथ समायोजन में इनका परिमार्जन भी होता रहता है व नये-नये मूल्यों का सष्जन होता रहता है। यदि ये स्थाई भाव सदैव एक से रहते है तो जीवन मूल्य स्थिर तथा संगठित रूप से व्यक्तित्व को प्रभावित करते है।

मूल्यों के निर्माण में निम्नलिखित घटकों का योगदान रहता है-

1. चरित्र का योग -

व्यक्ति के चरित्र का उसके व्यक्तित्व पर पूरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के मूल्यों के निर्माण में चरित्र का योगदान रहता है व्यक्ति सत्य बोलता है या झूठ, ईमानदार है या नहीं, चोरी की आदत है या नहीं अथवा धोखेबाज है या मददगार है। सभी चारित्रिक गुण व्यक्ति के मूल्यों के निर्धारक होते है। व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से भले ही आकर्षक न हो किन्तु उसके चारित्रिक मूल्य उसे महान बनाते है जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी इत्यादि।

2. व्यक्तित्व में भिन्नता -

अलग-अलग व्यक्तित्व की चारित्रिक विशेषतायें अलग- अलग मूल्यों का निर्धारण करती है और व्यक्तित्व व्यक्तित्व में भिन्नता का कारण बनती है । व्यक्ति में सच्चाई, ईमानदारी, निर्भयता, सहयोग, सहानुभूति आदि गुण व्यक्ति के मूल्य संबंधी धारणाओं के निर्धारक तत्व होते है।

3. सामाजिक मानदण्ड -

प्रत्येक समाज के अपने तौर तरीके, परम्परायें तथा नियम रहते है। इन्ही मानदण्डों एवं नियमों के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। ये कार्य समाज के अनुरूप होते है तो उसके चारित्रिक मूल्यों तथा व्यक्तित्व को प्रभावित करते है। अत: बालकों को वही बातें सिखाई जाती है जो समाज सम्मत हो, जैसे सत्य वचन. चोरी नहीं करना, अहिंसा, परनिन्दा नहीं करना आदि।

4. सामाजिक मान्यता

व्यक्ति में जो भी मूल्य स्थापित होते है वे समाज की अपेक्षा के अनुरूप होने चाहिए। समाज की मान्यता सह तय करती है कि मूल्य सही है अथवा गलत जैसे शान्त स्वभाव, सत्यवृत, धार्मिक आचरण, आज्ञाकारिता, अहिंसा, सेवा, श्रद्धा आदि आचरण नैतिक मूल्यों में आते है।

5. नैतिक मान्यतायें

प्रत्येक समाज की अपनी मान्यतायें होती है जैसे पारसी अग्नि को पवित्र मानते है, जैन अहिंसा में विश्वास करते हैं, हिन्दु सूर्य उपासना, गौ पूज़ा, वृक्षों की पूज़ा करते है, जो इनके नैतिक आचरण को विकसित करते है व जीवन मूल्यों की तरह माने जाते है।

मूल्यों का निर्माण व्यक्तित्व निर्माण के साथ-साथ होता रहता है। मूल्यों के विकास में व्यक्तित्व के व्यवहार में सन्तुलन आता है तथा देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार समायोजन होता रहता है।

इस प्रकार मूल्यों का निर्माण आदतों के अर्जन से गठित होते है तथा संगठित प्रत्ययों के रूप में प्रकट होते है। इस प्रकार एकरूप प्रक्रिया में आधारभूत मूल्य प्रत्ययों तथा विश्वासों, शिक्षाओ द्वारा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किये जा सकता है।

10.8 शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में चिन्तन का विकास

अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक स्वतंत्र रूप से चिन्तन करे। सफल जीवन के लिए सुस्पष्ट चिन्तन की आवश्यकता है(क्रो तथा क्रो)।

विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण दिया जाय कि बालक खुल कर अपने विचार व्यक्त कर सके। बानकों की रूचि एवं जिज्ञासा चिन्तन को बढावा देते है तथा बालकों को उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य देने चाहिए ताकि वे चिन्तन के लिए प्रेरित हो। भाषा का चिन्तन के साथ गहरा संबंध है। अत: भाषा के ज्ञान की वृद्धि पर विद्यालय को ध्यान देना चाहिए।

मरसेल का कथन है कि समस्या की जानकारी तथा उसके समाधान की प्रक्रिया चिन्तन की ही प्रक्रिया है। तथा यही प्रक्रिया सीखने के लिए अपनाई जाती है। बालकों में जितने अधिक ज्ञान की वृद्धि होगी चिन्तन. को उतना ही बढावा मिलेगा। बालक तर्क, वाद-विवाद, समस्या-समाधान समुह में विचार-विमर्श के द्वारा चिन्तन शक्ति बढ़ा सकते हैं तथा रटने की प्रवृति कम कर सकते है। बालक वातावरण के अवलोकन, नये-नये प्रयोगो एवं अनुभवों के द्वारा भी चिन्तन का विकास कर सकते है।

(3) उच्च आत्म प्रत्यय का विकास

प्रत्यय निर्माण के लिए पर्याप्त मानसिक योग्यतायें तथा पूर्ण अधिगम की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक प्रकार के अधिगमों में यह सर्वश्रेष्ठ होती है। मानव विकास कम की श्रेष्ठता प्रत्यात्मक अधिगम से होती है।

प्रत्यय का अर्थ -

डिसेका ने प्रत्यय की व्याख्या करते हुए कहा ' प्रत्यय उद्दीपक का वह वर्ग है जो कि समान विशेषतायें रखता है। " यह उद्दीपक कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि किसी वर्ग से हो सकता है। इसका संबंध किसी व्यक्ति, घटना या वस्तु विशेष से नहीं है। बम्बई में ताज पर उग्रवादी हमला, जवाहरलाल नेहरू, महेन्द्रसिंह धोनी प्रत्यय नहीं हो सकते क्योंकि यह वर्ग नहीं बल्कि एकल है।

जब शिशु किसी वस्तु को देख कर उसके होने का अहसास करता है। यह स्थिति संवेदना की स्थिति कहलाती है। बड़ा होने पर वह उस स्थिति का ज्ञान करता है। यह अवस्था प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। आयु वृद्धि के साथ बालक में कुछ मानसिक क्षमताओं का विकास होता है उसमें चिन्तन, स्मृति, कल्पना आदि का विकास होने पर वह वस्तु तथा घटना का नाम देना, उनका वर्गीकरण करना, उनकी विशेषतायें बताना, उसके विरोधी तत्वों का ज्ञान करने की क्षमता आ जाती है। यह अवस्था ही प्रत्यय निर्माण की अवस्था है। किसी टेबल का फूलदान केवल वस्तु ही नहीं बल्कि वह उसके आकार, रंग, गंध, फूल आदि को पहचान कर उसका नामकरण करने लगता है। यही प्रत्यय निर्माण की स्थिति है।

हेमरटन प्रत्यय को परिभाषित करते हुए कहते है "यह घटनाओं, वस्तुओं तथा व्यक्तियों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभेद, पृथक या वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है।" किसी वस्तु के आकार, रंग-रूप, गुण-धर्म, उपयोगिता के आधार पर पहचान कर उन्हें किसी वर्ग में वर्गीकृत करना ही प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है। को तथा को के अनुसार सामान्यत: किसी शब्द या वाक्य के रूप में या प्रतीक के द्वारा व्यक्ति सामान्यकृत अर्थ को व्यक्त करता है जो अनुभव के पारम्परिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, वही प्रत्यय कहलाता है।

इस परिभाषा के आधार पर प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में पूर्व अनुभवों का पूर्ण योगदान रहता है। रेक्सन ने प्रत्यय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि 'प्रत्यय से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिसका संबंध उन वस्तुओं के या घटनाओं के ऐसे वर्ग से होता है जिनमें उभयनिष्ट विशेषतायें पाई जाती है। ' इस प्रकार प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति, वस्तु या घटनाओं आदि के मध्य पाई जाने वाली समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर उन्हें एक विशेष वर्ग में रख कर उनकी पहचान करने या उनके आधार पर सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया ही प्रत्यय है।

उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर प्रत्यय में निम्नलिखित विशेषतायें पाई जाती है-

1. प्रत्यय कोई एक उद्दीपक न होकर उद्दीपकों का एक वर्ग होता है।
2. नवीन परिस्थितियों में पूर्व-अनुभवों का प्रयोग प्रत्ययों के द्वारा होता है।
3. प्रत्ययों के द्वारा विभिन्न इन्द्रियजन्य प्रदतों में समन्वय स्थापित किया जाता है।
4. प्रत्यय प्रत्यक्ष रूप से कोई संवेदी प्रदत्त नहीं है अपितु उसके विस्तार तथा उसके योग का परिणाम है।

5. अर्जित प्रत्यय निष्क्रिय अवस्था में स्मृति में बने रहते है तथा वांछित उद्दीपक प्राप्त होने पर वे सक्रिय हो जाते है।
6. प्रत्यय चयनात्मक कारकों का प्रतिनिधित्व करता है
7. प्रत्यय प्रांसगिक क्रियाओं को निर्देशित करता है।
8. प्रत्यय प्रतीकात्मक होते है। जिसका संबंध किसी उद्दीपक वर्ग से होता है।
9. प्रत्यय एक मानसिक प्रणाली के रूप में कार्य करते है।
10. उद्दीपक की जटिलता प्रत्यय-निर्माण को प्रभावित करती है।

आत्म प्रत्यय का विकास -

व्यक्तितत्व के विकास में जो विभिन्न प्रभाव पडते है इन्ही प्रभावों के कारण व्यक्ति में 'स्व (आत्मिक प्रवृति) का विकास होता है। क्योंकि-व्यक्तितत्व तथा उसके मूल्य 'स्व' पर निर्भर करते है। एक व्यक्त जिस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करता है अथवा जिस ढंग से अपने को देखता है, उसे ही हम उस व्यक्ति का आत्म-प्रत्यय कहते है। उस वातावरण के भाव को जिसमें वह सम्मिलित रहता है, आत्म-प्रत्यय कहते है, और बाकी के वातावरण को जिसके संबंध में वह जानता है अथवा प्रतिक्रिया करता है प्रत्यक्ष वातावरण कहते है।

आत्म-प्रत्यय वह है जैसा कि व्यक्ति अपने विषय में जानता है । यह 'मैं' है। आत्म तथा स्व में, आत्म प्रत्यय तथा वातावरण के तत्व होते है, जिन्हें व्यक्ति अपने में आत्मसात करता है- 'मेरा परिवार, 'मेरा घर, 'मेरा विद्यालय' इत्यादि। आत्म प्रत्यय, प्रत्यक्ष वातावरण में सम्मिलित होते है। इसको व्यक्ति का आत्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र या जीवन-स्थल कहते है।

एक शिशु के प्रारंभ में संवेदना अस्पष्ट तथा अव्यवस्थित होता है। आयु के साथ उनमें भेद होने लगता है। और बालक जैसे-जैसे बड़ा होता है, वह एक आत्म संरचना कर लेता है। वह आत्म-प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यक्ष आत्म तथा प्रत्यक्ष वातावरण की धारणा ग्रहण करता है।

अपने संबंध में प्रत्यक्षीकरण परिपक्वता के साथ बदलते रहते है क्योंकि बालकों का व्यवहार अपने परिवेश के प्रत्यक्षीकरण से निर्धारित होता है। जैसे ही उसका प्रत्यक्षीकरण बदल जाता है, व्यवहार भी उसी प्रकार बदल जाता है। आत्म-प्रत्यय परिपक्वता से संबंधित होता है। आत्म-प्रत्यय विकास हेतु शिक्षक को उसके परिपक्व होने तक इन्तजार करना पड़ता है। इसके द्वारा बालकों की दुश्चिन्तायें तथा विफलतायें दूर की जा सकती है।

अनुशासनहीनता, आलस्य, कमजोरी, सेवा भाव का अभाव एवं भ्रष्टाचार आदि व्यक्तियाँ आत्म-प्रत्यय पर ही निर्भर है जिनका विकास बाल्यपन से ही होना प्रारंभ हो जाता है। अत: शिक्षक को चाहिए कि अपने विद्यार्थियों में ऐसे आत्म के प्रति प्रत्यय विकसित कराने के लिए प्रयास करें जो सकारात्मक तथा स्वस्थ हो।

बुक ओवर तथा थामस ने अपने अध्ययन में पाया कि आत्म-प्रत्यय तथा निष्पति से विधियात्मक सहसंबंध है। अत: बच्चों में अच्छी निष्पति प्राप्त करने में तथा योग्यता बढ़ाने में आत्म-प्रत्यय एक महत्वपूर्ण तथ्य है योग्यता के संबंध मे अपनी धारणा उच्च हो तो निष्पति भी उच्च होती है।

शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि बालकों के समक्ष ऐसे उद्देश्य रखें जो वास्तविक हों तथा उसकी योग्यता के अनुरूप हो। वर्तमान में बालकों के सम्मुख ऐसे उद्देश्य रखे जाते है जो

वास्तविकता से दूर तथा योग्यता से अधिक आकांक्षा पर टिके होते है। यह विफलता की भावना को बढ़ाते है। विफलता ऐसी आत्म-प्रत्यय को जन्म देती है जो कि नकारात्मक, अस्वस्थ एवं असामाजिक है और उनके व्यक्तित्व को बहुत हानि पहुँचाती है।

10.9 शैक्षिक महत्व (विद्यालय तथा आत्म-प्रत्यय)

मानववाद के अनुसार शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य यह है कि बालक को यह सहायता दे सके कि वह अपने प्रत्यक्षीकरण सही दिशा दे सके। वह वर्तमान तथा भविष्य को अधिक समृद्ध बना सके। अपने आत्म को संसार के समानुगत दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में खोज सके।

विद्यालयों को खुलेपन के पोषण के लिए चेष्टा करनी चाहिए, क्योकिं यह आत्मपूर्ति के लिए अनिवार्य है। उन सभी शैक्षिक अभ्यासों को दूर करना चाहिए जो संकीर्णता को बढावा देते है। हमें निश्चित पाठयक्रम,निरंकुश शासन, न प्राप्त होने वाले स्तर को हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यालयों में विद्यार्थियों को यह प्रत्यक्षीकरण करने में सहायता देनी चाहिए कि सीखने के अनुभव उसे अच्छा बनने में सहयोग दे सके।

10.10 आत्म-प्रत्यय का विद्यार्थियों के लिए योगदान

आत्म-प्रत्यय का छात्रों में विकास, प्रध्यापक के माध्यम से होता है। अध्यापक का व्यक्तित्व, उसकी शिक्षण प्रक्रिया, उसके व्यक्तिक संबंध विद्यार्थियों को प्रभावित करते है। अत: वह विद्यार्थियों के आत्म को प्रभावित करते है। अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय-वस्तु की जीवन में उपयोगिता पर भी बल देता है जो कि विद्यार्थियों के आत्म प्रत्यय को विकसित करने में सहायक होता है।

शिक्षक पाठ्यक्रम में सम्मिलित ज्ञान, कौशल, बोधगम्यता, को विभिन्न विषयों के माध्यम से उनके प्रत्ययों का विकास करता है तथा विषयों की जीवन में उपयोगिता पर भी ध्यान कराता है जो कि बालकों के आत्म प्रत्यय को व्यवहारिक रूप प्रदान कराता है। विद्यालय का सम्पूर्ण पर्यावरण विद्यार्थियों को ज्ञान, अभिवृतियो और मूल्यों को वास्तविक योग्यता के योग्य बना सकता है। इस हेतु अध्यापक विद्यार्थियों को क्या करें? कैसे करें आदि के अधिगम अनुभव प्रदान कराता है। विद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों को अपनी सफलताओं, असफलताओं, शक्तियों, दुर्बलताओं, अवसरों व आकाँक्षाओ को सही प्रकार से पहचानने की योग्यता विकसित करनी चाहिए जो आत्म-प्रत्यय निर्माण के मूल तत्व है।

विद्यालय में शिक्षण एक सामुहिक प्रक्रिया के रूप में होता है। बालकों के अन्तर-वैयक्तिक संबंध, प्रभावपूर्ण सम्प्रेषण तथा समुह में कार्य करने जैसे सामाजिक कौशलों एवं दक्षताओं के पर्याप्त अवसर प्रदान कराता है। इन सामाजिक कौशल विद्यार्थियों को आत्म प्रतिष्ठा प्रदान करते है। जिसके परिणाम स्वरूप आत्म-प्रत्यय का निर्माण होता है। शिक्षा का आयोजन बालक को समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए किया जाता है। यदि विद्यार्थी इस भूमिका निर्वाह में सफल होता है तो उसका आत्म-प्रत्यय उच्च-स्तरीय हो जाता है। इसके लिए छात्रों में निर्णय लेने, समस्या समाधान करने जैसी कुशलतायें विकसित की जानी चाहिए।

आत्म-प्रत्यय निर्माण में सहक्षैणिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक क्रियाओ, परिचर्चाओं, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान क्लब आदि के द्वारा विद्यार्थियों में ज्ञान, अभिवृति, अभिरूचि, सम्प्रेषण, व्यवहारिक कुशलतायें आदि का विकास किया जा सकता है। अध्यापक को समय-समय

पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देशन भी देने चाहिए। विद्‌यार्थियों को असफलताओं, निराशा, तनाव, कुण्ठा एवं मानसिक अवरोधों से बचा कर उनमें आत्म संबंधी धारणाओं का विकास किया जा सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की चर्चायें तथा अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था द्‌वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रभावशाली प्रयत्न कराये जा सकते है।

इकाई 11

विशेष आवश्यकता युक्त बच्चे
(Children with Special Needs (CWSN)

इकाई की संरचना

11.0 उद्देश्य
11.1 प्रस्तावना
11.2 विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों की विशेष शिक्षा
11.3 विकलांगता
11.4 विकलांगता के प्रकार
11.5 विकलांगता की पहचान
11.6 विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा
11.7 विभिन्न स्तरों पर विकलांगताओं की शिक्षा में सुविधा
11.8 विकलांगता पुनर्वास के लिए अधिनियम
11.9 सारांश
11.10 संदर्भग्रंथ

11.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों को पहचानने में सक्षम होंगे।
- विकलांग बच्चों को परिभाषित करने एवं पहचानने में सक्षम होंगे।
- विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास के संबंध में वर्णन कर सकेंगे।
- विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न जरूरतों को पहचानने एवं उसका प्रबंध करने में सक्षम होंगे।
- विकलांग बच्चों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने में सक्षम होंगे।

11.1 प्रस्तावना

जब हम विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों की बात करते हैं, तो हमारे जेहन में एक साथ वे सभी बच्चे आते हैं. जो किसी न किसी प्रकार से विशेष हैं, अत: उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए विशेष प्रकार की मदद एवं व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहले जरूरत है विशेष आवयश्कता वाले बच्चों को समझना तथा उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न आयामों का निर्धारण करना। जैसे - इनका किस प्रकार से पालन-पोषण करना चाहिए, इनके लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए इत्यादि। इसके अतिरिक्त विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों को समझने के लिए हमें इनके विभिन्न प्रकारों

को जानना होगा, इनके पहचान करने की विधियों को समझना होगा, साथ ही इन्हें पहचान कर विभिन्न सुविधाओं एवं माध्यमों के द्वारा इन्हें पूर्ण सबल बनाना भी हमारा कर्त्तव्य होना चाहिए।

इसके अतिरक्ति हम जब भी विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों की बात करते है, तो सबसे पहले जो हमारे सामने तस्वीर उभरती हैं, वह है, विकलांग बच्चों की। अत: इस इकाई में हम विकलांगता, उसके प्रकार, विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास के विभिन्न आयामों की जानकारी प्राप्त करेंगे। विकलांगता एक ऐसा विषय है, जो विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों की श्रेणी में आने वाले बच्चों के एक बड़े समूह की ओर इंगित करता है। अत: विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में हम आगे इस इकाई द्वारा अवगत होंगे। जैसे - विकलांगता के विभिन्न प्रकार, इनको पहचान करने की विधियाँ, इनकी शैक्षिक जरूरत, इनकी शैक्षिक जरूरत को पूरा करने में शिक्षक की भूमिका। इनकी शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाएँ इत्यादि।

11.2 विशेष आवश्यकता युक्त बच्चे

विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों को परिभाषित करने की कोशिश विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाशास्त्रियों ने किया है। हीवर्ड (1996) (Heward) के अनुसार ' 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' ' की श्रेणी में वे आते हैं, जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है, या जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यन्त उच्च कोटि का होता है या जिन्हें विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक, व्यवहारात्मक सामाजिक एवं मानसिक समस्याएँ जकड़ लेती हैं, अथवा जो विभिन्न प्रकार की शारीरिक एव मानसिक विकलांगता से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक विद्वानों ने विशेष आवयश्कता युक्त बच्चों को समझने का प्रयास किया है।

यहाँ हम कुछ विद्वानों के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को समाहित करते हु ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्वरूप की कुछ हद तक व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक, संवेगात्मक या व्यवहारपरक विशेषताओं एवं लक्षणों के कारण किसी सामान्य या औसत बच्चों से भिन्न होते हैं, अथवा उन्हें अपनी योग्यताओं एवं शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए परम्परागत शिक्षण एवं अधिगम विधियों में परिमार्जन या विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इस श्रेणी में विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, जैसे - शारीरिक रूप से अक्षम, सृजनशील, प्रतिभाशाली, मन्दबुद्धि, बाल अपराधी, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, विकलांग इत्यादि सम्मिलित हैं। इन बालकों की विभिन्न श्रेणियों में इस इकाई में हमारा तात्पर्य विकलांगता ग्रस्त विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों के बारे में चर्चा करने से है। अत: आगे आने वाली चर्चा में हमारा संदर्भ विकलांगता युक्त बच्चे है, जिनकी शिक्षा एवं पुनर्वास के विभिन्न आयामों की जानकारी हम धीरे धीरे इस इकाई में प्राप्त करेंगे।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 1

1. विशेष आवश्यकता युक्त बच्चे के विषय मै आप अपने विचार प्रकट कीजिए।

11.3 विशेष आवश्यकता युक्त बच्चे के लिए विशेष शिक्षा

विशेष आवश्यकता युक्त बच्चे, सामान्य शिक्षण-अधिगम पद्धतियों एवं शिक्षा व्यवस्था से लाभ ले सकने में कठिनाई महसूस करते हैं, अत: यहाँ पर समुदाय का यह कर्तव्य हो जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जैसे - एक अंधविकलांग बालक अपनी अंधविकलांगता के कारण सामान्य वर्ग में पढ़ने-लिखने तथा अन्य क्रियाओं में काफी कठिनाई का सामना करता है, तथा समायोजन में भी कठिनाई होती है। अत: ऐसे बच्चों के लिए अलग प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिसकी पृष्ठभूमि में पुनर्वास होता है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है, जिसमें विशेषज्ञों की सेवाएँ भी ली जाती है । जैसे - मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक, चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक इत्यादि । इस प्रकार की विशेष शिक्षा व्यवस्था से ऐसे बच्चे खासकर विकलांगता ग्रस्त बच्चों को कुण्ठा एवं निराशा से बचाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपनी योग्यताओं एवं समताओं के अनुरूप विकास कर सकें, इसके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा ऐसे बच्चों को उत्पादक एवं आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 2

1. विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों के विभिन्न प्रकार लिखे ।
2. विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए पाँच मुख्य बिन्दुओ का वर्णन करे।

11.4 विकलांगता

विकलांगता को समझने से पहले, हमें इससे मिलते जुलते दो अन्य प्रत्यय, यानि दोष एवं अक्षमता को समझना अति आवश्यक है। इन तीनों शब्द का उपयोग हम विकलांगता के संदर्भ में करते हैं, जबकि तीनों शब्दों का अर्थ हम विकलांगता के संदर्भ में करते हैं, जबकि तीनों शब्दों का अर्थ भिन्न है, और ये तीनों एक-दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्गीकरण के अनुसार :-

दोष का तात्पर्य आंगिक संरचना एवं कार्य की असमानता से है, जैसे असामान्य कर्ण संरचना एवं श्रवण प्रणाली।

अक्षमता का तात्पर्य - दोष के कारण उत्पन्न कार्यात्मक बाधा से है, यानि किसी दोष के कारण उस अंग की कार्य करने की क्षमता का अभाव, जैसे - श्रवण प्रणाली में दोष के कारण ध्वनी को सुनने में अक्षम या बोलने में अक्षम इत्यादि।

उपर्युक्त दोनों से अलग विकलांगता एक प्रकार का अनुभव है, जो व्यक्ति किसी दोष या अक्षमता के कारण सामाजिक एवं मानसिक रूप से अनुभव करता है। जैसे - एकाकीपन अक्षमता के कारण सामाजिक भेदभाव। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकलांगता व्यक्ति द्वारा किया गया अनुभव है, जिसमें व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक दोनों अवस्थाओं का योगदान होता है।

विकलांगता के क्षेत्र में, दोष (Impairment) अक्षमता (Disability) एवं विकांगता (Handicapes)का अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 1960 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्गीकरण का मैनुअल प्रथम बार रोगों के संदर्भ तथा इससे उत्पन्न परिणाम के रूप में कराता है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि "विकलांगता का तात्पर्य अवसर के अभाव से है, जिसके कारण व्यक्ति समाज या समुदाय में बराबरी के आधार पर भाग नहीं ले सकता। इसका मुख्य कारण है व्यक्ति के वातावरण में कई कमियाँ जिनके कारण व्यक्ति किसी कार्य के निष्पादन में अपने को सक्षम नहीं समझता है। इन कमियों के मुख्य कारण हैं - सूचना, संचार एवं शिक्षा, जो विकलांग व्यक्ति को समान भागीदारी से वंचित करती है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 3

1. विकलांगता की सार्थक विवेचना कीजिए।

11.5 विकलांगता के प्रकार

निःशक्त व्यक्ति पूर्ण भागीदारी एवं समान अवसर अधिनियम 1995 के अनुसार "विकलांग व्यक्ति का आशय है कि व्यक्ति 40 प्रतिशत विकलांगता से ग्रस्त हो, जिसका प्रमाणीकरण चिकित्सक द्वारा किया जात है। इन अधिनियम के अनुसार विकलांगता के अन्तर्गत निम्नलिखित अक्षमता वाले व्यक्ति को रखते हैं।

1. अंधापन (Blindness) :-

पूर्ण अंधापन की स्थिति का तात्पर्य है - रोशनी का पूर्णत: अभाव। चिकित्सा विज्ञान के आधार पर अंधापन 20/200 सीमा के अतिरेक के अनुसार पर परिभाषित किया गया है, अर्थात् एक सामान्य व्यक्ति किसी वस्तु को 20' या 200 फीट अथवा उससे कम स्पष्ट रूप से देख सकता है।

2. अल्प दृष्टि (Blindness) :-

वे बालक या व्यक्ति जो अपनी दृष्टि को कुछ उपचार व चश्में स्मदेमेद्ध के उपयोग से अपनी सीखने की प्रक्रिया में कर सकते हैं, उन्हें अल्प दृष्टि विकलांग कहते हैं।

3. कुष्ठ रोग विकृत (Leprosy Cured Person) :-

वैसे कुष्ठ रोग विकृत व्यक्ति जिसका रोग ठीक हो गया हो, परन्तु निम्नलिखित लक्षण विद्यमान है -

क. हाथ व पैरों में संवेदना का अभाव एवं आँखों में शून्यता का भाव।

ख. हाथों एवं पैरों में विकृति, परन्तु गति में कोई कठिनाई नहीं, जिसके कारण वे आर्थिक

ग. उपार्जन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

घ. शारीरिक, विकृति एवं बढ़ती उम्र व्यक्ति को किसी भी व्यवसाय में जुड़ने से रोकती है।

4. गति विषयक विकलांगता (locomotor Disability) :-

इसका तात्पर्य हडिड्यों, जोड़ एवं मासपेशियों में बाधा से है। इसके कारण व्यक्ति की गति संबंधी क्रियाओं में रूकावटे उत्पन्न होती हैं।

5. श्रवण विकलांगता (Hearing Disability) :-

श्रवण क्षमता में 6० डेसीबल अथवा उससे अधिक का अभाव।

6. मानसिक रोग (Mental Illness) :-

कोई भी मानसिक बीमारी जिसमें मानसिक मंदता शामिल नहीं है।

7. मानसिक मंदता (Mental Retardation) -

अनुकूलन क्षमता का अभाव, जिसका मुख्य कारण मन का अपूर्ण विकास होता है,मानसिक मंदता कहलाता है।

शैक्षिक दृष्टि से विकलांगता को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं :-

1. अंधापन अथवा अंधविकलांगता :-

चिकित्सा विज्ञान में अंधविकलांगता का तात्पर्य नेत्रों से कुछ भी न देख पा सकने की स्थिति से है। शैक्षिक दृष्टि से अंधापन एक ऐसी विकलांगता है, जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आशिक रूप से संभव न हो सके। इसके अंतर्गत दो प्रकार के अंध विकलांग अति आवश्यक हैं।

क. पूर्ण अंधापन (Blind) :-

इसके अंतर्गत वे व्यक्ति या बच्चे आते हैं, जो जन्म से ही पूर्ण रूप से अंधे होते हैं या अल्पायु में ही पूर्ण या आशिक रूप से अंधे हो जाते है। ऐसे बालक सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ नही पढ़ सकते है।

ख. आशिक या अल्प दृष्टि (Partially Blind) -

ऐसे व्यक्ति या बच्चे जो उपकरण एवं चश्मे की सहायता से अधिगम प्रक्रिया में भाग ले सकते है।

2. श्रवण विकलांगता (Hearing Disabled) :-

श्रवण संवेदना भाषा विकास का मुख्य मार्ग है। श्रवण क्षमता का अभाव होने पर बच्चे की शाब्दिक अभिव्यक्ति का विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से श्रवण विकलांगता एक ऐसी शारीरिक अयोग्यता है, जो बच्चे को मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति एवं भाषा के विकास के लिए श्रवण विकलांग बच्चों को अलिखित एवं विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता होती है।

श्रवण विकलांगता निम्नलिखित अवस्थाओं में हो सकती है :-

क. जन्मपूर्व श्रवण विकलांगता (Congenial Deaf)

ख. जन्म पश्चात् श्रवण विकलांगता (Adventitionaly Deaf)ई

ग. भाषा विकास पूर्ण श्रवण विकलांगता (Pre- Lingual Deaf) :-

इस प्रकार की श्रवण विकलांगता बच्चों के भाषा विकास प्रारंभ होने से पूर्व हो जाती है।

घ. भाषा विकासोपरान्त श्रवण विकलांगता (Post Lingual Deaf) -

इस प्रकार की विकलांगता बच्चों में भाषा विकास होने के बाद प्रारंभ होती है, एवं उम्र के साथ-साथ बढ़ती जाती है।

3. अस्थि विकलांगता (Orthopaedie Disabled) :-

अस्थि विकलांगता का तात्पर्य हडिड्यों में, गति में बाधा, गति कौशल का निम्न विकास तथा गति अंगों में विकृति से है। इस विकलांगता से पीडित व्यक्ति, औसत व्यक्ति की तुलना में शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं। इन्हें सामान्य कार्यकलापों को करने में बाधा महसूस होती है। इस विकलांगता में मुख्य प्रकार निम्नलिखित है।

क. जन्मजात दोष (Congenital) :-

ऐसे बच्चे या व्यक्ति, तंत्रिकाओं या पेशियों व हडिड्यों में दोष होने के कारण अथवागर्भकाल में दोषपूर्ण विकास के कारण जन्म से ही विकृत शारीरिक अंगों के होते है, जिनके कारण सामान्य शारीरिक विकास में बाधा तथा अधिगम में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है।

ख. दुर्घटना एवं बीमारी के कारण दोष :-

दुर्घटना एवं बीमारी के कारण भी बच्चे की अस्थि, जोड़ों तथा पेशियों में विकृति आ जाती है। पुरानी बीमारी के कारण भी बालक की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है।

ग. स्नायुविक दोष (Neural Disorder) :-

यह दोष विभिन्न कारणों से होता है, जिनमें मुख्य है- शरीर में ऑक्सीजन की कमी, विषाक्त भोजन अथवा ऐसी दवा का सेवन, पोलियों इत्यादि प्रमुख हैं। इस दोष के कारण मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता, मिरगी, रीढ़ की हडिड्यों में विकृतता, पोलियो ग्रस्तता इत्यादि ज्यादा देखने को मिलती है।

4. प्रमस्तिकीय क्षति :-

प्रमस्तिकीय क्षति के कारण बहु विकलांगता की अवस्था पायी जाती है। इससे पीड़ित बच्चा या व्यक्ति अंग संचालन में असंतुलन के साथ-साथ ठीक से बोलने, सुनने और समझाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इन्हें अधिगम प्रक्रिया में भी काफी समय लगता है।

5. मानसिक मंदता (Mental Retardation) :-

मानसिक मंदता, मानसिक अक्षमता या मानसिक न्यूनता, सभी एक जैसे शब्द हैं, परन्तु इनमें मुख्य समानता यह है कि ये परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन करने में असमर्थ होते है। 1937 के अनुसार ' 'मानसिक मंदता अपूर्ण मानसिक विकास की स्थिति है, जिसके कारण व्यक्ति सामान्य परिवेश में अपने आप को अनुकूलित करने में असमर्थ पाता है। अमेरिकन एसेसियेशन ऑफमेन्टल डिसक्रिपेन्सी ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि मानसिक मंद व्यक्ति सामान्य से न्यून बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।

6. अधिगम अक्षमता (Learning Disability) -

अधिगम अक्षमता एक सामान्य शब्द है, जो कई प्रकार की विकृतियों को इंगित करता है। इस अक्षमता के कारण व्यक्ति या बच्चा बोलने, सुनने, समझने, पढ़ने-लिखने तथा गणितीय योग्यता में कठिनाई अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक कौशलों का भी अभाव पाया जाता है। ये कठिनाईयाँ आंतरिक होती हैं जिसका सम्भावित कारण केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में कार्यात्मक बाधा हो सकती है।

अधिगम अक्षमता किसी भी विकलांगता की अवस्था के साथ हो सकती है। जैसे -

मंदबुद्धि, सामाजिक एवं संवेगात्मक परेशानी इत्यादि।

इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषमता, मनोगनित कारक खासकर एकाग्रता विकृति इत्यादि भी अधिगम अक्षमता को उत्पन्न करने में सहायक है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 1

1. विकलांगता के मुख्य प्रकारो को लिखे एव उनकी वस्तुनिष्ठ विशेषताओ को लिखे।
2. श्रवण विकलांगता की उत्तन्न होने की विभिन्न अवस्थाऑं को लिखे।
3. अधिगम अक्षमता से प्रभावित होने वाले मुख्य क्रियाओ को लिखे।

11.6 विकलांगता की पहचान

विकलांगता की पहचान उसके पुनर्वास की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। मुख्यत: विकलांगता की पहचान अंग विशेष की क्रिया में बाधा या रूकावट आने से पहचानी जाती है। इकाई के इस भाग में हम लोग विभिन्न प्रकार की विकलांगता को औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों से कैसे पहचान करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे।

इस संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि जहाँ रोकथाम संभव नहीं हो, वहाँ निदान महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ निदान संभव नहीं हो, वहाँ पुनर्वास महत्त्वपूर्ण हो जाता है। अत: विकलांगता की पहचान इस पुनर्वास प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

विभिन्न विकलांगताओं की पहचान, निम्नलिखित लक्षणों के सहारे की जा सकती है।

श्रवण विकलांगता :-

बहरापन ऐसा दोष है, जिसे देख कर भांपना मुश्किल है। बच्चे / व्यक्ति में बहरेपन की पहचान करने के लिए इन पर निरन्तर गौर करते रहना बेहद जरूरी है। श्रवण दोष की पहचान की प्रक्रिया एक आयु समूह से दूसरे आयु समूह में अलग-अलग होती है। बच्चे शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से वृद्धि करने के साथ-साथ ध्वनियों के प्रति भी अपनी व्यवहारगत प्रतिक्रिया दर्शाने लगते हैं और जो समय के साथ-साथ अधिक जटिल हो जाती है। ये व्यवहार बच्चे के परिपक्वतता के स्तर और बच्चे की आयु पर आधारित होते हैं। शैशावस्था के दौरान, श्रवण संबंधी व्यवहार, वाक् कौशल एवं भाषा संबंधी विकास की समझबूझ, श्रवण दोष को पहले से भांपने में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती है।

शिशुओं में श्रवण संबंधी व्यवहार, वाक् एवं भाषा कौशलों का विकास

आयु समूह	श्रवण संबंधी प्रतिक्रिया	वाक् एवं भाषा विकास
शिशु के जन्म से 3 माह का समय	यदि शिशु सोया हो और इस दोरान जोर से ताली या घड़ी का अलार्म बजाया जाये तो वह ऐसी तेज आवाज से यकायक उठ जायेगा या हिलेगा-डुलेगा या नींद से उठने लगेगा।	शिशु को गूं, गूं (cooing sounds) और ग ग (gurgle) की आवाज सुनने में मजा आता है। और तेजी से रोनेलगता है।
3 माह से 6 माह	इस आयु में बच्चा अपनी माँ की आवज पहचानने लग	बच्चा बार बार दा ... दा ... बा... बा... कहता है।

	जाता है । वह माँ की आवाज सुनकर मुस्कुराता है और उस समय वह जो कुछ भी कह रहा होता है, सब छोडकर आवाज की ओर ध्यान देता है, खासतौर पर मीठी-मीठी या नई आवाजें बना-बना कर उसे सुनाई जाती है।	
6 माह से 9 माह	इस आयु में बच्चा उस ओर अपना सिर घुमा लेता है जहाँ से उसे आवाज सुनाई पड़ती है और इस उसका लगातार नयी आवाजों है की ओर ध्यान देना बना रहता है	बच्चा तरह-तरह की आवाजें बोलता है और तुतलाता है। वह बड़ों की आवाज की तरह नकल करने का प्रयास करता। वह अपनी संवेदनात्मक संतुष्टि या असंतुष्टि व्यक्त। करने के योग्य होता है।
9 माह से 18 माह	जब हम बच्चे को पुकारते हैं तो वह हमारी ओर देखता है। वह 'न' शब्द के अर्थ को समझने लगता है। साधारण वाक्यों पर प्रतिक्रिया भी करता है जैसे 'मुँह खोलो' 'ऑखें बंद करो' और इसी तरह के छोटे-छोटे अन्य वाक्यों को समझता है।	वह दूसरों का ध्यान अपनी ओर केन्द्रित करने के लिए अब कुछ-कुछ कहने लगता वह है। इस आयु में किसी भी समय उसका कोई भी पहलाशब्द सुनने को मिलता है। हम जो बोलते हैं, वह इसे दोहराने का प्रयास करता है। 18 माह की आयु में बच्चे का शब्द ज्ञान धीरे-धीरे बढ़ने लगता है।
18 माह से 2 वर्ष	इस आयु में जब हम बच्चे को जो भी आदेश देते हैं तो वह उसे मानता है, जैसे यदि हम उसे कहते हैं कि 'गेंद हमें दो' तो वह गेंद हमारी ओर फेंक है। वह कुछ वस्तुओं के नाम बताता है, जिनकी ओर हम इशारा करते हैं ।	वह शब्दों को वाक्यों में जोड़ने के योग्य बन जाताहै। वह कुछ सामान्य पशुओं,फलों आदि के नाम ले सकता है । वह उन वस्तुओं का लेकर, विशेषण और क्रिया विशेषण के प्रयोग से इनका वर्णन करता है जैसे बड़ा /ज्यादा /सुंदर आदि का प्रयोग।

कुछ बच्चों में श्रवण दोष के साथ कुछ अन्य विकृतियाँ भी होती है - जैसे होंठ और तालु का फटे होना (cleft lip & palate)बाहरी कान का न होना, कान का छोटा होना (low set ears)। कुछ बच्चे, उचित आयु में चल-फिर नहीं पाते और ऐसी समस्याओं के कारण वे अपनी आयु के अनुकूल मानी जाने वाली ध्वनियों को पहचान नहीं पाते। यदि हम बच्चें में आयु-अनुकूल ध्वनियों के प्रति दी जाने वाली प्रतिक्रिया को नहीं देख पाते या बच्चें में ऐसी प्रतिक्रिया देरी से पनपती है या बच्चा अपनी आयु के हिसाब से सही आयु में बोल नहीं पाता

तो हमें तुरंत श्रवण विज्ञानी नकपवसवहपेजद्ध से जरूरी सलाह लेनी चाहिए। श्रवण दोष के लक्षण हैं

- ध्यान से सुनने के लिए सिर को एक तरफ मोड़ लेना
- निर्देशों का अनुसरण न कर पाना
- बोलने वाले के होठों पर ध्यान केन्द्रित करना
- अध्यापक को जरूरी हिदायतों, प्रश्नों आदि को दोहराने के लिए निवेदन करना
- समूह चर्चाओं में भाग लेने से हिचकिचाना
- सुनने और देखने से जुड़ती सक्षमताओं के बीच उचित तालमेल का अभाव
- कानों में स्राव बहने का इतिहास
- कक्षा में ध्यान केन्द्रित न हो पाना
- किसी बात को समझाने में कठिनाई महसूस करना
- पढ़ने और लिखने में कठिनाई महसूस करना
- वाक् एवं भाषायी कौशलों का विकास

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 8

1. श्रवण दोष के लक्षण है।

अस्थि विकलांगता की पहचान

- बच्चे को भुजाओ को सिर से ऊपर तक उठाने को कहना।
- बच्चे को दोनों टांगों पर एकदम सीधे खड़ा होने को कहना।
- दोनों टांगों में से प्रत्येक पर सीधा खड़ा होने को कहना।
- किसी जगह के किनारे किनारे पर सीधा चलने को कहना।
- बच्चे को फर्श पर पड़ी किसी छोटी सी वस्तु को उठाने को कहना।
- बच्चे को कुछ कदमों की दूरी तक दौड़ने को कहना।
- यदि बच्चा, चलने-फिरने संबंधी किसी शारीरिक दोष से ग्रस्त है तो वह उपर्युक्त एक या एक से अधिक गतिविधियों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के योग्य नहीं होगा।
- जन्म के समय किसी असामान्यता का इतिहास (Abnormal Birth History)
- संभवतवा जन्म से पहले या जन्म के समय शिशु को कोई चोट लगी हो या प्रसव के दौरान रक्तस्राव हुआ हो या शिशु ने जन्म के कॉफी समय बाद रोना शुरू किया हो।
- जन्म के समय या बाद में शिशु के सिर पर चोट का लगना।
- मेनिंगजाइटिस, मस्तिष्क शोथ (Encephalitis) मस्तिष्क में सूजन आदि जैसे संक्रमणों की भी जाँच करना।

शारीरिक दोष की पहचान के लिए शिशु मे निम्नलिखित लक्षणों पर गौर किया जाना चाहिए -

- देह भागों का न होना विकृत होना
- हाथों पैरों के बीच अनुचित तालमेल
- कुछ विशिष्ट लक्षणों का सही आयु में नजर न आना

निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण लक्षणों के लिए शिशु पर गौर करें। यदि ये सही-सही समय पर गौर नहीं आते तो शिशु को तुरंत चिकित्सक को दिखाना अत्यंतआवश्यक है :-

गर्दन सीधी रखता	-	3 माह
बैठना	-	6 माह
खड़े होना	-	9 माह
चलना	-	1 वर्ष

- माँसपेशियों की असामान्य हरकत - माँपेशियों का ढीला या सख्त होना

स्वमूल्यांकन प्रश्न -

1. बच्चों के किन लक्षणों के अभाव मै हमे चिकित्सक से परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ती है।

दृष्टि विकलांगता की पहचान :-

नीचे कुछ ऐसे लक्षणों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर अभिभावक, शिक्षक या संरक्षक, बच्चों में दृष्टिदोष का पता लगा सकते हैं।

व्यवहार -

- बच्चे का बार-बार आँखों को मलना
- बच्चे का एक आँख को बंद ढक कर देखना
- बच्चे को पढ़ाई में कठिनाई महसूस होना
- आँखों को बार-बार झपकना या किसी भी चीज पर नजर टिकाते समय परेशानी महसूस करना
- बच्चे का पुस्तक को आँखों के बेहद नजदीक लाकर पढ़ना
- बच्चे का दूर-दराज की चीज को स्पष्ट रूप से न देख पाना
- देखते समय बच्चों का पलकों को एक साथ तिरछा करना या पलकों पर सिलवटें डालना

शारीरिक लक्षण :

- आँखों में तिरछापन
- पलकों का फूला / सूजा हुआ नजर आना
- आँखों में जलन मसूस होना या आँखों से निरंतर पानी बहना
- निरंतर एक ही का से देखना

बच्चे को महसूस होने वाली परेशानियाँ -

- बच्चे का आँखों में जलन महसूस करना या बार-बार आँखों को मलना
- बच्चे का किसी भी चीज को भली-भाँति न देख पाना
- बच्चे को सिर दर्द की शिकायत महसूस होना, उसे चक्कर आना या मतली महसूस होना और इन्हीं वजहों से बच्चे का नेत्र आधारित कार्यो को न कर पाना
- आँखों के सामने दो-दो तस्वीरों का बनना या तस्वीर का धुँधला नजर आना।

स्वमूल्यांकन प्रश्न -

1. दृष्टि विकलांग बच्चों को किन -किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है?

मानसिक रूप से मंद बच्चों की पहचान :-

- ऐसे बच्चों को बैठने, रेंगने, चलने और बातचीत करना सीखने जैसी बातों में सामान्य बच्चों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समय लगना
- उन्हें बोलते समय कठिनाई महसूस होना
- हर बात को शीघ्र भूल जाना अर्थात यादास्त का काफी कमजोर होना
- सामाजिक नियमों को समझ न पाना
- संज्ञानात्मक कार्यो को पूरा करने के योग्य न होना जैसे कारणों एवं प्रभाव के संबंध को न समझ पाना, समस्याओं को हल न कर पाना और तार्किक चितंन का अभाव
- दूसरों द्वारा हर बात को समझाने के लिए, बात को बार-बार दोहराना
- कपड़े पहनना, अपने हाथों से भोजन करना, शौच करने जैसे वैयक्तिक कौशलों को सीखने में काफी समय लगना।
- बच्चों की ध्यान केन्द्रित करने की योग्यता का अभाव या काफी निम्न होना
- भाषा एवं वाक् संबंधी समस्याओं से जूझना
- शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से सामान्य बच्चों से काफी पीछे रह जाना
- आत्म-संकल्पना की प्रस्तुति न कर पाना
- मित्र बनाने में काफी कठिनाई महसूस करना
- सामाजिक संवेदनात्मक समस्याओं से जूझना
- काम के लिए मन में उमंग का अभाव
- अपनी योग्यताओं के प्रति इनमें आत्मविश्वास की कमी होना
- आसानी से हार मान लेना
- कक्षा में शोर मचाना और कक्षा में मन न लगना

स्वमूल्यांकन प्रश्न -

1. मानसिक रूप से विकलांग बालको के लालन-पालन मै अभिभावकों अध्यापको एव समाज की भूमि पर प्रकाश डालिए।

अधिगम अक्षमता की पहचान -

सीखने संबंधी विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों की बुद्धि मानकीकृत परीक्षणों के आधार पर अक्सर औसत या इससे उच्च मानी गई है। इसका पता तब चलता है जब बच्चा औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करता है और लगभग 4 से 5 वर्ष की आयु में इसकी पुष्टि की जा सकती है। हालांकि देखभालकर्त्ताओ, चिकित्सकों, अध्यापकों की जागरूकता के फलस्वरूप यहाँ तक की काफी छोटी आयु में ही बच्चे की ऐसी दशा की पहचान करना संभव होता है।

अधिगम अक्षमता के साथ-साथ बच्चा कई बार अवधान दोष अति सक्रियता विकार (Attention Deficit Hyperactive Disorder) से भी ग्रस्त देखा गया है। ए डी एच डी ग्रस्त बच्चों को ध्यान केन्द्रित करने और एकाग्रता बनाये रखने में कठिनाई महसूस होती है। ऐसे विकार खे 'तथा जरूरत से ज्यादा चुस्त नजर आता है, उसका ध्यान आसानी से भंग करना संभव होता है और ग्रह किसी भी काम को करते समय यकायक आवेश में आ जाता है। ऐसा बच्चा जिस काम को करता है, शीघ्र ही उसमें दिलचस्पी लेना बंद भी कर देता है। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे द्वारा दर्शाए जाने वाले लक्षणों की चर्चा इस प्रकार है :-

बृहद गति कौशल (Gross Motor Skills) :-

- बच्चा चलने, दौड़ने, छलांग लगाने, रस्सी कूदने, गेंद फेंकने गेंद को कैच करते समय सामान्य प्रतीत नहीं होता। अर्थात ऐसे कार्य करते समय बच्चा असामान्य लक्षणों को दर्शाता है।
- बच्चे का शरीर सामान्य समुचित समन्वय स्थापित करने की स्थिति में नहीं होता और
- इसी वजह से वह चलते-चलते गिर पड़ता है, ठोकर खाता है, किसी चीज आदि से टकरा जाता है।

सूक्ष्म गति कौशल (Fine Motor Skills) :-

- बच्चों को किसी काम को पूरा करने के लिए हाथों एव, अंगुलियों का प्रयोग करते समय कठिनाई महसूस होती है - जैसे जूतों के फीते न बाँध पाना, बटन न लगा पाना आदि।
- बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक लिखने या रंगों की पहचान करने के योग्य नहीं होता।
- बच्चे को कैंची या पेंसिल पकड़ने में कठिनाई होती है।

वाक् एवं भाषा संबंधी कौशल (Speech and Language) -

- बच्चा बातचीत करने से हिचकिचाता है और जब वह बोलता है तो उसकी बात समझना कठिन हो जाता है।
- वह रूक-यक कर या अटक कर बोलता है और हकला भी सकता है। 'हकलाना ऐसा वाक् संबंधी विकार है' जिसके कारण बच्चा एक ही बात पर अटक जाता है और एक ही शब्द को बार-बार दोहराता है और कई वाक् ध्वनियों या शब्दों को लंबा खींच कर बोलता है या ऐसे विकार से ग्रस्त बच्चे को शब्द शुरू करने में बेहद कठिनाई महसूस होती है।
- ऐसे बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति सीमित होती है और वह बोलते समय व्याकरण की त्रुटि करता है।

याददाश्त (Memory) -

- ऐसे बच्चे की याददाश्त बेहद कमजोर होती है।
- उसे हिदायतों को मस्तिष्क में बनाए रखने या इन्हें पुन: ध्यान में लाने या हिदायतों का पालन करने में कठिनाई महसूस होती है। बच्चे को पिछली बातों को उचित क्रम में पुन: ध्यान में लाने में कठिनाई महसूस होती है। ऐसे छोटे बच्चे अपने शारीरिक अंगों का नाम ठीक से ध्यान में नही रख पाते।

पढ़ना (Reading) -

- पढ़ने की दृष्टि से बच्चा, कक्षा में काफी पीछे रह जाता है और उसे अक्षरों की पहचान करने में काफी कठिनाई होती है।
- वह अक्षरों की ध्वनियों की पहचान करने में गड़बड़ी कर जाता है। वह एक जैसे नजर आने वाले अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता जैसे - इ और कद्ध, उ और दद्ध, च औरु द्ध, द और नद्ध, और उ और द्धू।
- विद्यार्थी अक्षर की ध्वनियों की पहचान करने में गड़बड़ी कर जाता है।

- विद्यार्थी, शब्द की स्पैलिंग के आधार पर उसका उच्चारण करने के योग्य नही होता बल्कि वह शब्द की ध्वनि को उस स्पेलिंग से जोड़ने का प्रयास करता है, जिसे वह शब्द के अनुरूप महसूस करता है। बढवा निम्नलिखित शब्दों की स्पेलिंग को इस प्रकार देखता है - ममक और इंम को मक और इंपा, तनसम और चतंलमक को तववस और चतंपक और चमें को चम्रम कहता है।

लिखना एवं शब्दों की स्पेलिंग लिखना :-

- विद्यार्थी, ब्लेक बोर्ड या किताब से सार बात को सही-सही उतारने के योग्य नहीं होता।
- बच्चा अक्षर या शब्दों की पहचान और इन्हें कापी में लिखने के योग्य होने के बावजूद भी ऐसे शब्दों को श्रुतलेख में लिखते समय, पुन: ध्यान में लाने के योग्य नहीं होता।
- ऐसे बच्चे जब शब्दों को लिखते हैं तो वह उलटी लिखाई नजर आती है।
- बच्चा अक्सर छोटे एवं बड़े अक्षरों को मिला देता है।
- अधिगम अक्षमता से ग्रस्त बच्चा, गणित में जोड़ और गुणनफल के संकेतों में उलट-पलट कर जाता

पार्श्विकता एवं दिशात्मकता (Laterality and Directionality)

- अधिगम अक्षमता वाले बच्चे दहथिया (ambidextrous) होते हैं। इससे आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो किसी काम को किसी एक हाथ से नहीं करते। बल्कि हर काम को करने के लिए दोनों हाथों का इस्तमाल करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी एक हाथ से काम करने को प्राथमिकता नहीं देते।
- ये अक्सर दायीं और बायीं दिशा और दायें और बायें हाथ को समझने में गड़बड़ करते हैं।

व्यवहार (Behaviour)

- ए डी एच डी से प्रभावित बच्चा बेहद उछल-कूद करने वाला और उपद्रवी किस्म का होता है। ऐसे बच्चे का ध्यान आसानी से भंग किया जा सकता है और यह किसी भी दिए गए कार्य को पूरा करने योग्य नहीं होता। निरंतर विफल होने के कारण, बच्चे में कार्य निपुणता की भावना खत्म हो जाती है और ऐसे बच्चे के मनोबल का स्तर कॉफी निम्न हो जाता है और इसमें आत्म-सम्मान की भावना फीकी पड़ जाती है। अभिप्रेरण के अभाव में बच्चे का पढ़ाई और खेलकूद में मन नही लगता और आत्म-सम्मान की भावना के निम्न स्तर के कारण बच्चा दोस्ती करने और दूसरों से मिलने-जुलने से परहेज करता है। ऐसे बच्चों को इनकी उस के दूसरे बच्चे ज्यादा पसंद नहीं करते।
- बच्चा हर काम को सलीके से नहीं कर पाता और इसी वजह से हर कार्य की समय-सीमा के महत्त्व को समझ नहीं पाता।

स्वमूल्यांकन प्रश्न -

1. शिक्षण प्रतिमान का अर्थ क्या है।
2. शिक्षण प्रतिमान की परिभाषा बताइये।
3. शिक्षण प्रतिमान की प्रमुख विशेषताए?

भारतीय संविधान

भारतीय संविधान, संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949, को अंगीकृत किया गया। संविधान के आधारित मूलभूत अधिकार और निर्देश सिद्धांत, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बुनियादी सिद्धांतों को स्पष्ट करते है। अनुच्छेद 45 के अनुसार समाज में विकलांग व्यक्ति की सहभागिता को प्रतिबंधित करने वाले या उसे मुख्यधारा से बाहर रखने वाले भौतिक, वित्तीय, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक किस्म के सामाजिक अवरोधों को दूर कर, उसे भी समान अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (1987) -

मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार एवं देखभाल से संबंधित कानूनों को पहले मानसिक मंदता अधिनियम 1912 द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इस अधिनियम को बाद में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 कहा जाने लगा और जहाँ इसका उद्देश्य ऐसी रूग्णता से जुड़े कलंक को दूर करना था क्यौंकि विशेष रूप से यदि छोटी आयु में रोग का पता चल जाये तो यह ठीक भी हो सकता है। मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को भी किसी भी अन्य बीमार व्यक्ति की ही भाँति देखा जाना चाहिए और इनके आसपास का परिवेश यथासंभव सामान्य बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

11.8 विभिन्न स्तरों पर विकलांगों की शिक्षा में सुविधा

वर्तमान कल्याणकारी कार्यक्रम एवं रियायतें -

भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति की है। भारत सरकार के विविध मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत कुछ कार्यक्रम हैं :-

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय -

- विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यो को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना (संरक्षणकारी योजना)
- जरूरी सहायता सामग्री एवं उपस्करों की खरीद / फिटिंग (एडीआईपी) हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता-योजना।

ग्रामीण विकास एवं योजना मंत्रालय -

क) ग्रामीण विकास एवं रोजगार मंत्रालय के निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना तक विस्तार

ख) ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांग व्यक्तियों के समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

ग) विकलांग व्यक्तियों के संबंध में जवाहर रोजगार योजना संबंधी दिशा-निर्देशों का

घ) संशोधन एवं उनके हित के लिए निधियों को अलग से रखना

ङ) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 30: का आरक्षण

च) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के हितों के लिए 3 :निधियों को अलग से रखना

स्वास्थ्य मंत्रालय -

स्वास्थ्य मंत्रालय ने विकलांगता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर के बहुत से कार्यक्रम आरंभ किये हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार सूचीबद्ध हैं :-

- राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम
- सार्विक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (पल्स पोलियो कार्यक्रम सहित)
- राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम
- प्रजनन एवं बाल-स्वास्थ्य कार्यक्रम
- राष्ट्रीय आयोडिन कमी-विकृति नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
- राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण

स्वमूल्यांकन प्रश्न -

1. विभिन्न स्तरो पर विकलांगो के पुनर्वास एव शिक्षा के लिए भारत सरकार कोन-कोन सी सुविधाए प्रदान करती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय -

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समाज के विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वशिक्षा आभियान और विकलांग समेकित शिक्षा योजना की शुरूआत की है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित, समेकित स्वरोजगार योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य हर सहायता प्राप्त परिवार को सरकारी सहायता एवं ऋण योजना के माध्यम से आय जनित परिसंपत्तियाँ प्रदान करके, तीन वर्षो के समय में, गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

श्रम मंत्रालय -

श्रम मंत्रालय द्वारा देशभर में व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जो विकलांग व्यक्तियों की छिपी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं और ऐसे व्यक्तियों की क्षमता को ध्यान में रखकर इन्हें जरूरी रोजगार या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में इन्हें अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

शहरी विकास मंत्रालय

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यूनेस्केप (UNESCAP) के सहयोग से इंद्रप्रस्थ एस्टेट के दो वर्ग मीटर के क्षेत्र में अवरोध मुक्त परिवेश सृजित करने के लिए दिल्ली में प्रदर्शनात्मक अभ्यासों को शुरू किया गया है। इससे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी मुद्दे एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकलांग एवं वृद्धों के लिए अवरोध मुक्त परिवेश सृजित करने की दिशा मे जरूरी दिशा-निर्देश एवं स्थान संबंधी मानकों को सृजित करना संभव हुआ। इस अधिनियम के जवाब में सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने उपनियम बनाने में इस आधार पर उचित संशोधन करने का संकेत दिया गया।

संबद्ध राज्य सरकारों की भूमिका -

केन्द्र सरकार द्‌वारा प्रस्तुत विविध कार्यक्रमों को लाग करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें, जिला प्रशासन की सहायता से विविध कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित कर सकती हैं ताकि विशिष्ट जिले में शामिल सभी विभाग विविध योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम विकसित कर सकें। इस संबंध में जिला प्रशासन को जिले के सभी विकलांग व्यक्तियों की पहचान के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्ता लाभ पहुँचाने की कार्य-योजना को विकसित किया जा सके। निर्धन एवं विकलांग व्यक्तियों की अधिकांश समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, इन्हें पहले से चल रही सरकारी योजनाओं के दायरे में जाना लाभप्रद होगा।

विशेष रोजगार कार्यालय -

भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए विशेष व्यवस्था की है। विकलांग व्यक्तियों की सामान्य रोजगार कार्यालय के अंतर्गत विशेष प्रकोष्ठ या विशेष रोजगार कार्यालयों के माध्यम से लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में, सहायता प्राप्त की जा सकती है। विकलांग व्यक्ति इन रोजगार कार्यालयों में अपना नामांकन करवा सकते हैं और रिक्त स्थान के उपलब्ध होते ही विशेष रोजगार कार्यालयों द्‌वारा इनकी तत्काल अधिसूचना जारी कर दी जाती है।

भारत सरकार द्‌वारा राज्य सरकार / संघ राज्य-क्षेत्र के विशेष प्रकोष्ठों के मामले में 100 और विशेष रोजागर कार्यालयों के मामले में 80 : वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संसाधन -

विविध प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थानों का गठन किया गया है :-

- राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, देहरादून
- श्रवण संबंधी विकलांगों के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान मुम्बई
- राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकन्दराबाद
- विकलांगों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय संस्थान, दिल्ली
- राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, कटक
- राष्ट्रीय बहु-विकलांगता संस्थान, चेन्नई
- राष्ट्रीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई
- राष्ट्रीय श्रवण एवं बधिर संस्थान, मैसूर

केन्द्र सरकार द्‌वारा विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली रियायतें

केन्द्र सरकार द्‌वारा विकलांग व्यक्तियों को विविध रियायतें दी जा रही हैं जो इस प्रकार हैं-

विकलांगों के लिए यात्रा संबंधी रियायतें -

विकलांग व्यक्तियों को रेल हवाई यात्रा में 50-75: रियायते दी जाती है। नेत्रहीन, शारीरिक रूप से विकलांग, मूक एवं बधिर और मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों को भी समान रियायतें दी गई हैं।

डाक व्यय -

दृष्टिहीन व्यक्तियों के प्रयोग हेतु शैक्षिक सामग्री को देश / विदेश में केवल सतही मार्ग से भेजने के मामले में डाक व्यय की छूट है।

विकलांग व्यक्तियों को एस टी डी पी सी ओ आवंटन में प्राथमिकता -

शिक्षित बेरोजगार विकलांग व्यक्ति को एस टी डी / पी सी ओ के आवंटन में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है।

वाहन भत्ता -

केन्द्र सरकार के नियमित संस्थानों में कार्यरत दृष्टिहीन या शारीरिक रूप से विकलांग (उपरी एवं निम्न अंग संबंधी विकलांगता वाले) कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिया जात है।

आयकर छूट -

विकलांग व्यक्तियों को धारा 80 डी डी, धारा 80 वी, धारा 88 बी के अंतर्गत आयकर संबंधी राहत दी जाती है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार आरक्षण एवं अन्य सुविधाएँ -

भारत सरकार के आदेशानुसार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ग्रेड 'सी' और ग्रेड 'डी' में 3: नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान है। विकलांग व्यक्तियों की लाभान्वित श्रेणियों में दृष्टिहीन, मूक एवं शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं।

अन्य प्रावधान -

विकलांग व्यक्तियों को अपनी संतान के विद्यालय-शुल्क में रियायत दी जाती है, तेल कंपनियों की डीलरशिप / एजेंसियों में विकलांग व्यक्तियों का कोटा निर्धारित किया जाता है। इन्हें परीक्षा देने में आयु एवं शुल्क संबंधी छूट दी जाती है। विकलांग, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) के अंतर्गत छूट (subsidy) प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार की समेकित शिक्षा योजना के अंतर्गत, विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूली पद्धति में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य / संघ राज्य-क्षेत्रों को सामान्य स्कूलों में विशिष्ट मंद विकलांग ताले बच्चों की शिक्षा के लिए अनिवार्य सहायता साधनों की प्राप्ति करने, इन्हें प्रोत्साहन देने एवं इनके लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवेश आधारित अवरोधों को दूर करने और इनके लिए विशेष अध्यापकों के सहयोग की प्राप्ति करने और विशेष संसाधन कक्ष तैयार करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा ब्रेल मशीन, ब्रेल पेपर, ऑडियो कैसेट आदि जैसी विविध सामग्रियों के लिए सीमा-शुल्क में छूट दी जाती है। राज्य स्तर पर, निम्नलिखित सरकारी संगठनों का गठन किया गया है:-

- संमिश्रित क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र
- क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र
- जिला पुनर्वास केन्द्र योजना

11.9 विकलांगता पुनर्वास के अधिनियम

भारत सरकार ने विकलांगों की शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए निम्नलिखित अधिनियमों को पारित किया है, जिसका क्रियान्वयन वर्तमान मे किया जा रहा है। इन अधिनियमों की संक्षिप्त चर्चा यहाँ की जा रही है।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम (आर सी आई) (1992) -

विकलांगता पुनर्वास क्षेत्र में एकरूपता लाने और शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम (1992) पारित किया है। यह अधिनियम 22 जून, 1992 से लागू किया गया है। आर सी आई को अधिक विस्तृत रूप देने के लिए वर्ष 2000 में इसे संशोधित किया गया।

अधिनियम के तहत, परिषदों को दो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है। ये हैं :- (1) पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों एवं पेशेवरों के प्रशिक्षण का मानकीकरण एवं विनियमन और पपद्ध क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों एवं कार्मिकों की विशेष शिक्षा एवं इनके पंजीकरण के केंद्रीय पुनर्वास पंजिका का रखरखाव।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम (1992) आधारित विकलांग-अधिकार है -

1. परिषद पंजिका में उल्लेखित प्रशिक्षण एवं योग्यता-प्राप्त पुनर्वास पेशेवरों की सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार।
2. भारतीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों द्वारा पुनर्वास संबंधी योग्यता को मान्यता देने के लिए, आवश्यक माने जाने वाले शिक्षा के न्यूनतम मानकों के रखरखाव की गारंटी की प्राप्ति करना।
3. परिषद-पंजिका में बर्खास्तगी और अनुशासनिक कार्यवाही के दंड के प्रावधान के माध्यम से पुनर्वास-पेशेवरों से पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को बनाए रखने की गारंटी प्राप्त करना।
4. केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत और राज्य द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सांविधिक परिषद् द्वारा पुनर्वास-पेशेवरों के पेशे के नियमन की गारंटी की प्राप्ति करना।

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम. 1995:-

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, विकलांग व्यक्तियों के इतिहास में, इनके प्रति सहानुभति दर्शाने ताला, संसद द्वारा निर्मित, महत्त्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम को पारित करने से एशियाई एवं प्रशांतीय क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण सहभागिता एवं समानता आधारित उद्घोषणा को बल मिला।

इस अधिनियम के प्रयोजन के अंतर्गत सात विकलांगताओं अर्थात् दृष्टिहीनता, निम्न दृष्टि, कुष्ठरोग-मुक्त, श्रवण दोष, चलने-फिरने संबंधी विकृति, मानसिक मंदता एवं मानसिक रूग्णता को सम्मिलित किया गया है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं :-

क) विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास और चिकित्सीय देखभाल के प्रावधानों और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और विकलांगता की रोकथाम के संबंध में सरकार की जिम्मेदारियाँ निर्धारित करना।

ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त परिवेश राजित करना।

ग) सक्षम व्यक्तियों की भांति विकलांग व्यक्तियों द्वारा समान विकास संबंधी फायदों का लाभ उठाना।

घ) विकलांग व्यक्तियों से दुर्व्यवहार या उनका शोषण करने वाली किसी भी स्थिति का प्रतिकार करना।

ङ) विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसरों की समानता और इनके सर्वागीण विकास पर लक्षित कार्यक्रमों एवं सेवाओं के लिए कार्य नीतियों का निर्धारण करना।

च) विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक दृष्टि से मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रावधानों को तैयार करना।

पदों का आरक्षण -

सरकार अपने हर संस्थान में विकलांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 3: रिक्त स्थानों का आरक्षण करेगी और जिसका एक-एक प्रतिशत निम्नलिखित विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखा जायेगा -

i) दृष्टिहीन या निम्न दृष्टि वाले व्यक्ति

ii) श्रवण दोष वाले व्यक्ति

iii) प्रत्येक विकलांगता के लिए अभिनिर्धारित पदों में चलने-फिरने संबंधी विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय घात वाले व्यक्ति

अवरोध मुक्त परिवेश

सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी अपनी-अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास संबंधी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक इमारतों में रैम्प की व्यवस्था करेंगे और व्हीलचेयर प्रयोगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं के अनुकूल शौचालय का निर्माण करायेंगे और अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अन्य चिकित्सीय देखभाल एवं पुनर्वास-संस्थाओं में रैम्प और एलिवेटरों / लिफ्टों में ब्रेल चिहनों एवं श्रवण संबंधी संकेतों की व्यवस्था करेंगे।

स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय घात, मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहुविध विकलांगता अधिनियम (1999)

इस अधिनियम को 30 दिसम्बर 1999 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इससे स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय घात, मानसिक मंदता और बहुविध विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय खार के सांस्थानिक निकाय का गठन किया गया ताकि इनसे संबद्ध मुद्दों या आकस्मिक कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अलावा समूचे भारत पर लागू है।

11.9 विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा

विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए एक निश्चित अवधि तक विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिसकी विस्तृत चर्चा आगे की जा रही है।

चक्षु विकलांग बालकों की शिक्षा (Education of Visually Handicapped)

चक्षु विकलांग बालकों के विषय में धारणा है कि यह लोग स्वयं अपनी देखभाल व अपनी जीविका नहीं चला सकते हैं। अन्य व्यक्ति इन्हें परिवार व समाज के लिए भार समझते हैं, परन्तु आज हम देखते हैं कि अनेक अंधे लोग उपयोगी काम-धंधों में लगे होते हैं। इसके लिये आवश्यक है कि इन्हें समुचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

इन बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक अपने चक्षु विकार के कारण भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। इसके लिए विशिट रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है।

1. चक्षुहीनों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल-लिपि एक महान् उपलब्धि है, जो कि चक्षुहीनों को नवचेतना व सफलता प्रदान करती हैं। छः उभरे हुए बिन्दु संकेतों के माध्यम से यह लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों की अनामिका के अग्र भाग से उभरे बिन्दु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जा सकता है। यह कार्य विशेष शिक्षा संस्थानों द्वारा किया जाता है।
2 विशेष प्रकार के उपकरणों की सहायता से चक्षु विकलांगों को लिखना-पढ़ना, सामान्य गणित, भूगोल और अन्य स्कूली विषयों की शिक्षा दी जा सकती है।
3 इन बालकों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण के अतिरिक्त इस बात की भी आवश्यकता होती है कि इन्हें हम सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान करें तथा इनमें आत्म-विश्वास जाग्रत करें। यह कार्य विभिन्न पाठ्य-सहगामी क्रियाओं जैसे - खेलकूद, व्यायाम, ड्रिल, योगासन, संगीत आदि द्वारा किया जा सकता

अतः हम अभिभावकों एवं समाज के सदस्यों में चक्षु विकलांग बालकों के प्रति समुचित अभिवृति विकसित करें ताकि वे इन बालकों को आवश्यक सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान कर सकें।

श्रवण विकलांग बालकों की शिक्षा (Education of Deaf Children)

श्रवण विकलांग बालकों में श्रवण शक्ति के विकास से तात्पर्य विभिन्न ध्वनियों में अंतर कर सकने की क्षमता से है। सामान्य बालकों में वाचन व श्रवण शक्तियों का विकास आयु के साथ - साथ हो जाता है, किन्तु बधिर, जिन्होंने किसी भी प्रकार की ध्वनि को ग्रहण नहीं किया है तथा ऊँचा सुनने वाले बालकों में इसका विकास करने के लिए विशेष कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है।

1. बधिर बालकों में श्रवण शक्ति का विकास - बधिर बालकों में सुनने की अक्षमता अनेक अक्षमताओं की श्रृंखला को जन्म देती है। इसके कारण बालक में भाषा, सामान्य ज्ञान व समझबूझ का विकास अवरूद्ध हो जाता है। इसमें श्रवण शक्ति का विकास विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा विशिष्ट कक्षाओं में ही संभव है। इस कार्यक्रम के विभिन्न चरण हैं।

क. वाचन क्षमता का विकास (Speech Development)

ख. ओष्ठ द्वारा पढना(Lip reading)

ग. भाषाई विकास(Language development)

घ. पठन(Reading)

2 ऊँचा सुनने वाले बालकों में भाषाई ग्रहण योग्यता होती है, अतः उन्हें सामान्य कक्षाओं में श्रवण सहायक यन्त्रों (Hearing aids) के माध्यम से सहज भाव से शिक्षा दी जा सकती है। केवल गंभीर रूप से प्रभावित बालकों को अलग से कुछ प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है।

क. श्रवण सहायक यंत्रों के नियमित प्रयोग का अभ्यास(Regular use of Auditory Aids)

ख. श्रवण-शक्ति के विकास हेतु प्रयास (Attempt to develop Listening power)

ग. ओष्ठ द्वारा पढ़ना (Lip reading)

घ. वाणीगत सुधार (Speech Improvement)

वाक् विकलांग बालकों की शिक्षा (Education of Speech Defective Children)

यदि हम वाक् विकलांग बालकों पर उचित ध्यान दे तो ये बालक शैक्षिक एवं सुधारात्मक क्रियाकलापों से बहुत लाभ उठा सकते हैं। ऐसे बालकों को उनके लिए चलाई जाने वाली कक्षाओं में उपस्थित रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मनोचिकित्सकों एवं कण्ठ रोग विशेषज्ञों के पास उपचार एवं परामर्श के लिए ले जाना चाहिए।

शिक्षकों को वाक् विकलांगता को शिक्षा देते समय कुछ तत्वों पर ध्यान देना चाहिए जो कि निम्नलिखित है।

1. पर्याप्त अभिप्रेरण (Adequate motivation)
2. विकलांगता पर अत्यधिक बल देने से बचना(Avoidance of over emphasis on handi capped)
3. सही निदान करना (Correct Diagnosis)
4. उपयुक्त वाक् अभ्यास(Suitable Speech Exercise)
5. चिन्ता से बचना (Avoidance of Anxiety)
6. लज्जा एवं घबराहट (Avoidance of Embarassement)

शारीरिक अपंगता के अनुरूप शैक्षिक पाठ्यक्रम का चयन (Selection of Curriculum According Physical handicap)

विरूपित बालकों की शिक्षा हमें ऐसी संस्थानों में करनी चाहिए जो कि विशेष प्रकार से विरूपित बालकों की शिक्षा एवं कल्याण के लिए स्थापित की गई हों।

विरूपित बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाते समय हमें उनकी विशिष्ट शारीरिक अपंगता को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। विरूपित बालकों की शिक्षा के लिए एक आदर्श पाठ्यक्रम बहुत व्यापक होना चाहिए ताकि इन विकलांगों का सर्वांगीण विकास हो सदने। अत: इनकी शिक्षा व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए :

1. शारीरिक अपंगता के अनुरूप शैक्षिक पाठ्यक्रम का चयन
2. सांवेगिक समायोजन एवं सुरक्षा प्रदान करना
3. प्रेरणा एवं दृढ़ निश्चिय का होना
4. शारीरिक दक्षता का विकास करना
5. शैक्षिक एवं संतुलित विकास करना
6. चिकित्सा सुविधा प्रदान करना मूल्यांकन प्रश्न

स्वमूल्यांकन प्रश्न -

1. विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा क्यों दी जाती है?

11.9 सारांश

विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों ने विशेष आवश्यकतायुक्त बच्चे को पारिभाषित करने की कोशिश की है। इसके अंतर्गत वे सभी बच्चे आते हैं, जिन्हें सामान्य वातावरण में सीखने में या वातावरण के साथ अपने आपको सामायोजित करने में कठिनाई महसूस होती है। इनकी शिक्षा के लिए भी सामान्य से हटकर वातावरण की व्यवस्था करनी होती है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि ' 'ऐसे बच्चे, जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक, सवर्गात्मक या व्यवहारपरक विशेषताओं एवं लक्षणों के कारण किसी सामान्य एवं औसत बच्चों से भिन्न होते हैं।

इन विशेष आवश्यकतायुक्त बच्चों की श्रेणी में एक महत्त्वपूर्ण श्रेणी है, विकलांग बच्चों की। विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास से संबंधित विभिन्न आयाम की चर्चा इस इकाई में की गई है। विकलांगता को परिभाषित करते हुए विद्वानों ने कहा है कि विकलांगता व्यक्ति द्वारा महसूस किया गया अनुभव है, जिसमें व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक दोनों अवस्थाओं का योगदान होता है। विकलांगता को विभिन्न प्रकारों में, दृष्टि विकलांगता, श्रवण विकलांगता, अस्थि विकलांगता, मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता इत्यादि मुख्य हैं।

विकलांगता की पहचान विभिन्न औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों के द्वारा की जा सकती है। व्यवहारपरक लक्षणों को देखकर तथा विभिन्न तकनीकों के सहारे विकलांगता की पहचान की जा सकती है। विकलांग बच्चों की शीघ्र पहचान कर उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए भारत सरकार के द्वारा कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभिन्न मंत्रालय विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रहे है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने विकलांगों की शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए तीन मुख्य अधिनियम बनाए हैं।

1. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम - 1992
2. निशक्त व्यक्ति अधिनियम - 1995 एवं
3. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम - 1999

इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों / बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सुविधाएँ दी जाती हैं, जिसकी चर्चा - विस्तृत रूप में इस इकाई में की गई है।

विकलांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए शिक्षा व्यवस्था भी विकलांगता पुनर्वास का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

मूल्यांकन प्रश्न

1. विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों के विभिन्न प्रकारों को लिखें।
2. विकलांग बच्चों की पहचान।

11.10 संदर्भ ग्रंथ

1 LAbate, L. and Curtis, L.T (1975). Teaching and Exceptional Child. Philadelphia : W.B. Saunders Company.

2 Talford, C.W. and Sawrey, J.W. (1977). The Exceptional Children, New Jersy : prentice Hall Lnc.

3 Husain, M.G (1984): Problems and potential of the Handicappe, New Delhi: Atlantic publishers and Distributors.

4 Goel, S.K. and Sen, A.K. (1984). Mental Retardation and Learning. Agra: National Psycho logical Corporation.

5 Reo,U.S (1987),Exceptional Children: Their Psychology and Education, New Delhi: Somaiya Publication.

6 Heward,W.L.(1996). Exceptional Children: An Introduction to Special Education, New Jersey: prentice Hall.

7 Chaturvedi, Shubhra (2002): Psychological Make up of Visually Impaired Children, New Dehli: Rajat Publication

8 Bhargava Mahresh, Exception Children (2003), Vedant Publication.

इकाई 12

बालिका एवं प्राथमिक शिक्षा

(Girl Child Elementary Education)

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 लैंगिक समानता एवं समतुल्यता

12.2.1 शिक्षा में लैंगिक समानता के बहुआयाम

12.2.2 प्रवेश मे समानता

12.2.3 सीखने की प्रकिया में समानता:

12.2.4 शैक्षणिक उपलब्धि में समानता:

12.2.5 बाहय परिणामों में समानता:

12.3 बालिका शिक्षा: तथ्य एवं महत्व

12.3.1 बालिका शिक्षा क्यों?

12.3.2 बालिका शिक्षा से जुड़े कुछ मुद्दे

12.4 बालिका शिक्षा में वैश्विक स्तर पर पहल

12.5 बालिका शिक्षा: राष्ट्रीय स्तर पर पहल

12.5.1 भारत में बालिका शिक्षा: स्वतन्त्रता के बाद की उपलब्धियाँ

12.5.2 भारत में प्रारंभिक शिक्षा हेतु विशेष कार्यक्रम एवं योजनाएँ

12.5.2.1 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी)

12.5.2.2 राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना एवं लोक जुम्बिश परियोजना

12.5.2.3 सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)

12.5.3 बालिका शिक्षा केन्द्रित कार्यक्रम

12.5.3.1 महिला समाख्या कार्यक्रम

12.5.3.2 बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल)

12.5.3.3 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

12.6 बालिका शिक्षा : कुछ उदाहरण

12.7 सारांश

12.8 संदर्भ ग्रंथ

12.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- लैंगिक समानता (Gender parity) और लैंगिक समतुल्यता (Gender Equity) को परिभाषित कर सकेंगे,
- अंतरीष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा (प्राथमिक एवं पूर्वमाध्यमिक) मे बालिका शिक्षा की उन्नति एवं विकास का वर्णन कर सकेंगे,
- बालिका शिक्षा को वैश्विक प्रयास बनाने में विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर) के लक्ष्य और उद्देश्यों की व्याख्या कर सकेंगे,
- भारत में प्रारंभिक शिक्षा की प्रकृति एवं उद्देश्यों को समझ सकेंगे, और
- प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण (यू.ई.ई.) के अंतर्गत बालिका शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों एवं हस्ताक्षेपों को वर्णित कर सकेंगे।

12.0 प्रस्तावना

पिछले इकाई में आपने प्रारंभिक शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों तथा आलेख 47, 73 और 74 में किए गए संशोधनों एवं उनके क्रियान्वयन के बारे में जाना। शिक्षा को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी जाति, संप्रदाय, धर्म, स्थान का भेद किए बगैर प्रत्येक मनुष्य के अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। बहुत से विकसित देशों ने पूर्ण (100:) साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। संयुक्त राज्य संघ (यू.एन.ओ.) ने भी इस पर जोर दिया है और विश्वस्तर पर जागरूकता लाने के लिए बहुत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास किए गए हैं। हमने इस इकाई को बालिका शिक्षा के लिए किए गए अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रयासों पर केन्द्रित किया है। बालिका शिक्षा के संक्षिप्त इतिहास एवं प्रगति पर चर्चा की गई है। बालिका शिक्षा के लिए हमारे देश में किए जा रहे अनेक प्रयासों की भी चर्चा की गई है।

12.2 लैंगिक समानता एवं समतुल्यता

बालिका शिक्षा के बारे में विस्तृत चर्चा करने से पहले हमें उन प्रत्ययों के बारे में जान लेना चाहिए जो बालिका शिक्षा से जुड़े हैं और जिनका उपयोग इस इकाई में बार-बार किया गया है जैसे लैंगिक समानता; समतुल्यता और समता। ये तीनों ही प्रत्यय लगभग एक से लगते हैं परन्तु इनमें कुछ भिन्नता है। इनकी निम्न तरीके से व्याख्या की गई है:

लैंगिक समानता (Gender Parity) :- इसका अर्थ जनसंख्या में आयु समूह के अनुसार किसी शिक्षा तंत्र में बालक और बालिकाओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व से है। शाला में बालक एवं बालिकाओं का (जन संख्या के अनुपात में) समान संख्या में नामांकन।

लैंगिक समतुल्यता (Gender Equity) :- इसका अर्थ है ऐसी रणनीतियां और प्रक्रियाएं जो शिक्षा के अवसरों से लाभ उठाने वाले सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है जैसे छात्रवृत्ति, लैंगिक संवेदनशीलता आधारित शिक्षण कला में शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रमों में लैंगिक पक्षपात को दूर करने के लिए पुनरावलोकन, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग

एवं स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था और बालिकाओं के बीच विज्ञान एवं गणित को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों का संचालन।

डी. किरण माथुर, प्रवाचक, पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (एन.सी.ई.आर.टी.) 31 -जोन 2, एम.पी.नगर, भोपाल-462 011

समतुल्यता बालकों एवं बालिकाओं दोनों के प्रति निष्पक्षता दर्शाती है। जिसमें ऐसे ऐतिहासिक और सामाजिक नुकसानों की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करना जो बालिकाओं और बालकों के लिये समान अवसर उपलब्ध कराने में बाधा पहुँचाते हैं। समतुल्यता सभी शिक्षार्थियों से समान व्यवहार की अपेक्षा करना नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत से कारक हैं जो कुछ शिक्षार्थियों को समान परिणाम प्राप्त करने में हानिकारक हैं।

लैंगिक क्षमता (Gender Equality) :- इसका अर्थ है कि महिला और पुरूष दोनों को समाज में उनकी पूरी क्षमताओं के उपयोग के लिए 'समान अधिकार, स्वच्छंदता, परिस्थितियाँ और अवसर प्राप्त हों। लैंगिक समता पुरूषों व महिलाओं को मानवअधिकारों के उपयोग में समान अवसर उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकासों में भागीदारी और उनसे लाभ सुनिश्चित करने की बात करती है।

शिक्षा में लैंगिक समानता की उपलब्धि के लिए प्रवेश और गुणवता पर ध्यान देने की आवश्यकता है, केवल प्रवेश लेने से ही गुणवता की वास्तविकता की प्रत्याभूति (गारंटी) नहीं होगी। शिक्षा में लैंगिक समानता बहुआयामी है और वे एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है

स्वमूल्यांकन प्रश्न 1

1 लैंगिक समता, समतुल्यता और समानता की लगभग 100 शब्दों में व्याख्या कीजिए।

12.2.1 शिक्षा में लैंगिक समानता के बहुआयाम

शिक्षा में लैंगिक समानता के चार आयामों में शामिल है:

i) प्रवेश में समानता

ii) सीखने की प्रक्रिया में समानता

iii) शिक्षा की उपलब्धि में समानता और

iv) शिक्षा के बाह्य परिणामों में समानता

i. प्रवेश मे समानता :

प्रवेश में समानता का अर्थ हैं कि बालक एवं बालिकाओं को बुनियादी शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक या वैकल्पिक तरीकों से शाला में पहुँच अथवा प्रवेश के समान अवसर प्राप्त हों। पहुँच को व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए इसमें शिक्षा तंत्र में प्रारंभिक नामांकन, धारण और निरंतर उपस्थिति को शामिल किया गया

ii. सीखने की प्रक्रिया में समानता:

शैक्षणिक प्रक्रियाएं और शाला के वातावरण का प्रभाव छात्र क्या और कैसे सीख रहे हैं इन दोनो पर पड़ता है। बालिकाओं और बालकों दोनों के प्रति समान व्यवहार और ध्यान और सीखने

के समान अवसर मिलने चाहिए। इसका तात्पर्य है कि सभी विद्यार्थियों को समान पाठ्य-वस्तु से परिचित करवाया जाए, हालांकि बालकों और बालिकाओं के सीखने के तरीके अलग-अलग होते हैं अत: पाठ्य क्रम को पड़ाने का तरीका भिन्न हो सकता है। इसके साथ ही सभी शिक्षार्थियों को रूढ़िबद्ध धारणा और लैंगिक पक्षपात से मुक्त शिक्षण पद्धति और शिक्षण सामग्री का अनुभव करवाना चाहिए। उन्हें सीखने व अन्वेशण में और सभी अकादमिक और सहपाठ्यगामी गतिविधियों में कौशल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

iii. शैक्षणिक उपलब्धि में समानता:

इसका अर्थ है कि बालकों और बालिकाओं सभी को उपलब्धियों से आनंद उठाने के समान अवसर प्राप्त हों और परिणाम उनके व्यक्तिगत प्रतिभा और प्रयासों पर आधारित हो। उनके लिए उपलब्धि के निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित करना चाहिए और शाला जीवन और अकादमिक योग्यता में व्यक्तियों के लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत उपलब्धि के मूल्यांकन की तकनीक में भी लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। कक्षा की जांच परीक्षाएं, राष्ट्रीय परीक्षाएं और अन्तर्राश्ट्रीय आँकलन के परिणाम बालकों और बालिकाओं के आत्म विश्वास, उनकी क्षमताओं और अपेक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। कक्षा में क्या पढ़ाया गया है और विषय वस्तु को कैसे प्रस्तुत किया गया है इसका प्रभाव उपलब्धि पर पड़ता है। अत: यह कहना आवश्यक है कि बालक बालिकाओं को उपलब्धि के समान अवसर उपलब्ध कराने में निष्पक्षता होनी चाहिए।

iv. बाह्य परिणामों में समानता:

बाह्य परिणामों में समानता की प्राप्ति की बात हम तब कर सकते हैं जब महिला और पुरूषों की स्थिति, वस्तुओं तथा संसाधनों तक उनकी पहुँच और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक गतिविधियों में उनका योगदान और उनको होने वाले लाभ में समानता हो। बाह्य परिणामों में समानता में यह अपेक्षित है कि रोजगार के समान अवसर, पूर्णकालिक शिक्षा के बाद रोजगार प्राप्ति में लगने वाला समय और समान योग्यताओं और अनुभवों वाले महिला एवं पुरूषों की आय समान हो।

इस प्रकार लैंगिक समानता के यह चार आयाम बालक व बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने एवं समाज में हर कदम पर समानता के अधिकार को परिलक्षित करते हैं।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 2

1 लैंगिक समानता के कोन-कोन से आयाम है? सीखने की प्रक्रिया मै समानता का लगभग 50 शब्दो मै वर्णन कीजिए ।

12.3 बालिका शिक्षा तथ्य एवं महत्व :-

विश्वस्तरीय शिक्षा प्रयासों में विशेषकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परन्तु निम्न तथ्य बालिकाओं एवं महिलाओं की शैक्षिक स्थिति के विषय में बहु त ही विचारणीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

1. सौ मिलियन (एक करोड़) से ज्यादा बच्चों की प्राथमिक स्कूल तक पहुँच नहीं है इनमें कम से कम 60 लाख बालिकाएं शामिल हैं।

2. सभी देशों में 960 लाख से ज्यादा प्रौढ़ निरक्षर है, जिनमें दो तिहाई महिलाएं हैं और इन सभी औद्योगिक और विकासशील देशों में क्रियात्मक निरक्षरता (Functional illeteracy) महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभर कर आई है।
3. दुनिया भर में एक तिहाई से ज्यादा प्रौढ़ों को ऐसे प्रकाशित (प्रिन्टेड) ज्ञान, नये कौशल और तकनीक की जानकारी नहीं है जो उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकें और उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलावों को स्वीकार करने में मदद कर सकें।
4. एक करोड़ से ज्यादा बच्चे और असंख्य प्रौढ़ प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते और लाखों लोग केवल शाला में उपस्थिति की औपचारिकता पूरी करते हैं किंतु आवश्यक कौशल एवं ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते।

12.3.1 बालिका शिक्षा क्यों?

अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा क्यों आवश्यक हैं? मानव समाज में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर लैंगिक भेदभाव एक सामाजिक अन्याय है। भारत सहित बहुत से देशों के संविधानों में लैंगिक समानता का प्रावधान है लेकिन व्यवहार में आज भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है।

शिक्षा, विशेष रूप में बालिकाओं के लिए शिक्षा, पूरे समाज के लिए न केवल सामाजिक तौर पर बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभदायी है। यह सत्य है कि शिक्षित महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के अधिक अवसर मिलते हैं और वे सार्वजनिक जीवन में बेहतर भागीदारी कर सकती हैं। शिक्षित महिलाएं छोटे परिवार और स्वस्थ परिवार का महत्व ज्यादा अच्छी तरह समझती हैं और अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति सजग होती हैं। शिक्षा महिलाओं और बालिकाओं को एचआईवी. से सुरक्षित रहने की क्षमता भी प्रदान करती है। इस प्रकार बालिका शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए आवश्यक हैं। बहुत से अन्य देशों के समान, भारत में भी बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि बालिका शिक्षा देश के विकास में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह निम्न तथ्यों से स्पष्ट हैं:

1. संविधान के 86 वें संशोधन एक्ट 2002 में प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के लिए बुनियादी अधिकार बनाया गया है। संवैधानिक संशोधन के अनुसार प्रत्येक बालक एवं बालिका को कम से कम 8 वर्ष की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए।
2. बहुत से सर्वेक्षणों से यह साबित हुआ है कि गरीब माता पिता भी अपनी बच्चियों को भेजना चाहते हैं। यदि देखा जाए तो बालिका शिक्षा की बहुत ज्यादा माँग है और यह लगातार बढ़ती जा रही है।
3. बुनियादी शिक्षा बालिकाओं के बेहतर जीवन का विकास करती है। तुलनात्मक रूप से शिक्षित महिलाओं को ज्यादा जानकारी होती है, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों का लाभ मिलता है और वे आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और सलाह का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
4. शिक्षा समाज के लिए बहुत लाभप्रद है। शिक्षित महिलाएं आर्थिक उपार्जन में बेहतर भागीदारी करती हैं । ज्यादा पारिश्रमिक पा सकती हैं और बेहतर उद्यमी बन सकती हैं। शिक्षित महिलाएं

सही उस में विवाह कर कम बच्चों को जन्म देना पसंद करती हैं और समाज में स्वस्थ मातृत्व और स्वस्थ बचपन के प्रति जागरूकता लाती है

5. जितनी ज्यादा से ज्यादा लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर अपनी आठ साल की शिक्षा पूरी वे स्थानीय शासन में ज्यादा सार्थक भागीदारी करने में सक्षम होंगी।
6. एक शिक्षित मां अशिक्षित मां की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और उसका पालन-पोषण बेहतर तरीके से करती है, इसके पर्याप्त उदाहरण हैं। शिक्षित मां अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसंद करती हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लाभ मिलते रहें।
7. दिन प्रतिदिन शिक्षा में वंचन और सामाजिक भेदभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बालिकाओं को स्कूल जाने के सुअवसर उपलब्ध कराना ही इस दिशा में एक सही कदम है।

12.3.2 बालिका शिक्षा से जुड़े कुछ मुद्दे

उपरोक्त कारणों से यह तो स्पष्ट है कि बालिका शिक्षा न केवल उनके स्वयं के 'लिए बल्कि समाज और देश के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु बालिका शिक्षा से जुड़े निम्न मुद्दों के बारे में भी हमें जानकारी होना आवश्यक है।

निम्नलिखित कुछ मुद्दे हैं जो लड़कियों की शिक्षा में रूकावट पैदा करते हैं:

8. गरीबी की वजह से बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल नहीं जा पातीं। दिल्ली के स्कूलों में किए गए अध्ययन के अनुसार पाया गया कि लड़कियों की शालाओं में अनियमित उपस्थिति उनके खेल, अध्ययन और चिकित्सा आवश्यकताओं, भाई-बहनों की देखभाल, खाना पकाना और अन्य घरेलू कार्यो को शिक्षा से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यह स्थिति हमारे देश में लगभग सभी जगह समान है।
9. पाठ्यक्रम और सहपाठ्यक्रम के द्वारा लिंग आधारित परम्परागत छवि को पुनर्बल प्रदान किया जाता है जैसे - गृहविज्ञान लड़कियों के लिए और खेलकूद लड़कों के लिए।
10. सभी के लिए शिक्षा की ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट (2003-2007) में पाया गया था कि भारत और पाकिस्तान सहित 54 देशों में लैंगिक समानता प्राप्त करना अभी भी दूर का लक्ष्य है। भारत में लगभग 90 प्रतिशत एक शिक्षक वाले स्कूलों में जो कि कुल शालाओं का 20 प्रतिशत है में पुरूष शिक्षक हैं और 72 प्रतिशत दो शिक्षकों वाले स्कूलों में एक भी महिला शिक्षक नहीं है।
11. कुछ स्कूलों में लड़कियों को खेल का मैदान और विज्ञान शाला का उपयोग करना वर्जित है। बहुत से शिक्षक कक्षा में केवल लड़कों पर ही ध्यान देते हैं लड़कियों पर नहीं।

उपरोक्त कारणें की वजह से लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर कम उपलब्ध हो पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 3

1. बालिका शिक्षा की धीमी प्रगति के मुख्य कारणो की चर्चा कीजिए ।

12.4 बालिका शिक्षा में वैश्विक स्तर पर पहल

इस इकाई में अब हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों की चर्चा करेंगे ताकि आप यह जान सकें कि पूरा विश्व बालिकाओं व महिलाओं की शिक्षा व उन्नति के प्रति कितना कटिबद्ध है। इन विश्वस्तरीय पहलों के आधार पर विकसित व विकासशील देशों ने सभी के लिए शिक्षा' अभियान में बालिका शिक्षा व महिला सशक्तिकरण पर विशेष कदम उठाए।

i. जॉम्टिन सम्मेलन (1900)

थाईलैण्ड के जॉम्टिन शहर में 1990 में (5 से 9 मार्च 1990) आयोजित सभी के लिए शिक्षा' पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में 155 देशों से 150 संगठनों के प्रतिनिधियों ने बीसवीं सदी से पहले सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने और निरक्षरता को पूरी तरह समाप्त करने की सहमति जताई। सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि सभी बच्चों, युवा और प्रौढ़ व्यक्तियों का यह बुनियादी मानव अधिकार है कि वे बुनियादी शिक्षा प्राप्त करें और अपनी प्रतिभा, अपने जीवन स्तर और अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला सकें।

सम्मेलन में बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित आलेख 111 पर ज्यादा चर्चा की गई।

आलेख 111 (Article III) में शिक्षा के लोकव्यापीकरण और समानता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि

सभी बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अत: गुणवत्ता मूलक बुनियादी शिक्षा सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और असमानता को दूर करने के लिए गम्भीर कदम उठाए जाने चाहिए। इस आलेख में बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाने के साथ उन प्रत्येक बाधाओं को दूर करने की बात की गई है जो उनकी सक्रिय भागीदारी को रोकती है। शिक्षा में लिंग आधारित परम्परागत छवियों को हटाने की आवश्यकता पर भी ध्यान देने की बात की गई है।

ii. सभी के लिए शिक्षा (2000) के लिए डकार रूपरेखा

अप्रैल 2000 में, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में डकार, सीनेगल में 164 देशों के लगभग 1100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने क्रियान्वयन के लिए डकार रूपरेखा 'सभी के लिए शिक्षा: हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को स्वीकार किया। यह दस्तावेज, सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन (जॉम्टिन, थाइलैंड, 1990) में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पुनर्निधारित करता है। इसके अनुसार सभी देशों की सरकारों को 2015 तक या उससे पहले, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों, जिसमें विषेश रूप से बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया है, प्राप्त करना होगा। इसमें दानदाता देशों और संस्थाओं से यह प्रतिबद्धता भी सम्मिलित की गई है कि कोई भी देश, जो गंभीरतापूर्वक सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे संसाधनों के अभाव के कारण लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा न आए। डकार में स्वीकार की गई क्रियान्वयन रूपरेखा में 'सभी के लिए शिक्षा' के लिए छ: लक्ष्य चिन्हित किए गए है जिनमें से नीचे दिए गए तीन लक्ष्य बालिका शिक्षा पर केन्द्रित है (सभी के लिए शिक्षा मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2001)

1. 2015 तक सभी बच्चों विशेष रूप से बालिकाओं, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों और अल्पसंख्यक समुदाय (ethnic minorities) के बच्चों के लिए गुणवत्तायुक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. 2015 तक प्रौढ़ साक्षरता के स्तर में विशेष रूप से महिला साक्षरता में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करना और सभी प्रौढ़ों की बुनियादी और सतत शिक्षा के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।
3. 2005 तक प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा में लैंगिक भेदभाव समाप्त करना और 2015 तक शिक्षा में लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना जिसमें बालिकाओं को गुणवत्ता मूलक बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना।

iii. मॉनीटरिंग व्यवस्था: उच्चस्तरीय समूह (एच एल जी)

यूनेस्को द्वारा डकार में तय किए गए 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्यों को प्राप्त करने में होने वाली प्रगति को मॉनीटर करने के लिए उच्चस्तरीय मॉनीटरिंग समूह (एच एल जी) का गठन किया गया। यह उच्च स्तरीय समूह 'डकार एक्शन फॉर फ्रेमवर्क' को राजनीतिक वायदों और तकनीकी और वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया।

उच्चस्तरीय समूह की प्राथमिक जिम्मेदारियां, 'सभी के लिए शिक्षा?' की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, भागीदारी को मजबूत करना, प्राथमिकताओं, कमियों और आवश्यकताओं को चिन्हित करना और संसाधनों को सचल करना है।

भारत में बालिका शिक्षा के लिए उच्चस्तरीय समूह की बैठक: नई दिल्ली वक्तव्य

उच्च स्तरीय समूह की तीसरी बैठक दिल्ली में नवम्बर 2003 में हुई। यह बैठक विशेष रूप से बालिका शिक्षा पर केन्द्रित थी जो कि प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक समानता में हुई प्रगति से प्रोत्साहित थी जहाँ बालिकाओं एवं बालकों के दाखिले का अनुपात 1990 में 88 : से 2000 में 94 : बढ़ गया था। इसके बावजूद समूह ने यह इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि विश्व में स्कूल से वंचित रहने वाले बच्चों में 57 प्रतिशत बालिकाएँ हैं और 860 मिलियन प्रौढ़ निरक्षरों में दो तिहाई महिलाएं हैं।

ई.एफ.ए. ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट (200304) की 'सभी के लिए शिक्षा और लैंगिक समानता' के निष्कर्षो के अनुसार इस पर जोर दिया गया है कि बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा सिर्फ एक मानव अधिकार ही नहीं है बल्कि यह अन्य विकासात्मक प्राथमिकताओं को प्राप्त करने की शर्त है। इसमें मिलेनियम विकास के लक्ष्य शामिल हैं और लैंगिक समानता इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। 'सभी के लिए शिक्षा" के प्रति प्रतिबद्धता मानवता, आशा, शांति, विश्वास और प्रगति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभू (गारंटी) है।

यह सत्य है कि शाला से वंचित 104 अरब बच्चों में बालिकाओं की संख्या (57 प्रतिशत) बहुत अधिक है और 860 अरब प्रौढ़ निरक्षरों में दो तिहाई महिलाएं हैं जो यह दर्शाती है कि बालिकाओं के साथ हर एक स्तर पर शिक्षा में भेदभावपूर्ण व्यवहार अभी तक जारी है। 128 देशों में आधे से ज्यादा देश जिनके आकड़े उपलब्ध हैं यदि उन्हें 2005 तक प्राथमिक एवं सेकेण्डरी स्तर पर लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना है तो प्रगति की गति तेज करने की आवश्यकता है। जब तक नीतियां नहीं बदली जाएंगी तब तक 2015 तक भी 40 प्रतिशत से ज्यादा देशों में

लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना भी एक गम्भीर चुनौती होगी। अत: प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षित माताएँ अपनी बेटियों की शिक्षा के प्रति ज्यादा सजग होती है। दूसरी ओर कुछ समस्याएँ जैसे एचआईवी. / एड्स की वैश्विक समस्या, सैन्यविवाद बाल मजदूरी, विभिन्न प्रकार की अक्षमता और संसाधनों का अभाव इत्यादि के समाधान करने का प्रभाव बच्चों के शिक्षा के अधिकार विशेष कर बालिका शिक्षा पर पड़ रहा है।

ब्राजील में एच.एल.जी. की चौथी बैठक (नवम्बर, 2004): ब्रासिलिया वक्तव्य

उच्च स्तरीय समूह की चौथी बैठक ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में सम्पन्न हुई। बैठक में कहा गया कि '2015 तक सभी के लिए शिक्षा" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परिवर्तन की गति पर्याप्त नहीं है। समूह ने उस दिशा में और अधिक काम करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए नए और साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया। सदस्यों ने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों की रूपरेखा तैयार की जिन पर सरकारों को अनिवार्य रूप से सभी के लिए शिक्षा' के प्रमुख क्षेत्रों जैसे बालिका शिक्षा, शिक्षकों और संसाधनों के लिए ध्यान देना है। इन में विशेष तौर पर शाला के शुल्क में कटौती और गरीबों को विशेषकर बालिकाओं के लिए शिक्षा सम्बन्धी अन्य कीमतों में कटौती करना शामिल किया गया। उन्होंने शिक्षकों के स्तर और कार्य परिस्थितियों को बेहतर करने, उनके कैरियर परिप्रेक्ष्य और व्यावसायिक कौशल विकास के अवसरों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

सदस्यों ने विश्व समुदाय को विशेषकर विकसित और विकासशील देशों की सरकारों को सावधान करते हुए कहा कि 2005 तक प्राथमिक और सेकेन्डरी शिक्षा में बालिकाओं और बालकों की समान संख्या सुनिश्चित करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इससे भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि जो अभी तक शाला से बाहर हैं उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं सम्बन्धी चुनौतियों के खिलाफ साहसिक और नए कदम नहीं उठाए जाएंगे और जब तक हम लैंगिक संवेदना के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक 2015 तक प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण और लैंगिक समानता के साथ साथ 'सभी के लिए शिक्षा" के अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होने का खतरा बना रहेगा। सदस्यों ने यह भी कहा कि हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विश्व के विभिन्न मंचों पर जैसे मिलेनियम घोषणा और जी-8 देशों की बैठक,अफ्रिकन यूनियन और वर्ल्ड ईकॉनॉमिक फोरम में इस परिस्थिति के सुधार हेतु पूर्णतया और शीघ्र से शीघ्र कदम उठाए जाए।

iv. मिलेनियम विकास लक्ष्य गोल्स (Milleniuum Development Goals)

सितम्बर 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने जनरल असेम्बली की बैठक में मिलेनियम घोषणा पत्र जिसमें विकास के कुल आठ लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था को निर्विरोध रूप के स्वीकार किया। इन आठ मिलेनियम विकास लक्ष्यों में तीसरा लक्ष्य, 'लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। यह लक्ष्य शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक असमानता को पूरी तरह से दूर करने की बात करता है।

v. यूनाइटेड नेशन्स गर्ल्स एजूकेशन इनीशिएटिव्स (यू.एन.जी.ई.आई.)

राष्ट्रसंघ के पूर्व सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा डकार में हुए वर्ल्ड एजुकेशन फोरम (अप्रैल, 2000) में यू.एन.जी.ई.आई. की स्थापना की गई। इसका मुख्य लक्ष्य 2015 तक प्राथमिक

एवं सैकण्डरी शिक्षा में लैंगिक अन्तराल को कम करना तथा शिक्षा के सभी स्तरों पर बालक व बालिकाओं को समान पहुँच के अवसर उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करें। संयुक्त राष्ट्र बालिका शिक्षा पहल (यू.एन.जी.ई.आई.) यह दृष्टिकोण रखता है कि बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।

vi. यूनेस्को द्वारा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पहल

राष्ट्रीय सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के सहयोग से यूनेस्को ने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में निम्न पहलें की हैं:

1. राष्ट्र संघ बालिका शिक्षा में पहल (यू.एन.जी.ई.आई.) में यूनेस्को की सक्रिय भूमिका है। साथ ही यूनेस्को यह भी सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने के कार्य के अनुभवों का, यू.एन.जी.ई.आई के रणनीतिक विकासों में उपयोग किया जाए।
2. यूनेस्को जो कि विशेष रूप से राष्ट्र संघ साक्षरता दशक और सतत विकास के लिए राष्ट्र संघ शिक्षा दशक (यू.एन.डिकेड ऑफ एजुकेशन) में समन्वयक एजेन्सी है राष्ट्र संघ के सक्रिय लैंगिक समानता परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देता है।
3. लैंगिक समता (parity) और लैंगिक समानता (equality) के लक्ष्यों को प्राप्त करने से सम्बन्धित नीतियों और अभ्यासों (कार्यो) में भागीदारी तथा उनसे संबंधित जानकारी उत्पन्न करने में प्रोत्साहन देता है और नीतिगत अनुशंसाओं को विकसित करता है।
4. यूनेस्को उन देशों में दस्तावेजीकरण करता है और इन अनुभवों को नीति निर्माताओं तक पहुंचाता है जिनमें बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने और उनके सेकेंडरी शिक्षा तक पहुँचने के लिए उत्तम प्रयास सुनिश्चित किए है।
5. ऐसे देशों में जहाँ निरक्षरता, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा एक कठिन चुनौती के रूप में उभर कर आई है, यूनेस्को सशक्तिकरण के लिए साक्षरता पहलों (Literacy Initiative for Empowerment -LIFE) को लागू करता है जो साक्षरता के प्रयासों को पुनर्जीवित करने एवं गति प्रदान करने के लिए, ग्लोबल रणनीति की रूपरेखा के रूप में अभिकल्पित किया गया है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यूनेस्को द्वारा बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कई कदम उठाने में पहल की गई है।

12.5 बालिका शिक्षा: राष्ट्रीय स्तर पर पहल

यह बात पूर्णतया सच है कि शिक्षा देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यद्यपि सामाजिक आर्थिक विकास के प्रमुख सूचकांक जैसे, आर्थिक विकास की दर, जन्मदर, मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर (आई.एम.आर.) और साक्षरता दर इन सभी में अन्तर्सम्बन्ध है, परन्तु साक्षरता दर अन्य सूचकांकों की वृद्धि और कमी को निर्धारित करने में प्रमुख रूप से प्रभावी होती है। इसके पर्याप्त उदाहरण हमारे देश में भी मौजूद हैं। जहाँ साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है, विशेष रूप से महिला साक्षरता का, वहाँ उसका प्रभाव हमें निम्न जन्मदर और शिशु मृत्युदर और लम्बे जीवन की अपेक्षा (life expectancy) दर में स्पष्ट दिखाई देता है। इस तथ्य की सत्यता ने साक्षरता और आरंभिक शिक्षा की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा की है

ताकि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास की गति में वृद्धि, सामाजिक बेहतरी और सामाजिक स्थिरता को प्राप्त किया जा सके।

12.5.1 भारत में बालिका शिक्षा: स्वतन्त्रता के बाद की उपलब्धियाँ

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बालिका शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और राजनेताओं और शिक्षाविदों ने इसे देश के विकास के लिए इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में रखना जरूरी समझा। स्वतंत्रता के समय महिला साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही निम्न (8 .9 :) था। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के दाखिले का प्रतिशत 24.8 प्रतिशत जबकि उच्च प्राथमिक स्तर (1 व - 14 आयु समूह) का केवल 4.8 प्रतिशत था। फलस्वरूप महिलाओं की शिक्षा में आने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं और स्कूलों की उपलब्धता में कमी पर तुरन्त ध्यान दिया गया। यहाँ हम देश में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास और वृद्धि पर एक नजर डाले।

1. शालाओं को विकसित करने के प्रयासों में सुधार

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा प्रशासकों को अधोसंरचना और पहुँच की कमी को दूर करने को उच्च प्राथमिकता से करने की जिम्मेदारी दी गई। इस आवश्यकता पर ध्यान देने के कारण 2004-05 तक 7,67, 520 प्राथमिक स्कूल और 274731 उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल स्थापित करने में सफलता मिली, जो 1950-51 में केवल 209671 प्राथमिक और 13596 उच्च प्राथमिक स्कूल थे। इनमें ज्यादातर (87) स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। वर्तमान में 98 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को एक किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल की सुविधा प्राप्त है। इस समय 902 प्रतिशत प्राथमिक और 722 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूल सरकारी है। इन स्कूलों का प्रबंधन या तो सरकार द्वारा या स्थानीय शासन द्वारा किया जाता है। फिर भी अभी तक सभी बालिकाओं को स्कूल तक पहुँचने का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका है। लड़कियों को स्कूल में प्रवेश के लिए कुछ खास कदम उठाने की जरूरत है जैसे - स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण, महिला शिक्षकों की उपलब्धता और उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के लिए अलग स्कूलों की व्यवस्था ताकि सामाजिक प्रतिरोध को रोका जा सके।

2. बालिकाओं के नामांकन में उत्थान

बालिकाओं के स्कूल में नामांकन में निन्तर वृद्धि परिलक्षित की जा रही है। 1950-51 में 138 लाख बालक और 54 लाख बालिकाओं के सकूल में नामांकन की संख्या 2004-05 में प्राथमिक स्तर पर बढ़कर 69.7 लाख (बालक) और 61.1 लाख (बालिकाएँ) हो गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन की संख्या 26 लाख (बालक) और 05 लाख (बालिकाओं) की संख्या से बढ़कर क्रमश: 285 लाख और 227 लाख हो गई है।

कुल नामांकन में लड़कियों के नामांकन का अनुपात भी लगाता बढ़ रहा है। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन 1950-51 से 2004-05 में 28.1 प्रतिशत से बढ़कर 467 प्रतिशत हो गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन 1950-51 में 16.1 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 444 प्रतिशत हो गया। बालिकाओं की कुल जनसंख्या की तुलना में बालिकाओं का प्राथमिक स्तर पर नामांकन का प्रतिशत यह बताता है कि यह विश्व स्तरीय प्रतिशत के काफी समीप है। हालांकि उच्च प्राथमिक स्तर पर अंतर एवं चुनौतियां अभी भी हैं किन्तु ये भी लगातार कम होती जा रही है।

भारत के शिक्षा प्रशासकों के सामने अजा एवं अजजा जाति की लड़कियों का स्कूल में नामांकन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। सर्वेक्षण के आकड़ों से यह पता चलता है कि इन वंचित समुदायों की लड़कियों की आधारभूत शिक्षा में भागीदारी प्रतिवर्ष बढ़ रही है। प्राथमिक स्तर पर अजा और अजजा लड़कियों के लिए कुल नामांकन दर (जी.ई.आर) 1986-87 के 648 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 1066 प्रतिशत हो गई और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1986-87 में 266 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 675 प्रतिशत हो गई। अजजा लड़कियों के मामले में प्राथमिक स्तर पर जी.ई.आर 68 प्रतिशत (1986-87) से बढ़कर 2004-05 में 1155 प्रतिशत हो गया और उच्च प्राथमिक स्तर पर 219 प्रतिशत (1986-87)ए से बढ़कर 2004-05 में 595 प्रतिशत हो गया।

2005 में प्राथमिक स्तर पर कुल लैंगिक अनुपात 46 प्रतिशत बिन्दु कम हुआ और उच्च प्राथमिक पर 60 प्रतिशत बिन्दु तक कम हुआ। भारत के कुल 600 जिलों में से केवल 48 जिलों में प्राथमिक स्तर पर लैंगिक अंतर 10 प्रतिशत बिंदु से अधिक है। इन जिलों में शिक्षा नीति निर्धारकों के द्वारा इन बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

3. स्कूल त्यागने की दर में और स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या में लगातार कमी

स्कूल सुविधा उपलब्ध कराना और नामांकन करना बालिका शिक्षा कार्यक्रम का केवल एक पहलू है, उन्हें शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यद्यपि विद्यार्थियों का बीच में पढ़ाई छोड़ना एक गम्भीर समस्या है किन्तु प्रारंभिक शिक्षा में यह दर कम हो रही है विशेष कर लड़कियों के स्कूल त्यागने की दर तेजी से कम हो रही है। 2004-05 में लड़कियों की पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर प्राथमिक स्तर पर लड़की से कम थी, अर्थात 2542 प्रतिशत जबकि लड़कों के लिए यह दर 3181 प्रतिशत थी। सन् 2000 से लड़कियों की स्कूल त्यागने की दर केवल चार वर्षा में 165 प्रतिशत कम हुई है जबकि पिछले पूरे दशक (1990-2000)ए में यह प्रतिशत बिन्दु केवल 41 है।

यदि हम स्कूल के अंदर की परिस्थितियों में देखें तो पाएंगे कि लड़कियों में एक ही कक्षा में दोहराव की दर तेजी से कम हुई है। इससे दो स्पष्ट संदेश मिलते हैं- पहला, जो लड़कियां स्कूल में दाखिला लेती हैं वे आसानी से स्कूल नहीं छोड़ती और दूसरा स्कूल की क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है जिसके कारण लड़कियाँ अपेक्षाकृत कम समय में प्रारंभिक शिक्षा का चक्र पूरा कर लेती हैं।

स्कूल के बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या भी तेजी से कम हुई है, जो 2001-02 में 32 लाख थी वह 2006-07 में 75 लाख रह गई है । 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग की कुल बालिकाओं में से केवल 39 प्रतिशत ही शाला के बाहर हैं। 6 से 11 वर्ष आयु समूह का 334 प्रतिशत और 11 से 14 वर्ष आयु समूह की 53 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूल से बाहर हैं। इन कठिन पहुँचवाली बड़ी उम्र की लड़कियों को उनसे सम्बन्धित मुद्दों पर विशेष रणनीति के जरिए शिक्षा से जोड़ने के प्रयास जारी हैं।

4. ज्यादा लड़कियां उच्च प्राथमिक स्तर पर

लडकियों द्वारा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक शिक्षा निरंतर रखने की दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। उच्च प्राथमिक की ओर बढ़ने का 2003 का 7198 प्रतिशत बढ़ कर 2005 में 8064 प्रतिशत हुआ। यह ध्यान देने योग्य बात है कि लड़कियों के प्राथमिक से उच्च

प्राथमिक स्तर पर बढ़ने की दर का प्रतिशत बिंदु 66 है जो कि लड़कों के 765 प्रतिशत बिन्दुओं से ज्यादा है। यह प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की ओर परिवर्तन दर (transition) में तेजी से कम होते लैंगिक अंतराल को दर्शाता है जो 403 प्रतिशत बिन्दु से घटकर 302 प्रतिशत बिन्दु हो गया है।

अनुसूचित जाति की लड़कियों के मामले में यह परिवर्तन दर 2004-05 में 80 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 83 प्रतिशत हो गई है जिससे लैंगिक अंतराल 3 प्रतिशत बिंदु रह गया। अनुसूचित जन जाति की लड़कियों में 2004-05 में परिवर्तन दर 85 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 88 प्रतिशत हो गई है और इनमें लैंगिक अंतराल केवल 2 प्रतिशत ही रह गया है।

5. संविधान एवं नीतिगत रूपरेखा

'समानता का अधिकार पर भारत के संविधान की धारा 15(1) ने बालिका शिक्षा के लिए बुनियादी नीतिगत रूपरेखा उपलब्ध करवाई। जिससे बालिकाओं की शिक्षा को दूरदर्शिता (spirit) और दृष्टिकोण (vision) मिला।

शिक्षा वर्ष 1976 तक राज्य का विषय था। 1976 में हुए संविधान में 42वें संशोधन से इसे समवर्ती सूची (concurrent) में स्थानांतरित किया गया और केन्द्र सरकार ने केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 (1992 में संशोधित) में बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया गया जिसने बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा को समग्र दूरदृष्टि प्रदान की और इस लक्ष्य की परिणति में आनेवाली बाधाओं को चिन्हित किया। इस नीति का लक्ष्य समाज में महिलाओं की स्थिति में बुनियादी बदलाव लाने के लिए शिक्षा का उपयोग एक कारक (agent) के रूप में करना है।

भारतीय संविधान में 2002 में किया गया 86वां संशोधन 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को उनके बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित करता है। इसके अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य के द्वारा कानून निर्धारित कर उपलब्ध करवाई जाएगी। भारत में यह एक क्रांतिकारी विधान है जिसमें सरकारों (केन्द्र व राज्य), समुदाय आधारित संगठनों और नागरिक समाजों (societies) को बुनियादी शिक्षा जैसे महती कार्य में समर्पित एवं सामूहिक प्रयास के लिए प्रतिबद्ध किया गया है, ताकि 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

इस प्रकार संविधान और बाद के वर्षो में कहे गए अन्य नीतिगत कथनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों की भागीदारी से विशेष उद्देश्यों के साथ बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न रणनीतियां, हस्तक्षेप, योजनाएं एवं कार्यक्रमों का प्रारूप तैयार किया गया। इससे बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।

इस' प्रकार संविधान के आलेख 45 के अनुसार संविधान लागू होने के दस वर्षो के अन्दर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य को दी गई थी। परन्तु सभी के लिए बुनियादी शिक्षा' उपलब्ध कराने के कार्य को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ठोस और योजनबद्ध क्रियान्वयन के बाद ही गति मिल पाई। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1990 में

जाम्टिन में "सभी के लिए शिक्षा" पर पारित विश्व घोषणा पत्र में बुनियादी शिक्षा के सभी घटकों (अली चाइल्ड केयर एजुकेशन (ई.सी.सी.ई.) प्राथमिक शिक्षा, किशोरों के लिए शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, लैंगिक समानता और शिक्षा की गुणवत्ता विकास पर) अन्तरीष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया गया। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विकासों ने विभिन्न देशों को बहुत से सकारात्मक विकास के मुद्दों के साथ, शिक्षा को प्रत्येक नागरिक के बुनियादी अधिकार के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता के मुद्दे पर विचार करने हेतु प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1966) के लागू होने के साथ ही, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ, संविधान में किए गए प्रावधानों और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बहुत से कार्यक्रमों की शुरूआत की। 1988 में प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एक ऐसा ही मिशन था।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 5

1 स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक बालिका शिक्षा के क्षेत्र में हुई उन्नति का लगभग 200 शब्दों में वर्णन कीजिए।

12.5.2 भारत में प्रारंभिक शिक्षा हेतु विशेष कार्यक्रम एवं योजनाएँ

अब हम बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु विशेष कार्यक्रमों एवं योजनाओं की चर्चा करेंगे। इनमें से कई कार्यक्रमों के बारे में आपने भी सुना होगा या पढ़ा होगा।

12.5.2.1 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई. पी.)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में कई विदेशी संस्थाओं और संगठनों (विश्व बैंक; यूरोपियन कमीशन; यूनाईटेड किंगडम के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेव्हलपमेंट, डी एफ.आई.डी., नीदरलैंड्स और यूनाईटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमर्जेन्सी फन्ड, यूनीसेफ) के सहयोग से प्रारंभ किया गया। डी.पी. ई.पी का मुख्य उद्देश्य जिलाकेन्द्रित योजनाओं के माध्यम से यूपीई / यूईई को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों का परिचालन करना और निम्न महिला साक्षरता दर वाले जिलों पर विशेष ध्यान देना तथा सफल पूर्ण साक्षरता अभियान जिसने शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न कदम उठाये गये:-

1. कक्षा कक्षों एवं नए शाला भवनों का निर्माण
2. अनौपचारिक / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का प्रारंभ,
3. नए शिक्षकों की नियुक्ति
4. शालापूर्व केन्द्रों (ईसीई) की स्थापना
5. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) एवं जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) का सशक्तीकरण और
6. विकासखंड स्त्रोत केन्द्रों, संकुल केन्द्रों इत्यादि का गठन

इस परियोजना में शिक्षक प्रशिक्षण, हस्तक्षेप, पठन-पाठन सामग्री का निर्माण, शोध अध्ययन, बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति / जनजाति (अजा. / अज.जा.) की शिक्षा को विशेष

बल प्रदान करने को भी समावेशित किया गया। निःशक्त बच्चों को एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने और दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण की नई पहल भी की गई।

12.5 राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना एवं लोक जुम्बिश परियोजना

राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए दो पूर्णत: बाह्य वित्तपोषित (external funding) नवाचार परियोजनाएं दूरवर्ती और सामाजिक रूप से पिछड़े गांवों में गुणवत्तामूलक विकास और लैंगिक समानता पर केन्द्रित करने के लक्ष्यों के साथ प्रारंभ की गई। इन परियोजनाओं द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के रास्ते में आनेवाली बाधाओं का सामना करने का प्रयत्न किया गया जैसे अध्यापकों की अनुपस्थिति, पढ़ाई अधूरी छोड़ने का (ड्रॉपआडट) ज्यादा प्रतिशत, बाल मजदूर, नीरस शिक्षण पद्धति, प्रासंगिक शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षकों में उत्साह और अकादमिक क्षमता का अभाव, केन्द्रीकृत एवं गैरलचीले तरीकें आदि के साथ इन समस्याओं के हल में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। ग्राम शिक्षा समितियों (वी.ई.सी.) ने शाला में शैक्षिक वातावरण के विकास, अधोसंरचना और सुविधाओं की व्यवस्था और शिक्षाकर्मी शालाओं में स्कूल मैपिंग (नक्शा बनाना) और माइक्रो प्लानिंग (सूक्ष्म परियोजना निर्माण) द्वारा बच्चों के नामांकन को बढ़ाने में बड़ा सहयोग किया।

12.5.2.3 सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)

सर्वशिक्षा अभियान का नाम आपने अवश्य सुना होगा। सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) की शुरुआत नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध और एकीकृत तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण (यू ई ई) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए की गई। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं- 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना और इसमें समुदाय की भागीदारी द्वारा स्कूल तंत्र के कार्यकलापों को बेहतर करने और गुणवत्ता मूलक प्रारंभिक शिक्षा मिशन के रूप में उपलब्ध कराना। यह भी सोचा गया कि यह कार्यक्रम प्रारंभिक स्तर पर लैंगिक और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए एक सेतु का काम करेगा। सर्वशिक्षा अभियान के मुख्य केन्द्रबिंदु में बालिका, अजा / अजजा और अन्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता विशेष रूप से है।

सर्व शिक्षा अभियान में लक्ष्य समूह एवं बालिका शिक्षा

सन 2000 में 20776 लाख बच्चों में से 6 से 14 वर्ष आयु समूह के लगभग 40 लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे। शाला के बाहर रहने वाले इन बच्चों मे ज्यादातर लड़कियाँ, अजा / अजजा समुदाय के बच्चे, बाल मजदूर शहरी पिछड़े वर्ग के बच्चे, निःशक्त बच्चे और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे हैं। सर्व शिक्षा अभियान इन कठिन पहुँच वाले समूह तक पहुंचकर उन्हें अभिप्रेरित करने और उन्हें गुणवत्ता मूलक शिक्षा उपलब्ध करवाने की चुनौती का सामना करने के लिए आरंभ किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के विषय में विस्तृत जानकारी अब तक आपको हो गई होगी। अत: यहाँ हम सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष योजनाओ और कार्यक्रमों के बारे में बात करेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख केन्द्रबिन्दु बालिकाएँ विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा पर है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी गतिविधियों में लैंगिक विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एस.एस.ए. की विभिन्न गतिविधियों जैसे निवासस्थान / गांव / शहरी बस्ती स्तर पर अभिप्रेरण, शिक्षकों का चयन, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर शाला की उन्नति, मध्यान्ह भोजन, यूनीफार्म, स्कॉलरशिप, आदि प्रोत्साहक, शैक्षकीय प्रावधान जैसे पाठ्यपुस्तक, कॉपी, पेन आदि सभी में बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है। एस एस ए की प्रत्येक गतिविधि का आकलन इसमें शामिल लैंगिक तत्वों के आधार पर किया जा रहा है। मुख्यधारा के साथ-साथ विशेष प्रयासों में शामिल है जैसे, महिला समाख्या की तरह लामबंदी और संगठन, किशोरवय बालिकाओं के लिए पुन: शाला प्रवेश के लिए शिविर (स्कूल चलो अभियान), महिला समूहों का बड़ी संख्या में गठन आदि। यहाँ चयन का आधार है अनुसूचित जाति और जन जातियों के बीच निम्न महिला साक्षरता दर।

सर्व शिक्षा अभियान, शाला से बाहर की बालिकाओं विशेष कर वंचित वर्ग की बालिकाओं को स्कूल में लाने के प्रयासों की आवश्यकता को बल प्रदान करता है। इसके लिए सूक्ष्मयोजना बनाते (माइक्रो प्लानिंग) समय शाला से बाहर बालिकाओं की ठीक ठीक पहचान की जा रही है। इसके लिए स्कूल के प्रभावी प्रबंधन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। महिला समाख्या और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के अनुभवों के अनुसार महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करने के लिए स्पष्ट परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। यही इस बात की आवश्यकता है कि बालिका शिक्षा के लिए किए गए प्रावधान स्थानीय संदर्भ में हों और इससे संबंधित हस्तक्षेप समुदाय विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। सर्व शिक्षा अभियान इन हस्तक्षेपों को सम्भव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

12.5.3 बालिका शिक्षा केन्द्रित कार्यक्रम

हम यह जानते है कि प्रारंभिक स्तर पर बालक व बालिकाओं के नामांकन में दृष्टिगत लैंगिक अंतर दिखाई पड़ता है जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं में और अधिक तीव्र है। इस लैंगिक अंतर को कम करने के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि पहुँच से बाहर इन विशिष्ट समूहों तक पहुँचने की कठिनाई को दूर किया जा सके। अत: बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विशिष्ट हस्तक्षेप करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया है। इन में बालिका शिक्षा केन्द्रित कार्यक्रमों में निम्न तीन मुख्य कार्यक्रम हैं।

- महिला समाख्या
- राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम और
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

हम इन कार्यक्रमों और संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके राज्य में कौन से कार्यक्रम संचालित है इसकी विशेष जानकारी अपने राज्य के शिक्षा विभाग अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से प्राप्त कर सकते हैं।

12.5.3.1 महिला समाख्या कार्यक्रम

i) पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों में बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। इन प्रयासों से बालिकाओं व महिलाओं की शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण सफलताएँ मिली हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों तथा वंचित समुदायों में लैंगिक असमानता अभी भी स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) महिलाओं के लिए शिक्षानीति बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है जो बालिका शिक्षा हेतु शैक्षिक अवसरों तक पहुँच और बालिकाओ के उपलब्धि स्तर में परम्परागत लैंगिक असंतुलन को सुधारने की आवश्यकता पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह भी माना है कि अधोसंरचना के विस्तार के साथ शैक्षिक प्रक्रिया में बालिकाओं और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिला सशक्तिकरण करना आवश्यक है। महिला समानता के लिए शिक्षा" (अध्याय 12 पृष्ठ 1 05- 107) के 'प्रोग्राम ऑफ एक्शन में यह जोर दिया गया है कि महिला सशक्तीकरण उनकी शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी के लिए पूर्वशर्त हैं और महिला सशक्तीकरण के लिए शिक्षा एक प्रभावशाली उपकरण हो सकती है जिसके निम्न प्राचल (पैरामीटर) हैं:

1. 1 महिलाओं के स्वाभिमान और आत्मविश्वास को बढ़ाना।
2. महिलाओं की ' समाज, राजनीति और आर्थिक क्षेत्रों में भागीदारी का सम्मान करके उनकी सकारात्मक छवि का विकास करना।
3. महिलाओं में आलोचनात्मक सोच क्षमता का विकास करना।
4. सामूहिक प्रक्रिया के जरिए निर्णय लेने की क्षमता को प्रोत्साहित करना और कार्य करना।
5. महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य (विशेष रूप से प्रजनन स्वास्थ्य) के क्षेत्रों में जानकारी देकर स्वयं चयन करने के योग्य बनाना।
6. विकास प्रक्रिया में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
7. आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूचनाएँ ज्ञान और कौशल उपलब्ध करवाना।
8. कानूनी साक्षरता तक उनकी पहुंच बनाना और समाज में उनके अधिकारों और अपनी हकदारी के सम्बन्ध में जानकारी के साथ सभी क्षेत्रों में समान धरातल पर उनकी भागीदारी को बढ़ाना।

1988 में महिला समाख्या कार्यक्रम को लागू करते समय उपरोक्त प्राचल ग्रामीण महिलाओं, खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं, की शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए तय किए गए। प्रारंभ में देश के तीन राज्यों, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के कुल दस जिलों में पायलट कार्यक्रम के रूप में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। शिक्षा विभाग ने राज्य सरकारों के अधिकारियों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ गहन विचार विमर्ष करके जिलों का चयन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया।

1 ऐस जिले जहाँ निम्न महिला साक्षरता, शाला में बालिकाओं का निम्न नामांकन एवं रूकाव (retention) और सामाजिक आर्थिक विकास में पिछड़े जिले।

2 जहाँ अन्य विकास कार्यक्रमों जैसे एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम(आई.आर.डी.पी.) ड्वकरा आदि का सहयोग उपलब्ध हो।

3 जहाँ सक्रिय स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हों।

4 ऐसे जिले जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों।

5 1989 में नीदरलैंड सरकार ने कार्यक्रम को वित्तीय सहायता देना प्रारंभ किया।

ii) कार्यक्रम के उद्देश्य

यह कार्यक्रम निम्न उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ किया गया-

i. महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सहयोगी संरचना और अनौपचारिक रूप से सीखने के लिए वातावरण उपलब्ध करवाना।

ii. एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें महिलाएं ज्ञान एवं सूचनाएं प्राप्त कर सकें और स्वयं और समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकें।

iii. औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए परिस्थितियों का प्रचालन करना।

iv. एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें शिक्षा महिलाओं की समानता प्राप्ति में सहायक हो।

v. महिला संघों को सक्षम बनाना ताकि वे सक्रिय रूप से गांव में शैक्षिक गतिविधियों जिनमें प्राथमिक शाला, वैकल्पिक शिक्षा, औपचारिकेत्तर शिक्षा / शिक्षा गारंटी योजना / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र और सतत शिक्षा के लिए सुविधाएं आदि, में सहयोग कर सकें व साथ ही मॉनीटरिंग भी कर सकें।

vi. महिलाओं की आत्मछवि और आत्मविश्वास को बढ़ाना और इस प्रकार उन्हें सक्षम बनाना ताकि वे आर्थिक भागीदारी में अपने उत्पादक और कामगार रूप को पहचाने और शैक्षिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को पुनर्बलित कर सकें।

vii. विकेन्द्रित सहभागिता आधारित प्रबंधन स्थापित करना ताकि जिला स्तर पर तथा महिला संघों के निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर महिलाओं के प्रभावशाली भागीदारी के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सके।

iii) कार्यक्रम की उत्पत्ति

महिला समाख्या कार्यक्रम की रूपरेखा निम्न के साथ सलाह और चर्चा के बाद बन कर सामने आई :-

1. महिला सशक्तीकरण और महिला शिक्षा की पहल के लिए संभाव्यता हेतु चिन्हित परियोजना के संचालन के लिए तीन राज्यों के दस जिलों की स्वयंसेवी संस्थाएँ,
2. इन तीन राज्यों के शासकीय अधिकारियों और शिक्षाविदों के साथ परियोजना के प्रारूप दस्तावेज पर चर्चा
3. मुख्यरूप से ग्रामीण महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका के संबंध में महिला समूहों के साथ चर्चा।

उपरोक्त समूहों के साथ बहस के दो निम्न मुख्य मुद्दे थे:- कार्यक्रम के उद्देश्य एवं रणनीति और प्रबंधन संरचना चर्चा का मुख्य केन्द्रबिन्दु था महिलाओं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं

के शिक्षा को वंचित करने के सामाजिक, सांस्कृति और आर्थिक तत्वों के सामूहिक प्रभावों का। इन तत्वों के कारण महिलाओं में नकारात्मक आत्मछवि पुनर्बलित होती है जो उनके कार्यो, उनकी मांगों और परिप्रेक्ष्य को समाज में कम आंकी जाती है और उन्हें कम सम्मान दिया जाता है। इसीलिए महिला समाख्या कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी को अनिवार्य रूप से पूर्वशर्त के रूप में रखा गया है। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह रणनीति अपनाई गई कि उन्हें अभिप्रेरित कर महिला संघों के रूप में संगठित किया जाए।

महिला संघों में अजा / अजजा महिलाएँ, भूमिहीन और सीमावर्ती (marginalized) परिवारों की मजदूर महिलाओं की भूमिका को महत्व दिया गया। महिला समाख्या कार्यक्रम की प्रबंध संरचना के बारे में निर्णय लेते समय निम्नलिखित मुद्दों को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया :-

1 कार्यक्रम सरकारी और गैरसरकारी संगठनों की भागीदारी से तैयार किया जाए।

2 प्रबंध संरचना सहयोगी एवं सरलीकृत हो।

3 कार्यक्रम की संचालन संरचना सरकारी और गैरसरकारी संरचना के सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं अर्थात,सरकारी संरचना के नियंत्रण एवं संतुलन और गैरसरकारी संरचना के लचीलेपन और खुलेपन के बीच संतुलित होनी चाहिए।

4 कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं, प्रशिक्षकों और स्त्रोत सहयोगियों का चयन प्रतिबद्धता, कार्यक्षमता और गुणवत्ता पर आधारित होना चाहिए।

iv) कार्यक्रम का प्रारंभ

1989 में महिला समाख्या समितियों का पंजीकरण किया गया और कर्नाटक और गुजरात में कार्य प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम अलग तरीके से शुरू हुआ। लगभग दो साल (1988 से सितम्बर 1990) तक महिला समाख्या समितियाँ कार्यान्वित नहीं हुई और कार्यक्रम को स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों और समाज सेवी महिला समूहों की मदद से वित्तीय अनुदान की व्यवस्था से प्रारंभ किया गया। यह स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक नहीं थी। इसमें ऐसी कोई सुनिश्चितता नहीं थी कि कार्यक्रम के मूल सिद्धांत कायम रहेंगे। अंततः 1990 में यह निर्णय लिया गया कि यह कार्यक्रम रजिस्टर्ड महिला समाख्या समितियों को सौंपा जाए। यह परियोजना 1992 में आंध्र प्रदेश और 1998 में केरल के दो जिलों में विस्तारित की गई। शिक्षा के लिए महिलाओं को लामबन्द करने की महिला समाख्या की रणनीति के प्रभावशाली परिणामों को बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश और असम की अन्य बुनियादी शिक्षा परियोजनाओं में भी स्वीकार किया गया। मध्यप्रदेश का कार्यक्रम 2001 में बंद हुआ [असम राज्य में डी पी ई पी के वित्तीय सहायता की समाप्ति पर, असम का कार्यक्रम 2002 में महिला समाख्या की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत लाया गया । वर्तमान में यह कार्यक्रम 9 राज्यों के 63 जिलों के 15823 गांवों में संचालित किया जा रहा है जिसका विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1 : महिला समाख्या कार्यक्रम के क्रियान्वयन कि स्थिति

क्रमांक	**राज्य**	**जिलों की संख्या**
1 असम	6	1591

2 आंध्र प्रदेश	9	2383
3 बिहार	9	2098
4 गुजरात	7	1621
5 झारखण्ड	5	2480
6 कर्नाटक	9	1566
7 केरल	2	221
8 उतर प्रदेश	12	2765
9 उत्तरांचल	4	1098
कुल 9	63	15823

प्रत्येक जिले में शामिल किए गए गांवों की संख्या 150 से 250 के बीच है। दसवी पंचवर्षीय योजना में महिला समाख्या की रणनीतियों के प्रभावों को दर्शाने के लिए प्रत्येक जिले में 250 गांवों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। महिला समाख्या सेवा उपलब्ध कराने वाला कार्यक्रम नहीं है अत: इसको लामबंद करने और संगठन बनाने की प्रक्रिया में समय लगता है। 25 से 40 महिलाओं को संघों में संगठित किया जाता है। ये वो महिलाएँ हैं जो नियमित रूप से महीने में एक या दो बार मिलती हैं। अन्य महिलाएं भी संघों में मुद्दों और गतिविधियों के अनुसार भागीदारी करती हैं। संघों की महिलाओं के परिवार और समुदाय पर इसका व्यापक उत्साहजनक प्रभाव देखा गया है। प्रारंभ में गरीबवर्ग की महिलाओं से संघों का गठन किया गया था। जैसे जैसे संघ की पहचान और सम्मान बढ़ता गया उसमें अन्य सामाजिक समूहों की महिलाएँ भी आने लगीं।

v) महिलाओं की लामबंदी और कार्यक्रम बिन्दु

इन महिला संघों और समूहों ने महिलाओं, विशेषकर गरीब और सीमावर्ती समूहों की महिलाओं को, अपनी शिक्षा और विकास के रास्ते में आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए सामूहिक शक्ति प्रदान की। संघों की महिलाओं ने अपने और अपनी बेटियों के लिए वे मांगे रखी जो व्यक्तिगत स्तर पर वे नहीं रख सकती थीं।

महिलाओं को लामबंद करने और संघ बनाने का काम एक सहयोगिनी द्वारा किया जाता है जो दस गांवों का समन्वयन करती है। कार्यक्रम में महिलाओं की शैक्षणिक, रोजगार मूलक, स्वास्थ्य संबंधित, संसाधनों की प्राप्ति, तथा पंचायती राज में भागीदारी में लिंग आधारित समस्याओं को उठाया गया।

कार्यक्रम में शामिल नवाचार: कुछ उदाहरण

यद्यपि महिला समाख्या कार्यक्रम में कई नवाचार हुए हैं, परन्तु उनमें से कुछ का ही वर्णन हम यहाँ कर पाएंगें।

1 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में महिलाओं को हैण्डपम्प मैकेनिक के रूप में प्रशिक्षित करते समय हैण्डपम्प सुधारने एवं रखरखाव की भाषा में साक्षर किया गया।

2 महिलाओं के मुद्दों से संबंधित क्षेत्रवार पाठ्यक्रम तैयार किए गए जैसे हिंसा, स्वास्थ्य और हर्बल दवाएं, समान मजदूरी, पर्यावरण, जंगल आदि।

3 महिलाओं ने अपनी शिक्षा के साथ अपनी बेटियों की शिक्षा को भी संबोधित किया। महिला संघों ने विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों जैसे गुजरात में ई.सी.सी.ई केन्द्र, आंध्र प्रदेश में बाल मित्र केन्द्र, बिहार में जगजगी केन्द्र (एन एफ ई), उत्तर प्रदेश में उड़न खटोला आदि में सक्रिय भागीदारी कर रचनात्मक रूप से सीखने के लिए अवसर उपलब्ध करवाए। संघों ने शिक्षकों के चयन, केन्द्रों की मॉनीटरिंग, शिक्षा के 'लिए समुदायों के अभिप्रेरण और कुछ मामलों जैसे आंध्र प्रदेश में वित्तीय भागीदारी में सहयोग किया

4 महिलाओं / बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में महिला शिक्षण केन्द्र एक नवाचारी पहल है। ये आवासीय पाठ्यक्रम है जो ग्रामीण स्तर पर जागरूक, प्रशिक्षित एवं साक्षर महिलाओं का समूह विकसित करते हैं। शिक्षार्थियों की आवश्यकतानुसार एवं भागीदारी से विविधात्मक पाठ्यक्रम निर्माण कर जीवन कौशल और अन्य कौशलों के विकास द्वारा उन्हें शिक्षा तंत्र की मुख्यधारा से जोड़ा जाता है। महिला समाख्या कार्यक्रम द्वारा ऐसी बालिकाओं, युवा एवं प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा जाता है जो विभिन्न धरणों से औपचारिक शालाओं एवं वैकल्पिक शालाओं से लाभ नहीं प्राप्त कर पाती हैं। महिलाओं में जागरूकता से इन केन्द्रों की मांग लगातार बढ़ रही है।

5 बहुत से जिलों में महिला समाख्या द्वारा समाचार पत्र आदि प्रकाशित किए जाते हैं जिनकी नवसाक्षरों के बीच काफी लोकप्रियता है। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और असम में अब यह मूल्य आधारित प्रकाशन है।

यद्यपि महिला सामाख्या रणनीति का प्रभाव अभी पूरी तरह महसूस किया जाना है फिर भी इसका प्रभाव निम्न बातों से आँका जा सकता है जैसे:-

1. ग्राम शिक्षा समिति में पूरे आत्मविश्वास के साथ संघ की सक्रिय भागीदारी,
2. वहाँ के शाला कार्यो में, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और
3. गांव के बच्चों का विशेष कर बालिकाओं का औपचारिक स्कूल में शतप्रतिशत नामांकन एवं नियमित उपस्थिति से इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

अब यह प्रयास करने की जरूरत है कि महिला संघ और अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनें और बिना सहयोगियों की मदद के स्वतंत्र रूप रो कार्य कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी इस कार्यक्रम को चालू रखने की अनुमति आर्थिक मामलों की संसदीय समिति द्वारा दी गई है। इस कार्यक्रम के लिए डी आई एफ डी द्वारा आर्थिक सहायता वर्ष 2007-08 से 201 3- 14 तक दी जाएगी। कार्यक्रम वर्तमान में जिन राज्यों में चल रहा है उन्हीं में चलेगा और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य राज्यों में बढ़ाया जाएगा तथा 58-60 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रकार कार्यक्रम के विस्तार से बालिकाओं की शिक्षा व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

12.5.3.2 बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल)

i) पृष्ठ भूमि:

भारत सरकार ने प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान में अतिरिक्त तत्व उपलब्ध करवाने हेतु एक नया कार्यकम 'बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए

राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल)' स्वीकृत किया है। एन.पी.ई.जी.ई.एल. को एस.एस.ए. के अंतर्गत ही एक अलग पहचान के साथ चलाया जा रहा है।

एस.एस.ए. में बालिकाओं की शिक्षा के लिए सीमित जिला स्तर पर नवाचार और मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के रूप में वित्तीय प्रावधान है। अत: बालिका शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटक की आवश्यकता है। तद्नुसार एन. पी.ई.जी.ई.एल. कार्यक्रम की योजना पहली से आठवीं तक विशेष अधिकारों से वंचित / सुविधाविहीन बालिकाओं की शिक्षा के अतंर्गत एस.एस.ए. के अलग और विशेष लैंगिक घटक के रूप में तैयार किया गया। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए लैंगिक घटक का शामिल करना यू.ई.ई. के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

ii) कार्यक्षेत्र: इस योजना का विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों में संचालित है।

(अ) शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्ड (Educationally backward Blocks) ई.बी.बी. से तात्पर्य ऐसे विकास खण्डों से है जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत से निम्न है और लैगिक अंतराल राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त जम्मू कष्मीर के 13 जिलों के सभी विकास खण्ड भी इस परिभाषा के अनुसार और जिन्हें 1991 की जनगणना में शामिल नहीं किया गया था, उन सभी विकासखंडों को शामिल किया गया है।

(ब) जिलों के उन विकास खण्डों को भी इस कार्यकम के अंतर्गत लिया गया है जिनमें कम से कम 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में महिला साक्षरता की दर 10 प्रतिशत से कम है।

(स) चयनित शहरी झुग्गी बस्तियां।

iii) रणनीति:

(अ) इस योजना के अन्तर्गत समुदाय, शिक्षक, अशासकीय संगठनों आदि को बालिका शिक्षा के लिए गतिशील करना। यह एक ऐसा कार्यकम है जिसमें कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी समुदाय की है और स्थानीय सहभागिता से घटकों को कार्यक्रम में शामिल करना है।

(ब) यद्‌यपि योजना के विभिन्न घटकों की सूची योजना में उपलब्ध है परन्तु सभी विकास खण्डों में परियोजना की गतिविधियाँ उस विकास खण्ड की स्थितियों पर आधारित होती हैं। परियोजना विशेष रूप से निम्नलिखित लक्ष्य समूहों को केन्द्रित करती है:

1 शाला से बाहर बालिकाएं।

2 पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाली (ड्रॉप आउट) बालिकाएं।

3 ज्यादा उस की वे बालिकाएं, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है।

4 कामकाजी बालिकाएं।

5 ऐसे सामाजिक समूह जो हाशिए (marginalised) पर है उनकी बालिकाएं।

6 कम उपस्थिति वाली बालिकाएं।

7 कम उपलब्धि वाली बालिकाएं।

(स) तीसरी रणनीति के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के लिए विशेष सामग्री तैयार करना जिसमें पठन-पाठन सामग्री, सी.डी., फिल्म, पाठ्य पुस्तकें, लैंगिक समानता पर केन्द्रित

मार्गदर्शिका, जीवन कौशलों के विकास से युक्त सहायक पठन-सामग्री तैयार करना और संकलित करना, यह सामग्री बालिका शिक्षा के लिए सहयोग उपलब्ध करवाने में सहायक है।

iv) उद्देश्य: एन.पी.ई.जी.ई.एल. के निम्न उद्देश्य हैं:

(अ) बालिकाओं के लिए शाला तक पहुँचने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उन्हें शाला में बनाए रखना और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता सुनिश्चित करना।

(ब) विभिन्न हस्तक्षेपों के द्वारा शिक्षा की गुणवता बढ़ाना और बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा की सार्थकता और गुणवता पर जोर देना।

v) योजना के केन्द्र

पी.ई.जी.ई.एल निम्न बिन्दुओं पर केन्द्रित है:

(अ) प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा की योजना, प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय राज्य और जिले के संस्थानों और संगठनों की क्षमताओं को सशक्त करना और एक ऐसी गतिशील प्रबंध संरचना बनाना जो बालिका शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।

(ब) सम्बन्धित संगठनों और महिला समूहों के सहयोग से शिक्षकों और प्रशासकों के लिए नवाचारी लैंगिक संवेदनशील आधारित प्रशिक्षण कार्यकम विकसित करना और ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें शिक्षा क्षेत्र के सभी विभाग लैंगिक असमानता को दूर करने में शिक्षा की भूमिका के प्रति सक्रिय एवं संवेदशील बनें।

(स) विभिन्न संस्थानों के बीच नेटवर्किंग (संजाल) स्थापित करना जिससे लैंगिक संवेदनशील, गुणवत्तामूलक पठन-पाठन सामग्री (विशेषकर क्षेत्रीय भाषा में) और क्षेत्र विशेष के परिवारों में वृद्धि के लिए विकेन्द्रित हस्तक्षेपों के प्रतिमानों में होने वाले अनुसंधानों, विस्तार कार्यक्रमों और सूचना प्रसारण के लिए विभिन्न संस्थानों के बीच नेटवर्किंग प्रारंभ करना।

(द) बालिकाओं एवं महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सम्पूर्ण शिक्षा तंत्र की सकारात्मक हस्तक्षेप के रूप में की भूमिका को बढ़ावा देना; महिलाओं की समाज, राजनीति और आर्थिक भागीदारी को पहचान दिलाकर उनकी सकारात्मक छवि बनाना।

(ई) लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करते हुए सुनिश्चित करना कि शिक्षा की प्रक्रिया और विषय वस्तु लैंगिक समानता के सम्बन्ध में संवेदनशील है।

(फ) प्रारंभिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी और प्रदर्षन बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोगी सुविधाओं की सुनिश्चितता के लिए समन्वित प्रयास कराना।

(ग) बालिका शिक्षा के लिए समुदाय का सहयोग प्राप्त करना और बालिका शिक्षा के लिए शाला, समुदाय और परिवार में प्रेरक वातावरण उपलब्ध करवाना।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि बालिकाओं को प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्राप्त हो।

vi) योजना के संचालन के लिए प्राधिकरण

राज्य स्तरीय संरचना

राज्य स्तर पर एस.एस.ए. का संचालन करने वाली समिति एन.पी.ई.जी.ई.एल. की संचालक एजेन्सी है। अत: इस कार्यकम के लिए धनराशि राज्य में एस.एस.ए. समिति के माध्यम से प्राप्त होती है। राज्य स्तर पर एन.पी.ई.जी.ई.एल. की मॉनिटरिंग के लिए एक जेन्डर समन्वयक नियुक्त किया गया है। जिन राज्यों में महिला समाख्या कार्यकम चलाया जा रहा है वहाँ एन.पी.ई.जी.ई.एल. का संचालन महिला समाख्या समिति द्वारा किया जाता है ऐसे राज्यों में एस.एस.ए. समिति कार्यकम संचालित करने के लिए धनराशि महिला समाख्या समिति को स्थानांतरित करती है। कार्यकम की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन राज्य एस.एस.ए. सोसायटी के द्वारा किया जाता है। जहाँ महिला समाख्या संचालित नहीं है वही इस तत्व का संचालन, सर्वशिक्षा अभियान समिति की उप इकाई 'जेन्डर यूनिट' के जरिए किया गया और एस.एस.ए. के संचालन के लिए उपयोग किए तरीकों का उपयोग ही इसके लिए भी किया गया।

भारत सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत गठित महिला समाख्या सोसायटी (एम.एस.एस.) कार्यक्रम को दिशानिर्देश और सहयोग देती है । महिला समाख्या समिति अपने राज्य स्त्रोत समूह (एस.आर.जी) में अजा. / अजजा का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। जिन राज्यों में महिला समाख्या समिति का गठन नहीं हुआ है वहाँ सर्वशिक्षा अभियान की उप समिति जिसमें सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि, राज्य सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधि, बालिका शिक्षा के विषेशज्ञ और अजा / अजजा महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल कर काम किया जाता है।

एन.पी.ई.जी.ई.एल. अन्य संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के महिला अध्ययन केन्द्रों की मदद ले सकती है। राज्य स्तर पर महिला समाख्या कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधन केन्द्र, सामग्री निर्माण के लिए व्यक्तियों, सरकार और अन्य संगठनों के साथ नाडल संस्थान होगा।

जिला स्तरीय संरचना

'जिला जेन्डर यूनिट' (डी जी भू जो राज्य महिला समाख्या समिति या राज्य एस.एस.ए. समिति की शाखा है (जिन राज्यों में महिला समाख्या समिति नहीं है) वह जिले में एन.पी.ई.जी.ई.एल. कार्यक्रम के संचालन के लिए जिम्मेदार है। जिला स्तरीय जेन्डर यूनिट में जिला जेन्डर समन्वयक. और सहयोगी कर्मचारी होते हैं। यह यूनिट जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के सभी तत्वों के लिए समन्वयन और निरीक्षण और संसाधन एवं प्रशिक्षण सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार है। यह जिले में जिला प्रशासन, अन्य संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के बीच तारतम्य स्थापित करती है।

जिला स्तर की गतिविधियों में कई तैयारी गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे - बालिका शिक्षा के लिए कोर टीम बनाना, कोर टीम का प्रशिक्षण, बेस लाइन मूल्यांकन, विकासखंड और गांव की मैपिंग (नक्शा बनाना) और सामाजिक आकलन, गांव और विकासखंड की योजना बनाना। इसके साथ-साथ गाँव में न्याय संबंधी और सम्प्रेषण (communication) गतिविधियां जैसे माता शिक्षक संघ और अभिभावक विकास संघ एवं अन्य कोर समूह का गठन और अभिप्रेरण आदि विकासड की योजना के क्रियान्वयन में शामिल हैं।

जिला स्तर पर 'जेन्डर को ऑर्डीनेशन कमेटी' एस.एस.ए. के जेन्डर के मुद्दे का संचालन और मॉनीटरिंग सुनिश्चित करती है। यह समिति साल में कम से कम दो बार मिलती है। जिला

स्तर पर इस समिति में माता शिक्षक संघ (एम.टी.ए.) महिला अभिप्रेरणा समूह (डब्ल्यू.एम.जी. 1 महिला समाख्या संघ या महिला संघ, अजा / अजजा की महिला सदस्य आदि के प्रतिनिधि तथा राज्य स्तरीय जेन्डर यूनिट के प्रमुख या उनके नामित प्रतिनिधि इसके सदस्य होते है।

उपजिला / विकास खंड इकाई

ब्लाक स्तर का कोर ग्रुप, डी.जी.यू तथा वर्तमान में संचालित कार्यक्रमों के साथ समन्वयन और अभिबिन्दुता (कन्वर्जेन्स) के लिए जिम्मेदार हैं। ये छात्रों, शिक्षकों एवं स्वयंसेवियों की सहायता से सर्वेक्षण कर ग्राम योजना तैयार करने में मदद करते हैं और इन योजनाओं के संचालन पर पूरी नजर रखते हुए इसमें अतिरिक्त कोर ग्रुप समुदाय के अभिप्रेरण, गांवों की शाला में नामांकन में होनेवाली प्रगति की मॉनीटरिंग, ड्रॉप आउट, बालिकाओं की उपलब्धि के लिए ग्राम शिक्षा समिति / एम.टी.ए. ग्रामीण समुदाय के द्वारा हस्तक्षेप का जरिया होंगे और गांव में बालिका शिक्षा के लिए विशेष माहौल बनाएंगे।

ब्लॉक स्तर पर कोर ग्रुप में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं -

1. समन्वयक: 1 (शिक्षकों में से चयनित)
2. स्त्रोत व्यक्ति 1 (शिक्षकों में से चयनित)
3. क्षेत्र स्तर पर रिसोर्स सपोर्ट ग्रुप के सदस्य:- समुदाय के अभिप्रेरण के लिए समुदाय के कार्यकर्ता और फील्ड पर स्त्रोत सहयोग के लिए, छात्रों, युवाओं और महिला विद्यार्थियों में से।

ग्राम स्तर पर गतिविधियां का समन्वयन, महिला समाख्या संघ, कोर ग्रुप, ग्राम शिक्षा समिति, माताओं की समिति या अभिभावक शिक्षक सघ के द्वारा किया जाता है। जिला इकाई, संकुल समन्वयक और ग्राम संघ क्रमश: ग्रामीण गतिविधियों की प्राथमिकता और संकुल ग्राम के प्रोत्साहन का निर्णय करते हैं।

संकुल की गतिविधियों की मॉनीटरिंग के लिए एक संकुल स्तरीय समिति बनाई गई है जिसमें ग्राम शिक्षा समिति (वी.ई.सी.) / शाला प्रबंधन समितियों (एस.एम.सी.) के अध्यक्ष सदस्य हैं। इस समिति में कम से कम चार महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

राष्ट्रीय सहयोग (सपोर्ट) समूह

महिला समाख्या कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहयोग समूह पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित मुद्दों पर अपनी राय देता आ रहा है और भारत सरकार को नीतिगत सलाह भी देता है। यह समूह विशेष इनपुट के लिए सम्बन्धित संस्थानों या विशेषज्ञों की सहायता से बालिकाओं को शिक्षित करने के अन्य अनुभवों को शामिल करते हुए विशेष प्रयास कर रहा है।

vii) बालिका शिक्षा कार्यक्रम के घटक

यही हम एन पी.ई.जी.ई.एल के मुख्य बिन्दुओं और उपबिन्दुओं का उल्लेख कर रहे हैं। आप भारत सरकार की वेबसाइट - www.mhrd.gov.nic.in से प्रत्येक घटक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(i) आदर्श संकुल शाला (एम.सी.एस.):- जहाँ यह योजना संचालित है उन सभी जिलों / विकास खंडों में संकुल स्तर पर एक बालिका मित्रता (गर्ल चाइल्ड फ्रेन्डली) आदर्श स्कूल का संचालन

(ii) प्रत्येक संकुल के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेपों में से एक या अधिक हस्तक्षेप के लिए (60,000 /- वार्षिक सीलिंग प्रति संकुल) का चुनाव किया जा सकता है

(अ) मॉडल संकुल शालाओं को आपूर्ति अनुदान

(ब) शाला शिक्षकों को पुरस्कार

(स) छात्रों का मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ब्रिज कोर्स (सेतु पाठ्यक्रम), वैकल्पिक शालाएं।

(द) मुक्त विद्यालय के जरिए पढाई।

(ई) शिक्षक प्रशिक्षण

(उ) बाल देखभाल केन्द्र (चाइल्ड केयर सेन्टर)

(iii) अतिरिक्त प्रोत्साहन

(iv) पोषण एवं शाला स्वास्थ्य

(v) समुदाय का अभिप्रेरण (नामांकन, निरंतरता एवं सीखने के लिए)

(vi) संचालन, मॉनीटरिंग एवं निरीक्षण

viii) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्यक्रम की गतिविधियाँ -

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की जाती हैं जैसे- एस.एस.ए. की गतिविधियों के अतिरिक्त राज्य स्तर पर एन.पी.ई.जी.ई.एल. की संचालन इकाई की प्रमुख गतिविधियों में जेन्डर आधारित निम्न सामग्री के विकास पर मुख्य ध्यान रहता है :-

(अ) पठन पाठन सामग्री, सी.डी. फिल्म और अन्य प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण

(ब) पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा / विकास, जेन्डर संबंधी मुद्दों के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका का विकास

(स) बालिकाओं के लिए जीवन कौशल शिक्षा से युक्त सहायक पठन सामग्री का निर्माण / संकलन ताकि बालिका शिक्षा में सहयोग मिल सके ।

(द) जेन्डर के उद्देश्य से मूल्यांकन के लिए उपयुक्ता पाठ्यक्रम एवं शिक्षण का विकास / संकलन करना। महिला समाख्या, लोकजुम्बिश परियोजना और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्य सामग्री और पेडागॉजी आदि का विकास पहले ही किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों की जेन्डर आधारित समीक्षा, जेन्डर सहायक पाठन सामग्री का विकास आदि को भी संकलित किया जा रहा है।

ix) क्रियान्वयन की पद्धति

एन.पी.ई.जी.ई.एल. की जिला स्तरीय संचालन इकाई के द्वारा बालिका शिक्षा घटक के लिए अलग से उपयोजना तैयार कर पहले राज्य स्तर पर स्त्रोत समूह द्वारा इसकी समीक्षा की

जाती है। प्रत्येक तैयार योजना की पूर्व समीक्षा के लिए एक टीम का गठन किया गया है। जिसमें दो प्रभावशाली व्यक्तियों / अनुभवी एन.जी. ओ और बालिका / महिला शिक्षा के विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। एम.एस.ए के प्रोजेक्ट अप्रेजल बोर्ड द्वारा उस टीम की सहायता से प्रत्येक उपभोक्ता की समीक्षा की जाती है तत्पश्चात् उसे राष्ट्र स्तर पर अनुमोदन के लिए भेजा जाता है।

x) एन.पी.ई.जी.ई.एल. के अन्तर्गत वित्तीय मापदण्ड

इस घटक के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों की भागीदारी दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एस. एस.ए. के पैरामीटर के अनुसार 75:25 है और उसके बाद 50:50 की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकार की 50 प्रतिशत भागीदार के बारे में लिखित में राजीनामा / सहमति होती है।

यद्यपि एन.पी.ई.जी.ईल के लिए किया गया प्रावधान, एस.एस.ए. में पहले से किए गए प्रावधान के अतिरिक्त है परन्तु एस.एस.ए. सोसायटी को सुनिश्चित करना होता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियों का दोहराव नहीं होगा।

भारत सरकारएस.एस.ए. राज्य संचालन समिति को सीधे धनराशि प्रदान करती है। राज्य सरकार भी अपनी भागीदारी राज्य संचालन समिति को देती है। इसके बाद इस कार्यक्रम के संचालन हेतु महिला समाख्या समिति को सीधे धनराशि प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। जहाँ महिला समाख्या नहीं है- वहां एस.एस. ए. की जेन्डर यूनिट को धनराशि प्रदान की जाती है।

12.5.3.3 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

i) पृष्ठ भूमि

बालिका शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक ओर योजना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के. जी.बी.वी) है। इस योजना के अन्तर्गत अजा / अजजा / ओबीसी. और अल्पसंख्यकों, पहुँचविहीन क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए प्रारंभिक स्तर के 750 आवासीय स्कूल बोर्डिंग सुविधा के साथ खोले गए है। यह योजना, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की पहले चल रही योजनाओं के साथ समन्वय करके संचालित की जा रही हे। जैसे- सर्वशिक्षा अभियान, एन.पी.ई.जी.ई.एल. और महिला समाख्या;

ii) योजना का क्षेत्र

यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों (ई.बी.बी.) में चलाई जा रही है जहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है और शिक्षा में जेन्डर अन्तराल राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ई.बी.बी के चयन के लिए मापदण्ड एन.पी.ई.जी.ई.एल. के समान ही है। इन विकासखंडों में शालाओं की स्थापना निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं :

1. अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अधिक हो, बालिका साक्षरता का स्तर निम्न हो और बड़ी संख्या में बालिकाएं शाला से बाहर हों।
2. अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यक जनसंख्या जहाँ कम महिला साक्षरता दर हो और बड़ी संख्या में बालिकाएं शाला से बाहर हो।
3. निम्न महिला साक्षरता दर वाले क्षेत्र

4. कम एवं बिरली आबादी वाले क्षेत्र जहाँ शालाएँ नहीं है।

iii) उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समाज के वंचित समूह की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और बोर्डिंग व्यवस्था के साथ अवासीय शालाओं की स्थापना।

iv) रणनीति

(i) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, 500 से 750 आवासीय शालाओं की स्थापना किराए के या अन्य उपलब्ध शासकीय भवनों में स्थान निष्चित करने के बाद खोलना।

(ii) एस.एस.ए. की जिला स्तर की अधिकृत समिति जिले की वास्तविक योजना निर्माण के समय यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे आवासीय विद्यालय केवल उन्हीं विकासखंडों में खोले जाए जहाँ बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए आवासीय शालाएं सामाजिक न्याय एवं

(iii) सशक्तीकरण मंत्रालय और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की किसी भी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है।

v) योजना के घटक :

इस योजना के घटक निम्नानुसार है :-

- ऐसे स्थानों में आवासीय शालाएं स्थापित करना जहाँ अजा, अजजा और अल्पसंख्यक समुदायों की कम से कम 50 बालिकाएं शिक्षा के लिए उपलब्ध हों।
- इन शालाओं के लिए आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराना।
- इन शालाओं के लिए आवश्यक पठन-पाठन सामग्री और सहायक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था कराना।
- अनिवार्य अकादमिक सहयोग और मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए उपयुक्त तंत्र की स्थापना।
- बालिकाओं और उनके परिवार के सदस्यों को उन्हें आवासीय शाला में भेजने के लिए अभिप्रेरित करना।
- प्राथमिक स्तर पर योजना का केन्द्र बिन्दु थोड़ी बड़ी बालिकाओं (10) पर होगा जो स्कूल से बाहर हैं और जो अपनी प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूरा करने में भी अक्षम हैं। जबकि कठिन सुदूर क्षेत्रों में (पलायित जन संख्या, बिरली बस्ती जो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए योग्य नहीं हैं) छोटी बालिकाएँ भी लक्ष्य समूह में हैं।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर लक्षित समूह में विशेष कर वे किशोरी बालिकाएं लक्ष्य समूह में हैं जो नियमित शालाओं में नहीं जा सकती।
- इस योजना के लक्ष्य के अनुसार इन शालाओं में 75 प्रतिशत नामांकन अजा अजजा / पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को दिया जाता है। इसके बाद 25 प्रतिशत नामांकन गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की बालिकाओं को दिया जाता है।
- जहाँ सम्भव हो वहाँ स्थापित गैर सरकारी संस्थाएँ और अन्य लाभ के लिए काम न करने वाली संस्थाएँ इन स्कूलों का संचालन करेगी। ये आवासीय स्कूल कॉरपोरेट समूहों द्वारा गोद भी लिए जा सकते हैं। इसके लिए अलग से मार्गदर्शिका उपलब्ध है।

vi) संचालन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

एन.पी.ई.जी.ई.एल. की तरह यह योजना भी राज्य सरकारों के द्वारा महिला समाख्या समिति और जहाँ महिला समाख्या नहीं है वही सर्वशिक्षा अभियान समिति के जरिए संचालित की जा रही है। धनराशि एस.एस. ए. सोसायटी को दी जाती है और मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन महिला समाख्या समितियों और जहाँ महिला समाख्या नहीं है वहां एस.एस.ए. सोसायटी में एन.पी.ई.जी.ई.एल. के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा की जाती है।

आवासीय स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ का प्रशिक्षण डाइट, विकासखंड स्त्रोत केन्द्र और महिला समाख्या स्त्रोत समूह के द्वारा की जाती है।

राज्य सहयोग समूह

एनपी.ई.जी.ई.एल के अन्तर्गत अनुमोदित की गई राज्य स्तरीय सलाहकार समन्वय समिति इस कार्यक्रम को दिशा निर्देश और सहयोग प्रदान करती है। इस समूह में राज्य सरकार के संबद्ध विभाग और भारत सरकार के नामित प्रतिनिधि, बालिका शिक्षा के विशेषज्ञ, शिक्षाविद् आदि सदस्य होते हैं। एन.पी.ई.जी.ई.एल. और इस योजना का संचालन करने वाली समिति की अनुशंसा से एक उपयुक्त स्कूल का मॉडल और उसके लिए स्थान का चयन किया जाता है।

राष्ट्रीय सहयोग समूह / राष्ट्रीय स्त्रोत समूह

एन.पी.ई.जी.ई.एल. की तरह के.जी.बी.वी में भी राष्ट्रीय स्तर का सहयोगी / स्त्रोत समूह (एन.आर.जी) होता है। क्योंकि एन.आर.जी. में कम सदस्य होते हैं और वे साल में दो या तीन बार ही मिलते हैं अत: विशेष मुद्दों जैसे-शिक्षकों का जेन्डर आधारित प्रशिक्षण, जेन्डर आधारित पठन पाठन सामग्री का विकास, दृष्य-श्रव्य कार्यक्रम विकसित करना आदि पर सहयोग के लिए एन.आर.जी के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों की छोटी उपसमितियों द्वारा किया जाता है।

vii) **पद्धति :-** राज्य स्तरीय समिति बालिकाओं की संख्या और जिला समिति की अनुशंसाओं के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्कूल का मॉडल तय करते हैं। शेष सभी प्रक्रिया एन.पी.ई.जी.ई.एल. की तरह ही होती है।

viii) **के.जी.बी.वी. के वित्तीय मापदंड :-** के.जी.बी.वी. के वित्तीय मापदण्ड एस.एस.ए. व एन.पी.ई.जी.ई. एल. के समान ही हैं।

योजना आयोग के द्वारा 2006 में बालिकाओं की शिक्षा और अन्य वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए एक कार्य समूह बनाया गया। इस समूह ने के.जी.बी.वी योजना को कक्षा 12वीं के स्तर तक बढ़ाने की सिफारिश की है। इसने यह सुझाव भी दिया कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक बालिका के नाम पर 3000 रू. प्रोत्साहन के रूप में जमा किए जाएं, जिसे वह 18 वर्ष की उस होने के बाद ही निकाल सके। इससे बालिकाओं को अपनी शिक्षा जारी रखने में प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत सरकार ने मार्च 2००7 तक पूरे देश में 2180 के.जी.बी.वी. अनुमोदित किए हैं । अनुमोदित के.जी.बी.वी. और उनमें नामांकित बालिकाओं की संख्या की सूची तालिका 2 में दी गई है।

तालिका 2: के.जी.बी.वी. और उनमें नामांकित बालिकाओं की राज्यानुसार संख्या (31 अक्तूबर 2007 तक)

क्र.	राज्य	के.जी.बी.वी. की कुल अनुमोदित संख्या	संचालित के.जी.बी.वी की संख्या	कुल नामांकित
1	आंध्र प्रदेश	342	134	17960
2	अरूणांचल प्रदेश	25	25	1250
3	असम	15	15	733
4	बिहार	350	173	9435
5	छत्तीसगढ़	84	84	5422
6	दादर और नगर हवेली	1	0	0
7	गुजरात	52	51	2669
8	हरियाणा	9	6	324
9	हिमाचल प्रदेश	10	9	346
10	जम्मू ओर कश्मीर	51	13	781
11	झारखण्ड	187	187	16885
12	कर्नाटक	61	61	5446
13	मध्य प्रदेश	185	185	9245
14	महाराष्ट्र	36	16	1414
15	मनिपूर	1	1	30
16	मेघालय	1	1	60
17	मिझोरम	1	1	80
18	उड़ीसा	114	114	9542
19	पंजाब	2	2	50
20	राजस्थान	186	186	11337
21	तमिलनाडू	53	53	2220
22	त्रिपुरा	7	7	140
23	उत्तर प्रदेश	323	172	11730
24	उत्तराखंड	25	22	1079
25	पश्चिम बंगाल	59	46	1608
	कुल	2180	1564	109786

स्त्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवम्बर 2009

फरवरी 2007 में कुछ विशेषज्ञों द्वारा 12 राज्यों के के.जी.बी.वी. का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन करवाया गया। जिसमें इस योजना को पूरी तरह संतोषजनक पाया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन का प्रतिवेदन -www. Ssa.nic.in पर उपलब्ध है। आप अपनी आश्यकता के अनुसार विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 5

1 महिला समाख्या कार्यक्रम, एन.पी.ई.जी.ई.एल. व के.जी.बी.बी. के उड़ेश्यों मै क्या समानतेए ओर भिन्नताए है चर्चा करे।

12.6 बालिका शिक्षा : कुछ उदाहरण

शिक्षा बालिकाओं एवं महिलाओं में जागरूकता लाती है और ऐसी बालिकाएं और महिलाएं आगे चल कर बालिका शिक्षा क्षेत्र में और समुदाय की सेवाओं के लिए काम करती हैं। नीचे इससे सम्बन्धित कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इसी तरह अपने राज्य से भी कुछ उदाहरण एकत्र कर सकते हैं :-

i) बालमंच (Child's Forum) -

बाल मंच के सदस्य गरीब परिवारों के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने जैसे बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं से एक जुट होकर लड़ते हैं। यह अनोखा बालमंच पूरी तरह बच्चों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। इन्होंने साफ-सफाई के जरिए शिक्षा के संगठित मुद्दों को समझने के लिए अपने क्षेत्र के प्रौढ़ों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। बालमंच बनाने का विचार, कंचन के बाल अधिकार पर कार्यशाला में भागीदारी के बाद आया। इसके साथ ही कंचन ने अपने मित्रों लक्ष्मी और सुनीता के साथ मिलकर एक मंच बनाने की पहल की और एक गैरसरकारी संगठन कास्प (CASP) की मदद से एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया जहाँ बच्चें अपनी समस्याओं को रख सकें और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें।

कंचन झा (15) दिल्ली में रहनेवाली एक बहुत ही सामान्य लड़की है जिसे यूनाइटेड नेशन्स जनरल एसेम्बली के बाल अधिकार के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए छः अन्य बच्चों के साथ चुना गया था। इसमें अन्य देशों से 175 बच्चों ने भाग लिया था।

कंचन ने ऐसी बालिकाओं की मदद करने का निष्चय किया जिन्हें अवसर नहीं मिलते। पोस्टर अभियान के माध्यम से इन प्रतिभावान बच्चों ने शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया। बालमंच के सदस्यों ने अपने परिवारों के प्रौढ़ों को पढ़ना लिखना सिखा कर इसकी शुरूआत की।

ii) महिला शिक्षण केन्द्र / आवासीय शिक्षा / बालिकाओं के लिए साक्षरता अभियान -

उत्तर प्रदेश में महिला समाख्या ने उन कल्याणकारी संगठनों को सहयोग दिया जिन्होंने प्रदेश के 12 जिलों के 2066 गांवों में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं के नामांकन को प्रोत्साहित किया।

महिला समाख्या द्वारा सफलता पूर्वक की गई पहलों में आवासीय साक्षरता शिविर, साक्षरता केन्द्र और किषोर बालिकाओं, जो स्कूल छोड़ चुकी थी या कभी शाला नहीं गई, के लिए महिला शिक्षण केन्द्र है।

अन्य पहलों में शामिल हैं स्थानीय आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम का विकास, सतत शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समाचार पत्र (news letter) और चलित पुस्तकालय महिलाओं के एकजुट प्रयासों ने बालिका शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित की तथा समुदाय के दबाव और लगातार अभियान को मजबूती प्रदान की। इसके

फलस्वरूप महिला समाख्या में शामिल 332 गांवों में 6 से व 12 आयु वर्ग के बच्चों की शाला में शत प्रतिशत दाखिले की उपलब्धि हुई।

समुदाय आधारित अन्य प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में बालिकाओ के लिए साल भर चलने वाले आवासीय शिक्षण शिविर लगाए गए। स्थानीय समुदाय, गैर सरकारी संगठन एवं राज्य सरकार ने एक साथ मिलकर 10 से 14 वर्ष की उन सभी लड़कियों को पढने का अवसर देना सुनिश्चित किया जो कभी भी स्कूल नहीं जा सकी थी।

iii) सावित्री बाई फॉस्टर पैरेन्ट स्कीम

महाराष्ट्र में 1963 में सावित्रीबाई फॉस्टर पैरेन्ट स्कीम लाग की गई। लोगों ने गरीबी रेखा के नीचे की बालिकाओं की शिक्षा के लिए 30 रू. प्रतिमाह जमा करने का स्वनिर्णय लिया और उनका नगर निगम के स्कूलों में कक्षा आठवीं तक पढ़ना सुनिश्चित किया। इस योजना द्वारा राज्य में 10-12 प्रतिशत सबसे गरीब बालिकाओं की शिक्षा के लिए धन उपलब्ध करवाया गया।

iv) झूला कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्कूलों की नीरस दिनचर्या को रोचक तरीके से सीखने में बदलने के लिए ' 'झूला' ' परियोजना चलाई गई । जहाँ यह कार्यक्रम चलाया गया वहाँ शाला त्यागने का प्रतिशत तेजी से कम हुआ । इससे केन्द्र सरकार को इस कार्यक्रम की केन्द्रीय सहयोग से किए जाने वाले प्रयास में शामिल करने को प्रोत्साहित किया। झूला कार्यक्रम ने स्कूल को एक रोचक एवं मनोरंजन से भरपूर स्थान बनाया। इस कार्यक्रम में शाला में कार्नीवाल की तरह दो सीटों वाला झूला, मेरी गोराउन्ड जंगल जिम और सी-सी जैसे बच्चों के रोचक खेलों की सुविधा शामिल है इन स्कूलों को आदर्श संकुल शालाओं के रूप में विकसित कर, बालिकाओं को उपचारात्मक शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम के जरिए सिखाया जा रहा है। इस पैकेज में मुफ्त कार्य पुस्तिका और यूनीफार्म भी शामिल है।

v) आदि द्रविदर वेलफेयर फण्ड

तमिलनाडु में अजा / अजजा छात्राओं की शाला में उपस्थिति पर 'आदि द्रविदर वेलफेयर फन्ड' द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े 14 जिलों में नियमित उपस्थिति पर 500 रू. प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी प्रकार अजा / अजजा बालिकाओं के कक्षा छठवीं में प्रवेश करने पर पूरे राज्य में (चेन्नई को छोडकर) 100 रू. प्रतिमाह दस महीनों तक दिया जाता है। प्रोत्साहन राशि उन प्रधानाध्यापकों को दी जाती है जो सबसे ज्यादा संख्या में बालिका शिक्षार्थियों का नामांकन कक्षा 6 में करते हैं और उन्हें दसवीं तक निरंतर बनाए रखने में सफल होते हैं।

vi) जगजागी केन्द्र -

बिहार का जगजागी केन्द्र 9 से 15 साल की बालिकाओं के लिए दिन का स्कूल और वंचित समुदाय का निरक्षर और पढ़ाई पूरी न कर 'पाने वाली महिलाओं के लिए है। इन केन्द्रों में बुनियादी साक्षरता और गणित की पढ़ाई हफ्ते में छः दिन होती है और प्रतिदिन चार घंटे कक्षाएं लगती है। पठनपाठन सामग्री जेन्डर से जुड़े संवेदनशील और विशेष रूप से स्थानीय परिस्थितियों और समस्याओं जैसे-स्वास्थ्य, कानूनी सहायता, पर्यावरण एवं महिलाओं के मुद्दों पर केन्द्रित होती

है। इस केन्द्र से निकली 18 वर्षीय ललिता की कहानी यूनीसेफ की वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन रिपोर्ट, 2004 में शामिल की गई।

vii) युवा भारतीय स्कूल (यंग इण्डियन स्कूल) -

इरफाना मुजावर और गजाला मुगल स्वयं के शिक्षित बनने और दूसरों को शिक्षित करने की तीव्र इच्छा की वजह से इस अभियान से जुड़ी। एक ने समाज शास्त्र में एमए. किया और दूसरी ने क्राफ्ट में डिप्लोमा किया। इसके बाद अपने माता-पिता की मर्जी के अनुसार शादी करने के बजाय उन्होंने अपनी बचत से लड़कियों के लिए जोगेष्वरी की झुग्गी बस्ती में एक स्कूल खोला। वे शादी न करके समाज के लिए काम करना चाहती थी। गजाला और इरफाना ने यंग इण्डियन स्कूल प्रारंभ करने के लिए पाँच अन्य महिला शिक्षकों को साथ लिया और छोटी बच्चियों को पढ़ने में मदद की। वे अपने परिवारों की पहली साक्षर पीढ़ी बनी।

viii) यारी दोस्ती - सखी सहेली कार्यक्रम -

लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम स्कूलों में 2008 से आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बालकों को कन्या आ हत्या, दहेज जैसी कुरीतियों एवं बालिका शिक्षा की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना। इसके परिणामस्वरूप ये बालक अपने अपने क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों एवं पोस्टरों के माध्यम से समुदाय के लोगों में जागरूकता लाऐंगे। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र, राजस्थान व गोवा में अन्तर्राष्ट्रीय महिला अनुसंधान केन्द्र (आई सी आर डब्ल्यू) तथा स्थानीय गैरसरकारी संगठनों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 10-16 वर्ष के बालकों को लक्ष्य बनाया गया है। यह कार्यक्रम अन्य लैंगिक विषयों से जुड़े कार्यक्रमों से भिन्न है क्योंकि इसमें पुरूषों व बालकों की सहायता से लैंगिक समानता व सशक्तिकरण लाने पर जोर है।

ix) सरकार के द्वारा प्रोत्साहन -

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेरिट में स्थान पाने वाली छात्राओं को विशेष वृत्ति दी गई और उन्हें विशेष बस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। अभी छात्राओं को मुफ्त में बाइसिकल देने की योजना भी लागू की गई है। कुछ स्कूल लड़कियों की कक्षाएं सुबह के समय लगाते हैं ताकि वे अंधेरा होने से पहले घर वापस पहुंच सकें। शिक्षकों को कक्षा में चक्रीय बैठक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए ताकि लड़कियां और लड़के बारी-बारी से कक्षा में सामने की सीट पर बैठ सकें।

प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के साथ प्रत्येक राज्य में बहुत से प्रयत्न बालिका शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। यहाँ उन सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है।

12.7 सारांश

इस इकाई में हमने बालिका शिक्षा से जुड़े कुछ मुद्दों एवं कारणों के बारे में चर्चा की। जब से शिक्षा को विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया तब से ही सभी देशों ने बच्चों एवं प्रौढ़ों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आरंभ किया। विश्वस्तरीय कई बैठकों और सम्मेलनों के परिणामस्वरूप हमारे देश में भी शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु पहले प्राथमिक शिक्षा फिर उच्चप्राथमिक शिक्षा स्तर पर संगठित प्रयास किए गए। इन प्रयत्नों में बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण मुद्दे थे। बालिकाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं अजा / अजजा

की बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है क्योंकि इन समूहों में लैंगिक असमानता बहुत अधिक है जो कि इन समूहों के विकास (सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक और आर्थिक) पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों, समुदायों और गैरसरकारी संगठनों के माध्यम से कई योजनाएँ प्रारंभ की गई जिनमें प्रमुख है महिला समाख्या, एन.पी.ई.पी.ई.एल. और के.जी.बी.बी.। इनके अतिरिक्त कई गैरसरकारी संगठनों ने भी बालिका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किए है जिनकी चर्चा इस इकाई में संक्षिप्त में की गई है। बालिका शिक्षा से जुड़े कुछ प्रत्यय जैसे लैंगिक समता, समतुल्यता और समानता को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

यद्यपि केन्द्र व राज्य सरकारों के साथ बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कर लड़कियों की शिक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं फिर भी ये प्रयास काफी कम हैं और देश के कुछ हिस्से तक ही सीमित है। इसके साथ-साथ महिलाओं की शिक्षा के लिए समुदाय एवं माता-पिता के जुड़ाव को भी सहमति देता है। कम खर्च, लचीली समय-सारणी, नए पाठ्यक्रम जो जेन्डर की परम्परागत छवि को नकारते हैं, घर के पास शाला, ज्यादा महिला शिक्षक और बच्चों की देखभाल ने बालिकाओं के मनोबल को बढ़ाया है और उन्हें स्कूल के लिए तैयार किया है।

मूल्यांकन प्रश्न

निम्न से संबंधित प्रतिवेदन आपको केन्द्र पर जमा करने हैं।

1 आपके क्षेत्र में सर्वेक्षण के आधार पर निम्न के बारे में सूचना एकत्रित करें व डेटाबेस बनाएँ
   i. प्रारंभिक शालाओं में महिला शिक्षकों की संख्या
   ii. प्रारंभिक शालाओं में बालक व बालिकाओं की कक्षावार संख्या

2 आपके क्षेत्र में बालिका शिक्षा हेतु क्या प्रयत्न किए गए हैं इसके बारे में एक लेख तैयार करें। इसके लिए आप एस.एस.ए. के जिला कार्यालय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की सहायता ले सकते हैं।

3 आपके क्षेत्र में एन.पी.ई.जी.ई.एल. अथवा के.जी.बी.बी. का निरीक्षण करें और पता करें कि वास्तव में बालिकाएँ इन योजनाओं से लाभान्वित हो रही हैं। उनसे उनकी उपलब्धियों एवं समस्याओं पर चर्चा कर एक प्रतिवेदन तैयार करें।

12.8 संदर्भ ग्रंथ

1 DEP-DPEP (2003). Distance education initiatives in DPEP. IGNOU-NCERT Collaborative Project sponsored by MHRD. New Delhi: IGNOU

2 MHRD (2004). Manual for planning and appraisal (2004). New Delhi: Department of Elementary Education & Literacy.

3 Global Monitoring Report (2005). Education or all: The Quality Imperative.

4 MHRD (2002). Revised scheme of teacher education for 10th plan, New Delhi: GOL.

5 UN Millennium Project (2002) http://education. Nic.in/web.efa.htm

6 www.unesco.org/education/efa retrieved on October 10,2008

7 www.unesco.org/eduation/efa retrieved on October 10,2008

8 www.education. Nic.in/html/web/efa.htm

9 www.education. Nic.in/elementry education/teacher education.htm

इकाई 13

समुदाय संबद्ध: प्रावधान / नीति स्वरुप (Community Involvement: Provisions/Policy Perspective)

इकाई की संरचना

13.0 उद्देश्य

13.1 सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता

13.2 विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता

13.3 सामुदायिक सम्बद्धता के लिए विभिन्न योजनाएं

13.4 पंचायती राज संस्था एवं प्रारंभिक शिक्षा

13.5 राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं व प्रारंभिक शिक्षा

13.6 स्कूल एवं समुदाय में सम्बन्ध की आवश्यकता

13.7 राज्य स्तर पर स्कूल व समुदाय में संबंध

13.8 जिला स्तर पर स्कूल व समुदाय में संबंध

13.9 खंड स्तर पर समुदाय व स्कूल में संबंध

13.10 ग्राम स्तर पर स्कूल व समुदाय में संबंध

17.11 समूह स्तर पर समुदाय व स्कूल में संबंध

13.12 राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिकरण में सामुदायिक संबद्धता के लिए प्रयास

13.13 प्रभावी एवं सुसंचालित स्कूलों की स्थापना

13.14 सारांश

13.15 संदर्भ ग्रंथ

13.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- प्रारंभिक शिक्षा के विकास में सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता को समझ जाएंगे।
- प्रारंभिक शिक्षा में सबके लिए शिक्षा' के लक्ष्य की आपूर्ति के लिए शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण की आवश्यकता का अनुभव करेंगे।
- समय-समय पर स्कूल व समुदाय में संबंध स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकेंगे।
- पंचायती राज संस्थाओ की आवश्यकता का विश्लेषण कर सकेंगे।
- प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यो की समीक्षा कर सकेंगे।
- पंचायती राज संस्थाओं के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को जान जाएंगे व इनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए सुझाव देने में सक्षम होंगे।

- प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए राज्य, जिला, खण्ड, समूह व ग्राम स्तर पर -स्कूल व समुदाय में संबंध स्थापित करने के लिए किए गए कार्यो का मूल्यांकन कर सकेंगे।
- सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य 'सबके लिए शिक्षा' की पूर्ति में अपना योगदान दे सकेंगे।

आजादी के पश्चात् शिक्षा का महत्व स्पष्ट करने के लिए जिस क्रांतिकारी कदम को कोठारी आयोग (1964) के रुप में उठाया गया, उसने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया। वर्तमान परिपेक्ष्य में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। जिसके द्वारा सरकार ने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास किया। चाहे वह शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि, बेहतर पर्यावरण, शत-प्रतिशत नामांकन, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, निःशुल्क एव अनिवार्य शिक्षा आदि सभी आवश्यक क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास किया किंतु ये सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए। इसके परिणामों से प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति का ग्राफ असंतोषजनक बना हुआ है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों के बावजूद लाखों बच्चे प्रतिवर्ष आठ वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा को पूरा करने में असमर्थ है।

13.1 सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता

प्रारंभिक शिक्षा के विकास में सबसे बडी चुनौती है शिक्षा में हो रहे विकास को बनाए रखना तथा इसमें सुधार लाना । प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं विकास के लिए व्यूह-रचनाओं के स्थानीय प्रबंधन व नियोजन को प्रोत्साहन देना। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के क्रियान्वयन में निरन्तर आ रही खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक है स्कूल साक्षरता अभियान के प्रति लोगों में जागरुकता का विकास किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रबंधन का एक लक्ष्य स्थापित किया गया था। नीति के अंतर्गत स्पष्ट रुप से कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन के लिए ग्राम शिक्षा समिति (Village Education Committee) के कप में समुदाय का प्रत्यक्ष सम्बद्ध होगा। कार्य योजना (1992) में प्रत्येक परिवार तथा प्रत्येक बच्चे के लिए सूक्ष्म योजना निर्माण पर बल दिया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक नियमित रुप से स्कूल या निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र में प्रवेश लेगा, अपनी सुविधा के अनुसार चुने गए स्थान पर शिक्षा को निरंतर बनाए रखेगा तथा स्कूलिंग या इसी के समान किसी भी निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र पर 8 वर्ष का अध्ययन पूर्ण करेगा।

13.2 विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता

संविधान के 73वे तथा 74वे संशोधन के अनुसार क्रियाओं के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया है तथा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं या पंचायती राज संस्थाओं के योगदान व शक्तियों के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाया जाए। इसके परिणामस्वरुप पंचायती राज संस्थाएं अधिक क्रियात्मक भूमिका अदा कर सकती है। इसीलिए राज्यों से यह आशा की जाती है कि इन क्रियाओं को क्रियात्मक रुप देने में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र दोनों के संस्थागत प्रबंधनों को शामिल करें। इन संरचनाओं ने स्त्रियों अनुसूचित जातियों व जनजातियों, अल्पसंख्यकों, अभिभावकों तथा शैक्षिक कार्यकारियों को आवाज उठाने का अवसर प्रदान किया है। इसके साथ-साथ उन्हें सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मैपिंग के आधार पर विद्यमान

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थापना या पुन: स्थापना से सम्बन्धित उतरदायित्व भी प्रदान किया गया है। इस प्रकार स्कूल प्रबंधन से निचले स्तर के लोगों तक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण एक महत्वपूर्ण नीति अभिप्रेरणा है।

8 वीं पंचवर्षीय योजना में विकेन्द्रीकरण की स्थापना के लिए बहुत से नवीन प्रयास किए गए। उदाहरण के रुप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नियोजन मशीनरी को राज्य से जिला स्तर पर हस्तांतरित कर दिया गया और लोक जुंबिश योजना के अंतर्गत एक कदम और आगे बढ़ाया तथा निर्णय लेने का अधिकार खंड स्तर समिति को प्रदान कर दिया गया। ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति को समुदाय गतिशीलता, स्कूल मैपिंग, सूक्ष्म नियोजन, स्कूल भवनों का निर्माण एवं मरम्मत और पाठ्यक्रमों में सुधार के प्रमुख उतरदायित्व प्रदान किए गए। वास्तव में शिक्षाकर्मी स्कूल की ग्राम शिक्षा समिति लोक जुम्बिश परियोजना के परिणामस्वरुप है क्रियाशील हुई।

1993-94 से विकेन्द्रीकरण योजना को उच्च प्राथमिक स्कूलों तक विस्तृत कर दिया गया। 47000 से भी अधिक उच्च प्राथमिक स्कूलों को शिक्षण अधिगम सामग्री खरीदने के लिए केन्द्र सरकार ने 40000 प्रति स्कूल अनुदान प्रदान किया। इसके साथ-साथ ऐसे स्कूल जहां नामांकन 100 से अधिक है उन्हें तीसरा अध्यापक प्रदान किया गया है। देश में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई सामग्री का अधिकतम उपयोग करना सिखाया जाता है। 1992-93 से 1995-96 तक इस योजना के अंतर्गत व्यय राशि 8,163 मिलियन थी और 1996-97 में यह 2910 मिलियन जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भी समुदाय गतिशीलता को एक टीम के रुप में लेने की योजना बनाई गई थी। टीम में निम्नलिखित सदस्य रखे गए थे।

- ग्राम सभा से दो प्रतिनिधि (कम से कम एक महिला)
- ग्राम पंचायत के दो बोर्ड सदस्य (कम से कम एक महिला)
- युवा संगठन से एक प्रतिनिधि, और
- एक सामाजिक कार्यकर्ता।

समुदायिक गतिशीलता की सहायता के लिए एक अन्त:क्षेत्रीय सुविधा टीम (Inter Sector Facilitating Team) जिसमें एक स्कूल अध्यापक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन तथा वन एवं भूमि संरक्षण कार्यकर्ता होगा, का प्रावधान रखा गया। समुदाय सिविल कार्य में भी सहायता कर सकता है।

13.3 सामुदायिक सम्बद्धता के लिए विभिन्न परियोजनाएँ

सामुदायिक सम्बद्धता की प्रक्रिया में क्रमबद्ध सुधारों के एक भाग के रुप में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए राजीव गांधी पाठशाला स्थापित करने का विचार किया गया। इसमें काम करने वाले अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता 8वीं रखी गई और उन्हें सरपंच और वार्ड पंच के द्वारा अपने स्थानीय समुदाय से ही चुना जाता है। राजस्थान की सरकार ने सरपंच की अध्यक्षता में प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए प्रबंधन समिति का निर्माण करने का निश्चय लिया। प्रबन्धन समिति के सदस्यों का चयन संशोधित वार्ड पंच से, होगा और इसमें अभिभावक-अध्यापक संघ का अध्यक्ष और स्कूल के दो अध्यापक भी शामिल होगे। स्कूल का

मुख्याध्यापक भी इसका सदस्य व समिति का सचिव होगा। ऐसे स्कूलों में जहां अध्यापकों की संख्या दो से ज्यादा होगी, वहां वे अध्यापक जिनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, को समिति का सदस्य बनाया जाएगा। इस समिति का प्रमुख उतरदायित्व होगा उस स्थानीय समुदाय के बच्चों का सार्वभौमिकरण नामांकन एवं स्थिरता। सरकार ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड स्तरीय प्रणाली के अनुसार जिला स्तर पर एक समान परीक्षा प्रणाली प्रारंभ की। इस परीक्षा का प्रबंधन व निरीक्षण प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था के द्वारा किया जाएगा।

राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए समुदाय को शामिल करना महत्वपूर्ण मानती है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के विकास में समुदाय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक नया कार्यक्रम चलाया है, जिसे 'भामाशाह योजना' के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर व्यक्तिगत योगदान के द्वारा एक कॉमन फंड का निर्माण करना है। इस प्रकार से इक्कठा किया गया धन जिले में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा। सरकार ने स्कूल स्थापना या मरम्मत के लिए समुदाय के योगदान के मानकों को भी परिवर्तित कर दिया है। पहले मानक यह बनाया गया था कि सरकार खर्चे का 50 प्रतिशत वहन करेगी तथा बाकी का 50 प्रतिशत समुदाय के द्वारा वहन किया जाएगा, परंतु अब मानक यह बनाया गया है कि सरकार कुल खर्च का 70 प्रतिशत वहन करेगी, जबकि 30 प्रतिशत समुदाय के द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए समय - समय पर विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित परियोजनाएं व कार्यक्रम चलाए गए जिनके अंतर्गत स्कूलों में तथा समुदाय में साभागिता ही इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सकती है। जैसे:-

शिक्षाकर्मी परियोजना (Shiksha Karmi Projects)

इस परियोजना के अंतर्गत प्रहर पाठशालाएं खोली जाती है अर्थात् स्कूलों में बच्चों को सुविधानुसार समय दिया जाता है। इस पाठशालाओं में एक शिक्षार्थी नियुक्त किया जाता हैं वह गांव का शिक्षित व्यक्ति होता है। जो प्रशिक्षित तो नहीं होता है परंतु थोडे से प्रशिक्षण के बाद बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने में सक्षम हो जाता है। उसे कम वेतन पर नियुक्त कर लिया जाता हैं प्राय: वह दसवीं पास होते है। इस परियोजना के अंतर्गत नवीन प्रेरक कार्यकलापों के रुप में प्रहर पाठशालाएं, आंगनवाडी महिला शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की जाती है। बुनियादी स्तर पर परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायत समिति, शिक्षाकर्मी सहयोगी, गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ, शिक्षाकर्मी तथा ग्राम समुदाय निरंतर एक दूसरे से सम्पर्क करते है।

लोक जुम्बिश परियोजना (Lok Jumbish Project)

यह परियोजना राजस्थान में चलाई गई है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जहां तक संभव हो, स्कूल प्रणाली के माध्यम से और जहां आवश्यक हो, अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। विकेन्द्रीकरण प्रबंध संरचना इस परियोजना का महत्वपूर्ण अंग है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (District Primary Education Programme)

इस कार्यक्रम को 1994 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्र बंधन किया जाता है। इस कार्यक्रम के घटक इस प्रकार है:- सूक्ष्म नियोजन के लिए वातावरण एवं क्षमता का निर्माण करना, शिक्षण-शास्त्र नवाचारों की चुनौतियों को स्वीकार करना, उतरदायी संस्थागत आधार का निर्माण करना जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल होती है, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना, अनौपचारिक / वैकल्पिक स्कूली शिक्षा केन्द्रों की स्थापना आदि।

बिहार शिक्षा परियोजना (Bihar Education Project)

इस परियोजना को 1991 में संचालित किया गया। इस कार्यक्रम की समीक्षा करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियां अधिक पाई गई जैसे- एक सुदृढ़ महिला समाख्या घटक, निचले स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन में सामुदायिक सहभागिता एवं ग्राम शिक्षा समितियों का गठन और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा निरौपचारिक शिक्षा का प्रावधान।

सामुदायिक गतिशीलाता एवं सहभागिता (Community Mobilization and Participation)

वर्तमान समय के अत्याधिक शिक्षा नवाचार समुदाय समर्थन एवं सहभागिता के सुदृढ.आधार पर आधारित है। जब भी विभिन्न स्तरों की किसी परियोजना की प्रगति की बात की जाती है या विश्लेषण किया जाता है तो लोगों की स्वीकार्यता तथा सहभागिता उसका एक प्रमुख घटक माना जाता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए तथा गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किए गए प्रयत्नों में लोक जुम्बिश तथा शिक्षाकर्मी परियोजना में मुख्य व्यूह रचना है- प्रत्येक बालक के लिए गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में ग्रामीण समुदाय की गतिशीलता एवं उतरदायित्व की निश्चितता। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई होगी कि दोनों परियोजनाओं की सफलता के लिए सामुदायिक साहभागिता एक प्रमुख कारक है।

लोक जुम्बिश परियोजना का स्थानीय चयनित लोगों, विशेष रुप से ग्राम स्तर पर महिला प्रतिनिधि, जो प्राय: लोक जुम्बिश कोर टीम या महिला समूह की एक क्रियाशील कार्यकर्ता होती है के सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव है। इस कार्यक्रम से वातावरण निर्माण सम्बन्धी क्रियाओं के द्वारा सावधानीपूर्वक निर्मित एवं प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समितियां स्कूल क्रियाओं में क्रियात्मक रुप रो संलग्न है। शिक्षाकर्मी परियोजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए तथा ग्राम स्तरीय नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए 2000 गांवों में ग्राम शिक्षा समितियां स्थापित की जा चुकी है। ग्राम शिक्षा समिति का कार्य स्कूल के सामान का निर्माण, मरम्मत तथा सुरक्षा करना है। यह स्थानीय समुदाय और शिक्षा कर्मियों के परामर्श से स्कूल के समय तथा स्कूल के कैलेण्डर के बारे में निश्चय करने में भी सहायता करती है।

इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा का विकास समुदाय के सहयोग के बिना संभव नहीं है। सरकार के द्वारा विभिन्न समय पर विभिन्न राज्यों में जो परियोजनाएं चलाई गई उनमें शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण पर अत्याधिक बल दिया गया।

स्वमूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1 सामुदायिक सहभागिता से क्या अभिप्राय है?

What do you mean by community participation?

2 विकेन्द्रीयकरण की आवश्यकता क्यों है?

Why there is the need of decentralization?

3 सामुदायिक सहभागिता के लिए कोन-2 सी योजनाएं प्रारंभ की गई?

What were the different projects started for community participation?

4 लोक जुम्बिश परियोजना क्या है।

What is Lok Jumbish Projects?

13.4 पंचायती राज संस्था एवं प्रारंभिक शिक्षा

शताब्दियों से भारत में ग्रामीण समुदाय विद्‌यमान है और पंचायतें इन समुदायों का एक भाग रही है। ऋग्वेद (1200 B.C.) के समय से इस बात के प्रमाण मिलते है कि स्व-प्रशासित ग्राम संकाय जिन्हें सभा कहा जाता है उस समय भी विद्‌यमान थी। समय के साथ-साथ यह पंचायत (पांच व्यक्तियों की परिषद) में परिवर्तित हो गये।

भारत में शिक्षा का प्रबंधन नाटकीय ढंग से परिवर्तित हो गया जब 1992 में संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं ने जिला, उप-जिला तथा ग्रामीण स्तर पर कार्य करने के लिए एक नई रुपरेखा का निर्माण किया। इसका मुख्य आधार था स्कूल व शिक्षा के कार्यो में समुदाय का योगदान लेना। राज्यों ने यह सोचना प्रारंभ किया कि इन संस्थाओं को क्या उतरदायित्व सौंपे जाए। इससे प्रशिक्षण व तकनीकी समर्थन की आवश्यकता विकसित होगी। इसी समय भारत की आवश्यकता यह भी थी किस प्रकार संगठन संरचना को सुधारा जाए, संस्थाओं की क्षमता का विकास किया जाए तथा शिक्षा में सूचना प्रणाली को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए? प्रभावी स्कूलों के लिए प्रभावी स्कूल प्रबंधन की आवश्यकता होती है- प्रभावी स्कूल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय राज्य तथा जिला स्तर पर सु-विकसित संगठनों की आवश्यकता होती है, जो वह नेतृत्व व संसाधन प्रदान कर सके जिनकी आवश्यकता स्कूलों को अपनी नीतियों को क्रियात्मक रुप देने के लिए होती है, जिनके आधार पर स्कूल अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बना सके।

भारत में शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन, विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यन्त कठिन है, क्योंकि इन क्षेत्रों में शिक्षा छोटे, भिन्नकृत एवं निराशावादी स्कूलों में प्रदान की जाती है। इसी कारण भारत ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए 1992 में संविधान में 73वे तथा 74वे संशोधन के अनुरुप सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की और राज्यो ने प्राथमिक शिक्षा के उतरदायित्व के लिए जिला स्तरीय पंचायतों की स्थापना की। स्कूल सुधार के लिए जिला नियोजन क्रियाओं में भाग लेने के लिए जिला स्तरीय नियोजकों, ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों, तथा स्कूल मुख्याध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। खंड एवं ग्राम (स्कूल) स्तर पर सहयोग देने के लिए राज्य एवं जिला शिक्षा संस्थाओं की क्षमताओं को और सशक्त बनाया गया। इस प्रकार एक नवीन सूचना प्रबंधन समिति की स्थापना की गई जिसके आधार पर सभी स्तरों पर प्रयोग के लिए अधिक उपयुक्त व समयबद्ध शिक्षा संबंधी आकड़े प्राप्त किया जा सके।

प्रारंभिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया गया। सर्वशिक्षा अभियान एक राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम है। जिसके अंतर्गत एक समय सीमा में

देश के प्रत्येक बालक तक शिक्षा पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। इसे 2001-02 में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया। वर्तमान में यह प्रणाली पूरे देश में लागू की जा चुकी है और 11 लाख हैबिटेशन्स में 192 करोड़ बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है।

पंचायती राज संस्थाएं व इसके सहभागी सात राज्यों हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, गुजरात, झारखंड तथा हिमाचल प्रदेश (कम से कम प्रत्येक राज्य में एक जिला) में पंचायतों की सहायता से बाल शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए अर्थक प्रयास कर रही है। इन्होंने भी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया है। बेसिक शिक्षा प्रदान करके किशोरी लड़कियों तथा स्त्रियों का सशक्तिकरण किया जा सकता है। इनका यह भी मानना है कि यदि भावी नागरिकों के पास बेसिक शिक्षा होगी तो पंचायतों में स्त्रियों के भविष्य नेतृत्व को भी सशक्त बनाया जा सकता है। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरुप पंचायती राज संस्थाओं ने स्त्री-शिक्षा पर बल दिया और इसके लिए रची समूहों, ग्राम विकास केन्द्रों के सदस्यों और पंचायतों के सदस्यों को शामिल किया। जिला स्तर पर इन्होंने निम्नलिखित प्रावधानों पर बल दिया:-

- सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा : कुल नामांकन अनुपात।
- शिक्षा की गुणवत्ता : प्राथमिक स्तर के ग्रेड पांच तक बने रहने की दर।
- लिंग समानता : प्राथमिक विद्यालयों में लिंग असमानता की दूरी को कम करना।

सन् 2004 में पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गोलमेज के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी सहयोग देने के लिए कहा गया। पंचायती राज संस्थाएं तथा अन्य सहयोगी संस्थाएं इस प्रकार 15 राज्यों / संघीय क्षेत्रों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीयू गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उडीसा, पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल तथा उत्तरप्रदेश में कार्यरत हो गई। कार्यात्मक मैपिंग एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि पंचायत के किस स्तर पर किस कार्य को उचित ढंग से किया गया है और किसे किया जा सकता है। एक बार इस विशिष्टकरण का निर्माण हो जाए तो उसके पश्चात् इन पंचायतों के लिए फंड की सुविधा प्रदान करना आसान हो जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं व उनके सहयोगियों ने इस क्रिया को क्रमबद्ध व प्रभावी ढंग से किया। शिक्षा में पंचायती राज संस्थाओं के अनुभव यह दर्शाते है कि इसका प्रभाव एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। कुछ राज्यों में स्कूलों के निर्माण व अध्यापकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए संसाधनों की गतिशीलता में स्थानीय निकाय अधिक गतिशील हो सकते है। कुछ राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं शिक्षाकर्मियों (स्कूल- आधारित शिक्षाकर्मी) का सहयोग ले रही है। परंतु इन संस्थाओं की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है जब राज्य इन्हें अपर्याप्त वितीय सुविधांए प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षा में राज्य की आय का वह भाग जो मध्यवर्ती स्तर पर हस्तांतरित किया जाता है, कम हो रहा है। उदाहरण के रुप में 1968-69 से 1987-88 के बीच पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाने वाला भाग 14 प्रतिशत से कम होते होते 1 प्रतिशत से कुछ अधिक रह गया।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के पक्ष में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावशीलता, विभिन्न स्टेकहोल्डरों के प्रभाव के फलस्वरुप भी सीमित होकर रह गई है। कुछ राज्यों में इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते है जैसे केरल में यह रिपोर्ट है कि ग्रामीण पंचायते मुख्य रुप से राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के रुप में कार्य करती है और उन्हीं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती रहती है। आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में पंचायती राज संस्थाएं एक स्वतन्त्र निकाय के रुप में नहीं अपितु सरकारी तानाशाहों के एजेंट के रुप में कार्य करती है।

पंचायती राज संस्थाओं के सकारात्मक प्रभाव (Positive effects of Panchayati Raj Institutions)

1 ग्रामीण जनसंख्या के मस्तिष्क में प्राथमिक शिक्षा के विकास में रुचि जागृत हुई।

2 एक नए नेतृत्व का उद्भव हुआ जिसमें अत्याधिक प्रोत्साहन व सुदृढ़ता थी, परंतु यह योग्यता व प्रशिक्षक में कम था।

3 पंचायती राज अधिकारियों, सरपंचों तथा अनौपचारिक अधिकारियों द्वारा समय-समय निरीक्षण के फलस्वरुप अध्यापकों की उपस्थिति में सुधार हुआ।

4 कुछ पंचायत समितियों में प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में अत्याधिक वृद्धि हुई।

5 स्कूल तथा समुदाय के बीच एक गहरा व नजदीकी सम्बन्ध स्थापित हुआ। इसके अंतर्गत शिक्षा एवं जीवन के अन्य पहलूओं जैसे स्वास्थ्य सुधार, कृषि एवं समुदाय विकास के बीच में संबंध स्थापित हुआ। शिक्षा के सर्वागीण विकास का संप्रत्यय माना जाने लगा।

पंचायती राज संस्थाओं के नकारात्मक प्रभाव (Negative Effects of Panchayati Raj Institutions)

1. अध्यापक बिना सोचे समझे व अनियोजित हस्तांतरण से अत्यन्त परेशान थे। यद्यपि राज्यों में यह नियम है कि जिला स्थापना समिति की आज्ञा के बिना किसी भी अध्यापक का दो वर्ष से पहले हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, परंतु कभी-कभी इस नियम को भी ताक पर रख दिया गया। यदि पंचायत समिति 'जैसी कोई भी संस्था किसी नियम को तोडती है तो जिला स्थापना समिति या राज्य विधान विभाग के लिए कोई प्रतिक्रिया करना अत्यन्त कठिन होता है। दुर्भाग्यवश पंचायत समिति हस्तांतरण को एक सजा के रुप में लेती है। इसके साथ-साथ हस्तांतरण के लिए कोई उचित मार्गदर्शन या नियमों का प्रावधान भी नहीं है।

   184 पंचायत समितियों का अध्ययन करने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि 1960-61 में 1354 अध्यापकों को एक वर्ष में 1511 अध्यापकों को दो वर्ष में हस्तांतरित किया गया। 1962-63 में 5516 अध्यापकों को जो कुल अध्यापकों का लगभग 27 प्रतिशत था, पर हस्तांतरित किया गया था जिनमें से 3008 एक वर्ष में तथा 1599 को दो वर्ष में हस्तांतरित किया गया। एक अध्यापक तो ऐसा पाया गया जिसे 1 वर्ष के कार्यकाल में 10 बार हस्तांतरित किया गया।

2. दूसरा प्रभाव यह हुआ कि राजनैतिक दबाव के फलस्वरुप अध्यापकों का नैतिक रुप से निम्नीकरण हो गया। अध्यापक की अपने विद्यार्थियों व शिक्षा के प्रति विश्वसनीयता को

कोई महत्वपूर्ण स्थान न देकर इस बात को अधिक महत्व दिया जाता था कि प्रधान या सरपंच के साथ व्यक्तिगतसंबंध कितने है।

3. पंचायत समितियों की शिक्षा समितियां जो समितियों के भाग के रुप में प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन कर रही थी, उनकी कार्यप्रणाली कुशल नहीं थी क्योंकि उनके सदस्य अकुशल थे। एक अध्ययन के अनुसार 1192 सदस्यों में से केवल 417 व्यक्ति ही 35 वर्ष से कम आयु के थे और जिनका दृष्टिकोण विस्तृत होने की आशा थी और 714 सदस्य 35 से 55 आयु वर्ग के एवं या सदस्य 55 वर्ष से अधिक आयु के थे। 1192 में से 992 सदस्य आठवीं कक्षा से भी कम पढ़े लिखे थे, 117 सदस्य दसवीं पास नहीं थे। ऐसे 1192 सदस्यों में शिक्षा संबंधी नीतियों व समस्याओं की सूझ-बुझ की आशा करना व्यर्थ होगा। 1961-62 में केवल 12 प्रतिशत सदस्यों ने नियमित रुप से मीटिंग में भाग लिया और 207 प्रतिशत ने बिल्कुल भी काम नहीं लिया। यह स्थिति दर्शाती है कि पंचायत समिति स्तर पर मानव संसाधन कार्य करने में कितना कुशल था।
4. जिला स्तर पर जिला स्थापना समिति द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति की जाती थी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते है।

- राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सर्विस कमीशन का एक सदस्य अध्यक्ष
- कलैक्टर
- प्रमुख, जिला परिषद्

जैसा कि पंचायत समिति और जिला परिषद् कमीशन में केवल दो सदस्य होते है और दोनों को ही राज्य में जिला स्थापना समिति के भाग के रुप में मीटिंग में शामिल होना आवश्यक होता है, परंतु ऐसा करना कठिन था। परिणामस्वरुप पंचायत समिति ऐमरजेंसी शक्तियों के आधार पर अस्थायी नियुक्तियां करती थी और इन नियुक्तियों को धीरे-2 नियमित कर दिया जाता था। यह पाया गया कि पंचायत समितियों द्वारा नियुक्ति अध्यापक गुणात्मक नहीं होते थे।

5. उतरदायी अध्यापकों व उपजिला निरीक्षकों की शिकायत रही कि उन्हें अधिकतर ऐसी क्रियाओं में भाग लेना पड़ता है तो शिक्षा से सम्बन्धित नहीं है। इससे उनकी शैक्षिक क्रियाओं में रुकावट आती है। उनका यह भी मानना था कि पंचायत समिति के अधिकारियों को इस बात का अहसास नहीं होता कि ऐसी क्रियाओ, से स्कूल के रख रखाव एवं निरीक्षण की क्रियाओ को कितनी हानि पहुंचती है।
6. अध्यापकों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं हो पाता। पंचायत समिति के सदस्य व सरपंच समय-समय पर स्कूल में आते रहते है। यद्यपि स्कूल में उनका आना कुछ सीमा तक अध्यापकों की उपस्थिति पर नियंत्रण के रुप में उपयोगी होता है। परंतु तकनीकी परामर्श के रुप में इनका कोई महत्व नहीं है, वास्तव में ऐसा भी कहा जा सकता है कि असीमित मात्रा में स्कूल में आना सहायता के स्थान पर व्यवधान बन जाता है और ये अध्यापकों के सतत् व संतोषपूर्ण कार्य में भी रुकावट बनते है।

शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों, पंचायत समितियों के प्रधान, खंड विकास अधिकारियों तथा अन्य पर्यवेक्षकों की हमेशा यह शिकायत रही है कि मार्गदर्शन के क्षेत्र में शिक्षा विभाग के अधिकारियों में मतभेद बने रहते है। राजस्थान में पंचायती राज पर निरीक्षित समूह के अनुसार, जिला स्तरीय अधिकारियों का कार्यक्रम के प्रति अलगाव का दृष्टिकोण बना रहता है। वे इसे अपना नहीं समझते । इन मतभेदों के पीछे जो उतरदायी कारण माने गए है - 1 उनका उतरदायित्व कम कर दिया गया है, 2. उनके पास विभाग का कार्य अधिक होता है। और वे उसे प्राथमिकता देते है, 3. उनका परामर्श तथा मार्गदर्शन स्वीकार्य नहीं होता। ये कारण वास्तव में कहीं न कहीं सही है परन्तु वास्तविकता यह है कि प्रशासकीय व तकनीकी व्यक्तियों के बीच समन्वय की अत्याधिक आवश्यकता है।

7. पंचायत समितियां स्कूल सुधार या रख-रखाव के लिए पर्याप्त वित्त का प्रबंध नहीं कर पाती है। वास्तव में वे अपने हिस्से का 50 प्रतिशत भी पूरा नहीं कर पाती। 232 में से केवल 26 पंचायत समितियों ने शिक्षा सैस लगाया है। इसका मतलब यह है कि स्कूल अध्यापकों की सैलरी के अतिरिक्त व्यय करने से वंचित रह जाते है जो राशि उन्हें सरकार से प्राप्त होती है या पंचायती समितियां अनियमित रुप से सरकार के भाग में से व्यय करती रहती है और अपना योगदान नहीं देती है।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कुल योगदान का निरीक्षण करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि यह प्रयोग सफल रहा। कभी-कभी यह कहा जाता है कि प्राथमिक स्कूलों को पंचायत समिति के अंतर्गत हस्तांतरित करने के पश्चात् उनके स्तर में गिरावट आई है, परंतु इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं है। यदि इनके स्तर मैं गिरावट आई भी है तो अपने लिए अति विस्तार तथा पर्याप्त संसाधनों व निरीक्षणों की कमी उत्तरदायी है। पूर्ण विश्वास से यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य जनता की जागरुकता का विकास हुआ है। यह सत्य है कि अध्यापकों की मनोदशा व नियुक्ति प्रक्रिया में अवश्य गिरावट आई है। सादिक अली समिति का भी यही मानना है कि अध्यापकों की मनोदशा में निम्नीकरण हुआ है और इसके लिए दो कारक-भविष्य के लिए उत्सुकता व जल्दी-जल्दी हस्तांतरण उतरदायी है। ऐसा ही विचार प्राथमिक शिक्षा समिति के द्वारा दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए है जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाया जा सकता है जो इस प्रकार है:-

1 जिला परिषद् की एक जिला शिक्षा समिति का निर्माण किया जाए जो प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन करे। इस समिति को आधे से अधिक सदस्य जिला परिषद् के सदस्य होने चाहिए तथा बाकी सदस्य शिक्षा में रुचि रखने वाले व्यक्ति या शिक्षाविद् होने चाहिए।

2 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर एक नियुक्ति समिति की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें प्रमुख, कलैक्टर, स्कूलों का जिला निरीक्षक, जिला परिषद् का प्रमुख कार्यकारी आफिसर तथा जिला शिक्षा समिति का शिक्षा अधिकारी शामिल हो।

3 जिला शिक्षा समिति के सचिव के रुप में प्रत्येक जिले में स्कूलों के उप-निरीक्षक स्तर का एक) पूर्णकालीन आफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए जो शिक्षा अधिकारी के रुप में कार्य करे। वह शिक्षा विस्तार अधिकारी को तकनीकी परामर्श देने के लिए उतरदायी होगा।

4 भविष्य में केवल प्रशिक्षित स्नातकों को ही शिक्षा विस्तार अधिकारियों के रुप में नियुक्त किया जाए। वे स्कूलों के उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त होने चाहिए।

5 अध्यापकों के हस्तांतरण का अधिकार जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी के हाथ में होना चाहिए। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी के साथ विचार विमर्श की पर्याप्त प्रक्रिया भी शामिल की जानी चाहिए।

6 एक नीति का निर्माण होना चाहिए कि किसी भी अध्यापक को जहां तक संभव हो, पांच वर्ष के अंदर हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, जब तक कोई विशेष कारण लिखित में हो और शिक्षा विभाग के द्वारा हस्तांतरण की अनुमति हो।

7 प्राथमिक शिक्षा पर वर्तमान की भांति पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां बनी रहनी चाहिए, परंतु अध्यापकों के हस्तांतरण पर नियंत्रण जिला स्तर अधिकारी का होना चाहिए।

8 ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूल समिति की स्थापना की जानी चाहिए।

9 प्राथमिक शिक्षा के रख-रखाव के लिए पंचायत समितियों के स्त्रोतों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

- राज्य सरकार से अनुदान की राशि को बढ़ावा
- एजूकेशन सैस
- योगदान
- ऐच्छिक

10 ग्राम स्तर पर स्कूल समितियों को पंचायत समिति के द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए।

11 प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य के द्वारा जिला परिषद् को अनुदान दिया जाना चाहिए।

12 शिक्षा विभाग से प्रत्यक्ष रुप से पंचायत समिति को फंड हस्तांतरित करने चाहिए।

13 प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य परामर्श बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें 12 सदस्य हो तथा शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हो।

13.5 राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं व प्रारंभिक शिक्षा

राजस्थान की स्थापना रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरुप वर्ष 1949 में हुई। उस समय प्रत्येक रियासत की शिक्षा क्षेत्र में कार्य प्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था अलग-अलग थी। इसलिए राज्य सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर शिक्षा व्यवस्था को संघीय स्वरुप देने एवं सुसंचालन हेतु वर्ष 1950 में बीकानेर में प्राथमिक एवं माध्यमिक निदेशालय की स्थापना की। राज्य में वर्ष 1959 में पंचायत राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंध व्यवस्था का दायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को सौंप दिया गया, परंतु सन् 2001 से ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा का कार्य आयुक्तालय प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा किया जा रहा है।

सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के राज्य स्तरीय नियंत्रण हेतु प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा के नेतृत्व में शासन सचिव एवं संस्कृत शिक्षा एवं उप-शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा तथा जिनके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित कार्य संपादित किए जाते है। इसके साथ ही प्रमुख शासन सचिव महोदय के मार्गदर्शन में निम्नलिखित राजकीय एवं स्वायत संस्थाएं संचालित है।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नेतृत्व में निदेशालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक प्रशासन अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक, शैक्षिक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष अधिकारी कार्यरत है। प्रत्येक मंडल स्तर पर उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०) एवं ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त विकास अधिकारी कम ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यरत है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर शैक्षिक अनुसंधान, पाठ्यक्रम निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु नोडल संस्थान है।

संविधान में अनुच्छेद 40 के अनुसार 73वे संशोधन के परिणामस्वरुप राजस्थान सरकार ने 16 विषयों को पंचायती राज में हस्तांतरित कर दिया। प्रारंभिक शिक्षा अब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत है- जिला स्तर पर जिला परिषद्, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। यह कहा जा सकता है कि जवाबदेही की प्रणाली अब उच्च रुप से विकेन्द्रीयकृत है और कार्यक्रम प्रबंधन निर्माण एवं क्रियान्वयन पूर्ण रुप से नियोजित हैं परंतु पूर्ण रुप से विकेन्द्रीयकृत उपागम वास्तव में पूर्णरुप से विकेन्द्रीयकृत नहीं है। समुदायों का प्रणालियों में निर्णय लेने का उतरदायित्व बहुत सीमित हैं क्योंकि वे राज्य स्तर पर योजनाकर्ताओ के नियमों से बंधे हुए है।

राजस्थान के पंचायती राज संस्था नियम के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् स्तर पर शिक्षा के लिए स्थायी समिति का प्रावधान आदेशानुसार है। यह पी.आर.आई. (PRI) नियम के अनुसार 6 समितियों में से एक है। केवल समितियों का निर्माण करना ही इसकी कार्यक्षमता को नहीं दर्शाता है। संस्थाओं की कार्यशीलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि तीन 'F' (Funds, Functions and Functionaries) को पी.आर.आई. में हस्तांतरित किया जाए। अंतरण की कमी के फलस्वरुप केवल आशिक हस्तांतरण ही संभव हो सका। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतों के पास केवल मध्याह्न भोजन एवं गांधी पुस्तकालय का निरीक्षण करने का ही कार्य है तथा अन्य कोई काम उन्हें नहीं दिया जाता है। परंतु पंचायत समिति व जिला परिषद् स्तर पर इनके सदस्यों के पास प्रशासनिक शक्तियां है। कार्यो व क्रियाओं का आशिक हस्तांतरण है परंतु वित्त संबंधी शक्तियां न के बराबर है।

अभिभावक विभाग-शिक्षा विभाग के पास प्रमुख शक्तियां है और यह समिति जबकि विभाग के अंतर्गत बनाई गई है, परंतु इसके पास पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत बनी समितियां से अधिक शक्तियां है। सर्वशिक्षा अभियान की वर्तमान रुपरेखा में SSA के अंतर्गत स्थापित व PRIs के अंतर्गत स्थापित संस्थाओं में कोई आपसी संबंध नहीं है। यद्यपि पी.आर.आई. के जिला परिषद् व पंचायत समिति के मुखिया सर्व शिक्षा अभियान के प्रबंधन की संस्थाओं के मुखिया भी होते है। परंतु पंचायत स्तर पर ऐसा नहीं है। अत: यद्यपि राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन के लिए पंचायती राज-संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है, परंतु उनके उतरदायित्व को पूरा करने में अभी भी बहुत सी कमियां है। निम्नलिखित आशाओं को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है :-

1. लोग या समुदाय अभी तक पंचायती राज संस्थाओं को दी गई शक्तियों व अधिकारों के प्रति न तो जागरुक है और न ही उनकी स्पष्ट सूझ-बूझ है। जिससे वे इस प्रक्रिया में अर्थपूर्ण ढंग से योगदान दे सके।

2. नामांकन, स्थिरता तथा शिक्षा के अन्य पक्षों को बढ़ावा देने के लिए अधिक समुदाय योगदान की आवश्यकता है। ऐसा घटित नहीं हो रहा हैं जैसा कि वर्तमान में चल रहा है। यह एक प्रकार से तानाशाही प्रबंधन का दूसरा रुप है।
3. शिक्षा प्रभावी के प्रबंधन में स्थानीय समुदाय सक्षम नहीं है क्योंकि उनकी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए कुछ प्रयास जारी किए गए है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप (प्रारंभिक शिक्षा- भारत सरकार) में यह लिखा गया है कि, ' 'गुणात्मक योगदान का अर्थ होना चाहिए कि समुदाय की आवाज है और वह अपनी इच्छा से कार्य कर सकती है। इसमें समस्याओं को सुलझाने में तथा सुधार को बनाए रखने में मानवीय, संगठनात्मक तथा प्रबंधन क्षमता का विकास भी शामिल है।
4. पंचायती राज संस्थाएं तथा निचले स्तर के संगठन जैसे ग्राम शिक्षा समितियाँ, अभिभावक अध्यापक संगठन, माता-अध्यापक संगठन आदि जिन्हें समुदाय गतिशीलता का साधन बनना आवश्यक है, वे अब तक क्रियात्मक रुप से क्रियाशील नहीं हुई है।
5. अभी तक समुदाय आधारित मानीटरिंग प्रणाली को लागू नहीं किया गया है।
6. इन्टेंसिव माइक्रो योजना तथा स्कूल मैपिंग के अंतर्गत, समुदाय गतिशीलता का निर्माण कहीं दिखाई नहीं देता है।

इस प्रकार अत्यन्त बिखरी हुई व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर शिक्षा का उचित प्रबंधन एक महत्वपूर्ण व कठिन चुनौती है। जब तक स्थानीय लोगों व स्थानीय प्रशासन प्रणाली को बिना किसी हस्तक्षेप के कार्यशील नही बनाया जाएगा तब तक सबके लिए गुणात्मक शिक्षा का सपना केवल सपना ही बना रहेगा।

स्वमूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1 पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना क्यों की गई?
Why were the Panchayati Raj Institutions estblished?

2 पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभिक शिक्षा के लिए सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए।
Explain positive effects of Panchyati Raj Institutions for elementary education?.

3 पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभिक शिक्षा के लिए नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए।

4, पंचायत राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव दीजिए।
Give suggestions to strengthen the functioning of Panchayati Raj institutions.

5 राजस्थान में त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श कीजिए।
Discuss the functioning of three tier Panchayati Raj Institutions of Rajasthan.

13.8 स्कूल एवं समुदाय में सम्बन्ध की आवश्यकता

समुदाय एवं विद्यालय दो महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं है। समुदाय एवं स्कूल दोनों में अत्यन्त गहरा संबंध है। क्योंकि स्कूल को समाज से अलग एक पृथक संस्था के रुप में नहीं देखा जा सकता जहां यह स्थापित है। क्योंकि हमारी आधुनिक औपचारिक शिक्षा का उद्गम भारतीय समाज व्यवस्था से नहीं हुआ, इसी कारण आज भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष आ रही समस्याओं के विश्लेषण के लिए स्कूल तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे समाज का संबंध अत्यन्त चिन्ताजनक बनता जा रहा है। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य आज भी बहुत दूर प्रतीत होता है। स्थानीय समुदायों के शामिल हुए बिना सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति दूर ही रहेगी, इसी उद्बोधन ने सरकार को मजबूर किया कि स्कूलों के क्रियाकलापों मे समुदाय का क्रियात्मक रुप से शामिल होना आवश्यक है जिससे स्कूल - समुदाय संबंधों को सुदृढ़ बनाया जा सके।

विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन, क्रियान्वयन तथा निरीक्षण के लिए समुदाय को शामिल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए समुदाय के सहयोग के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समितियों, केन्द्रों व संगठनों की स्थापना की गई है:-

1. राज्य स्तर
2. जिला स्तर
3. खंड स्तर
4. ग्राम स्तर
5. समूह स्तर

13.7 राज्य स्तर पर स्कूल व समुदाय में संबंध

राज्य स्तर पर राज्य का परियोजना निदेशक परिषद् के कार्यो का संचालन करता है तथा वित्तीय व्यवस्था की देखभाल करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के समान ही राज्य स्तर पर एस.सी. ई.आर.टी. द्वारा कार्य किया जाता है। कई राज्यों में इसे राज्य शिक्षा संसाधन के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों तथा विद्यालय के प्राचार्या को दिशा निर्देश देते हैं। राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित संरचना है।

राज्य स्तरीय प्रबंधन संरचना (Management Structure at State Level)

राज्यों में भी राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना की जाती है। इसका तात्पर्य उस केन्द्र से है जो राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाने के लिए अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध कराता है।

राज्य संसाधन केन्द्र में शैक्षिक सिद्धांतों तथा विभिन्न सहायक साधनों के उत्पादन अर्थात् शैक्षिक परिस्थिति के अनुरुप शिक्षण-सामग्री के निर्माण सम्बन्धी ज्ञान आवश्यक रुप से उपलब्ध रहता है। संसाधन केन्द्रों में शैक्षणिक सामग्री का छात्रों द्वारा शिक्षकों के लिए उपलब्ध रहना ही पर्याप्त नहीं हैं अपितु शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञों का अन्य विषय विशेषज्ञों के सहयोग से

नेतृत्व प्रदान करना भी अपेक्षित है, तभी शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक अभिनवन की विचारधारा को परिपुष्ट कर सकेगी।

ज्ञान के क्षेत्र, कुशलताओं के विकास और अधिगम अनुभवों के निर्धारण में शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्यों, विभिन्न उद्देश्यों के व्यवहार उद्देश्यों, सीखने के सिद्धांतों, पाठ्यक्रम निर्धारण, अधिगम अनुभवों के निर्धारण तथा उनके मूल्यांकन एवं विभिन्न प्रकार की शिक्षण युक्तियों एवं श्रव्य-दृष्य उपादानों का चयन करना पड़ता है। आज शिक्षक का उतरदायित्व मात्र कक्षा-शिक्षण न रहकर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री का निर्माण, चार्ट्स, मॉडल्स प्रसार ' कार्यक्रमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम, फिल्में तथा टेप स्लाइड कार्यक्रम आदि का शिक्षण परिस्थितियों के अनुरुप निर्माण तथा मूल्यांकन भी करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के शिक्षण का विभिन्न प्रकार की शिक्षण-सामग्री एवं उपकरणों की जानकारी तथा उनका क्रमश: व्यवस्थापन कर उपयोग का उतरदायित्व भी बहुत बढ़ गया है। पुस्तकों के अतिरिक्त उपलब्ध अन्य अपरिमित शैक्षणिक साधनों के व्यवस्थापन हेतु पुस्तकालय विज्ञान की विधियों के अतिरिक्त अन्य तकनीकियों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इसी आवश्यकता ने संसाधन केन्द्रों की विचारधारा को जन्म दिया है।

राज्य संसाधन केन्द्र के उद्देश्य(Objectives of State Resource Centre)

संसाधन केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य प्रभावी शिक्षण और अधिगम हेतु विभिन्न सहायक सेवाओं को उपलब्ध कराना तथा प्रेरणा देना है:

1. 1 अधिग्रहण, उत्पादन, व्यवस्था तथा उचित रख-रखाव ' द्वारा संस्था में प्रभावी अधिगम साधनों का विकास।
2. उपयुक्त वांछनीय सेवाओं द्वारा विभिन्न उपलब्ध शिक्षण- अधिगम सामग्री को छात्रों तथा अध्यापकों को सुलभ कराना।
3. विभिन्न शैक्षणिक साधनों के उत्पादन तथा उत्पादन हेतु सलाह सेवा के माध्यम से शिक्षकों को शिक्षण परिस्थिति के अनुरुप शैक्षणिक सामग्री के विकास हेतु प्रोत्साहित करना तथा सहायता प्रदान करना।
4. अध्ययन तथा आशुरचित शिक्षण साधनों के निर्माण हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना।
5. अधिगम संसाधनों के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
6. विभिन्न संसाधन केन्द्रों के साथ सम्पर्क तथा सहयोग।

संसाधन केन्द्रों का उद्देश्य शैक्षिक विचारों को मूर्त रुप प्रदान कर उन पर श्रव्य-दृश्य शिक्षण-सामग्री का निर्माण करना भी है।

राज्य संसाधन केन्द्र के कार्य (Functions of State Resource Centre)

अपने उद्देश्यों के अनुरुप विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु संसाधन केन्द्र मुख्य रुप से निम्न कार्य सम्पादित करता है:

1. शैक्षिक संस्थाओं को सेवा प्रदान करना।
2. शैक्षिक सेवाओं से सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. संसाधन केन्द्र तथा शैक्षिक सेवाओं से सम्बद्ध व्यक्तियों की व्यावसायिक ज्ञान वृद्धि।
4. शैक्षिक सामग्री का उत्पादन।

5. शोधकार्य।

इस प्रकार राज्य स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए समुदाय के सहयोग से विभिन्न प्रकार के कार्य करता है । यह संसाधन केन्द्र अध्यापकों, लेखकों, उत्पादको तकनीकी विशेषज्ञों विद्यार्थियों एवं अन्य उपयोगकर्त्ताओ के साथ सम्पर्क बनाए रखकर शैक्षणिक संसाधन केन्द्रों के विकास में सहयोग प्रदान करता है।

13.8 जिला स्तर पर समुदाय व स्कूल में संबंध

सर्वशिक्षा अभियान के अंतग्रत प्रत्येक जिले को एक जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा योजना का निर्माण करना होता है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा जिसमें प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों को शामिल किया जाता है। इसके शैक्षिक प्रावधानों में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जाता है:-

- जिले में शैक्षिक प्रशासन जैसे डी.पी.ओ, एम.आई.एस., वी.आरसी और सी.आर.सी. की नियुक्ति
- विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक सुविधाएं।
- प्रारंभिक शिक्षा की विस्तृत सूचना।
- जिले में राज्य एवं केन्द्र द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का क्रियान्वन।
- बाह्य रुप से वित्त पोषित योजनाओं का विस्तृत विवरण।
- जिले में प्रारंभिक शिक्षा से सम्बन्धित तथ्य एवं समस्याएं।
- वी.आर.जी सदस्यों / एम.टी.एस. विभिन्न क्रियाओं के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण।

ग्रामीण क्षेत्रों में पहले प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन का कार्य चयनित जिला बोर्डों को सौंपा गया था। ये बोर्ड अपनी आय का कुछ भाग प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए खर्च करते थे। इस व्यय की पूर्ति सरकार के द्वारा इन बोर्डों को दिए गए अनुदान से की जाती थी। इस बोर्ड के चैयरमैन के अधीन शिक्षा विभाग का एक गजेटिड आफिसर होता था, जिसे स्कूलों का डिप्टी इस्पैक्टर कहा जाता था, जो बोर्ड को प्रारंभिक स्कूलों के संगठन, निरीक्षण व उपयुक्त स्तर को बनाए रखने सम्बन्धी कार्यो में परामर्श देता था, व सहायता करता था। अध्यक्ष को अध्यापकों के हस्तांतरण व नियुक्ति का अधिकार होता है। जिला बोर्डों को अब दुबारा से संरचित किया गया है और इन्हें जिला परिषद् (जिला कोंसिल) के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अब स्कूलों के उप-निरीक्षक, जिनकी विभिन्न उप- उप निरीक्षकों के द्वारा सहायता की जाती है, बोर्ड के उतरदायित्वों को पूरा करने में जिला परिषद् के अध्यक्ष की सहायता करते है।

जिला स्तरीय सर्व शिक्षा अभियान संरचना

13.9 ग्राम स्तर पर स्कूल व समुदायों में संबंध

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में ग्राम शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जब तक गांव के लोगों की भागीदारी किसी परियोजना में नहीं होगी, तब तक उसके लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। सर्वशिक्षा अभियान में शिक्षा के विकास के लिए यह कार्य ग्राम शिक्षा समितियों को सौंप गया है, जिससे गांव के लोग अपनी योजना स्वयं बना सके। सर्वशिक्षा अभियान की अवधारणा का मूल है कि आम जन समुदाय के जागरुक रहने पर ही कोई पद्धति कारगर ढंग से लागू की जा सकती है। ग्राम शिक्षा समिति पंचायती राज के अभिन्न अंग के रुप में कार्य करती है।

ग्राम शिक्षा समिति (Village Education Committee)

13.10 खंड स्तर पर स्कूल व समुदाय में सम्बन्ध

अब विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी के रुप में पंचायत समितियों का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न खंडों के विकास का कार्य सौंपा जाता है। ये खंड समितियां गैर अधिकारी खंड प्रमुख और खंड विकास अधिकारी के अंतर्गत कार्य करती है जो इस समिति के कार्यकारी अधिकारी माने जाते है। ये एन.ई.एस. खंड राज्य स्तर पर समुदाय विकास विभाग के अधीन चलाए जाते है। यह बल दिया जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के सम्पूर्ण कार्यभार को प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए इन खंड समितियों को सौंप दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित है -

- प्रारंभिक स्कूलों के अध्यापकों का हस्तांतरण, जो अभी तक जिला स्तर पर जिला परिषद् के हाथ में हैं, इनका अधिकार खंड समिति को सौंप दिया जाए।
- अध्यापकों व मुख्याध्यापकों की चरित्र भूमिका सम्बन्धी सूची लिखने का अधिकार ब्लॉक समिति को सौंप दिया जाए।
- स्कूलों के उप-उपनिरीक्षक, जो अब तक जिला मुख्यालय पर जिला परिषद् से सम्बन्धित स्कूलों के उप-निरीक्षकों के निरीक्षण में कार्य कर रहे हैं उन्हें खंड समिति के तहत हस्तांतरित कर दिया जाए। इन अधिकारियों के खंड विकास अधिकारियों के निरीक्षण में कार्य करना चाहिए, जिनके पास इनके कार्यक्रमों को निर्धारित करने की शक्तियां होगी।

खंड स्तर पर खंड स्तरीय समिति के कार्य निम्नलिखित है:-

- अस्थायी आधार पर खंड संसाधन केन्द्र की स्थापना और खंड संसाधन केन्द्र समन्वयक की नियुक्ति करना।
- खंड संसाधन केन्द्र समन्वयक को यथाविधि प्रशिक्षण देना।
- समन्वयक की भूमिका व उतरदायित्व निश्चित करना।
- खंड स्तर पर संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना व उन्हें गतिशील बनाना।
- खंड संसाधन केन्द्र के भवन का निर्माण करना।
- घरों के सर्वेक्षण के आधार पर खंड संसाधन केन्द्र की कार्यविधि निर्धारित करना।
- सिविल कार्य क्रियाओं की प्राथमिकता एवं क्रियान्वयन।
- खंड स्तर पर समुदाय जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन।

इस प्रकार खंड स्तर पर यदि स्कूल व समुदाय में प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए गहन संबंध विकसित हो जाए तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति आने वाले समय में संभव हो सकती है।

ग्राम शिक्षा समिति समुदाय की एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो गांव में शिक्षा के विकास में रुचि रखने वाले- जागरुक, मेहनती एवं ईमानदार व्यक्तियों को ग्राम सभा की सहमति से इसमें शामिल होने का अवसर प्रदान करती है। समाज के वंचित वर्ग-मजदूर, किसान, महिला, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधित्व देकर उन्हें न केवल मुख्य धारा से जोडती है बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णय लेने का अधिकार भी देती है।

इसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। यह गांव को सम्पूर्ण शिक्षित गांव बनाने के लिए विशेष रुप से जवाबदेही होती है। गांव में जो साक्षर नहीं है उन्हें साक्षर बनाने की जवाबदेही शिक्षा समिति पर होगी। गांव के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे स्कूल पढ़ने जाए और कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई पूरी करे। गांव में संचालित स्कूल सही ढंग से संचालित हो रहे है या नहीं। ग्राम स्वराज व्यवस्था के तहत ग्राम स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने आए निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके सम्पूर्ण गांव को शिक्षित करने का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति पर है।

ग्राम शिक्षा समिति का गठन (Formation of Village Education Committee)

सन 2007 से शिक्षा विभाग के अधीन सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा सकारात्मक कदम उठाने हुए राज्य के सभी नियुक्त किए गए सरपंचो को ग्रामीण शिक्षा समिति का मैम्बर चैयरमैन बनाया गया है। ऐसा पंचायती संस्थाओं को शिक्षा में गुणवता को बढ़ावा देने तथा ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक सक्रिय बनाने के लिए किया गया है। अब ग्राम शिक्षा समितियों का स्वरुप इस प्रकार है :-

1 ग्राम शिक्षा समिति का गठन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।
2 यह ग्राम पंचायत की उपसमिति होती है।
3 इसका गठन दो वर्ष के लिए होगा।
4 इसमें 50 प्रतिशत महिलाएं होगी।
5 यदि गांव में एक से ज्यादा विद्यालय हो तो सभी विद्यालयों की एक ही ग्राम शिक्षा समिति होगी।
6 इसमें कम से कम 11 तथा अधिक से अधिक 15 सदस्य होगें।
7 ग्राम पंचायत का निर्वाचित सरपंच (यदि किसी गांव में एक से अधिक पंचायत हो, उस स्थिति में अधिक मतदाताओं/ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला सरंपच) अध्यक्ष होगा।
8 कोई भी वरिष्ठता, राजकीय वरिष्ठ विद्यालय का प्रधानाचार्य राजकीय उच्च विद्यालय का मुख्य अध्यापक/ राजकीय प्राथमिक विद्यालय का हैड अध्यापक (यदि गांव में एक से अधिक विद्यालय हो) इसका सदस्य सचिव होगा।

9 प्रत्येक राजकीय उच्च विद्यालय/ राजकीय प्राथमिक विद्यालय के मुख्य अध्यापक/हैड टीचर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य होंगे।

10 एक सदस्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक वर्ग का होगा।

11 1 सदस्य आंगनवाडी बालवाडी कार्यकर्ता (महिला) होगी।

12 अध्यापक अभिभावक संघ के चार सदस्य/ यदि एक से अधिक स्कूल हो तो पीटी.ए. का एक सदस्य प्रत्येक स्कूल से होगा।

13 पंचायत के दो सदस्य (पंचायत द्वारा चयनित, जिनमें से एक महिला तथा एक अनुसूचित जाति का अवश्य हो) होंगे।

14 एक शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि।

15 एक ग्राम निवासी जो शिक्षा में रुचि रखता हो।

शहरी क्षेत्र के लिए शहरी शिक्षा समिति (Urban Education Committee for Urban Areas)

समिति के पद	संख्या	सदस्यों का विवरण
सदस्य सचिव	1	विद्यालय का मुखिया (एक से अधिक होने पर वरिष्ठतम मुखिया)
सदस्य	1	प्रत्येक विद्यालय में एक-एक महिला अध्यापिका (B.E.O/BRC)
सदस्य	1	द्वारा मनोनीत
सदस्य	1	महिला सदस्य
सदस्य	1	ICDS विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य/आंगनवाड़ी /बालवाड़ी
सदस्य	2	अभिभावक शिक्षण संग से
सदस्य	1	महिला स्वास्थ्य कर्मी (स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत)
सदस्य	1	BEO/BRC द्वारा मनोनीत सदस्य(NGO सदस्य/सेवानिवृत)
सदस्य	1	समाजसेवा /शिक्षाविद
सदस्य	1	नगर परिषद द्वारा मनोनीत
सदस्य	3	नगर परिषद के 3 सदस्य एक महिला व एक अनुसूचित जाति का अवश्य हो।
कुल सदस्य	12	

एक वार्ड के अंदर सभी विद्यालयों की एक ही शहरी शिक्षा समिति होगी। अगर किसी वार्ड में विद्यालय नहीं है तो शहरी शिक्षा समिति का गठन नहीं होगा। ऐसे वार्डों को साथ लगते वार्डों की शहरी शिक्षा समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

यदि आवश्यकता हो तो ग्राम शिक्षा समिति में अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य भी मनोनीत किए जा सकते है। इसके सचिव का प्रधान के साथ संयुक्त खाता गांव के बैंक या डाकघर में होगा। सभी ग्रांट की राशियां जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय को दी जाती है, उन्हें खर्च करने से पहले खाते में जमा करवाना होगा। इसके सभी सदस्यों को बारी'-बारी से प्रत्येक वर्ष 8 सदस्यों के 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे सभी सदस्य अपने कर्तव्यों के प्रति जागरुक बन सकें

ग्राम शिक्षा समिति के कार्य (Functions of Village Education Committee)

यदि यह कहा जाय कि ग्राम शिक्षा समिति एक प्रकार से ग्राम सुधार समिति है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि शिक्षा की स्थिति में सुधार के साथ-2 सभी प्रकार के शैक्षिक विकास इसकी परिधि में आते है। इसका प्रमुख कार्य ग्राम शिक्षा योजना तैयार करना है।

1 शिक्षा में गुणात्मक सुधार

- शत-प्रतिशत नामांकन
- पढ़ाई में कमजोर बच्चों के बारे में अध्यापक / मुख्याध्यापक के साथ विचार विमर्श करना।

2 नये कार्यक्रमों का संचालन

- विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक विद्यालय केन्द्र खुलवाना तथा अन्य सुविधा की व्यवस्था करना।
- 4 से 6 वर्ष के बच्चों को बचपन शाला में प्रवेश दिलवाने में सहायता करना।
- बालिका शिक्षा के लिए कार्यक्रम में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ बालिकाओं तक पहुंचाने में सहायता करना।

3 जनचेतना जागृत करना।

- ग्रामीण लोगों को शिक्षा का महत्व बताना, स्कूल न जाने वाले बच्चों का नामांकन करवाना तथा 8वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करने तक ठहराव सुनिश्चित करना।

4 अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग

- विद्यालय में शिक्षा सुधार हेतु युवा मंडल, स्वास्थ्य सेविका, स्वयंसेवी संस्थाएं, पंचायत तथा शिक्षक अभिभावक संघ के सदस्यों का सहयोग लेना।

5 बालिका शिक्षा का उत्थान:-

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति की बालिकाओं का स्कूल में नामांकन व ठहराव हो, जिससे कि वंचित वर्ग की बालिकाओं को उचित स्थान मिल सके।

6 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (विकलांग) की शिक्षा:

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की डाक्टरों की जांच करवाने के बाद उन बच्चों को विशेष सहायता उपकरण मुफ्त दिये जाते हैं, जिनकी सहायता से ये बच्चे अन्य सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सके।

7 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :-

- बच्चे जो किसी कारण से विद्यालय ना जा सके हो, उन बच्चों की शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र उनके निवास स्थान के पास खोले गये हैं। इन केन्द्र पर अनुदेशकों को लगाने का कार्य वी.ई.सी. द्वारा किया जाता है।

8 शैक्षिक कार्य :-

- ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ग्राम का सर्वेक्षण करना तथा स्कूल जाने वाले 6- 14 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों के नामांकन की व्यवस्था करना।

- पढ़ाई बीच में छोड़ दिए जाने तथा भविष्य में नामांकन होने वाले बच्चों का रजिस्टर में रिकार्ड रखना।
- नामांकित बच्चे अपना पाठ्यक्रम पूरा करें, यh सुनिश्चित करना तथा उनके अभिभावकों से संबंध स्थापित करना।
- शिक्षा की प्रगति का पुनरावलोकन करना तथा आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान देना।

9 ग्राम शिक्षा समिति द्वारा खर्च की जाने वाली ग्रांट

- रुपए 2000 स्कूल सुधार के लिए प्रति वर्ष
- रुपए 5000 स्कूल भवन के रख-रखाव के लिए प्रतिवर्ष

10 ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पर्यवेक्षण एव मॉनीटरिंग

- किसी भी कार्यक्रम का जितने पास से पर्यवेक्षण व अवलोकन किया जाये वह उतना ही सफल होता है। इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक विद्यालय स्तर पर उपयुक्त व सशक्त पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई है। यह कार्य विद्यालय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाना है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पंचायती राज के अभिन्न अंग के रुप में किया जाएगा। राज्य सरकार ने ग्राम शिक्षा समिति को विद्यालय स्तर पर होने वाले सभी कार्यो (शैक्षिक व गैर शैक्षिक) का पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग का पूर्ण अधिकार दिया है। वे स्वयं यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय ठीक ढंग से कार्य कर रहा हे या नहीं। ग्राम शिक्षा समिति निम्न बिंदुओं पर इस प्रकार से सहयोग करे कि विद्यालय का कार्य अधिक प्रभावी हो सके:-
- विद्यालय स्तर पर अध्यापकों की उपस्थिति।
- अध्यापकों द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य।
- बच्चों की उपस्थिति तथा उनका उपलब्धि स्तर।
- सर्व शिक्षा अभियान से मिलने वाली अनुदान राशि के खर्च व उपयोग।
- विद्यालय में चल रही बचपन शाला की गतिविधियां
- गांव में चल रहे वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की प्रगति
- NPE GEL कार्यक्रम के तहत होने वाले कार्यक्रमों की प्रगति।
- विद्यालय में हो रहे निर्माण कार्यो की देखरेख।
- बच्चे के नामांकन की जांच करे। विद्यालय में वास्तविक बच्चों के अलावा फर्जी नामांकन न हो।

ग्रामीण निर्माण समिति

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सशक्त भविष्य की बुनियाद के लिए विद्यालयों में पानी की टंकी व नलके, भवनों की मरम्मत, चार-दीवारी का निर्माण, एक या दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष, मुख्याध्यापक कक्ष, संकुल संसाधन केन्द्र एवं लड़के व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण के साथ सभी विकास कार्यो में ग्रामीण निर्माण समिति की भागीदारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कुल बजट 33 प्रतिशत निर्माण कार्यो पर खर्च किया जाना है जिसकी पूरी जिम्मेदारी ग्राम

शिक्षा समिति पर है। निर्माण कार्य के लिए ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में से ही एक उप समिति का गठन किया जाता है। जिसमें पांच सदस्य होते हैं तथा वे सदस्य ही सभी निर्माण कार्य को पूरा करवाते है। इस समिति को ग्राम निर्माण समिति कहते है। इस समिति में प्रधान सहित 5 सदस्य होंगे।

13.11 समूह स्तर पर स्कूल व समुदाय में संबंध

शैक्षिक मार्गदर्शन तथा परामर्श सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए 'समूह स्तर पद्धति को लाभदायक माना गया है। क्योंकि एक क्षेत्र में स्थित सभी स्कूलों के लिए अलग-अलग मार्गदर्शक तथा परामर्शदाता की नियुक्ति करना संभव नहीं हो पाता, इस कारण पांच-छः स्कूलों का एक समूह बना दिया जाता है और उनके लिए प्रशिक्षित मार्गदर्शक तथा परामर्शदाता नियुक्त कर दिया जाता है। वह एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अपना समय इन सभी स्कूलों को देता है। समूह स्तर पर निम्नलिखित प्रशासकीय कार्यो का प्रावधान है:-

- केन्द्र स्कूल का सशक्तिकरण और उन्हें समूह संसाधन केन्द्रों से जोड़ना।
- समूह संसाधन केन्द्रों की स्थापना तथा उनके समन्वयकों की नियुक्ति।
- समूह संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों, मुख्याध्यापकों व उप-निरीक्षकों को प्रशिक्षण देना।
- समूह स्तरीय संसाधन निकाय का निर्माण व उनका अनुकूलन करना।
- प्रमुख स्कूलों में अध्यापकों की मासिक सभा का आयोजन करना।
- प्राथमिक क्षेत्रों में आवश्यकताओं की पहचान करना व कार्यो का क्रियान्वयन करना।
- समूह संसाधन केन्द्र को ग्राम पंचायत से जोडना।
- स्थानीय नवयुवकों, सेवानिवृत अध्यापकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं में से सामुदायिक संगठनकर्ताओं की पहचान करना।
- नवीन स्कूलों की स्थापना के लिए जगह की पहचान करना व ग्रामीण शिक्षा समिति के साथ उनका प्रबंधन करना।

समूह संसाधन केन्द्र किसी क्षेत्र में स्थित कुछ स्कूलों की विभिन्न प्रकार की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। ये केन्द्र निम्न प्रकार की शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करते है:-

- विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री तथा उपकरणों की व्यवस्था।
- महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रसारण।
- परामर्श सेवा।
- कार्यशालाओं का आयोजन।
- नवाचारों का प्रसारण।
- विचारों का आदान प्रदान।
- अध्यापकों के लिए संदर्भ पुस्तकों का संग्रह तथा प्रसार
- दत्तकार्य (Assginments)ए तैयार करना।

13.12 राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सामुदायकि संबद्धता के लिए प्रयास

राजस्थान राज्य में राजस्थान शिक्षा अभिप्रेरणाओं की रुपरेखा में ICEE ने सरकार के साथ सहभागिता की है, जिसके अंतर्गत स्कूलिंग की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। ICICI बैंक तथा दिगांतर एवं विद्या भवन सोसाइटी ने राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता तैयार किया जिसके अंतर्गत वरन् जिले में शैक्षिक संरचना में सुधार लाया जाएगा। यह कदम एक प्रयास है जिसके आधार पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खंड संसाधन केन्द्र तथा मंडल संसाधन केन्द्र को अध्यापक प्रशिक्षण क्रियात्मक अनुसंधान व स्कूलों के प्रत्यक्ष शैक्षिक समर्थन के लिए सुदृढ़ बनाया जा सके। यह परियोजना प्रत्यक्ष रुप से वरन डाईट शाहबाद और अटारु खंडों की 2 बी.आर.सी. तथा प्रत्येक खंड में 2 सी.आर.सी. के साथ कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त चारों कलस्टरों के प्रत्येक स्कूल के साथ स्कूल संबंधी क्रियाओं में भी योगदान दिया जाता है।

स्कूल. समूह एवं खंड स्तर पर कार्य (School, Cluster and Block-Level Work)

प्रत्येक स्तर पर समुदाय की सहभागिता के लिए अध्यापकों के सहयोग से 'पेस-सैंटर' स्कूलों का विकास किया गया है। इन स्कूलों में परियोजना से सम्बन्धित व्यक्ति सप्ताह में एक बार स्कूल में आता है तथा स्कूलों की शिक्षण अधिगम प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए विद्यार्थियों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श करता है और इसके साथ-साथ प्रातःकालीन सभा को प्रभावी बनाने पर भी बल देता है। प्रातःकालीन सभा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि यह माना जाता है कि यही वह अवसर है जब अध्यापक तथा विद्यार्थी इक्कठे होते है और उनमें अपनेपन की भावना का विकास होता है। इसके अतिरिक्त परियोजना व्यक्ति स्कूल एवं समुदाय के बीच संबंधों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए अभिभावकों के साथ अनौपचारिक रुप से मिलते है, समुदाय के सदस्यों से मिलते है तथा यह जानने का प्रयत्न करते है कि ' 'बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या वे स्कूल जाते है और अभिभावकों को उन बच्चों से क्या आशाएं है जो स्कूल जाते है।

खंड तथा कलस्टर स्तर पर यह प्रयास दो प्रकार से सम्बन्ध विकसित करने का प्रयत्न कर रहा है। एक और तो अध्यापकों को योग्य बनाने के लिए मासिक सभाओं के आयोजन के द्वारा तथा दूसरी और कलस्टर, ब्लॉक तथा जिला संस्थाओं को विषय सामग्री के विकास तथा अध्यापक प्रशिक्षण प्रक्रियाओं की सूचना प्रदान करके संबंध स्थापित करता है। इस प्रयास का उद्देश्य विद्यालयी वातावरण में सुधार के द्वारा गुणवत्ता में सुधार लाना भी है। दीर्घकाल में यह प्रयास अध्यापक शिक्षा में ऐच्छिक कार्यो तथा उनके शैक्षिक सुधार के लिए भी समर्थन प्रदान करेगा।

प्रारंभिक अध्यापकों के लिए जिला संस्थान स्तर पर कार्य (District Institute for Elementary Teachers- level work)

डाइट स्तर पर इस कार्य के द्वारा इन संस्थानों को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए जिले में विभिन्न खंडों तथा कलस्टर संसाधन केन्द्रों के बीच संबंध स्थापित किए जाते है तथा डाइट के स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास किया जाता

है। सबसे अधिक बल विद्यमान ब्लॉक को जैसे खंड संसाधन केन्द्र सुविधाकर्ता (Block Resource Center Facilitator) तथा खंड शिक्षा अधिकारी (Block Education Officer) समर्थन प्रदान करने पर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक गुणात्मक सुधार इकाई (Quality Improvement Unit) की स्थापना की जाएगी जो समय-समय पर डाइट में सुधार लाने के लिए कार्य करेगी। इनमें डाइट के अध्यापक शामिल होंगे। जिनमें से एक को मुखिया बनाया जाएगा। परियोजना से सम्बन्धित व्यक्ति के साथ मिलकर विभिन्न क्रियाओं जैसे कक्षाकक्ष शिक्षण अधिगम के सुधार के लिए अनुसंधान किए जाएंगे।

13.13 प्रभावी एवं सुसंचालित स्कूलों की स्थापना

स्कूल स्तर पर बहुत से कार्य करने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरुप इन्हें सुसंचालित व प्रभावी बनाया जा सके जैसे:-

- मुख्याध्यापक की स्वतन्त्रता तथा जवाबदेही को बढ़ावा।
- एक स्कूल नेता व एक शिक्षण-शास्त्र संसाधन के रुप में मुख्य अध्यापक के उतरदायित्व में बढ़ावा।
- अधिक प्रभावी अनुदेशन व्यूह-रचनाओं का क्रियान्वयन, जिसमें विद्यार्थियों के अधिगम की नियमित जांच शामिल हो।
- विद्यार्थियों के नामांकन, विद्यार्थियों व अध्यापकों की उपस्थिति, समुदाय की गतिशीलता तथा संसाधनों में वृद्धि करने में ग्राम समुदाय समिति को शामिल किया जाए।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा स्कूल से सम्बन्धित व्यक्ति के लिए विस्तृत प्रशिक्षण का प्रबंधन किया जाए जिससे वे अपने उतरदायित्वों को सही ढंग से पूरा कर सके।

वारगीस (Varghese) के द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि मुख्याध्यापकों के लिए सामान्य प्रशासन, संस्थागत नियोजन, स्कूल क्रियाओं का अवलोकन, पंचायत सदस्यों के साथ संबंध, समुदाय के साथ स्कूलों का संबंध तथा सामग्री के नियोजन के लिए उचित प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाना चाहिए। ग्राम शिक्षा समिति के लिए उन कार्यो की पहचान करना एक चुनौती है। जिसमें वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और उन्हीं के अनुसार प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाए। गांव के स्कूलों की प्रभावशीलता में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण ढंग हो सकता है कि ग्राम शिक्षा समितियों को अध्यापक की उपस्थिति का अवलोकन करने का प्रशिक्षण दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं के साथ अनुभवों की समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि यह समितियाँ अध्यापकों की उपस्थिति व अवलोकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है क्योंकि इसी के परिणामस्वरुप विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि में वृद्धि की जा सकती है। ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा बच्चों के नामांकन व उपस्थिति, स्कूल के रखरखाव में सहयोग, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन तथा स्त्रोतों की गतिशीलता का उतरदायित्व आदि कार्य उपयुक्त ढंग से करवाए जा सकते हैं।

मूल्यांकन प्रश्न

1 स्कूल व समुदाय में संबंध प्रारंभिक शिक्षा के विकास में किस प्रकार उत्तरदायी है?

How the linkage of school and community is responsible for responsible for the development of elementary educaton?

2 राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की प्रबंधन संरचना किस प्रकार की है?

What is the management structure of elementary education at state level?

3 खंड स्तर पर स्कूल व समुदाय किस प्रकार मिलजुल कर प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए कार्य करते है?

How are the school and community working cooperatively for the development of elementary education at block level?

4 जिला स्तर पर जिला विकास समिति के कार्यो का वर्णन कीजिए।

Describe the functions of district development committee at district level.

5 विकास के लिए स्कूल व समुदाय मिलजुलकर किस प्रकार कार्य कर रहे है?

How are the school and community working cooperatively for the development of elementary education at cluster level?

6 आप समुदाय सदस्य के रुप में अपने क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हो?

How can you contribute for the development of elementary education in your area as a community member?

13.14 सारांश

प्रारंभिक शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। इसके विस्तार तथा गुणात्मक सुधार के लिए अनेक प्रकार के सुझाव दिए गए है। ऐसा समझा जाता है कि यदि इन सुझावों का दृढ़ संकल्प से कार्यान्वयन किया जाए तो कोई कारण नहीं है कि संविधान में निर्देशों की शीघ्र पूर्ति न हो सके। सर्वशिक्षा अभियान भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी व उपयुक्त प्रारंभिक शिक्षाप्रदान करना है तथा सामाजिक, क्षेत्रीय व लिंग असमानताओं को दूर करना है। इसके द्वारा समुदाय की क्रमबद्ध गतिशीलता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है तथा इसके लिए शक्तियों के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया है।

राज्य स्तर पर सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के कार्य के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि जिला व खंड स्तर पर कार्यप्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। इसमें न केवल शिक्षा विभाग ही सम्मिलित हो अपितु डाइट के अध्यापक, खंड संसाधन समन्वयक, समूह संसाधन केन्द्रों के समन्वयक, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, अध्यापक संघों के प्रतिनिधि, स्त्री समूहों के प्रतिनिधि, स्व-सहायता समूहों के प्रतिनिधि, सेवानिवृत तथा राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पदक जीते हुए शिक्षाविदों व समाजसेवकों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

विभिन्न स्तरों पर स्थापित टीमों को समय-समय पर अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके प्रारंभिक शिक्षा के वर्तमान स्तरों की जानकारी लेनी चाहिए व इसके लिए महिला समूहों, प्रेरक

दलों का निर्माण करना चाहिए जिससे स्थानीय जानकारी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। प्रत्येक जिले, खंड व समूह को शिक्षा के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना चाहिए तथा राष्ट्र के उपरी स्तर से लेकर निचले समूह स्तर तक प्रत्येक स्कूल की ओर ध्यान देना चाहिए तथा प्राथमिकताओं को निर्धारित करना चाहिए। स्कूल व समुदाय में सहयोग के बिना प्रारंभिक स्तर पर सार्वभौमिकता के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता।

13.15 संदर्भ ग्रंथ

1. Aggarwal Yash Trends in Access and Retention: A Study of Primary School in DPEP.
2. CHETNA (1997)Both Shiksha Samiti: Integrated Community school.
3. DFIDI (1999) Lok jumbish phase 3: Project memorandum.
4. Report of the Study team on Panchyati Raj Finance, part-ii Ministry of Community Development and Cooperaration, New Delhi.
5. Report of the Rajasthan state Primary Education Committee Govt. of Rajasthan Jaipur.
6. Report of the Evaluation Organization, Govt.of Rajasthan, Jaipur,1961-62
7. Report of the Study Team on Panchayati Ray, 1964, (Panchayat and Development Department, Govt.of Rajasthan).
8. UNESCO(2003) Overcoming Exclusion through inclusive Approaches in Education: A Challenge and a Vision, A UNESCO Conceptual paper,UNESCO,Paris.

इकाई 14

विद्यालय और अध्यापक
(Teacher and School)

इकाई की संरचना

14.0 उद्देश्य
14.1 विद्यालय और अध्यापक (परिचय)
14.2 अध्यापकों का वृत्तिक विकास
14.3 अध्यापक शिक्षा (पुर्नप्रशिक्षण)
14.4 पैडागाजी और विषयगत मुद्दे
14.5 अध्यापक प्रशिक्षण और कक्षागत प्रक्रिया
14.6 विद्यालय प्रबन्धन
14.7 वैश्वीकरण के इस युग में अध्यापक की विभिन्न स्तरों पर भूमिका
14.8 प्रधानाध्यापक अध्यापक सम्बन्ध
14.9 प्राथमिक शिक्षक की प्रभावशीलता के प्रमुख आयाम/संक्रियायें
14.10 शैक्षिक संसाधनों का प्रबन्धन
14.10.1 विद्यालय पुस्तकालय
14.10.2 प्रयोगशाला
14.10.3 फर्नीचर
14.10.4 कक्षा कक्ष
14.10.5 अभिभावक
14.10.6 खेल मैदान
14.11 सारांश
14.12 संदर्भ ग्रंथ

14.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- विद्यालय एवं अध्यापक के क्रियात्मक व व्यवहारिक पक्ष को समझ सकेंगे।
- अध्यापकों के वृत्तिक विकास के विभिन्न तरीकों से अवगत हो सकेंगे।
- अध्यापकों के सेवा पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषयवस्तु व क्रियान्वयन स्तर को समझ सकेंगे।
- अध्यापकों से सम्बन्धित विभिन्न सेवाकालीन व सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समालोचना व विश्लेषण कर सकेंगे।
- अध्यापक शिक्षा में विषयगत स्तरीकरण की आवश्यकता व महत्व को समझ सकेंगे।

- पैडागॉजी प्रत्यक्ष व विद्‌यालयी परिवेश में शोध सम्बन्धी विभिन्न क्रियाओं की खोज व सम्पादन प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे।
- कक्षागत प्रक्रिया के विभिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- विद्‌यालय प्रबन्धन के मूलभूत सिद्धान्तों से परिचित हो सकेंगे।
- वैश्वीकरण के परिवर्तित युग में अध्यापक की वर्तमान भूमिका का अनुमान लग सकेंगे।
- प्रधानाध्यापक-अध्यापक मधुर सम्बन्धों हेतु वांछित दशाओं एवं वातावरण का निर्माण कर सकने योग्य हो सकेंगे।
- प्राथमिक शिक्षक की प्रभावशीलता पर परिचर्चा कर सकेंगे।
- विद्‌यालयी परिवेश में आवश्यक व अपेक्षित शैक्षिक संसाधनों के व्यवस्थित प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्‌यालय संसाधनों की उपलब्धता व उनके रख रखाव पर तर्क कर सकेंगे।

14.1 विद्‌यालय और अध्यापक परिचय

औपचारिक शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त संगठन विद्‌यालय और विद्‌यालयी क्रियाओं के निष्पादन का सर्वाधिक सशक्त माध्यम अध्यापक समुदाय होता हैं इसी कारण विद्‌यालय और अध्यापक एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। उक्त का सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षार्थियों पर पड़ता है। शिक्षा में शिक्षक प्रभाव डालता है और बालक प्रभाव का पात्र बनता हैं विद्‌यालयी शिक्षा में अध्यापक और छात्र आमने-सामने होते हैं। अध्यापक विद्‌यार्थियों पर अनेक विधियों एवं साधनों के द्‌वारा अपने ज्ञान का प्रभाव डालना चाहता है और विद्‌यार्थी भी उस प्रभाव को स्वीकार करने के लिए सतत्‌ तैयार व प्रयत्नशील रहता है। अध्यापक और छात्र शिक्षा देने और ग्रहण करने के लिए विद्‌यालय में एकत्रित होते हैं। शिक्षा विकास व परिवर्तन की एक प्रक्रिया है शिक्षा के द्‌वारा बालक की समस्त मानसिक और शारीरिक शक्तियों का विकास होता हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक इन्ही तीनों का योग ही मानव का व्यक्तित्व है।

डॉ0 सुबोध अदावल के अनुसार- ' 'शिक्षा का प्रमुख अंग शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य, शिक्षण प्रकार्य और परिणाम या मूल्यांकन है। शिक्षा के उद्देश्य को दृष्टि में रखकर ही समस्त शिक्षण कार्य क्रियान्वित किये जाते हैं। शिक्षण कार्य की अच्छाई, बुराई पर शिक्षा के परिणाम निर्भर करते हैं और अन्त में शिक्षा के परिणामों का मूल्यांकन करके ही उसके उद्देश्यों का पुन: निर्धारिण किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य के अन्तर्गत समाज, देश तथा जीवन आदर्श आते हैं शिक्षण प्रकार्य के अन्दर शिक्षक, विद्‌यालय, शैक्षिक विषय और पढ़ने वाले बालक बालिकाएं आते हैं। परिणाम परीक्षक, परीक्षार्थी और परीक्षा प्रश्न पत्र से सम्बन्धित होता है। देशकाल और सामाजिक मूल्यों के बदलते अनुक्रम में प्राथमिक शिक्षा की संक्रियायें व योजनायें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

14.2 अध्यापकों का वृत्तिक विकास

अध्यापकों के वृत्तिक विकास का आशय है- सेवाकाल से पूर्व व पश्चात शैक्षिक आवश्यकताओं एवं समस्याओं से समायोजन के योग्य बनाना। अध्यापकों के वृत्तिक विकास में उनकी शैक्षिक उपलब्धि बुद्धिलब्धि, तार्किक एवं समायोजन शीलता और कौशलों की प्रमुख भूमिका होती है इसी उद्देश्यों से शिक्षकों को विभिन्न सेवाकालीन व सेवा पूर्व शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित किये जाते हैं। आज के तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के युग में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में समय-समय पर होने वाले बदलाव तथा नवाचारों के चलते प्राथमिक व उच्च-प्राथमिक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों को परिवर्तित व परिमार्जित करने के साथ ही साथ विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से अध्यापकों को बाल केन्द्रित उपागम एवं दक्षता संधारित अधिगम शिक्षण की प्रक्रिया का ज्ञान कराना भी आवश्यक हैं सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण में प्रायोगिक व व्यवहारिक कार्य एवं प्रभावी प्रक्रिया के योग्य बनाते हुए गुणात्मक शिक्षा की अवधारणा को फलीभूत करने की आवश्यकता भी उजागर हो रही हैं अध्यापकों के वृत्तिक विकास को निम्नांकित दो भागों में बांटा जा सकता है।

1 सेवा पूर्व वृत्तिक विकास-

इसके अन्तर्गत शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की निर्धारित प्रक्रिया प्रवेश परीक्षाएं, साक्षात्कार व चयन उपरान्त प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसका उद्देश्य कुशल, अनुभवी, व योग्य शिक्षकों का चयन सुनिश्चित किया जाता है।

2 सेवा कालीन वृत्तिक विकास-

इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, निर्देशों एवं परीक्षाओं पदोन्नतियों के माध्यम से अध्यापकों का सतत् वृत्तिक विकास सम्पन्न किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम में रहने वाली कमियों और कमजोरियों का निदान, शिक्षण और प्रशिक्षण की नयी भूमिका के निर्वाह हेतु प्रशिक्षकों के कौशल और शैक्षिक ज्ञान को विशिष्ट बनाना तथा विषयगत ज्ञान को विशिष्ट व अद्यतन बनाना, शिक्षकों की सह शैक्षिक गतिविधियों हेतु भी तैयार करना। इस प्रकार अध्यापकों का वृत्तिक विकास उन अध्यापकों के लिए वरदान है, जो अपनी प्रवीणता का विकास करना चाहते हैं, जो अपने आपको शिक्षा-शिक्षण व्यवस्था की नयी भूमिका के लिए तैयार करना चाहते हैं और अध्यापक-शिक्षण में आने वाली दिन-प्रतिदिन की समस्याओं से प्रभावी रूप से झूझने के लिए अपने आपको साधन सम्पन्न करना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात को प्रमुख मान्यता दी गयी कि अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण कम से कम पांच वर्ष के अनतराल पर अवश्य करवाया जाए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम IASE,CTE,NCERT आदि संगठनों ने वृत्तिक व व्यवसायिक प्रशिक्षण को समृद्ध व उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस सम्बन्ध में आशातीत सफलता भी प्राप्त हुई है। सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण सम्बन्धी क्षेत्रों को निम्नांकित वर्गो में बांटा जा सकता है जिनकी अवधि आवश्यकतानुसार 3 से 21 दिन निर्धारित की जाती है

1 पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन।

2 परीक्षा प्रश्न पत्र मदों का विश्लेषण व निर्माण।

3 शैक्षिक तकनीकों का सफलतम प्रयोग।

4 कार्यानुभव।

5 संस्था प्रधानों का प्रशिक्षण।

6 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम।

7 संस्थागत नियोजन।

8 व्यवसायिक शिक्षा।

9 शैक्षिक अनुसंधान।

10 विषयगत दक्षता उन्नयन कार्यक्रम।

शिक्षकों के व्यवसायिक उन्नयन का विस्तार प्रमुख रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

समन्वित शिक्षक उन्नयन कार्यक्रम

शैक्षिक कार्मिक	पेडागॉजी के विशेषीकृत क्षेत्र
पूर्व प्राथमिक विद्यालयी शिक्षक	शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (सभी विषयों में)
प्राथमिक विद्यालयी शिक्षक	पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या विकास व अधिगम सामग्री
माध्यमिक विद्यालयी शिक्षक	मापन व मूल्यांकन
विशेष विद्यालय के शिक्षक	शैक्षिक प्रशासन व नियोजन
संस्था प्रधान	अध्यापक शिक्षा
अध्यापकों को शिक्षा देने वाले शिक्षक	निशक्त बालकों की शिक्षा
शैक्षिक तकनीकी।	अनौपचारिक शिक्षा

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 विद्यालय व अध्यापक के परस्पर सम्बद्धता की विवेचना कीजिये?
(DISCUSS THE RELATION SHIP BETWEEN SCHOOL & TEACHER)

2 अध्यापकों के वृत्तिक विकास पर एक टिप्पणी लिखिये-
(WRITE A SHORT NOTE ON PRO FESSIONAL GROWTH OF TEACHERS)

3 अध्यापकों के सेवा पूर्व व सेवा पश्चात् प्रशिक्षण किस प्रकार व किन संगठनों द्वारा आयोजित किये जाते हैं?
(HOW AND BY WHICH ORGANIZATION ARE THE PRE SERVICE & IN SERVICE TRANNING ORGANIZED?)'

4 सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण के मूलभूत क्षेत्रों का वर्णन कीजिये-
(EXPLAIN THE BASIC AREA’S OF IN SERVICE TEACHER’S TRAINING)

14.3 अध्यापक शिक्षा

शैक्षिक अनुसन्धान उच्च स्तर का लक्ष्य नहीं अपितु असफलता जुर्म है। आवश्यकता इस बात की है। अनिवार्य शैक्षिक आवश्यकताओं और समस्याओं पर निदानात्मक व उपचारात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाये जो निम्नांकित मापकों पर अनिवार्यतः आधारित है -

(1) कार्यक्रम की पर्याप्त विषयवस्तु।

(2) प्रशिक्षण तकनीकी।

(3) कार्यक्रमों में तकनीकों का अनुप्रयोग।

(4) प्रशिक्षण सामग्रियों की गुणवत्ता

(5) अनुवर्तन तंत्र।

14.4 पैडागॉजी और विषयगत मुद्दे

पैडागॉजी शिक्षा, विज्ञान से सम्बन्धित है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शोध कार्य किया जाता है। शोध का अर्थ है-शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टि से विष्लेशण व तथ्यों, निष्कर्शों का प्रतिपादन। पैडागाजी से तात्पर्य शैक्षिक गुणवत्ता व उन्नयन की दृष्टि से विभिन्न समस्याओं व बाधक तत्वों की खोज शोध, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं सतत्, क्रियान्वयन तथा निरीक्षण है। पैडागॉजी के अन्तर्गत, वर्तमान में संचालित कक्षा 1 से 8 तक में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों को आ रही रूकावटें व अवरोध दूर करने हेतु शोध विषय नियत किये जाते हैं। तत्पश्चात् प्राप्त समंकों से समस्या का विश्लेषण कर उसके समाधान हेतु विभिन्न अनुसन्धान कार्य किये जाते हैं इसके सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा पैडागॉजी निदेशक की भी नियुक्ति। की गयी है जिसके प्रशासनिक संगठनात्मक ढांचे के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्रियात्मक शोध विद्यालय परिक्षेत्र स्तर पर, ब्लॉक, जिला व राज्य सतरीय शोध कार्यो का क्रियान्वयन करवाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य ऐसी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना है, जिससे शिक्षार्थी समर्थ जीवन जीने की योग्यता प्राप्त कर सके। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को सन् 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा प्रदान करना भी सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य ध्येय है। यह लक्ष्य उक्त आयु वर्ग के सभी बच्चों के नामांकन ठहराव व रूचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त से जुड़ा हैं इस प्रकार पैडागॉजी क्षेत्र में निम्नांकित शोध कार्य के मुख्य क्षेत्र हो सकते हैं -

शोध अध्ययन क्षेत्र- (संख्यात्मक एवं व्यवस्थात्मक)

1 6- 14 आयु वर्ग के बच्चों का प्रारम्भिक शिक्षा में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।

2 कक्षा 1 में नामांकित बच्चों की पुनरावृत्ति दर, कक्षा उत्तीर्ण करने की दर एवं विद्यालय छोड़ने की दर।

3 कक्षा 5 से कक्षा 6 में प्रवेश लेने की दर व कक्षा 8 उत्तीर्ण कर माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने की दर।

4 समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चों का नामांकन, ठहराव व कक्षा उत्तीर्ण करना।

5 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक संस्थिति।

6 पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में, नामांकित बच्चे एवं पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केन्द्रों के संचालन का अध्ययन।

7 एजूकेशन गारन्टी सकीम का अध्ययन।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिन अध्ययनों से शिक्षा का गुणात्मक पक्ष सबल हो सकता है, वे हैं विद्यालयी वातावरण, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों का सहसम्बन्ध, विद्यालय प्रबन्धन (विशेषतः शिक्षण अधिगम प्रबन्धन), शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम विधायें, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं विधि, शिक्षक अभिनवन प्रशिक्षण की उपादेयता शिक्षक अभिनवन प्रशिक्षण की व्यूह रचना आदि।

विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं उनके व्यवहारगत परिमार्जन परिवर्तन व विकास हेतु निम्नांकित से सम्बन्धित विषयगत मुद्दे भी शोध अध्ययन हेतु लिये जा सकते हैं-

(अ) विद्यालय वातावरण।

(ब) विद्यालय प्रबन्धन- विद्यालय प्रबन्धन के विभिन्न पक्ष एवं सहभागिता।

(स) शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण।

(द) शिक्षण अधिगम सामग्री एवं उसका उपयोग।

(य) कक्षा शिक्षण प्रक्रिया।

(र) मूल्यांकन प्रक्रिया एवं विधि

(ल) गुणात्मक शैक्षिक उपलब्धि के लिए निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण।

(व) सामुदायिक सहभागिता।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ब्लॉक, राज्य व जिला स्तरीय शोध अध्ययन, राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तरीय शोध विशेषज्ञ संस्थाओं, शोध विशेषज्ञों, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का दिया जाना अपेक्षित है। शोध निष्कर्षो का प्रसारण और अनुवर्तन भी आवश्यक है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. अध्यापक शिक्षा व अध्यापक प्रशिक्षण को समझाईये। दोनों में क्या सम्बन्ध हैं (TEACHER EDUCATION AND TEACHER TRAINNING WHAT THE DIFFERENCE BETWEEN THEM?)
2. पेडागॉजी क्या है? इसके माध्यम से अध्यापकों के शिक्षण सम्बन्धी गुणवत्ता को किस प्रकार सुधारा जा सकता?
   (WHAT IS PESAGOGY? HOW CAN TEACHING QUALITIES BEIMPROVED WITH ITS HELP)
3. पेडागॉजी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर लघु शोध क्षेत्र बताई
   (TELL SHOT RESEARCH AREAS OF PEDAGOGY PROCESS AT PRIMARY LEVEL?
4. शैक्षिक शोध अध्ययन के किसी एक क्षेत्र पर शोध समस्या व शीर्षक का निर्माण कीजिये।
   PROBLEM & TITLE OF ANY EDUCATIONAL RESEARCH AREA)

14.5 अध्यापक प्रशिक्षण और कक्षागत प्रक्रिया

शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यवसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है' '

- कोठारी कमीशन-

अध्यापक प्रशिक्षण की उपादेयता नियुक्ति से पूर्व व पश्चात दोनों स्तरों पर आवश्यक हैं पूर्व में उल्लिखित विषयबिन्दु अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि अध्यापक प्रशिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व अनिवार्य पक्ष कक्षागत प्रक्रिया है।

कक्षागत प्रक्रियाएं विशेष रूप से विभिन्न शिक्षण कौशलों पर आधारित होती है। जैसे शिक्षण नियोजन, शिक्षण उद्देश्य, लेखन कौशल, प्रस्तावना, विकास अनुशीलन, मूल्यांकन, समस्यात्मक व विश्लेषणात्मक पुनरावृति प्रश्नों का निर्माण व प्रयोग, श्यामपट्ट लेख, कौशल, अध्यापक कथन, गृह कार्य आदि कक्षागत बिन्दुओं पर क्रियात्मक प्रयोग विभिन्न प्रशिक्षण स्तरों पर दिये जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, व सामाजीकृत अभिनीत शिक्षण कौशल आदि के विभिन्न विकसित स्वरूपों पर प्रयोगात्मक कार्य सम्पादित करवाये जाते हैं। बी.एड., एस.टी.सी. व अन्य शिक्षण पाठ्यक्रमों का आधार उपरोक्त उल्लिखित शिक्षण कौशलों के प्रशिक्षण पर आधारित है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन दक्षता वृद्धि विषयगत उन्नयन कार्यक्र टी.एल.एम. सामग्री के निर्माण तथा उपयोग तथा अध्यापन में रहने वाली कमियों और कमजोरियों के निदान व उपचार पर आधारित होता है जिनका विस्तृत उल्लेख सेवाकालीन प्रशिक्षण के विभिन्न बिन्दुओं में दिया जा चुका है।

14.8 विद्यालय प्रबन्धन

प्रत्येक संस्था के अपने लक्ष्य और आदर्श हो सकते हैं, और उनकी सफलता पूर्वक प्राप्ति के लिए किसी. न किसी प्रकार के प्रबन्ध की आवश्यकता होती है। प्रशासन, प्रबन्ध व नियंत्रण किसी भी संगठन के सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी होती है। प्रबन्ध का पक्ष हमेशा क्रियात्मक होता है जबकि प्रशासन मानसिक योग्यता व योजना निर्माण से सम्बन्धित होता है। विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है अत: इसकी सुसंगठित प्रबन्ध व्यवस्था होनी चाहिये। बिना किसी प्रभावशाली प्रबन्ध के विद्यालय वातावरण व जीवन में दुर्व्यवस्था एवं सम्बन्धित फैल जाने की सम्भावना बनी रहती है। एक सफल व प्रभावशाली प्रबन्धन विद्यालय में उचित व्यवस्था लाता है। यह उचित व्यक्तियों की, उचित स्थान पर, उचित समय में, उचित ढंग से उपलब्ध एवं समायोजित करता है।

विद्यालय प्रबन्धन की महत्वपूर्ण कड़ी प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक होते हैं वह विद्यालय प्रबन्ध की धूरी के रूप में कार्य करता है।

"छात्र के लाभ हेतु उसकी मस्तिष्क शक्ति के प्रशिक्षण उसकी सामान्य दृष्टि विस्तृत करने, उसके मस्तिष्क को उन्नतिशील बनाने, चरित्र का निर्माण करने एवं शक्ति देने, उसे अपने समाज एवं राज्य के प्रति कर्तव्य का अनुभव कराने आदि के लिए ही विद्यालय को संगठित किया जाए - पीसी. जैन-

विद्यालय प्रबन्धन-विद्यालय प्रणाली के सभी पक्षों से सम्बन्धित है, जैसे प्रधान एवं छात्रों का सम्बन्ध, छात्र एवं अध्यापक वर्ग का सम्बन्ध, विद्यालय एवं समाज का सम्बन्ध, अन्य कर्मचारी एवं अध्यापक वर्ग का सम्बन्ध, प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक सम्बन्ध, विद्यालय एवं राज्य अथवा विश्वविद्यालय का सम्बन्ध आदि। इससे निम्नालिखित कार्य ससम्बन्धित है-

(1) विद्यालय प्रबन्ध के अभिप्रायों का निर्माण।

(2) अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वय।

(3) विद्यार्थियों का वर्गीकरण।

(4) पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन।

(5) पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन

(6) विभिन्न सेवाएं (भवन एवं उपकरण, प्रयोग शाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि उत्तरदायित्व।

(7) विद्यालय में अनुशासन ।

(8) स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का गठन ।

(9) विद्यालय के कार्यालय की देखभाल।

(10) विद्यालय का बजट बनाना।

(11) घर, विद्यालय एवं समाज के कार्यो का समन्वय।

(12) विद्यार्थियों को समाज सेवा कार्यक्रमों में लगाना।

(13) मिल जुल कर काम करने की भावना।

(14) छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना।

(15) अध्यापकों का कार्य विभाजन।

(16) विद्यालय की नीतियों का लोकतन्त्रात्मक ढंग से निर्माण।

(17) अध्यापकों को अपने कतव्यों के पालन में अधिक स्वतन्त्रता के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(18) शिक्षा को सहकारी संगठन बनाना, (अध्यापक व छात्र दोनों की दृष्टि से)

(19) विद्यालय की नीतियों को आधुनिकतम शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना।

(20) अध्यापकों का कक्षा में एवं सम्मेलनों में पर्यवेक्षण करना।

(21) विभागीय अधिकारियों को सहयोग करना आदि।

स्वमूल्याकन प्रश्न

1 कक्षागत प्रक्रिया किन कार्यो और प्रक्रियाओं पर आधारित होती है? विवेचन कीजिये?

(ON WHICH BASIS DO THE CLASSROOM PROCESS DEPEND)

2 विद्यालय प्रबन्ध को परिभाषित कीजिये (DEFINE SCHOOL MANAGEMENT)

3 विद्यालय प्रबन्ध सम्बन्धी आधारभूत कार्यो को सुझाईये?

(SUGGEST THE FUNCTIONAL ARE AS OF SCHOOL MANAGEMENT)

14.7 वैश्वीकरण के इस युग में अध्यापक की विभिन्न स्तरों पर भूमिका

आधुनिक जीवन और विद्यालय प्रणाली अत्यधिक जटिल हो गयी है। लोकतन्त्र, विज्ञान व वैश्वीकरण ने शिक्षा के क्षेत्र में नई दृष्टि और विस्तृत दृष्टिकोण को जन्म दिया है। शिक्षा के

क्षेत्र में, बालक के विकास, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम निर्माण आदि पर अनेकों सिद्धान्त प्रतिपादन ने नवीन शैक्षिक जागृति ला दी है। नवीन परिस्थितियां, नवीन दशायें, नये तौर तरीकों की मांग करती है और वे पुरानी, कठोर प्रणाली के लिए एक चुनौति है। शिक्षा के क्षेत्र में वैश्वीकरण का अभिप्राय: ज्ञान का विश्व स्तर पर विस्फोट व आधुनिक, शैक्षिक क्रान्ति से हैं विभिन्न देशों की सभ्यता, संस्कृति, परम्परायें, तकनीकी, ज्ञान विज्ञान का सरलता से आदान-प्रदान विश्व स्तर पर शिक्षा की नयी आवश्यकता व मापदण्ड को सृजित करता है। ऐसे में अध्यापक की भूमिका देश की सभ्यता संस्कृति को अक्षुण रखने, शैक्षिक प्रगति को आगे बढ़ाने तथा अवरोधों अपव्ययों को दूर करने में हैं देश की भावी पीढ़ी विद्यालयों में अध्यापकों के द्वारा ही अभिप्रेरित व नियंत्रित की जाती है। वैश्वीकरण के युग में अध्यापकों का कार्य निर्वहन व चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाती है।

14.8 प्रधानाध्यापक-अध्यापक सम्बन्ध

विद्यालय में यदि प्रधानाध्यापक समस्त शैक्षिक प्रक्रियाओं की धूरी है तो अध्यापक उसके संक्रियात्मक औजार है, जिनके माध्यम से शैक्षिक नियोजन को न केवल क्रियान्वित व निर्देशित किया जाता है, बल्कि निष्पादन मूल्यांकन समीक्षा व परिणामों का समाकलन भी किया जाता हैं अध्यापन विद्यालय संगठन तंत्र की कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग है जिसका निर्देशन, प्रेरण नियंत्रण व अभिमुखीकरण विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है। अत: प्रधानाध्यापक-अध्यापक सम्बन्धों का मधुर व एकरूप होना अति आवश्यक है।

विद्यालय कार्यपद्धति एवं अवधारणा विशेष संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित होनी चाहिये। प्रधानाध्यापक की ओर से विद्यालय प्रबन्ध का दृष्टिकोण प्रजातांत्रिक होना चाहिये। अधिकार किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास नहीं होने चाहिये। सभी अध्यापकों की व्यक्तिगत व सामुहिक जिम्मेदारी होनी चाहिये। दोनों के द्वारा विद्यालय की सामाजिक एवं राजनैतिक प्रणाली को सहायता देनी चाहिये एवं शक्तिशाली बनाना चाहिये। बालक-बालिकाओं को उनके कर्तव्यों व दायित्वों के प्रति सजग बनाना चाहिये प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा अध्यापकों से समरसत्ता उत्पन्न व विकसित करने के लिए प्रबन्ध के निम्न सिद्धान्तों की अनुपालना की जानी चाहिये -

1 उत्तरदायित्व निभाने में अध्यापकों को भागीदार बनाना।

2 समानता का सिद्धान्त

3 सहयोगियों से एक जैसा तथा बिना पक्षपात के व्यवहार करना।

4 सहयोग को बढावा देने का सिद्धान्त।

5 न्याय का सिद्धान्त।

6 व्यक्तिगत योग्यता को मान्यता देने का सिद्धान्त।

7 नेतृत्व का सिद्धान्त

8 प्रतिभा का परिचय देने का सिद्धान्त तथा स्वतंत्र वातावरण (भय रहित बनाना)

9 मूल्यांकन का सिद्धान्त।

प्रधानाचार्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिये कि वह एक "प्रभावी नेता है, न कि हाकिम" अध्यापकों का अच्छा सहयोग मिल सके इसके लिए सर्वप्रथम उन्हें मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिये। अध्यापकों से शिष्टतापूर्वक बर्ताव करते हुए दिये गये वचनों का पालन करना

चाहिये। अपने लिए विशेष अधिकार प्राप्त न करते हुए अध्यापकों की राय का आदर करना चाहिये अच्छा कार्य करने पर प्रोत्साहन व श्रेय देना चाहिये, स्टॉफ में दलबंदी न करना, अध्यापकों की आलोचना की यदि आवश्यकता हो तो अकेले में करना आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें अपना कर विद्यालय का चहुमुखी विकास किया जा सकता है।

14.9 प्राथमिक शिक्षक की प्रभावशीलता के प्रमुख आयाम/संक्रियाएं

(1) स्कूल सम्बन्धी गतिविधियों तथा कार्यो का संचालन तथा संयोजन क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं परिणाम अनुवर्तन आदि।
(2) विद्यालय को सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित करना।
(3) मिलजुलकर रहने की भावना का विकास।
(4) आधारभूत दर्शन को वरीयता देना।
(5) आकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण।
(6) पाठ्यक्रम को छात्र के विकास का साधन मानना।
(7) सभी क्रियाओं में समन्वय।
(8) विद्यालय सामग्री का दक्षतापूर्ण उपयोग।
(9) वित्त का न्यायसंगत उपयोग।
(10) लक्ष्य निर्धारण तथा योजना।
(11) आवधिक निरीक्षण।
(12) प्रबन्ध में लचीलापन।
(13) अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति।
(14) आशावादी सिद्धान्त को अपनाना।
(15) छात्रों को प्रबन्ध में भागीदार बनना।
(16) टी.एल.एम. सामग्रियों का समुचित निर्माण व उपयोग को प्रोत्साहित करना।
(17) परीक्षा परिणाम की समीक्षा करते हुए तदनुरूप निदान व उपचारात्मक प्रक्रिया सम्पादित करना।
(18) स्व-अध्ययन व स्व-अनुशासन को बढावा देना।
(19) समाज का अपेक्षित व पर्याप्त सहयोग प्राप्त करना।
(20) अभिभावक सम्पर्क व सजगता हेतु सतत् प्रयत्नशीलरहना।

स्वमूल्याकन प्रश्न

1 वैश्वीकरण के युग में अध्यापक की क्या लुमइका होनी चाहिये?
(WHAT THE ROLE OF TEACHER IN THE AGE OF GLOBALIZATION)

2 प्रधानाध्यापक-अध्यापक सम्बन्ध को मधुर बनाने के कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित कीजिये। इस सम्बन्ध प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिये?
SUGGEST SOME PRICVIPLES TO MAKE BETTER RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS AND

	HEADMASTER WHAT SHOULD BE THE ROLE OF HEADMASTER IN THIS SESPECT	
3	प्राथमिक शिक्षक की प्रभावशीलता किस प्रकार व किन आयामों द्वारा श्रेष्ठतम बनायी जा सकती है (HOW AND WHICH DIMENSION CAN EFFECTIVITY OF PRIMARY TEACHER BE MADE?	

14.10 शैक्षिक संसाधनों का प्रबन्धन

प्रत्येक मनुष्य व संस्था में यह क्षमता है कि वह किसी भी परिस्थिति में ही अपनी बुद्धि और कुशलता से साधनों का सृजन कर सकता है। मानवीय संसाधन भौतिक साधनों से बड़ा है। योजना व प्रबन्ध का प्रमुख आधार उपलब्ध संसाधन व उनका मितव्ययितापूर्वक व सफलतम उपयोग होता है।

14.10.1 विद्यालय पुस्तकालय

पुस्तकालय वह स्थान या कक्ष है जहां ज्ञान के भण्डार के रूप में पुस्तकें वर्गीकृत व समेकित रूप में सुसज्जित व उपयोग रूप में तैयार रहती है। वास्तव में पुस्तकालय एक सजीव वर्कशॉप के रूप मे होता है। पुस्तकालय अध्यापक तथा छात्र दोनों के लिए बौद्धिक विकास का अदेयुत स्त्रोत हैं। टैगौर के अनुसार- 'पुस्तकालय सामान्य रूप से अपने मुंह से बोले ' 'यह मेरी सूची है, आओ छांटों और ले लो '। एक अच्छे पुस्तकालय का संयोजन व संगठन निम्नांकित प्रकार से करना चाहिये -

1 पुस्तकालय कक्ष तथा उपयुक्त सामग्री।
2 वांछित पुस्तकों का चयन।
3 पुस्तकालयाध्यक्ष या अध्यापक को पुस्तकालय का कार्यभार सौंपना।
4 पुस्तकालय सम्बन्धी अल्पकालीन प्रशिक्षण।
5 पुस्तकालय नियमावली।
6 पुस्तकों के सूचीपत्र।
7 पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले वातावरण का निर्माण।

पुस्तकालय के सफलतम उपयोग हेतु विद्यालय समय सारिणी में कालांश निश्चित किये जाएं। पुस्तकों के लौटाने व निर्गमित समय पूर्व निश्चित हो। पुस्तकों की साफ सफाई व सुरक्षा का ध्यान रखने हेतु छात्रों को निर्देशित करते हुए पुस्तकालय में एक अध्ययन वातावरण बनाया जाए। पुस्तकालय सम्बन्धी सभी कार्य पुस्तकालय में ही किये जाए।

14.10.2 प्रयोगशाला (Labs)

वर्तमान समय में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक विषय में प्रयोग आधारित व करके सीखने के अध्ययन-अध्यापन को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रयोगशाला कक्ष विषयगत सामग्रियों उपकरणों के प्रदर्शन का एक व्यवस्थित स्थान है। प्रयोगशाला विज्ञान विषयों में सर्वाधिक प्रयोग में लायी जाती है किन्तु स्व अधिगम व नवीनतम अध्ययन-अध्यापन विधियों

के प्रभाव से हिन्दी, गणित, सामाजिक विषय, अंग्रेजी, पर्यावरण व अन्य उपयोगी विषयों में प्रयोगशालाएं सुसज्जित की जाने लगी है। प्रयोग आधारित शिक्षण से बालक / बालिकाओं का ज्ञान ज्यादा समय स्थायी बना रहता है।

प्रयोगशाला के कुशल प्रबन्ध और नियोजन हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिये-

1. प्रयोगशाला के लिए वांछित पर्याप्त स्थान व आकार।
2. स्वास्थ्यवर्द्धक वातावरण व स्वच्छता।
3. वैज्ञानिक ढंग से बनावट व उचित रख रखाव।
4. उपयोगिता
5. कम लागत तथा लचीलापन।
6. सुरक्षा व वांछित साधन व उपकरण।
7. फर्नीचर व पानी शोचालय व प्रकाश की समुचित व्यवस्था।
8. दृश्य-श्रृव्य उपकरण आदि।
9. दुर्घटना रहित क्षेत्र।
10. प्रयोगशाला सहायक की व्यवस्था।

14.10.3 फर्नीचर (FURNITURE)

विद्यालय में वांछित फर्नीचर का उपयोग प्रधानाचार्य कक्ष, अध्यापक कक्ष, पुस्ताकलय प्रयोगशाला व कक्षा कक्षों में होता है। विद्यालय फर्नीचर की पर्याप्त उपलब्धता व समुचित संरक्षण फर्नीचर संसाधन प्रबन्ध की प्रमुख आवश्यकता हैं कक्षा-कक्षों में फर्नीचर छात्र / छात्राओं के कद व आयु वर्ग के अनुसार व सुविधाजनक होने चाहिये। जहां तक सम्भव हो प्रत्येक छात्र के लिए एक सीट वाला डेस्क होना चाहिये। डेस्कों की पंक्तियां इस प्रकार से लगायी जाए कि आने-जाने में सुविधा हो। सभी छात्र श्यामपट्ट को अच्छी तरह देख सकें और अध्यापक की आवाज सुन सके। डेस्कों व कुर्सियों की मरम्मत व स्वच्छता पर पूरा ध्यान देते रहना चाहिये। फर्नीचर उपयोग के दौरान छात्रों को यह पूर्ण निर्देशित किया जाना चाहिये कि इनकी टूटफूट न हो। फर्नीचर प्रबन्धन में इस बात की भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि जहां तक सम्भव हो, एक कक्षा-कक्ष में स्थापित फर्नीचर अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं करना चाहिये।

14.10.4 कक्षा-कक्ष (ROOMS)

विद्यालयमें कक्षा कक्ष इस प्रकार के होने चाहिये जिससे अध्ययन-अध्यापन हेतु अनुकूल वातावरण बन सके। विद्यालय का भवन तथा कक्षा कक्ष सुरम्य व मनोहारी होने चाहिये जो छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। पर्याप्त व समुचित, संसाधन के अभाव में अध्ययन-अध्यापन की दशायें वातावरण प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होते हैं। कक्षा कक्ष में उचित प्रबन्धन हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देते हुए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये -

(1) कक्षा का आकार सम्भावित छात्र संख्या के आधार पर।

(2) फर्नीचर का रख-रखाव व व्यवस्थापन।

(3) उचित दूरी, उचित ऊंचाई व पर्याप्त कक्षानुकूलता की दृष्टि से श्यामपट्ट का आकार।

(4) कक्षा कक्ष उपकरणों की पर्याप्ता (जैसे चॉक /डस्टर /घण्टी /संकेत/ घड़ी आलमारी / दृश्य श्रव्य उपकरण हेतु उचित निर्धारित स्थान।

(5) विद्युत उपकरण एवं उनका संयोजन।

(6) सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत स्विच बोर्ड ऊंचे स्थान पर स्थापित किये जाए

(7) श्यामपट्ट के पास कक्षा से ऊंचा स्थान ताकि पिछली लाइन तक के छात्रों को श्यामपट्ट सरलता से दृष्टिगत हो सके।

(8) कक्षा-कक्ष में दो दरवाजे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं।

(9) खिड़कियां दरवाजे व पेन्ट आदि से हवा व प्रकाश की समुचित सुविधा।

(10) कक्षा-कक्ष ऐसे स्थान पर हो जहां से बाहरी हस्तक्षेप न हो।

14.10.5 अभिभावक (PARENTS)

बालक एवं बालिकाओं की प्रथम पाठशाला उसका घर व माता-पिता होते हैं। यह सर्वमान्य है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनके माता-पिता का विशेष योगदान होता है। माता-पिता के सहयोग के बिना शिक्षा सम्बन्धी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। अत: हर सम्भव तरीके से उनका सक्रिय योगदान प्राप्त किया जाना चाहिये। उन्हें अपने पुत्र-पुत्रियों की शैक्षिक प्रगति एवं समस्याओं के प्रति जागरूक व उत्पेरित करते रहना चाहिये। विद्यालयों को अभिभावकों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति से अवगत रहते हुए तदनुरूप प्रगति के समायोजन व उपचार सुझाने चाहिये। विद्यालय व अभिभावकों के परस्पर सम्बन्ध को प्रभावी बनाने हेतु अभिभावक, सम्पर्क संस्था को नियमित रूप से संचालित करते हुए विद्यालय गतिविधियों में उन्हें ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाया जाए।

(1) प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक-शिक्षक संघ होना चाहिये जो समय समय पर विद्यालय की गतिविधियों के बारे में चर्चा करे।

(2) समय-समय पर प्रत्येक कक्षा के अभिभावकों की बैठकों का आयोजन किया जाए, जिसमें कक्षा को पढाने वाले अध्यापक मौजूद रहें।

(3) वर्ष में कम से कम एक बार शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक विद्यालय में किया जाए। इस सम्मेलन में शिक्षा में हो रहे परिवर्तनों पर प्रकाश डाला जाए।

(4) बदली हुई परिस्थिति व आवश्यकता के अनुरूप अभिभावकों का क्या योगदान हो सकता है? पर चर्चा की जाए।

(5) विद्यालय में कैरियर गाईडेन्स की स्थापना कर अभिभावकों व वर्तमान छात्रों के साथ पूर्व छात्रों की भी विभिन्न आयोजित गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिये।

(6) अभिभावकों से परीक्षा परिणाम पर विशेष चर्चा व समीक्षा।

(7) अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि वह छात्रों के विकास में रूचि ले तथा उन्हें समय पर नियमित रूप से भेजे।

(8) अभिभावकों की सभा प्रत्येक माह के अन्त में नियमित रूप से रखी जानी चाहिये।

14.10.6 खेल मैदान (PLAYGROUND)

खेल के मैदान को खुला, विस्तृत तथा बिना छत का विद्यालय कहा जाता है। खेलों के द्वारा बालक-बालिकाओं में आत्मानुशासन, आत्मसंयम, सहनशीलता, एकता, सदाचार, सत्यनिष्ठा आदि के गुण पुष्पित व पल्लवित होते हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता हैं एक अस्वस्थ शरीर से अच्छे शैक्षिक उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती। नवीन शिक्षा-विचारधान के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य छात्रों की सर्वागीण उन्नति में निहित हैं छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिये कि उनकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक सब प्रकार की उन्नति हो सके। खेल कूद व खेल मैदानों द्वारा केवल शारीरिक उन्नति ही नहीं होती वास्तव में खेलों द्वारा शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक सभी प्रकार की शक्तियों का विकास होता हैं विभिन्न खेलों के अनुसार निश्चित आकार के खेल मैदान विद्यालय के सर्वागीण उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु परम आवश्यक है।

मूल्यांकन प्रश्न

1 शैक्षिक संसाधनों का प्रबन्धन क्यों आवश्यक है? इससे क्या-क्या लाभ प्राप्त होते हैं
WHY IS THE MANAGEMENT OF EDUCATION RESOURCES NECES SARY?

2 विद्यालय पुस्तकालय का संगठन किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये?
HOW SHOULD ORGANIZATION OF SCHOOL LIVRARY BE DONE?

3 एक अच्छी प्रयोगशाला को सुसज्जित करने हेतु आवश्यक तत्वों का विवेचन कीजिये?
EXPLAIN THE NECESSARY FACTORS TO MAKE A GOOD LIBRARY

4 कक्षा-कक्षा एवं फर्नीचर के अन्तर्सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिये । एक कक्षा कक्ष में फर्नीचर का किस प्रकार सुन्दर व्यवस्थापन किया जा सकता है?
CLARIFY THE CO-RELATIONSHIP CLASS ROOM & FURNITURE? HOW CAN A GOOD MANAGEMENT OF FURNITURE BE DONE TO FURNISHED THE CLASSROOM.

5 विद्यालय विकास व शैक्षिक नियोजन में अभिभावक सक्रियता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है?
HOW CAN PARENTS ACTIVITATION BE IMPROVED IN SCHOOL DEVELOPMENT & PLANNING?

6 विद्यालय में एक अच्छे खेल मैदान के प्रबन्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-
WRITE A SHORT NOTE ON THE MANAGEMENT OF GOOD PLAY GROUND IN SCHOOL?

14.11 सारांश

विद्‌यालय व अध्यापकों के बीच, क्रियात्मक, भावात्मक, संवेगात्मक, परिधि में पढ़ने वाले छात्र/छात्राएं होते हैं। आपचारिक विद्‌यालयी परिवेश में समय सारणी व पाठ्‌यक्रम/विषयवस्तु/कक्षा कक्ष की बाध्यता होती हैं बदलती परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुरूप बालक/बालिकाओं के विकास व सुसमायोजन प्रयास और परिणामों का सतत्‌ मूल्यांकन, समीखा व अनुवर्तन अध्यापक प्रधानाध्यापक द्‌वारा किया जाता है। शैक्षिक सह-शैक्षिक तथा भौतिक कार्यो का नियोजन व सफलतम क्रियान्वयन प्रबन्ध की सफलता पर निर्भर करता हैं अत: विद्‌यालय परिवेश के समस्त उपकरण व तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता व प्रभावी नियोजन व प्रबन्धन आवश्यक है। विद्‌यालय प्रबन्धन में प्रधानाचार्य की भूमिका अत्यन्त प्रभावी त्वरित व प्रजातंत्रात्मक होनी चाहिये। पुस्तकालय, कक्षा कक्ष, खेल मैदान, फर्नीचर, प्रयोगशाला अभिभावक घटकों का प्रभावी संयोजन व सन्तुलन आवष्यक हैं अध्यापकों की कक्षागत व विद्‌यालयी संक्रियाओं में गुणात्मकता आ सके तथा साधनों का मितव्ययिता पूर्वक व निबोध उपयोग हो सके जिससे वांछित श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो। पैडॉगाजी के सिद्धान्तों के अनुरूप शोध कार्यो का विद्‌यालयी परिवेश में प्रभावी बनाना होगा। वैश्वीकरण के बदलते युग में पुरानी परम्पराओं व नवीनतम आवश्यकताओं से सामंजस्य बिठाना होगा तथा देश के लिए सुयोग्य नागरिक तैयार करने होंगे।

14.12 संदर्भ ग्रन्थ

1 PUROHIT SHRAD “TEACHER EDUCATION IN RAJASTHAN” CHANDRA (1998) NATIONAL COUNCIL TEACHER EDUCATION,16 NAGATNA GABDHI MARG, I.P. ESTAGE, NEW DELHI- 110002

2 सिंह, बॉकेलाल "शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त" मौर्य प्रकाश मन्दिर, जौनपुर (1976)

3 शुक्ल, रमाशंकर"शिक्षक शिक्षा दशा एवं दिशा' अक्षत प्रकाशन, उदयपुर।(1989)

4 पाठक, पी.डी."भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं"(1974)विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

5 अग्रवाल, जे.सी. "प्राथमिक स्तर पर अध्यापन कार्य"(1992)आर्य बुक डिपो, 30 नाई वाला, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

6 राय, श्याम बिहारी"शैक्षिक योजना और प्रशासन"(1992)प्रकाशक एकक, नीपा 17 बी, श्री अरविन्द मार्ग, दिल्ली 110016

7 सिंह, वी.बी. एवं पहुजा "भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास" आर.लाल. बुक डिपो गवर्मेन्ट इन्टर सुधा (2006)कॉलेज, मेरठ

इकाई 15

विद्यालय व समाज
(SCHOOL AND SOCIETY)

इकाई की रूपरेखा

15.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य
15.1 परिचय
15.2 विकास के विभिन्न अभिकरणों में सम्बद्धता
15.3 शिक्षा अभिकरण
15.3.1 स्त्री
15.3.2 जल
15.3.3 स्वास्थ्य
15.4 बालक का समग्र विकास
15.5 शैक्षिक कार्य व गुणवत्ता हेतु अध्यापक समूह की भूमिका
15.6 सारांश
15.7 संदर्भ

15.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- विद्यालय व समाज के परस्पर सम्बन्ध को समझ सकेंगे।
- शैक्षिक विकास के विभिन्न अभिकरणों में सार्थक व प्रभावी सम्बद्धता से अवगत हो सकेंगे।
- स्त्री शिक्षा, जल व स्वास्थ्य का शैक्षिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का समाकलन कर सकेंगे।
- बालकों के समग्र विकास की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- शैक्षिक कार्य एवं बालकों की गुणवत्ता उन्नयन में अध्यापक समुदाय की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे।
- बालकों में जल सम्बन्धी स्वच्छ आदतों का विकास कर सकेंगे।
- प्रारम्भिक शिक्षा के परिमार्जन में स्त्री शिक्षा के विकास व महत्व को समझ सकेंगे।
- विद्यालय व समाज की वर्तमान स्थिति का अवलोकन कर उनको सषक्त बनाने का प्रयास कर सकेंगे।

15.1 प्रस्तावना

मनुष्य आजीवन किसी न किसी से कुछ न कुछ अनुभव व ज्ञान प्राप्त करता ही रहता है। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है। ये विद्यालय समाज में स्थित होते हैं। एक सामाजिक संस्था होने के नाते विद्यालयों का सबसे प्रमुख कर्तव्य समाज के लिये योग्य नागरिकों

का निर्माण करना है। विद्यालय में तैयार किये जाने वाले नागरिक समाज के योग्य तभी समझे जा सकते हैं जब उनकी शिक्षा समाज की आवश्यकताओं, समस्याओं, रहन-सहन तथा संस्कृति और सभ्यता को देखकर या उनके आधार पर दी जाती है। विद्यालय में बालक को उसके भविष्य के जीवन के लिये तैयार किया जाता है। बालक का भावी जीवन ही उसकी भावी संस्कृति होती है। शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाया जाता है ताकि वह सामाजिक वातावरण से समायोजन कर सके। किसी समाज की संस्कृति ही उसकी शिक्षा का मुख्य विषय बनती है। शिक्षा वास्तव में और कुछ नहीं, सीखने के एक विशेष दृष्टिकोण से सोचने पर समुदाय का सम्पूर्ण जीवन ही है। आधुनिक प्रगतिशील विचारधारा वाले शिक्षा शास्त्रियों ने तो विद्यालय समाज का लघु रूप ही माना है। विद्यालय समाज का प्रतिनिधित्व तभी कर सकता है जब समाज की संस्कृति का छाप भी विद्यालय पर डाली जाय। शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर समाज की संस्कृति का प्रभाव पडता है। समाज की समस्याऐं विद्यालय की समस्याओं बन जाती है। समाज का आर्थिक पहलू जिस ढंग का होता है, वहां की शिक्षा भी उसी प्रकार की विकसित होती है। समाज का स्तर शिक्षा से उन्नत होता है, साथ ही शिक्षा का स्तर समाज से सामाजिक स्तर के उन्नयन से कुछ नवीन समस्याओं का उद्भव होगा, विद्यालय उनको हल करेगा। ज्यों-ज्यों समाज का स्तर बढ़ता जायेगा, समस्याओं का स्तर भी बढ़ता जायेगा और इन समस्याओं को हल करने वाले विद्यालय का स्तर भी बढ़ता जायेगा।

15.2 विकास के विभिन्न अभिकरणों में सम्बद्धता

सामाजिक परिवर्तनों को गति तथा दिशा प्रदान करने में विद्यालय की भूमिका निःसन्देह महत्वपूर्ण है। समाज में विद्यालय की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है और विद्यालय अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण सामाजिक परिवर्तनों को अपेक्षाकृत अधिक सहज रूप में गति व दिशा प्रदान कर सकता है। विद्यालय के पास भौतिक व मानवीय साधन व सुविधायें भी होती है। विख्यात समाजशास्त्री ओटावे का मत है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों के पीछे-पीछे चलती है। सामाजिक परिवर्तनों के कारण समाज का स्वरूप बदलता है। इन बदली हुयी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज शिक्षा में भी उपयुक्त परिवर्तन करता है। समाज शिक्षा की व्यवस्था इसलिये करता है, जिससे उसकी संस्कृति का हस्तान्तरण व परिमार्जन होता रहे। समाज परिवर्तित होकर नयी संस्कृति को जन्म देता है और शिक्षा से आशा करता है कि वह इस संस्कृति का नयी पीढ़ी को हस्तान्तरण करेगी। इसलिये पहले समाज में परिवर्तन लाता है विकास के विभिनन अभिकरणों की परस्पर निर्भरता शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति के नये स्वरूप व मार्ग प्रशस्त करती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यवस्था में जिस प्रकार के परिवर्तन हुये हैं, वे निम्न प्रकार से है।

शिक्षा पर प्रभाव	**विद्यालयों पर प्रभाव**
1. शिक्षा व्यवस्था धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त पर आधारित	1. शिक्षा की मांग में वृद्धि
2. लोकतांत्रिक स्वरूप	2. नये-2 व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रारम्भ
3. शिक्षा के अनौपचारिक स्वरूप को पर्याप्त महत्व	3. विद्यालय कार्मिकों के वेतन भलों में वृद्धि

4.	आर्थिक उन्नति व मूल्यवान साधनों की उपलब्धता	4.	पाठ्यसहगामी तथा समाजपयोगी उत्पादन कार्यो की व्यवस्था
5.	जीवनोपयागी शिक्षा प्रगाढ़ व विस्तृत	5.	विद्यालय व समाज के मध्य सम्बन्ध
6.	शिक्षा में अवसरों की समानता स्व-अनुशासन में कमी	6.	विद्यालय अनुशासनहीनता व छात्र।
7.	सार्वभौमिक एवं निःशुल्क शिक्षा	7.	भौतिक व मानवीय सुविधाओं में वृद्धि
8.	शिक्षा में विविधता व नये पाठ्यक्रम	8.	छात्र/ छात्राओं के नामांकन में वृद्धि
9.	शिक्षा का व्यवसायीकरण (विशिष्टीकरण)	9.	मिड-डे-मिल योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन।

शिक्षा के लिये पूर्व में गठित कोठारी आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि शिक्षा आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों का एक शक्तिशाली घटक है। वर्तमान आवश्यकताओं व अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा तथा समाज में आवष्यक परिवर्तन लाने के लिये अनेकों तत्व जिम्मेदार है व अपन प्रभाव डालते हैं। उनमें से चयनित बिन्दुओं पर पारस्परिक सम्बन्धों व प्रभाव का रेखाचित्र निम्न है -

शिक्षा के प्रमुख अभिकरण

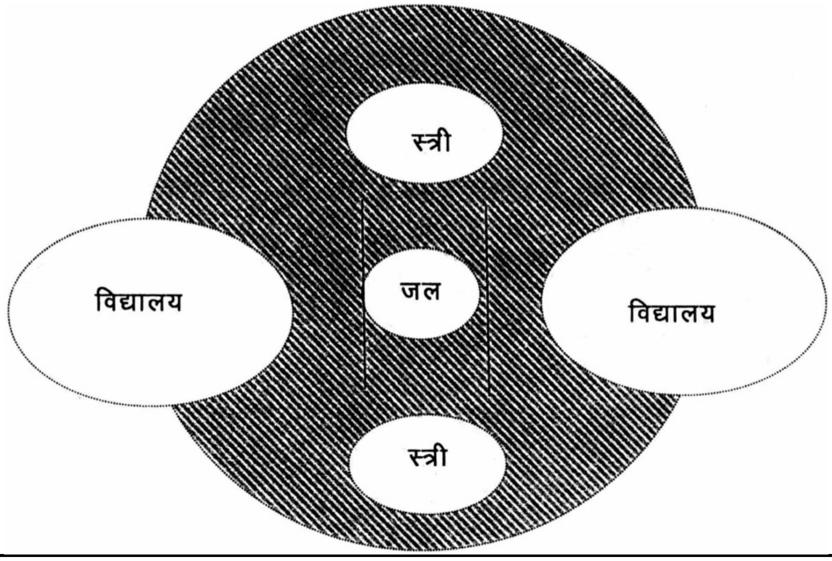

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 विद्यालय व समाज की परस्पर निर्भरता की विवेचना कीजिये?
Discuss the relationship between school & Society?

2 शैक्षिक विकास के अभिकरण का आशय स्पष्ट कीजिये?
Explain the meaning & convergence of development agencies

15.3 शिक्षा अभिकरण

स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय सरकार ने देश की आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक स्थिति सुधारने हेतु अनेक कार्यक्रम व अध्यादेश पारित किये है। जिनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था का भी नियमन व नियंत्रण हुआ है। शिक्षा मानवीय विकास व मानव द्वारा नियंत्रित एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसी कारण इसके विकास में अपव्यय व अवरोधन की समस्या सदा से रही है। विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन षत प्रति उद्देश्यों की से प्राप्ति में सफल नहीं रहा है। बालक के सम्पूर्ण विकास की, अनेक तत्व प्रभावित करते है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अभिकरणों का वर्णन निम्न है :-

15.3.1 स्त्री (Woman)

भारत में अनेकानेक आर्थिक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से नारी शिक्षा की अवहेलना की जाती रही है। आर्थिक अभाव व सामाजिक कुरीतियों व परम्परायें भी इनमें बाधक है। जबकि स्त्री किसी भी परिवार का महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि प्रमुख बिंदु है। बालक के लिये प्रथम गुरू उसकी माता ही होती है। माता के द्वारा दिये गये संस्कार, भावनायें, क्रियाये बालक के विकास की प्रारम्भिक दिशा को विकसित व आलोकित करती

अत: शिक्षा अभिकरण के प्रमुख तत्व स्त्री' विकास की अवहेलना कर हम शिक्षा के वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते है। भारतीय संविधान ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुये घोषित किया है -

'राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। भारत में स्त्रियों के निश्चय, दृढ़ता, सदविवेक एवं कार्यकुशलता पर ही उनकी शिक्षा का भविष्य निर्भर है। कोठारी कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् (1959) हंसा मेहता समिति, 1982 राममूर्ति समिति (1990) द्वारा भी स्त्री शिक्षा व सम्बन्धित समस्याओं के समाधान व विकास के विभिन्न प्रयत्न किये गये है। समेकित विष्लेशण उपरान्त स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित अपव्यय व अवरोधन दूर करने हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते :-

1. परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
2. बालिका विद्यालयों की संख्या में वृद्धि।
3. मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग।
4. शिक्षण की मनोवैज्ञानिक व प्रगतिशील विधियों का प्रयोग।
5. प्राम्भिक कक्षाओं में खेल विधि का प्रयोग।
6. बालिकाओं के लिये विशेष निर्देशन की व्यवस्था।
7. बालिकाओं के लिये अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था।
8. उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण
9. बालिकाओं के लिये यातायात के साधनों की सुविधा।
10. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संकुचित दृष्टिकोण में परिवर्तन

घरेलू शिक्षा विद्यालयीय शिक्षा के लिये आधार तथा पृष्ठभूमि तैयार करती है। प्रारम्भिक अवस्था में बालक घर पर जो सीखता है, उसी को लेकर वह प्राथमिक विद्यालयों मे प्रवेश करता है। स्पष्ट है, कि घर की शिक्षा का प्रमुख माध्यम माँ होती है।

अत: स्त्री शिक्षा को व्यापक आधार प्रदान करने की आवश्यकता है। पढ़ी लिखी समझदार माँ अपने बच्चों की शिक्षा के लिये घर पर पर्याप्त ध्यान देते है। उन्हें ऐसे समाज मे जाने से रोकती है, जो उनकी बुरी आदतों का निर्माण कर सकते है। अशिक्षित परिवार वाले बच्चों को यह लाभ नहीं मिलता। विद्यालय की शिक्षा पूर्णरूपेण घर की स्थिति पर ही निर्भर करती है। घरेलू स्थिति विद्यालय में भी छात्र का पीछा नहीं छोड़ती। स्त्री शिक्षा से बालक बालिकाओं की शिक्षा व विकास पर निम्नांकित विकास व प्रभाव परिलक्षित हो सकते है।

1. बालक को शारीरिक व संवेगात्मक विकास
2. बालक के व्यक्तित्व का विकास
3. मानसिक विकास
4. व्यवहारिक ज्ञान
5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास
6. चारित्रिक तथा नैतिक विकास
7. भाषा सम्बन्धी विकास।
8. व्यवसायिक शिक्षा।

उचित व पर्याप्त शिक्षा के विकास हेतु विद्यालय व घर में परस्पर सहयोग होना अपेक्षित है।

15.3.2 जल (Water)

"बिन पानी सब सून की युक्ति जीवन में जल ही जीवन है" की सार्थकता को सिद्ध करती है। जल संरक्षण एवं उपयोग के प्रति जनचेतना व सक्रियता आवश्यकता है। यह प्रमाणिक तौर पर कहा जाता है कि तीसरा विश्वयुद्ध हो या न हो किन्तु पानी के लिये विश्वयुद्ध अवश्य होगा। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग. संरक्षण व सीमित उपलब्धता को संस्कार व संस्कृति में रचाने, बसाने की जरूरत है। परिवार के साथ-साथ विद्यालय की भूमिका इस सम्बन्ध में अहम है। जल संरक्षण व संस्कृति सम्बन्धी अपेक्षाओं को आदतों में शामिल कर बढ़ती विभीषिका व जल संकट से बचा जा सकता है। मनुष्य अपनी सारी जरूरतो के लिये प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। मनुष्य और उसके वातावरण के बीच एक गतिक प्रक्रिया चलती रहती है। जिसमें दोनों ही एक दूसरे से, अन्तःक्रिया करके एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते है। बढ़ती जनसंख्या और ' प्रदूषित पर्यावरण' ' ये दो मुख्य समस्यायें आज पूरे विश्व मे चिन्ता का विषय है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ जल प्रदूषण में भी वृद्धि हुयी है। तालाब, ईगल, पोखर नदी, नहरों के दुरूपयोग के कारण सारा जल प्रदूषित हो गया है। मानव का जीवन कितना विशमय होता जा रहा है, कि न खाने को शुद्ध अन्न है न पीने की शुद्ध पानी और न स्वांस लेने की प्राणदायी शुद्ध वायु। प्रकृति प्रदत्त जल एवं वायु को भी मनुष्य ने अपनी भौतिक पिपासो से दुषित कर दिया है। बढ़ती आबादी भौतिक विकास एवं औद्योगिकरण ने जल व वायु व ध्वनि को दूषित करने में अपनी अहम् भूमिका निभाई है।

सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के पतन के फलस्वरूप हम लगातार अपने स्वार्थ में अंधे होकर एक ओर वनो, पेड़ पौधों और जलाशयों की विध्वस करते जा रहे है, तो दूसरी ओर बढ़ती आवश्कताओं की क्षणिक पूर्ति के लिये जल, थल और वायु को प्रदूषित करते जा रहे हैं।

अत: बिना समय गवाये, आज यह आवश्यक हो गया है कि जल सम्बन्धी श्रेष्ठ आदतों व अपेक्षाओं के मापदण्ड बनाये जाय। बढ़ते शहरीकरण के कारण पर्यावरण के प्रति बढ़ते खतरे से बचने के लिये स्कूली बच्चो को उनके विद्यालय के आसपास पड़ी भूमि का सही उपयोग करने हेतु उन्हें बागवानी, वानिकी, पौधे घर विकसित करने की शिक्षा देनी चाहिये और घरों के आसपास पड़ी अयोग्य भूमि को योग्य बनाने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये। उद्योगों में निरन्तर विस्तार और जनसंख्या में वृद्धि के कारण शहरों में जन प्रदूषण भी एक गम्भीर समस्या बन चुकी है। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिये शैक्षिक व पारिवारिक परिवेश में निम्नांकित दृष्टि से जागृति व सक्रियता आवश्यक है -

1. घरों व विद्यालय से निकलने वाले मलिन जल तथा वाहित मल को संशोधन यन्त्रों में उपचार के बाद, खेतों में प्रयोग किया जाय।
2. जलाशय के आसपास गन्दगी करने, नहाने कपड़े धोना आदि गतिविधियों से होने वाली हानि से अवगत कराया जाय।
3. नदियों पोखरों में पशुओं के नहलाने पर पाबन्दी लगानी चाहिये।
4. बालक / बालिकाओं में जल प्रदूषण के कारणों, दुष्प्रभावों तथा उनके रोकथाम की विधियों के विषय में जागरूकता पाठ्यक्रम व व्यवहार के माध्यम से दिया जाना चाहिये।
5. उद्योगों को सैद्धान्तिक रूप से जलाषयों के निकट स्थापित ही नहीं होने देना चाहिये और ऐसे स्थापित उद्योगों को अपने अपशिष्ट जल का बिना उपचार किये जलाशयों में विसर्जन करने से रोका जाना चाहिये। जल संरक्षण को परिवार तथा विद्यालय की संस्कृति व वातावरण में रचाने बसाने के लिये शिक्षा के विभिन्न उपकरणों में परस्पर सम्बद्धता व सक्रियता अपेक्षित है।

15.3.3 स्वास्थ (Health as a Agencies)

भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान का विभिन्न ग्रन्थों में उल्लेखित मिलता है। वेद, उपवेद, आयुर्वेद, मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में नियममित दिनचर्या, नैतिक आचार-विचार, इन्द्रिय - निग्रह, योगाभ्यास, शुद्ध एवं पोषक आहार, स्वच्छ वातावरण, रोगोपचार, रोग निवारण आदि विषयों का बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो स्वास्थ्य सेवा निदेशालय शिक्षा का शीर्ष संगठन है। यह संगठन 1956 में स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने और समन्वय कायम करने की दृष्टि से स्थापित किया गया। जे०एफ0 विलियम्स के अनुसार :- ' स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, जो व्यक्तियों को अधिक समय तक जीवित रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने के योग्य बनना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार - ' स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन् शारीरिक. मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है।

अत: स्वास्थ्य में पर्याप्त मात्रा में शारीरिक शक्ति, सक्रियकता या चुस्ती तथा सहनशक्ति निहित है । स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य भी निहित है।

इस प्रकार बालक बालिकाओं में स्वास्थ्य सम्बन्धी निम्न अपेक्षाओं की प्रतिपूति आवश्यक है -

1. स्फूर्ति व उल्लास।
2. कल्याण की भावना।
3. दक्षता तथा उत्साह के साथ कार्य करने की योग्यता।
4. रोग का अभाव।
5. स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण।
6. आत्मविश्वास तथा आत्म नियंत्रण।
7. साहस व स्वस्थ संवेग।
8. मिल-जुल कर कार्य करने की योग्यता
9. चिन्ता व तनाव से मुक्ति।

स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देष्य मात्र ज्ञान प्रदान करना ही नहीं वरन् व्यक्ति को अपने जीवन के स्तर को सुधारने तथा शारीरिक एवं मानसिक हित के लिये आवश्यक कार्य करने हेतु प्रशिक्षित करना। जिससे वह जीवनभर स्वस्थ व प्रसन्नचित रह सके। विद्यालय, समाज व परिवार, समग्र रूप से निम्न की प्रतिपूर्ति कर बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित व अभिप्रेरित किया जा सकता है।

1. सोने व उठने की नियमित व समयान्तर्गत आदतें।
2. शारीरिक क्रियायें - वाहाम खेलकूद व्यायाम आदि।
3. पोशक आहार
4. उपयुक्त आदतें व व्यवसाय
5. अवकाश का सदुपयोग।
6. जीवन के प्रति समुचित मानसिक दृष्टिकोण।
7. शरीर की समुचित देखभाल व स्वच्छता।
8. आवश्यकतानुसार चिकित्सीय सेवायें।

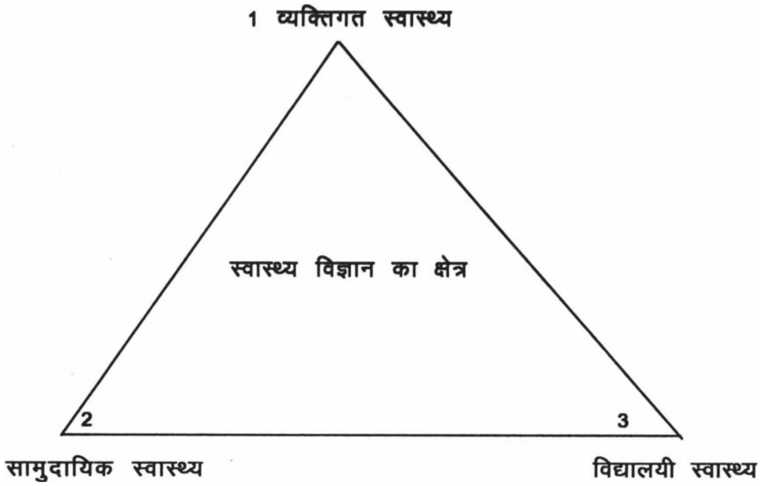

व्यक्तिगत स्वास्थ्य में ताजा भोजन, जल, वायु मुख दाँत, त्वचा, बाल ऑख, नाखून आदि की स्वच्छता पर बल दिया जान आवश्यक है। सामुदायिक स्वास्थ्य में रोगों का उपचार स्वच्छ वातावरण एवं प्रबन्ध, कूड़ा करकट व गन्दे पानी का निकास व उनका यथोचित निस्तारण संक्रामक रोगों का उपचार एवं प्रतिकार, पौष्टिक आहार और खाद्य पदार्थो की शुद्वता एवं स्वच्छता, मातृ एवं शिशु कल्याण व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिशठानों में स्वास्थ्य - संरक्षण स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून आदि कार्यक्रम आते है। विद्यालयी स्वास्थ्य में स्वस्थ विद्यालयी जीवनयापन विद्यालय की स्थिति भवन, कक्षाकक्ष, का आकार प्रकार, फर्नीचर, प्रकाश व हवा की उचित दशायें, विद्यालयी पोषण, मिड-डे-मील की स्वच्छ दशायें शिक्षकों का स्वास्थ्य, विद्यालय दर्शन, शिक्षक व छात्र, तथा छात्र-छात्र समबन्ध महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। विद्यालयी स्वास्थ्य सेवायें रोग व स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें डाक्टरी परीक्षण रोगों का नियंत्रण, आकस्मिक देखभाल आदि आते है। विद्यालय में जल तथा शौच व मूत्रालय की उपयुक्त व्यवस्था भी निहित है। स्वास्थ्य शिक्षा में मानव षरीर के सभी अंगों व बीमारियों से देखभाल, रेडक्रास तथप्र प्राथमिक चिकित्सा, सुरक्षा शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याऐं, पोशक तत्व, पारिवारिक जीवन शिक्षा, नशीली वस्तुओं से बचाव आदि प्रमुख है।

डा. थामस डी.वुड ने कहा भी कि - "स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुकरणों का योग है, जो व्यक्ति समुदाय तथा प्रजाति के स्वास्थ्य से सम्बन्धित आदतों, वृत्तियों तथा ज्ञान को प्रभावित करती है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. स्त्री शिक्षा शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार अपव्यय व अवरोधन की दूर कर सकती है।

   How women education can solve the wastage & problems in the field of education?

2. बालिका शिशा को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है।

   How to develop women education?

3. स्टल संरक्षण' शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार अनुकूल योगदान कर सकता है।

   How "water cibservation" Can give positive contribution the field of education?

4. जल जग्ट्ति एवं सक्रियता के प्रभावक तत्व लिखिये?

   Write effective factor's of water awarencess & creativity?

5. स्वास्थ्य को शिक्षा के प्रमुख अभिकरण के रूप में परिभाशित कीजिये?

   Define Health as the main agencies in the field of education?

8. स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिये?

   Explain the main areas of Health education?

15.4 बालक का समग्र विकास

अनुसरण, उपदेशात्मक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण, तादात्म्य व दण्ड एवं पुरस्कार द्वारा बालक के बोद्धिक व सामाजिक अपेक्षाओं, आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति की जाती है। समाज की संस्कृति, रीति आदि के अनुसार व्यवहार व आचरण करना ही सामाजिकरण कहलाना है। बालक के विकास की प्रक्रिया की शैशवास्था से ही प्रारम्भ हो जाती है। बालक शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से ज्यों-ज्यों बढ़ा होता जाता है उसके व्यक्तित्व का विकास होता जाता है व सामाजिक व मानसिक रूप से परिपक्व होने लगता है। बालक के समग्र विकास में माता-पिता, पडौसियो व मित्रों के अतिरिक्त शिक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शिक्षक विभिन्न उपायों तथा माध्यमों से व्यक्तित्व व संस्कृति सम्बन्धी विशेषताओं से छात्रों को जाने-अनजाने परिचित करा देते हैं। बालक के समग्र विकास में निम्नांकित का विशेष योगदान होता है -

इसी कारण विद्यालयों की व्यवस्था समाज के द्वारा केवल मात्र व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिये ही नहीं की जाती है अपितु इसके कुछ सामाजिक तत्व सांस्कृतिक कार्य भी होते हैं अपने इन कार्यो को सहज, तथा प्रभावी बनाने के लिये समाज शिक्षा से भी अपेक्षा करता है कि वह शिक्षक भी समाज की संस्कृति के हस्तान्तरण, परिमार्जन तथा चयन की क्रिया के साथ -साथ बालकों का समाजीकरण करने में समाज की सहायता करें। विद्यालय में हम सभी सामाजिक परम्पराओं, रीतियों, पर्वों आदि का आयोजन करते हैं। सभी सामाजिक मुल्यों व आदर्शो को अपनाते हैं तथा सामाजिक पर्वों तथा उत्सवों का आयोजन करते हैं ।

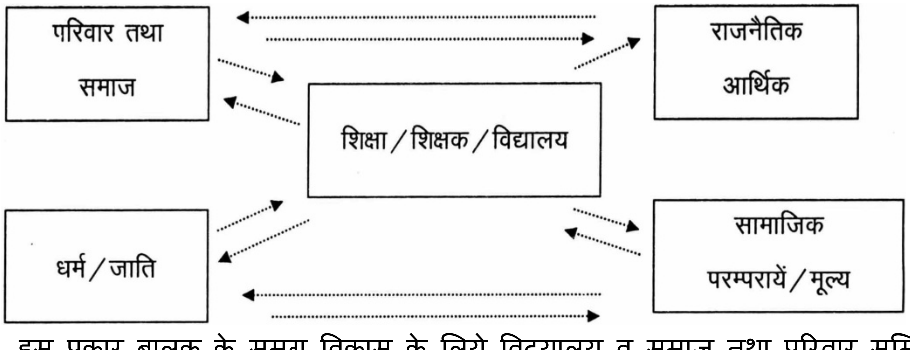

इस प्रकार बालक के समग्र विकास के लिये विद्यालय व समाज तथा परिवार सम्मिलित रूप से योगदान करते है। यदि इसमें से किसी अभिकरण मैं कोई दोष या भ्रान्ति आ जाती है तो

विकास का पथ अवरूद्ध हो जाता है। विभिन्न समन्वित योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त नही पाता। प्रयास व परिणामों में काफी अन्तर आ जाता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. बालक का समग्र विकास (आई.सी.सी.ई) की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए

   Clearly the the concept of integrated'd Child development education. (I.C.D.F)

2. शिक्षा, शिक्षक विद्यालय की परस्पर सम्बद्धता को समझाइये

   Explain interrelate relationship among education, Teacher & School?

15.5 शैक्षिक कार्य व गुणवत्ता हेतु अध्यापक समूह की भूमिका

स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा विभिन्न स्तरो पर मात्रात्मक व गुणात्मक उन्नयन हेतु अनेक योजनायें व कार्यक्रम क्रियान्वित कराये गये है। आशातीत सफलता भी मिली है। किन्तु कार्यक्रमों की व्यापकता, उच्च लक्ष्य व उद्देश्य व मात्रात्मक मापदण्डों की प्रतिपूर्ति में गुणात्मक मापदण्डों की उपेक्षा हु यी है।

अत: बालक/बालिकाओं में समग्र विकास को ध्यान में रखते हु ये क्रियात्मक व व्यवहारिक रूप से अपेक्षित कार्यदशाओं वातावरण के साथ-साथ गुणात्मक मापदण्डों की प्रतिपूर्ति आवष्यक है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा का सशक्त केन्द्र है।

अत: विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता हेतु समयान्तर्गत व नियोजित प्रयत्न करने होगें। विद्यालय की समस्त औपचारिक गतिविधियों का प्रमुख संचालक अध्यापक वर्ग ही है। अत: इस सम्बन्धों में कार्य निष्पादन विशिष्टीकरण व गुणवत्ता मापदण्डो की प्रतिपूर्ति विद्यालय की औपचारिक क्रियाओं के सफल सम्पादन से संभव है। अत: अध्यापक समूहों की सक्रिय भूमिका से ही इस महती उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। उचित शिक्षा क्रियान्वन एवं गुणवत्ता हेतु विद्यालय व घर में पर्याप्त सहयोग अपेक्षित होता है। इसके प्रमुख कारण निम्नांकित है :-

1. अनुशासन
2. बालक के विषय मे अध्यापकों को माता-पिता व अभिभावकों से जानकारी ।
3. बालक के विषय में माता-पिता व अभिभावकों को अध्यापकों से जानकारी ।
4. घर पर बालक बालिकाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्था ।
5. बालक "बालिकाओं की अधिकांश समस्याओं का समाधान

कार्य व गुणवत्ता मापदण्ड के उत्प्रेरक तत्व

शिक्षक समूहों के समन्वित प्रयास. से ही शैक्षिक कार्यो का सफल संचालन और गुणवत्ता उन्नयन के स्वनिर्मित मानकों को पूरा किया जा सकता है। अध्यापक द्वारा संचालित व नियंत्रित क्रियाओं में निम्नांकित बिन्दुओं पर समन्वय व उत्प्रेरणा होनी चाहिये।

शिक्षण अधिगम क्रियाओं एवं पारिवारिक परिवेश आर्थिक सामाजिक स्थितियां कार्य व गुणवत्ता अनुक्रम की प्रभावित करती है। मूल्यांकन की सतत व पर्याप्त दशाओं की बालक '/बालिकाओं के स्तर उन्नयन में योगदान देते है। वर्तमान में विद्‌यालयों में अध्यापकाओं की पर्याप्त उपलब्धता व उनकी अषैक्षणिक कार्यो मं प्रतिभागिता भी गुणवत्त मानदण्डो की प्रति पूर्ति में बाधा उत्पन्न करती है। अत: अध्यापक समूहों की प्रतिभागिता, समन्वय व श्रेष्ठ शैक्षणिक क्रियाओं के निर्मित करना होगा। प्रशासन समाज विद्‌यालय में श्रेष्ठ समन्वय से ही हम शिक्षक समूहों की वास्तविक क्रयाओं व परिणाम को प्राप्त कर सकेंगे।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. शैक्षिक कार्य एवं गुणवत्ता उन्नयन मै अध्यापक समूहो की क्रियाओ व अपेक्षाओ का विश्लेषण कीजिए।
   Analyse activity and aspirations of Teacher group?
2. कार्य व गुणवत्ता मानदंडो के उत्तप्रेरक तत्वो का वर्णन कीजिए।
   Describe the reinforcement elements of education work & quality standards?

15.6 सारांश

शिक्षा के प्रमुख साधन घर समाज और विद्‌यालय है। घर और समाज नयी पीढ़ी के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन तभी कर सकते है, जब विद्‌यालय उनके प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पहले पालन करें। विद्‌यालय के द्‌वारा ही समाज और घर के वातावरण को स्वस्थ बनाया जा सकता है। शिक्षा के परम्परागत अभिकरण शिक्षण, छात्र व विषयवस्तु या पाठ्‌यक्रम के अतिरिक्त

व शैक्षिक विकास के नये जिम्मेदार कारकों के प्रभाव पर ध्यान दिया जाना वर्तमान में अत्यन्त आवष्यक है। स्त्री जल व स्वास्थ्य बालक के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योग देते है। अत: परिवार समाज व विद्यालय से जुड़े महत्वपूर्ण घटकों व साधनों की पर्याप्त उपलब्धता व समन्वय अपेक्षित है। शिक्षक समूहों की अहम् भूमि न केवल शैक्षिक क्रियाओं के श्रेष्ठतम निष्पादन से है. बल्कि, विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर बालक/बालिकाओं की गुणवत्ता मापदण्डों को उन्नत कम में विकसित करना भी है।

15.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अग्रवाल जे.सी. (1992), 'प्राथमिक स्तर पर अध्यापन कार्य" आर्यबुक डिपो, 30 नाई वाला, करोलबाग नई दिल्ली - 110005
2. राय, श्याम बिहारी (1992), 'शैक्षिक योजना और प्रशासन"प्रकाशक एकक, नीपा 17बी श्री अरविन्द मार्ग, दिल्ली - 110016
3. सिंह, वी.बी.एवं पहुजा सुधा (2006) "भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास" आर0 लाल0 बुक डिपो, गर्वमेन्ट इन्टर कॉलेज, मेरठ।
4. पाठक, पी.डी (1974)"भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याऐं" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
5. शुक्ल, रमाशंकर (1983) "शिक्षक शिक्षा दशा एवं दिशा' अक्षत प्रकाशन, उदयपुर।
6. माहेश्वरी एस0बी0 (1993)ए "पर्यावरण और हम" पर्यावरण विभाग राजस्थान शासन, टाइम्स प्रिन्टिंग प्रेस, अजमेर।
7. सिंह, बांकेलाल (1976) "शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त", मौर्य प्रकाश मन्दिर, जौनपुर।
8. सिंह, डी रामपाल (2006) "शिक्षा तथा उदीयमान भारतीय समाज" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

इकाई 16

अनौपचारिक शिक्षा

(Non-formal Education)

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य
16.1 प्रस्तावना
16.2 औपचारिक स्कूलों की सीमा
16.3 सरकारी नीतियां
16.4 अनौपचारिक शिक्षा व वैकल्पिक शिक्षा
16.5 अनौपचारिक शिक्षा के सफल प्रयोग
16.6 भविष्य के लक्ष्य
16.7 जीवन के विभिन्न कौशलों के लिए शिक्षा की आवश्यकता
16.8 वैकल्पिक शिक्षा के द्वारा मुख्यधारा में सम्मिलित होने वाले बालक
16.9 संदर्भ ग्रंथ

16.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन के पश्चात् आप -

- औपचारिक स्कूलों का प्रयास तथा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा में अंतर कर सकेगें।
- औपचारिक शिक्षा के लिए घोषित सरकारी नीतियों के विषय में जान सकेगें।
- अनौपचारिक शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था व अनौपचारिक शिक्षा के लिए अब तक हुए सफल प्रयोग के विषय में जान सकेगें।
- औपचारिक शिक्षा के लिए भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों का विवेचन कर सकेंगे।
- विभिन्न कौशलों के लिए शिक्षा की आवश्यकता व वैकल्पिक शिक्षा के द्वारा मुख्यधारा में सम्मिलित होने वाले बच्चों की गणना कर सकेगें।

16.1 प्रस्तावना

समाज और राष्ट्र के विकास में शिक्षा विभिन्न साधनों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । शिक्षा की आवश्यकता को महत्व देते हुए संविधान के 86वे संशोधन अधिनियम 2002 में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जोड़े गये हैं जो इस प्रकार है-

86वां संशोधन अधिनियम 12 दिसम्बर 2002- इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात् जोड़े गये नये अनुच्छेद 21 ए से है। नया अनुच्छेद 21, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ' 'राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी"।

संविधान के अनुच्छेद 45 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसमें छह साल से कम उस के बच्चों की शुरूआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 45 ' 'राज्य को तब तक वह छह साल की आयु का नहीं हो जाता है"।

संविधान के अनुच्छेद 15ए में संशोधन करके (जे) के बाद नया अनुच्छेद (के) जोड़ा गया है, इसमें छह साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है"।

संविधान के उपरोक्त अनुच्छेदों के उल्लेखित तथ्यों का पूर्ण करने के लिए शिक्षा के मुख्य रूप से दो साधन महत्वपूर्ण माने गये हैं- (1) औपचारिक शिक्षा, (2) अनौपचारिक शिक्षा। इन साधनों के द्वारा ही शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जा सकता है।

16.2 औपचारिक स्कूलों की सीमा एवं स्वरूप

शिक्षा की प्रक्रिया के तीन प्रकार के साधन या स्वरूप देखने को मिलते हैं-

(1) औपचारिक शिक्षा

(2) अनौपचारिक शिक्षा

(3) प्राथमिक सामाजिक समूहों मे दी जाने वाली शिक्षा

(1) औपचारिक शिक्षा-

यह शिक्षा औपचारिक व्यवस्थाओं में प्रदान की जाती है, यथा-पाठशाला या कॉलेज या संस्था में दी जाती है। विशेष या औपचारिक रूप से नियुक्ति शिक्षक इसे प्रदान करते हैं। निश्चित पाठ्यक्रमानुसार निश्चित समय सारणी के अनुसार तथा निश्चित समय से इसे पूरा कर लिया जाता है और औपचारिक परीक्षा होती तथा सफल होने पर औपचारिक प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान की जाती है।

(2) अनौपचारिक शिक्षा-

इसमें औपचारिक प्रवेश पाठ्यक्रम और तो होते हैं लेकिन विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार इसमें कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े-इसके बारे में काफी लचीलापन होता है। जैसे-आजकल बहुत से विद्यार्थी पत्राचार, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य बहुत से कोर्स कर रहे हैं। वे घर पर ही पढ़ते हैं। इस प्रकार गाँवों और कस्बों में रात्रिशालाओ में प्रौढ़ों, स्त्रियों आदि को अनौपचारिक ढंग से पढ़ाया जा रहा है।

(3) प्राथमिक सामाजिक समूहों में घनिष्ठापूर्ण शिक्षा-

परिवार, आस-पड़ोस, मित्र, समूह, खेल के साथी दल में बहुत घनिष्ठता के वातावरण में जो कुछ बालक या व्यक्ति द्वारा सीखा जाता है, वह घनिष्ठता या पूर्ण अनौपचारिकता के वातावरण में ही माता-पिता या अन्य लोग सीखते है।

औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं-

(1) औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र के आधारभूत दर्शन से जुड़े होते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को राष्ट्रीय विकास तथा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है।

(2) औपचारिक शिक्षा में संस्थागत परिपेक्ष्य के अनुसार शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है इसलिए आज हर समाज अपने नागरिकों को प्रशिक्षित करने हेतु भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का गठन करने के प्रति विशेष रुचि प्रदर्शित करता है।

(3) औपचारिक शिक्षा में समय, स्थान तथा व्यक्ति से प्रतिबद्धता आवश्यक है। इसके अन्तर्गत एक पूर्व नियत समय, स्थान एवं व्यक्ति के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था होती है।

(4) औपचारिक शिक्षा स्पर्द्धा एवं चयनात्मकता के आधार पर आयोजित होती है। इसमें हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करने, प्रोन्नत करने तथा मूल्यांकित करने की व्यवस्था विद्यमान रहती है।

(5) औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्व विदित होते है तथा इनके कार्यान्वयन हेतु शैक्षिक प्रशासक एवं शिक्षक की सीधी जिम्मेवारी होती है।

(6) औपचारिक शिक्षा में निष्पति का मूल्यांकन विशेष रूप से किया जाता है जिसमें छात्रों को विविध श्रेणियों या स्वरों में विभाजित करने में सुविधा हो।

अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएँ

(1) अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को उनकी विवेशताओं एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। इनका मुख्य ध्येय है शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करना, सामाजिक न्याय देना एवं अनौपचारिक शिक्षा की कठोरता या रूढ़ियों से उत्पन्न दोषों का निवारण करना।

(2) अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत किसी स्थान विशेष, समय या व्यक्ति से प्रतिबद्धता समाप्त कर दी जाती है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थी किसी विशेष स्थान यानि विद्यालय या विश्वविद्यालय में पहुंचकर शिक्षा अर्जित करें। इसके विपरीत विद्यार्थी के घर या दरवाजे तक विद्यालय या विश्वविद्यालय स्वयं पहुंच जाता है। इसके उदाहरण पत्राचार-पाठ्यक्रमों द्वारा दी जाने वाली विद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा या दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

(3) अनौपचारिक शिक्षा में संस्थागत परिपेक्ष्य उतना महत्व नहीं रखता जितना व्यक्ति या उसका ग्राहक रूप। इसका वास्तविक स्वरूप ग्राहक केन्द्रित होता है जिससे विद्यार्थी की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार शिक्षा आयोजित करना मुख्य लक्ष्य बन जाता है।

(4) अनौपचारिक शिक्षा में छात्रों की विशेषताओं एवं आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण- अधिगम की परिस्थितियाँ गठित करने पर जोर होने के कारण इसका स्वरूप अचयनात्मक तथा अस्पर्द्धात्मक रहता हैं।

(5) अनौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को कार्यन्वित करने की प्रत्यक्ष जिम्मेवारी विद्यार्थी पर होती है।

(6) अनौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन एवं परीक्षण का लक्ष्य प्रमाणीकरण न होकर छात्रों में आत्म-मूल्यांकन की प्रवृत्ति एवं अभिप्रेरणा विकसित करना होता है। भारतीय संदर्भ में अधिकांश अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्थाओं का उद्देश्य भी प्रमाणीकरण द्वारा उपाधियाँ वितरित करना है। सतत शिक्षा के रूप में इसका विकास अभी जोरदार रूप में नहीं हो सका।

(7) अनौपचारिक शिक्षा अपेक्षाकृत कम संवृत एवं अधिकमुक्त होती है जिससे शिक्षकों को छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्थाएँ गठित करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है।

औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन तालिकाबद्ध रूप से निम्नलिखित है -

अनौपचारिक शिक्षा (Formal-Education)	अनौपचारिक शिक्षा(Non-Formal-Education)
(1) क्षेत्रसीमित और संकीर्ण-।	(1) बहु त विस्तृत।
(2) अवधि-यह विद्यालय से आरंभ होती है। और विश्वविद्यालय तक जारी रहती है।	(2) यह एक सतत प्रक्रिया है।
(3) इसमें प्रवेश और विकास के निश्चित बिन्दु होते हैं।	(3) इसमें जीवन भर प्रवेश और निकास पुन: प्रवेश और पुन: निकास के परिवर्तनशील बिन्दु होते हैं।
(4) इसे निश्चित उद्देश्यों के अनुसार नियोजित किया जा सकता हैं।	(4) इसमें व्यक्ति के सामने स्पष्ट उद्देश्य होते हैं।
(5) अभिकरण- यह विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि में प्रदान की जाती है।	(5) इसकी व्यवस्था ब्रिजकोर्स जैसे- वैकल्पिक शिक्षा, रेडियो, दूरदर्शन, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, प्रेस इत्यादि के माध्यम से जाती है।
(6) संगठन- यह राज्य या स्वैच्छिक संगठन द्वारा एक संगठित प्रयास होता है।	(6) इसकी व्यवस्था किसी संगठन द्वारा की जाती है।
(7) समय निर्धारण-औपचारिक शिक्षा होती है। इसका समय निश्चित पूर्वनियोजित किया गया होता है।	(7) अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की तरह पूर्व नियोजित होती है। यह अंशकाल और समय सारणी पर आधारित होती है।
(8) विधियाँ- शिक्षण की निश्चित और औनचारिक विधियों का प्रयोग किया जाता है जैसे-व्याख्यान विधि, नोट्स देने की विधि, प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि, परियोजना विधि इत्यादि।	(8) शिक्षण की शिक्षार्थी केन्द्रित विधि का प्रयोग किया जाता है।
(9) अध्यापक-औपचारिक शिक्षा प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा प्रदान की जाती है।	(9) अनौपचारिक शिक्षा भी अनुभवी अध्यापको द्वारा दी जाती है लेकिन अधिकांश रूप से पत्राचार द्वारा।
(10) स्थान- यह विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों इत्यादि की चारदीवारी में सीमित होती है।	(10) अनौपचारिक शिक्षा के स्थान है- (1) घर (2) विद्यालय (3) सामाजिक संस्कृति (4) सांस्कृतिक (5) धार्मिक (6) कारोबारी संस्थान। यह अपने समय में ली जाने वाली शिक्षा है और सामान्यत:

	औपचारिक संस्थानों की चारदीवारी के बाहर दी जाती है।
(11) वातावरण- वातावरण कृत्रिम होता है।	(11) वातावरण स्वाभाविक और कृत्रिम होता है।
(12) पाठ्यक्रम- औपचारिक शिक्षा में संकुचित और निर्धारित पाठ्यक्रम होता है।	(12) इसमें विविध पाठ्यक्रम, कभी-कभी निश्चित पाठ्यक्रम और कभी-कभी अनुकूलनीय पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम में सामान्यत: विविधता और परिवर्तनशीलता होती है।
(13) अनुशासन-अनुशासन कठोर होता है। इसमें आलोचना: रहित नियन्त्रण होता है।	(13) इसमें मुख्यत: (1) स्वअनुशासन (2) आंतरिक अनुशासन (3) सामाजिक अनुशासन (4) सामाजिक नियंत्रण होता है। इसमें खुली, समीक्षात्मक और आत्म-निर्भर जागरूकता होती है।
(14) परीक्षाएँ-परीक्षाएँ आयोजित की जाती है और प्रमाण-पत्र या डिग्रियाँ प्रदान की जाती हैं।	(14) मूल्यांकन के आधार पर प्रमाण-पत्र, डिग्रियाँ प्रदान की जाती हैं।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 1

1 शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार के अभिकरणों को मान्यता है?

2 औपचारिक शिक्षा का अर्थ समझाइए।

3 औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में कोई एक मुख्य अंतर बताइए।

4.3 अनौपचारिक शिक्षा के लिए सरकारी नीतियाँ

नई शिक्षा नीति 1986- नई शिक्षा नीति 1986 में अनौपचारिक शिक्षा में निम्न प्रावधान किये गये।

(1) अनुत्तीर्ण बालकों, विद्यालय न जाने वाले बालकों, कार्यशील बालक बालिकाएँ जो पूरे दिन विद्यालय नहीं जा सकते, के लिए वृहद् एवं व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

(2) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के शैक्षिक वातावरण को विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीकी सहायता का प्रयोग किया जाएगा। समुदाय में से योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन शिक्षक के रूप में किया जाएगा। उनके प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। योग्यताओं की अनौपचारिकता को शिक्षा के प्रवाह में लाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा में गुणात्मक अंतर न हो।

(3) राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। यह पाठ्यक्रम छात्र की आवश्यकता तथा स्थानीय वातावरण के अनुसार छात्रों को निःशुल्क दिया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सहभागी अधिगम वातावरण के जैसे खेल- कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण आदि प्रदान करेगें।

(4) अनौपचारिक शिक्षा का अधिकांश कार्यक्रम स्वैच्छिक संस्थाओं तथा पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इन संस्थाओं को पर्याप्त धन समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण दायित्व वहन करेगी।

नई शिक्षा नीति द्वारा अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रस्ताव

नई शिक्षा नीति समय से पूर्व विद्यालय छोड़ देने वाले बालकों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देगी। सरकार इस कार्य को युद्ध स्तर पर सूक्ष्म नियोजन द्वारा पूरे देश में मूल आधार से आरम्भ करेगी और यह देखेगी कि बालक विद्यालय में रहे। यह कार्य अनौपचारिक शिक्षा के तत्व द्वारा समेकित होगा। यह ध्यान रखा जाएगा कि 1990 तक जो बालक 17 वर्ष की आयु प्राप्त करेगें, उन्हें पाँच वर्ष की विद्यालयी शिक्षा या उसके समानान्तर अनौपचारिक प्रवाह में शिक्षा प्रदान की जाए। 1995 तक 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य सार्वभौम शिक्षा प्रदान की जाएगी।

आचार्य राममूर्ति समिति (1990)- राममूर्ति समिति ने स्कूली तंत्र को चारदीवारी से बाहर निकालने तथा अनौपचारिक बनाने का सुझाव भी दिया है। उसका सुझाव है, कि बच्चों और खासकर लड़कियों की सुविधा को ध्यान में रखकर स्कूल का समय जल्दी सवेरे, दोपहर या देर शाम किया जा सकता है। साथ ही खेती के काम स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों एवं साप्ताहिक हाट के साथ भी स्कूल के समय को समायोजित किया जा सकता हैं। अगर आवश्यकता हो तो कक्षाएँ दिन में दो बार भी लगाई जा सकती है। सुबह बच्चों को लिखने का काम दिया जाए और शाम को मौखिक काम।

ये निश्चय ही उपयोगी सुझाव हैं और बहुत व्यवहारिक भी दिखते हैं लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के ढाँचे में अधिकांश स्कूली शिक्षक शहर बाहर या पास के कस्बे से रोज गांव आते हैं अगर वे साइकिल से भी आते हैं तो वे शाम से पहले शहर पहुंचना चाहते है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 2

1 नई शिक्षा नीति में अनौपचारिक शिक्षा के लिए मुख्य प्रावधान क्या-क्या थे?

2 नई शिक्षा नीति के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा के लिए क्या प्रस्ताव पारित किया गया?

3 आचार्य राममूर्ति समिति ने उानौपचारिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए।

16.4 अनौपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक शिक्षा

(1) प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.एल.) -

सर्वशिक्षा उाभियान की वर्तमान योजना के अधीन एन.पी.ई.जी.एल. प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्ति से वंचित / पिछड़ी बालिकाओं हेतु अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराता है। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकास खंडों में चलाया जा रहा है, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है। साथ ही यह कार्यक्रम ऐसे जिलों के विकास खंडों में चलाया जा रहा है। जहाँ कम से कम 5 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति जनजाति की है और जहाँ अनुसूचित जाति / जनजाति महिला साक्षरता की दर 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10 प्रतिशत कम है।

(2) शिक्षाकर्मी कार्यक्रम (एस.के.पी.)-

एस.के.पी लक्ष्य बालिका शिक्षा पर प्रमुख रूप से ध्यान देने के अतिरिक्त राजस्थान के दूर-दराज के अर्धशुष्क एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की सार्वत्रीकरण एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह उल्लेखनीय है कि शिक्षाकर्मी स्कूलों में 74 प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के हैं।

(3) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय-

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ 750 विद्यालय खोले जा रहे हैं। यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े केवल ऐसे विकास खंडों में लागू की जाएगी जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम महिला साक्षरता वाले तथा/अथवा स्कूल न जाने वाली अधिकतर बालिकाओं वाले जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय खोले जायेंगे।

(4) जनशिक्षण संस्थान (जे.एस.एस.) -

जे.एस.एस. अथवा जनता की शिक्षा का संस्थान एक ऐसा बहुआयामी अथवा बहुमुखी वयस्क शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य लाभान्वित होने वाले लोगों के व्यावसायिक हुनर और निपुणता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े तथा शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षिक रूप से वंचित वर्गो विशेषकर नवसाक्षरों अर्ध-शिक्षितों, अनुसूचित जाति/जनजातियों की महिलाओं तथा बालिकाओं मलिन बस्ती निवासियों, प्रवासी श्रमिकों इत्यादि का शैक्षिक व्यावसायिक विकास करना है।

(5) महिला समाख्या कार्यक्रम-

महिला समाख्या शैक्षिक पहुंच एवं उपलब्धि के क्षेत्र में लैंगिक अंतर का निराकरण करती है। इसमें महिलाओं (विशेषत: सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी एवं वंचित) को ऐसे सशक्तिकरण के योग्य बनाना शामिल है, ताकि वे अलग-अलग पड़ने और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ सकें और दमनकारी सामाजिक रीति-रिवाजों के विरुद्ध खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर सकें।

(6) लोक जुबिंश कार्यक्रम (एल.जे.पी.) -

राजस्थान में लड़के-लड़कियों में शिक्षा के स्तर पर समानता के लक्ष्य से शुरू की गई। यह एक महत्वपूर्ण योजना हे। इसके तहत लड़कियों की शिक्षा के प्रति वातावरण को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाता है। लड़कियों का स्कूल में आना और बने रहना-यही कार्यक्रम की सफलता का मुख्य मापदंड है। बालिकाओं को शिक्षा से वंचित न रखा जाए। उनके माता-पिता उन्हें स्कूल भेजना जरूरी समझें, इसके लिए सामाजिक नजरिए में परिवर्तन संबंधी प्रयास भी इस परियोजना के तहत किए जाते हैं। इसके लिए महिला अध्यापिकाओं की भर्ती को प्रमुखता दी गई है। एक अध्यापिका मंच' अलग से बनाया जाता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 3

1) शिक्षाकर्मी कार्यक्रम का संक्षिप्त में विवेचन कीजिए।

2) महिला समाख्या कार्यक्रम का अनौपचारिक शिक्षा में योगदान बताइए।

3) लोकजुबिंश कार्यक्रम का क्या ध्येय था?

16.5 अनौपचारिक शिक्षा की सफल प्रयोग (कहानी)

शिक्षा को लगात प्रभावी, प्रयोजनमूलक, उपयुक्त और विद्यार्थियों की सुविधानुसार बनाने के लिए कुछ राज्यों और संगठनों ने नई स्कीमों का प्रयोग किया आइये देखते अनौपचारिक शिक्षा के प्रयासों में उन्हें कहां तक सफलता प्राप्त हुई।

(1) सीखते समय कमाने की योजना (मध्य प्रदेश)

यह स्कीम

(1) समाज के आर्थिक रूप में कमजोर वर्गो के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए है और

(2) स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में आकर्षित करने तथा उन्हें तथा तक इन केन्द्रों में बने रहने के लिए है, जब तक वे प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी नहीं कर लेते।

(3) इस स्कीम के अधीन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित बच्चों को शिक्षा के अलावा धन कमाने के लिए उत्पादक कार्य करने के अवसर भी प्रदान किये जाते हैं। वे टाट पट्टियों (चटाइयाँ) चाक स्टिक. सिलिंग वैक्स, स्कूल फर्नीचर बनाने के काम में लगाए जाते है और ये वस्तुएँ शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं नियमित रूप से प्रयुक्त की जाती हैं।

(4) सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा पर कार्य अनुसंधान परियोजना (महाराष्ट्र) इस परियोजना (महाराष्ट्र) :

(2) इस परियोजना का प्रयोजन -

1 अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को दाखिल करना है।

2 समुदाय के सहयोग से शैक्षिक कार्यक्रमों और कार्यकलापों की योजना बनाने और प्रबंध करने की तकनीक विकसित करना है।

3 समुदाय में विद्यार्थियों की संस्कृति पर्यावरण और आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्चा विकसित करता है।

4 प्रभावी परंतु कम लागत का शिक्षण, शिक्षण सामग्री विकसित करना जो अवर्गीकृत कक्षा में अलग-थलग के लिए और सामूहिक अध्ययन के लिए भी उपयुक्त हो।

5 अनौपचारिक और औपचारिक प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त कार्यनीति विकसित करना है।

परियोजना के अधीन विकसित मूल पाठ्यचर्या में साक्षरता अंक ज्ञान और विद्यार्थियों के पर्यावरण से संबंधित सामान्य जानकारी शामिल है। विद्यार्थियों को अपने खाली समय में परम्परागत कार्यकलापों जैसे-ड्राइंग और दस्तकारी में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षण सामग्री स्थानीय रूप में तैयार की जाती है और कम लागत की होती है।

(3) पोटा प्रयोग (बिहार)-

ब्रिगेडियर सी.एम. जोजफ और उसके समर्पित स्वयंसेवकों के दल ने बच्चों को और प्रौढ़ों को भी शिक्षित करने तथा बेहतर जीवन के लिए उन्हें तैयार करने के लिए जिला हजारीबाग, बिहार में पोटा प्रयोग संचालित किया। 1974 में उस गांव की जनसंख्या लगभग 2000 थी जिनमें से लगभग 95 प्रतिशत निरक्षर थे। दल ने पाया कि वहाँ एकल शिक्षक राजकीय स्कूल थे परंतु मुश्किल से ही वहाँ कोई बच्चा पढ़ने जाता है और केवल अध्यापक ही यहाँ कभी-कभी जाता है। दल ने विद्यमान स्कूल को पुनर्जीवित करने का निर्णय किया। बहुत अनुनय विनय के बाद, लगभग 100 बच्चों के नाम पंजीकृत किए गए और स्कूल पुनः शुरू किया गया। मैत्रीपूर्ण वातावरण और रुचिकर कार्यकलापों के फलस्वरूप बच्चे यहां तक कि फसल कटाई के दौरान भी स्कूल में उपस्थित रहे। जब कुछ बच्चे स्कूल में नहीं आए तो अध्यापक उनके घरों में गए और उन्हें स्कूल में आने के लिए प्रेरित किया। कक्षाएँ केवल तीन घंटे चलाई जाती थी ताकि बच्चे अन्य कार्य जैसे- पशु चराना, खेतों में कम करना आदि कर सकें।

चार वर्ष बाद किए गए मूल्यांकन से पता चला कि बच्चे सरकारी स्कूल के भारी पाठ्य विवरण का बोझ नहीं झेल सकते थे, इसलिए मुख्य रूप से ग्रामीण बच्चों के लिए पाठ्य विवरण तैयार किया गया।

जनवरी 1979 में लागू की गई नई प्रणाली के अधीन यद्यपि अधिकतर सरकारी पाठ्य पुस्तकें किसी अन्य बेहतर पुस्तकों के अभाव में प्रस्तुत की जाती हैं परंतु संपूर्ण पाठ्य विवरण पूरा नहीं हो पाता है। बच्चे तीन घंटे प्रातः स्कूल जाते है। दिन में वे दस्तकारी जैसे-सिलाई, बुनाई व कशीदाकारी, बढ़ईगिरी. राजगिरी वाणिज्यिक चित्रकारी, प्लास्टिक कार्य आदि सीखते है। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार और अपने माता-पिता तथा अध्यापक के परामर्श से इन दस्तकारियों में से चुनते है। बच्चे गाँव के निवासी जब स्वयं ही इसे इतनी अच्छी तरह संभाल रहे हैं कि दल किसी ऐसे ग्रामों के समूह में चला गया है जहाँ उनकी सेवाओं की ' अधिक जरूरत है।

(4) आश्रम स्कूल-

आमतौर पर अनुसूचित जातियों के बच्चे वह पहली पीढ़ी है जो पढ़ रहे हैं। उनके घरों में या गाँव में उनकी पढ़ाई जारी रखने की कोई सुविधाएं नहीं हैं। माता-पिता निरक्षर होने के कारण उन्हें स्कूली गृहकार्यों में सहायता नहीं दे सकते हैं। निर्धनता उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई जारी नहीं रखने देती है। इन समस्याओं का सामना करने के लिए कई राज्यों में जनजाति के लिए आश्रम स्कूल स्थापित किए गए हैं। ये स्कूल बच्चों के अपने वातावरण के अनुकूल सांस्कृतिक दृष्टि से उपयुक्त शिक्षा देने का प्रयास करते है। इन स्कूलों में निःशुल्क आवास तथा भोजन की सुविधाएँ दी गई हैं।

(5) विकासवाडी परियोजना (महाराष्ट्र)-

यह परियोजना महाराष्ट्र में कोसवाड में चलाई गई है। यह मुख्य रूप से जनजाति के बच्चों के लिए है। इसके मुख्य घटक हैं-क्रेच, बालवाड़ी और प्राथमिक स्कूल, बच्चों के लिए उत्पादनकार कार्य केन्द्र और चारागाह स्कूल। परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल छोडने की घटनाओं को कम करना और जनजाति के बच्चों का चहुंमुखी विकास करना है। प्रत्येक संध्या को कार्यकर्ता गाँव में आते हैं, बच्चों को इकट्ठा करते हैं, स्थान साफ करते हैं। उपस्थिति बढ़ाने के लिए पढाई के दौरान कुछ पैसे कमाने के लिए काम करने के अवसर देने का प्रयोग शुरू किया गया। उन स्थानों में कार्य केन्द्र खोले गए, जहाँ लकड़ी का कार्य, रोगन कार्य, खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था।

(6) चारागाह स्कूल

चारागाह स्कूल भी अद्‌वितीय प्रयोग था। चारागाहों में पशुओं को चराने के काम में लगे हुए बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई गई है। बच्चे अपने पशुओं को छोड़कर स्कूल नहीं आ सकते हैं इसलिए अध्यापकों को चारागाहों में जाना होता है। कुछ बच्चों को पशु चराने के लिए छोड दिया जाता और अन्य पढने के लिए रहते हैं। कुछ समय बाद काम बदल दिये जाते हैं ताकि सभी बच्चे बारी-बारी से पशु चराते रहें और पढ़ते भी रहे। पढ़ाई को स्थानीय माहौल के अनुसार ढाल कर युक्तिसंगत बनाया जाता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 4

1 सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा कार्य अनुसंधान परियोजना किस आयुवर्ग (महाराष्ट्र) के लिए निर्धारित की गयी?

2 विकास वाडी परियोजना का मुख्य उद्‌येश्य क्या रहा है?

16.6 भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्य

- 2007-08 के लिए वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत कुल 56.11 लाख बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- महिला समाख्या योजना को चालू वित्त वर्ष से इस योजना को दो और राज्यों मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2007-08 के लिए योजना के लिए 34 करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा जाए।
- प्राथमिक विद्‌यालय में विद्‌यालय छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाते हुए 2011-12 तक इसे 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे स्कूल जाने लगे।
- साक्षरता दर को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्ष 2003-04 में प्राथमिक विद्‌यालयों में विद्‌यालय छोड़ने वाले बच्चों की दर 52.2 प्रतिशत थी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में 2010 तक शत-प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा तथा 2012 तक 85 प्रतिशत क्रियात्मक साक्षरता का स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- साक्षरता में लिंग आधरित अंतर में 10 प्रतिशत तक कमी लाना।
- 11वी पंचवर्षीय योजना के अंत में उच्च शिक्षा हेतु जाने वाले प्रत्येक दस्ते के स्वास्थ्य प्रतिशत में वृद्धि कर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया।
- 2008-09 में शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए इस मद में 34,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- सर्वशिक्षा अभियान हेतु बजट में 13,100 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गयी। इससे पूर्व बजट में यह राशि 10671 करोड़ रुपये थी।
- मिड-डे-मील योजना के विस्तार हेतु 8000 करोड रुपये निर्धारित की गयी। इससे पूर्व 2007-08 में राशि 7324 करोड़ रूपये थी।

- माध्यमिक शिक्षा हेतु 455 करोड़ रूपये निर्धारित की गयी। इससे पूर्व बजट 2007-08 में यह राशि 3794 करोड़ रुपये थी।
- मिडिल स्कूल कार्यक्रम हेतु 65 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए इस कार्यक्रम के तहत 6000 स्कूल खोले गए।
- यह स्कूल ब्लाक स्तर पर एक-एक के हिसाब से खोला जाएगा।
- पिछड़े क्षेत्रों में 410 नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए जायेगे।

16.7 जीवन के विभिन्न कौशलों के लिए शिक्षा की आवश्यकता

'शिक्षा' गतिशील है। अति प्राचीन समय से लेकर आज तक शिक्षा अपनी लम्बी मात्रा में अनेक परिवर्तन देख चुकी है। ये परिवर्तन उसमें इसलिए हुए है ताकि वह समय की आवश्यकताओं को पूरा कर सके तथा व्यक्ति को सही ढंग से जीवन व्यतीत करने के लिए विभिन्न कौशलों से पारंगत कर सकें और व्यक्ति को विभिन्न कौशलों में निपुण केवल शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है।

उदाहरणार्थ-डेनियल वेबस्टर शब्द कोश के अनुसार "शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित संवेगों को नियंत्रित प्रेरणाओं को उत्तेजित धार्मिक भावना को विकसित और नैतिकता को अभिवृद्धित करना है।

जॉन ड्यूवी का कथन है- "शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सकें।

इस प्रकार जीवन के विभिन्न कौशलों में पारंगत करने के लिए शिक्षा के विभिन्न कार्यो का वर्णन किया जा सकता है।

प्राणी जगत में मनुष्य परम शक्ति की सर्वोत्तम कृति है। जैविक रूप से मनुष्य अन्य प्राणियों की भांति एक पशु होता है परन्तु मानव अपनी विभिन्न क्षमताओं, योग्यताओं आदि के कारण उनसे भिन्न होता है। मानव में शिक्षणीयता होती है। साथ ही उसमें पशुओं की भांति प्रशिक्षणीयता भी होती है। मानव में बुद्धि तत्व अधिक होता है। इसके बुद्धि तत्व को विवेकशील साध्यों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। उसका मस्तिष्क तीन कार्य करता है। (1) संज्ञान (Cognition) अर्थात जानना (2) अनुराग या भावात्मक (Affection) जिसकी अनुभूति की जाती है तथा (3) सांस्कृतिक (Conation) जिसका संकल्प किया जाता है। मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। साथ ही उसके कारणों व नियमों की खोज करता है परन्तु पशु ऐसा नहीं कर पाता है। मनुष्य संज्ञान को जानने के लिए प्रयासरत रहता है। इन गुणों के कारण वह अपने विचारों, भावनाओं, संवेगों, आशाओं, आकांक्षाओं भय तथा इच्छाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। इस प्रकार मनुष्य को विभिन्न कौशलों में पारंगत करने के लिए शिक्षा की निम्न प्रकार आवश्यकता होती है।

1 जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति-

शिक्षा का प्रमुख कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। जीवधारी होने के कारण भोजन मकान तथा वस्त्र उसकी प्रमुख जैविक आवश्यकताएं है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे समाज के अन्य व्यक्तियों जिससे वह अपने को लाभप्रद बना सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। उसे अवकाश ही आवश्यकता है जिससे कि वह मनोरंजन कर सकें। उसे संघर्ष एवं

प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है जिससे की वह उन्नति कर सकें। उसे अवसर की आवश्यकता है जिससे कि वह अपनी विशेष योग्यता को विकसित कर सकें। उसे धर्म और जीवन-दर्शन की आवश्यकता है जिससे कि उसके जीवन का पथ प्रदर्शन कर सकें।

इन सब आवश्यकताओं को पूर्ण करना शिक्षा का आवश्यक कार्य है। मानव जीवन में शिक्षा के इस कार्य का महत्व बताते हुए स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है- "शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए और आधुनिक सभ्य समाज का गंभीर ध्यान इसी बात में लगा हुआ है।

2 आत्म निर्भरता की प्राप्ति-

मानव जीवन में शिक्षा का कार्य व्यक्ति को आत्म-निर्भर बनाना है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए नहीं होता है। वह अपना भार स्वयं अपने ऊपर लेता है। इससे न केवल उसका, वरन् समाज का भी हित होता है। वह अपने कार्यो को सफलतापूर्वक करता है। परिणाम यह होता है कि वह जीवन उन्नति करता है। साथ ही, अपने कार्यो को सफलतापूर्वक करने के कारण वह समाज की उन्नति में योगदान देता है।

आज भारत कठिन समय में से गुजर रहा है। अतः उसे आत्म-निर्भर मनुष्यों की ही आवश्यकता है, न कि ऐसे निकम्मे मनुष्यों को जो दूसरों का सहारा ढूंढता हैं। आज से कई वर्ष पहले स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा के इसी कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा था-' "केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे कि व्यक्ति अपने स्वर्ग के पैरों पर खडा हो सकता है। "

3 व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति-

जीवन में शिक्षा का कार्य छात्रों की व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति में सहायता देना है। इस समय हमारे देश का बड़ी तेजी से औद्योगीकरण हो रहा है। इसलिए वैज्ञानिकों, शिल्पियों और इंजीनियरों की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है।

यदि शिक्षा छात्रों को किसी व्यवसाय में कुशल बना देगी, तो इससे दो लाभ होगें। छात्र देश के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। इसके अतिरिक्त, उन्हें नौकरी मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फलस्वरूप उनकी जीविका की समस्या हल हो जाएगी।

डॉ. राधाकृष्णन् का कथन है- "प्रयोगात्मक विषयों में प्रशिक्षित व्यक्ति, कृषि और उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता देते हैं। ये विषय सरलतापूर्वक रोजगार पाने में भी सहायता देते हैं। छात्रों को जीविका उपार्जन करने में सहायता देना, शिक्षा का एक कार्य है- अर्थकारिका विद्या"।

4 भौतिक सम्पन्नता की प्राप्ति-

शिक्षा का कार्य व्यक्तियों को भौतिक सम्पन्नता प्राप्त करने में सहायता देना है। आज के भौतिकवादी युग में यदि शिक्षा यह कार्य नहीं करती है, तो उसे व्यर्थ समझा जाता है। आजकल सभी माता-पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करें और ठाठ-बाट से रहें।

शिक्षा के इस कार्य का उल्लेख करते हुए जॉन रस्किन ने लिखा है- "माता-पिता कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य कार्य उनके बच्चों को जीवन में अच्छे स्थान प्राप्त करने, बड़े और धनी

व्यक्तिओं के समाज में महत्वपूर्ण बनने और आराम तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है।"

5 अच्छे नागरिक का निर्माण-

शिक्षा का कार्य उत्तम नागरिकों का निर्माण करना है। आज हमारे देश धर्म-निरपेक्ष प्रजातन्त्र है। अत: आवश्यक है कि शिक्षा छात्रों में स्पष्ट विचार, अनुशासन, सहनशीलता, सहयोग, देश-प्रेम आदि गुणों का विकास करे, तभी शिक्षा छात्रों को उत्तम नागरिक बनाकर प्रजातंत्र को सफल बना सकेगी।

भारतीय प्रजातंत्र में, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये उत्तम नागरिक किस प्रकार के हों, इसके बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन का कथन है- "कल्याणकारी राज्य में हमारा उद्देश्य अपने सब नागरिकों को भोजन, कपड़ा और मकान की प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं होना चाहिए, वरन् उनको भाईयों के समान रहना सीखना चाहिए, भले ही वे विभिन्न प्रजातियों, धर्मो और प्रान्तों के क्यों न हों।"

6 व्यक्तित्व का विकास-

शिक्षा का कार्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास करना है। शिक्षा के इस कार्य पर प्राय: सभी शिक्षाविदों द्वारा बल दिया गया है। फ्रेडरिक ट्रेप्सी के अनुसार- "सम्पूर्ण शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। यह आदर्श सन्तुलित एवं समग्र व्यक्तित्व है।"

7 चरित्र का विकास-

यह कहना गलत न होगा कि आज के संसार में नैतिकता का प्राय: अभाव हो गया है। झूठ, छल, धोखेबाजी, स्वार्थ और घृणा का साम्राज्य दिखाई देने लगा। इन सब बातों से मानव भले ही प्रगति करे, पर वह स्थायी कदापि नहीं हो सकती है।

अत: यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और संसार की बुराइयों को दूर करके, उनमें नैतिकता का समावेश करे। शिक्षा के इस कार्य की ओरसंकेत करते हुए हरबर्ट ने लिखा है- "शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है।"

8 जीवन के लिए तैयारी-

विलमॉट का कथन है- "शिक्षा जीवन की तैयारी है।" अब यदि शिक्षा जीवन की तैयारी है, तो शिक्षा का कार्य है-बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना। यदि शिक्षा यह कार्य नहीं करती है तो बच्चे बड़े होकर जीवन के लिए तैयार करना। यदि शिक्षा यह कार्य नहीं करती है तो बच्चे बड़े होकर वन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकेंगे, उन संघर्षो से लोहा न ले सकेंगे, जो उनके सामने आयेगें।

शिक्षा के इस कार्य पर अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है- "यदि कोई मनुष्य केवल कुछ परीक्षाएं पास कर सकता है और अच्छे व्याख्यान दे सकता है तो आप उसको शिक्षित समझते हैं। क्या वह शिक्षा-शिक्षा कहलाने के योग्य है, जो सामान्य जनसमूह को जीवन के संघर्ष के लिए अपने आपको. तैयार करने में सहायता नहीं देती है और उनमें शेर का-सा साहस उत्पन्न नहीं करती है।"

9 अनुभवों का पुनर्गठन-

व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अनुभव प्राप्त करता है। शिक्षा का कार्य- इन अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्रचना करना। यदि शिक्षा यह कार्य करती है तो व्यक्ति अपनी भावी प्रगति के लिए अतीत का उपयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। ड्यूवी ने सत्य ही लिखा है-"जीवन का मुख्य कार्य है प्रत्येक पग पर अनुभवों द्वारा जीवन को समृद्ध बनाना।"

10 वातावरण में अनुकूलन-

वातावरण में जड़ और चेतन दोनों शिक्षा देने वाले हैं। वातावरण से अनुकूलन न कर सकने के कारण निम्न वर्ग के पशु नष्ट हो जाते है। इसी प्रकार, वातावरण व्यक्ति के केवल उन्हीं कार्यो को प्रोत्साहित करता है, जो उसके अनुकूल होते हैं।

अत: शिक्षा का यह कार्य है कि वह व्यक्ति को वातावरण के अनुकूल बनाये। इस संबंध में टॉमसन ने लिखा है- "वातावरण शिक्षक हैं और शिक्षा का कार्य-छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना, जिससे कि वह जीवित रह सकें और अपनी मूल-प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक-से- अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके।"

11 वातावरण का रूप परिवर्तन-

शिक्षा का कार्य शक्ति को वातावरण करने या उनमें सुधार करने के योग्य बनाना है। यदि शिक्षा द्वारा व्यक्ति में अच्छी आदतों को निर्माण कर दिया जाए, तो वह अपने वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। बिल्ली चटकनी को दबाकर दरवाजा खोलकर अपने लिए नए वातावरण का निर्माण करना सीख लेती है। इसी प्रकार, व्यक्ति भी नई और अच्छी आदतों का निर्माण करके अपने सामाजिक वातावरण को बदल सकता है और इसे अच्छा बना सकता है। इस प्रकार, शिक्षा का कार्य केवल यही नहीं है कि वह व्यक्ति को वातावरण से अनुकूलन करना सिखाए, वरन् उसे वातावरण को अपने अनुकूल बदलने के लिए भी प्रशिक्षित करे।

आज के संघर्षपूर्ण संसार में यह बहुत आवश्यक हो गया है। भारत में भी इस आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। विभिन्न जातियों, प्रजातियों, धर्मो और भाषाओं ने हमारे देशे में जिस वातावरण का निर्माण कर दिया है, वह देश के लिए तनिक भी हितकर नहीं है। भाषा या धर्म के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की मांग देश को ऐसे खण्डों में बांटना है, जो शायद कभी मिल नहीं सकेंगे। इस प्रकार के दूषित वातावरण में सुधार तभी तो हो सकता है, जब देश के बालक-बालक को शिक्षा देकर इस प्रकार तैयार कर दिया जाए कि वह इस वातावरण को परिवर्तित करने के लिए कमर कस लें। वातावरण का रूप-परिवर्तन करके उस पर अधिकार रखने की आवश्यकता की ओर संकेत करते हुए जॉन ड्यूवी ने लिखा है- "वातावरण से पूर्ण अनुकूलन करने का अर्थ है- मृत्यु। आवश्यकता इस बात की है कि वातावरण पर नियंत्रण रखा जाए।"

12 मूल्यों का विकास-

आज का भारतीय पाश्चात्य उपभोक्ता संस्कृति का पोषक बन गया है। उसने व्यावसायिक मानव का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। वह कर्तव्य प्रधान, आस्था-भाव वाली संस्कृति का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता है। वह शौतिकता की चकाचौंध में स्वयं को विदेशी जैसा प्रदर्शित करने में गर्व महसूस करने लगा है। भारतीयता अनैतिकता के माहौल में दम तोड़ रही है और उसकी आध्यात्मिकता निरर्थक सिद्ध हो रही है। उपभोक्ता संस्कृति ने हमारी चेतना को इतना निस्तेज व निष्प्रभाव कर दिया है कि आज अच्छे तथा बुरे का भेद तो छोड़िए जिसे हम ठीक समझते हैं उसे करते हुए भी कतराते हैं। श्रेयस्ते का स्थान उपयोगिता ने ले लिया है। हां, अधिक ऊंचा पहुंचने पर

इसे कौशल का रूप देकर समाज उसे एक मौन स्वीकृति दे देता है। इस प्रकार इस संस्कृति में करनी और कथनी के बीच एक चौड़ी खाई उत्पन्न हो गई है। उक्त स्थिति में मुक्ति पाने तथा इस खाई को पाटने के लिए शिक्षा द्वारा मूल्यों का विकास करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अत: आज हम चारों ओर से इसी बात का अपेक्षा करते है।

अन्त में, हम एमरसन के शब्दों में कह सकते हैं- "शिक्षा इतनी विशद् होनी चाहिए. जितना कि मनुष्य। उसमें जो भी शक्तियां हैं, शिक्षा को उन्हें शोषित और प्रदर्शित करना चाहिए।"

स्वमूल्यांकन प्रश्न 5

1 जीवन के विभिन्न कौशल कौन-कौन से है?

2 एमरसन के शब्दों में शिक्षा की परिभाषा लिखिए।

16.8 वैकल्पिक शिक्षा के द्वारा मुख्यधारा में सम्मिलित होने वाले बालक

वैकल्पिक शिक्षा योजना के अंतर्गत ऐसे दुर्गम आबादी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, जहाँ एक किलोमीटर के घेरे में कोई औपचारिक स्कूल नहीं हो और स्कूल नहीं जाने वाले 6-14 वर्ष के आयु वर्ग से कम 15-25 बच्चों पर भी एक वैकल्पिक स्कूल खोला जा सकता है।

वैकल्पिक शिक्षा की शुरूआत समाज के वंचित वर्ग के बच्चों बालश्रमिक, सड़को पर जीवनयापन करने वाले बच्चे, प्रवासी बच्चे, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे और 9 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बनाई गई है। वैकल्पिक शिक्षा में देश भर में किशोरावस्था की बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता हैं।

उन आबादी क्षेत्रों (रिहाइशी क्षेत्रों) में जहाँ स्कूल तो है, किंतु या तो उनमें बच्चों ने प्रवेश ही नहीं लिया या भर्ती होने के बाद बीच में ही पढाई छोड़ दी ऐसे बच्चे संभवतया पारंपरिक स्कूल प्रणाली से सामंजस्य नहीं बिठा पाते। ऐसे बच्चों को स्कूल में वापस लाने हेतु स्कूलवापसी शिविरों का आयोजन और सेतु (ब्रिज) पाठ्यक्रम की नीतियाँ लागू की गयी हैं। सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल वापसी शिविर बच्चों की जरूरतों के अनुसार आवासीय और गैर आवासीय हो सकते हैं।

वर्ष 2005-06 के दौरान प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 35 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 600 जिलों के लिए जिला योजनाएँ मंजूर की। राज्य पूरे उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वर्ष 2006-07 में वैकल्पिक शिक्षा की सहायता से वहाँ मौजूद हो पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम क्षेत्रों जैसे-अपवादों में 103.82 लाख बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा गया। सुदूर बस्तियों में रहने वाले 47.71 लाख बच्चों को एक लाख शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की और स्कूल जाने वाले 31.92 लाख बच्चों को स्कूल शिविर और ब्रिज पाठ्यक्रम से जोड़ा गया।

औपचारिक व अनौपचारिक प्रयासों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियाँ

- 2001 में साक्षरता दर 64.64 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई जबकि 1991 में यह दर 52.21 प्रतिशत थी। इस तरह एक दशक के दौरान साक्षरता में 12.63 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।
- अब तक 12 करोड़ 42 लाख 7 हजार लोगों को साक्षर बनाया जा चुका है।

- साक्षरता की वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा अधिक है।
- पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर कम हुआ है। यह 1991 में 24.84 प्रतिशत था जो 2001 में घटकर 21.60 प्रतिशत रह गया।
- महिला साक्षरता में 14.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 39.29 प्रतिशत से बढ़कर 53.67 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसी तरह पुरुष साक्षरता में 11.13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जो एक दशक में 64.13 प्रतिशत से बढ़कर 75.28 प्रतिशत हो गई।
- स्त्री-पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण भी दिखाई दिया है क्योंकि लगभग 60 प्रतिशत प्रतिभागी और लाभार्थी महिलाए हैं।
- 1991 से 2001 तक की अवधि के दौरान 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या में 17 करोड़ 16 लाख की वृद्धि हुई जबकि इस अवधि में 20 करोड़ 38 लाख लोग साक्षर बनें।
- 1991 से 2001 के बीच सभी राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित प्रदेशों में बिना किसी अपवाद के साक्षरता दर में वृद्धि की है।
- सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में अब पुरुष साक्षरता बढ़कर 60 प्रतिशत से अधिक है। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक 92.90 प्रतिशत है जबकि बिहार की साक्षरता दर सबसे कम 47.53 प्रतिशत है।
- निरक्षरों की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिली है। 1991 में निरक्षरों की संख्या 32 करोड़ 88 लाख 80 हजार थी जो 2001 में घटकर 30 करोड़ 40 लाख हो गई।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 6

1 वैकल्पिक शिक्षाओं की शुरूआत समाज के किस वर्ग के लिए की गयी?

2 1991 से 2001 तक के अवधि के दौरान 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई?

बोध प्रश्नों के उत्तर

स्वमूल्यांक प्रश्न 1

1) शिक्षा प्राप्त करने के तीन अभिकरण को मान्यता प्रदान की है-
   1. औपचारिक शिक्षा
   2. अनौपचारिक शिक्षा
   3. प्राथमिक सामाजिक समूहों में दी जाने वाली शिक्षा
2) यह शिक्षा औपचारिक व्यवस्थाओं में प्रदान की जाती है, यथा-पाठशाला या कॉलेज या संस्था में दी जाती है। विशेष या औपचारिक रूप से नियुक्त शिक्षक इसे प्रदान करते हैं। निश्चित पाठ्यक्रमानुसार निश्चित समय सारणी के अनुसार तथा निश्चित समय से इसे पूरा कर लिया जाता है और औपचारिक परीक्षा होती तथा सफल होने पर औपचारिक प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान की जाती है।

3) औपचारिक शिक्षा में संकुचित और निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। इसमें विविध पाठ्यक्रम, कभी-कभी निश्चित पाठ्यक्रम और कभी-कभी अनुकूलनीय पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम में सामान्यत: विविधता और परिवर्तनशीलता होती है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 2

1) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के शैक्षिक वातावरण को विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीकी सहायता का प्रयोग किया जाएगा। समुदाय में से योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन शिक्षक के रूप में किया जाएगा। उनके प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। योग्यताओं की अनौपचारिकता को शिक्षा के प्रवाह में लाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा में गुणात्मक अंतर न हो।
2) 1995 तक 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य सार्वभौम शिक्षा प्रदान की जाएगी।
3) राममूर्ति समिति का सुझाव है, कि बच्चों और खासकर लड़कियों की सुविधा को ध्यान में रखकर स्कूल का समय जल्दी सवेरे, दोपहर या देर शाम किया जा सकता है। साथ ही खेती के काम स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों एवं साप्ताहिक हाट के साथ भी स्कूल के समय को समायोजित किया जा सकता हैं। अगर आवश्यकता हो तो कक्षाएँ दिन में दो बार भी लगाई जा सकती है। सुबह बच्चों को लिखने का काम दिया जाए और शाम को मौखिक काम।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 3

1) एस.के.पी. लक्ष्य बालिका शिक्षा पर प्रमुख रूप से ध्यान देने के अतिरिक्त राजस्थान के दूर-दराज के अर्धशुष्क एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की सार्वत्रीकरण एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।
2) महिला समाख्या शैक्षिक पहुंच एवं उपलब्धि के क्षेत्र में लैंगिक अंतर का निराकरण करती है। इसमें महिलाओं (विशेषत: सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी एवं वंचित) को ऐसे सशक्तिकरण के योग्य बनाना शामिल है।
3) लोकजुबिंश कार्यक्रम का लक्ष्य लड़के-लडकियों की शिक्षा के स्तर में समानता लाना।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 4

1) सर्वसुलभ कार्यअनुसंधान परियोजना में 9- 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया।
2) विकासवाड़ी परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ने की घटनाओं -को कम करना और जनजाति के बच्चों का चहूमुखी विकास करना था।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 5

1) जीवन के मुख्य कौशल निम्न हैं-
   1. जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति।
   2. आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
   3. व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति।
   4. भौतिक सम्पन्नता की प्राप्ति।
   5. अच्छे नागरिक का निर्माण।
   6. व्यक्तित्व का विकास।

7. चरित्र का विकास।
8. जीवन के लिए तैयारी।
9. अनुभवों का पुर्नगठन।
10. वातावरण में अनुकूलन।
11. वातावरण का रूप।
12. मूल्यों का विकास।

2) "शिक्षा इतनी विषद् होनी चाहिए, जितना कि मनुष्य। उसमें जो भी शक्तियां हैं, शिक्षा को उन्हें शोषित और प्रदर्शित करना चाहिए।"

स्वमूल्यांकन प्रश्न 6

1) वैकल्पिक शिक्षा की शुरुआत समाज के वंचित वर्ग के बच्चों, बाल श्रमिक, सड़कों पर जीवन यापन करने वाले बच्चे, प्रवासी बच्चे, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे और नौ वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए की गई।
2) 1991 से 2001 तक की अवधि के दौरान सात वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या में 17 करोड़ 16 लाख की वृद्धि हुई।

16.9 संदर्भ ग्रंथ

1. पचौरी गिरीश- "उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक" इण्टर नेशनल पब्लिशिंग हाउस मेरठ।
2. लाल रमन बिहारी- "शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत रस्तोगी पब्लिकेशन्स मेरठ।
3. सक्सेना एन0 आर० स्वरूप व चतुर्वेदी शिखा ' 'उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक" सूर्या पब्लिकेशन मेरठ।
4. वालिया जे. एस. "उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा" अहम् पाल पब्लिशर्ज जालन्धर।
5. भारत (2006) योजना आयोग दिल्ली।
6. भारत (2007) योजना आयोग दिल्ली।
7. भारत (2008) योजना आयोग दिल्ली।

ISBN - 13/978-81-8496-138-6